इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with
www.iob.in

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2022-23

आपकी सुविधा के लिए.....
डिजिटल बैंकिंग के साथ कदम मिलाते हुए

Delivering values...
Keeping pace with digital banking

श्री एम. के. स्टालिन, तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 17 मार्च, 2023 को एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेपॉक में पवेलियन स्टैंड के उद्घाटन और नामकरण के दौरान हमारे एमडी और सीईओ श्री अजय कुमार श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया।

Our MD & CEO Shri. Ajay Kumar Srivastava was felicitated by Shri. M.K. Stalin, Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu, during the inauguration and naming of the Pavilion Stand at M.A. Chidambaram Stadium, Chepauk on 17th March, 2023.

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri. Ajay Kumar Srivastava
Managing Director & CEO

सुश्री एस. श्रीमती
कार्यपालक निदेशक
Smt. S Srimathy
Executive Director

श्री संजय विनायक मुदालियर
कार्यपालक निदेशक
Shri. Sanjay Vinayak Mudaliar
Executive Director

सुश्री ऐनी जार्ज मैथ्यू
सरकारी नामिती निदेशक
Ms. Annie George Mathew
Government Nominee Director

श्री विवेक अग्रवाल
भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती निदेशक
Shri. Vivek Aggarwal
RBI Nominee Director

श्री संजया रस्तोगी
शेयरधारक निदेशक
Shri. Sanjaya Rastogi
Share Holder Director

श्री सुरेश कुमार रुंगटा
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
Shri. Suresh Kumar Rungta
Part-Time Non Official Director

श्री बी चंद्रा रेड्डी
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
Shri. B. Chandra Reddy
Part-Time Non Official Director

श्री दीपक शर्मा
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
Shri. Deepak Sharma
Part-Time Non Official Director

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केन्द्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

वार्षिक रिपोर्ट – 2022-23

निदेशक मंडल

Indian Overseas Bank

Central Office: 763, Anna Salai, Chennai-600 002

ANNUAL REPORT 2022-23

BOARD OF DIRECTORS

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी	**Shri. Ajay Kumar Srivastava** Managing Director & CEO
सुश्री एस श्रीमती कार्यपालक निदेशक	**Ms. S Srimathy** Executive Director
श्री संजय विनायक मुदालियर कार्यपालक निदेशक	**Shri. Sanjay Vinayak Mudaliar** Executive Director
सुश्री ऐनी जॉर्ज मैथ्यू सरकारी नामिती निदेशक	**Ms. Annie George Mathew** Government Nominee Director
श्री विवेक अग्रवाल भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती निदेशक	**Shri. Vivek Aggarwal** RBI Nominee Director
श्री संजया रस्तोगी शेयरधारक निदेशक	**Shri. Sanjaya Rastogi** Shareholder Director
श्री सुरेश कुमार रुंगटा अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	**Shri. Suresh Kumar Rungta** Part Time Non Official Director
श्री बी चंद्रा रेड्डी अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	**Shri. B Chandra Reddy** Part Time Non Official Director
श्री दीपक शर्मा अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	**Shri. Deepak Sharma** Part Time Non Official Director
श्री एस पी महेश कुमार महा प्रबंधक व मुख्य वित्तीय अधिकारी	**Shri. S P Mahesh Kumar** General Manager & Chief Financial Officer
श्री नंदकुमारन एस उप महा प्रबंधक व कंपनी सचिव	**Shri. Nandakumaran S** Deputy General Manager & Company Secretary

लेखाकार | **AUDITORS**

1.	मेसर्स एस एन नंदा एंड कंपनी, नई दिल्ली	1.	M/s.S.N.NANDA & CO, New Delhi
2.	मेसर्स योगनंद एंड राम एलएलपी, चेन्नै	2.	M/s. YOGANANDH & RAM LLP, Chennai
3.	मेसर्स एस एन कपूर एंड एसोसिएट्स, लखनऊ	3.	M/s. S N KAPUR & ASSOCIATES, Lucknow
4.	मेसर्स नंदी हलदर एंड गांगुली, कोलकाता	4.	M/s. NANDY HALDER & GANGULI, Kolkata

पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स केमियो कॉरपोरेट सर्विसेज लि.	Registrar & Share Transfer Agent M/s Cameo Corporate Services Ltd
(यूनिट- आइओबी) सुब्रमणियन बिल्डिंग	(Unit - IOB) Subramanian Building
पांचवां तल, नं.1, क्लब हाउस रोड, चेन्नै - 600 002.	V Floor, No.1, Club House Road, Chennai - 600 002.
टेली : 044 / 28460390 (छह लाइनें) 044 - 28460395	Tel : 044 / 28460390 (Six Lines) 044 - 28460395
फैक्स: 044 / 28460129	Fax : 044 / 28460129
ई-मेल : cameo@cameoindia.com	e-mail : cameo@cameoindia.com

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालै,
चेन्नै - 600 002

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

क्र.सं	विषय वस्तु	पृष्ठ सं.
1	एक झलक में	3
2	प्रबंध निदेशक व सीईओ के डेस्क से	4
3	शेयरधारक के लिए सूचना	8
4	निदेशकों की रिपोर्ट	32
5	प्रबंधन विचार - विमर्श और विश्लेषण	38
6	कॉरपोरेट गवर्नेंस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट	90
7	कॉरपोरेट गवर्नेंस पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र	134
8	सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	135
9	वार्षिक लेखा - स्टैंडअलोन	140
10	नकदी प्रवाह विवरणी - स्टैंडअलोन	142
11	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट - स्टैंडअलोन	254
12	वार्षिक लेखा - समेकित	268
13	नकदी प्रवाह विवरणी - समेकित	270
14	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट - समेकित	312
15	अतिरिक्त प्रकटीकरण	324
16	व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट	362
17	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक लाभांश वितरण नीति	422

(यदि इस वार्षिक रिपोर्ट के हिंदी रुपांतरण में कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी वर्शन मान्य होगा)

Indian Overseas Bank

Central Office: 763, Anna Salai,
Chennai-600 002

ANNUAL REPORT 2022-23

S.No.	Contents	Page No.
1	At a Glance	3
2	From the Managing Director & CEO’s Desk	4
3	Notice to the Shareholder	8
4	Directors’ Report	33
5	Management Discussion and Analysis	39
6	Report of the Board of Directors on Corporate Governance	91
7	Auditors’ Certificate on Corporate Governance	134
8	Secretarial Audit Report	135
9	Annual Accounts - Standalone	140
10	Cash Flow Statement - Standalone	142
11	Independent Auditors' Report - Standalone	255
12	Annual Accounts - Consolidated	268
13	Cash Flow Statement - Consolidated	270
14	Independent Auditors' Report - Consolidated	313
15	Additional Disclosure	325
16	Business Responsibility & Sustainablity Report	363
17	IOB Dividend Distribution Policy	423

(In this Annual Report, in case of any discrepancy found in Hindi Version, English Version will prevail)

एक नज़र में

(रु. करोड़ में)

	मार्च-23	मार्च-22	मार्च-21	मार्च-20	मार्च-19	मार्च -18	मार्च-17
कुल कारोबार	4,49,892	4,17,960	3,79,885	3,57,723	3,74,530	3,67,831	3,68,119
वैश्विक जमाएं	2,60,883	2,62,159	2,40,288	2,22,952	2,22,534	2,16,832	2,11,343
घरेलू जमाएँ	2,54,324	2,56,890	2,35,545	2,18,028	2,17,963	2,10,388	2,05,154
घरेलू सकल जमाएँ	1,73,669	1,43,202	1,30,267	1,27,336	1,46,001	1,38,516	1,42,651
वैश्विक निवल अग्रिम	1,78,053	1,44,244	1,27,721	1,21,333	13,297	1,32,489	1,40,459
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	91,803	79,570**	74,579**	75,887**	75,393**	70,040**	63,984**
कृषि ऋण	44,487	40,358	33,124	30,091*	31,853*	29,520*	29,348*
निवल निवेश (वैश्विक)	94,170	98,179	95,494	79,415	66,932	68,646	71,654
ब्याज आय	19,401	16,730	16,966	17,406	17,631	17,915	19,719
गैर ब्याज आय	4,108	4,903	5,559	3,360	4,206	3,746	3,373
परिचालनात्मक व्यय	6,422	5,451	5,562	5,129	4,452	5,585	4,912
सकल लाभ	5,942	5,763	5,896	3,534	5,034	3,629	3,650
निवल लाभ / निवल हानि	2,099	1,709	831	(8,527)	(3,738)	(6,299)	(3,417)
इक्विटी शेयर पूँजी	18,902	18,902	16,436.99	16,436.99	9,141.65	4,890.77	2,454.73
सकल एनपीए (%)	7.44	9.82	11.69	14.78	21.97	25.28	22.39
निवल एनपीए (%)	1.83	2.65	3.58	5.44	10.81	15.33	13.99
पूँजी पर्याप्तता अनुपात (%)	16.10	13.83	15.32	10.72	10.21	9.25	10.5

* 31 मार्च तक बकाया

** प्राथमिकता क्षेत्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2016-17 से प्राथमिकता क्षेत्र लक्ष्य एवं उप लक्ष्य की उपलब्धि के लिए चार तिमाहियों का औसत प्रदर्शन दिया जा रहा है ।

जहां कहीं भी अपेक्षित है पिछले वर्ष के आंकड़ों को पूनर्समूहित किया गया है ।

At a Glance

(₹ in Crore)

	Mar-23	Mar-22	Mar-21	Mar-20	Mar-19	Mar-18	Mar-17
Total Business	4,49,892	4,17,960	3,79,885	3,57,723	3,74,530	3,67,831	3,68,119
Global Deposits	2,60,883	2,62,159	2,40,288	2,22,952	2,22,534	2,16,832	2,11,343
Domestic Deposits	2,54,324	2,56,890	2,35,545	2,18,028	2,17,963	2,10,388	2,05,154
Domestic Gross Advances	1,73,669	1,43,202	1,30,267	1,27,336	1,46,001	1,38,516	1,42,651
Global Net advances	1,78,053	1,44,244	1,27,721	1,21,333	13,297	1,32,489	1,40,459
Priority Sector Advances	91,803	79,570**	74,579**	75,887**	75,393**	70,040**	63,984**
Agricultural Credit	44,487	40,358	33,124	30,091*	31,853*	29,520*	29,348*
Net Investments(Global)	94,170	98,179	95,494	79,415	66,932	68,646	71,654
Interset Income	19,401	16,730	16,966	17,406	17,631	17,915	19,719
Non-Interest income	4,108	4,903	5,559	3,360	4,206	3,746	3,373
Operating Expenses	6,422	5,451	5,562	5,129	4,452	5,585	4,912
Gross Profit	5,942	5,763	5,896	3,534	5,034	3,629	3,650
Net Profit/Net Loss	2,099	1,709	831	(8,527)	(3,738)	(6,299)	(3,417)
Equity Share Capital	18,902	18,902	16,436.99	16,436.99	9,141.65	4,890.77	2,454.73
Gross NPA(%)	7.44	9.82	11.69	14.78	21.97	25.28	22.39
Net NPA(%)	1.83	2.65	3.58	5.44	10.81	15.33	13.99
Capital Adequacy Ratio(%)	16.10	13.83	15.32	10.72	10.21	9.25	10.5

* Outstanding as on 31st March

**Average of 4 Quarters performance as per revised Priority Sector Guidelines of RBI from FY 2016-17 onward for achievement of Priority sector target & Sub target for the financial year.

Previous year's figures are regrouped wherever necessary.

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक - केन्द्रीय कार्यालय चेन्नै

INDIAN OVERSEAS BANK - CENTRAL OFFICE CHENNAI

प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पत्र

Letter from Managing Director & Chief Executive Officer

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Shri. Ajay Kumar Srivastava, Managing Director & Chief Executive Officer

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपके बैंक की वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के साथ आपकी मूल्यवान साझेदारी के लिए मैं आप में से प्रत्येक का आभारी हूँ, जिन्होंने 87 वर्षों की समृद्ध विरासत के साथ अपने सम्मानित संस्थान को स्वस्थ वित्त और बुनियादी सिद्धांतों के साथ मजबूती से खड़ा रखने में मदद की है। वर्ष के दौरान, बैंक ने अपनी ताकत दिखायी और सभी चार तिमाहियों में लगातार लाभ अर्जन जारी रखा, जिसने 2099 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज करने में मदद की और 4,49,892 करोड़ रुपये के व्यापार मिश्रण को पार कर लिया।

अब, मैं आपके साथ वर्ष के दौरान बैंक के कार्य-निष्पादन की प्रमुख विशेषताओं के साथ-साथ आने वाले समय के लिए बैंक के दृष्टिकोण को साझा करना चाहता हूं।

आर्थिक माहौल

वैश्विक अर्थव्यवस्था

वित्त वर्ष 2022-23 में वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्थिर रही। यह सामान्य रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से बैंकिंग उद्योग के लिए एक चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा है। कोविड-19 के लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव के अलावा, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा की ऊंची कीमतों के कारण दुनिया भर में कई दशकों के उच्च स्तर की मुद्रास्फीति देखी गई।

इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए, दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने नपे-तुले तरीके से अपने उदार रुख को वापस लेना जारी रखा, जिसके कारण वैश्विक बाजारों में चलनिधि में कमी आई और ब्याज दरों में वृद्धि हुई। इसने खपत और उत्पादन में संकुचन के कारण वैश्विक आर्थिक विकास की संभावनाओं के लिए एक नकारात्मक जोखिम उत्पन्न किया। हाल ही में, अमेरिका और यूरोप में कुछ बैंकों में उथल-पुथल के परिणामस्वरूप बैंकिंग क्षेत्र में कमजोरियां और वैश्विक वित्तीय स्थिरता और प्रणालीगत जोखिम के बारे में चिंताएं पैदा हुई हैं।

इन प्रचलित वैश्विक आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय क्षेत्र की उथल-पुथल, उच्च मुद्रास्फीति, उच्च ब्याज दरों के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों के मद्धम रहने और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के चल रहे प्रभावों के बीच वैश्विक दृष्टिकोण अनिश्चित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की भविष्यवाणी है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था इस वर्ष 2.8% और 2024 में 3% बढ़ेगी। भारत और चीन के प्रमुख योगदान के साथ, उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ 2022 में 4% से 2023 में 3.9% बढ़ेंगी।

Dear Shareholders,

I have pleasure in presenting your Bank's Annual Report and financial statements for the year 2022-23. At the outset, I am grateful to each one of you for your valuable partnership with Indian Overseas Bank which has helped your esteemed institution with rich legacy of 87 years to stand strong with healthy financials and fundamentals. During the year, the Bank showed its resilience and continued to post profits consistently in all the four quarters which helped to register all time high net profit of Rs.2099 Crores and crossed the business mix of Rs.4,49,892 crores.

Now, I would like to share with you the performance highlights of the Bank during the year as well as the outlook for the Bank going forward.

Economic Environment

Global Economy

The global economy remained volatile in FY 2022-23. It has been a challenging year for the global economy in general and the banking industry in specific. In addition to COVID- 19's lingering impact, the world witnessed multi-decade high level of inflation rates across countries due to supply chain disruptions and elevated energy prices following Russia's invasion of Ukraine.

To combat this situation, Central Banks across the world continued to withdraw their accommodative stance in a calibrated manner which led to tightening of liquidity across global markets and an increase in interest rates. This posed a downside risk to global economic growth prospects due to contraction in consumption and output. More recently, the turmoil of a few banks in US and Europe has resulted vulnerabilities in the banking sector and concerns about global financial stability and systemic risk.

Taking into consideration these prevailing global economic conditions, the global outlook is uncertain amid financial sector turmoil, high inflation, higher interest rates as a result cooling economic activity and ongoing effects of Russia's invasion of Ukraine. The International Monetary Fund (IMF) predicts the global economy will grow by 2.8% this year and 3% in 2024. Emerging and developing economies to grow 3.9% in 2023 from 4% in 2022, with major contributions from India and China.

घरेलू अर्थव्यवस्था

मजबूत आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों और कॉर्पोरेट क्षेत्र की मजबूत बैलेंस शीट के कारण इन अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली बनी रही और बैंकों ने क्रेडिट मांग की वापसी में सहयोग किया, जिसे केंद्र द्वारा पूंजीगत व्यय में बड़ी वृद्धि से भी मदद मिली।

जनवरी से मार्च 2023 की तिमाही में भारत की जीडीपी संवृद्धि पिछली तिमाही में ऊपर की ओर संशोधित 4.5% संवृद्धि से बढ़कर 6.1% हो गई। पूरे वित्तीय वर्ष के लिए, अर्थव्यवस्था की वृद्धि 7.2% रिपोर्ट की गई जो पूर्व में 7% के अग्रिम अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष में, भारत ने 9.1% जीडीपी संवृद्धि देखी थी। यह उछाल मुख्य रूप से कृषि, विनिर्माण, खनन और निर्माण क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के कारण हुआ। सभी क्षेत्रों में वृद्धि में व्यापक आधार पर सुधार दिखा। वैश्विक मंदी के बीच घरेलू मांग में मजबूती ने विकास में सहयोग किया।

कृषि क्षेत्र में 4% की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष 3.5% थी। मौसम संबंधी व्यवधानों के बावजूद इस क्षेत्र ने अच्छा प्रदर्शन किया। वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर पिछली तिमाही के 2.3% की तुलना में 6.3% रही। एक साल पहले व्यापार, होटल और परिवहन द्वारा संचालित 8.8% की संवृद्धि की तुलना में सेवा क्षेत्र में 9.5% की संवृद्धि हुई। 2021-22 में 4.7% की तुलना में वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवा क्षेत्रों में 7.1% की संवृद्धि देखी गई।

भारतीय रिजर्व बैंक ने समान संतुलित जोखिम के साथ 2023-24 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी संवृद्धि 6.5% रहने का अनुमान जताया है जिसमें पहली तिमाही: 2023-24 में 7.8%; दूसरी तिमाही: 2023-24 में 6.2%; तीसरी तिमाही के लिए 6.1% और चौथी तिमाही के लिए 5.9% संवृद्धि का अनुमान है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 5.90% बताया है, जो आरबीआई के 6.4 प्रतिशत के अनुमान से कम है। हालांकि, तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आईएमएफ के अनुसार, भारत विश्व अर्थव्यवस्था में एक सापेक्ष "उज्ज्वल स्थान" बना हुआ है और अकेले 2023 में वैश्विक विकास में 15 प्रतिशत का योगदान करेगा।

बैंकिंग सेक्टर के लिए आउटलुक

भारत में बैंकिंग क्षेत्र मजबूत बना हुआ है और स्थिर है और पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रावधानीकरण और लाभाप्रदता से जुड़े विभिन्न प्रमुख वित्तीय मानदंडों में सुधार देखने को मिला है। अर्थव्यवस्था के लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों से ऋण की मांग दिख रही है। 24 मार्च, 2023 को समाप्त पखवाड़े के लिए बैंकिंग उद्योग (एससीबी) का क्रेडिट ऑफटेक वर्ष दर वर्ष 15.0% बढ़ा है। क्रेडिट ग्रोथ की तुलना में जमा वृद्धि में 9.6% की धीमी वृद्धि देखी गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ऋण और जमा में क्रमशः 15.8% और 9.3% की वृद्धि दर्ज की है। इसी अवधि के लिए सीडी अनुपात भी 69.35% से बढ़कर 73.53% हो गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का संचयी लाभ मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया। 12 पीएसबी ने 2021-22 में अर्जित 66,542 करोड़ रुपये की तुलना में शुद्ध लाभ में 57.27% की वृद्धि देखी, जो उच्च ब्याज आय और गैर-निष्पादित आस्तियों के प्रबंधन में सुधार की वजह से हुआ।

Domestic Economy

Indian economy remained resilient amidst these uncertainties on account of strong economic fundamentals and robust balance sheets of the corporate sector and banks enabled a rebound in credit demand, which was also facilitated by a large increase in capex by the Centre.

India's GDP growth accelerated to 6.1% in the January to March 2023 quarter from an upwardly revised 4.5% growth in previous quarter. For the full financial year, the economy growth was reported at 7.2% higher than the earlier Second Advance Estimate of 7%. In the previous financial year, India had seen 9.1% GDP growth. The surge is primarily driven by improved performance in agriculture, manufacturing, mining, and construction sectors. There was a broad-based improvement in growth across sectors. The strength in domestic demand supported the growth amid the global slowdown.

The agricultural sector grew by 4%, up from 3.5% in the previous year. The sector performed well despite weather-related disruptions. The industrial sector grew by 6.3 % in fourth quarter of financial year 2022-23 as against 2.3% in the previous quarter. The Services sector grew at 9.5% compared with 8.8% growth a year ago driven by trade, hotel, and transportation. The financial, real estate & professional services sectors saw their growth at 7.1%, compared to 4.7% in 2021-22.

The Reserve Bank of India is projected real GDP growth of India for 2023-24 at 6.5% with Q1:2023-24 at 7.8%; Q2 at 6.2%; Q3 at 6.1%; and Q4 at 5.9 %, with risks evenly balanced.

The International Monetary Fund (IMF) predicts India's growth forecast for FY24 to 5.90% is lower than the RBI's projection of 6.4%. But still India will continue to be the fastest-growing economy in the world despite facing considerable challenges.

It says India continues to remain a relative "**bright spot**" in the world economy and will alone contribute 15% of the global growth in 2023.

Outlook for Banking Sector

The Banking sector in India remained resilient and stable and various key financial parameters relating to capital adequacy, asset quality, provision coverage and profitability have seen improvement. The demand for credit seen from almost all the major sectors of the economy. The Credit offtake of the banking industry (SCBs) rose by 15.0% year on year (y-o-y) for the fortnight ended March 24, 2023. The Deposit growth witnessed a slower growth at 9.6% y-o-y compared to credit growth.

The Public sector banks have registered credit and deposit growth of 15.8% and 9.3% respectively during financial year 2022-23 over financial year 2021-22. CD ratio also improved from 69.35 % to 73.53% for the same period.

Public sector banks' cumulative profit crossed the Rs.1 lakh crore-mark in the financial year ended March 2023. The 12 PSBs witnessed 57.27% increase in net profit compared to Rs 66,542 Crore earned in 2021-22 due to higher interest income and improvement in management of non-performing assets.

वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे में किसी पीएसबी को नहीं रखा गया है।

बैंक का ये प्रदर्शन एक ऐसे आर्थिक माहौल में आया जहां दुनिया भर की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को अभूतपूर्व मुद्रास्फीति और मौद्रिक तंगी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वैश्विक मंदी आई और वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में अमेरिका और यूरोप के कुछ बैंकों में उथल-पुथल मच गई।

अप्रैल 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति की दर उम्मीद से अधिक कम होकर 4.70% हो गई, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के 6 से 8 जून 2023 के बीच होने वाली नीतिगत बैठक में रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने की संभावना है जिससे ऋण वृद्धि की मांग बैंक को अप्रभावित देखने को मिल सकती है।

आगे बढ़ते हुए, केंद्र द्वारा कैपेक्स में बड़ी वृद्धि से बैंकिंग क्षेत्र में दोहरे अंक की ऋण वृद्धि देखी जा सकती है। हालांकि, बैंक को निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि उधार लागत की तुलना में फंडिंग लागत में तेजी से वृद्धि हुई है। विशेष सावधि जमा बकेट पर अधिक ज़ोर देने और उच्च ब्याज दर के साथ नई जमाओं के पुनर्मूल्यांकन के कारण ब्याज व्यय में बैंक को वृद्धि दिख सकती है।

वित्तीय प्रदर्शन – आपके बैंक की विशेषताएं – 2022-23

शुद्ध ब्याज आय में मजबूत वृद्धि और संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार के कारण बैंक का शुद्ध लाभ 31.03.2022 को 1,710 करोड़ रुपये से 2022-23 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 22.76% बढ़कर 2,099 करोड़ रुपये हो गया।

मजबूत ऋण संवृद्धि के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय 31.03.2023 तक 30.82% बढ़कर 8,256 करोड़ रुपये हो गई है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 6,311 करोड़ रुपये थी। 31 मार्च 2023 तक बैंक की ऋण संवृद्धि 21.31% (वर्ष दर वर्ष) बढ़कर 1,89,009 करोड़ रुपये हो गई है।

परिसंपत्ति गुणवत्ता पक्ष पर, बैंक ने सकल एनपीए और निवल एनपीए दोनों में कमी देखी है। बैंक का सकल एनपीए 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष में रिपोर्ट किए गए 15,299 करोड़ रुपये (9.82%) से 31.03.2023 को 14,072 करोड़ रुपये (7.44%) हो गया है। इसी तरह, उक्त अवधि के लिए बैंक का निवल एनपीए 3,825 करोड़ रुपये (2.65%) से घटकर 3,266 करोड़ रुपये (1.83%) हो गया है।

संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार के कारण एनपीए के लिए प्रावधान की आवश्यकता 31.03.2023 को 26.52% घटकर 2,499 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले वर्ष यह 3401 करोड़ रुपये थी। 31.03.2023 को बैंक की ऋण लागत घटकर 1.70% हो गई, जबकि पिछले वर्ष यह 2.35% थी। बैंक का पीसीआर 31.03.2022 के 91.66% से 31.3.2023 को 97 बेसिस अंक सुधर कर 92.63% हो गया है।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31.03.2022 को 13.83% से सुधर कर 31.03.2023 को 16.10% हो गया है।

पूंजी की स्थिति

बोर्ड ने 22.06.2022 को हुई अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आवश्यकता के आधार पर 1000 करोड़ रुपये के बेसल III टीयर II बांड जारी करके टीयर II पूंजी जुटाने को मंजूरी दी थी । तदनुसार, 800 करोड़ रुपये तक के ग्रीन शू ऑप्शन के साथ निर्गम का आकार 200 करोड़ रुपये तय किया गया।

Currently no PSB is placed under Prompt Corrective Action (PCA) framework by RBI.

This performance of the Bank came in an economic environment where the major economies around the world faced unprecedented inflation & monetary tightening, which led to global slowdown and the turmoil of a few banks in US and Europe in the last quarter of the financial year.

As retail Inflation rate eases to 4.70% in April 2023 less than expectations, the Reserve Bank of India's (RBI) monetary policy committee (MPC) is likely to keep the repo rate unchanged at 6.5% in the policy meeting scheduled between 6 and 8 June 2023 which may help bank to see the demand for credit growth unaffected.

Going forward, banking sector may continue to see double digit credit growth facilitated by a large increase in capex by the Centre. However, Bank may face pressure on Net Interest Margin (NIM) because of rise in funding cost faster than lending cost. Bank to see increase in interest expenses due to higher concentration on Special fixed deposit buckets and repricing of new deposit with higher interest rate.

Financial Performance - Highlights of your Bank – 2022-23

The Net profit of the Bank has increased by 22.76% to Rs.2,099 Crores in the financial year ended 2022-23 from Rs.1,710 Crores as on 31.03.2022 on the back of strong growth in Net Interest Income and Improvement in asset quality.

The Net Interest income of the bank has increased by 30.82% to Rs 8,256 crores as on 31.03.2023 on the back of strong credit growth from Rs.6,311 Crores reported in the previous financial year. The credit growth of the bank has increased by 21.31% (YoY) to Rs 1,89,009 Crores as on 31.03.2023.

On the asset quality side, the Bank has seen decrease in both gross NPA & Net NPA. The Gross NPA of the Bank has deceased to Rs.14,072 Crores (7.44%) as on 31.03.2023 from Rs.15,299 Crores (9.82%) reported in the financial year ended 31.03.2022. Similarly, the Net NPA of the bank has decreased to Rs 3,266 Crores (1.83 %) from Rs.3,825 Crores (2.65 %) for the above said period.

The provision requirement for NPA has decreased by 26.52% to Rs.2,499 Crores as on 31.03.2023 as against Rs.3,401 Crores reported in the previous year due to improvement in the asset quality. The credit cost of the bank has reduced to 1.70% as on 31.03.2023 as against 2.35% reported in the last year. The PCR of the Bank has improved by 97 bps to 92.63% as on 31.3.2023 from 91.66% as on 31.03.2022.

The Capital Adequacy ratio has improved to 16.10% as on 31.03.2023 as against 13.83% as on 31.03.2022.

Capital Position

The board in its meeting held on 22.06.2022 had approved to raise Tier II Capital by issue of Basel III Tier II Bonds of Rs.1000 Crore depending on requirements for FY 2022-23. Accordingly, the issue size fixed for Rs.200 Crore with a Green Shoe option up to Rs.800 Crore.

सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद बैंक ने क्यूआईबी द्वारा अभिदान किए गए निजी प्लेसमेंट के माध्यम से बेसल III टियर II बांड जारी करके 1000 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई है ।

पुरस्कार एवं सम्मान

मैं आपको सहर्ष सूचित करता हूँ कि

- राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में हमारे बैंक द्वारा किए गए प्रयासों के प्रमाणीकरण के रूप में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार से 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' प्राप्त हुआ ।
- बैंक को डीएसबी मॉनसून ड्राईव लैप 1.0 में ग्रुप सी में द्वितीय स्थान और ओवरऑल में द्वितीय स्थान हासिल करने के लिए प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है और इसके साथ बैंक ने डीएसबी मिशन 5 लाख अभियान (15.02.2023 से 15.03.2023) में क्वालिफाई करने के लिए भी उपलब्धि प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है
- डीएसबी लक्ष्य रीलोडेड 2.0 अभियान (15.09.2022 to 27.09.2022) सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बैंक को प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है।

आगे की राह

कई समर्पित ग्राहकों के विशाल आधार और युवा, मजबूत और ऊर्जावान कार्यबल के बड़े आधार के समर्थन के साथ, ब्रांड आइओबी निश्चित रूप से बैंकिंग उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

स्वीकृति

मैं इस अवसर पर भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, उन देशों के मौद्रिक प्राधिकरणों, जहां बैंक का विदेशी परिचालन है, भारत और विदेशों में अन्य सरकारी और नियामक एजेंसियों को उनके बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ ।

मैं भारत और विदेशों में अपने ग्राहकों और अपने शेयरधारकों को ब्रांड आइओबी में उनके विश्वास के लिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि हम निरंतर आधार पर बैंक की स्थिति में सुधार करने और अपने हितधारकों के लिए अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए प्रयासरत एवं कृत संकल्प हैं ।

मैं बोर्ड के अपने सहयोगियों को उनकी विशेषज्ञता और निर्देशन के लाभ के लिए धन्यवाद देता हूँ । मैं सभी आइओबियन्स को उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए भी धन्यवाद देता हूँ ।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,
भवदीय

-हस्ताक्षरित

अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

After Careful consideration Bank has raised capital by issue of Basel III Tier II Bonds to the tune of Rs.1000 crore through private placements, subscribed by QIBs.

Awards and Accolades

I am pleased to inform you that

- Bank received the 'Raj bhasha Kirti puraskar' from the Ministry of Home Affairs, Government of India for the financial year 2021-22, as a certification of the efforts made by your Bank towards the implementation of Official Language.
- Bank has been awarded Certificate of Appreciation for securing 2nd Position in Group C and 2nd Position overall in the DSB monsoon Drive Lap 1.0 and also received Certificate of Achievement for qualifying in DSB mission 5 lakhs campaign (15.02.2023 to 15.03.2023).
- Bank has been awarded Certificate of Appreciation for excellent performance in the DSB Lakshya Reloaded 2.0 campaign (15.09.2022 to 27.09.2022).

Going forward

With the support of huge base of several loyal customers and a large base of young, strong, and energetic work force, Brand IOB is sure to play an important role in the Banking Industry.

Acknowledgement

I take this opportunity to thank the Government of India, Reserve Bank of India, the Monetary Authorities of countries where the Bank has overseas operations, other Government and Regulatory Agencies in India and abroad, for their valuable support and guidance.

I thank our customers in India and abroad and our shareholders for their faith in Brand IOB as we strive to improve the Bank's position on an ongoing basis and remain strongly committed to creating value for our stakeholders.

I thank my colleagues on the board for the benefit of their expertise and direction. I also thank all IOBians for their dedication and commitment.

With warm regards,
Yours sincerely,

-Sd/-

Ajay Kumar Srivastava
Managing Director & Chief Executive Officer

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय
निवेशक संबंध कक्ष
763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी) या अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) के जरिए 23वीं वार्षिक सामान्य बैठक के लिए सूचना

शुक्रवार, जुलाई 07, 2023 को सुबह 11.00 बजे

शेयरधारकों को सूचना

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 (2008 तक संशोधित) के विनियम 56(i) के अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक निम्नलिखित कार्य करने के लिए शुक्रवार दिनांक 07 जुलाई, 2023 को सुबह 11.00 (आईएसटी) बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से अपने शेयरधारकों की तेईसवीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) का आयोजन करेगा ।

सामान्य कार्य

कार्यसूची मद संख्या 1

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता, बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, तुलन पत्र और खातों एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट द्वारा कवर की गई अवधि के लिए उस तिथि को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र एवं खातों पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण करने के लिए:

विशेष कार्य

कार्यसूची मद संख्या 2

बैंक के प्रबंध निदेशक व सीईओ के रूप में श्री अजय कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति का शेयरधारकों से अनुमोदन लेना ।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और समुचित समझे जाने पर **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

"**संकल्प किया गया कि** समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दिनांक 26 सितंबर 2022 को जारी अधिसूचना ईएफ.सं.4/5/2017-बीओ.आई के तहत बैंक के एमडी व सीईओ के रूप में श्री अजय कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति की तिथि 01.01.2023 से तीन वर्षों की अवधि के लिए एतदद्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

कार्यसूची मद संख्या 3

बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री संजय विनायक मुदालियर की नियुक्ति हेतु शेयरधारकों का अनुमोन प्राप्त करने के लिए।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और समुचित समझे जाने पर **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने के लिए:

"**संकल्प किया गया कि** समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण)

Indian Overseas Bank

Central Office
Investor Relations Cell
763, Anna Salai, Chennai – 600 002

NOTICE OF THE TWENTY THIRD ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

Friday, the July 07, 2023 at 11.00 a.m.

NOTICE TO SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 56(i) of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (Amended up to 2008) that the Twenty Third Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Indian Overseas Bank will be held on Friday, the July 07, 2023, at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

AGENDA ITEM NO 1:

To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2023, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

SPECIAL BUSINESS

AGENDA ITEM NO 2:

To seek shareholders' approval for the appointment of Shri Ajay Kumar Srivastava as Managing Director & CEO of the bank.

To consider and if thought fit, to pass, the following Resolution as an **Ordinary Resolution:**

RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri. Ajay Kumar Srivastava, as the MD & CEO of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification eF.No.4/5/2017-BO.I issued by Government of India dated 26th September 2022, for a period of three years with effect from 01st January 2023, be and is hereby approved.

AGENDA ITEM NO 3:

To seek shareholders' approval for the appointment of Shri. Sanjay Vinayak Mudaliar, Executive Director of the bank.

To consider and if thought fit, to pass, the following Resolution as an **Ordinary Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri. Sanjay Vinayak Mudaliar, as the Executive Director of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies

अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.11.2022 को जारी अधिसूचना ईएफ.सं.4/6/2021-बीओ.आई 2022 के तहत बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री संजय विनायक मुदालियर की नियुक्ति की तिथि 01.01.2023 से एतदद्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

कार्यसूची मद संख्या 4 :

प्रदत्त ईक्विटी पूंजी रु 1,000 करोड़ को उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के जरिए जुटाना (क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यूज़/ईएसपीएस इत्यादि)

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और समुचित समझे जाने पर **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया गया कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 ("अधिनियम"), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 ("योजना") और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 2003 (विनियम) 2008 तक यथासंशोधित के प्रावधानों के अनुक्रम में और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई"), भारत सरकार ("जीओआई"), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") और / या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जो वांछित हों, के अनुमोदनों, सहमतियों और मंजूरियों की शर्त पर और उन अनुमोदनों को मंजूरी प्रदान करने में उनके द्वारा यथा निर्धारित निबंधनों, शर्तों और संशोधनों की शर्त पर जिसपर बैंक का निदेशक मंडल सहमत है और जो विनियमों के अनुपालन में है - यथा सेबी (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमन 2018 (आइसीडीआर विनियम) जैसा कि आज की तिथि तक संशोधित है/ दिशानिर्देशों, यदि कोई है, के अनुपालन में है तथा यह कि ये दिशार्निदेश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (बीआर अधिनियम), सेबी (सूची बाध्य बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 (एलओडीआर) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 (सेबी अधिनियम) और अन्य सभी लागू कानूनों व अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों, जो समय समय पर जारी होते हैं, के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी की अधिसूचनाओं / परिपत्रों और स्पष्टीकरणों द्वारा निर्धारित हैं, और जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर निर्धारित हैं, वहाँ के स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार की शर्त पर वे आधारित हैं और विनियमन 4(ए) के प्रावधानों के अनुसार है, बैंक के शेयरधारकों की एतदर्थ व एतद्द्वारा सहमति बोर्ड के निदेशक मंडल (आगे से जिसे "बोर्ड" कहा जाएगा और जिसमें ऐसी कोई भी समिति शामिल रहेगी जिसे बोर्ड ने गठित किया हो या इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का उपयोग करने हेतु बाद में गठित करता हो) को इस आशय से दी जाती है कि वे उस संख्या में इक्विटी/वरीयता शेयरों (संचित/गैर संचित) / प्रतिभूतियों (वरीयता शेयरों की श्रेणी, ऐसे वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, क्या वे निरंतर हैं या मोचनीय हैं या अमोचनीय है, उन निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिनके आधार पर वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी का निर्गमण किया जाएगा - से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार) को सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित व आबंटित (निश्चित आबंटन पर आरक्षण के लिए प्रावधान और / या उस समय लागू कानून द्वारा यथा अनुमत व्यक्तियों के प्रवर्गों और निर्गम के किसी हिस्से के प्रतिस्पर्धात्मक आधार सहित) कर सके और यह कार्य किसी प्रस्ताव दस्तावेज /या विवरणिका के ज़रिए या फिर भारत अथवा विदेश में इस प्रकार के अन्य दस्तावेज़ के ज़रिए होगा तथा प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य रु.10 /- प्रति शेयर होगा और आज की तारीख में किसी भी हालत में रु. 1,000 करोड़ से अधिक नहीं होगा व यह बैंक की कुल प्राधिकृत पूँजी में अधिनियम की धारा 3 (2ए) के अनुसार या फिर उस संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार, जो भविष्य में अधिनियम बन

(Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification eF.No.4/6/2021-BO.I 2022 issued by Government of India dated 21st November, 2022 with effect from 01.01.2023, be and is hereby approved".

AGENDA ITEM NO 4:

To raise paid up equity capital of Rs.1000 Crore through various options available (QIP/FPO/Right issues/ESPS etc.)

To consider and if thought fit, to pass the following Resolution(s) as a **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("The Act"), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("The Scheme") and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended up to 2008 ("The Regulations") and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (ICDR Regulations) as amended up to date/ guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949 (B R Act), (SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR) , Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (SEBI Act) and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the Regulations, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/ or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity/preference shares (cumulative / non-cumulative) / securities (in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares , the extent of issue of each class of such redeemable preference shares and the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued) of the face value of Rs.10 each and in any case not exceeding paid up capital of Rs.1000 crores as on date which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of the Bank, being the ceiling in the Authorized Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Act or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act

सकता है, बढ़ाई गई प्राधिकृत पूँजी की हद तक, निर्धारित सीलिंग है, वह भी इस तरह कि केन्द्रीय सरकार का बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी में धारण सभी समय 52% से कम नहीं रहेगा, चाहे वह एक या अधिक भागों में हो और चाहे बट्टे पर हो या प्रीमियम दर पर या फिर बाजार दर पर, जहाँ आबंटन एक या उससे अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों ("एनआरआई"), निजी व सार्वजनिक कंपनियों, निवेशक संस्थाओं, संघों, न्यासों, शोध संगठनों, योग्य संस्थागत खरीदारों ("क्यूआइबी") जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक ("एफआइआई"), बैंक, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल निधियों, उद्यमी पूँजीगत निधियों, विदेशी उद्यम पूँजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या निवेशकों के किसी ऐसे प्रवर्ग को किया जा सकता है, जिन्हें बैंक द्वारा जैसे वह उचित समझे उस रूप में उक्त में से किसी को या संयुक्त रूप में विद्यमान विनियमों / दिशानिर्देशों के अनुसार या आइसीडीआर विनियमों के अंतर्गत संस्थागत निवेशकों को बैंक के इक्विटी/वरीयता शेयरों / प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।"

"यह भी संकल्प किया गया कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन को पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू, क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी), ईएसपीएस अधिमान निर्गम के ज़रिए या अति आबंटन के विकल्प सहित या विकल्प के बिना किया जाएगा और इस तरह का प्रस्ताव, निर्गम, प्लेसमेंट और आबंटन बंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमन, 2018 ("आइसीडीआर विनियमन") और भा.रि.बैं, सेबी द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों तथा लागू अनुसार किसी अन्य प्राधिकारियों के दिशानिर्देशों और ऐसी पद्धति में, ऐसे समय या समयों पर और ऐसे निबंधनों व शर्तों पर किया जाएगा, जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझता हो ।"

"यह भी संकल्प किया गया कि अग्रणी प्रबंधकों और/या अधोलेखकों और/या अन्य सलाहकारों अथवा अन्यथा के साथ जहाँ आवश्यक हो वहाँ परामर्श करके ऐसे किसी रूप में जिसे वह उचित समझे, ऐसे मूल्य या मूल्यों को निश्चित करने का प्राधिकार बोर्ड को होगा, और उन निबंधनों और शर्तों पर होगा, जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आइसीडीआर विनियमनों, अन्य विनियमनों अथवा अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और दिशानिर्देशों के अनुसार निश्चित करता है चाहे ऐसे निवेशक बैंक के वर्तमान सदस्य हों कि नहीं और मूल्य का नियतन आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के तहत निर्धारित मूल्य से कम पर नहीं होगा ।"

"यह भी संकल्प किया गया कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार के प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रावधानों (लिस्टिंग बाध्यताएं व प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015, **("एलओडीआर"),** अधिनियम के प्रावधानों, विनियम के प्रावधानों, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2003 के प्रावधान जो 2008 तक संशोधित हैं, आइसीडीआर विनियमन के प्रावधानों, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों और विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबन्धन (गैर डेट लिखत) नियम 2019, एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रवर्तन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य मंत्रालय एवं यथा वांछित अनुसार अन्य सभी प्राधिकारियों (आगे जिनका "समुचित प्राधिकारीगण" के रूप में संदर्भ लिया जाएगा) दिये जाने वाले आवश्यक अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और / या मंजूरियों, की शर्त पर और उन शर्तों पर जोकि ऐसे अनुमोदन, ऐसी सहमति, अनुमति और/या मंजूरी (आगे से जिसे "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत

in future, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"**RESOLVED FURTHER** THAT such issue, offer or allotment shall be either by way of Public issue, Rights issue, Qualified Institutional Placements (QIPs), ESPS, Preferential issue or in combination thereof with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("ICDR Regulations") and all other guidelines issued by RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

"**RESOLVED FURTHER** THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing shareholders of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations".

"**RESOLVED FURTHER** THAT in accordance with the provisions of the Uniform Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 **("LODR")** the provisions of the Act, the provisions of Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended up to 2008 , the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Non Debt instruments) Rules 2019, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, RBI, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DIPP), Ministry of Commerce and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at

निश्चित करता है, ईक्विटी शेयरों या वारंट के अलावा किन्ही भी प्रतिभूतियों को एक या अधिक किस्तों में समय समय पर निर्गमित प्रस्तावित तथा आबंटित किया जा सकता है केवल उन वारंटों को छोड़कर जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों के साथ विनिमयित किये जा सकते है या परिवर्तित किये जा सकते हैं, वह भी इस तरह कि किसी भी समय केन्द्रीय सरकार का धारण बैंक की ईक्विटी पूंजी में, क्वालिफाएड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) जैसे लोग वित्तीय संस्थान, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, म्युचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड इत्यादि में 52% से कम न हो और यह प्लेसमेंट या आबंटन क्यूआइबियों (आइसीडीआर विनियमन के अध्याय 2 (एसएस) नियम के अनुसार) को, योग्यताप्राप्त संस्थात्मक प्लेसमेंट (क्यूआइपी) होने के अनुक्रम में जैसा कि आइसीडीआर विनियमन और/ या प्लेसमेंट दस्तावेज़ और/या ऐसे अन्य दस्तावेज़ों / लेखनों / परिपत्रों / ज्ञापनों के द्वारा तथा ऐसे रूप में और ऐसे मूल्य पर, निबंधनों और शर्तों पर , जो कि आइसीडीआर विनियमनों के भाग 6 के अनुसार या कानून के उन अन्य प्रावधानों के अनुसार जो कि उस समय विद्यमान है, बोर्ड द्वारा निश्चित किये गये हैं, बशर्ते इस प्रकार निर्गमित इक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो।"

"यह भी संकल्प किया गया कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए एकीकृत सूचीबद्धता करार और अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों व विनियमनों के नियम व शर्तों के अनुसार बोर्ड को एतद्द्वारा वैसे स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है, को जारी किए गए एक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता हेतु आवश्यक कदम उठाने हेतु प्राधिकृत किया गया है।"

"यह संकल्प किया गया कि क्वालिफाएड इंस्टिट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के मामले में आइसीडीआर विनिमयनों के अध्याय VI के अनुसरण में :

क) आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अर्थ के भीतर केवल योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए प्रतिभूतियों का आवंटन होगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूरी तरह से भुगतान की जाएंगी और ऐसी प्रतिभूतियों का आवंटन इस संकल्प की तारीख से 12 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।

ख) आईसीडीआर विनियमों के विनियम 176(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक फ्लोर प्राइस पर पांच प्रतिशत की अधिकतम छूट तक शेयरों को ऑफर करने के लिए अधिकृत है जैसा कि विनियमनों के अनुसरण में निर्धारित किया गया है।

ग) प्रतिभूतियों के फ्लोर प्राइस के निर्धारण की प्रासंगिक तिथि आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी।

"संकल्प लिया गया कि बोर्ड के पास प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का अधिकार और शक्ति होगी जैसा कि भारत सरकार / आरबीआई / सेबी / स्टॉक एक्सचेंजों जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा उनकी मंजूरी, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते/ देते समय इश्यू, आबंटन या उसे सूचीबद्ध करने के लिए अपेक्षित या आरोपित किया जा सकता है और जैसा कि बोर्ड द्वारा माना गया है और इस संबंध में बैंक के शेयरधारकों से किसी और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।"

"यह भी संकल्प किया गया कि अनिवासी भारतीय/एफआइआइ तथा/ या अन्य पात्र विदेशी निवेश को ऐसे आबंटन और निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की शर्त पर विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत किया जाएगा परंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर लागू अनुसार ही किया जाएगा ।"

"यह भी संकल्प किया गया कि नए ईक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों का निर्गम

its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Regulation 2 (ss) of the ICDR Regulations) such as Public financial Institution, Foreign Portfolio Investor, Mutual Fund, Venture Capital Fund etc. pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP) as provided for under Chapter VI of the ICDR Regulations, and through a placement document and/or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time; provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations".

"**RESOLVED FURTHER** THAT the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares issued on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"**RESOLVED FURTHER** THAT in case of a Qualified Institutional Placement (QIP) pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations:

a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up, and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.

b) the Bank is pursuant to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.

c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations"

"**RESOLVED FURTHER** THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board and no further approvals in this regard would be required from the shareholders of the Bank".

"**RESOLVED FURTHER** THAT the issue and allotment, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act".

"**RESOLVED FURTHER** THAT the issue and allotment of new equity shares / securities, shall be subject to the Indian Overseas

और आबंटन, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2003 जैसा समय-समय पर संशोधित विनियमों के अधीन होगा और बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी तरह से समान रूप से रैंक करेगा, जिसमें घोषित लाभांश, यदि कोई हो तो वैधानिक दिशानिर्देश जो इस तरह की घोषणा के समय लागू होते हैं, के अनुसार होगा ।

"**यह भी संकल्प किया गया कि** इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के किसी भी मुद्दे या आवंटन को प्रभावी करने के उद्देश्य से, बोर्ड को सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्तों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिसमें निवेशकों की श्रेणी भी शामिल है, जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी हैं। प्रत्येक किश्त में आवंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम की राशि, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक में उचित समझे और ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामले और चीजें करें और ऐसे कार्यों, दस्तावेजों और समझौतों को निष्पादित करें, जैसा कि वे अपने पूर्ण विवेक से, आवश्यक, उचित या वांछनीय समझ सकते हैं, और पब्लिक ऑफर, इश्यू, आवंटन और इश्यू से प्राप्ति के उपयोग के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाइयों या संदेह को निपटाने या निपटाने के निर्देश देने के लिए निर्देश या निर्देश दे सकते हैं। नियमों और शर्तों के संबंध में ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, विविधताओं, परिवर्तनों, विलोपन, परिवर्धन को स्वीकार करने और प्रभावी करने के लिए, जैसा कि यह, अपने पूर्ण विवेक में, बैंक के सर्वोत्तम हित में उपयुक्त और उचित समझे बिना शेयरधारकों के किसी और अनुमोदन की आवश्यकता होती है और इस संकल्प द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति का बोर्ड द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।

यह भी संकल्प किया गया कि किसी बुक रनर(रों), लीड मैनेजर(रों), बैंकर(रों), अंडरराइटर(रों), डिपॉजिटरी(रियों), रजिस्ट्रार(रों), ऑडिटर(रों) और ऐसी सभी एजेंसियो के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं में शामिल होने और निष्पादित करने के लिए, जो इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों की ऐसी पेशकश में शामिल या संबंधित हैं और ऐसी सभी संस्थाओं और एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या इसी तरह की पारिश्रमिक देने के लिए और ऐसी एजेंसियों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि में प्रवेश करना और उन्हें निष्पादित करने के लिए बोर्ड को एतद्द्वारा अधिकृत किया जाए।

"**यह भी संकल्प किया गया कि** उपर्युक्त को प्रभावी करने का उद्देश्य है कि बोर्ड लीड मैनेजर्स, अंडरराइटर्स, एडवाइजर्स और /या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों को एतदद्वारा इश्यू के प्रकार और उसकी शर्तों को निर्धारित करने के लिए जिसमें निवेशकों के संवर्ग सहित जिन्हें शेयर/ प्रतिभूति आबंटित किए जानेवाले हैं, उनमें से प्रत्येक वर्ग को आबंटित किए जानेवाले शेयरों / प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (यदि प्रीमियम हो तो वह भी शामिल है), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि / प्रतिभूतियों का परिवर्तन / वारंट बदलना / प्रतिभूतियों की परिपक्वता राशि लेना, ब्याज दर, परिपक्वता अवधि, प्रतिभूतियों का परिवर्तन या परिपक्वता या निरसन पर ईक्विटी शेयरों / अधिमान्य शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य, प्रतिभूतियों का निर्गम/परिवर्तन पर प्रीमियम / बट्टा, ब्याज दर,परिवर्तन की अवधि, लेखा बंदी और संबंधित या विविध मामलों हेतु रिकार्ड तारीख का नियतन करने, भारत में और /या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज मे सूचीबद्ध करने, जैसे मंडल उचित समझे, के लिए मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए।"

"**यह भी संकल्प किया गया कि** ऐसे शेयरों / प्रतिभूतियों जो अभिदानित नहीं हैं, का निपटान बोर्ड द्वारा उसके परम विवेकाधिकार के तहत इस प्रकार किया जाए जैसा बोर्ड उचित समझे और जैसा कानून द्वारा

Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank including dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration".

"**RESOLVED FURTHER** THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board".

"**RESOLVED FURTHER** THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies".

"**RESOLVED FURTHER** THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/ redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium on issue/ conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/ or abroad, as the Board in its absolute discretion deem fit".

"**RESOLVED FURTHER** THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law and that the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein

अनुमत हो और यह कि बोर्ड को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए कि वह प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक/(कों) या बनी हुई/ अब से बनाई जाने वाली निदेशकों की समिति को प्रदत्त सभी या कोई एक अधिकार प्रत्यायोजित कर सके कि उपर्युक्त संकल्प प्रभावी हो सके। "

यह भी संकल्प किया गया कि इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से, बोर्ड एतद्द्वारा ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत है जो वह अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और वांछनीय समझे और किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए , कठिनाई या संदेह जो शेयरों / प्रतिभूतियों के मुद्दे के संबंध में उत्पन्न हो सकता है और आगे ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए, सभी दस्तावेजों और लेखों को अंतिम रूप देने के लिए और निष्पादित करने के लिए जो आवश्यक, वांछनीय या समीचीन हो सकता है जिसके लिए शेयरधारकों की किसी और सहमति या अनुमोदन या अंत और मंशा के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होगी चूंकि शेयरधारकों द्वारा पूर्ण विवेक के साथा संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपना अनुमोदन दिया माना जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
हस्त/-

स्थान : चेन्नै **(अजय कुमार श्रीवास्तव)**

दिनांक : 14 जून 2023 प्रबंध निदेशक व सीईओ

conferred to the Managing Director and Chief Executive Officer or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors constituted/hereafter constituted to give effect to the aforesaid Resolutions."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares / securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorization to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution".

By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank
-sd/-

Place: Chennai **(Ajay Kumar Srivastava)**

Date: June 14, 2023 Managing Director & CEO

नोट्स

क) व्याख्यात्मक कथन(नों) :

व्याख्यात्मक कथन में बैठक की कार्यवाही के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्यों को यहां संलग्न किया गया है और ये नोटिस के हिस्से के रूप में है।

ख) कोविड -19 महामारी के मद्देनज़र , एमसीए (कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय) ने अपने परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित अप्रैल 08, 2020, संख्या 17/2020 दिनांकित अप्रैल 13, 2020, संख्या 20/2020 दिनांकित मई 05, 2020, संख्या 22/2020 दिनांकित जून 15, 2020, संख्या 33/2020 दिनांकित सितंबर 28, 2020 एवं परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 एवं परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांकित दिसंबर 28, 2022 एवं सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 1/ सीआईआर/ पी/ 2020/ 79 दिनांकित मई 12, 2020 एवं परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 2/ सीआईआर/ पी/ 2021/ 11 दिनांकित जनवरी 15, 2021 एवं परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 1/ सीआईआर/ पी/ 2022/ 47 दिनांकित अप्रैल 8, 2022 एवं परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 1/ सीआईआर/ पी/ 2022/ 62 दिनांकित मई 13, 2022, सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिन्नांकित 5 जनवरी 2023 के माध्यम से कंपनियों को 30 सितंबर 2023 की अवधि तक शेयरधारकों की प्रत्यक्ष मौजूदगी के बिना ही वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम का आयोजन करने की अनुमति प्रदान की है । सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 (सेबी सूचीबद्धता विनियमन) के प्रावधानों और एमसीए द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में बैंक वीडियो कॉंफ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य श्रव्य (ओएवीएम) के माध्यम से असाधारण सामान्य बैठक का आयोजन कर रहा है । अत: शेयरधारक एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ही प्रतिभागिता कर सकते हैं ।

बैंक ने **केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)** को एजीएम हेतु वीसी/ ओएवीएम सुविधा प्रदान करने और एजीएम का आयोजन करने हेतु सुविधा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया है ।

सेबी एवं एमसीए के उपर्युक्त परिपत्रों में वर्णित दिशानिर्देशों के अनुपालन में **वार्षिक रिपोर्ट 2022-23** सहित एजीएम की सूचना उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही प्रेषित की जाएगी जिनके ई-मेल पते बैंक/ डिपोजिटरी के पास पंजीकृत हैं । बैंक के शेयरधारक यह नोट कर सकते हैं कि यह नोटिस व वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर उपलब्ध है । वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 सहित नोटिस को स्टॉक एक्सचेजों यानी नेशनल स्टॉक़ एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.nseindia.com एवं www.bseindia.com से प्राप्त किया जा सकता है एवं एजीएम नोटिस सीडीएसएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है ।

ग) भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले शेयरधारक एजीएम नोटिस प्राप्त करने हेतु https://investors.cameoindia.com लिंक पर क्लिक कर अस्थाई रूप से अपना ईमेल आइडी पंजीकृत कर सकते हैं । बैठक का आयोजन 763, अण्णा सालै , चेन्नै -600002 में स्थित बैंक के केंद्रीय कार्यालय में किया जाएगा ।

घ) मताधिकार :

बैंकिंग अधिनियम (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 के उपखंड 2ई के अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा **बैंक का कोई भी शेयरधारक** अपनी कितनी भी शेयरधारिता के

NOTES

a) EXPLANATORY STATEMENT(S):

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and form the part of the Notice.

b) In view of the continuing Covid-19 pandemic, MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 & Circular No. 02/2021 dated13th January, 2021 & Circular No. 10/2022 dated 28th December 2022 and SEBI vide circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 & circular no. SEBI/HO/CFD/CMD21/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2022/47 dated 08th April 2022, SEBI/HO/CFD/CMD2/CR/P/2022/62 dated 13th May 2022, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January 2023 has permitted companies to hold their AGM through VC/OAVM for period up to September 30, 2023 without the physical presence of the shareholders. In compliance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA circulars, the Bank is holding the Annual General Meeting through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM). Hence, Shareholders can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only.

The Bank has appointed **Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)** to provide facility for voting through remote e-voting VC/OAVM facility for the AGM and as the attendant enablers for conducting of the AGM.

In line with the aforesaid SEBI and MCA Circulars, the Notice of AGM along with **Annual Report 2022-23** is being sent only through electronic mode to those shareholders whose email addresses are registered with the Bank / Depositories. Shareholders of the bank may please note that the Notice and Annual Report 2022-23 will be made available on the website of the Bank at www.iob.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and the AGM Notice is also available on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evotingindia.com.

c) Shareholders holding shares in physical mode may temporarily register their e-mail IDs by clicking on the link https://investors.cameoindia.com to get the soft copy of the Notice of AGM. The Central office of the Bank at No. 763, Anna Salai, Chennai – 600 002 shall be the deemed venue for the meeting.

d) VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act

संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के **दस प्रतिशत से अधिक वोटिंग अधिकारों के प्रयोग के लिए प्राधिकृत नहीं होगा।**

उपर्युक्त की शर्त पर, शेयरधारक जिन्हें निर्धारित की गई **अंतिम तिथि शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2023,** तक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, वे शेयरधारक उपर्युक्त उद्देश्य के लिए एजीएम में प्रतिभागिता के लिए पात्र होंगे । भौतिक अथवा अमूर्त रूप में शेयरों को धारण करने वाले बैंक के शेयरधारक अंतिम तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं ।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठकें) विनियमन, 2003 के विनियम 10 के अनुसार मतदान के संबंध में किसी भी शेयर के दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर होने की स्थिति में जिस व्यक्ति का नाम पंजी में पहले दर्ज़ होगा उसे ही मूल धारक समझा जाएगा । अत: शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर होने की स्थिति में केवल पहला नामित व्यक्ति ही बैठक में सहभागिता का हकदार होगा और केवल वह ही दूसरस्थ माध्यम से कार्यसूची पर या तो ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान हेतु पात्र होगा ।

ग) दूरस्थ ई- वोटिंग

सेबी विनियमन, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 (एलओडीआर) एवं एमसीए परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित अप्रैल 08, 2020, संख्या 17/2020 दिनांकित अप्रैल 13, 2020, परिपत्र सं 20/2020 दिनांकित मई 05, 2020, 22/2020 दिनांकित जून 15, 2020, परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांकित सितम्बर 28, 2020 एवं परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांकित जनवरी 13, 2021, परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांकित दिसंबर 28, 2022 तथा सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 1/ सीआईआर/ पी/ 2020/ 79 दिनांकित मई 12, 2020 एवं सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 2/ सीआईआर/ पी/ 2021/ 11 दिनांकित जनवरी 15, 2021 एवं परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 2/ सीआईआर/ पी/ 2022/ 47 दिनांकित अप्रैल 08, 2022 एवं सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 2/ सीआईआर/ पी/ 2022/ 62 दिनांकित मई 13, 2022, सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिन्नंकित 5 जनवरी 2023 का संदर्भ लेते हैं और स्टॉक एक्सचेंज के साथ एकीकृत सूचीबद्ध समझौते के अनुसार बैंक ने नोटिस में वर्णित मद पर शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में मतदान सुविधा प्रदान करने के लिए ने **सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)** को रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी के रुप में नियुक्त किया है । रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है । शेयरधारकों / लाभार्थियों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के संबंध में ही उनके मताधिकारों को गणना के लिए शुक्रवार दिनांक 30 जून 2023 को अंतिम के रूप में लिया जाएगा । बैंक के शेयरधारक जिनके पास अंतिम तिथि तक बैंक के शेयर भौतिक या अमूर्त रुप में हैं, अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रुप में डाल सकते हैं । बैंक ने मेसर्स आर. श्रीधरन एवं एसोसिएटस के श्री आर. श्रीधरन, कंपनी सचिव (एफसीएस सं. 4775) (सीपी. सं. 3239) को रिमोर्ट वोटिंग प्रक्रिया तथा एजीएम के दिन ई-वोटिंग प्रक्रिया सही एवं निष्पक्ष रूप में आयोजित करने के लिए जाँचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है ।

1. रिमोट ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों हेतु अनुदेश निम्नलिखित हैं:

माध्यम 1 : डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में डिपॉजिटरी सीडीएसएल/एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से पहुंच।

1970, **No shareholder** of the bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the bank.**

Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder as on **Friday, June 30, 2023, being the Cut-off Date** will be eligible to participate in AGM for the said purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically.

As per Regulation 10 of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person only is entitled to participate in the meeting and is eligible to cast vote on the agenda either through remote e-voting or e-voting at the AGM.

e) REMOTE E-VOTING

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 (as amended) and MCA circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 & Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 10/2022 dated 28th December 2022 and SEBI vide circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/ 79 dated 12th May, 2020 & circular no. SEBI/HO/CFD/CMD21/ CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2022/47 dated 08th April 2022, SEBI/HO/ CFD/CMD2/CR/P/2022/62 dated 13th May 2022, SEBI/ HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January 2023 and the Uniform Listing Agreements with stock exchanges, your Bank is pleased to provide Remote e-voting facility to enable shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed **Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)** as e-voting agency to provide the remote e-voting platform. Remote E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Friday, June 30, 2023, being the Cut-off Date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically. The Bank has appointed Mr. R. Sridharan of M/s R Sridharan & Associates, Company Secretaries (FCS No. 4775) (CP. No. 3239), as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well as the e-voting process on the date of the AGM in a fair and transparent manner.

1. **THE INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:**

Step 1 : Access through Depositories CDSL/NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode.

माध्यम 2 : भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और डीमैट मोड में गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से पहुंच।

i. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, दिनांक 4 जुलाई 2023 को सुबह 09.00 (आईएसटी) बजे से शुरू होगी और गुरुवार दिनांक 06 जुलाई 2023 को सायं 05.00 बजे (आइएसटी) समाप्त होगी । इस अवधि के दौरान निर्धारित की गई अंतिम तिथि 30 जून 2023 तक भौतिक अथवा अमूर्त रूप में बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक मतदान कर सकते हैं। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग माड्यूल को बंद कर दिया जाएगा ।

ii. ऐसे शेयरधारक जो बैठक तिथि से पहले ही मतदान कर चुके हैं, वे इस बैठक में मतदान के हकदार नहीं होंगे ।

iii. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के तहत **सेबी परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी/ सीआईआर/ पी/ 2020/ 242 दिनांक 09.12.2020** के अनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं को सभी शेयरधारकों के प्रस्तावों के संबंध में अपने शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करना आवश्यक है तथापि, यह देखा गया है कि सार्वजनिक गैर-संस्थागत शेयरधारकों/ खुदरा शेयरधारकों की भागीदारी नगण्य स्तर पर है ।

वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाले कई ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं । इसके लिए शेयरधारकों द्वारा विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण और कई यूजर आईडी और पासवर्ड के रखरखाव की आवश्यकता होती है ।

सार्वजनिक परामर्श के अनुसरण में मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, **सभी डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खातों/ डिपॉजिटरी/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी की वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से** ई-वोटिंग हेतु सक्षम करने का निर्णय लिया गया है । डीमैट खाताधारक ईएसपी के साथ फिर से पंजीकरण किए बिना अपना वोट डालने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने की आसानी और सुविधा भी बढ़ेगी ।

माध्यम 1 : डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में डिपॉजिटरी सीडीएसएल/एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से पहुंच।

iv) सेबी के परिपत्र सं. **सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी/ सीआईआर/ पी/ 2020/ 242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020,** सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा परडीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है । ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें ।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड **सीडीएसएल/एनएसडीएल में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों** के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है :

Step 2 : Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

(i) The remote e-voting period begins on Tuesday, July 04, 2023, at 9:00 a.m. (IST) and ends on Thursday, July 06, 2023, at 5:00 p.m. (IST). During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-off date on June 30, 2023, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting.

(iii) Pursuant to SEBI Circular No. **SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09.12.2020,** under Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed entities are required to provide remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions. However, it has been observed that the participation by the public non-institutional shareholders' / retail shareholders is at a negligible level.

Currently, there are multiple e-voting service providers (ESPs) providing e-voting facility to listed entities in India. This necessitates registration on various ESPs and maintenance of multiple user IDs and passwords by the shareholders.

In order to increase the efficiency of the voting process, pursuant to a public consultation, it has been decided to enable e-voting to **all the demat account holders**, **by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants**. Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the ESPs, thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.

Step 1 : Access through Depositories CDSL/NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode

(iv) In terms of **SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020,** on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to abovesaid SEBI Circular**,** Login method for e-Voting and joining virtual meetings **for Individual shareholders holding securities in Demat mode CDSL/NSDL** is given below:

शेयर धारकों का प्रकार	लॉग-इन प्रक्रिया
सीडीएसएल डिपॉजिटरी के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल इज़ी /इजिएस्ट फैसिलिटी का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं । वहाँ बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा । ईज़ी/ईज़ीएस्ट में लॉग इन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे www.cdslindia.com पर जाएं और लॉग-इन आइकन और न्यू सिस्टम माईइजी टैब पर क्लिक करें। 2. सफल लॉगिन के बाद ईज़ी/ईज़ीएस्ट उपयोगकर्ता जहां ई-वोटिंग चल रही है ऐसी कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे। ई-वोटिंग के विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं यानी सीडीएसएल/ एनएसडीएल/ कार्वी/ लिंकइनटाइम की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें । 3. यदि उपयोगकर्ता ईज़ी/ईज़ीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीएसडीएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है और लॉग-इन और न्यू सिस्टम माईइजी टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं । ई-वोटिंग प्रणाली पंजीकृत मोबाइल और ईमेल, जोकि डीमैट खाते में दर्ज है, पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित कर सकेंगे । सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता उस ई-वोटिंग विकल्प को देखने में सक्षम होगा जहाँ वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली को सीधे एक्सेस करने में भी सक्षम होगा ।

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL Depository**	1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login to Easi / Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab. 2) After successful login, the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the e-voting is in progress as per the information provided by company. On clicking the e-voting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also link provided to access the system of all e-Voting Service Providers i.e., CDSL/NSDL/ KARVY/LINKINTIME, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option. 4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the e-voting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.

एनएसडीएल डिपॉजिटरी के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट पर या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर जाएं । पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें । एक बार ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च हो जाने के बाद, "लॉगिन" के तहत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें, जो 'आईडीईएएस' सेक्शन के तहत उपलब्ध है। । एक नई स्क्रीन खुलेगी । आपको अपना यूज़र आइडी और पासवर्ड डालना होगा । सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे । ई-वोटिंग सेवाओं के तहत 'एक्सेस टू ई-वोटिंग' पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदता वेबसाइट पर पुन: निर्देशित किया जाएगा । 2. यदि उपयोगकर्ता आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है । "आईडीईएएस" पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें । 3. पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र खोलें और निम्नलिखित URL टाइप करके https://www.evoting.nsdl.com/ एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं । ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है । एक नई स्क्रीन खुलेगी । जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा । सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं । कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा ।

Individual Shareholders holding securities in demat mode with **NSDL Depository**	1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS "Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e., your sixteen-digit demat account number holding with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले) अपने **डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी)** के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट:

जो सदस्य यूजर आईडी / पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए विकल्प का उपयोग करें।

लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क डिपॉजिटरी यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल है।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगइन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध प्रेषित टोल फ्री सं. 1800 22 55 33 पर संपर्क करके सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगइन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध प्रेषित कर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।

स्टेप 2 : भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और डीमैट मोड में गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एक्सेस।

(v) **भौतिक शेयरधारकों और डीमेट रूप में वैयक्तिक धारक के अतिरिक्त शेयरधारकों** के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक से जुड़ने हेतु लॉगइन पद्धति :

(i) ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों को वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉगऑन करना चाहिए।

(ii) शेयरधारक मॉड्यूल पर क्लिक करें।

Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their **Depository Participants (DP)**	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important Note:

Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use forgot User ID and forgot Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e., CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL**	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at Toll free no. 1800 22 55 33
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **NSDL**	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.1800 1020 990 and 1800 22 44 30

Step 2 : Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

(v) Login method for e-Voting and joining virtual meetings for **Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form.**

(i) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

(ii) Click on "Shareholders" module.

(iii) अब अपनी यूजर आइडी प्रविष्ट करें।

क. सीएसडीएल के लिए : 16 अंकीय लाभार्थी आईडी

ख. एनएसडीएल के लिए : 8 वर्णों की डीपी आईडी जिसके बाद 8 अंकीय ग्राहक आईडी जुड़ी हो

ग. भौतिक रूप से शेयरधारित करने वाले शेयरधारक को बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या प्रविष्ट करनी चाहिए।

(iv) इसके बाद प्रदर्शित किए गए इमेज वेरिफिकेशन को प्रविष्ट करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

(v) यदि आपके पास शेयर डीमेट रूप में है और आप www.evotingindia.com पर लॉगऑन कर पहले किसी अन्य कंपनी की वोटिंग में वोट डाल चुके हैं तब आपके मौजूदा पासवर्ड का ही प्रयोग किया जाना है।

(vi) यदि आप पहली बार प्रयोग कर रहे हो तो निम्नलिखित का पालन करें:

डीमेट और भैतिक रुप में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों के लिए	
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक पैन प्रविष्ट करें (दोनों डीमेट और भौतिक रुप से शेयर धारित करने वालों पर लागू) शेयरधारकों जिन्होंने अपना पैन कंपनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अद्यतन नहीं करवाया है उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी/ आरटीए द्वारा प्रेषित क्रम संख्या का उपयोग करें या कंपनी/ आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण **अथवा** जन्मतिथि (डीओबी)	लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (डीओबी) लॉगिन करने के लिए लाभांश बैंक या जन्म तिथि (डीडी/एमएम/ वाईवाईवाईवाई प्रारूप में) प्रविष्ट करें जैसी कि आपके डीमेट खाते में दर्ज है। यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या बैंक के पास दर्ज नहीं हैं, तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फ़ील्ड में सदस्य आईडी / फोलियो संख्या प्रविष्ट करें।

(vii) इन विवरणों को सही प्रकार से भरने के बाद "सबमिट" टैब पर क्लिक करें।

(viii) भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इसके बाद सीधे कंपनी चयन की स्क्रिन पर पहुँच जाएंगे। हालंकि, डीमैट रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक 'पासवर्ड क्रिएशन' मेन्यू पर पहुँचेंगे यहाँ उन्हें अपना लॉगिन और पासवर्ड, नए पासवर्ड फील्ड में, अनिवार्य रूप से प्रविष्ट करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड को डीमैट शेयरधारकों द्वारा अन्य कंपनियों के संकल्पों की वोटिंग के लिए, जिनके लिए वे वोट के पात्र हैं, इस्तेमाल किया जाएगा, बशर्ते कि कंपनी ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के प्लेटफार्म का विकल्प चुनती है। यह जोर देकर बताया जा रहा है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य के साथ साझा नहीं करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।

(iii) Now enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

(iv) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(v) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.

(vi) If you are a first-time user, follow the steps given below:

For Physical shareholders and other than individual shareholders holding shares in Demat.	
PAN	Enter your 10-digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) Shareholders who have not updated their PAN with the Company/ Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/ RTA.
Dividend Bank Details **OR** Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. If both the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field.

(vii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(viii) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(ix) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरण सिर्फ इस नोटिस में मौजूद संकल्प पर ई-वोटिंग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है ।

(x) इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के **ईवीएसएन 230610001** पर क्लिक करें ।

(xi) मतदान पृष्ठ पर, आपको "संकल्प विवरण" दिखेगा और मतदान के लिए उसके प्रति हाँ / नहीं विकल्प उपलब्ध होगा । इच्छानुसार हाँ / नहीं का चयन करें । विकल्प हाँ का तात्पर्य है कि आपने संकल्प को अनुमति प्रदान की और विकल्प नहीं का तात्पर्य है कि आपने संकल्प को अनुमति नहीं प्रदान की

(xii) यदि संकल्प का सम्पूर्ण विवरण देखना चाहते हैं तो "संकल्प फाइल लिंक" पर क्लिक करें ।

(xiii) संकल्प के चयन के बाद आपको वोट डालने का निश्चय करना है और फिर "सबमिट" पर क्लिक करना है । एक पुष्टि बॉक्स आपके सामने प्रदर्शित होगा । यदि आप अपने मत को पुष्ट करना चाहते हैं तो "ओके" को क्लिक करें अन्यथा अपना मत बदलने के लिए "कैंसिल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना मत बदलें ।

(xiv) एक बार अपने मत की पुष्टि करने के बाद अपको मत में बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(xvi) आप मतदान पेज पर "क्लिक हियर टू प्रिंट" विकल्प से डाले गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं ।

(xvi) यदि कोई डीमैट खाता धारक अपना लॉगिन पासवर्ड भूल गया है तो उसे फोरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा तथा वहाँ यूज़र आइडी और इमेज वेरिफिकेशन कोड प्रविष्ट करना होगा ।

(xvii) यदि कोई बीआर/पीओए अपलोड किया गया है तो उसे अपलोड करने का एक वैकल्पिक प्रावधान भी है, जो जांचकर्ता को सत्यापन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

ऐसे शेयरधारक जिनका ई-मेल एड्रेस डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है, के लिए इस नोटिस में प्रस्तावित संकल्प के लिए ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण प्राप्त करने की प्रक्रिया :

1. **भौतिक शेयरधारकों के लिए** - कृपया आवश्यक विवरण जैसे फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार कार्ड (स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) को ई-मेल: Investor@cameoindia.com; agm@cameoindia.com के माध्यम से प्रदान करें ।
2. **डीमैट शेयरधारकों के लिए** - कृपया अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथअद्यतन करें।
3. **व्यक्तिगत डीमैट शेयरधारकों के लिए** - कृपया अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अद्यतन करें। जो ई-वोटिंग और डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए अनिवार्य है।

वीसी / ओएवीएम व ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम / ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों हेतु अनुदेश निम्नवत है:

1. एजीएम / ईजीएम के दिन बैठक एवं ई-वोटिंग में उपस्थित रहने का वही अनुदेश है, जो उपर्युक्त ई-वोटिंग के लिए उद्दत है ।

(ix) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(x) Click on **EVSN 230610001** of Indian Overseas Bank.

(xi) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xiii) After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xiv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xv) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xvi) If a demat account holder has forgotten the login password, then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xvii) There is also an optional provision to upload Board Resolution / Power of Attorney if any uploaded, which will be made available to scrutinizer for verification.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING LOGIN CREDENTIALS FOR E-VOTING FOR THE RESOLUTION PROPOSED IN THIS NOTICE:

1. **For Physical shareholders** - please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to **investor@cameoindia.com**; **agm@cameoindia.com**
2. **For Demat shareholders** - Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP)
3. **For Individual Demat shareholders** – Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE AGM/EGM THROUGH VC/OAVM & E-VOTING DURING MEETING ARE AS UNDER:

1. The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the AGM/ EGM is same as the instructions mentioned above for e-voting.

2. ई-वोटिंग के लिए उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, जहाँ बैंक का ईवीएसएन प्रदर्शित होगा वही पर बैठक में भाग लेने हेतु वीसी / ओएवीएम के लिए लिंक उपलब्ध रहेगा ।

3. शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि बेहतर अनुभव के लिए बैठक में लैपटॉप / आइपैड के माध्यम से जुड़ें ।

4. आगे शेयरधारक को बैठक के दौरान कैमरा को अनुमति देना आवश्यक होगा और किसी बाधा से बचने के लिए अच्छे स्पीड वाले इंटरनेट का प्रयोग करें ।

5. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लेपटॉप द्वारा हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़ने वाले प्रतिभागी उनके संबंधित नेटवर्क में उतार – चढ़ाव आने के कारण श्रव्य/ दृश्य संबंधी बाधा का अनुभव कर सकते हैं । इसलिए सुझाव दिया जाता है कि उपर्युक्त किसी भी प्रकार गड़बड़ी से बचने के लिए स्टेबल वाई-फाई या लैन कनेक्शन का प्रयोग करें ।

6. शेयरधारक सूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए ईजीएम बैठक शुरूआत होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले या बाद में वीसी / ओएवीएम मोड के माध्यम से जुड़ सकते हैं । वीसी / ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में प्रतिभागिता करने की सुविधा पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर 1,000 शेयरधारकों के लिए उपलब्ध होगा । इसमें वृहत्त शेयरधारकों (शेयरधारकों जिन्होंने 2 % या उससे अधिक शेयरधारण कर रखा है), प्रमोटर, संस्थान निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबन्धन कार्मिक, लेखा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं हितधारकों संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि को नहीं जोड़ा जाएगा, जिन्हें ईजीएम में बिना किसी प्रतिबंध पहले आएँ -पहले पाएँ आधार पर भाग लेने की अनुमति है ।

7. वे शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपना विचार प्रकट करना / प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन्हें स्वयं को सोमवार, **दिनांक 03 जुलाई, 2023, 5.00 बजे** तक या उससे पहले स्पीकर के रूप में पंजीकृत करने के लिए, अपना निवेदन **investor@iobnet.co.in** पर तथा **investor@cameoindia.com, agm@cameoindia.com** को कॉपी मार्क करते हुए अपना नाम, डिमेट खाता संख्या / पैन, फोलिओ संख्या, ई-मेल आइडी, मोबाइल नंबर भेजना है । वे शेयरधारक जो ईजीएम के दौरान बात नही करना चाहते हैं परंतु उनका कोई प्रश्न है, तो वे **investor@iobnet.co.in** पर तथा **investor@cameoindia.com; agm@cameoindia.com** को कॉपी मार्क करते हुए अपना नाम, डिमेट खाता संख्या, पैन, फोलिओ संख्या, ई-मेल आइडी, मोबाइल नंबर लिखकर अग्रिम रूप से **सोमवार, दिनांक 03 जुलाई, 2023** तक या उससे पहले भेज सकते हैं । बैंक द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर ई-मेल द्वारा उपयुक्त ढंग से दी जाएगी ।

8. वे शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपना विचार प्रकट करना / प्रश्न पूछना चाहते हैं तथा स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किये हैं, सिर्फ उन्हीं को बैठक के दौरान अनुमति दी जाएगी ।

9. इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठक) विनियमन, 2003 के नियम 58 के अंतर्गत वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में प्रतिभागिता करने वाले शेयरधारकों की गिनती गणपूर्ति के उद्येश्य के लिए की जाएगी ।

10. सिर्फ वे शेयरधारक, जो वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से उपस्थित हो रहे हैं और वे जो अपना वोट संकल्प पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से नहीं दे पाए हैं और वे जिन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है, वे ही एजीएम के दौरान ई-वोटिंग पद्धति के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे ।

2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Company will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for e-voting.

3. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.

4. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

5. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

6. The Shareholders can join the AGM through the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for 1,000 shareholders on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

7. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance on or before **Monday, July 03, 2023, 5.00 p.m.** mentioning their name, demat account number, pan, folio number, email id, mobile number at **investor@iobnet.co.in** with marking copy to **investor@cameoindia.com, agm@cameoindia.com** The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance **by Monday, July 03, 2023** mentioning their name, demat account number, pan, folio number, email id, mobile number at **investor@iobnet.co.in** with marking copy to **investor@cameoindia.com, agm@cameoindia.com.**These queries will be replied to by the Bank suitably by email.

8. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

9. The shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose reckoning the quorum under Regulation 58 of Indian Overseas Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2003.

10. Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.

11. एक बार सदस्य द्वारा संकल्प पर वोट कर देने के पश्चात, उसे सदस्य बाद में न ही बदल सकते हैं या न ही पुन: वोट दे सकते हैं ।

12. यदि कोई भी वोट शेयरधारकों द्वारा एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से दिया जाता है और यदि वह शेयरधारक वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में प्रतिभागिता नहीं किये हैं, तब ऐसे शेयरधारक द्वारा दिया गया वोट मान्य नहीं है जैसा कि ई-वोटिंग की सुविधा ईजीएम बैठक के दौरान उपस्थित होने वाले बैठक में प्रतिभागिता करने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है ।

13. वे शेयरधारक जो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट किये हैं, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे । तथापि वे एजीएम में वोट देने के पात्र नहीं होंगे ।

अवैयक्तिक शेयरधारकों और अभिरक्षकों के लिए नोट- केवल रिमोट वोटिंग के लिए

- अवैयक्तिक शेयरधारक (यानी वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अलावा) और संरक्षक www.evotingindia.com पर लॉग इन करें और स्वयं को "कॉरपोरेट" मॉड्यूल में पंजीकृत करें ।
- पंजीकरण फार्म की स्कैन प्रति जिस पर इकाई का स्टैंप और हस्ताक्षर अंकित होता है, उसे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करें ।
- लॉग इन विवरण प्राप्त करने के पश्चात एडमिन लॉग इन और पासवर्ड की मदद से एक अनुपालित उपयोगकर्ता का सृजन करें । अनुपालित उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक कर सकेगा, जिसके लिए वह वोट करना चाहता है ।
- लॉग इन में लिंक किए गए खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल करें और खातों के अनुमोदन मिलने के पश्चात, वे अपना वोट डाल सकेंगे ।
- बोर्ड संकल्प और मुख्तारनामा (पीओए) की स्कैंड प्रति जिसे उन्होंने संरक्षक के पक्ष में जारी किया है, यदि कोई है तो, उसे पीडीएफ प्रारूप में संवीक्षक द्वारा जाँच के लिए सिस्टम पर अपलोड करें ।
- वैकल्पिक रूप से, अवैयक्तिक शेयरधारकों को जो वोट देने के लिए प्राधिकृत हैं, उन्हें संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर उनके नमूना हस्ताक्षर के साथ संवीक्षक को अनिवार्य रूप से भेजें और यदि वे वोट वैयक्तिक टैब पर दिए हैं और सीडीएसएल ई-वोटिंग पद्धति में उसे संवीक्षक द्वारा सत्यापित करने के लिए अपलोड न किया गया हो तो बैंक को ई-मेल यानि investors@iobnet.co.in पर भेजें साथ ही कॉपी मार्क investor@cameoindia.com **और rsaevoting@gmail.com** को करें ।

यदि आपको ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम और ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdlindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की सुविधा से संबंधित सभी शिकायत के लिए श्री राकेश डाल्वी, वरिष्ठ प्रबन्धक (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि., ए विंग, 25 वाँ तल, मैराथन फ्युचरेक्स, मोफटलाल मिल कंपाउंड, एन. एम जोशी मार्ग, लोअर पेरेल (पूर्वी), मुम्बई – 400 013 को प्रेषित करें या ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भेजें या टेलीफोन नं. 1800 22 55 33 पर संपर्क करें ।

11. Once the vote on the resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

12. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

13. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

Note for Non – Individual Shareholders and Custodians- For Remote Voting Only

- Non-Individual shareholders (i.e., other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login will be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution (BR) and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively Non Individual shareholders are mandatory required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; at investor@iobnet.co.in with marking copy to and **rsaevoting@gmail.com**, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no 1800 22 55 33.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Senior Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 22 55 33.

च) प्रॉक्सी की नियुक्ति:

एमसीए परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 के अनुसार, इस एजीएम के लिए शेयरधारकों को उपस्थित होने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। तदनुसार, इस नोटिस के साथ प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति स्लिप संलग्न नहीं हैं।

छ. अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

बॉडी कॉरपोरेट ईजीएम में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और उस समय भाग ले सकता है और ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे सकता है । संस्थान / कार्पोरेट शेयरधारक (यानि वैयक्तिक / एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को अपने बोर्ड संकल्प या शासकीय निकाय संकल्प / प्राधिकरण आदि की स्कैंड प्रति (पीडीएफ / जेपीइजी प्रारूप) भेजना आवश्यक है, जिससे कि वे अपने प्रतिनिधि को वीसी / ओएवीएम के माध्यम से अतिरिक्त सामान्य बैठक में भाग लेने के लिए आपकी ओर से और ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के लिए अधिकृत करते हैं । संवीक्षक को उक्त संकल्प / प्राधिकरण ई-मेल के द्वारा अपने पंजीकृत ई-मेल से rsaevoting@gmail.com को तथा investor@cameoindia.com एवं बैंक के ई-मेल आइडी investor@iobnet.co.in पर कॉपी मार्क करते हुए वार्षिक आम बैठक की तारीख यानी सोमवार, **03 जुलाई, 2023** से कम से कम चार दिन पहले अपराह्न 4.00 बजे तक या इससे पहले (आइएसटी) पहले भेज दें ।

ज. पते में परिवर्तन :

जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पंजीकृत पते में परिवर्तन की सूचना, यदि कोई है तो, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें:

मेसर्स कैमियो कॉरपोरेट सर्विसेज लि.
(यूनिट- इण्डियन ओवरसीज़ बैंक)
सुब्रमणियन बिल्डिंग, पंचम तल,
नं. 1 – क्लब हाउस रोड, चेन्नै – 600 002
टेलीफोन : 044-2846 0390 (छ: लाइनें) / 044-28460395
फैक्स : 044 – 2846 0129
ईमेल : investor@cameoindia.com
cameo@cameoindia.com

इलेक्ट्रानिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक के पंजीकृत पते में, कोई परिवर्तन होने पर, उसकी सूचना सिर्फ संबंधित डिपाजिटरी प्रतिभागी (यों) को देने के लिए निवेदन करते हैं ।

i) पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के लिए मानदंड:

सेबी द्वारा जारी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/37 दिनांकित 16.03.2023 ने सेबी द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 दिनांक 3 नवंबर 2021 को अधिक्रमण किया है तथा इस परिपत्र के माध्यमसे भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों को अनिवार्य रूप से पैन , केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। दूसरे शब्दों में, सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने संबंधित फोलियो नंबरों के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करें। तदनुसार, यह एक बार फिर से दोहराया जाता है कि भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों और दावेदारों के लिए आरटीए को पैन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

f) APPOINTMENT OF PROXY:

Pursuant to MCA circulars No. 14/2020 dated April 08, 2020, the facility to appoint proxy to attend and cast vote on behalf the shareholders is not available for this AGM, as it is being held through VC/OAVM. Accordingly, the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.

g) APPOINTMENT OF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

Body Corporates are entitled to appoint authorized representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting. Institutional /Corporate Shareholders (i.e., other than individuals/HUF/NRI, etc) are required to send a scanned copy (PDF/JPEG Format) of its Board Resolution or governing body Resolution/Authorization etc., authorizing its representative to participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM on its behalf and to vote through e-voting. The said Resolution/Authorization shall be sent to the Scrutinizer by email through their registered email address to rsaevoting@gmail.com, investor@cameoindia.com with copy to investor@iobnet.co.in not less than FOUR DAYS before the date of Annual General Meeting i.e., on or before 4.00 p.m. (IST) on Monday, **July 03, 2023.**

h) CHANGE OF ADDRESS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

M/s.Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-Indian Overseas Bank)
Subramanian Building, V Floor,
No.1 Club House Road, Chennai – 600 002
Tel: 044 – 2846 0390 (Six Lines) / 044 – 2846 0395
Fax: 044 – 2846 0129
email: investor@cameoindia.com,
cameo@cameoindia.com

Shareholders holding shares in electronic form are requested to intimate changes, if any, in their registered address only to their respective Depository Participant(s).

i) Norms for furnishing of PAN, KYC, Bank details and Nomination:

SEBI vide circular No. SEBI/ HO/ MIRSD/ MIRSD-PoD-1/ P/ CIR /2023/ 37 dated 16.03.2023 in supersession of SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2021/655 dated 3rd November 2021 has instructed to mandatorily furnish PAN, KYC details and Nomination by holders of physical securities. In other words, it shall be mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers. Accordingly, it is once again reiterated that it is mandatory for all holders and claimants of physical securities to furnish PAN details to RTA.

उपर्युक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे वैध पैन, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण नीचे दिए गए प्रपत्रों में तुरंत आरटीए को प्रस्तुत करें:

क्र.सं.	फॉर्म	उद्देश्य
1	फॉर्म आईएस आर-1	पैन, केवाईसी विवरण रजिस्टर/अपडेट करने के लिए
2	फॉर्म आईएस आर-2	बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि करने के लिए
3	फॉर्म आईएस आर-3	नामांकन विकल्प से बाहर निकलने के लिए घोषणा प्रपत्र 4 प्रपत्र
4	फॉर्म आईएस आर-13	नामांकन फॉर्म
5	फॉर्म आईएस आर-14	नामांकन रद्द करना या परिवर्तन (यदि कोई हो)

1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद जिन फोलियो में उद्त विवरण/दस्तावेज (अर्थात, पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन) हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें उपर्युक्त सेबी परिपत्र के अनुसार फ्रीज कर दिया जाएगा।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे जल्द से जल्द नीचे दिए गए पते पर बैंक के आरटीए को सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म जमा करें ।

पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन के बिना फोलियो को फ्रीज करना ।

1. ऊपर दिए गए पैरा में उद्त दस्तावेज़/विवरण में से कोई भी एक फोलियो 01 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद उपलब्ध नहीं है, आरटीए द्वारा फ्रीज किया जाएगा।

2. सुरक्षा धारक जिनके फोलियो फ्रीज कर दिए गए हैं, पात्र होंगे:

2.1 उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित पूर्ण दस्तावेज/विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आरटीए से शिकायत दर्ज करने या किसी सेवा अनुरोध का लाभ उठाने के लिए ।

2.2 इस तरह के फ्रोजेन फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या मोचन भुगतान सहित किसी भी भुगतान के लिए, केवल 01 अप्रैल, 2024 से इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से बैंक द्वारा सुरक्षा धारक को एक सूचना भेजी जाएगी कि ऐसा भुगतान देय है और इस परिपत्र के पैरा 4 में उल्लिखित आवश्यकताओं का अनुपालन करने पर ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान किया जाएगा ।

3. यदि वे 31 दिसंबर, 2025 तक लगातार फ्रोजन हैं तो फ्रोजन फोलियो को आरटीए/सूचीबद्ध कंपनी द्वारा बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रशासकीय प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

उपर्युक्त पैरा में दिए गए सभी दस्तावेजों/विवरणों की प्राप्ति पर आरटीए फ्रोज़ेन फोलियो को सामान्य स्थिति में वापस कर देगा।

मेसर्स कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड
(यूनिट-इण्डियन ओवरसीज़ बैंक)
सुब्रमणियन बिल्डिंग,
पाँचवी मंजिल, नंबर 1 क्लब हाउस रोड,
चेन्ने - 600 002
दूरभाष: 044 - 2846 0390 (छह लाइनें) / 044 - 2846 0395
फैक्स: 044 - 2846 0129
ईमेल: investor@cameoindia.com,cameo@cameoindia.com

Pursuant to above SEBI circular, the shareholders are requested to furnish valid PAN, email address, mobile number, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the RTA:

Sr. No	Form	Purpose
1	Form ISR-1	To register/update PAN, KYC details
2	Form ISR-2	To Confirm Signature of securities holder by the Bank
3	Form ISR-3	Declaration Form for opting out of Nomination Form
4	Form ISR-13	Nomination Form
5	Form ISR-14	Cancellation or Variation of Nomination (if any)

Folios wherein any one of the cited details / documents (i.e., PAN, KYC, Bank Details and Nomination) are not available with us, on or after 1st October 2023, shall be frozen as per the aforesaid SEBI circular.

In view of the above, we request the shareholders to submit the duly filled-in Investor Service Request forms along with the supporting documents to Bank's RTA at below address at the earliest.

Freezing of Folios without PAN, KYC details and Nomination.

1. The folios wherein any one of the cited document/details as in para above are not available on or after October 01, 2023, shall be frozen by the RTA.

2. The security holder(s) whose folio(s) have been frozen shall be eligible:

2.1. To lodge grievance or avail any service request from the RTA only after furnishing the complete documents / details as mentioned in para above.

2.2. For any payment including dividend, interest or redemption payment in respect of such frozen folios, only through electronic mode with effect from April 01, 2024. An intimation shall be sent by the Bank to the security holder that such payment is due and shall be made electronically only upon complying with the requirements stated in para 4 of the aforesaid SEBI Circular.

3. Frozen folios shall be referred by the RTA / listed company to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and/ or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen as on December 31, 2025.

The RTA shall revert the frozen folios to normal status upon receipt of all the Documents/details as in para above.

M/s.Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-Indian Overseas Bank)
Subramanian Building,
V Floor, No.1 Club House Road,
Chennai – 600 002
Tel: 044 – 2846 0390 (Six Lines) / 044 – 2846 0395
Fax: 044 – 2846 0129
email: investor@cameoindia.com, cameo@cameoindia.com

ज) भौतिक होल्डिंग का डीमैटेरियलाइजेशन:

सेबी ने 01 अप्रैल 2019 से भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के हस्तांतरण करने के अनुरोध स्वीकार करने से सूचीबद्ध कंपनियों को अस्वीकार करने के लिए सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन किया है। इसके अलावा इसे संशोधन 2022 द्वारा अनिवार्य किया गया है। कि भौतिक या अभौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों का हस्तांतरण या हस्तांतरण केवल अभौतिक रूप में ही प्रभावी होगा। जो शेयरधारक इस तिथि के बाद भी भौतिक रूप में शेयर रखना जारी रखते हैं, वे आगे के हस्तांतरण के लिए बैंक/इसके आरटीए के पास शेयर जमा नहीं कर पाएंगे। यदि वे कोई अंतरण करना चाहते हैं तो उन्हें अनिवार्य रूप से उन्हें डीमैट रूप में परिवर्तित करना होगा। आरटीए द्वारा केवल भौतिक रूप में प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और हस्तांतरण के अनुरोध स्वीकार किए जाएंगे।

पूर्वोक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए, बैंक शेयरधारक, जिनके पास इण्डियनओवरसीज़ बैंक के भौतिक शेयर हैं, को एक बार फिर से सूचित किया जाता है कि वे अपने शेयरों को अभौतिकीकृत करवा लें। शेयरधारक दो डिपॉजिटरी में से किसी एक में अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के जरिए डीमैट खाता खोल सकते हैं ।

झ) शेयरों के डीमैटेरियलाइजेशन के लाभ:

शेयर प्रमाण पत्र के नुकसान और टूट-फूट का कोई खतरा नहीं, प्रतिभूतियों को रखने का आसान और सुविधाजनक तरीका, प्रतिभूतियों का तत्काल हस्तांतरण, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए कम कागजी कार्रवाई और कम लेनदेन लागत आदि है ।

ञ) एजीएम के दौरान हुई रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग के परिणाम:

संवीक्षक, वार्षिक सामान्य बैठक के ई-वोटिंग समापन के पश्चात, प्रथमत: एजीएम के दौरान दिये गए वोट की गणना करेंगे, उसके बाद एजीएम समापन के दो कार्यदिवस के भीतर, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देना बंद करवाएंगे, पक्ष या विपक्ष में पड़े कुल वोट की समेकित संवीक्षक रिपोर्ट, यदि कोई हो, उनके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या अध्यक्ष, जो उसपर प्रति हस्ताक्षर करेंगे । बैंक अपने वेबसाइट/सीडीएसएल पर रिमोट ई-वोटिंग के परिणाम के साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के परिणाम का भी घोषणा करेगा और स्टॉक एक्स्चेंज को भी सूचित करेगा ।

कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
निदेशक मंडल के आदेश से
हस्त/

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 14 जून 2023

(अजय कुमार श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक व सीईओ

j) Dematerialization of Physical Holdings:

SEBI has amended relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to disallow listed companies from accepting request for transfer of securities which are held in physical form, with effect from 01st April 2019. Further it has been mandated vide amendment 2022 that transmission or transposition of securities held in physical or dematerialized form shall be effected only in dematerialized form. The shareholders who continue to hold shares in physical form even after this date, will not be able to lodge the shares with Bank / its RTA for further transfer. They will need to convert them to demat form compulsorily if they wish to effect, any transfer. Only the requests for transmission and transposition of securities in physical form, will be accepted by the RTA.

In view of the aforesaid amendment, the shareholders of the Bank, who are holding physical shares of Indian Overseas Bank, are once again advised to get their shares dematerialized. Shareholders can open a demat account in either of the two Depositories, viz. National Securities Depository Ltd., or Central Depository Services India Ltd through any of the depository participant

k) Benefits of Dematerialization of Shares:

No threat of loss and wear and tear of share certificate, Easy and convenient way to hold securities, Immediate transfer of securities, Reduced paperwork for transfer of securities and Reduced Transaction cost etc.

l) RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND E-VOTING DURING AGM:

The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of e-voting at the Annual General Meeting, first count the votes cast during the AGM, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting and make, not later than 2 working days of conclusion of the AGM, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorized by him in writing, who shall countersign the same. The results of the remote e-voting aggregated with the results of e-Voting at the AGM will be announced by the Bank in its website and also informed to the Stock Exchanges. It will also be postal on the website of CDSL.

By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank
-sd/-

Place: Chennai
Date: June 14, 2023

(Ajay Kumar Srivastava)
Managing Director & CEO

व्याख्यात्मक विवरण

कार्यसूची मद संख्या :2

बैंक के प्रबंध निदेशक व सीईओ के रूप में श्री अजय कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति का शेयरधारकों से अनुमोदन लेना

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिसूचना ईएफ.सं. 4/5/2017- बीओ. आई दिनांकित 26 सितंबर 2022 के जरिए श्री अजय कुमार श्रीवास्तव को 01.01.2023 से उनकी नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है ।

दिनांक 09 अक्टूबर 2017 से कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यरत श्री अजय कुमार श्रीवास्तव का 01 जनवरी 2023 से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्रबंध निदेशक व सीईओ के रूप में पदोन्नत किया गया है ।

उन्होंने अपने बैंकिंग पेशे की शुरुआत 1991 में इलाहाबाद बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में किया, जहाँ वे देश के विभिन्न भागों में विभिन्न पदों पर कार्य किया । वे एक दक्ष एवं समर्पित बैंकर हैं, जिन्हें फील्ड का विशाल अनुभव है तथा इलाहाबाद बैंक में उच्च स्तर पर कार्य करने के दौरान उत्तर प्रदेश, गुजरात व दिल्ली के बड़े व महत्वपूर्ण क्षेत्रों का नेतृत्व करने का अनुभव प्राप्त है ।

इलाहाबाद बैंक में लगभग 27 सफल वर्षों के पश्चात, वे भारत सरकार द्वारा कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किए गए और उन्होंने दिनांक 09.10.2017 को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में कार्यभार ग्रहण किया ।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में, उनका सफर बेहद चुनौती पूर्ण रहा है । बैंक 2014 से घाटा व 2015 से पीसीए में चला गया था और वित्तीय पैरामीटर भी बुरे हालात में थे । इसके अतिरिक्त और भी कई चुनौतियां थीं । उन्होंने सभी मुख्य क्षेत्रों के लिए रणनीति बनाईं और उसका बोर्ड के सहयोग से जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक कार्यान्वियन करवाया । उन्होंने बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में पाँच वर्षों से अधिक कार्य किया है और उल्लिखित अवधि के दौरान सभी विभागों और पोर्टफोलियो को संभाला है । कार्यपालक निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि उन्होंने बैंक को मार्च 2020 में घाटा और सितंबर 2021 में पीसीए से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त, वे बैंक में 2020-21 के दौरान 14 महीनों के लिए एकमात्र कार्यपालक निदेशक थे ।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, एमडी एवं सीईओ के संबंध में जानकारी ।	
योग्यता	बीएससी (ऑनर्स), सीएआईआईबी (पार्ट1-)
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	जोखिम प्रबंधन कार्य, मानव संसाधन प्रबंधन, कॉरपोरेट क्रेडिट, एमएसएमई, खुदरा ऋण, वित्तीय समावेशन, कृषि और कोषागार परिचालन ।

Explanatory Statement

Agenda Item No.2

To approval the appointment of Shri Ajay Kumar Srivastava as Managing Director & CEO of the bank.

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government vide Notification eF.No.4/5/2017-BO. I dated 26th September 2022, has appointed Shri. Ajay Kumar Srivastava as Managing Director and Chief Executive Officer of the bank for a period of three years with effect from 01st January 2023.

Shri. Ajay Kumar Srivastava has been elevated as Managing Director and CEO of Indian Overseas Bank with effect from 1st January 2023 from his current posting as Executive Director since 9th October 2017.

He started his banking career as Probationary officer in 1991 with Allahabad Bank where he worked in various capacities in different parts of the country. He is an astute and hardcore banker with vast field level experience and has the distinction of having successfully led the largest and most critical areas of Uttar Pradesh, Gujarat and Delhi while working at senior level in Allahabad Bank.

After successful completion of about 27 years in Allahabad Bank he was elevated as Executive Director by Government of India and he joined Indian Overseas Bank on 09.10.2017.

At Indian Overseas Bank as Executive Director, he had a very challenging journey. Bank was incurring losses since 2014, was in PCA since 2015 and financial parameters were in bad shape besides many other challenges. He made strategies for each of the key areas and successfully implemented them at the ground level with the support of the Board. He served the Bank as Executive Director for more than five years and handled all the departments and portfolios during the period. The highlight of his stint as Executive Director is that he had played a very key role in bringing the Bank out of loss in March 2020 and out of PCA in September 2021. Moreover, he was the only Executive Director in the Bank for about 14 months during 2020-2021.

Information of Shri. Ajay Kumar Srivastava, MD & CEO in accordance with Regulation 36(3) of SEBI (LODR) Regulation, 2015.	
Qualification	B.Sc., (Hons), CAIIB (Part 1)
Expertise in specific functional areas	Risk Management Functions, Human Resource Management, Corporate Credit, MSME, Retail Credit, Financial Inclusion, Agriculture and Treasury Operations.

अन्य कंपनियों में निदेशक (विदेशी कंपनियों सहित)	17.02.2023 से यूनिवर्सल सेम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में नामित निदेशक
अन्य बोर्ड की समितियों की सदस्यता / अध्यक्षता	क) अध्यक्षता- आईबीए के विधिक और बैंकिंग परिचालन पर स्थायी समिति। बी) आईबीए की प्रबंध समिति में सदस्य।
परस्पर निदेशक संबंध	शून्य
पिछले तीन वर्षों में नियुक्त/इस्तीफा देने वाली सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) अवधि- 21.10.2022 से 21.09.2022 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में नामित निदेशक।

वे इंडिया इनफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड में निदेशक के रूप में भारत सरकार द्वारा दो वर्षों के लिए नियुक्त किए गए थे। वे अपने पूर्ववर्ती बैंक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में सेवा दिये हैं।

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव या उनके रिश्तेदारों के अतिरिक्त कोई भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, बैंक में उनकी हिस्सेदारी की सीमा तक, यदि कोई हो, एजीएम की संलग्न सूचना के मद संख्या 2 में निर्धारित साधारण संकल्प से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

बोर्ड उल्लिखित संकल्प की कार्यसूची के मद सं 2 को शेयरधारकों के सामान्य संकल्प के रूप में अनुमोदन की सिफारिश करती है।

कार्यसूची मद संख्या :3

बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री संजय विनायक मुदालियर की नियुक्ति का अनुमोदन लेना

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिसूचना ईएफ.सं. 4/6/2021- बीओ.आई 2022 दिनांकित 21 नवंबर 2022 के जरिए श्री संजय विनायक मुदालियर को 01.01.2023 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

श्री संजय विनायक मुदालियर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर और लंदन (यूके) के से परियोजना प्रबंधन पेशेवर में प्रमाणित हैं। वे 19 देशों में फैले बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्लोबल परिचालन के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। वह एक अनुभवी बैंकर हैं, जिनका उद्योगों और वित्तीय संस्थानों में 30 वर्षों से अधिक का करियर है। इनमें से, वे पिछले 25 वर्षों से देश भर में और यूनाइटेड किंगडम में बैंक ऑफ बड़ौदा के विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं।

अपने तकनीकी-कार्यात्मक ज्ञान के साथ, वे उत्पाद नवाचार और प्रक्रिया शोधन पर विभिन्न कार्यकारी समूहों / समितियों में योगदान देते रहे हैं। वे बैंकिंग प्रौद्योगिकी के कई प्रमुख उद्योग पहलों का भी हिस्सा रहे हैं। वे भारत और विदेशों में बैंक ऑफ बड़ौदा / अनुषंगी कंपनियों की 6 कंपनियों में नामित निदेशक रहे हैं।

वे विश्लेषणात्मक, निष्ठावान और बदलती आवश्यकताओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं।

Directorships in other companies (including foreign companies)	Nominee Director on the Board of Universal Sompo General Insurance Company Limited w.e.f. 17.02.2023
Membership/ Chairmanship of committees of other Board	a) Chairmanship- Standing committee on Legal and Banking Operations of IBA. b) Member in the Managing Committee of IBA.
Inter- se Director Relationship	NIL
Name of Listed Entities Appointed/ Resigned in the past three years	India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) Term- 21.10.2020 to 21.09.2022 Scheduled Commercial Bank Nominee Director.

He was appointed as Director on the Board of India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) by Government of India for two years. He has also served as Director on the Board of Regional Rural Bank in his previous Bank.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri. Ajay Kumar Srivastava or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 2 of the accompanying Notice of AGM.

The Board recommends the resolution set forth in Agenda Item No.2 for the approval of the shareholders as an ordinary resolution.

Agenda Item No.3

To approve the appointment of Shri.Sanjay Vinayak Mudaliar as Executive Director of the bank.

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government vide Notification eF.No.4/6/2021-BO. I 2022 dated 21st November 2022 has appointed Shri.Sanjay Vinayak Mudaliar as the Executive Director of the Bank with effect from the date of assumption of office on or after 01.01.2023.

Shri.Sanjay Vinayak Mudaliar is a Postgraduate in Science and Technology and a Certified Project Management Practitioner, London (UK). He was holding the position of Chief Technology Officer of Bank of Baroda's Global Operations spanning across 19 countries. He is a seasoned banker with career spanning over 30 years across industries and financial institutions. Of these, for last 25 years he has been associated with Bank of Baroda in various capacities across the country and in the United Kingdom.

With his techno-functional knowledge, he has been contributing to various working groups/committees on product innovation and process refinement. He has also been part of a number of key industry initiatives on Banking Technology. He has been Nominee Director in 6 companies of Bank of Baroda / subsidiaries in India and abroad.

He is analytical, sincere and demonstrates positive approach to the changing requirements.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार श्री संजय विनायक मुदालियर, कार्यपालक निदेशक के संबंध में जानकारी ।	
योग्यता	एमएससी (भौतिक विज्ञान), पीआरआईएनसीई 2-परियोजना प्रबंधन प्रैक्टिशनर (लंदन, यूके), सीएआईआईबी, पीजीडीसीएसए
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	परिचालन और प्रौद्योगिकी
अन्य कंपनियों में निदेशक (विदेशी कंपनियों सहित)	नैनीताल बैंक लिमिटेड (अंतिम तिथि 31.12.2022)। स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (अंतिम तिथि 31.12.2022)। बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (अंतिम तिथि 31.12.2022)। बैंक ऑफ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड (अंतिम तिथि 31.12.2022)।
अन्य बोर्ड की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	शून्य
परस्पर निदेशक संबंध	शून्य
पिछले तीन वर्षों में नियुक्त/इस्तीफा देने वाली सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम	शून्य

श्री संजय विनायक मुदालियर या उनके रिश्तेदारों के अतिरिक्त कोई भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, बैंक में उनकी हिस्सेदारी की सीमा तक, यदि कोई हो, एजीएम की संलग्न सूचना के मद संख्या 3 में निर्धारित साधारण संकल्प से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं ।

बोर्ड उल्लिखित संकल्प की कार्यसूची के मद सं 3 को शेयरधारकों के सामान्य संकल्प के रूप में अनुमोदन की सिफारिश करती है ।

कार्यसूची मद संख्या :4

उपलब्ध विभिन्न विकल्पों (क्यूआईपी/एफपीओ/राइट इश्यू/ईएसपीएस आदि) के माध्यम से रु. 1000 करोड़ की प्रदत्त ईक्विटी पूंजी जुटाने के लिए

(क) आरबीआई के बेसल III दिशानिर्देशों का पालन करने और एक मजबूत पूंजी आधार रखने के लिए ताकि व्यवसाय के विकास के लिए आवश्यक पूंजी सहायता प्रदान की जा सके, बैंक को पूंजी की निरंतर आवश्यकता होती है ।

(ख) भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 520 (ई) दिनांकित 30 जुलाई 2021, आगे प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियम (एससीआरआर), 1957 के तहत संशोधित प्रावधान और एससीआरआर में उक्त संशोधन के संदर्भ में, केंद्र सरकार जनहित में किसी सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को एससीआरआर के किसी या सभी प्रावधानों से छूट दे सकती है ।

Information of Shri. Sanjay Vinayak Mudaliar, Executive Director in accordance with Regulation 36(3) of SEBI (LODR) Regulation, 2015.	
Qualification	MSc. (Physics), PRINCE2–Project Management Practitioner (London, UK), CAIIB, PGDCSA
Expertise in specific functional areas	Operations & Technology
Directorships in other companies (including foreign companies)	Nainital Bank Limited (End Date: 31.12.2022). Swift India Domestic Services Private Limited (End Date: 31.12.2022). Baroda Sun Technologies Limited (End Date: 31.12.2022). Bank of Baroda (Uganda)Limited (End Date: 31.12.2022).
Membership/ Chairmanship of committees of other Board	NIL
Inter- se Director Relationship	NIL
Name of Listed Entities Appointed/ Resigned in the past three years	NIL

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Sanjay Vinayak Mudaliar or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 3 of the accompanying Notice of AGM.

The Board recommends the resolution set forth in Agenda Item No.3 for the approval of the shareholders as an ordinary resolution.

Agenda Item No.4

To raise paid up equity capital of Rs.1000 Crore through various options available (QIP/FPO/Right issues/ESPS etc.)

(a) In order to comply with the Basel III guidelines of RBI and to have a strong Capital Base so as to provide necessary capital support to fund business growth, the Bank is in continuous need of capital.

(b) The Govt. of India vide Gazette Notification No. G.S.R. 520(E) dated 30th July 2021 further amended provisions under Securities Contracts (Regulations) Rules (SCRR),1957 and in terms of the said amendment in SCRR, the Central Government may in public interest exempt any listed public sector company from any or all of the provisions of SCRR.

(ग) इसके बाद, केंद्र सरकार ने अपने पत्र संदर्भ सं. एफ.सं. 1/14/2018-पीएम दिनांकित 06.07.2022 के जरिए सेबी को अवगत कराया कि केंद्र सरकार ने जनहित में निर्णय लिया है कि प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, जैसा कि एससीआरआर, 1957 में परिभाषित है, जिसकी सार्वजनिक शेयरधारिता पच्चीस प्रतिशत से कम है और जो एससीआरआर, 1957 के नियम 19क में निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक नहीं बढ़ा सके, उन्हें अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए 01.08.2024 तक छूट मिलेगी ।

(घ) बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 12 मई 2023 को अपनी बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन और अन्य आवश्यक सांविधिक / नियामक अनुमोदनों के अधीन विभिन्न उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से रु. 1000 करोड़ की प्रदत्त इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है ।

(ङ) तदनुसार, बैंक क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू या उसके संयोजन के माध्यम से बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता बढ़ाने के लिए इक्विटी पूंजी जुटाने का प्रस्ताव रखता है । मौजूदा बाज़ार स्थितियों के आधार पर बैंक द्वारा इन विकल्पों का प्रयोग किया जाएगा ।

(च) पूर्वोक्त इक्विटी पूंजी भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, सेबी आईसीडीआर विनियम और सेबी के अन्य प्रासंगिक दिशानिर्देशों / विनियमों और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिस्टिंग समझौते के अनुपालन और निर्धारित अन्य प्राधिकरणों से उचित अनुमोदन के साथ जुटाई जाएगी ।

(छ) बैंक, बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रम का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ख) (ग) के अनुसार, प्रदत्त पूँजी बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेगा । हालांकि, केंद्र सरकार, हमेशा, बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूंजी के बावन प्रतिशत से कम नहीं रखेगी ।

(ज) एलओडीआर विनियम, 2015 के नियम 41 में प्रावधान है कि जब भी बैंक द्वारा कोई और निर्गम या प्रस्ताव दिया जाता है, तो मौजूदा शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर उसी की पेशकश करनी है, जब तक कि असाधारण बैठक में शेयरधारक अन्यथा निर्णय नहीं ले लेते । उक्त संकल्प, यदि पारित हो जाता है, तो बैंक ओर से बोर्ड को निर्गम करने की अनुमति देने और मौजूदा शेयरधारकों को यथानुपात आधार पर प्रतिभूतियों को जारी और आबंटित करने का अधिकार होगा ।

(झ) यह संकल्प बैंक को फॉलो-ऑन पब्लिक इश्यू के माध्यम से और/या निजी प्लेसमेंट के आधार पर या भारत सरकार / आरबीआई द्वारा अनुमोदित किसी अन्य मोड पर इक्विटी शेयर/अधिमान शेयर/प्रतिभूतियों को बनाने, पेश करने, जारी करने और आवंटित करने में सक्षम बनाता है । इश्यू से प्राप्त राशि बैंक को समय-समय पर आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को मजबूत करने में सक्षम बनाएगी ।

(ञ) यह संकल्प आईसीडीआर विनियमों द्वारा परिभाषित क्वालिफाइड संस्थागत खरीदारों के साथ क्वालिफाइड संस्थागत प्लेसमेंट करने

(c) Subsequently, the Central Government vide its letter Ref. No. F. No. 1/14/2018-PM dated 06.07.2022 conveyed SEBI that the Central Government has decided in the public interest that every listed public sector company, as defined in the SCRR, 1957, which has public shareholding below twenty five per cent and which could not increase its public shareholding to at least twenty five per cent within the timeline stipulated in Rule 19A of SCRR, 1957, shall get exemption up to 01.08.2024 to increase its public shareholding to at least twenty five per cent.

(d) The Board of Directors of the Bank in its meeting dated 12th May 2023 has approved for raising paid up equity capital of Rs.1000 crore through the different available options subject to approval of shareholders and other requisite Statutory/Regulatory approvals.

(e) Accordingly, the Bank proposes to raise equity capital through QIP/ FPO/ Rights Issue/ ESPS or in combination thereof to increase the public shareholding in the Bank. These options will be exercised by the Bank based on the prevailing market conditions.

(f) The equity capital as aforesaid will be raised with due approvals from the Government of India, Reserve Bank of India and such other authorities as laid down in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, SEBI ICDR Regulations and shall be in compliance with the other relevant guidelines /regulations of SEBI and Listing Agreement with Stock Exchanges.

(g) The Bank in terms of Section 3(2B) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid-up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-two per cent of the paid-up equity capital of the Bank.

(h) Regulation 41 of the LODR Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

(i) The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares/preference shares/securities by way of Follow-on Public Issue, and/or on a private placement basis or any other mode approved by GOI/RBI. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

(j) The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR

के लिए निदेशक मंडल को सशक्त बनाने का प्रयास करता है। शेयरधारकों से नए सिरे से अनुमोदन मांगे बिना, निदेशक मंडल अपने विवेक से बैंक के लिए धन जुटाने के लिए आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII के तहत निर्धारित तंत्र को अपना सकता है।

(ट) सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के संदर्भ में एक क्यूआईपी निर्गम के मामले में, क्यूआईपी के आधार पर प्रतिभूतियों का निर्गमन साप्ताहिक उच्च के औसत से कम नहीं और "प्रासंगिक तिथि" से पहले दो सप्ताह के दौरान स्टॉक एक्सचेंज पर उद्त शेयर को समापन मूल्य के निम्न मूल्य पर किया जा सकता है। "प्रासंगिक तिथि" का अर्थ उस बैठक की तिथि से है जिसमें बोर्ड या बैंक की समिति क्यूआईपी निर्गम को खोलने का निर्णय लेती है।

(ठ) बाजार की मौजूदा स्थितियों और अन्य नियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रस्ताव के लिए विस्तृत नियम और शर्तें सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों और अंडरराइटर्स तथा ऐसे अन्य प्राधिकरण या प्राधिकरणों के परामर्श से निर्धारित की जाएंगी।

(ड) जारी किए जाने वाले शेयरों की कीमत बताना संभव नहीं है, जैसा कि मूल्य निर्धारण के ऑफर को बाद के चरण के अतिरिक्त तय नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यह समय-समय पर संशोधित सेबी आईसीडीआर विनियमों, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार होगा या कोई अन्य दिशानिर्देश/विनियम/सहमति जो लागू या आवश्यक हो।

(ढ) पूर्वोक्त कारणों से, इस मुद्दे की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त अधिकार और विवेक देने के लिए एक समर्थकारी संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है।

(ण) आबंटित इक्विटी शेयर, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ हर तरह से समान रैंक के होंगे।

(त) इस उद्देश्य के लिए, बैंक को एक विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव के लिए आपकी सहमति का अनुरोध किया जाता है।

(थ) बैंक या उसका कोई भी निदेशक या प्रमोटर, इरादतन चूककर्ता या भगोड़ा आर्थिक अपराधी नहीं है।

(द) कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार विशेष संकल्प में रुचि नहीं रखते हैं, जैसा कि नोटिस के एजेंडा आइटम नंबर 4 में निर्धारित किया गया है।

बोर्ड उल्लिखित संकल्प की कार्यसूची के मद सं 4 को शेयरधारकों के विशेष संकल्प के रूप में अनुमोदन की सिफारिश करती है।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
हस्त/-

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 14 जून 2023

(अजय कुमार श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक व सीईओ

Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

(k) In case of a QIP issue in terms of Chapter VI of SEBI ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

(l) The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

(m) As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time or any other guidelines/regulations/ consents as may be applicable or required.

(n) For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue.

(o) The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

(p) For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

(q) The Bank or any of its directors or promoter is not a wilful defaulter or fugitive economic offender.

(r) None of the Directors or the Key Managerial Personnel or their relatives are concerned or interested in the Special Resolution as set out in Agenda Item No. 4 of the accompanying Notice.

The Board recommends the resolution set forth in Agenda Item No.4 for the approval of the shareholders as an special resolution.

By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank
-sd/-

Place: Chennai
Date: June 14, 2023

(Ajay Kumar Srivastava)
Managing Director & CEO

निदेशकों की रिपोर्ट 2022-23

निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र और लाभ व हानि खाते के साथ वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

वैश्विक कारोबारी प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2022-23 में वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्थिर रही। यह सामान्य रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से बैंकिंग उद्योग के लिए एक चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा है। कोविड-19 के लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव के अलावा, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा की ऊंची कीमतों के कारण दुनिया भर में कई दशकों के उच्च स्तर की मुद्रास्फीति देखी गई।

इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए, दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने नपे-तुले तरीके से अपने उदार रुख को वापस लेना जारी रखा, जिसके कारण वैश्विक बाजारों में चलनिधि में कमी आई और ब्याज दरों में वृद्धि हुई। इसने खपत और उत्पादन में संकुचन के कारण वैश्विक आर्थिक विकास की संभावनाओं के लिए एक नकारात्मक जोखिम उत्पन्न किया। हाल ही में, अमेरिका और यूरोप में कुछ बैंकों की उथल-पुथल के परिणामस्वरूप बैंकिंग क्षेत्र में कमजोरियां और वैश्विक वित्तीय स्थिरता और प्रणालीगत जोखिम के बारे में चिंताएं पैदा हुई हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की भविष्यवाणी है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था इस वर्ष 2.8% और 2024 में 3% बढ़ेगी। भारत और चीन के प्रमुख योगदान के साथ, उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ 2022 में 4% से 2023 में 3.9% बढ़ेंगी।

मजबूत आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों और कॉर्पोरेट क्षेत्र की मजबूत बैलेंस शीट के कारण इन अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली बनी रही और बैंकों ने क्रेडिट मांग की वापसी में सहयोग किया, जिसे केंद्र द्वारा पूंजीगत व्यय में बड़ी वृद्धि से भी मदद मिली।

जनवरी से मार्च 2023 की तिमाही में भारत की जीडीपी संवृद्धि पिछली तिमाही में ऊपर की ओर संशोधित 4.5% संवृद्धि से बढ़कर 6.1% हो गई। पूरे वित्तीय वर्ष के लिए, अर्थव्यवस्था की वृद्धि 7.2% रिपोर्ट की गई जो पूर्व में 7% के अग्रिम अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष में, भारत ने 9.1% जीडीपी संवृद्धि देखी थी। यह उछाल मुख्य रूप से कृषि, विनिर्माण, खनन और निर्माण क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के कारण हुआ। सभी क्षेत्रों में वृद्धि में व्यापक आधार पर सुधार दिखा। वैश्विक मंदी के बीच घरेलू मांग में मजबूती ने विकास में सहयोग किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने समान संतुलित जोखिम के साथ 2023-24 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी संवृद्धि 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है जिसमें पहली तिमाही: 2023-24 में 7.8 प्रतिशत; दूसरी तिमाही: 2023-24 में 6.2 प्रतिशत; तीसरी तिमाही के लिए 6.1 प्रतिशत और चौथी तिमाही के लिए 5.9 प्रतिशत संवृद्धि का अनुमान है।

वित्तीय कार्य-निष्पादन

बैंकों का वैश्विक कारोबार 31 मार्च 2023 तक रु 4,49,892 करोड़ रहा, जबकि 31 मार्च 2022 को यह रु 4,17,960 करोड़ था। जमा और अग्रिम 31 मार्च 2022 को रु 2,62,159 करोड़ और रु 1,55,801 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2023 को क्रमशः रु 2,60,883 करोड़ और रु 1,89,009 करोड़ रहा।

31 मार्च 2022 को रु 1,13,877 करोड़ के कासा डिपॉजिट के मुकबले 31 मार्च 2022 को ये रु1,14,113 करोड़ रहा जो बैंक के इतिहास में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। कासा अनुपात वर्ष 2022-23 मे 43.44% से बढ़कर 43.74 प्रतिशत पर रहा।

31 मार्च 2023 तक बैंक की क्रेडिट ग्रोथ 21.31% (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर रु 1,89,009 करोड़ हो गयी है। चालू वर्ष के दौरान प्रयासों का उद्देश्य उच्च परिचालन क्षमता के स्तर को बनाए रखना था क्योंकि परिचालन वातावरण स्थिर था। बैंक ने रैम सेगमेंट अग्रिमों का विस्तार करना जारी रखा और हाउसिंग और आभूषण ऋण जैसे हल्के पूंजी अग्रिम के विकास को गति दी। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2022 को रु 5763 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2023 को बैंक का परिचालन लाभ बढ़कर रु 5942 करोड़ हो गया।

परिसंपत्ति गुणवत्ता पक्ष पर, बैंक ने सकल एनपीए और नेट एनपीए दोनों में कमी देखी है। बैंक का सकल एनपीए 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष में रिपोर्ट किए गए रु 15,299 करोड़ (9.82%) से 31.03.2023 को रु14,072 करोड़ (7.44%) हो गया है। इसी तरह, उक्त अवधि के लिए बैंक का नेट एनपीए 3,825 करोड़ रुपये (2.65%) से घटकर रु 3,266 करोड़ (1.83%) हो गया है।

इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप, शुद्ध ब्याज आय में मजबूत वृद्धि और संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार के कारण बैंक का शुद्ध लाभ 31.03.2022 को रु 1,710 करोड़ से 2022-23 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 22.76% बढ़कर रु 2,099 करोड़ हो गया है ।

आय और व्यय विश्लेषण

31 मार्च 2023 तक अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज 23.31% (वर्ष दर वर्ष) से बढ़कर 13151 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि पिछले वर्ष 10665 करोड़ रुपये था । वित्तीय वर्ष 2022-23 में निवेश पर ब्याज बढ़कर 5899 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5675 करोड़ रुपये था । वित्तीय वर्ष 2021-22 में ब्याज आय 16730 करोड़ रुपये के प्रति काफी हद तक समग्र रूप से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 19401 करोड़ रुपये हो गई है ।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में जमा पर ब्याज पिछले वर्ष किए गए भुगतान 10220 करोड़ रुपये के प्रति 10536 करोड़ रुपये रहा है । उधार पर ब्याज वित्तीय वर्ष 2021-22 के 199 करोड़ रुपये के प्रति वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर 609 करोड़ रुपये हो गया है । समग्र रूप से ब्याज व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के 10419 करोड़ रुपये के प्रति वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर 11145 करोड़ रुपये हो गया है ।

31 मार्च 2022 तक कासा 113877 करोड़ रुपये था जो बढ़कर 31 मार्च 2023 को 114113 करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें 0.21% की वृद्धि दर्ज हुई है । कासा %31 मार्च-2022 को 43.44% था जो 31 मार्च-2023 तक बढ़कर 43.74% हो गया है ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुद्ध ब्याज आय 6311 करोड़ रुपये था जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर 8255 करोड़ रुपये हो गया है । परिचालन व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु. 5451 करोड़ था जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर 6422 करोड़ रुपये हो गया है ।

DIRECTORS' REPORT 2022-23

The Board of Directors have pleasure in presenting the Annual Report together with Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2023.

Global Business Performance

The global economy remained volatile in FY 2022-23. It has been a challenging year for the global economy in general and the banking industry in specific. In addition to COVID-19's lingering impact, the world witnessed multi-decade high level of inflation rates across countries due to supply chain disruptions and elevated energy prices following Russia's invasion of Ukraine.

To combat this situation, Central Banks across the world continued to withdraw their accommodative stance in a calibrated manner which led to tightening of liquidity across global markets and an increase in interest rates. This posed a downside risk to global economic growth prospects due to contraction in consumption and output. More recently, the turmoil of a few banks in US and Europe has resulted vulnerabilities in the banking sector and concerns about global financial stability and systemic risk.

The International Monetary Fund (IMF) predicts the global economy will grow by 2.8% this year and 3% in 2024. Emerging and developing economies to grow 3.9% in 2023 from 4% in 2022, with major contributions from India and China.

Indian economy remained resilient amidst these uncertainties on account of strong economic fundamentals and robust balance sheets of the corporate sector and banks enabled a rebound in credit demand, which was also facilitated by a large increase in capex by the centre.

India's GDP growth accelerated to 6.1% in the January to March 2023 quarter from an upwardly revised 4.5% growth in previous quarter. For the full financial year, the economy growth was reported at 7.2% higher than the earlier Second Advance Estimate of 7%. In the previous financial year, India had seen 9.1% GDP growth. The surge is primarily driven by improved performance in agriculture, manufacturing, mining, and construction sectors. There was a broad-based improvement in growth across sectors. The strength in domestic demand supported the growth amid the global slowdown

The Reserve Bank of India has projected real GDP growth of India for 2023-24 at 6.5 % with Q1:2023-24 at 7.8%; Q2 at 6.2 %; Q3 at 6.1 %; and Q4 at 5.9 %; with risks evenly balanced.

Financial Performance

Banks global Business stood at Rs.4,49,892 Crores as of 31st March 2023 as compared to Rs.4,17,960 Crores as of 31st March 2022. Deposits and Advances stood at Rs.2,60,883 Crores and Rs.1,89,009 Crores as of 31st March 2023 as compared to Rs.2,62,159 Crores and Rs.1,55,801 Crores as of 31st March 2022 respectively.

CASA deposits stood at Rs.1,14,113 Crores as on 31st March 2023 as compared to Rs.1,13,877 Crores as on 31st March 2022 a landmark achievement in the history of the Bank. CASA ratio improved from 43.44% to 43.74% during the financial year 2022-2023.

The credit growth of the bank has increased by 21.31% (Y-o-Y) to Rs 1,89,009 Crores as on March 31st 2023. The efforts during the current year were aimed at sustaining the higher operational efficiency levels as the operating environment remained firm. Bank continued to expand RAM segment advances and accelerated the growth under Capital light advances such as Housing and Jewel loan. As a result, operating profit for the Bank has increased to Rs.5942 Crores as on 31st March 2023 as compared to Rs. 5763 Crores as on 31st March 2022.

On the asset quality side, the Bank has seen decrease in both gross NPA & Net NPA. The Gross NPA of the Bank has deceased to Rs 14,072 Crores (7.44%) as on 31.03.2023 from Rs 15,299 Crores (9.82%) reported in the financial year ended 31.03.2022. Similarly, the Net NPA of the bank has decreased to Rs 3,266 Crores (1.83 %) from Rs 3,825 Crores (2.65 %) for the above said period.

As a result of this approach, The Net profit of the Bank has increased by 22.76 % to Rs 2,099 Crores in the financial year ended 2022-23 from Rs 1,710 Crores as on 31.03.2022 on the back of strong growth in Net Interest Income and Improvement in asset quality.

Income and Expenditure Analysis

The Interest received on advances increased by 23.31 % (YoY) to Rs.13151 Crores as on 31st March 2023 on compared to Rs.10665 Crores received over previous year . Interest on investments has increased to Rs. 5899 Crores in FY 2022-23 as against Rs. 5675 Crores in FY 2021-22. Overall interest income has improved substantially to Rs. 19401 Crores in FY 2022-23 as against 16730 Crores in FY 2021-22.

The Interest on Deposits stood at to Rs.10536 Crores in FY 2022-23 as compared to Rs.10220 Crores paid in previous year. Interest on Borrowings has increased to Rs.609 Crores in FY 2022-23 as against Rs.199 Crores in FY 2021-22. Overall Interest Expenses has increased to Rs. 11145 Crores in FY 2022-23 as against Rs.10419 Crores in FY 2021-22.

CASA has improved from Rs.113877 Crores as of 31st March-2022 to Rs.114113 Crores as of 31st March-2023 with a growth of 0.21%. CASA% has moved up from 43.44% as of 31st March-2022 to 43.74% as of 31st March-2023.

Net interest income has improved from Rs. 6311 Crores in FY 2021-22 to Rs. 8255 Crores in FY 2022-23. Operating expenses has increased to Rs. 6422 Crores in FY 2022-23 as against Rs.5451 Crores in FY 2021-22.

अग्रिम पर प्रतिफल जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में 7.24% के स्तर पर था, उसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 में 8.52% तक सुधार हुआ है । वित्तीय वर्ष 2021-22 में जमा की लागत 4.12% से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4.27% हो गई है । परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2022-23 में शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 79 बीपीएस बढ़कर 3.20 प्रतिशत हो गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह 2.41 प्रतिशत था ।

2022-23 के दौरान जुटाई गई पूंजी

टीयर II बांडों की उगाही

बैंक ने 9.00% की कूपन दर पर, 5 वर्ष के अंत पर और उत्तरवर्ती कूपन भुगतान की तिथि पर कॉल ऑप्शन के साथ आबंटन की तिथि से 10 वर्षों की अधि के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर बेसेल III अनुपालित टीयर II बांड (श्रृंखला V) से कुल 1000 करोड़ रु. जुटाए हैं । वें वर्ष और बाद के कूपन भुगतान की तारीख पर। यह लिखत मेसर्स आईसीआरए रेटिंग्स और मेसर्स केयर रेटिंग्स द्वारा रेट किया गया था, और उन्होंने एए-/ स्टेबल की रेटिंग प्रदान की है ।

कॉरपोरेट गवर्नेंस

कॉरपोरेट गवर्नेंस अपने दैनिक मामलों के संचालन में बैंक की अंतर्निहित मूल्य प्रणाली को दर्शाता है । बैंक, सुरक्षित और सुदृढ़ कामकाज के लिए प्रभावी कॉरपोरेट गवर्नेंस के महत्व को जानता है और यह सुनिश्चित करने पर जोर देता है कि बैंक और उसके हितधारकों के हितों की सेवा के लिए रणनीतिक उद्देश्यों को स्थापित करने के लिए संरचनाएं, प्रक्रियाएं और प्रणालियां स्थापित की जाएं, जो प्रभावी निगरानी की सुविधा देगी ।

सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता विनियम), 2015 (एलओडीआर)

सेबी (एलओडीआर) के अनुसार,

- बैंक अपने शेयरधारकों को वार्षिक सामान्य बैठकों/असाधारण सामान्य बैठकों में रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है ।
- बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन (अर्थात बैंक के महाप्रबंधक) पर आचार संहिता लागू होती है ।
- बैंक कॉरपोरेट गवर्नेंश पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति और बीएसई व एनएसई, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, को प्रस्तुत कर रहा है । बैंक बीएसई और एनएसई को तिमाही निवेशक शिकायत रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर रहा है ।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ)

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक ने वर्ष 2013-14 तक के अदत्त लाभांश राशि को आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिया है ।

बैंक समय-समय पर विनियामक प्राधिकरणों और भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी दिशानिर्देशों/विनियमों का अनुपालन कर रहा है । बैंक बिना किसी विलंब के शेयरधारकों की शिकायतों का निवारण करता है ।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात

31 मार्च 2023 को बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात बेसल III मानदंडों के अनुसार 16.10% था ।

शाखा नेटवर्क

31 मार्च 2022 को 3,214 शाखाओं की तुलना में 31 मार्च 2023 तक बैंक की 3,220 घरेलू शाखाएं हैं, जिसमें 906 ग्रामीण शाखाएं (28.13%), 961 अर्ध शहरी शाखाएं (29.84%), 655 शहरी शाखाएं (20.34%) और 698 महानगरीय शाखाएं (21.68%) है । बैंक में 49 क्षेत्रीय कार्यालय, 2 एक्सटेंशन काउंटर, 1 सैटेलाइट कार्यालय, 3 सिटी बैक ऑफिस और 6 नोडल ऑडिट कार्यालय भी हैं । समीक्षाधीन वर्ष (वित्तीय वर्ष 23-2022) के दौरान बैंक ने 4 ग्रामीण शाखाएं, 2 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां और एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला है ।

निदेशक मंडल

बैंक का व्यवसाय निदेशक मंडल में निहित है । एमडी एवं सीईओ और ईडी, बोर्ड के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के तहत कार्य करते हैं । आज की तारीख में नौ निदेशक हैं जिनमें तीन पूर्णकालिक निदेशक, एक भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, एक आरबीआई द्वारा नामित निदेशक, शेयरधारकों में से चुने गए एक निदेशक और तीन अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक हैं। एमडी एवं सीईओ अध्यक्ष के रूप में बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशकों के कार्यकाल की स्थिति निम्नवत है :

नाम	पद ग्रहण करने की तिथि	कार्यकाल समाप्त होने की तिथि	पद
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	01.01.2023	31.12.2025	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सुश्री एस श्रीमती	10.03.2021	09.03.2024	कार्यपालक निदेशक
श्री संजय विनायक मुदालियर	01.01.2023	31.12.2025	कार्यपालक निदेशक
सुश्री ऐनी जॉर्ज मैथ्यू	22.07.2016	***	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री विवेक अग्रवाल	25.02.2022	***	आरबीआई नामित निदेशक
श्री संजया रस्तोगी	03.12.2022	02.12.2025	शेयर धारक निदेशक
श्री सुरेश कुमार रूंगटा	21.12.2021	20.12.2024	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
श्री बी चंद्रा रेड्डी	21.12.2021	20.12.2024	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
श्री दीपक शर्मा	21.12.2021	20.12.2024	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

***अगले आदेश तक

Yield on Advances has improved from the level of 7.24 % in FY 2021-22 to 8.52 % in FY 2022-23. Cost of deposits has been increased from 4.12 % in FY 2021-22 to 4.27 % in FY 2022-23. As a result, Net Interest Margin (NIM) stood higher by 79 bps at 3.20 percent in FY 2022-23 as against 2.41 percent in FY 2021-22.

Capital Raised during 2022-23

Raising of Tier II Bonds

Bank has raised Basel III compliant Tier II Bonds (Series V) aggregating to Rs.1000 crore on private placement basis at a coupon rate of 9.00% with a tenor of 10 years from the date of allotment with a call option at the end of 5th year & on subsequent coupon payment date. The instrument was rated by M/s ICRA Ratings and M/s CARE Ratings, and they had assigned ratings of AA-/Stable.

Corporate Governance

Corporate Governance reflects the built in value system of the Bank in conducting its day to day affairs. The Bank recognizes the critical importance of effective Corporate Governance for the safe and sound functioning of the Bank and lays emphasis on ensuring that structures, processes and systems are put in place to establish strategic objectives to serve the interest of the Bank and its stakeholders which also facilitate effective monitoring.

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations), 2015 (LODR)

As per SEBI (LODR),

- The Bank is providing remote e-voting facility to its shareholders, in Annual General Meetings/ Extraordinary General Meetings.
- The Code of Conduct is applicable to all members of the Board and the Senior Management (i.e., General Managers of the Bank).
- The Bank is submitting a quarterly compliance report on Corporate Governance to the Audit Committee of the Board and to BSE & NSE, where the shares of the Bank are listed.

The Bank is also submitting Quarterly Investor Grievance Report to BSE & NSE.

Investor Education & Protection Fund (IEPF)

As per the guidelines of Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India, the Bank has transferred Unpaid Dividend amount up to the year 2013-14 to IEPF.

Bank is complying with all guidelines/regulations laid down by the Regulatory Authorities and Government of India from time to time. The Bank redresses the shareholders grievances without any delay.

Capital Adequacy Ratio

The Bank's capital adequacy ratio as on 31st March 2023 stood at 16.10 % as per Basel III norms.

Branch Network

The Bank has 3,220 domestic Branches as on 31st March 2023 as against 3,214 Branches as on 31st March 2022, comprising of 906 Rural Branches (28.13%), 961 Semi Urban Branches (29.84%), 655 Urban Branches (20.34%) and 698 Metropolitan Branches (21.68%). The Bank also has 49 Regional Offices, 2 Extension Counters, 1 Satellite Office, 3 City Back Offices and 6 Nodal Audit Offices. During the year under review (FY 2022-23), the Bank has opened 4 Rural Branches, 2 Digital Banking Units & One Regional Office.

Board of Directors

The business of the Bank is vested with the Board of Directors. The MD & CEO and EDs function under the superintendence, direction and control of the Board. The strength as on date is nine directors comprising three whole time Directors, one GOI Nominee Director, one RBI nominee director, one director elected from amongst the shareholders to duly represent their interest and three part time non-official directors. The MD & CEO presides over the meetings of the Board as Chairman.

The position of the terms of directors during the FY 2022-23 is as under:

Name	Date of Joining	Term to end on	Designation
Shri Ajay Kumar Srivastava	01.01.2023	31.12.2025	Managing Director & Chief Executive Officer
Smt S Srimathy	10.03.2021	09.03.2024	Executive Director
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.01.2023	31.12.2025	Executive Director
Smt Annie George Mathew	22.07.2016	***	Govt. Nominee Director
Shri Vivek Aggarwal	25.02.2022	***	RBI Nominee Director
Shri Sanjaya Rastogi	03.12.2022	02.12.2025	Share Holder Director
Shri Suresh Kumar Rungta	21.12.2021	20.12.2024	Part Time Non-Official Director
Shri B Chandra Reddy	21.12.2021	20.12.2024	Part Time Non-Official Director
Shri Deepak Sharma	21.12.2021	20.12.2024	Part Time Non-Official Director

*** Until Further Orders

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नलिखित निदेशकों का कार्यकाल समाप्त हुआ जो निम्नानुसार है:

नाम	पद ग्रहण करने की तिथि	कार्यकाल का समापन	पद
श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	24.07.2020	31.12.2022	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017	31.12.2022	कार्यपालक निदेशक
श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	08.12.2017 29.01.2021 #	07.12.2020 07.10.2022	शेयर धारक निदेशक

#श्री नवीन प्रकाश सिन्हा शेयरधारक निदेशक के रूप में दूसरी अवधि के लिए दिनांक 29.01.2021 से 28.01.2024 तक पुन: निर्वाचित हुए । हालाँकि श्री नवीन प्रकाश सिन्हा ने दिनांक 07.10.2022 को इस्तीफा दे दिया है ।

आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और सभी विदेशी नियामकों से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभारी हैं । निदेशक मंडल मूल्यवान ग्राहकों, कर्मचारी संघ, अधिकारी संघ, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह, शेयरधारकों और अन्य हितधारकों को उनके मूल्यवान समर्थन और बैंक के निरंतर संरक्षण के लिए धन्यवाद करता है ।

बोर्ड सभी स्तरों पर बैंक के कर्मचारियों के बहुमूल्य योगदान के लिए अपनी गहन सराहना करना चाहता है और भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ उनकी निरंतर भागीदारी की आशा करता है ।

कृते निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 13th जून 2023

अजय कुमार श्रीवास्तव

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

During the FY 2022-23, the following director's tenure ended as below:

Name	Date of Joining	Term Ended on	Designation
Shri Partha Pratim Sengupta	24.07.2020	31.12.2022	Managing Director & Chief Executive Officer
Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017	31.12.2022	Executive Director
Shri Navin Prakash Sinha	08.12.2017 29.01.2021 #	07.12.2020 07.10.2022	Share Holder Director

Shri Navin Prakash Sinha has been re-elected as Share Holder Director for the second term from 29.01.2021 till 28.01.2024. However, Shri Navin Prakash Sinha has resigned on 07.10.2022.

Acknowledgement

The Board of Directors are grateful for the valuable guidance and support received from the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, State Governments, Financial Institutions and all Overseas Regulators. The Board of Directors acknowledge with thanks the valued Customers, Employees Union, Officers Association, Domestic and International Banking group, the shareholders & other stake holders for their valued support and continued patronage with the Bank.

The Board also wishes to place on record its profound appreciation for the valuable contribution of the Bank's Staff at all levels and looks forward to their continued involvement with commitment towards achieving the future goals

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Chennai
Date : 13th.June 2023

Ajay Kumar Srivastava
Managing Director & Chief Executive Officer

प्रबंधन का विचार विमर्श और विश्लेषण

आर्थिक एवं बैंकिंग परिवेश:

जनवरी से मार्च 2023 की तिमाही में भारत की जीडीपी संवृद्धि पिछली तिमाही में ऊपर की ओर संशोधित 4.5% संवृद्धि से बढ़कर 6.1% हो गई। पूरे वित्तीय वर्ष के लिए, अर्थव्यवस्था की वृद्धि 7.2% रिपोर्ट की गई जो पूर्व में 7% के द्वितीय अग्रिम अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष में, भारत ने 9.1% जीडीपी संवृद्धि देखी थी। यह उछाल मुख्य रूप से कृषि, विनिर्माण, खनन और निर्माण क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के कारण हुआ। सभी क्षेत्रों में वृद्धि में व्यापक आधार पर सुधार दिखा। वैश्विक मंदी के बीच घरेलू मांग में मजबूती ने विकास में सहयोग किया।

कृषि क्षेत्र में 4% की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष 3.5% थी। असमान मानसून और बेमौसमी वर्षा जैसे मौसम संबंधी व्यवधानों की वजह से कुछ प्रमुख फसलों की पैदावार प्रभावित होने के बावजूद इस क्षेत्र ने अच्छा प्रदर्शन किया। वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर पिछली तिमाही के 2.3% की तुलना में 6.3% रही।

व्यापार, होटल और परिवहन द्वारा संचालित एक साल पहले सेवा क्षेत्र में 8.8% की वृद्धि की तुलना में 9.5% की वृद्धि हुई। 2021-22 में 4.7% की तुलना में वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवा क्षेत्रों में 7.1% की वृद्धि देखी गई।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने समान संतुलित जोखिम के साथ 2023-24 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी संवृद्धि 6.5% रहने का अनुमान जताया है जिसमें पहली तिमाही: 2023-24 में 7.8% ; दूसरी तिमाही: 2023-24 में 6.2% ; तीसरी तिमाही के लिए 6.1 % और चौथी तिमाही के लिए 5.9 % संवृद्धि का अनुमान है।

यूक्रेन में युद्ध शुरू होने से पहले रिज़र्व बैंक द्वारा 2022-23 में मुद्रास्फीति (सीपीआई) के 4.5 प्रतिशत पर मध्यम रहने का अनुमान लगाया गया था, जो बढ़कर 6.7 प्रतिशत हो गई। मूल्य दबावों में वृद्धि व्यापक आधार वाली और अस्थिर थी, जिसकी वजह से वर्ष के कई महीनों में मुद्रास्फीति लक्ष्य, ऊपरी सहिष्णुता स्तर से अधिक थी। रिज़र्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर को संचयी रूप से 250 आधार अंकों (बीपीएस) से बढ़ा दिया और मौद्रिक नीति के रुख को सुविधा की निकासी से, विकास को ध्यान में बनाए रखते हुए, मूल्य स्थिरता के प्रति प्राथमिकता की ओर मोड़ दिया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2023-24 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.2 % पर रहने का अनुमान लगाया है जो समान रूप से संतुलित जोखिम के साथ पहली तिमाही में 5.1%, दूसरी तिमाही में 5.4%, तीसरी तिमाही में 5.4% चौथी तिमाही में 5.2% रहने का अनुमान है।

भारत में बैंकिंग क्षेत्र लचीला और स्थिर बना रहा और पूंजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, प्रावधान कवरेज और लाभप्रदता से संबंधित विभिन्न प्रमुख वित्तीय मापदंडों में सुधार देखा गया है। अर्थव्यवस्था के लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों से ऋण की मांग देखी गई। 24 मार्च, 2023 को समाप्त पखवाड़े के लिए बैंकिंग उद्योग (एससीबी) का क्रेडिट ऑफटेक साल दर साल (वाई-ओ-वाई) 15.0% बढ़ गया। क्रेडिट ग्रोथ की तुलना में जमा वृद्धि में 9.6% की धीमी वृद्धि देखी गई।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ऋण और जमा में क्रमशः 15.8% और 9.3% की वृद्धि दर्ज की है। इसी अवधि के लिए सीडी अनुपात भी 69.35% से बढ़कर 73.53% हो गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का संचयी लाभ मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया। 12 पीएसबी ने 2021-22 में अर्जित 66,542 करोड़ रुपये की तुलना में शुद्ध लाभ में 57.27% की वृद्धि देखी, जो उच्च ब्याज आय और गैर-निष्पादित आस्तियों के प्रबंधन में सुधार के कारण था। । वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के तहत कोई पीएसबी नहीं रखा गया है।

घरेलू परिचालन एवं पृष्ठभूमि

बैंक की पृष्ठभूमि:

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (आइओबी) की स्थापना 10 फरवरी 1937 को कई क्षेत्रों में अग्रणी रहे श्री एम सीटी एम. चिदंबरम चेट्टियार द्वारा की गई थी। आइओबी उन 14 प्रमुख बैंकों में से एक था, जिनका 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में राष्ट्रीयकरण की पूर्व संध्या पर, आइओबी की भारत में 195 शाखाएँ थीं, जिनकी कुल जमा राशि 67.70 करोड़ रुपये थी और अग्रिम राशि 44.90 करोड़ रुपये थी। वर्तमान में बैंक की विदेशों में 4 देशों सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड और श्रीलंका में उपस्थिति है।

बैंक ने ओडिशा में ओडिशा ग्राम्य बैंक को भी प्रायोजित किया है।

प्रमुख उपलब्धियां

- बैंक के पास बैंकिंग में 86 वर्षों की सेवा उत्कृष्टता है।
- 3220 शाखाओं और 3477 एटीएम और 3190 कारोबार प्रतिनिधियों की मजबूत घरेलू उपस्थिति ग्राहकों को व्यापक पहुंच प्रदान करती है।
- 58% शाखाएं ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों की जरूरतों को पूरा करती हैं, जिससे गहन वित्तीय समावेशन में वृद्धि होती है।
- दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य में एक मजबूत ब्रांड नेम है।
- 40 मिलियन सक्रिय ग्राहकों का भरोसा।
- 4 शाखाओं के साथ विदेश में उपस्थिति
- कम लागत वाली कासा जमाराशियों में निरंतर वृद्धि और खुदरा, कृषि व एमएसएमई क्षेत्रों में प्रदर्शन से घरेलू अग्रिमों में 69.81% का योगदान।

बैंक के परिचालन

घरेलू जमा:

31 मार्च 2023 को बैंक की कुल घरेलू जमा राशि 254324 करोड़ रुपये थी, जबकि 31 मार्च 2022 को 256890 करोड़ रुपये थी। घरेलू कासा 31 मार्च 2022 को 112007 करोड़ रुपए से 31 मार्च 2023 तक 112093 करोड़ रुपए बढ़ गया है। यह भी उल्लेख करना है कि घरेलू बचत बैंक जमा 31 मार्च 2022 को 96276 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2023 तक 97211 करोड़ रुपये हो गया है। घरेलू कासा % भी बढ़कर मार्च 2023 तक 44.07% हो गया है ।

घरेलू अग्रिम:

जोखिम में विविधता लाने और मार्जिन में सुधार करने की दृष्टि से, बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान खुदरा, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। घरेलू सकल अग्रिम 31 मार्च 2022 को 143202 करोड़ रुपये की तुलना में 31 मार्च 2023 को 173669 करोड़ रुपये रहा। उल्लेखनीय है

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

ECONOMIC AND BANKING ENVIRONMENT:

India's GDP growth accelerated to 6.1% in the January to March 2023 quarter from an upwardly revised 4.5% growth in previous quarter. For the full financial year, the economy growth was reported at 7.2% higher than the earlier Second Advance Estimate of 7%. In the previous Financial Year, India had seen 9.1% GDP growth. The surge is primarily driven by improved performance in agriculture, manufacturing, mining, and construction sectors. There was a broad-based improvement in growth across sectors. The strength in domestic demand supported the growth amid the global slowdown

The agricultural sector grew by 4%, up from 3.5% in the previous year. The sector performed well despite weather-related disruptions such as uneven monsoon and unseasonal rainfall impacting yields of some major crops. The industrial sector grew by 6.3 % in fourth quarter of financial year 2022-23 as against 2.3 % in the previous quarter.

The Services sector grew at 9.5% compared with 8.8% growth a year ago driven by trade, hotel and transportation. The financial, real estate and professional services sectors saw their growth at 7.1%, compared to 4.7% in 2021-22.

The Reserve Bank of India has projected real GDP growth of India for 2023-24 at 6.5 %; with Q1:2023-24 at 7.8%; Q2 at 6.2 %; Q3 at 6.1%; and Q4 at 5.9 %; with risks evenly balanced.

The inflation (CPI), which was projected by the Reserve Bank before the war started in Ukraine to moderate to 4.5 % in 2022-23, surged to 6.7 %. The elevation in price pressures was broad based and sticky, exceeding the upper tolerance level of the inflation target in several months of the year. The Reserve Bank raised the policy repo rate cumulatively by 250 basis points (bps) and changed the monetary policy stance to withdrawal of accommodation, prioritising price stability while remaining mindful of growth. The Reserve Bank of India has projected CPI inflation at 5.2 % for 2023-24, with Q1 at 5.1 %; Q2 at 5.4 %; Q3 at 5.4 %; and Q4 at 5.2 %; and risks evenly balanced

The Banking sector in India remained resilient and stable and various key financial parameters relating to capital adequacy, asset quality, provision coverage and profitability have seen improvement. The demand for credit seen from almost all the major sectors of the economy. The Credit offtake of the banking industry(SCBs) rose by 15.0% year on year (Y-o-Y) for the fortnight ended March 24, 2023. The Deposit growth witnessed a slower growth at 9.6% Y-o-Y compared to credit growth.

The Public sector banks have registered credit and deposit growth of 15.8 % and 9.3 % respectively during financial year 2022-23 over financial year 2021-22. CD ratio also improved from 69.35 % to 73.53% for the same period.

Public sector banks' cumulative profit crossed the Rs 1 lakh crore-mark in the financial year ended March 2023. The 12 PSBs witnessed 57.27 % increase in net profit compared to Rs 66,542 Crore earned in 2021-22 due to higher interest income and improvement in management of non-performing assets. Currently no PSB is placed under Prompt Corrective Action (PCA) framework by RBI.

BACKGROUND AND DOMESTIC OPERATIONS

BACKGROUND OF THE BANK:

Indian Overseas Bank (IOB) was founded on 10th February 1937 by Shri. M. Ct. M. Chidambaram Chettyar, a pioneer in many fields. IOB was one of the 14 major banks that were nationalized in 1969. On the eve of Nationalisation in 1969, IOB had 195 Branches in India with aggregate deposits of Rs.67.70 Crore and advances of Rs.44.90 Crore. Presently the Bank has its overseas presence in 4 countries Singapore, Hongkong, Thailand and Srilanka.

The Bank has also sponsored Odisha Gramya Bank in Odisha.

Key Highlights

- The Bank has 86 years of service excellence in Banking
- Strong Domestic presence of 3220 Branches & 3477 ATMs and 3190 Business Correspondents provide extended reach to customers.
- 58% of Branches catering to the needs of Rural and Semi Urban centres enhancing deeper Financial Inclusion.
- A strong Brand name in South India especially in the State of Tamil Nadu.
- Trust of 40 million active customers.
- Overseas Presence with 4 Branches
- Sustained Growth in Low cost CASA deposits , performance in Retail, Agri and MSME Segments contributing to 69.81% of Domestic Advances.

Bank's Operations

Domestic Deposits:

The Bank's total domestic deposits stood at Rs.254324 Crores as on 31st March 2023 as against Rs.256890 Crores as on 31st March 2022. The domestic CASA has increased from Rs. 112007 Crores as on 31st March 2022 to Rs. 112093 Crores as on 31st March 2023. It is also to mention that the domestic savings bank deposits have grown from Rs.96276 Crores as on 31st March 2022 to Rs.97211 Crores as on 31st March 2023. The domestic CASA% also improved to 44.07% as of March 2023.

Domestic Advances:

With a view to diversify the risk and to improve the margins, the Bank focused more on Retail, Agri and MSME sectors during the fiscal year. The Domestic Gross Advances stood at Rs.173669 Crores as on 31st March 2023 as against Rs.143202 Crores as

कि घरेलू सकल अग्रिम 21.28% बढ़ा है।

विदेशी परिचालन:

31 मार्च 2023 तक बैंक के विदेशों में 5 प्रतिष्ठान हैं, जिनमें 4 विदेशी शाखाएं और 1 संयुक्त उद्यम सहायक कंपनी शामिल है। सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक और कोलंबो में बैंक की एक-एक शाखा है। इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद- बैंक ऑफ बड़ौदा, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक संयुक्त उद्यम, मलेशिया में काम कर रहा है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, विदेशी परिचालनों के युक्तिकरण के भाग के रूप में, बैंक ने सेरांगून, सिंगापुर में विप्रेषण केंद्र के अपने परिचालनों को बंद कर दिया है।

विदेशी कारोबार (जेवी-आईआईबीएमबी को छोड़कर) 31 मार्च 2022 तक 17,868 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2023 तक 21,899 करोड़ रहा। जेवी-आईआईबीएमबी का कारोबार 31 मार्च 2023 तक रु 531.93 करोड़ रहा।

ट्रेजरी परिचालन व निवेश

ट्रेजरी परिचालन

137.57 करोड़ रुपये के लेखांकन श्रेणी अंतरण हानि से पहले निवेशों की बिक्री पर लाभ 2022-23 के दौरान 249.86 करोड़ रुपए था, जबकि पिछले वर्ष यह 191.52 करोड़ रुपये था। विदेशी मुद्रा व्यापार से विनिमय पर लाभ पिछले वर्ष के 877.99 करोड़ रुपये की तुलना में 536.65 करोड़ रुपये रहा।

निवेश

बैंक का शुद्ध निवेश 31 मार्च 2023 को रु. 94,170.41 करोड़ रुपए जबकि 31 मार्च 2022 को यह 98,179.31 करोड़ रुपए था। प्रतिभूतियों की बिक्री और विनिमय पर लाभ सहित कुल लाभ रु. वर्ष 2021-22 में रु.1,809.67 करोड़ की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान 786.51 करोड़ रहा। वर्ष के दौरान 10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल 6.84% से बढ़कर 7.31% हो गया है।

एमएसएमई

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रसार और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम 2006) को अधिनियमित किया। यह अधिनियम 02.10.2006 से लागू हो गया और दिनांकित 26 जून 2020 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-26062020-220191 द्वारा नए मानदंड को अधिसूचित किया गया।

आरबीआई ने अपने सूचना पत्र संख्या आरबीआई/2020-21/10 एफआईडीडी.एमएसएमई एंड एनएफएस.बीसी.सं.3/06.02.31/2020-21, दिनांक 02.07.2020 के जरिए एमएसएमई के रूप में उद्यमों के वर्गीकरण के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के बारे में सूचित किया है जो जुलाई 01, 2020 से प्रभावी रूप से लागू हो गए हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा के संबंध में आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-2022/67एफआईडीडी.एमएसएमई एंड एनएफएस.बीसी.सं.13/06.02.31/2021-22 दिनांकित 07.07.2021 के जरिए- खुदरा और थोक व्यापार को जोड़ा है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विभिन्न श्रेणियों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

वर्ग	संयत्र व मशीनरी में निवेश / उपकरण लागत	टर्नओवर
सूक्ष्म	₹1.00 करोड़ तक	₹.5.00 करोड़ तक
लघु	₹.1.00 करोड़ से ऊपर व ₹10.00 करोड़ तक	₹.5.00 करोड़ से ऊपर व ₹.50.00 करोड़ तक
मध्यम	₹.10.00 करोड़ से ऊपर व ₹.50.00 करोड़ तक	₹.50.00 करोड़ से ऊपर व ₹.250.00 करोड़ तक
विनिर्माण एवं सेवा उपक्रमों के लिए निवेश एवं टर्नओवर की शर्तें एक समान कर दी गई हैं		

एमएसएमई का प्रदर्शन:

31 मार्च 2023 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को क्रेडिट का हिस्सा 18% की साल-दर-साल वृद्धि दर्ज करते हुए 34856 करोड़ रुपये रहा।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत 4,100 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में 31 मार्च 2023 तक 4,771.07 करोड़ रुपये के 549580 ऋण स्वीकृत किए और 4,739.51 करोड़ रुपये वितरित किए। मुद्रा सुविधा डेस्क बनाया गया है और सभी शाखाओं में मुद्रा नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 88.61 करोड़ रुपये की राशि के 391 ऋण स्वीकृत किए हैं।

बैंक ने 86260 पीएम स्वनिधि आवेदनों को, जिनकी कुल राशि 107.87 करोड़ रुपये है, मंजूरी दी है और योजना शुरू होने की तारीख यानी 02.07.2020 से 31.03.2023 तक 104.39 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं।

बैंक ने ईसीएलजीएस योजना के तहत रु.5,291.67 करोड़ की राशि के 172886 ऋण स्वीकृत किए हैं और रु.5,015.28 करोड़ संवितरित किए हैं।

31 मार्च, 2023 तक, बैंक द्वारा स्वीकृत सूक्ष्म और लघु क्षेत्र को संपार्श्विक मुक्त ऋण 80892 खातों तक बढ़ गया, जिसमें सीजीटीएमएसई योजना से गारंटी कवर के तहत रु. 3,866 करोड़ की बकाया राशि थी।

बैंक ने सीजीएफएमयू योजना से गारंटी कवर के तहत मुद्रा योजना (रु. 10.00 लाख तक की ऋण राशि) के तहत स्वीकृत सभी खुदरा व्यापार अग्रिमों को सुरक्षित करने के लिए एनसीजीटीसी के सदस्य ऋणदाता संस्थान के रूप में नामांकित कराया है। 31 मार्च, 2022 तक, हमने सीजीएफएमयू योजना के तहत 1779.08 करोड़ रुपये के जोखिम वाले 88024 खातों को कवर किया है। 31 मार्च, 2023 तक, हमने सीजीएफएमयू योजना के तहत 1933 करोड़ रुपये के जोखिम वाले 91943 खातों को कवर किया है।

बैंक ने आरबीआई के नए ढांचे के तहत "एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास पर नीति" भी लागू की है और तनाव के तहत एमएसएमई इकाइयों को राहत देने पर विचार करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में समितियों का गठन सुनिश्चित किया है।

on 31st March 2022. It is noteworthy to mention that the Domestic Gross Advances have grown by 21.28%

OVERSEAS OPERATIONS:

The Bank has 5 establishments abroad, including 4 Overseas Branches, and 1 Joint Venture Subsidiary as on 31st March 2023. The Bank has one Branch each at Singapore, Hong Kong, Bangkok and Colombo. India International Bank (Malaysia) Berhad- a Joint Venture of Bank of Baroda, Indian Overseas Bank and Union Bank of India, is functioning at Malaysia.

During the year 2022-23, as part of rationalization of overseas operations, Bank has closed its operations of Remittance Centre at Serangoon, Singapore.

The Overseas Business (except JV-IIBMB) stood at Rs. 21,899 Crore as of 31st March 2023 as compared to Rs. 17,868 Crore as of 31st March 2022. Business of JV-IIBMB stood at Rs. 531.93 Crore as of 31st March 2023.

TREASURY OPERATIONS & INVESTMENTS

TREASURY OPERATIONS

The profit on sale of investments was at Rs.249.86 crores during 2022-23 (Rs.931.68 Crores during 2021-22) before accounting category transfer loss at Rs.137.57 crores as against Rs.191.52 crores in the previous year. The profit on exchange from Forex business stood at Rs.536.65 crores as against Rs.877.99 crores in the previous year.

Investments

Net investments of the Bank were at Rs. 94,170.41 crores as of 31st March 2023 as against Rs.98,179.31 crores as on 31st March 2022. Total Profit including sale of securities & profit on exchange amounted to Rs. 786.51 crores during the year 2022-23 as against Rs.1,809.67 crores during the year 2021-22. 10-year Benchmark yield has moved up from 6.84% to 7.31% during the year.

MSME

In order to facilitate the promotion and development of Micro, Small and Medium Enterprises, the Government of India enacted THE MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT ACT 2006 (MSMED ACT 2006). The Act became operational from 02.10.2006 and further notified the new criteria vide Gazette Notification No CG-DL-E-26062020-220191 dated June 26.2020.

RBI vide their communication letter no RBI/2020-21/10 FIDD. MSME&nfs.bc.no3/06.02.31/2020-21, dated 02.07.2020 advised the revised guidelines for classification of an Enterprises as MSME which have come into force w.e.f July1,2020.

RBI vide Circular No. RBI/2021-2022/67FIDD.MSME&NFS. BC.No.13/06.02.31 /2021-22 dated 07.07.2021, with respect to Definition of Micro, Small and Medium Enterprises – Addition of Retail and Wholesale Trade.

Various categories of Micro, Small and Medium Enterprises are defined as under:

Category	Investment in Plant and Machinery/ Equipment Cost	Turn Over
Micro	Up to Rs.1.00 Crore	Up to Rs.5.00 Crore
Small	Above Rs.1.00 Crore & Up to Rs.10.00 Crore	Above Rs.5.00 crore & Up to Rs.50.00 Crore
Medium	Above Rs.10.00 crore & Up to Rs.50.00 Crore	Above Rs.50.00 crore & Up to Rs.250.00 Crore
The Investment & Turnover criteria made uniform for both Manufacturing and Service Enterprises		

MSME Performance:

The share of credit to Micro, Small and Medium Enterprises stood at Rs.34856 crores as on 31st March 2023 registering Y-o-Y growth of 18%.

Bank has sanctioned 549580 loans amounting to Rs.4,771.07 crore and disbursed Rs.4,739.51 crore as on 31st March 2023 vis-à-vis target of Rs.4,100 crores under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) during the Financial Year 2022-23. MUDRA facilitation desk is created and Mudra Nodal Officer is designated at all Branches.

Bank has sanctioned 391 loans amounting to Rs.88.61 crore under Stand Up India Scheme during the FY 2022-23.

Bank has sanctioned 86260 PM SVANidhi applications amounting to Rs.107.87 Crs and disbursed Rs.104.39 Crs from the scheme launched date i.e.02.07.2020 till 31.03.2023.

Bank has sanctioned 172886 loan amounting to Rs.5,291.67 Crs and disbursed Rs.5,015.28 Crs under ECLGS Scheme.

As on 31st March 2023, collateral free loans to Micro and Small Sector sanctioned by the Bank increased to 80892 accounts with outstanding amount of Rs.3,866 crores under the guarantee cover from CGTMSE scheme.

Bank has enrolled as Member Lending Institution with NCGTC to secure all Retail Trade advances sanctioned under MUDRA Scheme (Loan amount upto Rs.10.00 lakh) under the guarantee cover from CGFMU Scheme. As on 31st March 2022, we have covered 88024 accounts with an exposure of Rs.1779.08 crore under CGFMU Scheme. As on 31st March 2023, we have covered 91943 accounts with an exposure of Rs.1933 crore under CGFMU Scheme.

Bank has also implemented the "Policy on Revival and Rehabilitation of MSMEs" under the New Frame work of RBI and ensured formation of committees at all Regional Offices to consider extending Relief to MSME units under Stress.

विशेषीकृत एमएसएमई एवं केंद्रित शाखाएं:

विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने पूरे भारत में 22 विशिष्ट एसएमई शाखाएं खोली हैं। इसके अलावा, हमने एमएसएमई विकास क्षमता वाली 144 एमएसएमई शाखाओं की पहचान की है और उन्हें एमएसएमई केंद्रित शाखाओं के रूप में नामित किया है।

1. ये शाखाएँ आवश्यक बुनियादी ढाँचे और कर्मचारियों की उचित व्यवस्था से सुसज्जित हैं।
2. हमने एमएसएमई ऋण पर शाखा प्रमुखों/क्रेडिट अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है।
3. हमने सभी शाखाओं में एक एमएसएमई संबंध अधिकारी नामित किया है।
4. विशेष लक्ष्य निर्धारित करना तथा प्रगति की नियमित निगरानी करना।

लीड जेनरेशन:

शाखाओं को लीड यानी स्टैंडअपमित्र/उद्यमीमित्र पोर्टल में बैंक को चिह्नित आवेदन देखने और कैप्चर करने के लिए लॉगिन एक्सेस प्रदान किया गया है। आइओबी में ऑनलाइन शाखाओं को जीएसटी लीड का प्रसंस्करण और अंकन प्रदान किया गया है और इस प्रकार आवेदनों का त्वरित प्रसंस्करण और निपटान सुनिश्चित किया गया है। हम मौजूदा ग्राहक आधार के माध्यम से उनके आपूर्तिकर्ताओं/रिश्तेदारों/दोस्तों आदि से संपर्क करके और अपनी सेवाओं की पेशकश करके व्यवसाय की मांग कर रहे हैं।

फील्ड स्तर पर पदनामित एमएसएमई अधिकारी :

बैंक ने कई कदम उठाए हैं और सभी स्तरों पर एमएसएमई क्रेडिट प्रस्तावों को संसाधित करने के लिए टर्नअराउंड समय (टीएटी) को कम किया है। बैंक ने एमएसएमई ऋणों की त्वरित स्वीकृति और एनपीए खातों के अनुवर्तन के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में एमएसएमई नोडल अधिकारी नामित किए हैं।

सभी शाखाओं (एकल व्यक्ति वाली शाखाओं को छोड़कर) में एमएसएमई विपणन अधिकारियों की पहचान/पदनामित कर दिया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों में विपणन अधिकारी/एमएसएमई नोडल अधिकारी सभी शाखाओं/ग्राहकों के साथ समन्वय कर रहे हैं।

प्रशिक्षण एवं विकास :

बैंक तमिलनाडु और केरल राज्यों में फैले 12 आरसेटी में विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला लाभार्थियों को आवश्यक प्रशिक्षण/हैंड होल्ड सहायता प्रदान कर रहा है और मुद्रा/स्टैंड अप इंडिया योजनाओं के तहत क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से उनकी वित्तीय जरूरतों के लिए भी सहायता कर रहा है और उन्हें लाभकारी रोजगार लेने में सुविधा प्रदान कर रहा है।

बैंक ने प्रतिष्ठित संगठनों जैसे एनआईबीएम / बीक्यू ग्लोबल के साथ टाई--अप व्यवस्था की है और नियमित रूप से स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। बैंक पूरे भारत में कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्रों में कार्यशालाएं भी आयोजित कर रहा है और एमएसएमई नियामक दिशानिर्देशों, योजनाओं और सरकार के बारे में कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा कर रहा है। प्रायोजित योजनाएं जैसे मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया, पीएमईजीपी आदि, नियमित आधार पर आरबीआई द्वारा आयोजित एनएएमसीएबीएस कार्यशालाओं में कर्मचारियों को नामांकित कर रहा है।

psbloansin59minutes.com

बैंक ने www.psbloansin59minutes.com पोर्टल पर फाइनेंसर के रूप में मौजूद है। यह प्लेटफॉर्म 500.00 लाख रुपये तक के एमएसएमई ऋण प्रस्तावों को संभालता है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म 10 लाख रुपये तक के मुद्रा लोन को हैंडल करता है। हम अपने सभी मौजूदा और साथ ही नए ग्राहकों को जीएसटी के तहत पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और अपनी क्रेडिट जरूरतों को पूरा करने के लिए प्लेटफॉर्म पर आने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं।

जन समर्थ पोर्टल:-

बैंक ने जन समर्थ पोर्टल - सभी क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं (आत्मनिर्भर परियोजना) के लिए राष्ट्रीय पोर्टल पर ऑन-बोर्ड किया है। यह मंच केंद्र सरकार की 13 योजनाओं की सुविधा देता है।

टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म के जरिए बिल डिस्काउंटिंग: -

बैंक ने आरएक्सआईएल, ए ट्रेड और एम1एक्सचेंज के साथ करार किया है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एमएसएमई की प्राप्य राशि के लिए टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म में भाग लेते हुए सदस्य के रूप में नामित किया है।

वित्त वर्ष 2022-23 में, टीआरईडीएस लेन-देन से निपटने के लिए नामित शाखाओं की संख्या भी चार से पांच शाखाओं तक बढ़ गई। 31.03.2023 तक सभी टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म के तहत बकाया 2489.61 करोड़ रुपये था।

शाखा नाम	मार्च 2022 तक शेष	मार्च 2023 तक शेष	विकास %
नरीमन प्वाइंट शाखा, मुंबई	195.39	598.88	207%
वृहत् कॉरपोरेट शाखा, हैदराबाद	115.63	650.35	462%
अंतरराष्ट्रीय बिजनेस शाखा, कोलकाता -1	125.14	515.2	312%
डिफेंस कॉलोनी शाखा, दिल्ली	126.5	652.09	415%
कथीड्रल शाखा, चेन्नै (तमिलनाडु टीआरईडीएस हेतु)	0	73.09	--
कुल	**562.66**	**2489.61**	**342%**

सह-उधार:-

- बैंक ने सह-उधारी पर पहले ही नीति तैयार कर ली है। बैंक ने निम्नलिखित एनबीएफसी के साथ एमएसएमई ऋणों के लिए सह-उधार समझौते किये हैं।
  - मेसर्स वेदिका क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड
  - मेसर्स यूग्रो कैपिटल लिमिटेड
  - इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड
  - इनक्रेड फाइनेंशियल लिमिटेड
  - इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट्स लिमिटेड, एमएसएमई

Specialized MSME and Focused Branches:

As per the Regulatory guidelines, Bank has opened 22 Specialized SME branches across PAN India. In addition to that, we have identified 144 MSME Branches with MSME growth potential and designated them as MSME Focused Branches.

1. These branches are equipped with necessary infrastructure and proper manning of staff.
2. We have imparted training to the Branch Heads / Credit Officers on MSME lending.
3. We have designated one MSME Relationship Officer in all the Branches.
4. Assigned special targets and monitoring the progress regularly.

Lead Generation:

Branches have been provided with login access to view and capture the leads i.e., applications marked to the Bank in Standupmitra / Udyamimitra portal. Processing and marking of GST leads has been provided to branches in IOB online and thereby ensure quick processing and disposal of the applications. We are soliciting business through the existing client base by approaching their suppliers/relatives/friends etc., and offering our services.

Designated MSME Officers at Field Level.

Bank has taken various steps and reduced the turnaround time (TAT) for processing the MSME credit proposals at all layers. Bank has designated MSME Nodal Officers at all Regional Offices to facilitate quick sanction of MSME loans and follow up of NPA accounts.

MSME Marketing Officers have been identified / designated in all the branches (excluding single man branches). Marketing Officers / MSME Nodal Officers at Regional Offices have been coordinating with all the branches / customers.

Training and Development

Bank has been organizing Special Training Camps at 12 RSETIs spread across Tamil Nadu and Kerala states, providing necessary training / hand hold support to SC, ST, Women beneficiaries and also supporting them for their financial needs through credit linkage under Mudra / Stand Up India Schemes and facilitating them to take up gainful employment.

Bank has entered Tie-Up arrangement with reputed organizations viz., NIBM / B Q Global and providing training to the staff members regularly. Bank is also conducting workshops in Staff Training Centre's across PAN India and creating awareness among the staff on MSME regulatory guidelines, schemes and Govt. sponsored schemes viz., Mudra, Stand Up India, PMEGP etc., nominating staffs to the NAMCABS workshops organized by RBI on a regular basis.

psbloansin59minutes.com

Bank has on-boarded as financier in the **www.psbloansin59minutes.com** portal. The platform handles MSME loan proposals up to Rs.500.00 lakh. Further the platform handles Mudra Loan up to Rs.10 lakh. We are encouraging all our existing as well as new customers for registration under GST and also for on boarding the platform to support their credit needs.

Jan Samarth Portal:

Bank has on-boarded Jan Samarth Portal - National Portal for all Credit Linked Government Schemes (AatmaNirbhar Project). The platform facilitates 13 Central Government Schemes.

Bill Discounting through TReDS Platform:

Bank has entered a Tie up arrangement with RXIL, A Trade and M1Xchange and enrolled as member, participating in the TReDS platform for financing against receivables of MSMEs in the online platform.

In the FY 2022-23, the number of designated braches for dealing the TReDS transactions also increased from four to five branches. The outstanding under all the TReDS platform stood Rs.2489.61 crores as on 31.03.2023.

Branch Name	Outstanding as on Mar'22	Outstand-ing as on Mar'23	Growth %
Nariman Point Branch, Mumbai	195.39	598.88	207%
Large Corporate Branch, Hyderabad	115.63	650.35	462%
International Business Branch, Kolkata -1	125.14	515.2	312%
Defence Colony Branch, Delhi	126.5	652.09	415%
Cathedral Branch, Chennai (For TN TReDS)	0	73.09	--
Total	**562.66**	**2489.61**	**342%**

Co-Lending:

- Bank has already formulated the policy on Co-lending. Bank has entered Co-lending arrangement with the following NBFCs for MSME loans.
  - M/s Vedika Credit Capital Limited
  - M/s Ugro Capital Limited
  - Electronica Finance Limited
  - InCred Financial Ltd
  - India Bulls Commercial Credits Ltd, MSME

- आईआईएफएल समस्ता फाइनेंस लिमिटेड
- सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड
- एस के फाइनेंस लिमिटेड

क्लस्टर फाइनेंस: -

बैंक ने पूरे भारत में नौ संभावित समूहों की पहचान की है, एमएसएमई ऋण को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं तैयार की हैं और ऐसे और समूहों की पहचान करने की प्रक्रिया में है।

सेरामिक उद्योग	मोरवी, गुजरात राज्य
कपड़ा उद्योग	कोयंबत्तूर, तमिलनाडु राज्य
इंजीनियरिंग गुड्स	कोयंबत्तूर, तमिलनाडु राज्य
ऑटो कंपोनेंट्स	चेन्नै / काँचीपुरम, तमिलनाडु राज्य
ऑटो कंपोनेंट्स	एनसीआर दिल्ली
इंजीनियरिंग एंड पैकेजिंग	एनसीआर दिल्ली
प्लाईवुड उद्योग	पेरुंबवूर, केरल राज्य
होज़री / कपड़ा	लुधियाना, पंजाब राज्य
ऑटो / बाइ-साइकिल कंपोनेंट्स	लुधियाना, पंजाब राज्य

आइओबी ऑनलाइन में एमएसएमई पोर्टल

नवीनतम जानकारी के साथ शाखाओं / क्षेत्रों की सुविधा के लिए एमसएसएमई से संबंधित बैंक / विनियामक दिशानिर्देशों पर सभी नवीनतम अद्यतन के साथ आइओबी ऑनलाइन में विशेष एमएसएमई पोर्टल बनाया गया है।

डिजिटल एवं तकनीकी पहलें: -

विभाग द्वारा निम्नलिखित तकनीकी एवं डिजिटल पहलें की गई हैं

ऋण आवेदन पंजीकरण के साथ ई-ट्रैकिंग:

बैंक ने ई-ट्रैकिंग सुविधा के साथ ऋण आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है। सिस्टम के माध्यम से सभी ऋण आवेदनों को दर्ज करना अनिवार्य है। सिस्टम एक विशिष्ट आईडी संख्या उत्पन्न करता है, जिसे प्रस्तावों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए सभी प्रस्तावों में शामिल किया जाना है। सिस्टम निकट अनुवर्ती/निगरानी के लिए प्राधिकरण के सभी स्तरों पर एसएमएस अलर्ट, ई-मेल अनुस्मारक उत्पन्न करता है और अस्वीकृति को रोकने के अलावा टीएटी में सुधार करने की सुविधा प्रदान करता है।

➢ **रु 10.00 लाख तक के ऋणों का आटोमेशन: -**

बैंक ने रु. 10.00 लाख तक की ऋण राशि के लिए एमएसएमई ऋण प्रसंस्करण को स्वचालित किया है और इसे सीबीएस प्रणाली (फिनेकल) के साथ शुरू से अंत समाधान के साथ एकीकृत किया है। यह प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ता को डेटा शीट में आवश्यक बुनियादी जानकारी दर्ज करके रेटिंग, निरीक्षण रिपोर्ट, प्रक्रिया नोट, स्वीकृति, दस्तावेज़ीकरण, ऋण मास्टर निर्माण आदि उत्पन्न करने के लिए समर्थन करता है। यह उधार देने के संरचित तरीके को सुगम बनाता है और नीतिगत दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है, कम टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) के साथ प्रस्तावों का त्वरित निपटान करता है। 10.00 लाख रुपये तक के सभी ऋण पूरी तरह से स्वचालित हैं।

➢ **समाधान ढांचे के अंतर्गत एमएसएमई ऋणों का ऑनलाइन संसाधन:**

त्वरित संसाधनीकरण के लिए बैंक ने समाधान ढांचा 2 के तहत 10.00 लाख रुपये तक के एमएसएमई ऋणों के पुनर्गठन की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन उत्पाद लागू किया है।

➢ **आइओबी एसएमई ईज़ी और आइओबी ईटीएफ योजनाओं के अंतर्गत ऋणों की ऑनलाइन प्रक्रिया**

चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने आइओबी एसएमई ईज़ी योजना और आईओबी ईटीएफ योजना के तहत 10.00 लाख रुपये से 5.00 करोड़ रुपये तक के प्रस्ताव की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है। प्लेटफॉर्म को स्वचालित आंकलन, रेटिंग, ऑफिस नोट सृजित करने और स्वीकृति के साथ डिजाइन किया गया है।

➢ **ऋण आवेदन पंजीकरण के लिए डिजिटल चैनल की शुरुआत**

इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस, मिस्ड कॉल, आईवीआरएस और बैंक वेबसाइट एमएसएमई ऋण के लिए आवेदन सक्षम कर रहे हैं। ये चैनल हर महीने करीब 1100 लीड सृजित कर रहे हैं।

➢ **एमएसएमई ऋण लीड्स के लिए समर्पित कॉल सेंटर**

हमने कॉल सेंटर कार्यकारी नियुक्त किए हैं और उनकी सेवाओं का उपयोग सौंपे गए टीएटी के आधार पर लीड्स को संभालने के लिए किया जाता है। मौके पर पात्रता जांच और ग्राहक की पसंद के आधार पर शाखाओं में आवेदन भेजने के साथ दैनिक आधार पर करीब 50 लीड्स को हैंडल किया जा रहा है।

➢ **ऋण आवेदनों के लिए नए चैनल:**

बैंक ऋण आवेदन के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग व चैट बॉट सहायता शुरू करने की प्रक्रिया में है। ये चैनल ऋण अनुरोधों के सुचारू हस्तांतरण के लिए विश्लेषण आधारित प्रणाली का उपयोग करेंगे।

➢ **एलओएस व एलएमएस**

बैंक सुविधाजनक एलओएस और एलएमएस लाने की प्रक्रिया में है और पहले चरण में कुछ एमएसएमई ऋण कवर किए जाएंगे। यह पहल ग्राहकों के वास्तविक समय अधिग्रहण के साथ हमारे एमएसएमई सेगमेंट को बढ़ावा देगी ।

रीटेल बैंकिंग

रिटेल क्रेडिट पोर्टफोलियो के तहत कुल बकाया मार्च 2022 के 36961 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2023 तक 42400 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त 8.09% की वृद्धि की तुलना में 14.72% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। घरेलू अग्रिमों में कुल खुदरा हिस्सेदारी 24.41% है।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त 15.94% वृद्धि की तुलना में आवास ऋण पोर्टफोलियो ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 17.73% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की। समीक्षा अवधि के दौरान स्वीकृत नए आवास ऋण 24872 खाते हैं, जिनकी राशि 6398.80 करोड़ रुपये है। कुल संवितरण 6236.32 करोड़ रुपये रहा।

- IIFL Samasta Finance Limited
- CSL Finance Ltd
- SK Finance Ltd

Cluster Finance:

Bank has identified nine potential Clusters pan India, formulated special schemes to promote MSME credit and also is in the process of identifying more such Clusters.

Ceramic Industry	Morvi, Gujarat State
Textiles Industry	Coimbatore, Tamil Nadu State
Engineering goods	Coimbatore, Tamil Nadu State
Auto components	Chennai / Kancheepuram, Tamil Nadu State
Auto components	NCR Delhi
Engineering & Packaging	NCR Delhi.
Plywood Industry	Perumbavoor, Kerala State
Hosiery / Textiles	Ludhiana, Punjab State
Auto / Bicycle components	Ludhiana, Punjab State

MSME Portal in IOB ONLINE

Exclusive MSME portal created in IOB ONLINE with all the latest updates on Bank/Regulatory guidelines related to MSME, to facilitate Branches / Regions with the latest information.

Digital and Technology Initiatives:

The following Digital and Technology Initiatives are taken by the Department

➢ **Loan Application Register with e-Tracking:**

Bank has introduced online registration of loan applications with e-tracking facility. It is mandatory to enter all loan applications through the system. The system generates a Unique ID number, which is to be incorporated in all proposals to track the status of the proposals. The system generates SMS alerts, e-mails reminders to all layers of authority for close follow up /monitoring and facilitates to improve the TAT besides containing the rejections.

➢ **Automation of Loan upto Rs 10.00 lakh:**

Bank has automated the MSME loan processing for loan amount up to Rs.10.00 lakh and integrated it with the CBS system (Finacle) with end to end solution. The platform supports the user for generating Rating, Inspection Reports, Process Note, Sanction, Documentation, Loan Master creation etc., simply by keying in the required basic information in the data sheet. This facilitates structured way of lending and ensures compliance of the policy guidelines, quick disposal of proposals with reduced Turnaround Time (TAT). All the loan upto Rs 10.00 lakh are fully automated.

➢ **Online Processing of Restructuring of MSME Loans under Resolution Framework:**

Bank has implemented online product for processing of Restructuring of MSME Loans upto Rs 10.00 lakh under Resolution Frame Work 2 for faster TAT.

➢ **Online Process of Loans under the Scheme IOB SME Easy and IOB ETF Schemes**

During the Current FY Bank has introduced online processing of proposal from Rs 10.00 laks to Rs 5.00 crores under IOB SME Easy scheme and IOB ETF Scheme. The platform is designed with Automated Assessment, Rating, Office Note generation and Sanction.

➢ **Launch of Digital Channel for Loan Application Registration**

Internet Banking, Mobile Banking, SMSs, Missed Calls, IVRS and Bank websites are enabling applications for MSME Loans. These channels are making up close to 1100 leads per month.

➢ **Dedicated Call Center for MSME Loan Leads**

We have appointed call center executive and their services are utilized to handle the leads on the basis of TAT assigned. Close to 50 leads are being handled on daily basis with on the spot eligibility check and application escalation to the branches on the basis of customer's choice.

➢ **New Channels for Loan Applications:**

Bank is in the process of launching whatsapp banking and Chat Bot assistance for loan application. These channels will be utillising analytics based system for smooth transitioning of loan requests.

➢ **LOS and LMS**

Bank is in process of bringing sophisticated LOS and LMS and in the first Phase few MSME loans will be covered. This initiative will boost our MSME segment with real time acquisition of customers.

RETAIL BANKING

The total outstanding under Retail Credit Portfolio increased from Rs. 36961 crores as of March 2022 to Rs. 42400 Crores as on March 2023 registered Y-o-Y growth of 14.72 % as compared to 8.09 % growth achieved during FY2021-22. The overall Retail share to domestic advances is 24.41 %.

Housing Loan Portfolio Registered Y-o-Y growth of 17.73 % during FY 2022-23 as compared to 15.94% growth achieved during FY 2021-22. Fresh Housing Loans sanctioned during the review period are 24872 accounts, amounting to

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त 1.50% वृद्धि की तुलना में वाहन ऋण पोर्टफोलियो ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान वर्ष-दर-वर्ष 7.42% की वृद्धि दर्ज की है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पर्सनल लोन पोर्टफोलियो ने 40.37% की ग्रोथ दिखाई है

मौजूदा योजना में संशोधन: शाखाओं की मांग और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और बाजार में अन्य बैंकों की पेशकशों के अनुरूप, हमने इनपुट इकट्ठा किया है और अपने मौजूदा उत्पादों को संशोधित किया है और उन्हें प्रतिस्पर्धी उत्पाद के रूप में बाजार में ले जाने के लिए तैयार किया है।

1. आवास ऋण:

क. 18 महीने के मौजूदा अधिस्थगन मानदंडों में संशोधन किया गया। इसे दो भागों में विभाजित किया गया था। प्लॉट की खरीद के लिए मोराटोरियम और कंस्ट्रक्शन मोराटोरियम की अवधि 18 महीने है और निर्माणाधीन फ्लैट की खरीद के लिए यह फ्लोर पर आधारित था यानी 7वीं मंजिल तक (24 महीने), 7 मंजिल से ज्यादा 14 मंजिल से कम (30 महीने), 14 से ज्यादा 21 मंजिलों से कम (36 महीने) और 21 मंजिलों से अधिक (48 महीने)।

ख. ऋण प्रस्ताव को मजबूत करने के लिए आय पात्रता को संशोधित किया गया जैसा कि निश्चित सेवा में होना चाहिए, ऋण पात्रता की गणना के लिए न्यूनतम दो वर्ष का आईटीआर और टीएचपी मानदंड या न्यूनतम 3 महीने की नवीनतम वेतन पर्ची जिसके आधार पर पिछले तीन महीनों के आधार पर सकल औसत मासिक आय निकाली जानी है औसत वेतन कटौती नवीनतम माह के वेतन पर्ची पर आधारित होगी।

2. होम इंप्रूवमेंट स्कीम:

क. ऋण की अधिकतम मात्रा 15.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।

ख. अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि और अधिकतम आयु क्रमशः 144 इएमआई और 60 वर्ष से बढ़ाकर 180 इएमआई और 70 वर्ष कर दी गई है।

3. होम एडवांटेज स्कीम:

क. यदि आवेदक या सह-आवेदक के पास हमारे बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान के साथ दो आवास ऋण हैं, तो मौजूदा मानदंड, एकल आवेदक के लिए सीआरई श्रेणी के तहत अधिकतम 3 ऋणों को मानदंडों के साथ संशोधित किया गया है जैसे कि एक व्यक्ति (निवासी / एनआरआई) के पास दो या अधिक घर हैं (घर/फ्लैट) अकेले या संयुक्त रूप से, फिर तीसरे घर के लिए एक्सपोजर को सीआरई होम लोन स्कीम (होम एडवांटेज स्कीम) के तहत माना जाता है। इस योजना में एक आवेदक को एकल या संयुक्त रूप से अधिकतम 3 आवास ऋण स्वीकृत किए जा सकते हैं।

ख. ऋण प्रस्तावों को मजबूत करने के लिए आय पात्रता में यह संशोधन किया गया कि "वेतन भोगी श्रेणी के उधारकर्ताओं के लिए, वे स्थाई सेवा में होने चाहिए, न्यूनतम दो वर्षों का आई-टीआर या न्यूनतम छह माह की वेतन स्लिप, सकल औसत मासिक आय जिसकी गणना पिछले तीन महीने के औसत वेतन के आधार पर की जाएगी और टीएचपी शर्तों एवं ऋण पात्रता का परिकलन करने के ताजा माह की सैलरी स्लिप की कटौती को आधार बनाया जाएगा।" "स्वरोज़गार/कारोबारी/प्रोफेशनल इत्यादि के लिए पिछले दो वर्षों के आईटीआर में सकल औसत को आय के तौर पर लिया जाएगा।"

4. एनआरआई हाउसिंग लोन:

क. मरम्मत और नवीनीकरण के लिए वित्त की मात्रा जो 5.00 लाख रुपये थी और चुकौती अवधि जो 60 महीने थी उसे संशोधित कर क्रमशः 25.00 लाख रुपये और 180 महीने कर दिया गया।

ख. चुकौती अवधि को 180 महीने से बढ़ाकर 20 वर्ष या 60 वर्ष की निकासी स्तर की आयु (अधिस्थगन अवधि सहित) जो भी पहले हो, तक कर दिया गया है।

5.शुभगृह टॉप अप लोन:

क. न्यूनतम 12 ईएमआई के मौजूदा मानदंडों का भुगतान किया जाना चाहिए और ऋण की तारीख से 2 वर्ष पूरा किया जाना चाहिए (टेकओवर वाले होम लोन के लिए) को संशोधित किया गया क्योंकि न्यूनतम 12 ईएमआई का भुगतान किया जाना चाहिए और ऋण की तारीख से एक वर्ष पूरा होना चाहिए (जिस लोन का टेकओवर किया जाना है)।

ख. केवल एचएल उधारकर्ताओं के मौजूदा पात्रता मानदंडों को संशोधित किया गया था क्योंकि आवेदक/सह-आवेदक जो संपत्ति के मालिक/सह-स्वामी हैं, अनिवार्य रूप से प्रस्तावित -पत्नी, बच्चों, माता-पिता और भाई-बहनों को भी टॉप अप लोन लेने के लिए सह-उधारकर्ता/गारंटर के रूप में जोड़ सकते हैं, भले ही वे मौजूदा होम लोन का हिस्सा न हों और उनकी आय पर पात्रता मानदंड के लिए विचार किया जा सकता है।

6. होम डेकोर लोन:

क. सकल मासिक आय का पांच गुना या 2.00 लाख रुपये और सकल मासिक आय का दस गुना या 10 लाख रुपये जो भी कम हो, के मौजूदा मानदंडों को संशोधित किया गया था क्योंकि ऋण की न्यूनतम मात्रा 0.25 लाख रुपये और ऋण की अधिकतम मात्रा 15.00 लाख रुपये है।

ख. रु.2.00 लाख से अधिक और रु.15.00 लाख तक के ऋण केवल आइओबी होम लोन उधारकर्ताओं के लिए

ग. चुकौती अवधि अधिकतम 120 ईएमआई बिना किसी अवकाश अवधि के अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक।

7. वाहन ऋण:

क. नए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की खरीद के लिए ऋण का विस्तार करके इस योजना को संशोधित किया गया था और यदि वाहन प्रतिष्ठित निर्माता कंपनी से है जो वर्तमान में पेट्रोल/डीजल वाहन का निर्माण कर रही है तो इसे वित्तपोषित किया जाएगा। सीआईसी स्कोर 750>=799 होने पर ब्याज में 0.25% की रियायत, सीआईसी स्कोर 800 होने पर 0.50%

रिटेल क्रेडिट पोर्टफोलियो के तहत नए उत्पादों/पहलों की शुरुआत: शाखाओं से प्राप्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए हमने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नलिखित नए खुदरा उत्पाद/पहल शुरू किए हैं:

1. छात्रों को बैंकिंग प्रणाली से आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राजी करने के लिए और पश्चिम बंगाल

Rs 6398.80 crores. Total Disbursement stood at Rs 6236.32 crores.

Vehicle Loan Portfolio has registered Y-o-Y growth of 7.42% during the FY 2022-23 as compared to 1.50 % growth achieved during FY 2021-22.

Personal loan Portfolio has shown growth of 40.37 % during FY 2022-23.

Modification in Existing Scheme: Keeping in view the demand and requirements of branches and to line with the offerings of other Banks in the market, we have gathered inputs and have modified our existing products and to make them move in market as a competitive product.

1. Housing Loan:

a. Existing moratorium norms of 18 months was modified. It was bifurcated into two parts. Moratorium for purchase of plot and construction moratorium period is 18 months and for purchase of flat under construction it was based on floor i.e up to 7 floor (24 months), more than 7 floor less than 14 floors (30 months), more than 14 floors up to less than 21 floors (36 months) and more than 21 floors (48 months).

b. To strengthen the loan proposal the income eligibility was modified as must be in confirmed service, minimum two years ITR to calculate loan eligibility and THP norms or minimum 3 months latest salary slips based on which gross average monthly income to be arrived based on last three months average salary deduction will be based on latest month's salary SLIP.

2. Home Improvement scheme:

a. The maximum quantum of the loan was increased from Rs.15.00 Lakh to Rs.25 Lakh.

b. The Maximum repayment period and maximum age of was increased from 144 EMI and 60 years to 180 EMI and 70 years respectively.

3. Home advantage scheme:

a. The existing norms if applicant or co applicant having two housing loans with our bank or any other FI, Maximum 3 loans under CRE category for a single applicant has been modified with norms as if an individual (Resident/NRI) OWNS TWO OR MORE HOUSES (HOUSES/FLATS) Singly or jointly, then the exposure for the third house onwards is to be considered under the CRE Home Loan scheme (Home advantage Scheme). Maximum 3 housing loans can be sanctioned in this scheme to an applicant either singly or jointly.

b. To strengthen the loan proposal the income eligibility was modified as "For the salaried class categories of borrowers ,they must be in confirmed service, minimum two years ITR or Minimum Six months latest salary slips ,gross average monthly income to be arrived based on Last 3 months average salary and deduction will based on latest month's salary slip for calculating loan eligibility and THP norms." "For self-employed/ Businessman /professional etc income to be taken as Gross average of Last two years ITRS".

4. NRI Housing Loan:

a. The quantum of finance for repairs and renovation which was Rs.5.00 Lakh and repayment period which was 60 months was modified to Rs.25.00 Lakh and 180 months

b. The repayment period has been enhanced from 180 months to 20 years or up to the exit level age of 60 years (including moratorium period) whichever is earlier.

5. Subhagruha Top Up Loan:

a. The existing norms of minimum 12 EMI must have been paid and completed 2 year from the date of loan (For Home Loan to be taken over) was modified as Minimum 12 EMIs must have been paid and completed one year from the date of loan(for loan to be taken over)

b. Existing eligibility norms of only HL borrowers was modified as the applicant/co-applicant who are owners/co-owners of the property will mandatorily join the proposed TOP up loan. However, guarantors in the underlying Home Loan, who are not the co-owners of the property, may opt for not joining the proposed Top-Up Loan. Similarly, Home Loan borrowers may also add close family members such as spouse, children, parents and siblings as co borrower/guarantor for taking up Top up loan even if they are not part of existing home loan and their income can be considered for arriving the eligibility norms.

6.Home Décor Loan:

a. The existing norms of five time of gross monthly income or Rs.2.00 Lakh and ten times of gross monthly income or Rs.10 Lakh whichever is less was modified as minimum quantum of loan is Rs. 0.25 Lakh and maximum quantum of the loan is Rs.15.00 Lakh

b. For Loan above Rs. 2.00 Lakh to Rs.15.00 Lakh only for IOB Home loan borrowers

c. Repayment period Maximum 120 EMI with no holiday period subject to maximum age of 70 years.

7.Vehicle Loan:

a. The scheme was modified by extending the loan for purchase of new electric two-wheeler and the same will be financed if the vehicle is from reputed manufacturing company who are manufacturing petrol/diesel vehicle at present concession in interest by 0.25% if CIC score is 750>=799, 0.50% if the CIC score is 800.

Introduction of New Products/ Initiatives under Retail Credit Portfolio: Taking into account the inputs received from branches we have introduced the following New Retail products/Initiatives during the FY 2022-23.

1. To persuade students for pursuing higher education by facilitating them with necessary financial support from the

छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के दिशानिर्देशों के आधार पर, हमारे बैंक ने **पश्चिम बंगाल राज्य के छात्रों के लिए पश्चिम बंगाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की।**

2. 10 लाख रुपये और उससे अधिक के वाहन ऋणों के लिए रेटिंग आधारित मूल्य निर्धारण की शुरुआत, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अच्छे ग्राहकों को उनके वित्तीय अनुशासन के लिए पुरस्कृत किया जाता है।
3. अच्छे कॉर्पोरेट ग्राहकों को हमारे बैंक की ओर आकर्षित करने के लिए कंपनियों, फर्मों और गैर-व्यक्तियों को 10 लाख रुपये और उससे अधिक के वाहन ऋण के लिए रेटिंग आधारित मूल्य निर्धारण की शुरुआत।
4. खुदरा ऋण उत्पादों को जुटाने के लिए शाखाओं को संभावित सुराग प्रदान करने के लिए विश्लेषणात्मक लीड डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है।
5. अधिक नए आवास ऋण प्राप्त करने के लिए खाते की क्रेडिट रेटिंग के आधार पर 25 लाख रुपये और उससे अधिक के नए आवास ऋण के मूल्य निर्धारण की शुरुआत।
6. बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी होने के लिए, योजना, खाते की क्रेडिट रेटिंग के आधार पर 50 लाख रुपये और उससे अधिक के नए आवास ऋण का मूल्य निर्धारण शुरू किया गया था।
7. बैंक ने बेहतर प्रणाली-आधारित मूल्यांकन और अधिक ग्राहक संतुष्टि के लिए उधार देने की प्रक्रिया को बदलने के लिए डिजिटल यात्रा शुरू की है।
8. बैंक ने एलओएस के लिए वेंडर के रूप में मेसर्स सिसआर्क इन्फोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त करके एलओएस की शुरुआत की है।
9. बैंक ने ऋण लेने वालों की ऑनबोर्डिंग को सुचारू और परेशानी मुक्त बनाने के लिए पर्सनल लोन, ज्वेल लोन और व्हीकल को एलओएस में लॉन्च किया है।
10. वित्त वर्ष 2023-24 में, सभी खुदरा ऋण उत्पादों को एलओएस में लॉन्च किया जाएगा ताकि ग्राहक अपने घर/कार्यालय में आराम से सेवाओं का उपयोग कर सकें।
11. स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस जर्नी के तहत बैंक अधिक से अधिक खुदरा ऋण उत्पादों को पेश करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि ग्राहक शाखाओं में आए बिना भी ऋण उत्पादों का लाभ उठा सकें।

कॉर्पोरेट क्रेडिट

इस वित्तीय वर्ष में, मौजूदा बाजार स्थितियों में, संपत्ति की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, बैंक नई/बढ़ी हुई क्रेडिट सीमाओं को बढ़ाने में चयनात्मक रहा है।

वर्तमान परिदृश्य में, हमने संपत्ति की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया है:

- मुख्य रूप से ए और उससे ऊपर की रेटिंग वाले कर्जदारों को ऋण सुविधाएं मंजूर करना
- राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा गारंटीकृत ऋणों पर विचार करना
- प्रत्येक उद्योग, एकल उधारकर्ता, आदि के लिए आंतरिक जोखिम सीमा रखना।

आस्ति गुणवत्ता में सुधार के लिए हमारे बैंक में प्रभावी जोखिम प्रबन्धन किया जा रहा है। जोखिम प्रबंधन में जोखिम को जानना, उसे मापना और उचित शमन का उपयोग करके बैंक की जोखिम क्षमता के भीतर इसे नियंत्रित करना शामिल है। इन कारकों पर संपत्ति का अनुपालन करके, हमारी आस्ति गुणवत्ता में सुधार हो रहा है।

हमने तनावग्रस्त आस्तियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया है। संभावित नुकसान को अवशोषित करने के लिए प्रावधान एक बफर को अलग करने के साधन के रूप में कार्य करते हैं।

इस वर्टिकल के तहत, बैंक के पास 31.03.2023 तक विभिन्न प्रमुख उद्योगों और अन्य क्षेत्रों में फैले मानक फंड आधारित 52569 करोड़ रुपये का एक्स-पोजर है।

इस वित्त वर्ष 2022-23 में, हमने 2 अलग-अलग योजनाएं शुरू की हैं (मौजूदा योजना में कुछ संशोधनों के साथ) - "आइओबी रेपो लिंक्ड शॉर्ट टर्म लोन" और "आइओबी रेपो लिंक्ड लॉन्ग टर्म लोन" ताकि उनके लिए उच्च श्रेणी के उधारकर्ताओं के साथ ऋण की गुणवत्ता से समझौता किए बिना लघु, मध्यम से दीर्घावधि ऋण आवश्यकता के नए व्यवसाय को टैप किया जा सके।

प्राथमिकता क्षेत्र उधार

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए चार तिमाहियों की औसत वृद्धि रुपये 2054.32 करोड़ थी और औसत बकाया 51294.30 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 92476.77 करोड़ रुपये रहा और **बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के तहत 72.11% प्राप्त करके एएनबीसी के 40% के अनिवार्य मानदंड को** पार कर लिया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 54.78% की उपलब्धि थी।

कृषि

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए चार तिमाहियों की औसत वृद्धि रु.1612.64 करोड़ थी और औसत बकाया 23082.43 करोड़ करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 43606.78 करोड़ रुपए रहा और **बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कृषि अग्रिम के तहत 34.01% प्राप्त करके एएनबीसी के 18% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है,** जबकि पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 24.94% की उपलब्धि थी।

छोटे और मार्जिनल किसानों को ऋण

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए चार तिमाहियों की औसत वृद्धि 267.92 करोड़ रुपये थी और औसत बकाया 12182.40 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 32712.46 करोड़ रुपये रहा और **बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान छोटे/सीमांत किसानों को ऋण के तहत 25.51% प्राप्त करके एएनबी-सी के 9.5% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है**, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 17.44% की उपलब्धि थी।

गैर-कॉर्पोरेट किसानों को ऋण

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए चार तिमाहियों की औसत वृद्धि 2853.08 करोड़ रुपये थी और औसत बकाया 17606.77 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 43767.03 करोड़ रुपये रहा और **बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान गैर-कॉर्पोरेट किसानों को ऋण के तहत 34.13% प्राप्त करके एएनबी-सी के 13.73% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है**, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 22.02% की उपलब्धि थी।

सूक्ष्म उद्यमों को ऋण

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए चार तिमाहियों की औसत वृद्धि रुपये 47.21 करोड़ थी और औसत बकाया रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 22319.03 करोड़ रुपये रहा। 9618.68 करोड़ और बैंक ने **वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सूक्ष्म उद्यमों को ऋण के तहत 17.40%** प्राप्त करके एएनबीसी के 7.5% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 14.87% की उपलब्धि थी।

Banking system and based on guidelines of West Bengal Student Credit card scheme, our bank introduced **West Bengal Credit card scheme for the student of state of West Bengal.**

2. Introduction of Rating based pricing for vehicle loans of Rs 10 Lakh and above, to ensure that good customers are rewarded for their financial discipline.
3. Introduction of Rating Based pricing for Vehicle loans to companies, Firms and non-individuals Rs.10 Lakh and above to ensure good corporate clients gets attracted to our bank.
4. Analytical Lead Dashboard is launched to provide potential leads to the Branches for mobilizing Retail credit Products.
5. Introduction of pricing of Fresh Housing loan of Rs 25 Lakh and above based on credit rating of the account to garner more fresh Housing Loan.
6. To be more competitive in the market, the scheme, the pricing of Fresh Housing Loan of Rs 50 Lakh and above, based on credit rating of the account was introduced.
7. Bank has started Digital Journey to transform lending process to improved system-based assessment and for greater customer satisfaction.
8. Bank has introduced LOS by engaging M/s SYSARC Infomatics Pvt Ltd as vendor for LOS.
9 Bank has launched personal loan, Jewel Loan and Vehicle in LOS to make borrower's onboarding smooth and hassle free.
10. In FY 2023-24, all retail loan products will be launched in LOS so that customers could utilize services from comfort of their house/office.
11. Bank is also focusing to introduce more and more retail loan products under Straight Through Process journey so that the customers could avail loan products even without visiting the branches.

CORPORATE CREDIT

In this Financial Year, in the prevailing market conditions, to maintain the asset quality, the Bank has been selective in extending new/enhanced credit limits.

In the present scenario, we have focussed mainly on the following to maintain asset quality:

- Sanctioning credit facilities mainly to borrower rated A and above
- Considering loans guaranteed by State owned entities
- Keeping internal exposures cap for each industry, single borrower, etc.

Effective Risk Management is being done in our bank to improve the asset quality. The risk management involves knowing the risk, measuring it, and controlling it within the risk appetite of the bank by using appropriate mitigates. By complying property on these factors, our asset quality is improving.

We have provided adequate provision for the stressed assets. Provisions serve as a means of setting aside a buffer to absorb likely losses.

Under this vertical, Bank has Standard Fund based exposure of Rs.52569 crores as on 31.03.2023 spread over various core industries and other segments.

In this FY 2022-23, we have floated 2 separate schemes (with some modifications in the existing scheme) - "IOB REPO LINKED SHORT TERM LOAN" & " IOB REPO LINKED LONG TERM LOAN" to tap new business with highly rated borrowers for their short, medium to long term credit requirement, without compromising on the quality of the credit.

PRIORITY SECTOR CREDIT

The average growth of four quarters for the FY 2022-23 was Rs.2054.32 Crs and the average outstanding stood at Rs. 92476.77 Crs against the target of Rs. 51294.30 Crs and **the Bank has surpassed the mandatory norm of 40% of ANBC by achieving 72.11% under Total Priority Sector Advances** during FY 2022-23 as against the achievement of 54.78% during the previous FY 2021-22.

Agriculture

The average growth of four quarters for the FY 2022-23 was Rs.1612.64 Crs and the average outstanding stood at Rs. 43606.78 Crs against the target of Rs. 23082.43 Crs and **the Bank has surpassed the mandatory norm of 18% of ANBC by achieving 34.01% under Agriculture advances** during FY 2022-23 as against the achievement of 24.94% during the previous FY 2021-22.

Loans to Small and Marginal farmers

The average growth of four quarters for the FY 2022-23 was Rs.267.92 Crs and the average outstanding stood at Rs.32712.46 Crs against the target of Rs. 12182.40 Crs and **the Bank has surpassed the mandatory norm of 9.5% of ANBC by achieving 25.51% under loans to Small/ Marginal farmers** during FY 2022-23 as against the achievement of 17.44% during the previous FY 2021-22.

Loans to Non-Corporate farmers

The average growth of four quarters for the FY 2022-23 was Rs.2853.08 Crs and the average outstanding stood at Rs.43767.03 Crs against the target of Rs. 17606.77 Crs and **the Bank has surpassed the mandatory norm of 13.73% of ANBC by achieving 34.13% under loans to Non- Corporate farmers** during FY 2022-23 as against the achievement of 22.02% during the previous FY 2021-22.

Loans to Micro Enterprises

The average growth of four quarters for the FY 2022-23 was Rs.47.21 Crs and the average outstanding stood at Rs.22319.03 Crs against the target of Rs. 9618.68 Crs and **the Bank has surpassed the mandatory norm of 7.5% of ANBC by achieving 17.40% under loans to Micro Enterprises** during FY 2022-23 as against the achievement of 14.87% during the previous FY 2021-22.

कमजोर वर्ग को ऋण

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए चार तिमाहियों का औसत बकाया 14747.11 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 34225.46 करोड़ रुपये रहा और **बैंक ने कमजोर वर्ग को ऋण के तहत 26.69% प्राप्त करके एएनबीसी के 11.5% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है।** पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 19.54% की उपलब्धि।

माइक्रोफाइनांस

वर्ष के दौरान, बैंक ने 62854 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को क्रेडिट से जोड़ा है, जिन्हें 1754.37 करोड़ रुपए ऋण आबंटित किया गया है। बैंक द्वारा लिंक्ड एसएचजी क्रेडिट की संचयी संख्या 941676 है और मार्च 2023 तक कुल 97129.37 करोड़ रुपये का ऋण संवितरित किया गया है।

विशिष्ट एसएचजी क्रेडिट सेंटर:

हमारे बैंक के 19 क्षेत्रों में एक क्लस्टर में 5 शाखाओं वाली 30 शाखाओं का गठन आस-पास की शाखाओं से एसएचजी ऋणों के प्रसंस्करण के लिए विशेष एसएचजी क्रेडिट केंद्र के रूप में किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, 12652 एसएचजी समूहों को 440.52 करोड़ रुपये विशिष्ट एसएचजी क्रेडिट सेंटर द्वारा वितरित किए गए हैं।

महिलाओं को ऋण प्रवाह

महिलाओं के लिए बैंक का ऋण 31 मार्च 2023 तक रु 33012.57 करोड़ जो बैंक के समायोजित नेट बैंक क्रेडिट का 28.03% है।

हमारे बैंक ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए निम्नलिखित विशेष योजनाएँ बनाई हैं: **आइओबी सागर लक्ष्मी**: मछुआरा महिलाओं को ऋण**, आइओबी भूमि शक्ति**: कृषि के तहत सभी गतिविधियों के लिए महिलाओं को ऋण**, आइओबी एसएमई महिला प्लस:** विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के तहत महिला उद्यमियों को ऋण और

आइओबी स्वर्णलक्ष्मी: महिलाओं के लिए एक विशेष आभूषण ऋण योजना।

आइओबी भूमि शक्ति योजना के तहत बैंक, महिला लाभार्थियों को रुपये 50,000 तक की सीमा के लिए 0.50% की दर से और रुपये 50,000 से ऊपर की सीमा के लिए और 0.25% की दर से ब्याज रियायत प्रदान कर रहा है और **विद्या ज्योति शिक्षा ऋण योजना और आइओबी-छात्र योजना** के तहत छात्राओं को 0.5% की ब्याज रियायत मिलती है।

लीड बैंक की पहलें

बैंक के पास तमिलनाडु के 15 जिलों और केरल के 1 जिले में लीड बैंक की जिम्मेदारी है। बैंक तमिलनाडु की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) का संयोजक भी है। वर्ष के दौरान**,** एसएलबीसी**,** तमिलनाडु के संयोजक के रूप में**,** बैंक ने एसएलबीसी की चार मुख्य बैठकें आयोजित की हैं।

इसके अलावा**,** बैंक ने एसएलबीसी**,** तमिलनाडु के संयोजक के रूप में वर्ष के दौरान 4 कोर बैठकें और 4 उप-समिति बैठकें आयोजित की।

वित्तीय समावेशन के लिए एसएलबीसी की पहलें:

ग्राहक सेवा :

हमारा बैंक «आपकी प्रगति का सच्चा साथी" आदर्श वाक्य के साथ कार्य

- तमिलनाडु राज्य में जनसुरक्षा योजना के अंतर्गत मार्च 2023 तक पंजीकरण 207.57 लाख पहुंच गया है, इसमें 59.36 लाख पंजीकरण पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत और 148.21 लाख पंजीकरण पीएमएसबीवाई के अंतर्गत हैं।
- तमिलनाडु राज्य के लिए आधार परिपूर्णता 101.49% है।
- 31 मार्च 2023 तक तमिलनाडु राज्य में 137.72 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले गए हैं जिनमें से 72.48 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में और 65.23 लाख शहरी क्षेत्रों के हैं।

तमिलनाडु में ऋण प्रवाह पर एसएलबीसी की पहलें :

- मार्च 2023 तमिलनाडु के बैंकों ने निम्नलिखित को हासिल कर लिया है :
- मार्च 2023 तक राज्य में सीडी अनुपात 100% से ऊपर बना हुआ है, सीडी अनुपात 114.67% है।
- 40% के राष्ट्रीय नियम के विरुद्ध प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम 47.81% है।
- 18% के राष्ट्रीय नियम के विरुद्ध कृषि अग्रिम 24.23% है।
- 10% के राष्ट्रीय नियम के विरुद्ध कमज़ोर वर्ग को अग्रिम 20.78% है।

वित्तीय समावेशन

हमारे बैंक ने मेसर्स इंटेग्रा माइक्रोसिस्टम्स प्रा. लिमिटेड को 17 अगस्त 2022 से कॉरपोरेट बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (सीबीसी) के रूप में रखा है, जिन्होंने 31.03.2023 तक 3190 बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एजेंट (बीसीए) तैनात किए हैं। बीसीए विभिन्न वित्तीय समावेशन गतिविधियाँ जैसे खाते खोलना, छोटे मूल्य जमा का संग्रह करना , एपीवाई, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई जैसी जन सुरक्षा योजनाओं के तहत ग्राहकों का नामांकन, एनपीए खातों सहित ऋण खातों में वसूली, जमाराशियों को जुटाने और आरडी किश्तों को संग्रह करने के कार्य में लगे हुए हैं ।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई):

बैंक ने पीएमजेडीवाई को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार लागू किया है । यह योजना 15 अगस्त 2014 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी । बैंक ने 6796869 पीएमजेडीवाई खाते खोले हैं, जिनमें से 5636098 (83%) खाते 31.03.2023 तक सक्रिय हैं । हमने 31 मार्च 2023 तक 39,67,241 रुपे डेबिट कार्ड जारी किए हैं और इस योजना के तहत पीएमजेडीवाई खातों में 33,92,320 (85.51%) कार्ड सक्रिय हैं ।

आधार विनियम, 2016 के अनुसार आधार नामांकन और अद्यतन केंद्र

हमारे बैंक ने यूआईडीएआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरे भारत में 379 शाखाओं में आधार नामांकन केंद्र (एईसी) स्थापित किए हैं और हमारे बैंक ने 9 जुलाई 2021 से सभी आधार नामांकन केंद्रों में जनशक्ति की आउटसोर्सिंग के लिए मैसर्स वी टेक्नोलॉजीज प्रा लिमिटेड को एक वेंडर के रूप में रखा है ।

जनसुरक्षा योजनाएं

जनसुरक्षा योजना भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 01 जून 2015 से शुरू की गई थीं। बैंक जनसुरक्षा योजनाओं जैसे पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, और पेंशन योजना जैसे अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहकों का नामांकन कर रहा है। 31 मार्च 2023 तक , जन सुरक्षा योजनाओं के तहत नामांकित संख्या निम्नलिखित है :

Loans to Weaker Section

The average outstanding of four quarters for the FY 2022-23 stood at Rs.34225.46 Crs against the target of Rs.14747.11 Crs and **the Bank has surpassed the mandatory norm of 11.5% of ANBC by achieving 26.69% under loans to Weaker Section** as against the achievement of 19.54% during the previous FY 2021-22.

Microfinance

During the year, the Bank credit-linked 62854 Self Help Groups (SHGs) with a credit outlay of Rs. 1754.37 Crs. The cumulative number of SHGs credit linked by the Bank is 941676 and with aggregate disbursement of Rs.97129.37 Crs as of March 2023.

Specialized SHG Credit Centre:

30 Branches with 5 branches in a Cluster in 19 Regions of our Bank have been formed as Special SHG Credit Centre for processing of SHG loans from nearby Branches. During the FY 2022-23, Rs.440.52 Crs to 12652 SHG groups have been disbursed by the Specialised SHG Credit Centre.

Credit flow to women

Bank's credit to women stood at Rs. 33012.57 crores as of 31st March 2023 which constitutes 28.03 % of the Bank's Adjusted Net Bank Credit.

Our Bank has formulated the following Special schemes exclusively for women namely **IOB Sagar Lakshmi:** Loans to Fisher women, **IOB Bhoomi Shakti:** Loans to women for all activities under Agriculture, **IOB SME Mahila Plus:** Loan to women entrepreneurs under manufacturing and service sectors and

IOB Swarnalakshmi: An exclusive Jewel Loan Scheme for women.

The Bank is providing Interest concession at the rate of 0.50% for limits up to Rs. 50,000 and 0.25% for limits above Rs. 50,000 to women beneficiaries under I**OB Bhoomi Shakti scheme** and interest concession of 0.5% to the Girl student under **Vidya Jyothi Educational Loan** scheme & **IOB-Scholar scheme.**

Lead Bank Initiatives

The Bank has responsibility of Lead Bank in 15 districts in Tamil Nadu and 1 district in Kerala. The Bank is also the Convenor of State Level Bankers' Committee of Tamil Nadu (SLBC). During the year, as Convenor of SLBC, Tamil Nadu, the Bank has conducted four main meetings of SLBC.

In addition, the Bank as convenor of SLBC, Tamil Nadu convened ,4 core meetings and 4 subcommittee meetings during the year.

SLBC Initiatives for Financial Inclusion:

- In the state of Tamil Nadu, the enrolments under Jansuraksha Schemes have reached 207.57 lakh as on March 2023, which includes 59.36 lakh enrolments under PMJJBY and 148.21 lakh enrolments under PMSBY.
- The Aadhaar saturation for the State of Tamil Nadu is 101.49%.
- In the state of Tamil Nadu 137.72 lakh PMJDY accounts are opened as on 31st March 2023 of which 72.48 lakh are in rural areas and 65.23 lakh accounts are in urban areas.

SLBC initiatives on Credit Flow in Tamil Nadu:

- Banks in Tamil Nadu have achieved the following as of March 2023:
- CD ratio of Banks in the State continues to be above 100% and as of Mar 2023, the CD ratio stands at 114.67%.
- 47.81% under Priority Sector against the national norm of 40%.
- 24.23% of Agricultural Advances against the national norm of 18%.
- 20.78% of advances to weaker sections against the national norm of 10%.

FINANCIAL INCLUSION

Our Bank has engaged M/s Integra Microsystems Pvt. ltd. as Corporate Business Correspondent (CBC) since 17th August 2022 who has deployed 3190 Business Correspondent Agents (BCAs) as on 31.03.2023. BCAs are engaged for various Financial Inclusion activities like opening of accounts, collection of small value deposits, enrolment of customers under JanSuraksha Schemes like APY, PMJJBY and PMSBY, recovery in loan accounts including NPA accounts, mobilizing deposits and collecting RD instalments.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY):

The Bank has implemented PMJDY as per the directives of Ministry of Finance, Govt. of India. The Scheme was launched by the Prime Minister of India on 15th August 2014. The Bank has opened 6796869 PMJDY Accounts out of which 5636098 (83%) are operative accounts as on 31.03.2023. We have issued 39,67,241 RuPay Debit Cards till 31st March 2023 and activated 33,92,320 cards (85.51%) in the operative PMJDY accounts under this scheme.

Aadhaar enrolment and update centres as per Aadhaar Regulations, 2016.

Our Bank has established Aadhaar Enrolment Centres (AECs) in 379 Branches all over India in line with UIDAI guidelines and engaged M/s Vee Technologies Pvt. Ltd as a vendor for outsourcing of manpower in all the Aadhaar Enrolment Centres of our Bank since 9th July 2021.

Jansuraksha Schemes

Jansuraksha Schemes were launched by the Prime Minister of India on 1st June 2015. The Bank is enrolling customers under Jansuraksha schemes viz PMJJBY and PMSBY, and Pension schemes viz, Atal Pension Yojana. As on 31st March 2023, the enrollment count under Jan Suraksha schemes is as below:

योजनाएं	31 मार्च 2023 तक नामांकन की स्थिति (संचयी)	वित्तीय वर्ष 23-2022 के दौरान नामांकन की स्थिति
पीएमजेजेबीवाई	21,82,232	8,72,688
पीएमएसबीवाई	46,95,664	12,25,190
कुल	68,77,896	20,97,878

"उन्नत पहुंच और सेवा उत्कृष्टता" (ईएएसई) ढांचे के रूप में - सूक्ष्म बीमा कवरेज में बड़े पैमाने पर विस्तार को आधिदेश देता है । बैंक ने एमएसए-मई/कृषि/खुदरा के तहत ऋण स्वीकृति के साथ स्वचालित नामांकन किया है साथ ही बैंक ने नेट बैंकिंग और एसएमएस/मिस्ड कॉल के माध्यम से पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई को नामांकित करने के प्रावधान को भी समर्थित किया है ।

अटल पेंशन योजना: वर्ष 2022-23 तथा विगत वर्षों के दौरान एपीवाई के तहत कार्य-निष्पादन निम्नवत है :

वित्तीय वर्ष	नामांकन
2015-16	18,540
2016-17	60,084
2017-18	1,11,959
2018-19	1,03,711
2019-20	1,50,010
2020-21	1,79,081
2021-22	2,32,860
2022-23	2,77,710
कुल एपीवाई नामांकन (संचयी)	**11,33,955**

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसएटीआई)

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक ने हमारे सभी अग्रणी जिलों में कुल 12 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसएटीआई) की स्थापना की थी, ताकि किसानों, एसएचजी के सदस्यों, एसजीएसवाई के तहत लाभार्थियों, शिक्षित बेरोजगार युवाओं, कारीगरों तथा और कमजोर वर्ग के लाभार्थी को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसएटीआई) का प्रबंधन बैंक द्वारा स्थापित स्नेहा ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसएटीआई) ने कुल 3870 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिससे 101514 प्रतिभागी लाभान्वित हुए जिसमें 70304 महिलाएं, 31026 पुरुष और 184 ट्रांसजेंडर शामिल हैं । बैंक ने 72% का संचयी निपटान और 53% का संचयी ऋण निपटान हासिल किया है जो क्रमशः राष्ट्रीय औसत 70% और 43% से काफी ऊपर है। सभी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसएटीआई) को ग्रामीण विकास मंत्रालय (मोर्ड) द्वारा एए रेटिंग दी गई है ।

वित्तीय साक्षरता

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत 24 स्थानों पर स्थापित वित्तीय साक्षरता केंद्रों (स्नेहा) के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्रदान की जाती है। इन केंद्रों के परामर्शदाता औपचारिक वित्तीय संस्थानों से उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के संबंध में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, आमने-सामने वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और ऋणग्रस्त व्यक्तियों को ऋण परामर्श प्रदान कर रहे हैं। वे विभिन्न स्थानों पर बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर शिविर भी लगा रहे हैं। एफएलसी द्वारा अपने स्थापना के बाद से 31 मार्च 2023 तक 79824 क्रेडिट परामर्श दिया गया है । बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं पर 13669 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया है तथा स्थापना के बाद से 144559 एसबी खाते खोले और खोले गए हैं। 316859 लाभार्थियों को कवर करते हुए वित्तीय प्रणाली में नए शामिल लोगों के लिए 3685 विशेष शिविर आयोजित किए गए। एफएलसी ने 115 आईटीआई, 7 व्यावसायिक प्रशिक्षण भागीदारों (वीटीपी) और 3 परिचालन केंद्रों (ओसी) में एफएल सत्र आयोजित किए और 16,339 छात्रों को वित्तीय साक्षरता प्रदान की।

ग्राहक सेवा :

हमारा बैंक «आपकी प्रगति का सच्चा साथी" आदर्श वाक्य के साथ कार्य करता है - वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति सत्य बोलता है, सत्य के साथ कार्य करता है, और सत्य के लिए खड़ा होता है । तदनुसार, हमारा विभाग ग्राहकों की शिकायतों का तार्किक और स्वीकार्य ढंग से समाधान करने के लिए लगातार प्रयास करता है ताकि हम अच्छे और मूल्यवान ग्राहकों को बनाए रखने के अतिरिक्त उन्हें सही उत्पादों, सेवाओं के बारे में निर्णय लेने में मदद करते हैं और वित्तीय निर्णय लेने के लिए परामर्श भी देते हैं । हम टीएटी के भीतर शिकायतों का समाधान करने और त्वरित समाधान के लिए शिकायत तंत्र का सहयोग करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं ।

ग्राहक सेवा प्रणाली का समर्थन करने के लिए, आईवीआरएस सुविधा सहित हमारे बैंक के पास अपना संपर्क केंद्र है, जो ग्राहकों की पूछताछ / शिकायतों के लिए 24*7*365 दिन सेवाएं प्रदान करता है और समाधान भी देता है।

आरबीआई का राष्ट्रव्यापी गहन जागरूकता कार्यक्रम

वर्ष 2022 के दौरान आरबीआई का राष्ट्रव्यापी गहन जागरूकता कार्यक्रम के लिए हमारा बैंक तमिलनाडु राज्य के बैंकों के लिए पथप्रदर्शक था । कार्यक्रम साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने, सभी ग्राहकों के लिए बैंकिंग लोकपाल निवारण तंत्र की उपलब्धता पर केंद्रित था । हमारे बैंक ने सभी बैंकों से समन्वय कर कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित किया ।

शिकायत निवारण तंत्र:

हमारे बैंक के शिकायत निवारण पोर्टल को मानकीकृत लोक शिकायत निवारण तंत्र **(एसपीजीआरएस)** कहा जाता है, जिसमें स्थिति पर नज़र बनाए रखने की सुविधा है, जो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है ताकि ग्राहक अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकें ।

एसपीजीआरएस पोर्टल ग्राहक को उसमें दी गई श्रेणियों के अनुसार प्रश्न/शिकायत आसानी से दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है । इसमें एमआईएस, एस्केलेशन मैट्रिक्स और शिकायतों के विस्तृत विवरण प्राप्त करने का प्रावधान भी है, जिससे बैंक सुधारात्मक कार्रवाई करने में सक्षम हो जाता है। एमआईएस के विश्लेषण के आधार पर शिकायतों के निवारण पर भविष्य की कार्रवाई और नीतियां बनाई जाती हैं । शिकायत विवरण वास्तविक समय के आधार पर उपलब्ध हैं और कार्यालयों के विभिन्न स्तर को प्रभावी निवारण तंत्र तक पहुँचने की सुविधा उपलब्ध है । पोर्टल में ग्राहकों की प्रतिक्रिया लेने का प्रावधान भी इनबिल्ट है ।

ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए बैंक ने विभिन्न ग्राहक अनुकूल पहल की शुरूआत की हैं । उनमें से कुछ सूचीबद्ध हैं:

1. हमने अपने बैंक के आंतरिक शिकायत पोर्टल यानी एसपीजीआरएस को संशोधित करके द्विभाषी प्रारूप यानी हिंदी और अंग्रेजी में बनाया है, जिससे ग्राहकों को शिकायत दर्ज करने में सुविधा होगी ।

Schemes	Status of enrolment as on 31st March 2023 (Cumulative)	Status of Enrolment during the FY 2022-23
PMJJBY	21,82,232	8,72,688
PMSBY	46,95,664	12,25,190
Total	**68,77,896**	**20,97,878**

As "Enhanced Access & Service Excellence" (EASE) framework - mandates massive expansion in micro insurance coverage. Bank has automated enrolments along with loan sanction under MSME /Agri/Retail. Bank has also enabled provision for enrolling PMJJBY/PMSBY through net banking and SMS/missed call.

Atal Pension Yojana: Performance under APY over the years is as follows

Financial Year	Enrolments
2015-16	18,540
2016-17	60,084
2017-18	1,11,959
2018-19	1,03,711
2019-20	1,50,010
2020-21	1,79,081
2021-22	2,32,860
2022-23	2,77,710
Total APY Enrolments (Cumulative)	**11,33,955**

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)

In line with the guidelines issued by Ministry of Rural Development, Govt of India, the Bank had set up a total 12 RSETIs in all our Lead Districts, to provide training to farmers, members of SHGs, beneficiaries under SGSY, educated unemployed youths, artisans and beneficiaries belonging to weaker sections. The RSETIs are managed by SNEHA Trust established by the Bank. During the year under review, the RSETIs have conducted a total of 3870 training programs benefiting 101514 participants which include 70304 women, 31026 men and 184 Transgenders. Bank has achieved cumulative settlement of 72% and cumulative credit settlement of 53% which are well above the national average of 70% and 43% respectively. All the RSETI have been rated AA by MoRD.

Financial Literacy

Financial Literacy is imparted through Financial Literacy Centers (SNEHA) established at 24 locations under Corporate Social Responsibility. The counsellors of these centers are educating the people in rural and urban areas with regard to various financial products and services available from formal financial institutions, providing face-to-face financial counseling services and offer debt counseling to indebted individuals. They are also conducting periodical camps at various places. As on 31st March 2023, 79824 credit counselling have been conducted by the FLCs since inception. 13669 Financial Literacy camps were conducted on various aspects of Banking since inception. 144559 SB accounts have been sourced and opened since inception. 3685 Special camps for newly included people in the financial system were conducted by covering 316859 beneficiaries. FLCs conducted FL sessions at 115 ITIs, 7 Vocational Training partners (VTPs) and 3 Operational Centers (OCs) and imparted Financial Literacy to 16,339 Students.

CUSTOMER SERVICE:

Our Bank serves with the motto "GOOD PEOPLE TO GROW WITH" - A truly good person speaks truth, acts with truth, and stands for Truth. Accordingly, our department is constantly striving to provide logical and acceptable solution to customer's grievances to retain our Good and valuable customers apart from helping them to decide on the right products, services and counselling them to take financial decisions. We are also committed to resolve the complaints within TAT and support the complaint mechanism for a speedy resolution.

To support the customer service system, Our Bank has its own Contact center along with IVRS facility which provides services 24*7*365 days handling Queries/ Complaints of the customers and provides solutions.

RBI's Nationwide Intensive Awareness Programme

Our Bank was the Torch Bearer Bank for the state of Tamil Nadu for the Nationwide RBI Intensive Awareness Programme during November 2022. The program focus on creating awareness about the cyber security, availability of Banking Ombudman redressal mechanism to all customers. Our Bank has coordinated with all the banks and conducted the programme successfully.

Grievance Redressal Mechanism:

Our Bank's complaint grievance redressal portal is called Standardized Public Grievances Redressal Mechanism **(SPGRS)** with status tracking facility which is available on our website so that customers can lodge their complaint online.

The SPGRS Portal facilitates the customer to easily lodge the Query/Complaint as per the categories provided therein. It also has an MIS, escalation Matrix and provision to capture granular details of the complaints, enabling the Bank to take corrective action. Future course of actions and policies on Grievances Redressal are made, based on the analysis from the MIS. Complaint details are available on real time basis and access by various layer of offices enable effective redressal mechanism. Provision to capture customer feedback is also inbuilt in the portal.

Bank has introduced various customer friendly initiatives, to provide ease to customer. Some of them are listed below:

1. We have modified our Bank's Internal Grievance Portal i.e. SPGRS into Bilingual format i.e. Hindi and English, which will give ease to customers to lodge the complaint.

2. यदि **ग्राहक अपनी समस्या के समाधान से संतुष्ट नहीं है तो हमने शिकायत को फिर से खोलने का विकल्प दिया है** ।

3. एसपीजीआरएस पोर्टल में ग्राहक के लिए यह विकल्प है कि यदि वह बैंक द्वारा निवारण से संतुष्ट नहीं है तो अपनी

4. **प्रतिक्रिया दर्ज कर सकता है ।**
   1. वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से
   2. टोल फ्री कॉल सेंटर के माध्यम से
   3. बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पेज के माध्यम से
   4. पत्र / ईमेल के माध्यम से ।

5. **<u>एकीकृत शिकायत तंत्र:</u>** बैंक ने आईटीडी की मदद से बैंकिंग लोकपाल, सीपीग्राम्स, इनग्राम्स और आरबीआई इत्यादि जैसे अन्य सभी चैनलों के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों को एकीकृत करने के लिए एक उपकरण विकसित किया है ।

ग्राहक संपर्क केंद्र और लीड प्रबंधन प्रक्रिया:

- हम शिकायतों को प्राप्त करने और आईवीआरएस सुविधा के साथ उनका निवारण करने के लिए 24*7, 360 डिग्री ओमनी चैनल संपर्क सह कॉल सेंटर समर्पित किये हैं । सेवा प्रदाता, बैंक को सेवा अनुरोधों से संबंधित डाटा रिकॉर्ड और पुश भी करता है, जिससे उसके कुशल निवारण की सुविधा मिलती है ।
- संपर्क सह कॉल सेंटर - ग्राहकों से प्रश्न, अनुरोध और शिकायतें (क्यूआरसी) प्राप्त करता है। इन्हें संपर्क केंद्र के सीआरएम (ग्राहक संबंध प्रबंधन) कार्यक्रम के तहत दर्ज किया जाता है और आगे की कार्रवाई के लिए और शिकायतों के समाधान आदि के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया जाता है ।
- विभाग ने स्थापना दिवस पर अर्थात 10.02.2023 को केंद्रीय कार्यालय में एक लीड मैनेजमेंट सिस्टम आउटबाउंड कॉल सेंटर स्थापित किया है, जो प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है ।
- हमने एजेंटों को डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और उसके विकास पर प्रशिक्षण प्रदान किया है । ग्राहकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों को प्रभावी ढंग से सुलझाने के लिए एजेंटों को प्रशिक्षण दिया गया है और उनके ज्ञान का अद्यतन करने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न प्रदान किए गए हैं ।

एसपीजीआरएस और संपर्क केंद्र के अलावा, हम बैंकिंग लोकपाल (आरबीआई), सीपीग्राम्स (प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा अनुरक्षित केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली), इनग्राम्स (उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संचालित एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र) से प्राप्त शिकायतों का समाधान करते हैं ।

पीएसबी एलायंस डोर स्टेप बैंकिंग:

आईबीए और आरबीआई के निर्देश के अनुसार, हमारे बैंक ने पीएसबी एलायंस डोरस्टेप बैंकिंग को सफलतापूर्वक लागू किया है ।

- पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 11.07.2022 से 17.07.2022 तक आयोजित डीएसबी मानसून ड्राइव एलएपी 1.0 में बैंक ने सभी 12 पीएसयू में दूसरा स्थान प्राप्त किया ।
- बैंक ने 15.09.2022 से 29.09.2022 तक डीएसबी लक्ष्य रीलोडेड 2.0 में भाग लेने वाले सभी 7 पीएसयू में पहला स्थान हासिल किया है ।
- बैंक ने 01.11.2022 से 30.11.2022 की अवधि के दौरान पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित डीएसबी सुविधा अभियान में द्वितीय स्थान प्राप्त किया । डोर स्टेप बैंकिंग के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए विशेष रूप से अभियान आयोजित किया गया था ।
- बैंक ने डीएसबी को लोकप्रिय बनाने के लिए 15.02.2023 से 15.03.2023 की अवधि के दौरान पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित 'डीएसबी मिशन 5 लाख' अभियान में 7वां स्थान प्राप्त किया ।
- वर्ष के दौरान, हमारे बैंक ने वित्त वर्ष 22-2021 में पूरी की गई 2885 सेवाओं की एवज में 10494 सेवाएं पूरी की हैं । इस प्रकार, की वृद्धि दर्ज की गई है ।

विभाग की उपलब्धि:

- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक द्वारा शिकायतों का निपटान अब तक का सर्वाधिक था । **हम बैंकिंग लोकपाल चेन्नै और आईएनजीआरएएमएस की शिकायतों को शून्य में शामिल कर सकते हैं ।**
- **सीपीजीआरएमएस पोर्टल** में प्राप्त मंत्रालय की शिकायतों के संबंध में, 31.03.2023 तक केवल **2 शिकायतें लंबित थीं** । दोनों शिकायतों को पहले ही 10.04.023 और 20.05.2023 को बंद कर दिया गया है ।
- वर्ष 22-2021 के दौरान, विभाग ने स्थापना दिवस अर्थात 10.02.2023 को **केंद्रीय कार्यालय में एक लीड मैनेजमेंट सिस्टम आउटबाउंड कॉल सेंटर स्थापित किया है,** जो प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है ।
- विभाग ने **ईज़ आवश्यकताओं के अनुसार, 9 चैनलों के माध्यम से ग्राहक प्रतिक्रिया प्रक्रिया शुरू की है** । साथ ही ईज़ से संबंधित मैट्रिक्स प्राप्त किए गए हैं ।
- विभाग ने **ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण - नेट प्रमोटर स्कोर** आयोजित किया है ।
- व्यवसाय के रूपांतरण के लिए संपर्क केंद्र द्वारा उत्पन्न लीड्स के लिए शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की गई ।
- विभाग द्वारा **त्रैमासिक शिक्षा शृंखला** जारी की गई, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं । विभाग प्राप्त शिकायतों और मूल कारण विश्लेषण के आधार पर पहले ही 12 शिक्षाप्रद शृंखला परिपत्र जारी कर चुका है ।

वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त ग्राहक शिकायत और निवारण का विवरण निम्नवत हैं:

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23
वर्ष की शुरुआत में शिकायतों की संख्या	2026	2850
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	169599	198307
वर्ष के दौरान समाधान की गई शिकायतों की संख्या	168775	199207
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	1667	6071
प्रभावी समाधान दर	98.34%	99.03%

2. We have given the **Option to Re-open the complaint, if customer is not satisfied** with the redressal of his issue.

3. SPGRS Portal is having option for the customer to **register the feedback of customer** if he is not satisfied with the redressal by the bank.

4. Bank has given various **options to customers to lodge the complaints:**

    a. Through Online mode by visiting the website

    b. Through Toll Free call Centre

    c. Through Bank's Internet Banking Page

    d. Through Letter/Email.

5. **Integrated Complaint Mechanism:** Bank has with the help of ITD developed a tool to integrate all the complaints received through all other channels like Banking Ombudsman, CPGRAMS, INGRAMS and RBI etc.

Customer Contact Center and Lead Management Process:

- We are having dedicated 24x7, 360-degree Omni channel Contact cum Call Centre to receive the complaints and redress them along with IVRS facility. Service provider also records and pushes the data related to service requests to the Bank, facilitating efficient redressal of the same.
- Contact cum Call Center receives – Queries, Requests and Complaints (QRC) from the customers. These are lodged under the CRM (Customer Relationship Management) Programme of the Contact Center and is forwarded to respective departments for further actions, and for resolution of complaints, etc.
- Department has set up a LEAD MANAGEMENT SYSTEM outbound call center at Central Office on foundation day i.e. 10.02.2023 which is functioning effectively.
- We have provided training on the products and developments taken place in digital banking to the agents. Agents are given training and FAQs are provided to them for updating their knowledge in order to effectively handle queries raised by customers.

Apart from SPGRS and Contact Center, we handle complaints received from Banking Ombudsman (RBI), CPGRAMS (Centralized Public Grievances Redress and Monitoring System maintained by Department of Administrative Reforms and Public Grievance), INGRAMS (Integrated Grievance Redressal Mechanism maintained by Department of Consumer Affairs).

PSB Alliance Door Step Banking:

As per the instruction of IBA and RBI, our bank has implemented PSB alliance Doorstep banking successfully.

- Bank secured 2nd position in all 12 PSUs in DSB monsoon drive LAP 1.0 conducted by PSB Alliance Pvt Ltd from 11.07.2022 to 17.07.2022.
- Bank has secured 1st position in all 7 PSUs who participated in DSB Lakshya Reloaded 2.0 from 15.09.2022 to 29.09.2022.
- Bank secured 2nd position in DSB Suvidha Campaign organized by PSB Alliance Pvt Ltd during the period 01.11.2022 to 30.11.2022. The campaign was specially organized for submission of Digital Life Certificate through Door Step Banking.
- Bank secured 7th position in 'DSB MISSION 5 Lakh' Campaign organized by PSB Alliance Pvt Ltd during the period 15.02.2023 to 15.03.2023 to popularize DSB
- During the Year, Our Bank has completed 10494 services as against 2885 services completed in FY 2021-22, thus registering a growth of 263.74%

Achievement of the Department:

- For the FY 2022-23, the grievance disposal by the Bank was all time high. We could contain the **Banking Ombudsman Chennai and INGRAMS complaints to NIL.**
- As regards to ministry complaints received in **CPGRAMS portal,** the pendency was only **2 as on 31.03.2023**. Both the complaints have already been closed on 10.04.023 and 20.05.2023.
- During the Years 2021-22, Department has set up a **LEAD MANAGEMENT SYSTEM outbound call Centre at Central Office** on foundation day i.e. 10.02.2023 which is functioning effectively.
- Department has introduced Customer **feedback process through 9 Channels as per EASE requirements.** Also, Metrics related to EASE has been achieved.
- Department has **Conducted Customer satisfaction survey – Net promoter score.**
- Follow up with Branches and ROs for the leads generated by contact center for conversion of business.
- **Quarterly Educative Series** is being issued by department, which has yielded good results. Department has already issued 12 Educative series circulars based on complaints received and Root Cause Analysis

Details of Customer Complaints received and redressed during the year 2022-23 is given below

Particulars	FY 2021-22	FY 2022-23
Number of complaints at the beginning of the year	2026	2850
Number of complaints received during the year	169599	198307
Number of complaints resolved during the year	168775	199207
Number of complaints pending at the end of the year	1667	6071
Effective Resolution Rate	98.34%	99.03%

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए शिकायतों की श्रेणियाँ इस प्रकार हैं:

शिकायतों की प्रकृति	सभी चैनलों में शिकायतों की कुल संख्या	कुल शकियातों का %
गैर-डिजिटल		
अग्रिम	1640	0.83
ग्राहक सेवा	2957	1.49
डीमेट	103	0.05
जमा	1560	0.79
सामान्य बैंकिंग	6222	3.14
सरकारी व्यवसाय	331	0.17
बीमा	644	0.32
एनआरआई सेवाएं	116	0.06
पेंशन	588	0.30
अन्य	164	0.08
उप कुल	14325	7.23
डिजिटल		
गैर-एटीएम	113213	57.08
एटीएम	70769	35.69
उप कुल	183982	92.77
कुल योग	198307	100.00

ग्राहक सेवा समिति

एमडी और सीईओ समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं । समिति की 01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि के दौरान 4 बार बैठक हुईं । वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लेने वाली बैठकों की संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		वित्तीय वर्ष 2022-23 में भाग लेने/आयोजित बैठकों की संख्या
		से	को	
1	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	24.07.2020	31.12.2022	3/4
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ##	09.10.2017	आज तक	4/4
3	सुश्री एस श्रीमती	10.03.2021	आज तक	4/4
4	श्री संजय विनायक मुदालियर	01.01.2023	आज तक	1/1
5	श्री सुरेश कुमार रूंगटा	05.01.2022	आज तक	4/4
6	श्री दीपक शर्मा	05.01.2022	आज तक	4/4

एमडी व सीईओ 01.01.2023 से प्रभावी

पैरा-बैंकिंग उत्पादों का प्रदर्शन

पैरा बैंकिंग व्यवसाय के तहत, बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बैंकाश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के वितरण के माध्यम से 30.00 करोड़ रुपये की आय अर्जित की है। वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व वाली गतिविधियों सहित पैरा बैंकिंग व्यवसाय को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए विभिन्न अभियान चलाए गए ।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान लॉन्च किए गए उत्पाद

हमने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नलिखित नए समूह उत्पाद पेश किए हैं ।

1. **निवा बूपा स्वास्थ्य बीमा**

- ग्रुप कृति केयर इंश्योरेंस प्रोडक्ट - ग्रुप कृति केयर लोन लिंक्ड प्रोडक्ट 18 से 55 वर्ष की आयु के ग्राहकों के लिए 5 साल की अवधि के साथ निवा बूपा के साथ गंभीर बीमारी और दुर्घटना बीमा कवर प्रदान कर रहा है। योजना का उद्देश्य 41 गंभीर बीमारियों और दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता में से किसी के निदान के मामले में ऋणी को कवर करना है।
- **व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा** - 18-65 वर्ष के आयु वर्ग के लिए रु. 850/- के नाममात्र प्रीमियम पर रु. 20.00 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज, स्थायी कुल विकलांगता, अस्थायी कुल विकलांगता, दुर्घटना चिकित्सा जैसी अतिरिक्त सुविधाओं के साथ प्रतिपूर्ति आदि,

2. **यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस**

हमने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नलिखित खुदरा/समूह बीमा उत्पाद पेश किए हैं।

- **साइबर बीमा पॉलिसी उत्पाद -** साइबर बीमा पॉलिसी - खुदरा, जो ग्राहकों को साइबर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। बीमित राशि 10,000/- रुपये से लेकर 1,00,00,000/- रुपये तक
- **व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा** सुरक्षा प्लान सी - 900/- रुपये के मामूली प्रीमियम पर 18-70 वर्ष के आयु वर्ग के लिए रु.20.00 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज

Categories of Complaints for the year ended 31.03.2023 is as follows:

Nature of Complaints	Total Number of complaints in all Channels	% of Total Complaints
NON- DIGITAL		
Advances	1640	0.83
Customer Service	2957	1.49
Demat	103	0.05
Deposits	1560	0.79
General Banking	6222	3.14
Government Business	331	0.17
Insurance	644	0.32
NRI Services	116	0.06
Pension	588	0.30
Others	164	0.08
Sub total	**14325**	**7.23**
DIGITAL		
Non-ATM	113213	57.08
ATM	70769	35.69
Sub total	183982	92.77
Grand Total	198307	100.00

CUSTOMER SERVICE COMMITTEE

The MD &CEO presides over the meetings of the committee. The committee met 4 times during the period 01.04.2022 to 31.03.2023. Number of meetings attended by each member of the committee during the year is as below:

Sl no.	Name of Director	Tenure of membership		Number of Meetings Attended/held in FY 2022-23
		From	To	
1	Shri Partha Pratim Sengupta	24.07.2020	31.12.2022	3/4
2	Shri Ajay Kumar Srivastava##	09.10.2017	Till Date	4/4
3	Smt S Srimathy	10.03.2021	Till date	4/4
4	Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.01.2023	Till date	1/1
5	Shri Suresh Kumar Rungta	05.01.2022	Till date	4/4
6	Shri Deepak Sharma	05.01.2022	Till date	4/4

MD & CEO w.e.f. 01.01.2023

PERFORMANCE ON PARA-BANKING PRODUCTS

Under Para banking business, bank has earned income of Rs.30.00 Crores during FY 2022-23 through Bancassurance & Distribution of Mutual funds. Various campaigns to promote and increase para banking business were conducted during the year including activities with Corporate Social Responsibility.

Product Launched during the FY 2022-23.

We have introduced the following new group products during the FY 2022-23.

1. **Niva Bupa Health Insurance**

- Group Criti Care Insurance Product - Goup Criti care Loan Linked Product is Providing Critical Illness and Accidental Cover up to Rs.3 Crores for customers from the Age 18 to 55 Years with a tenure of 5 Years in tie up with Niva Bupa. The plan intends to cover the loanee in case of diagnosis with any of the 41 critical illnesses and accidental death or disability.
- **Personal Accident Insurance** – Personal Accident Insurance Coverage up to Rs.20.00 lacs for the age group between 18-65 years at a nominal premium of Rs.850/- with additional add on facilities like permanent total disability, Temporary total disability, Accidental Medical Reimbursement etc.,

2. **Universal Sompo General Insurance**

We have introduced the following Retail/ Group insurance products during the FY 2022-23.

- **Cyber Insurance Policy Product** - Cyber Insurance Policy – Retail which offers protection for customers from Cyber Crimes. The sum insured ranging from Rs.10,000/- to Rs.1,00,00,000/-
- **Personal Accident Insurance** Suraksha Plan C – Personal Accident Insurance Coverage up to Rs.20.00 lacs for the age group between 18-70 years at a nominal premium of Rs. 900/-

3. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस

हमने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एसबीआई जनरल के निम्नलिखित समूह उत्पाद पेश किए हैं।

- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सुरक्षा योजना सी - 750/- के मामूली प्रीमियम पर 18-65 वर्ष के आयु वर्ग के लिए रु. 20.00 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज

4. म्युचुअल फंड

- हमारे ग्राहकों को एक निर्बाध निवेश का अनुभव सुनिश्चित करने के लिए, आइओबी में हम मेसर्स म्युचुअल फंड यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड (एमयूएफ) के साथ जुड़े हैं, ताकि हमारी शाखाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान किया जा सके जिससे हमारे ग्राहकों को हमारी सूचीबद्ध एसेट मैनेजमेंट कंपनियों की किसी भी म्यूचुअल फंड योजना में निवेश करने में मदद मिल सके।
- हमारे बैंक ने 13 और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) को सूचीबद्ध किया है जिससे एएमसी की कुल संख्या 23 हो गई है।

सामाजिक सरोकार हेतु आयोजित अभियान :

हमारे बैंक ने 07.12.2022 से 31.01.2023 की अवधि के दौरान निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिडेट के साथ मिलकर एक स्वास्थ्य बीमा अभियान शुरू किया है। अभियान का लक्ष्य था, शाखाओं द्वारा जुटाए गए प्रत्येक 12000/- प्रीमियम के लिए - एक प्लेज प्वाइंट प्रदान किया जाएगा और प्रत्येक 5 प्लेज प्वाइंट प्राप्त करने पर निवा बूपा टीम हमारे बैंक की ओर से एक गैर सरकारी संगठन - **"हेल्प एज इंडिया"** को एक मोतियाबिंद सर्जरी की लागत दान करेगी। हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों को हेल्प एज इंडिया को 2000 मोतियाबिंद सर्जरी दान करने का लक्ष्य तय किया गया था। हमारी शाखाओं ने चुनौती स्वीकार की और कुल 5772 प्लेज प्वाइंट हासिल किए और इस तरह एनजीओ - हेल्प एज इंडिया को 1154 मोतियाबिंद सर्जरी दान की गई ।

निवेशक- एएसबीए व अन्य

एएसबीए (बैंकर गतिविधि जारी करेंगे): भारत में हमारी सभी सामान्य बैंकिंग शाखाओं को आईपीओ, एफपीओ और राइट्स इश्यू के लिए एएसबीए आवेदन स्वीकार करने के लिए एएसबीए समर्थित शाखाएं बना दी गयी हैं। ई-एएसबीए का हमारे ग्राहकों द्वारा प्रभावी ढंग से उपयोग जारी है। यूपीआई प्रक्रिया के माध्यम से एएसबीए को भी सक्षम किया गया है।

डिपॉजिटरी ऑपरेशंस: बैंक एनएसडीएल और सीडीएसएल के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के रूप में बना हुआ है और सेवा केंद्र शाखाओं के माध्यम से डिपॉजिटरी संबंधी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

इंस्टा डीमैट खाता: बैंक ने तत्काल डीमैट खाता खोलने के लिए नेट बैंकिंग के माध्यम से ग्राहकों द्वारा डीमैट खाते खोलने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है।

3 इन 1 ई-ट्रेडिंग सुविधा: एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ गठजोड़ में हमारे डीमैट खाताधारकों को ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करने के लिए ई-ट्रेडिंग सुविधा लागू की गई है।

दबावग्रस्त आस्तियां प्रबंधन विभाग

बैंक एनपीए पोर्टफोलियो को कम करने और लाभ स्तर में सुधार लाने के लिए लगातार विभिन्न गतिशील प्रयास कर रहा है। हालांकि एनपीए वसूली का मुख्य उद्देश्य लाभ के मोर्चे पर किसी भी तरह के नुकसान के बिना संपूर्ण संविदात्मक देय राशि की वसूली है, व्यवहार में, विभिन्न कारकों के कारण, एक रिसॉर्ट के रूप में अन्य कानूनी उपाय लेने के बैंक को समझौता निपटान सहित अन्य तरीकों से एनपीए वसूली के लिए रणनीति में बदलाव करना पड़ता है। ब्रांच पावर के तहत 20.00 लाख रुपये तक , क्षेत्रीय कार्यालय की एक समिति द्वारा 20.00 लाख रुपये से ऊपर और 3.00 करोड़ रुपये तक और 3.00 करोड़ रुपये से ऊपर और 25.00 करोड़ रुपये तक केन्द्रीय कार्यालय की समिति द्वारा इस तरह के गैर एनसीएलटी खातों के लिए ओटीएस को मंजूरी देने और उधारकर्ताओं/गारंटरों को सूचित करने के लिए बिना किसी परेशानी एवं लंबी प्रक्रिया को अपनाए वगैर निपटारा किया जा सकता है। फील्ड लेवल पर इस अवधि के दौरान कुल स्वीकृत ओटीएस 34276 खातों में 965.31 करोड़ रुपये की राशि है और इसमें से 481.97 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई है।

बैंक ने ओटीएस के लिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को लागू किया है और चेक बॉक्स सिस्टम के तहत ऑनलाइन तंत्र को लोकप्रिय बनाया है, जिसमें एनपीए उधारकर्ता आईओबी ऑनलाइन में अपना ओटीएस आवेदन जमा कर सकते हैं, जो उधारकर्ता के लिए अपने प्रस्तावों की स्थिति को हल करने तक उचित ट्रैकिंग प्रणाली को सक्षम करेगा।

बैंक ने ई-बिक्रय प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर महीने मार्च 2023 तक सरफेसी अधिनियम के तहत स्वामित्व वाली संपत्तियों के लिए मेगा पैनइंडिया ई-नीलामी आयोजित की है, बैंक 2365 संपत्तियों की ई नीलामी करने में सक्षम था और इसमें से 290 संपत्तियों को वित्त वर्ष 2022-23 में ई नीलामी के तहत 344.09 करोड़ रुपये में बेचा गया था। सरफेसी के तहत ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू करने से भी ओटीएस, उन्नयन और एनपीए खातों को पूरी तरह से बंद करने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। अधिक खरीदारों को लाने के लिए, बैंक ने आइओबी ऑनलाइन में सभी पात्र संपत्तियों के विवरण उपलब्ध कराए हैं जहां संभावित खरीदार संपत्ति के विवरण की खोज कर सकते हैं और नीलामी में भाग ले सकते हैं। बैंक ने हमारी वेबसाइट पर आने वाले संभावित खरीदारों से लीड उत्पन्न करने के लिए एक ट्रिगर टूल विकसित किया है।

वित्त वर्ष 2022-23 में दायर मुकदमे, एनसीएलटी खातों, एआरसी को संपत्ति की बिक्री में ₹1565.36 करोड़ की वसूली हुई। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल एनपीए वसूली लगभग ₹4502.31 करोड़ हुआ है जो पिछले वित्त वर्ष 2021-22 (₹4440 करोड़) में किए गए कुल वसूली से अधिक है।

आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त याचिकाओं का निस्तारण

आरटीआई आवेदनों और अपीलों को बैंक में आरटीआई प्रकोष्ठ नामक एक अलग और विशेष प्रकोष्ठ द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आरटीआई प्रकोष्ठ, सहायक महाप्रबंधक, विधि विभाग के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य कर रहा है, जिसे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है। बैंक ने क्षेत्रीय प्रबंधकों को केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (सीएआईपीओ) के रूप में नामित किया है, जो निर्धारित समय सीमा (अर्थात आरटीआई आवेदन की प्राप्ति से 30 दिन) के भीतर आरटीआई आवेदनों का निपटान करने में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) की सहायता करते हैं। हमारे बैंक में 49 केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ हैं।

बैंक ने सीपीआईओ और सीएपीआईओ के जवाब से असंतुष्ट अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपीलों को निपटाने के लिए विधि विभाग के महा प्रबंधक को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के रूप में नामित किया है।

बैंक को वर्ष 2022-23 में सूचना मांगने के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत दायर 1795 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सीपीआईओ और सीएपीआईओ द्वारा आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार सभी आवेदनों का विधिवत निपटान किया जाता है।

3. **SBI General Insurance**

We have introduced the following group product of SBI General during the FY 2022-23.

- Personal Accident Insurance Suraksha Plan C – Personal Accident Insurance Coverage up to Rs.20.00 lacs for the age group between 18-65 years at a nominal premium of Rs. 750/-

4. **Mutual Funds**

- To ensure our customers experience a seamless investment journey, we at IOB have associated with M/s Mutual Fund Utilities Pvt Ltd (MFU) to provide digital platform for our branches to facilitate our customers while investing in any of the Mutual fund schemes under our empanelled Asset Management companies.
- Our Bank has empanelled 13 more Asset Management Companies (AMCs) taking our total tally of AMCs to 23.

Campaign conducted for Social Cause:

Our Bank has launched a Health Insurance campaign in tie up with Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd during the period 07.12.2022 to 31.01.2023. The Goal of the campaign was, for every Rs.12000/- premium mobilized by branches - one pledge point will be awarded and for every 5 pledge points scored the NIVA Bupa team will donate the cost of one Cataract Surgery to an NGO – **"Help Age India"** on behalf of our Bank. The Target to our Regional Offices was fixed at 2000 Cataract Surgery donation to Help Age India. Our Branches took up the challenge and achieved a total of 5772 Pledge points and thereby donated 1154 cataract surgeries to the NGO – Help Age India.

INVESTOR- ASBA & OTHERS

ASBA (Banker to Issue activity): All our general banking branches in India have been made ASBA enabled branches to accept ASBA applications for IPO, FPO and Rights Issues. E-ASBA continued to be in usage effectively by our customers. ASBA through UPI process has also been enabled.

Depository Operations: The Bank continues to act as Depository Participant (DP) of NSDL and CDSL and is extending depository related services through service centre branches.

Insta Demat Account: Bank has developed a software to open demat accounts by customers through net banking for immediate opening of Demat Account.

3 in 1 e-Trading facility in tie up with Emkay Global Financial Services Limited & SMC Global Securities Ltd. E-trading facility has been implemented to provide trading facility to our demat account holders.

STRESSED ASSETS MANAGEMENT DEPARTMENT

Bank is continuously adopting various dynamic efforts in reducing the NPA portfolio and improving the profit level. Though the core objective in NPA recovery is recovery of the entire contractual dues without any hit on the profit front, in practice, due to various factors, the Bank has to shift the strategy for NPA recovery by other means including compromise settlements apart from taking other legal measures as a resort.

During the period under review, Bank has realised that at the field level, one of the best recovery tools that has received very well is the Special OTS policy. The special OTS policy is modified in such a way that the Non NCLT accounts upto Rs 20.00 Lakh under branch power, above Rs 20.00 Lakh and upto Rs. 3.00 Cr by a committee at Regional Office and Above Rs 3.00 Cr and upto Rs 25.00 Cr by a committee at Central Office can be settled in hassle free and without taking any long process for sanctioning the OTS for such non NCLT accounts and conveying the same to the borrowers/guarantors. Total no OTS sanctioned during the period at field level is 34276 accounts for an amount of Rs.965.31 Cr and out of this recovered an amount of Rs 481.97 Cr.

Bank has implemented and popularized our digital platform for OTS, online mechanism under the check box system wherein NPA borrowers can submit their OTS application in IOB online which will enable proper tracking system for the borrower to know the status of their proposals till it is resolved.

Bank has conducted Mega PAN INDIA E-Auctions for the properties possessed under SARFAESI Act till March 2023 every month through E-Bikray platform Bank was able to put E auction of 2365 properties and out of this 290 Properties were sold fetching Rs. 344.09 Crores under E auction in FY 2022-23. Initiation of E auction procedure under SARFAESI had also paved the way resulting in OTS, upgradation and full closure of NPA accounts. In order to bring more buyers, Bank has made available all the eligible properties details in IOB Online where prospective buyer can search the property details and participate in Auction. Bank has developed a trigger tool to generate leads from the prospective buyers who visit our website.

In FY 2022-23, recovery in suit filed, NCLT accounts, sale of asset to ARC, was to the tune of Rs. 1565.36 crores. The total NPA recovery is around Rs. 4502.31Cr for the FY 2022-23 which is more than the total recovery in the previous FY 2021-22 (Rs. 4440 Cr).

DISPOSAL OF PETITIONS RECEIVED UNDER RTI ACT

RTI applications and appeals are handled by a separate and specialized cell called RTI Cell in the Bank. The RTI Cell is working under the control and supervision of Assistant General Manager, Law Department, who is designated as Central Public Information Officer (CPIO). Bank has also designated Regional Managers as Central Assistant Public Information Officer (CAPIO) to assist CPIO in disposing RTI applications within the prescribed time frame (i.e. 30 days from the receipt of RTI application). There are 49 CAPIOs in our Bank.

Bank has designated General Manager, Law Department as First Appellate Authority (FAA) for disposing appeals filed by the appellants who were aggrieved with the reply of CPIO and CAPIOs.

Bank has received 1795 applications filed under RTI Act, 2005 for seeking information in the year 2022-23. All applications are duly disposed of as per the provisions of RTI Act, 2005 by CPIO and CAPIOs.

बैंक को सीपीआईओ और सीएपीआईओ के उत्तर के प्रति और अधिक सूचना मांगने के लिए 357 अपीलें प्राप्त हुई हैं और एफएए द्वारा गुण-दोष के आधार पर और आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त आदेश पारित करके इनका विधिवत निपटान कर दिया गया है।

सीपीआईओ/सीएपीआईओ और एफएए के जवाब से असंतुष्ट अपीलकर्ताओं ने माननीय केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी), नई दिल्ली के समक्ष दूसरी अपील को प्राथमिकता दी। सीआईसी के समक्ष दायर दूसरी अपील में बैंक को 105 नोटिस प्राप्त हुए। सभी दूसरी अपीलों का सीपीआईओ/सीएपीआईओ द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था और सूचना आयुक्त द्वारा योग्यता के आधार पर बैंक के प्रति किसी प्रतिकूल टिप्पणी के बिना उचित आदेश पारित करके विधिवत निपटाया गया था।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम लेना बैंकिंग व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है। बैंक अपनी जोखिम क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हुए अपनी गतिविधियों में विभिन्न प्रकार के जोखिमों को मानता है । बैंक द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक लेन-देन बैंक के जोखिम प्रोफाइल को बदल देता है। व्यवसाय नॉर्मल कोर्स में, एक बैंक को क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम सहित विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है। जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम लेने की गतिविधि को रोकना या रोकना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जोखिमों को पूरी जानकारी, स्पष्ट उद्देश्य और समझ के साथ लिया जाए ताकि इसे आका जाये और कम किया जा सके। इस तरह के जोखिमों को कुशलता से प्रबंधित करने और अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने की दृष्टि से, बैंक ने विभिन्न जोखिम प्रबंधन उपायों और प्रथाओं को लागू किया है जिसमें नीतियां, उपकरण, तकनीकें, निगरानी तंत्र और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) शामिल हैं।

बैंक, निरंतर आधार पर, जोखिम और रिटर्न के बीच उचित तालमेल हासिल करके शेयरधारक मूल्यों को बढ़ाने और अधिकतम करने का लक्ष्य रखता है। बैंक के जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों में मोटे तौर पर उचित पहचान, माप, निगरानी, नियंत्रण और जोखिम को कम करना शामिल है, ताकि बैंक के समग्र जोखिम सिद्धांत को स्पष्ट किया जा सके। बैंक द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन रणनीति जोखिमों की समझ और बैंक की जोखिम लेने की क्षमता के स्तर पर आधारित है। जोखिम प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नीतियों में जोखिम सीमाओं के निर्धारण के माध्यम से बैंक की जोखिम लेने की क्षमता को व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाता है।

बैंक ने उपयुक्त जोखिम प्रबंधन संगठन संरचना स्थापित की है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी), बोर्ड की एक उप-समिति का गठन किया गया है जो बैंक में ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम और अन्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। बैंक ने आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियों का भी गठन किया है, क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए, आस्ति-देयता प्रबंध समिति (एएलसीओ), बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए निधि समिति, परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और उत्पाद/प्रक्रिया जोखिम शमन परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए समिति (पीआरएमसी) और सूचना सुरक्षा के प्रबंधन के लिए सूचना सुरक्षा समिति।

बैंक में सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और प्रथाओं को लागू करने के लिए व्यापार विभागों से स्वतंत्र, बैंक के केंद्रीय कार्यालय में एक पूर्ण विकसित जोखिम प्रबंधन विभाग कार्य कर रहा है। बैंक के महाप्रबंधक के पद पर मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप मेन कार्यरत हैं जो कि विभाग के प्रभारी हैं तथा बैंक में जोखिम प्रबंधन पर समग्र पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार हैं और सभी आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियों के संयोजक हैं। जोखिम प्रबंधन में मिड-ऑफिस, ट्रेजरी, विशेष रूप से, और सामान्य रूप से अन्य कार्यात्मक विभाग/शाखाएं भी जोखिम प्रबंधन कार्य करती हैं और नीतियों, जोखिम सीमा ढांचे और आंतरिक अनुमोदनों के पालन/अनुपालन की निगरानी करती हैं। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के ऋण जोखिम की देखरेख के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में जोखिम प्रबंधकों को नामित किया गया है। विभिन्न एमआईएस जमा करने के लिए जोखिम प्रबंधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय के साथ समन्वय करने के अलावा, वे क्षेत्रीय स्तर की क्रेडिट स्वीकृति समितियों में भाग लेते हैं।

जोखिम को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए मूल दृष्टिकोण इसकी उत्पत्ति के बिंदु पर जोखिम को नियंत्रित करने के साथ निहित है। बेसल III दिशानिर्देश 01.04.2013 से लागू हैं और बेसल III के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक पूंजी बनाए रख रहा है। %9 की न्यूनतम पूंजी और %11.50 के समग्र सीआरएआर के साथ %2.5 की पूंजी संरक्षण बफर आरबीआई द्वारा बेसल III में निर्धारित किया गया है। बासेल-III ढांचा तीन परस्पर सुदृढ़ पिलर पर आधारित है। जबकि संशोधित ढांचे का पहला पिलर ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता को पूरा करता है, पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया का दूसरा पिलर यह सुनिश्चित करता है कि बैंक के जोखिम प्रोफ़ाइल और नियंत्रण के अनुरूप अपने व्यवसाय में सभी जोखिमों को दूर करने के लिए बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है । आरबीआई परिपत्र के अनुसार, बैंक ने दूसरे पिलर के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) से बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार की है। इस नीति का उद्देश्य उन सभी भौतिक जोखिमों का आकलन करना है, जिनसे बैंक पहले पिलर जोखिमों के तहत विनियामक आवश्यकताओं से ऊपर होता है, और निरंतर आधार पर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी संरचना सुनिश्चित करता है।

2 दिसंबर 2013 को आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार असाधारण लेकिन विश्वसनीय घटनाओं के लिए संगठन की संभावित सुभेद्यता का आकलन करने के लिए «तनाव परीक्षण ढांचा» तैयार किया है। तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण, विशेष रूप से बैंक सामग्री के संबंध में जोखिम, आर्थिक मंदी के समय एक पोर्टफोलियो में निहित संभावित जोखिमों की पहचान करने में सक्षम बनाता है और तदनुसार इसे संबोधित करने के लिए उपयुक्त सक्रिय कदम उठाता है। नीतिगत निर्देशों के अनुसार, बैंक समय-समय पर बैंक की बैलेंस शीट और विशिष्ट पोर्टफोलियो पर विभिन्न तनाव परीक्षण करता है और एएलसीओ/आरएमसीबी/बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता योजना और आपदा रिकवरी योजना प्रचलन में है । ज़ीरो डेटा लॉस की सुविधा के लिए -3वे डेटा सेंटर लागू किए गए हैं, सभी 3वे डेटा सेंटरों पर मल्टीपल एमपीएलएस-वीपीएन उच्च बैंडविड्थ कनेक्शन और विभिन्न वैकल्पिक सेवा/वैकल्पिक प्रदाताओं से दोहरी कनेक्टिविटी और शाखाओं के लिए वैकल्पिक मीडिया स्थापित किया गया है। फ़ायरवॉल और घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणालियाँ लगायी गई हैं। सुधारात्मक कदम उठाने के लिए सूचना सुरक्षा घटनाओं की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए सूचना प्रणाली सुरक्षा विभाग द्वारा एक सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) स्थापित किया गया है, जबकि आईएस लेखापरीक्षा अनुभाग बैंक के विभाग और शाखाओं की आवधिक सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा का ध्यान रखता है। बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार सूचना सुरक्षा प्रणालियों को ठीक किया है। प्रत्येक

Bank has received 357 first appeals seeking further information against the reply of CPIO and CAPIO and the same have been duly disposed by FAA by passing appropriate order on merits and as per the provisions of RTI Act, 2005.

The appellants who were aggrieved with the reply of CPIO/ CAPIO and FAA preferred second appeal before Honorable Central Information Commission (CIC), New Delhi. Bank received 105 notices in Second Appeals filed before CIC. All the second appeals were represented by CPIO/CAPIO and were duly disposed by Information Commissioner by passing appropriate order on merits without any adverse remarks against the Bank.

RISK MANAGEMENT

Risk taking is an integral part of the banking business. Banks assume various types of risks in its activities while providing different kinds of services based on its risk appetite. Each transaction that the Bank undertakes changes the risk profile of the Bank. In the normal course of business, a bank is exposed to various risks including Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. The objective of risk management is not to prohibit or prevent risk taking activity, but to ensure that the risks are consciously taken with full knowledge, clear purpose and understanding so that it can be measured and mitigated. With a view to managing such risks efficiently and strengthening its risk management systems, the bank has put in place various risk management measures and practices which include policies, tools, techniques, monitoring mechanism and management information systems (MIS).

The Bank, on a continuous basis, aims at enhancing and maximizing the shareholder values through achieving appropriate tradeoff between risks and returns. The Bank's risk management objectives broadly cover proper identification, measurement, monitoring, control and mitigation of the risks with a view to enunciate the bank's overall risk philosophy. The risk management strategy adopted by the bank is based on an understanding of risks and the level of risk appetite of the bank. Bank's risk appetite is demonstrated broadly through prescription of risk limits in various policies relating to risk management.

The bank has set up appropriate risk management organization structure in the bank. Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of Board, is constituted which is responsible for management of credit risk, market risk, operational risk and other risks in the Bank. The bank has also constituted internal risk management committees namely Credit Risk Management Committee (CRMC) for managing credit risk, Asset Liability Management Committee (ALCO), Funds Committee for managing market risk, Operational Risk Management Committee (ORMC) and Product/Process Risk Mitigation Committee (PRMC) for managing operational risk, and Information Security Committee for managing Information security.

A full-fledged Risk Management department is functioning at the Bank's Central Office, independent of the business departments for implementing best risk management systems and practices in the bank. Chief Risk Officer in the rank of General Manager of the bank is in charge of the department who is responsible for overall supervision on risk management in the bank and is the convener for all the internal risk management committees. The Mid-Office in Risk Management, Treasury, in particular, and other functional departments/ branches in general also carry out the risk management functions and monitor the adherence/compliance to policies, risk limit framework and internal approvals. Risk Managers have been nominated at Regional Offices to oversee the credit risk of the respective regional offices. Apart from coordinating with Risk Management Department, Central Office for submission of various MIS, they participate in Regional Level Credit Approval Committees.

The basic approach to manage risk more effectively lies with controlling the risk at the point of its origination. Basel III guidelines have been introduced from 01.04.2013, and bank is maintaining capital as per the guidelines. Minimum Capital of 9% and Capital Conservation Buffer of 2.5% with overall CRAR of 11.50% have been prescribed by RBI in their BASEL III. The Basel-III Framework is based on three mutually reinforcing pillars. While the first pillar of the revised framework addresses the minimum capital requirement for credit, market and operational risks, the second pillar of supervisory review process ensures that the bank has adequate capital to address all the risks in their business commensurate with bank's risk profile and control environment. As per RBI Circular, the Bank has put in place a Board approved Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to address second pillar requirements. This policy aims at assessing all material risks to which the bank is exposed over and above the regulatory prescriptions under the first pillar risks, and ensuring adequate capital structure to meet the requirements on an ongoing basis.

The bank has formulated a "Stress Testing framework" to assess the potential vulnerability of the organization to exceptional but plausible events in line with the guidelines issued by RBI on 2nd December 2013. Stress testing and scenario analysis, particularly in respect of the bank's material risk exposure, enable identification of potential risks inherent in a portfolio at times of economic recession and accordingly take suitable proactive steps to address the same. In accordance with the policy prescriptions, the bank carries out various stress tests periodically on bank's balance sheet and specific portfolios and places the reports to ALCO/ RMCB / Board.

Board approved Business Continuity Plan and Disaster Recovery plan is in place. The 3-way data centers have been implemented to facilitate Zero data loss, Multiple MPLS-VPN high bandwidth connections at all 3 data Centers and Central, Dual connectivity from different alternate service/alternate providers and alternate media for branches have been established. Firewall and Intrusion detection systems have been implemented. A Security Operating Centre (SOC) has been established by the Information System Security Department to monitor and analyses the information security incidents to take corrective steps while IS Audit section takes care of the periodical Information Systems Audit of the Bank's department and branches. The bank has fine-tuned the information security systems in accordance with RBI guidelines.

तिमाही में नियमित डीआर अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं। नेटवर्क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, समय-समय पर सुभेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण अभ्यास बाहरी विशेषज्ञों द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के उन्नयन की प्रक्रिया में भी है और बेसल III ढांचे के तहत परिकल्पित उन्नत दृष्टिकोणों की ओर जाने की प्रक्रिया में है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2013 से प्रभावी चलनिधि जोखिम प्रबंधन पर अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिशा-निर्देश घरेलू परिचालनों और विदेशी परिचालनों सहित समेकित बैंक परिचालनों की तैयारी और प्रस्तुतिकरण को अलग-अलग समय पर शामिल करता है। बैंक ने इस संबंध में आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में प्रणाली और प्रक्रिया तैयार की है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की शुरुआत किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक के पास 30 दिनों तक चलने वाले तीव्र तनाव की स्थिति से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) है, जिससे संभावित तरलता व्यवधानों के लिए बैंकों की अल्पकालिक लचीलापन सुनिश्चित हो सके। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार 1 जनवरी, 2019 से बैंक के लिए निर्धारित एलसीआर की न्यूनतम आवश्यकता %100 है। बैंक एलसीआर को न्यूनतम निर्धारित स्तरों से काफी ऊपर बनाए हुए है। अचानक नकदी के बहिर्गमन को पूरा करने के लिए बैंक के पास पर्याप्त तरलता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) की शुरुआत की जिससे की बैंकों को निरंतर आधार पर धन के अधिक स्थिर स्रोतों के साथ अपनी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए बैंकों की लंबी अवधि के क्षितिज पर लचीलेपन को बढ़ावा दिया जा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों अनुसार निर्धारित न्यूनतम निवल स्थिर निधीयन अनुपात की आवश्यकता %100 है जो कि 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी है ।

बैंक निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) को न्यूनतम निर्धारित स्तरों से काफी ऊपर बनाए हुए है। बैंक का अधिकांश धन खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों से है, जो धन की स्थिरता के संबंध में उच्च स्थिरता प्रदान करते हैं। बैंक के पास दीर्घावधि समय क्षितिज पर चल रहे आधार पर अपनी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए धन के पर्याप्त स्थिर स्रोत हैं।

बेसल III ने एक सरल, पारदर्शी और गैर-जोखिम आधारित लीवरेज अनुपात शुरू किया है, जिसे जोखिम आधारित पूंजी आवश्यकता के लिए एक विश्वसनीय पूरक उपाय के रूप में कार्य करने के लिए नपे तुले उपाय किया है। बैंक लीवरेज अनुपात पर विनियामक आवश्यकता का अनुपालन करता रहा है और जून, 2015 को समाप्त तिमाही से, तिमाही आधार पर आरबीआई को रिपोर्ट करता रहा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2013 को समाप्त तिमाही से बासल III पूंजी अनुपात को प्रकट करते हुए बैंकों के साथ 1 अप्रैल 2013 से चरणबद्ध तरीके से लागू होने के लिए भारत में बासल III पूंजी विनियमों के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश जारी किया है तथा हमारा बैंक इसका अनुपालन कर रहा है ।

बेसेल-III ढांचे का तीसरा पिलर बाजार अनुशासन को संदर्भित करता है। बाजार अनुशासन का उद्देश्य पिलर 1 के तहत विस्तृत न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं और पिलर 2 के तहत विस्तृत पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया को पूरा करना है। इस संदर्भ में और आरबीआई द्वारा निर्देशित प्रकटीकरण का एक सेट (गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों) डीएफ 1 में प्रकाशित किया गया है। बैंक में जोखिम प्रबंधन के संबंध में 11 (अनुबंधित), जो बाजार सहभागियों को (ए) आवेदन के दायरे (डीएफ-1), (बी) पूंजी पर्याप्तता (डीएफ-2), (सी) क्रेडिट जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-3), (डी) क्रेडिट जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण (डीएफ-4) के अधीन पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण, (ई) क्रेडिट जोखिम न्यूनीकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ- 5), (एफ) प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-6), (जी) ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम (डीएफ-7), (एच) परिचालन जोखिम (डीएफ-8), (i) ब्याज दर जोखिम बैंकिंग बुक (आईआरआरबीबी) (डीएफ-9) में, (जे) काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क से संबंधित एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-10), (के) पूंजी की संरचना (डीएफ (11), लेखा संपत्ति बनाम सारांश तुलना उत्तोलन अनुपात जोखिम माप (डीएफ 17) और **उत्तोलन अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (DF-18)।** यह विभिन्न मापदंडों में बैंक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए बाजार सहभागियों को आवश्यक जानकारी भी प्रदान करेगा तथा विभिन्न मापदंडों पर बैंक के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए बाजार सहभागियों को जानकारी प्रदान करता है ।

ऋण प्रबोधन:

बैंक ने एसएमए खातों के अनुवर्तन व वसूली के लिए और क्रेडिट की बारीकी से निगरानी के लिए कई रणनीतियों को लागू किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्लिपेज को न्यूनतम संभव स्तरों पर रखा जा सके ।

खातों की प्रभावी निगरानी के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लागू किए गए उपाय: बैंक द्वारा बढ़े हुए स्लिपेज के संभावित जोखिम को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं,

- **एसएमए और संभावित स्लिपेज** की मासिक रिपोर्ट प्रत्येक महीने काफी पहले सृजित की जाती है और अद्यतित रिपोर्ट सभी कर्मचारियों को दैनिक आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए उपलब्ध करवाई जाती है ।
- **स्पेशल मेंशन खाता (एसएमए) पोर्टल** सभी एसएमए खातों पर डेटा, आयु प्रोफ़ाइल का विवरण और दैनिक वसूली की स्थिति प्रदान करता है । शाखाओं के सभी स्टाफ सदस्यों को आबंटित सभी एसएमए खातों की शाखाओं/क्षे.का और के.का द्वारा दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है ।
- अतिदेय के पुनर्भुगतान के लिए अनुस्मारक के रूप में नियमित रूप से **एसएमएस अलर्ट** भेजे जाते हैं । इसके अलावा, शाखाओं के सभी कर्मचारियों को अनुवर्ती कार्रवाई और वसूली के लिए एसएमएस अलर्ट भी भेजे जाते हैं ।
- एसएमए उधारकर्ताओं से 15 दिनों के भीतर टेलीफोनिक अनुवर्तन का जवाब नहीं मिलने पर, उनसे **व्यक्तिगत रूप से मिलकर** अनुवर्तन किया जाता है ।
- केंद्रीय कार्यालय के महा प्रबंधकों के द्वारा रु. 50 लाख और उससे अधिक के बकाया वाले एसएमए खातों की प्रत्येक महीने समीक्षा की जा रही है ।
- विदेशी शाखाओं के एसएमए खातों की भी मासिक आधार पर महा प्रबंधक समिति द्वारा समीक्षा की जाती है ।
- एसएमए उधारकर्ताओं को **सिस्टम जनित पत्र** हर महीने शाखाओं द्वारा भेजे जाते हैं, जिनमें अतिदेय का उल्लेख होता है और शीघ्र नियमित करने का अनुरोध किया जाता है ।
- खुदरा ऋण और एमएसएमई के एसएमए / सिनपा खातों में

Regular DR drills are being conducted every quarter. To ensure Network security, periodical Vulnerability assessment and Penetration testing exercise are conducted by external experts.

The Bank is also in the process of upgrading its risk management systems and procedure for migrating to the advanced approaches envisaged under Basel III framework.

Reserve Bank of India has issued final guidelines on Liquidity Risk Management effective from March 2013. The guideline covers preparation and submission of consolidated bank operations including domestic operations and overseas operations separately at various frequencies. The bank has put in place system and procedure in this regard in compliance with the RBI guidelines.

RBI had introduced the Liquidity Coverage Ratio (LCR) in order to ensure short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that bank have sufficient high quality liquid assets (HQLA) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. The minimum LCR requirement set out in the RBI guidelines for the bank effective January 1, 2019 is 100%. The Bank is maintaining LCR well above the minimum prescribed levels. Bank is having enough liquidity to meet sudden cash outflows.

RBI introduced the Net Stable Funding Ratio (NSFR) in order to promote resilience of Banks over a longer-term time horizon by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis. The minimum NSFR requirement set out in the RBI guidelines effective October 1, 2021 is 100%.

The bank is maintaining NSFR well above the minimum prescribed levels. Bank's majority funding is from Retail and Small Business customers, which provide high stability with regard to stability of Funding. Bank is having enough stable sources of funding to fund their activities on an ongoing basis over a longer-term time horizon.

Basel III has introduced a simple, transparent and non-risk based leverage ratio, which is calibrated to act as a credible supplementary measure to the risk based capital requirement. Bank has been in compliance with the regulatory requirement on Leverage ratio and reporting to RBI on a quarterly basis from the quarter ending June, 2015.

Reserve Bank of India has issued guidelines on implementation of Basel III capital regulations in India to be implemented in phased manner effective from April 1, 2013 with Banks disclosing Basel III capital ratios from the quarter ending June 30, 2013. The bank is complying with the same.

The third pillar of Basel-III framework refers to market discipline. The purpose of market discipline is to complement the minimum capital requirements detailed under Pillar 1 and the supervisory review process detailed under Pillar 2. In this context and as guided by RBI a set of disclosure (both qualitative and quantitative) are published in DF 1 to 11 (annexed) with regard to risk management in the bank, which will enable market participants to assess key pieces of information on the (a) scope of application (DF-1), (b) Capital Adequacy (DF-2), (c) Credit Risk: General Disclosures for all banks (DF-3), (d) Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardized Approach (DF-4), (e) Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches (DF-5), (f) Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach (DF-6), (g) Market Risk in Trading Book (DF-7), (h) Operational Risk (DF-8), (i) Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) (DF-9), (j) General Disclosure for Exposures Related to Counter Party Credit Risk (DF-10),(k) Composition of Capital (DF (11), Summary Comparison of accounting assets vs Leverage Ratio exposure measure (DF 17) and Leverage ratio common disclosure template (DF-18). This would also provide necessary information to the market participants to evaluate the performance of the bank in various parameters. information to the market participants to evaluate the performance of the bank in various parameters.

CREDIT MONITORING:

Bank has implemented several strategies for follow-up and recovery of SMA accounts and for closer monitoring of credit to ensure that slippages are kept at the minimum possible levels.

Measures implemented during FY 2022-23 for effective monitoring of accounts:

The following are the measures taken by Bank to address potential risk of increased slippage,

- **SMA and Probable Slippages Reports for the month is provided online well ahead** every month and updated report is made available to all the Staff for follow-up on a daily basis.
- The **Special Mention Accounts (SMA) portal** provides data on all SMA Accounts, details of age profile and daily recovery status. All SMA accounts are being monitored by Branches/RO and CO on a daily basis.
- **SMS Alerts** are sent to SMA borrowers at regular frequencies as a reminder for repayment of overdues. Besides, SMS Alerts are also sent to all the staff of Branches for follow-up and recovery.
- SMA Borrowers not responding to telephonic follow-up within 15 days are followed up through **personal visits.**
- **SMA accounts** with the outstanding of Rs.50 lakh and above are being **reviewed every month** by GMs committee at C.O.
- **SMA accounts of overseas Branches** are also reviewed by GMs Committee on a monthly basis.
- **System generated Letters** to SMA borrowers are sent every month by branches, mentioning overdues and requesting early regularization.
- Services of an **Outbound Call Centre** is also engaged for

अनुवर्ती कार्रवाई और वसूली के लिए एक **आउटबाउंड कॉल सेंटर** की सेवाएं भी ली जा रही हैं । कॉल के अलावा वॉयस ब्लास्ट सुविधा का उपयोग अतिदेय उधारकर्ताओं को पूर्व-रिकॉर्डेड संदेश भेजने के लिए भी किया जाता है, जिन्होंने उन्हें अपना बकाया जल्द से जल्द भुगतान करने के लिए सहमति प्रदान की ।

- **पूर्व चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) :** बैंक के पास एक मजबूत ईडब्ल्यूएस समाधान मौजूद है । एक्सपोज़र बैंक के स्तर पर उधार देने की व्यवस्था जहाँ उधार रु. 3.00 करोड़ रुपये या उससे अधिक है (निधि और गैर-निधि आधारित दोनों) के जोखिम वाले साथ सभी खातों को कवर करता है ।

उपरोक्त उपायों को अपनाकर बैंक वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपनी स्लिपेज पर बेहतर नियंत्रण करने और स्पेशल मेंशन खातों की वसूली और नियमितीकरण को अधिकतम करने में सक्षम है ।

ऋण समीक्षा तंत्र:

- **स्टॉक ऑडिट प्रक्रियाओं** को सभी खातों के लिए जिनमें कार्यशील पूंजी बकाया (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित दोनों) रुपये 5 करोड़ और उससे अधिक है। स्टॉक ऑडिट समीक्षा नोट केंद्रीय कार्यालय में महाप्रबंधकों की समिति को रखे जा रहे हैं और समिति की टिप्पणियों को आरओ/शाखाओं को सलाह दी जा रही है।
- **एजेंसी फॉर स्पेशलाइज्ड मॉनिटरिंग (एएसएम)** बैंक उन खातों के लिए एएसएम आबंटित करता है जहां सीसीडी/एमएसएमई ने स्वीकृति में एएसएम नियुक्ति निर्धारित की है। एएसएम रिपोर्ट केंद्रीय कार्यालय में महा प्रबंधक समिति को प्रस्तुत की जा रही हैं और समिति की टिप्पणियों को आरओ/शाखाओं को सलाह दी जा रही है।
- **क्रेडिट अनुपालन लेखापरीक्षा** उन सभी घरेलू खातों के लिए किया जाता है जहां एक्सपोज़र रु 50.00 लाख और विदेशी खाते जिनमें एक्सपोज़र रु 1.00 करोड़ से अधिक है। हर साल लेखापरीक्षा होती है। लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रारूप अनुपालन स्तर के आधार पर खाते को निम्न/मध्यम/उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत करता है। कमियों को दूर करने और अनुपालन स्तर को बढ़ाने के लिए खाता-वार कदम उठाए गए हैं ।

अनुपालन

अनुपालन प्रबंधन को किसी भी कॉरपोरेट इकाई के कॉरपोरेट प्रशासन संरचना और सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन अभ्यास के प्रमुख तत्वों में से एक माना जाता है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक के पास अच्छी तरह से परिभाषित अनुपालन नीति है और अनुपालन कार्यों के प्रबंधन के लिए प्रणाली और प्रक्रियाएं भी मौजूद हैं । नियामकीय दिशा-निर्देशों पर आवश्यक परिपत्र/निर्देश समय-समय पर जारी किए जा रहे हैं।

मुख्य अनुपालन अधिकारी बैंक के एमडी और सीईओ/बोर्ड/एसीबी को रिपोर्ट करता है, और विभिन्न नीतियों की मंजूरी और प्रशासनिक बैठकों में प्रभावी रूप से भाग लेता है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, अनुपालन विभाग ने विभिन्न क्षेत्र स्तरों पर अनुपालन के स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया है । अनुपालन विभाग ने भी नई पहल की है और मौजूदा अनुपालन साधनों का विकास किया है।

बैंक के अनुपालन स्तर का निर्धारण तिमाही आधार पर की जा रही है । संगणना प्रक्रिया स्व-मूल्यांकन अनुपालन प्रमाण-पत्र (एसएसीसी), क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शाखाओं का भौतिक सत्यापन (पीवीआरओ) प्राप्त करके ही क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय के विभागों और विदेशी शाखाओं के लिए अनुपालन जोखिम मैट्रिक्स ज्ञात की जाती है।

समग्र अनुपालन स्तर, बोर्ड/ बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाता है। अनुपालन कार्य की वार्षिक समीक्षा और शाखाओं के अनुपालन स्तर में सुधार के लिए उठाए गए कदम भी बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत किए जाते हैं।

बैंक ने वेब पोर्टल अर्थात बैंकों के इंट्रानेट में ज्ञान प्रबंधन/नॉलेज मैनेजमेंट टूल प्रदान किया है जिसमें आरबीआई, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) आदि जैसे विभिन्न नियामकों के सभी विनियमों, दिशा-निर्देशों को एक ही बिंदु पर एक्सेस किया जा सकता है।

संचार और पारस्परिक व्यवहार के विभिन्न रूपों के माध्यम से स्टॉफ सदस्यों के बीच अनुपालन संस्कृति विकसित की जा रही है।

बैंक द्वारा विमोचित नए उत्पाद को प्रथम छह महीनों की अवधि के लिए गहन निगरानी की जाती है ताकि अनुपालन जोखिम की सांकेतिक मापदंडों के पर्याप्त निगरानी की जा सके ।

सतर्कता:

वर्ष 2022-23 के दौरान "**बिज़नेस पहल, निवारक सतर्कता हमेशा**" की थीम के साथ , बैंक ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर निवारक सतर्कता और सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों के त्वरित निपटान के लिए विभिन्न प्रभावी कदम उठाना जारी रखा है ।

1. **निवारक सतर्कता गतिविधियाँ** : वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नलिखित निवारक सतर्कता की पहल गईं :

ए) वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कुछ प्रणालीगत सुधार गतिविधियों का सुझाव दिया गया था। थोक डिपॉजिट क्षेत्र के नवीकरण में गतिविधि के हिस्से के रूप में 37.56 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ब्याज के भुगतान को रोका गया और साथ ही प्रणाली में सुधार सुनिश्चित किया गया।

बी) वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, डीएफएस, सीवीसी, आरबीआई, सीबीआई और अन्य विभिन्न स्रोतों से कुल 199 शिकायतें प्राप्त हुईं। जहां कहीं भी सतर्कता में ओवरटोन देखी गई, ऐसी शिकायतों को सीवीसी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर तार्किक ढंग से समाप्त किया गया । सिर्फ एक शिकायत 3 महीने से अधिक लंबित थी जो अब बंद हो गई है।

सी) विभाग ने 22 सीटीई प्रकार के निरीक्षणों की जांच की है और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और सहायक आरआरबी-ओजीबी द्वारा रखे गए विभिन्न खरीद आदेशों/सेवा आदेशों की जांच की है।

follow up and recovery in SMA/Probable Slippage accounts of Retail credit and MSME. Apart from the calls **Voice Blast** facility is also used to send pre-recorded messages to the overdue borrowers persuading them for paying their dues at the earliest.

- **Early Warning Signals (EWS):** Bank has a robust EWS solution in place. The solution covers all accounts including Retail accounts with exposure of Rs. 3.00 Crores or more (both fund and non-fund based) at the level of a bank irrespective of the lending arrangement.

By adopting the above measures, the Bank has been able to administer better control on its slippages for FY 2022-23 and maximize recovery and regularization of Special Mention Accounts.

LOAN REVIEW MECHANISM:

- **Stock Audit procedures** have been strengthened for all accounts with working capital outstanding (both fund based and non-fund based) Rs.5 crores and above. Stock Audit review notes are being placed to the GMs Committee at Central Office and observations of the Committee are being advised to RO/Branches.
- A**gency for Specialised Monitoring(ASM)** Bank allocates ASM for accounts wherever CCD/MSME has stipulated ASM appointment in the sanction. ASM reports are being placed to the GMs Committee at Central Office and observations of the Committee are being advised to RO/Branches.
- **Credit Compliance Audit** is done for accounts with an exposure of Rs.50.00 lakh and above for domestic accounts and for accounts with exposure Rs.1.00 Crore and above for overseas accounts. Audit is done every year. The Audit report format classifies the Account as Low/Moderate/High Risk based on the compliance level. Account wise steps are taken to rectify deficiencies and enhance compliance level.

COMPLIANCE :

Compliance Management is considered as one of the key elements of Corporate Governance Structure and Sound Risk Management Practice of any corporate entity.

The Bank has well defined compliance policy as per Reserve Bank of India Guidelines and has in place systems and procedures for managing Compliance Functions . Necessary Circulars / Instructions on the regulatory Guidelines are being issued periodically.

Chief Compliance officer reports to MD & CEO / Board / ACB of the Bank , and effectively participate in various policies clearance and governance Meetings .

During the financial year, compliance department has made significant improvement in level of compliance at various field levels. Compliance Department has also taken new initiatives and development of the existing compliance tools.

Compliance level of the Bank is being computed on a quarterly basis. The computation process is done by obtaining Self-Assessment Compliance Certificate (SACC), Physical Verification of Branches by Regional Office (PVRO) and arrive Compliance Risk Matrix for Regional Office , Central Office Departments and overseas branches .

The overall compliance level is submitted to Board / Audit committee of the Board. Annual review of compliance function and further step initiated for improving compliance level of branches are also submitted to audit committee of the board.

The Bank has provided the web Portal viz Knowledge Management Tool in Banks Intranet wherein all the Regulation, Guidelines of the various regulators like RBI ,SEBI Etc. can be accessed at a single point .

Compliance culture is being inculcated among the staff members though various forms of communication and interactions.

New Products launched by the Bank are subject to intensive monitoring for a period of first six months of introduction to ensure that the indicative parameters of compliance risk are adequately monitored.

VIGILANCE:

With the theme of **"Business First, Preventive vigilance always"** continued during the Year 2022-23, the Bank continued to take various effective steps for Preventive Vigilance and speedy disposal of Vigilance Disciplinary cases within the time schedule prescribed by Central Vigilance Commission.

1. **Preventive vigilance Activities:** The following Preventive Vigilance initiatives were conducted during the year 2022-23:

a) During the year few systemic improvement activities were suggested by the department. As part of the activity in Renewal of Bulk Deposits area payment of excess interest to the tune of Rs. 37.56 crores was arrested and simultaneously ensured rectification of system.

b) During the FY 2022-23, total 199 complaints received from various sources including DFS, CVC, RBI, CBI & Others. Wherever vigilance overtone observed such complaints were handled until the logical end as per the timeframe fixed by CVC and only one complaint was pending more than 3 months which is closed now.

c) Department has scrutinized 22 CTE type inspections and examined various procurement orders / service orders placed by Information Technology Department, General Administration Department and Subsidiary RRB-OGB.

डी) विभिन्न मामलों पर विषयगत निरीक्षणों की एक श्रृंखला, अभियान अवधि के दौरान स्वीकृत आवास ऋणों का सत्यापन, उच्च अग्रिम विकास शाखाएं, अनुपालन स्तर आदि की जांच के लिए सतर्कता विभाग द्वारा वर्ष के दौरान औचक दौरे आदि आयोजित किए गए।

ई) जमीनी स्तर पर सतर्कता तंत्र का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीवीओ ने वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के 16 क्षेत्रों का दौरा किया है। दौरे के दौरान, मुख्य सतर्कता अधिकारी ने निवारक सतर्कता के महत्व के बारे में वेबेक्स पर क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों, चुनिंदा शाखा प्रमुखों और कुछ शाखाओं को संवेदनशील बनाया।

एफ) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, सभी क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी (आरवीओ) और सतर्कता विभाग के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें दो बैचों में प्रणाली/ प्रक्रियाओं और अनुशासनात्मक कार्यवाही को समय पर पूरा करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया था।

2. **प्रिडिक्टिव सतर्कता**: वर्ष 2022-23 के लिए सभी उच्च और मध्यम जोखिम वाली शाखाओं की केन्द्रीय कार्यालय निरीक्षण रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट की वास्तविक समय के आधार पर जांच की गई और सतर्कता दृष्टिकोण से घटनाओं का संज्ञान बैंक द्वारा उचित कार्रवाई के लिए रिकॉर्ड पर लाया गया एवं जांच की गई रिपोर्ट का विवरण निम्नवत है:

- ✓ वर्ष 23-2022 के दौरान 3639 समवर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच की गयी ।
- ✓ वर्ष 23-2022 के दौरान 2411 केन्द्रीय कार्यालय निरीक्षण प्रतिवेदनों की जांच की गयी ।
- ✓ वर्ष 23-2022 के दौरान 1364 सांविधिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच की गयी।
- ✓ वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 39,034 कर्मचारियों को ऋण, पासपोर्ट, विदेश यात्रा, पहली पंक्ति में पोस्टिंग आदि के लिए मंजूरी/ स्थिति दी गयी ।
- ✓ 74 एस ए सी फाइलों की जांच की गयी ।
- ✓ 60 धोखाधड़ी फाइलों की जांच की गयी ।

3. **दंडात्मक सतर्कता:** बैंक द्वारा अनुशासनात्मक मामलों के निपटान के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों के कारण, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सतर्कता मामलों और गैर-सतर्कता मामलों के निपटान में कमी आई है। 31.03.2023 तक विभिन्न स्तरों पर केवल 133 सतर्कता मामले प्रक्रियाधीन हैं और उसमें से 107 मामले (चार्जशीट जारी किए गए थे और शेष 26 मामले चार्जशीट जारी करने की प्रक्रिया सी-डैक द्वारा प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा कोर्ट केस के कारण 36 महीने से अधिक केवल 1 मामला लंबित है। दिनांक 31.03.2023 को कुल निलंबन प्रकरणों की संख्या 39 है।

4. **सहभागी सतर्कता:** सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर आयोग का संदेश **"भ्रष्टाचार मुक्त भारत एक विकसित राष्ट्र के लिए; भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत"** सभी शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों पैन इंडिया और केंद्रीय कार्यालय द्वारा अच्छी तरह से अपनाया गया है । ईमानदार और पारदर्शी बने रहने के लिए तथा हमारे कर्मचारियों, ग्राहकों, हितधारकों और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सतर्कता विभाग ने विभिन्न आंतरिक और आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया है । अभियान अवधि के दौरान पीआईडीपीआई (सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा) पर विशेष ध्यान दिया गया और व्यापक प्रचार किया गया। हमने आम तौर पर सभी जनता को भ्रष्टाचार उन्मूलन और अखंडता को गले लगाने के लिए प्रेरित किया ।

संगठन के भीतर आयोजित गतिविधियों/कार्यक्रमों का सार:-

I. आंतरिक सतर्कता जागरूकता गतिविधियां:

ए. सामूहिक प्रतिज्ञा : 31 अक्टूबर -2022 को सामूहिक प्रतिज्ञा केंद्रीय कार्यालय, चेन्नै में पूर्वाह्न 11:00 बजे लिया गया , जिसमें प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता ने कार्यपालक निदेशकों, मुख्य सतर्कता अधिकारी, महाप्रबंधकों और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में अंग्रेजी में शपथ दिलाई। हिन्दी में शपथ कार्यपालक निदेशक श्री अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिलाया गया । इसी तरह, पूरे भारत में शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों के सभी कर्मचारियों ने एक ही समय में शपथ ली।

बी. ई सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा: दो मिलियन से अधिक ग्राहकों (24,04,121) ने हमारे साथ खाता खोलते समय 15 नवंबर -2021 से 05 दिसंबर -2022 तक पूरे भारत में हमारी शाखाओं के माध्यम से सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा ली है, जिसमे से 84.14% ग्राहक खाता धारक हैं ।

सी.कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता: 19 अक्टूबर-2022 को हमारे बैंक के 5625 कर्मचारियों ने ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें उनके द्वारा प्राप्त अंको को पारदर्शी तरीके से तत्काल ऑनलाइन दर्शाया गया तथा भागीदारी प्रमाण पत्र भी तुरंत जनरेट गए

डी. कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता: 10 अक्टूबर -2022 से 26 अक्टूबर -2022 तक, हमारे बैंक के 1721 कर्मचारियों ने " भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत " विषय पर ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। निबंध प्रतियोगिता निबंध जमा करने से लेकर मूल्यांकन तक ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई और स्टाफ कॉलेज टीम की समिति ने ऑनलाइन पारदर्शी मोड में निबंधों का मूल्यांकना किया और अंक प्रदान किए । साथ ही भागीदारी प्रमाण पत्र तुरन्त जनरेट किए गए।

ई. एक बेहतर आइओबी के लिए विचार प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता – 10 अक्टूबर -2022 से 26 अक्टूबर 2022 तक, हमारे बैंक के 837 कर्मचारी ऑनलाइन 'आइडियाज फॉर ए बेटर आइओबी' प्रतियोगिता में भाग लिया । बैंक को समग्र रूप से बेहतर बनाने, विभिन्न स्तरों पर विचार प्रदान करने के लिए सभी कर्मचारियों के लिए इस प्रतियोगिता को आयोजिता किया गया । आइओबी के बेहतरी के लिए जिन दस श्रेणियों की पहचान की गई है, जिन पर कर्मचारियों को अपने विचार प्रदान करने के लिए कहा गया है, वे हैं ग्राहक सेवा में सुधार, खर्चों में कटौती, आय सृजन के नए रास्ते, निवारक सतर्कता, लाभ में वृद्धि, कासा में सुधार, भ्रष्टाचार मुक्त बैंक, प्रणालीगत परिवर्तन, आय का रिसाव और कर्मचारियों के बीच उत्पादकता में सुधार के तरीके।

d) A series of thematic inspections on various matters, verification of Housing loans sanctioned during the campaign period, high advance growth branches, surprise visits by vigilance department to check the compliance level etc., during year were conducted.

e) CVO has visited 16 Regions of the Bank during the financial year to ensure compliance to vigilance mechanism at the ground level. During the visit, CVO has sensitized the RO staff, select Branch heads and few branches over webex about importance of preventive vigilance.

f) During the Financial year 2022-23, training programme for all RVOs and officials of vigilance department was conducted highlighting the systems/procedures and the importance of timely completion of disciplinary proceedings in two batches.

2. **Predictive Vigilance:** CO Inspection Reports, Audit reports of all the high and medium risk branches for the year 2022-23 were scrutinized on a real time basis and cognizance of incidents of Vigilance angle were brought on record for appropriate action by bank. The details of reports scrutinized are as follows:

- ✓ Scrutinized 3639 concurrent audit reports during the year 2022-23.
- ✓ Scrutinized 2411 Central office inspection reports during the year 2022-23.
- ✓ Scrutinized 1364 Statutory Audit reports during the year 2022-23.
- ✓ During the year 2022-23 total of 39,034 clearances / status given to employees for availing loans, passport, foreign visits, first line posting etc.
- ✓ 74 No. of SAC files scrutinized
- ✓ 60 No. of Fraud files scrutinised

3. **Punitive Vigilance:** Due to effective steps taken for disposal of disciplinary cases by the Bank, pendency in disposal of vigilance cases and non-vigilance cases reduced for the FY 2022-23. As on 31.03.2023 only 133 vigilance cases are under process at various level and out of that 107 cases (charge sheet was issued and remaining 26 cases issuance of charge sheet is under process by CDAC. Further more than 36 months only 1 case is pending due to court case. Total Suspension cases as on 31.03.2023 is 39.

4. **Participative Vigilance:** Commission's message on Vigilance Awareness Week "**Corruption free India for a developed Nation; भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत**" has been well taken by all Branches, Regional Offices PAN India and Central Office. Vigilance Department has organized various internal and outreach activities to create awareness among our employees, customers, stakeholders and general public about being honest and transparent. A special focus and wide publicity given on PIDPI (Public Interest Disclosure and Protection of Informers) during Campaign period. We inspired all public in general in the process of eradicating corruption and embracing Integrity.

Gist of Activities / Events conducted within the organization: -

I. In-house Vigilance Awareness Activities:

a) **Mass Pledge: On 31st October-2022, Mass Pledge was taken at 11:00 AM** in Central Office, Chennai, wherein Managing Director & Chief Executive Officer Shri. Partha Pratim Sengupta administered the pledge in English in presence of, Executive Directors, Chief Vigilance Officer, General Managers and other executives. Pledge in Hindi was administered by Executive Director Shri. Ajay Kumar Srivastava. Similarly, all the employees of branches and administrative offices took pledge at the same time across India.

b) **E Integrity Pledge:** More than Two Million customers (24,04,121) have taken Integrity Pledge at the time of opening Account with us from 15th November-2021 to 05th December-2022 through our Branches across India which come to 84.14% of Customers who have opened the accounts.

c) **Online Quiz Contest to Employees:** On 19th October-2022 - 5625 employees of our Bank participated in the Online Quiz Contest and participation certificates with display of marks scored were generated instantly and evaluation was also done online in a transparent manner.

d) **Online Essay Contest to Employees:** From 10th October-2022 to 26th October-2022, 1721 employees of our Bank participated in the Online Essay Contest on the theme **"Corruption free India for a developed Nation; भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत"**. Essay Contest was held through online mode from submission of essay to evaluation and committee of Staff College Team has evaluated the essays and marks assess in online transparent mode. Further participation certificates were generated instantly.

e) **Online contest for submitting Ideas for a better IOB-** From 10th October-2022 to 26th October 2022, 837 employees of our Bank participated in online 'Ideas for a Better IOB' contest. The contest conducted to involve all staff to provide ideas at different level to improve the bank as a whole. The ten categories identified for the betterment on which staff have been asked to provide the ideas are Betterment of customer service, curtailing expenses, new avenues for Income generation, preventive vigilance, profit boosting, CASA improvement, corruption free bank, systemic changes, stopping of leakage of income and ways to improve productivity among staffs.

एफ. बैनर और पोस्टर प्रदर्शित करना:_31 अक्टूबर-2022 से , 3214 शाखाओं और 49 क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय ने पूरे भारत में प्रमुख स्थानों पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह बैनर और पीआईडीपीआई पोस्टर प्रदर्शित किए गए । केंद्रीय कार्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान केंद्रीय कार्यालय में एक मेगा बैनर और 04 स्टैंडियों को प्रदर्शित किया गया।

जी. सतर्कता जागरूकता गतिविधियों पर रंगोली प्रतियोगिता: 02 नवंबर-2022 को हमारे बैंक के 75 कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत एक विकसित राष्ट्र के लिए विषय पर रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया। रिश्वत मुक्त भारत विकसित भारत " केंद्रीय कार्यालय, चेन्नई में आयोजित किया गया।

एच. विशेष चौकसी पत्रिका :_विशेष इन-हाउस पत्रिका आईओबी-विजिल (विशेष संस्करण) 01.11.2022 को केंद्रीय कार्यालय, चेन्नई में जारी किया गया था।

II. जनसंपर्क गतिविधियाँ:

ए. स्काई विज्ञापन : स्काई विज्ञापन बलून के माध्यम से सतर्कता जागरूकता सप्ताह2022- को लोकप्रिय बनाया गया। मुख्य सतर्कता अधिकारी ने 31 अक्टूबर-2022 और 01 नवंबर 2022 को तमिल और अंग्रेजी में सतर्कता जागरूकता सप्ताह थीम और आईओबी के लोगो के साथ केंद्रीय कार्यालय-चेन्नई और स्टाफ कॉलेज- चेन्नई के शीर्ष से 40 फीट ऊंचाई पर आकाश विज्ञापन गुब्बारे छोड़े गए । इसके अलावा, प्रतीकात्मक गुब्बारे भ्रष्टाचार को जाने देने के एक टोकन के रूप में आकाश में छोड़े गए थे ।

बी. हवाई विज्ञापन : सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 थीम पर जनता के बीच जागरूकता पैदा किया गया और **31** अक्टूबर 2022 से 06 नवंबर 2022 तक जिंगल्स**,** एफएम रेडियो 93.5 (सूर्यन एफएम), अंग्रेजी और तमिल में तथा चेन्नई के अग्रणी एफएम में प्रसारित किया गया । 4 और 5 नवंबर 2022 को सीवीओ का इंटरव्यू , जनता को साइबर क्राइम से बचाने के उपाय के संबंध में तमिल माध्यम से एफएम रेडियो 93.5 (सूर्यन एफएम) पर प्रसारित किया गया ।

सी.स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम: उचित कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, सतर्कता जागरूकता सप्ताह में देश भर के 392 स्कूलों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह गतिविधियों का आयोजन किया जिसमें 39821 छात्रों और 98 कॉलेजों में 8876 छात्रों ने भागा लिया और सामूहिक रूप से शपथ भी लिया । इन स्कूलों में भाषण, वाद-विवाद, चित्रकला आदि प्रतियोगिताएं और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया गया।

डी. ग्राम सभाओं के माध्यम से जागरूकता : उचित कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, देश भर में 621 ग्राम सभाओं जागरूकता का आयोजन किया गया , जिसमें 16,639 लोगों ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह में भाग लिया और सामूहिक रूप से शपथ ली।

ई. सेमिनार/कार्यशालाएं: देश भर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह गतिविधियों पर कुल 52 सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित की गईं और जिनमें लगभग 2468 लोगों ने भाग लिया और सामूहिक शपथ ली।

एफ. धोखाधड़ी की रोकथाम पर आयोजित वेबिनार : 1 नवंबर 2022 को पैन इंडिया में एक वेबिनार **का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. पी. कंडासामी, आईपीएस, पुलिस महानिदेशक,** निदेशक, सतर्कता और भ्रष्टाचार-विरोधी निदेशालय, तमिलनाडु को आमंत्रित किया गया। सतर्कता और निवारक सतर्कता के पहलुओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे भारत में 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

जी. वॉकथॉन : मुख्य सतर्कता अधिकारी ने **क्षेत्रीय कार्यालय-चंडीगढ़ द्वारा** सुखना लेक-चंडीगढ़ में दिनांक 04.11.2022 को आयोजित वॉकथॉन में भाग लिया । चेन्नई के मेट्रो और गैर-मेट्रो क्षेत्रीय कार्यालयों ने केंद्रीय कार्यालय के सहयोग से **06.11.2022 को बेसेंट नगर बीच - चेन्नै में मेगा वॉकथॉन का आयोजन किया।** घटना को श्रीमती अमृता जोठी, आईएएस, चेन्नई जिला कलेक्टर और एमडी और सीईओ द्वारा कार्यकारी निदेशकों, मुख्य सतर्कता अधिकारी, महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, सतर्कता विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाई गई । चेन्नई के केंद्रीय कार्यालय और मेट्रो और गैर-मेट्रो क्षेत्रीय कार्यालयों के अन्य कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

III डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिखाई देने वाली अन्य गतिविधियां:

ए. **सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2022** के दौरान-22,31,282 एसएमएस चयनित आइओबी ग्राहकों को भेजे गए थे जिनमें संदेश था «प्रिय ग्राहक, हम 31.10.2022 से 06.11.2022 तक **"विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत"** की थीम पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहे हैं । हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े और प्रतिज्ञा लें इसके लिए हमारी निकटतम शाखा पर जाएँ या www.iob.in या https:// pledge.cvc.nic.in " पर जाएँ ।

बी. **सतर्कता जागरूकता सप्ताह -2022** के दौरान चयनित आईओबी ग्राहकों को 4,65,757 ईमेल सीवीओ संदेश और ई-प्रतिज्ञा लेने के लिए हाइपरलिंक के साथ भेजे गए थे।

सी. **सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2022** के दौरान आईओबी पैन इंडिया की 3438 एटीएम/सीडीएम मशीनों को सतर्कता जागरूकता सप्ताह संदेश प्रदर्शित करने और प्रिंट करने के लिए सक्षम किया गया था " **कृपया सतर्कता जागरूकता सप्ताह2022- समारोह में शामिल हों और यहां आकर शपथ लें** www.iob.in या https://pledge.cvcnic.n "

डी. **सतर्कता जागरूकता सप्ताह** संदेश को बैंक के आधिकारिक पेज ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया था।

IV. ओडिशा ग्रामीण बैंक (आइओबी) में आयोजित गतिविधियां:

ए) 1276 कर्मचारियों ने सामूहिक सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा ली

बी) 4073 ग्राहकों ने ई- सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा ली

सी) निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई और 28 कर्मचारियों ने भाग लिया।

डी) 91 स्कूलों और 01 कॉलेज में आयोजित गतिविधियों में कुल 4141 छात्रों ने भाग लिया और सामूहिक सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा ली।

ई) जागरूकता ग्राम सभाएं आयोजित की गईं और अट्ठाईस हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया और सामूहिक सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा ली।

f) **Displaying Banners & Posters:** From 31st October-2022, 3214 Branches and 49 Regional Offices and Central office displayed VAW Banners and PIDPI Poster in the prominent places across India. In central Office, a Mega Banner and four standees were displayed in Central Office during VAW.

g) **Rangoli Contest on Vigilance Awareness Activities:** On 02nd November-2022, 75 employees of our Bank participated in Rangoli competition on the theme **"Corruption free India for a developed Nation; भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत"** held at Central Office, Chennai.

h) **Special Vigil Magazine:** Special In-House Magazine IOB-VIGIL (Special Edition) was released on 01.11.2022 at Central office, Chennai.

II. Outreach Activities:

a) **SKY Advertisement:** Vigilance Awareness Week-2022 was popularised by way of SKY Advertisement balloon. CVO released Sky Advertising Balloons @ 40 Feet Height on the top of Central Office-Chennai and Staff College–Chennai carrying VAW theme and logo of IOB in Tamil and English on 31st October-2022, and 01st November 2022. Further, symbolically balloons were released to the sky as a token of letting go of corruption.

b) **Air Advertisement:** Created awareness amongst public on VAW 2022 Theme and Jingles aired from 31st October 2022 to 06th November 2022- in FM Radio 93.5 (Suryan FM), Leading FM in Chennai in English and Tamil. On 4th and 5th November 2022, CVO's interview on ways to protect public from Cyber Crime in Tamil has been broadcasted through FM Radio 93.5 (Suryan FM).

c) **Events in Schools and Colleges:** By following proper COVID Protocols, conducted various VAW activities across the country in 392 Schools involving 39821 Students and 98 colleges involving 8876 students participated in the Vigilance Awareness Week and took mass pledge in total. Elocution, Debate, Drawing, etc. competitions and workshops were held in these schools. Prizes were distributed for the winners.

d) **Awareness through Gramsabhas:** By following proper COVID Protocols, across the country conducted 621 Gramsabha Awareness involving 16,639 Public participated Vigilance Awareness Week and took mass pledge in total.

e) **Seminars/workshops:** Across the country total 52 Seminars/workshops were conducted on VAW activities and wherein around 2468 Public participated and took mass pledge.

f) **Webinar conducted on prevention of frauds:** On 1st November 2022, PAN India a webinar was organized inviting Dr. P. Kandasamy, IPS, Director General of Police, Director, Directorate of Vigilance and Anti-Corruption, Tamil Nadu as Chief Guest. More than 250 Participants PAN India Participated through Video Conference on the aspects of Vigilance and Preventive Vigilance.

g) **Walkathon:** The Chief Vigilance Officer, has participated in a Walkathon conducted by Regional Office-Chandigarh at Sukhna Lake – Chandigarh on 04.11.2022. Metro and Non-Metro Regional Offices of Chennai in collaboration with Central office has organized a **Mega Walkathon on 06.11.2022 at Besant Nagar Beach – Chennai**. The event has been flagged by Tmt. S. Amritha Jothi, I.A.S., Chennai District Collector and MD & CEO in the presence of Executive Directors, Chief Vigilance Officer. General Managers, Deputy General Managers, Assistant General Managers, Vigilance Department Officials and other staff of Central office and Metro and Non-Metro Regional Offices of Chennai have participated in the event enthusiastically.

III. Other visible activities through DIGITAL Platform:

a) **During the VAW-2022**- 22,31,282 SMS were sent to selected IOB Customers containing Message "Dear Customer, we observe Vigilance Awareness Week from 31.10.2022 to 06.11.2022 on the theme of **"Corruption free India for a developed Nation"**. Join us and take Pledge. Visit our nearest Branch or visit www.iob.in or https://pledge.cvc.nic.in".

b) **During the VAW-2022**- 4,65,757 emails were sent to selected IOB Customers carrying CVO Message and with a hyperlink to take e-pledge.

c) **During the VAW-2022** 3438 ATM/CDM machines of IOB PAN India were enabled to display and printing of VAW Message **"PLEASE JOIN US IN THE VIGILANCE AWARENESS WEEK–2022 CELEBRATION AND TAKE PLEDGE BY VISITING** www.iob.in or https://pledge.cvc.nic.in"

d) VAW message was prominently displayed in the Banks official page of Twitter, YouTube, Instagram and Facebook.

IV. Activities conducted in Odisha Gramya Bank (OGB) Sponsored by IOB:

a) Mass pledge taken by 1276 employees

b) E-pledge taken by 4073 customers

c) Essay competition conducted and 28 employees participated.

d) Activities conducted in 91 schools & 01 college and a total 4141 students participated and took mass pledge.

e) Awareness Gramsabhas conducted in 92 villages and more than twenty-eight thousand public participated and took mass pledge.

प्रबंधन सूचना प्रणाली

बैंक ने विभिन्न वैधानिक और तदर्थ रिपोर्टों को प्रस्तुत करने के लिए उपयोगकर्ता विभागों को डेटा के प्रवाह को सुनिश्चित करने के अलावा बैंक की रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक आवश्यकताओं को संभालने के लिए एक मजबूत प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और निर्णय समर्थन प्रणाली लागू की है।

बैंक द्वारा ओरेकल एनालिटिक सर्वर (ओएएएस), स्थापित किया गया है जो एक विश्लेषणात्मक उपकरण है और यह हमारे इंट्रानेट आइओबी ऑनलाइन के माध्यम से शीर्ष प्रबंधन, नियंत्रण कार्यालयों और शाखाओं द्वारा लगभग 300 रिपोर्ट, डेटा माइनिंग और एनालिटिक्स प्रदान करता है। उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के आधार पर रिपोर्ट, ग्राफ़, व्हाट-इफ विश्लेषण, डेटा माइनिंग, एड-हॉक रिपोर्ट के विकास और परिनियोजन के लिए एमआईएस की इन-हाउस टीम द्वारा टूल का उपयोग किया गया है। उपकरण का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे कार्य-निष्पादन निगरानी, नियामक रिपोर्टिंग, ऐतिहासिक डेटा के विश्लेषण, अभियानों के अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्रभावी ढंग से किया जाता है। एमआईएस की कुछ प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

कार्यक्रम विकास और संशोधन

- सीआरआईएलसी विवरणी उन्नयन
- एमआईएस डी – एसओपी फ्रेमवर्क
- एसएलबीसी रिपोर्ट स्वचालन - संशोधन
- एनईएसएल - उन्नयन
- आइओबी डाटा डिजाइन पोर्टल - संशोधन
- ईडब्ल्यूएस न्यू वर्कफ़्लो डिज़ाइन
- एएमएल रिपोर्ट – फिननेट 1 का फिननेट 2 में स्थानांतरण
- ईज़ -उन्नयन
- आरबीआई सीआईएमएस - ऑटोमेशन
- एनालिटिक्स के लिए डेटा प्रस्तुति
- ट्रेंच रिपोर्ट

बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्ट

- एससीए - लेखा परीक्षक रिपोर्ट
- दैनिक वर्टिकलवाइज़/ऊर्ध्वाधर वार अग्रिम रिपोर्ट
- एटीएम कैश आउट रिपोर्ट
- सीकेवाईसी, री-केवाईसी रिपोर्ट
- कोष समिति की रिपोर्ट
- दैनिक भिन्नता रिपोर्ट
- अभियान प्रबंधन रिपोर्ट
- डिजिटल कार्यनिष्पादन निगरानी रिपोर्ट
- जीबीएम रिपोर्ट

डिजिटल बैंकिंग

परिचय:

बैंक अपने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक के पास उच्च अपटाइम और निरंतर उपलब्धता के साथ एटीएम और कैश रिसाइकलर्स का एक मजबूत नेटवर्क है। बैंक द्वारा सभी महत्वपूर्ण वैकल्पिक वितरण चैनल और भुगतान प्रणाली सर्वोत्तम सुविधाओं के साथ प्रदान की जाती है।

बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं का सारांश इस प्रकार है:

एटीएम/कैश रिसाइकलर/पासबुक कियोस्क का प्रबंधन

- आइओबी के पास 31.03.2023 तक 3477 मशीनें हैं, जिनमें से 1151 एटीएम हैं और 2326 कैश रिसाइकलर हैं।
- कुल 3477 मशीनों में से 2783 ऑनसाइट और 694 ऑफसाइट हैं ।
- कुल 3477 मशीनों में से 2675 शाखा प्रबंधित (कैपेक्स मॉडल) हैं और 802 वेंडर प्रबंधित (ओपेक्स मॉडल) हैं।
- बैंक हमेशा अपने एटीएम और कैश रिसाइकलर्स में सेवाओं की निरंतर उपलब्धता और पर्याप्त नकदी का आश्वासन देता है।
- बैंक ने 31.03.2023 को एटीएम और सीआर के लिए 96% का अपटाइम हासिल किया है
- बैंक के पास 2256 पासबुक कियोस्क हैं जो मुख्य रूप से 2 वेंडर और 4 प्रकार की मशीनों से संबंधित हैं। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान स्थापित 698 एलआईपीआई पासबुक कियोस्क, 299 सीबीएसएल पासबुक कियोस्क, 559 फोर्ब्स पासबुक कियोस्क (अब सीबीएसएल द्वारा अधिग्रहित), और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 700 नए सीबीएसएल कियोस्क स्थापित किए गए है जो पूरे भारत में कार्यरत हैं ।

बैंक ऑन व्हील्स

- ईज़ (ईएएसई-उन्नत पहुंच और सेवा उत्कृष्टता) के तहत बैंक की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, हमारे बैंक ने तमिलनाडु के 13 जिलों और केरल के एक जिले में "बैंक ऑन व्हील्स" (मोबाइल एटीएम) लॉन्च किया है जहां आईओबी अग्रणी बैंक है इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जिले में भी एक मोबाइल लॉन्च किया है ।
- बैंक के विभिन्न उत्पादों के विपणन के लिए प्रत्येक बैंक ऑन व्हील एक कैश डिस्पेंसर, एक पासबुक कियोस्क और 55 ”एलईडी स्क्रीन से सुसज्जित है। इन स्क्रीनों का उपयोग आम जनता को वित्तीय समावेशन संदेश या कोई अन्य शिक्षाप्रद श्रृंखला देने के लिए भी किया जाता है ।
- बैंक योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए वाहन में एक बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट भी उपलब्ध है ।

डेबिट कार्ड:

- रुपे और मास्टर कार्ड के तहत विभिन्न फ्लेवर के कार्ड (गोल्ड, प्लेटिनम और सिग्नेचर) में जारी किए जाते हैं।
- 31.03.2023 तक जारी किए गए कुल डेबिट कार्ड 164.61 लाख हैं।
- ग्राहकों को इंस्टा और पर्सनलाइज्ड कार्ड दोनों जारी किए जाते हैं।
- बैंक वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और आईवीआरएस के माध्यम से कार्डधारकों को डेबिट कार्ड ब्लॉक करने की सुविधा प्रदान की गई है।

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

Bank has implemented a robust Management Information System (MIS) and Decision Support System to handle Reporting and analytical requirements of the Bank apart from ensuring flow of data to User Departments for submission of various statutory and ad-hoc reports.

Oracle Analytic Server (OAS), an analytical tool deployed by the bank provides around 300 reports, Data Mining and analytics accessed by Top Management, Controlling Offices and Branches through our intranet IOBONLINE. The tool has been utilized by the In-house team of MIS for development and deployment of Reports, Graphs, What-if analysis, Data Mining, Ad-hoc Reports based on user requirements. The tool is effectively used for various purposes such as Performance Monitoring, Regulatory Reporting, Analysis of historical data, Follow up of campaigns. Some of the major activities of MIS are furnished below:

Program Development and Modifications

- CRILC Return Upgradation
- MISD – SOP/Framework
- SLBC Reports Automation – Modification
- NESL – Upgradtion
- IOB Data Design Portal – Modification
- EWS New Workflow Design
- AML Reports – Migration of FINNET1 to FINNET2
- EASE – Upgradation
- RBI CIMS – Automation
- Data submission for analytics
- Tranche Reports

Business Intelligence Reports

- SCA – Auditor Reports
- Daily vertical wise advances report
- ATM Cash out report
- CKYC, Re-KYC reports
- Funds Committee reports
- Daily Variance reports
- Campaign Management Reports
- Digital Performance Monitoring Reports
- GBM Reports

DIGITAL BANKING

Introduction:

The Bank is committed to its customers to provide the best experience in Digital Banking Services. The Bank has a strong network of ATMs & Cash Recyclers with a high uptime and continuous availability. All the important Alternate Delivery Channels and payment system are provided by the Bank with the best of the features.

Summary of the various Digital Banking Products and Services offered by the Bank are as follows:

Management of ATMs/Cash Recyclers/Passbook Kiosks

- IOB is having 3477 machines as on 31.03.2023 of which 1151 are ATMs and 2326 are Cash Recyclers.
- Of the total 3477 machines 2783 are Onsite and 694 are Offsite
- Out of total 3477 machines, 2675 are Branch Managed (CAPEX model) and 802 are vendor managed (OPEX model).
- Bank always assures continuous availability of services and sufficient cash in its ATMs and Cash Recyclers.
- Bank has achieved an uptime of 96% for ATMs and CRs as on 31.03.2023
- Bank is having 2256 Passbook Kiosks belonging to 2 vendors majorly and 4 types of machines. 698 LIPI Passbook Kiosks, 299 CBSL Passbook Kiosks installed during FY 2018-19, 559 Forbes Passbook Kiosks (now taken over by CBSL), and 700 new CBSL kiosks installed during FY 2022-23 functioning PAN INDIA.

Bank on Wheels

- As part of Bank's Commitment under EASE (Enhanced Access and Service Excellence), Our Bank has launched "Bank on Wheels" (Mobile ATMs) in 13 districts of Tamil Nadu and one district of Kerala where IOB is the Lead Bank besides one district in Andhra Pradesh (Vijayawada)
- Each Bank on Wheel is equipped with one Cash Dispenser, one Passbook Kiosk and 55" LED Screens for marketing of various products of the Bank. These Screens are also utilized for delivering Financial Inclusion messages or any educative series to the general public.
- A Business Correspondent will also be available in the vehicle to popularise the bank schemes.

Debit Cards:

- Cards are issued in different flavours (Gold, Platinum and Signature) under VISA, Rupay and Master Card.
- Total Debit Cards issued are 164.61 lakh as on 31.03.2023.
- Both Insta and Personalized cards are issued to customers.
- Facility has been provided to card holders for blocking Debit Cards through Bank Web Site, Internet Banking, Mobile Banking and IVRS.

- कार्डधारक मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी नए डेबिट कार्ड, रिप्लेसमेंट और अपग्रेड और पिन सेट/पिन बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- कार्डधारकों को पीओएस/एटीएम/ईकॉम लेनदेन/संपर्क रहित लेनदेन में इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से और शाखा में सीबीएस के माध्यम से घरेलू और अंतराष्ट्रीय सभी प्रकार के लेन-देन के लिए चालू/बंद करने और लेन-देन की सीमा, यदि कोई हो, को सेट/ संशोधित करने का विकल्प दिया गया है ।
- खाता खोलने के समय कार्ड जारी करने की सुविधा है।
- कार्ड ऑन फाइल (टोकनाइजेशन) सक्रिय है।
- रुपे श्रेणी में जारी किए जाने वाले नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) जिसका उपयोग संपर्क रहित लेन-देन के लिए भी किया जा सकता है।
- कार्ड धारकों को नेट बैंकिंग के माध्यम से कार्ड को सक्रिय करने की सुविधा प्रदान की गई है।

मोबाइल बैंकिंग

- वर्ष 2009 में लॉन्च किया गया
- एंड्रायड और आएओएस दोनों उपकरणों में उपलब्ध है ।
- उत्पाद में सभी उन्नत विशेषताएं हैं जैसे:-

ए. शाखा में आए बिना स्व-पंजीकरण

बी. बढ़ी हुई सुरक्षा और पहुंच के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण/फेस रिकग्निशन (आईओएस) का उपयोग करके लॉग इन करें

सी. नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के बीच आदाता सिंक ।

डी. डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करना, बदलना, और अपग्रेड करना ।

इ. डेबिट कार्ड के लिए नया पिन सेट करना /पिन रीसेट करना और पुराना पिन बदलना ।

एफ. एएसबीए - आईपीओ आवेदन - लागू आईपीओ देखें और आवेदित आईपीओ को वापस लेना।

जी. कर्ज का भुगतान ।

एच. आदाता के लिए अतिरिक्त कूलिंग अवधि शुरू की गई ।

आई. फॉर्म 15जी/एच जमा करना ।

जे. पीपीएफ और एसएसवाई आवेदन फॉर्म जनरेट करना सृजन और पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई बीमा नामांकन करना ।

के. एमपासबुक सुविधा विवरण देखने और डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है।

एल. वॉयस सहायता सुविधा ।

एम. जमा खाता खोलना, नवीनीकरण, प्री- क्लोजर और क्लोजर ।

एन. भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) एकीकरण ।

ओ. बाद में भुगतान करना /स्थायी निर्देश सुविधा ।

पी. 10 क्षेत्रीय भाषाओं में मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन ।

क्यू. मोबाइल बैंकिंग के साथ स्कैन और भुगतान एकीकृत ।

इंटरनेट बैंकिंग

- इन हाउस विकसित इंटरनेट बैंकिंग सॉफ्टवेयर को वर्ष 2003 में शुरू किया गया ।
- इसकी कुछ विशेषताएं जैसे बैलेंस पूछताछ, लेनदेन विवरण, एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस आदि का उपयोग करके फंड ट्रांसफर , ऑनलाइन कर और उपयोगिता भुगतान बिल भुगतान, आईपीओ, प्रीपेड कार्ड का टॉप अप और क्रेडिट कार्ड भुगतान शामिल हैं।
- इंटरनेट बैंकिंग में स्वत: पंजीकरण की शुरुआत किया गया ।
- 10 क्षेत्रीय भाषाओं में इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन उपलब्ध है
- अब बैंक एक उच्च स्तरीय इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने की प्रक्रिया में है।

भीम आइओबी यूपीआई

- वर्ष 2016 में शुरू किया गया किया गया
- बचत या चालू खाते को लिंक करके , ग्राहक -

  ए. वीपीए, खाता संख्या और आईएफएससी कोड, क्यूआर कोड का उपयोग करके पैसे भेज सकता है ।

  बी. रेमिटर्स वीपीए का उपयोग करके धन प्राप्त करा सकता है ।

- खातों की सुरक्षा बढ़ाने हेतु प्रत्येक खाते के लिए अलग-अलग 6 अंकों का पिन जारी किया गया ।
- वन टाइम मैंडेट क्रिएशन और एएसबीए की सुविधाएं उपलब्ध है ।

आरटीजीएस/एनईएफटी

- ग्राहक और इंटर बैंक लेन-देन के लिए उपलब्ध है।
- ग्राहक मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से एनईएफटी चैनल और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एनईएफटी और आरटीजीएस का लाभ उठा सकते हैं।
- एनईएफटी और आरटीजीएस चैनल 24 X 7 उपलब्ध है ।
- बचत खाता ग्राहक के लिए ऑनलाइन मोड (अर्थात इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग) के माध्यम से शुरू किए गए एनईएफटी लेन-देन के लिए एनईएफटी को शुल्क रहित कर दिया गया है ।

आइओबी पे

- यह उत्पाद एक एकीकृत ऑनलाइन भुगतान है जो शुल्क भुगतान, व्यापारी भुगतान, डोनेशन भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है। व्यापारियों द्वारा भुगतान एकत्र करने का एक आसान और प्रभावी तरीका है ।
- वर्ष 2017 में इसकी शुरुआत की गई ।
- इसे आंतरिक रूप से विकसित और एग्रीगेटर्स के साथ एकीकृत किया गया ।

- Card holders can apply for New Debit Card, Replacement & Upgrade and PIN set/Change of PIN, through mobile Banking and Internet banking also.
- Option given to card holders to switch ON/Off and set/modify transaction limit, if any, for all types of transactions - Domestic and International, at POS/ATMs/Ecom transactions/contactless transactions through Internet banking and Mobile banking and through Branch in CBS.
- Card issuance at the time of Account opening is facilitated.
- Card on File (Tokenization) is enabled.
- National Common Mobility Card (NCMC) introduced in RUPAY category which can also be used for contactless transactions.
- Facility has been provided to card holders to activate the Card through Net Banking.

MOBILE BANKING

- Launched in the year 2009
- Available in both Android and iOS devices
- Product has all the advanced features such as:

a. Self-registration without visiting branch

b. Login using Biometric authentication/ Face recognition (IOS) for enhanced security and access

c. Payee sync between Net banking and Mobile banking

d. Debit card Apply, Replacement and Upgrade

e. Debit card New PIN Set/ Reset PIN and change Old PIN

f. ASBA – IPO application – View and withdraw applied IPO

g. Loan repayment

h. Cooling period for payee addition introduced

i. Form 15G/H submission

j. PPF and SSY application generation & PMJJBY/ PMSBY insurance enrolment

k. mPassbook facility available to view and download statements

l. Voice assistance facility

m. Deposit opening, renewal, pre-closure and closure

n. Bharat Bill Payment System (BBPS) integration.

o. Pay Later/Standing Instructions facility

p. Mobile Banking application in 10 regional languages

q. Scan & Pay Integrated with Mobile Banking

INTERNET BANKING

- The Internet Banking software developed in house introduced in the year 2003
- Some of features are Balance Enquiry, Transaction details, Funds Transfer using NEFT/RTGS/IMPS etc, Online Tax and Utility Payments Bill Payments, IPOs, Top Up of Prepaid Cards and Credit Card Payments
- Internet banking Self Registration introduced.
- Internet Banking application in 10 regional languages
- Now the Bank is in the process of moving to a high end Internet Banking Platform.

BHIM IOB UPI

- Introduced in the year 2016
- By Linking Savings or Current account, customer can

a. Send money using VPA, A/c No and IFSC Code, QR Code

b. Collect money using remitters VPA

- Introduced separate 6-digit PIN for each account for enhanced security.
- Has the facilities of One Time mandate creation and ASBA

RTGS/NEFT

- Available for Customer and Inter Bank transactions
- Customers can avail NEFT channels through Mobile Banking and NEFT and RTGS through Internet Banking.
- NEFT & RTGS channels functioning 24 X 7
- NEFT Charges are waived for NEFT transactions initiated through online mode (viz internet banking and mobile banking) for savings account customer.

IOB PAY

- The product is an integrated online payment which offers fee payments, merchant payments, donations. An easy and effective way of collecting payments by the merchants.
- Introduced in the year 2017
- Developed in house and integrated with Aggregators

- मर्चेंट वेब साइट के साथ या उसके वगैर विभिन्न प्रकार के मर्चेंट के लिए ऑनलाइन भुगतान को सक्षम करने का लक्ष्य रखा गया है।
- आइओबी-पे में 815 मर्चेंट्स को पंजीकृत किया गया है।

वित्त वर्ष 2022 - 23 के दौरान की गई डिजिटल पहल

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ने नवाचार करने और सर्वश्रेष्ठ ग्राहक अनुभव प्रदान करने की अपनी सतत प्रतिबद्धता के तहत, «ई-संकल्प» नामक एक डिजिटल परिवर्तन यात्रा शुरू की है और डिजिटल रूप से संचालित विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए और मौलिक तकनीकी क्षमताओं को समृद्ध करते हुए भविष्य के लिए तैयार डिजिटल रणनीति विकसित की है। .

परिवर्तन यात्रा के हिस्से के रूप में, बैंक डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके व्यावसायिक गतिविधियों को करने के नए तरीकों का उन्नयन और शुरुआत कर रहा है। वित्तीय समावेशन और बैंकिंग अनुभव को बढ़ाने के उपाय के रूप में, बैंक ने सोलन - हिमाचल प्रदेश और तंजाऊर-तमिलनाडु में दो डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की हैं, जो भारत सरकार के हिस्से के रूप में हमारे माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई थीं जो 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) शुरू करने के पहल के रूप में थी । साथ ही, बैंक अपने ग्राहकों के लिए सुरक्षित और कागज रहित बैंक गारंटी जारी करने की सुविधा के लिए ई-बीजी (इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी) सुविधा शुरू करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में तीसरा है।

इसके अलावा, ग्राहकों को उनकी आसानी से बैंकिंग करने की सुविधा के लिए, वीडियो आधारित केवाईसी, वीडियो आधारित पेंशनभोगी जीवन प्रमाणपत्र जैसे विभिन्न समाधान लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा, बैंक ने क्रेडिट सुविधाओं के बेहतर पहुंच के लिए ऑनलाइन पर्सनल लोन, केसीसी नवीनीकरण, एमएसएमई नवीनीकरण इत्यादि जैसी अपनी ऋण आवश्यकताओं के प्रसंस्करण के माध्यम से क्षमताओं के साथ स्वयं सेवा ग्राहक यात्रा शुरू की है। बैंक ने ग्राहक लेन-देन व्यवहार का विश्लेषण करने और व्यवसाय विस्तार के लिए लीड उत्पन्न करने के लिए क्रेडिट वर्टिकल द्वारा उपयोग के लिए एनालिटिक्स मॉडल भी बनाए हैं।

तकनीकी बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर, बैंक ने डेटा सुरक्षा, एंटरप्राइज सर्विस बस और एपीआई प्रबंधक को सिस्टम के बीच संचार को सरल और सुरक्षित करने के लिए क्लाउड आधारित समाधानों के लाभों का दोहन करने के लिए निजी क्लाउड को लागू किया है, तेज और विश्वसनीय डेटा भंडारण प्रदान करने के लिए ऑल-फ्लैश स्टोरेज बढ़ती व्यावसायिक आवश्यकताओं की क्षमता।

इसके अलावा, बैंक ग्राहकों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, चैट बॉट्स और सोशल मीडिया आधारित कस्टमर टच पॉइंट्स की शुरुआत पर काम कर रहा है। इसके अलावा, बैंक जल्द ही ओमनी चैनल डिजिटल एंगेजमेंट हब, इंटीग्रेटेड पेमेंट हब जैसे गतिशील डिजिटल समाधानों को लागू करेगा, ताकि सेकेंडों में बड़ी मात्रा में डिजिटल लेन-देन को निर्बाध रूप से किया जा सके।

डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन, जिसे बैंक ने वर्ष 2021 में शुरू किया है, वित्त वर्ष 2023-24 में जारी रहेगा और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाएगा और तेजी से कारोबार के विकास में योगदान देगा।

सूचना सुरक्षा

बोर्ड द्वारा स्वीकृत सूचना सुरक्षा नीति, साइबर सुरक्षा नीति, डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण नीति, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन नीति, साइबर संकट प्रबंधन योजना, कारोबार निरंतरता योजना और आपदा रिकवरी योजना लागू है। बैंक को सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) आईएसओ 27001:2013 (ISO 27001:2013) प्रमाणन बैंक के सूचना सुरक्षा विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए प्राप्त हुआ है जो सूचना सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने के लिए एक मान्यता है। जीरो डेटा लॉस की सुविधा के लिए डेटा सेंटर लागू किया गया है, सभी 3 डेटा सेंटरों पर मल्टीपल एमपीएलएस-वीपीएन उच्च बैंडविड्थ कनेक्शन और विभिन्न वैकल्पिक सेवा/वैकल्पिक प्रदाताओं से दोहरी कनेक्टिविटी और शाखाओं के लिए वैकल्पिक मीडिया स्थापित किया गया है। फ़ायरवॉल और घुसपैठ रोकथाम प्रणालियाँ पहले से मौजूद हैं। हनीपॉट सेवाओं को लागू किया गया है। सूचना सुरक्षा विभाग द्वारा 365*7*24 की निगरानी करने और निवारक और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए सूचना सुरक्षा घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए एक सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) स्थापित किया गया है, जबकि आईएस लेखापरीक्षा अनुभाग बैंक के विभाग की आवधिक सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा का ध्यान रखता है। प्रत्येक तिमाही में नियमित डीआर अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं। एप्लिकेशन और नेटवर्क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, समय-समय पर सुभेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण अभ्यास बाहरी विशेषज्ञों द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

बैंक ने कर्मचारियों, विक्रेताओं और ग्राहकों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। बैंक ने शिक्षाप्रद श्रृंखला परिपत्रों, पुस्तिकाओं, पोस्टरों, एसएमएस, एटीएम कियोस्क, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और सोशल मीडिया हैंडल (फेसबुक, ट्विटर आदि) के माध्यम से संदेशों के माध्यम से सुरक्षा जागरूकता का प्रसार किया है, आइओबी वेबसाइट में प्रकाशित साइबर सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं और साइबर सुरक्षा जागरूकता स्टाफ के सदस्यों के लिए प्रश्नोत्तरी। बैंक ने बैंक की वेबसाइट और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब जैसे आधिकारिक सोशल मीडिया खातों में साइबर सुरक्षा जागरूकता वीडियो भी प्रकाशित किए हैं। बैंक ने सभी स्टाफ सदस्यों और तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं को साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण प्रदान किया है ।

सरकारी खाते

प्रत्यक्ष कर संग्रह :

बैंक 30.09.2022 तक पूरे भारत में 354 शाखाओं द्वारा ऑनलाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएएस) के माध्यम से भौतिक मोड में आयकर और अन्य प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत है । 01.10.2022 से, हमारा बैंक ओएलटीएएस से टीआइएन 2.0 में प्रवेश कर गया है, जिसमें सभी शाखाओं को प्रत्यक्ष कर एकत्र करने में सक्षम बनाया गया है । वर्ष के दौरान, बैंक ने 11341.29 करोड़ रुपये के लेन-देन किया और 1.15 करोड़ रुपये का कमीशन अर्जित किया ।

अप्रत्यक्ष कर संग्रह :

बैंक उत्पाद शुल्क व सेवा कर का ई-भुगतान, सीमा शुल्क का ई-भुगतान और ड्यूटी ड्राबैक का ई-रिफंड प्राप्त करने के लिए अधिकृत है । जीएसटी लागू होने के बाद हमारी सभी शाखाएं जीएसटी संग्रह के लिए सक्षम हो गई हैं । वर्ष के दौरान, बैंक ने 18197.37 करोड़ रुपये के लेन-देन और 1.71 करोड़ रुपये का कमीशन अर्जित किया है ।

पेंशन का भुगतान:

बैंक सेंट्रल सिविल, डिफेंस, रेलवे, टेलीकॉम, स्टेट सिविल, टीएनईबी, चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नै डॉक लेबर बोर्ड, तमिलनाडु लोकल फंड ऑडिट और मलेशियन गवर्नमेंट पेंशन से संबंधित पेंशनरों को सेवा दे रहा है ।

- ➢ Targeted to enable Online Payments for different type of merchants with or without merchant web site.
- ➢ 815 merchants have been registered in IOB Pay.

DIGITAL INITIATIVES UNDERTAKEN DURING FY 2022-23

Indian Overseas Bank, as part of its ongoing commitment to innovate and deliver best customer experience, has embarked on a digital transformation journey titled "e-Sankalp" and evolved a future ready digital strategy, focusing on digitally driven growth and enriching the fundamental technological capabilities.

As part of the transformation journey, the bank has been upgrading and introducing new ways of carrying out business activities using digital technologies. As a measure to deepen financial inclusion and enhance banking experience, the bank has established two Digital Banking Units in Solan - Himachal Pradesh and Tanjore - Tamilnadu which were dedicated to the nation by our Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi as part of GOI initiative to launch 75 Digital Banking Units (DBU) across 75 districts. Also, the bank has been the third amongst the public sector banks to launch e-BG (Electronic Bank Guarantee) facility for its customers facilitating secure and paperless issuance of bank guarantee.

Further, to facilitate customers to do banking at their ease, various solutions viz., Video Based KYC, Video Based Pensioner Life Certificate have been launched. Also, the bank has launched self-service customer journeys with capabilities for straight through processing of their loan requirements like Online Personal Loan, KCC renewal, MSME renewal etc., for better reach of credit facilities. The bank has also built analytics models for use by credit verticals to analyse customer transaction behaviour and generate leads for business expansion.

On the technological infrastructure front, bank has implemented Private cloud to harness the benefits of cloud based solutions by fully ensuring data security, Enterprise Service Bus & API Manager to simplify and secure communication between systems, All-flash storage to provide faster and reliable data storage capability for growing business needs.

Further, the bank has been working on introduction of Customer Relationship Management, Chat bots and Social media-based customer touch points to connect better with customers and deliver enhanced customer experience. Also, the bank will be shortly implementing dynamic digital solutions like Omni channel Digital Engagement Hub, Integrated Payment Hub to seamlessly handle high volume of digital transactions in seconds.

The digital transformation mission, which the Bank has embarked upon in year 2021 will continue in FY 2023-24 and will provide enhanced customer experience and contribute to business growth in a rapid manner.

INFORMATION SECURITY

Board approved Information Security Policy, Cyber Security Policy, Digital Payment Security Control Policy, Technology Risk Management Policy, Cyber Crisis Management Plan, Business Continuity Plan and Disaster Recovery plan is in place. Bank has received Information security management system (ISMS) ISO 27001:2013 certification for Bank's Information Security Department and Information Technology Department which is a recognition for following the information security best practices. Data Center have been implemented to facilitate Zero data loss, Multiple MPLS-VPN high bandwidth connections at all 3 data Centers and Central, Dual connectivity from different alternate service/alternate providers and alternate media for branches have been established. Firewall and Intrusion prevention systems are already in place. Honeypot services has been implemented. A Security Operating Centre (SOC) has been established by the Information Security Department to monitor 24*7*365 and analyse the information security incidents to take preventive and corrective steps while IS Audit section takes care of the periodical Information Systems Audit of the Bank's department and branches. Regular DR drills are being conducted every quarter. To ensure Application and network security, periodical Vulnerability assessment and Penetration testing exercise are conducted by external experts.

Bank has conducted Cyber security awareness program for staffs, vendors and customers. Bank has disseminated security awareness through educative series circulars, booklets, posters, SMSs, messages through ATM Kiosk, Internet Banking, Mobile Banking and Social Media Handles (Facebook, twitter etc.), Published Cyber Security best practices in IOB website and Cyber security awareness quiz for staff members. Bank has also published cyber security awareness videos in bank's website and official social media accounts such as face book, twitter, Instagram, LinkedIn and You tube. Bank has conducted Cyber Security awareness training to all the staff members and third-party service providers.

GOVERNMENT ACCOUNTS

Direct Tax Collections:

The Bank is authorized to collect Income Tax and other Direct taxes in physical mode through Online Tax Accounting System (OLTAS) by 354 Branches all over India till 30.09.2022. From 01.10.2022, our bank has moved from OLTAS to TIN 2.0, wherein all branches have been enabled to collect Direct Tax. During the year, the bank has handled transactions amounting to Rs.11341.29 crore and earned commission of Rs.1.15 crore.

Indirect Tax Collections:

The Bank is authorized to receive e-payment of Excise and Service Tax, E-payment of Customs Duty and e-refunds of Duty Drawback. After the introduction of GST, all our branches have been enabled for collection of GST. During the year, Bank has handled transactions amounting to Rs.18197.37 crore and earned commission of Rs.1.71 crore.

Payment of Pension:

Bank is serving pensioners belonging to Central Civil, Defence, Railways, Telecom, State Civil, TNEB, Chennai Port Trust, Chennai Dock Labour Board, Local Fund Audit of Tamil Nadu and Malaysian Government Pension.

उपरोक्त के बीच, हमारा केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीपीसी), केंद्र सरकार के विभागों के लिए पेंशन का वितरण करता है, जैसे सिविल, रक्षा, रेलवे, दूरसंचार और डाक पेंशनभोगी जिनमें पेंशन खातों की कुल संख्या 46720 है । वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसी पेंशन के लिए लगभग 1501.15 रुपये का वितरण किया है और संवितरण की तारीख से 2-3 दिनों के भीतर प्रतिपूर्ति प्राप्त की है । इस संबंध में, वर्ष के दौरान बैंक ने 5.02 करोड़ रुपये का कमीशन अर्जित किया है ।

प्रदत्त अन्य राजकोष / सेवाएं:

बैंक 17 शाखाओं में तमिलनाडु सरकार के राजकोष व्यवसाय को भी संभालता है, जिसमें 1580.53 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है । बैंक के पास योजना आयोग और दूरसंचार विभाग के खाते हैं और उनके कुल रु. 1107.29 करोड़ की प्राप्तियों और भुगतानों को संभालता है । तमिलनाडु की 79 शाखाओं में पोस्ट ऑफिस कलेक्शन (आहरण व जमा) खाते हैं, जो 610.19 करोड़ रुपये की प्राप्ति और भुगतान संभालती हैं ।

लघु बचत योजनाएँ:

बैंक भारत सरकार की योजनाएं यानी वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004, सामान्य भविष्य निधि और सुकुन्या समृद्धि योजना योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है और लगभग 1752.68 **करोड़ रुपये** का अभिदान प्राप्त हुआ है ।

सॉवरेन गोल्ड बांड योजना :

वर्ष के दौरान, बैंक ने 101.23 करोड़ रुपये एकत्र किए और 1.01 करोड़ रुपये की आय अर्जित की ।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली:

हमारी सभी बैंक शाखाएं एनपीएस की सदस्यता प्रदान करने के लिए सक्षम है । वर्ष के दौरान, शाखाओं ने 3663 एनपीएस खाते खोले हैं **।**

मानव संसाधन विकास

1. भर्ती और कर्मचारियों की संख्या

31 मार्च 2023 को बैंक के कर्मचारियों की संख्या 22051 है**,** जिसमें **12495** अधिकारी, **7678** लिपिक और **1878** अधीनस्थ कर्मचारी थे ।

- वर्ष 2022 - 2023 के दौरान, जेएमजी स्केल में 23 विशेषज्ञ अधिकारी (आईटी), जेएमजी स्केल । में 345 परिवीक्षाधीन अधिकारी और 210 क्लर्क आईबीपीएस कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस (सीआरपी) के माध्यम से हमारे बैंक की सेवाओं में शामिल हुए हैं।

कुल कर्मचारियों की संख्या में से **4349** सदस्य अनुसूचित जाति वर्ग, **1595** अनुसूचित जनजाति वर्ग और **7091** अन्य पिछड़ा वर्ग वर्ग के थे । स्टाफ की संख्या में **7935** महिला कर्मचारी, **903** भूत पूर्व सैनिक और **490** शारीरिक रूप से दिव्याङ्ग सदस्य शामिल हैं ।

2. **प्रेरणा**

कर्मचारी दिवस:

कर्मचारी हमारे बैंक की पहली और प्रमुख संपत्ति हैं और बैंक हमेशा कर्मचारियों का विश्वास हासिल करने के लिए निरंतर प्रेरणा प्रदान करने में विश्वास करता है ।

हमारे कर्मचारियों ने हमेशा अपने प्रतिष्ठित संस्थान के लिए त्रुटिविहीन प्रतिबद्धता और समर्पण प्रदर्शित किया है**,** और "कर्मचारी दिवस" का आयोजन हमारे सभी कर्मचारियों को सक्रिय रूप से शामिल करने**,** उनके मुद्दों और शिकायतों को जानने और हल करने का एक तरीका है**,** जिससे उन्हें अपने व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत उपलब्धियों पर गर्व महसूस होता है और इस तरह**,** अपनेपन की भावना को पुन: स्थापित करना और सुनिश्चित करना कि वे प्रदर्शन के उच्च स्तर की ओर अग्रसर हों । देश भर में महीने के हर तीसरे शनिवार को कर्मचारी दिवस मनाया जाता है ।

हमसे पूछें:

हमारा बैंक हमेशा अपने कर्मचारियों को सीखने के पर्याप्त अवसर प्रदान करने में सक्रिय रहा है और "हमसे पूछें-ऑनलाइन हेल्प डेस्क" हमारे बैंक द्वारा शुरू की गई ऐसी ही एक पहल है ।

यह एक रियल टाइम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो हमारे स्टाफ सदस्यों को बैंकिंग से संबंधित अपनी शंकाओं के निराकरण करने, अपने दैनिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में अधिक आत्मविश्वासी बनने और कुशल ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए प्रदान किया जाता है ।

कर्मचारियों को प्रशिक्षित और विकसित करने के लिए हमारे बैंक का प्रयास और दृष्टिकोण हमेशा वर्तमान प्रक्रियाओं में सुधार करना, बैंक में ज्ञानात्मक अंतर को दूर करके बेहतर बैंकिंग सेवा प्रदान करने की क्षमता का निर्माण करना, स्टाफ सदस्यों को सीखने के पर्याप्त अवसर प्रदान करना रहा है ।

सभी क्षेत्रीय कार्यालय और केंद्रीय कार्यालय के विभाग अपने-अपने कार्यस्थल से रिसोर्स पर्सन को चिन्हित करेंगे । ये रिसोर्स पर्सन वास्तविक समय के आधार पर स्टाफ सदस्यों की शंकाओं के निराकरण करने में मदद करेंगे ।

ऑल आइडियाज़ मैटर (एआईएम):

कर्मचारी हमारे बैंक की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं । अत: उनके सुझावों से बैंक को बेहतर नीतियां और प्रक्रियाएं बनाने में मदद मिलती है । इसे ध्यान में रखते हुए हमारे बैंक ने अपने विचारों को उजागर करने के लिए - «ऑल आइडियाज मैटर» नाम से एक कर्मचारी सुझाव योजना शुरू की है । जिसमें सभी स्टाफ सदस्यों को उनके मूल्यवान सुझावों और विचारों की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

त्रैमासिक आधार पर स्टाफ सदस्यों से प्राप्त सुझावों को महा प्रबंधक की एक चयन समिति के समक्ष जाँच के लिए रखा जाता है और सर्वसम्मति से सर्वोत्तम सुझावों का चयन किया जाता है । जिन स्टाफ सदस्यों के सुझावों को सर्वश्रेष्ठ सुझाव के रूप में सम्मानित किया जाता है, उन्हें प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाता है और सुझाव को व्यवहार्यता अध्ययन के लिए संबंधित विभाग के साथ साझा किया जाता है ।

पुरस्कार और मान्यता नीति:

पुरस्कार और मान्यता नीति का प्रमुख उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना है । सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए , कर्मचारी द्वारा निष्पादन, दृष्टिकोण और उपलब्धियों के संदर्भ में किए गए प्रयासों को चिन्हित करना महत्वपूर्ण हो जाता है ।

पुरस्कार और मान्यता नीति का उद्देश्य कार्यस्थल में प्रेरणा को बढ़ावा देना और ऐसी संस्कृति का निर्माण करना है जो संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुकूल हो और कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से या टीमों के माध्यम से किए गए उनके अच्छे काम के लिए मूल्यवान और सराहना महसूस कराती है ।

Among the above, our Centralised Pension Processing Centre (CPPC), disburses pension for departments of Central Govt, such as Civil, Defence, Railway, Telecom and Postal Pensioners wherein the total number of pension accounts is 46720. Bank has disbursed about Rs.1501.15 crore of such pension during the year and received reimbursement within 2-3 days from the date of disbursement. In this regard, during the year bank has earned commission of Rs.5.02 crores.

Other treasuries / Services handled:

Bank also handles Treasury Business of the Government of Tamil Nadu at 17 branches with the turnover of Rs.1580.53 crore of receipts. Bank serves the account of Planning Commission and Department of Telecommunications and handled receipts and payments totalling Rs.1107.29 Crore. Post Office Collection (Drawing and Deposit) Account is maintained at 79 branches in Tamil Nadu handling receipts and payments of Rs.610.19 crore.

Small Savings Schemes:

Bank has been actively participating in the Government of India Savings Schemes like Senior Citizens Savings Scheme 2004, Public Provident Fund and Sukanya Samriddhi Yojana schemes and have contributed subscriptions of about Rs.1752.68 crore.

Sovereign Gold Bond Scheme:

During the year Bank has collected Rs.101.23 crore and earned an income of Rs.1.01 crore.

National Pension System:

All our Bank Branches have been enabled for subscription of NPS. During the year branches have opened 3663 NPS accounts.

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

1. Recruitment & Staff strength

The Bank's staff strength stood at **22051** Comprising **12495** Officers, **7678** Clerks and **1878** Sub-staff as of 31st March, 2023.

- During the year 2022 - 2023, 23 Specialist officers (IT) in JMG Scale I, 345 Probationary Officers in JMG Scale I and 210 Clerks have joined the services of our Bank through IBPS Common Recruitment Process (CRP).

Of the total staff strength, **4349** members belonged to SC category, **1595** to ST Category, and **7091** to OBC Category. Staff Strength includes **7935** Women employees, **903** Ex-servicemen and **490** physically challenged members.

2. Motivation

Employee Day:

Employees are the first and foremost assets of our Bank and Bank always believes in continuous motivation to gain confidence of employees.

Our employees have always displayed impeccable commitment and dedication to our esteemed organization, at all times, and conducting "EMPLOYEE DAY" is one way of actively involving all our employees, knowing and resolving their issues and grievances, making them feel appreciated for their professional as well as personal achievements, and thereby, re-instilling a sense of belongingness and ensuring that they propel towards higher levels of performance. Every 3rd Saturday of the month is celebrated as Employee Day across the country.

ASK US:

Our Bank has always been proactive in providing its employees with ample learning opportunities and the "ASK US – Online Help Desk" is one such initiative introduced by our Bank.

It is a Real Time Online Platform provided for our staff members for clarifying their banking related doubts, become more confident in discharging their day to day duties and thereby, render efficient customer service.

Our Bank's endeavour and approach towards training and developing our employees has always been to improve on the current processes, build capacity in the bank to offer better banking service by addressing the knowledge gap, by providing staff members with ample learning opportunities.

All Regional Offices and CO Departments will identify Resource Persons from their respective workplace. These Resource persons will in turn help the staff members in clarifying their doubts on a real time basis.

All Ideas Matter (AIM):

Employees form the most important component for the progress of our Bank. Hence suggestions from them help the Bank in framing better policies and procedures. Keeping this in mind our Bank has introduced a Staff Suggestion Scheme named "ALL IDEAS MATTER" – Unleash your ideas wherein all staff members irrespective of the cadre are encouraged to offer their valuable suggestions and ideas.

On a quarterly basis the suggestions received from the staff members are placed before a select Committee of GMs for scrutinization and the best suggestions are selected on consensus. Those staff members whose suggestions are awarded as best suggestions will be provided with an appreciation letter and the suggestion is shared with the concerned Department for feasibility study.

Reward and Recognition Policy:

The major aim of reward and recognition policy is to attract and retain the best talent. In order to attract and retain best talent, it becomes important to recognize the efforts put in by the employee in terms of performance, attitude, and achievements.

The objective of reward and recognition policy is to promote motivation in the workplace and to build up culture that is conducive for achieving organizational objectives and to make employees feel valued and appreciated for their good work done, either individually or through teams.

इस संबंध में, हमारे स्टाफ सदस्यों को अनुकरणीय प्रदर्शन के साथ विभिन्न श्रेणियों के तहत प्रशंसा पत्र के साथ पुरस्कृत किया जा रहा है ।

3. क्षमता निर्माण:

चिन्हित गंभीर पदों के लिए चिन्हित अधिकारियों को तैयार करने और उत्तराधिकारी बनाने के क्रम में, बैंक ने स्टाफ सदस्यों की क्षमता का निर्माण करने के लिए आरबीआइ के दिशानिर्देशों के अनुरूप «क्षमता निर्माण» पर एक नीति तैयार की है ।

बैंक में क्षमता निर्माण के लिए स्टाफ सदस्यों को उन क्षेत्रों में प्रमाणन प्राप्त करने के लिए सूचित किया गया है । वे सदस्य जो वर्तमान में किसी भी चिन्हित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन्हें दो साल के भीतर अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा ।

प्रेरक उपाय के रूप में, बैंक क्षमता निर्माण के तहत सभी चिन्हित प्रमाणपत्रों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति कर रहा है और पदोन्नति प्रक्रिया में इसके लिए उचित महत्व भी दे रहा है ।

अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाएँ सीखना :

"अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाएँ सीखना" नामक एक नई पहल शुरू की गई थी और हमारा बैंक इसे लागू करने के लिए प्रयासरत है, जिससे हमारे सभी स्टाफ सदस्य जहाँ वे तैनात होते हैं, वहाँ के क्षेत्रीय भाषा बोलने के कौशल में कुशल बन जाते हैं ।

इस पहल के जरिए, मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित लगातार 6 सप्ताहांत की छुट्टियों में ऑनलाइन कार्यशाला के पूरे होने एवं मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर तमिल भाषा स्पीकिंग स्किल्स सीखने के दूसरे बैच में - 75 स्टाफ सदस्यों ने बोलने की शैली का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया ।

4. नैतिकता नीति

सार्वजनिक आचरण, बैंक के साथ संचार, मीडिया सहित बाहरी संस्थाओं के साथ बातचीत और सहकर्मियों के साथ व्यवहार के संबंध में स्टाफ के बीच सहयोग की संस्कृति बनाने के लिए बैंक के सभी स्टाफ को शामिल करते हुए नैतिकता नीति शुरू की गई थी । यह नीति आचरण के मानकों को परिभाषित करती है जिसकी अपेक्षा सभी कर्मचारियों से की जाती है ताकि बैंक में विभिन्न कार्यों में भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निभाने में सही निर्णय लिए जा सकें । वार्षिक आधार पर आचार संहिता के पालन की पुष्टि करने वाले सभी कर्मचारियों से ऑनलाइन पुष्टि प्राप्त की जाती है।

5. जॉब फैमिली:

हमारे बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 20 - 2019 में जॉब फैमिली की शुरुआत की गई थी, जिसमें 10 वर्टिकल शामिल हैं । समान प्रकृति के कार्यों / व्यवसाय वर्टिकल और संबंधित विभागों / कक्षों /क्षेत्रों आदि को एक परिवार के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है ।

उपरोक्त जॉब फैमिली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अपेक्षित योग्यता रखने वाले और संबंधित विभागों / व्यावसायिक वर्टिकल में काम करने वाले सभी अधिकारियों को दिए गए जॉब फैमिली के तहत समूहीकृत / वर्गीकृत किया गया है ।

6. प्रशिक्षण:

बैंक को ग्राहक केंद्रित बनाने के कॉरपोरेट लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आंतरिक और बाहरी मोड के माध्यम से बैंकिंग के बुनियादी क्षेत्रों के अलावा बैंकिंग के समसामयिक मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया गया है ।

उपरोक्त के अलावा, क्रेडिट मूल्यांकन/क्रेडिट मॉनिटरिंग, लघु और मध्यम उद्यमों के वित्तपोषण, सतर्कता के क्षेत्र में अधिकारियों और लिपिकों को बैंकिंग विषयों पर नियमित प्रशिक्षण दिया गया है । सभी स्टाफ सदस्यों के लिए विभिन्न माध्यमों (ऑनलाइन और ऑफलाइन) के माध्यम से पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के प्रबंधकों के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

एससी/एसटी/ओबीसी/पीएच सदस्यों के लिए प्री-पदोन्नति प्रशिक्षण ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित किया गया था, जो अधीनस्थ से लिपिक संवर्ग, क्लर्क से जेएमजीएस I, जेएमजीएस I से एमएमजीएस II और एमएमजीएस II से एमएमजीएस III में पदोन्नति के पात्र थे ।

वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों और पंचाट स्टाफ सदस्यों के लिए सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

आंतरिक प्रशिक्षण

हमारे बैंक की आंतरिक प्रशिक्षण प्रणाली में एक स्टाफ कॉलेज और बारह कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) शामिल हैं । वित्त वर्ष 23-2022 के दौरान दिए गए आंतरिक प्रशिक्षण के आंकड़े यहां प्रस्तुत हैं:

विवरण	अधिकारियों	लिपिक	अधीनस्थ स्टाफ	कुल	अनुसूचित जाति (कुल में से)	एसटी (कुल में से)
व्यक्तिगत स्टाफ सदस्यों को दिया गया प्रशिक्षण (भाग लिए गए प्रशिक्षणों की संख्या)	7237	4059	497	**11793**	2724	1114
वित्त वर्ष 23 - 2022 के दौरान दिया गया प्रशिक्षण (सदस्यों द्वारा भाग लिए गए प्रशिक्षणों की कुल संख्या के आधार पर)	11562	6108	698	**18368**	4595	1834

बाहरी प्रशिक्षण

हमने 1080 कार्यपालकों / अधिकारियों को भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), आईडीआरबीटी-हैदराबाद, एनआईबीएम-पुणे, सीएबी-पुणे, आरबीआई, इंफोसिस, बीक्यू ग्लोबल, आईआईबीएफ-मुंबई और केयर प्रशिक्षण संस्थान, एसआइबीएसटीसी-बेंगलुरु, सीएएफआरएएल-मुंबई, एफआइएमएमडीए-मुंबई, फेडाई-मुंबई आइबीए जैसे प्रतिष्ठित बाहरी संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी प्रतिनियुक्त किया था ।

सामान्य और विषय परक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा, बैंक ने एक्सएलआरआई - जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जमशेदपुर के संकाय

In this connection our staff members with exemplary performance are being rewarded with appreciation letters under various categories.

3. Capacity Building:

In order to plan the succession and equip the identified officers for identified critical positions, Bank has drawn a Policy on "Capacity Building" in tune with RBI guidelines to build up the capacity of the staff members.

Staff members have been advised to obtain the certifications in those areas in order to build up the capacity in the Bank. For the members who are currently working under any of the identified areas have to obtain the requisite certification within two years.

As a part of motivational measure, Bank is reimbursing the course fees for all the identified certifications under capacity building and also giving due weightage for the same in the Promotion process.

LEARNING ADDITIONAL REGIONAL LANGUAGES:

A new initiative named "Learning Additional Regional Languages" was introduced and our Bank stands to implement the same, thereby, enabling all our staff members become proficient in speaking skills of regional language where they are posted at.

As per the initiative, the Second Batch of Learning Tamil Language – Speaking Skills was successfully completed with 75 staff members clearing the assessment process conducted by University of Madras on completion of an online workshop for 6 consecutive weekend holidays.

4. Ethics Policy

Ethics policy was introduced covering all the employees of the Bank, to create a culture of cooperation among the employees in respect of public conduct, communications with the Bank, interactions with external entities including the media and dealing with colleagues. The policy defines the standards of the conduct that is expected of all employees in order that the right decisions are taken in performing roles and responsibilities across various functions in the Bank.

For implementation of the said policy, a Standard Operating Procedure (SOP) has been adopted wherein online affirmation from all the employees confirming adherence to the code of conduct as detailed in the Ethics policy is obtained on annual basis.

5. Job Family:

Job Family was introduced by our Bank in FY 2019 – 20 which comprises of 10 families. The same was arrived after grouping similar nature of tasks/ business vertical and related Depts./ cells/ areas etc. under one family.

All Officers having exposure/ working in the related depts./ business verticals and having requisite qualifications in the areas falling under the above Job Families have been grouped/ classified under the given Job Family.

6. Training:

Keeping in view the corporate goal of making the bank a customer centric one training has been imparted on contemporary issues of banking apart from basic areas of banking through the internal and external mode.

Apart from the above, regular training on Banking topics have been imparted to officers and clerks in the field of Credit Appraisal/ Credit Monitoring, Small & Medium Enterprises Financing, Vigilance. Also Programmes for First Line and Second Line Managers were conducted for all staff members through various modes (Online and Offline)

Pre-Promotion Training for SC/ST/ OBC/ PH members who are eligible for promotion from Sub Staff to Clerical cadre, Clerk to JMGS I, JMGS I to MMGS II and MMGS II to MMGS III was conducted through online mode.

The Pre-Retirement counseling programme was conducted for Officers and Award Staff Members who retired during the year.

Internal Training

Our Bank's internal training system comprises of One Staff College and Twelve Staff Training Centers (STCs). The statistics of Internal Trainings imparted for the FY 2022 – 23 is furnished hereunder:

Particulars	Officers	Clerical	Sub staff	Total	SC (Out of Total)	ST (Out of Total)
Training imparted to Individual Staff members (irrespective of no. of trainings attended)	7237	4059	497	**11793**	2724	**1114**
Training imparted during FY - 2022 23 (based on total no. of trainings attended by members)	11562	6108	698	**18368**	4595	**1834**

External Training

We had also deputed **1080** Executives/ Officers for training programmes conducted by reputed external institutes like Indian Institute of Management (IIMs), IDRBT – Hyderabad, NIBM – Pune, CAB – Pune, RBI, Infosys, BQ Global, IIB&F – Mumbai, CARE Training Institute, SIBSTC – Bangalore, CAFRAL – Mumbai, FIMMDA – Mumbai, FEDAI – Mumbai, IBA

Apart from the general and subject concerned training

सहयोग से हमारे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 89 अधिकारियों के लिए के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम भी आयोजित किया है।

ई- पाठशाला - ऑनलाइन ई-लर्निंग पोर्टल:

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों यानी क्रेडिट, एनपीए, ट्रेजरी, विदेशी मुद्रा आदि पर 75 मॉड्यूल, हमारे बैंक के स्टाफ सदस्यों के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल में सभी ई-पाठशाला उपलब्ध कराई गई थी । स्टाफ सदस्यों के ज्ञान बढ़ाने और अद्यतित करने के लिए इन मॉड्यूलों को लक्षित किया गया था, जिससे हमारे ऑनलाइन लर्निंग पहल (ई-पाठशाला) को आनुपातिक दर से बढ़ाया जा सकें । उक्त पोर्टल को नियमित रूप से हमारे स्टाफ कॉलेज के संकाय सदस्यों द्वारा अद्यतन और अनुरक्षित किया गया था । कुल 8814 स्टाफ सदस्यों ने ई- पाठशाला के तहत सभी छह अनिवार्य मॉड्यूल (75 उपलब्ध मॉड्यूल में से) को पूरा किया ।

औद्योगिक संबंध

पूरे वर्ष संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, बैंक में औद्योगिक संबंध परिवेश सौहार्दपूर्ण और अनुकूल रहा ।

बैंक के सभी कार्यालयों/शाखाओं में अच्छे औद्योगिक संबंध परिवेश की निगरानी और उसे बनाए रखने के लिए समय-समय पर अनुशासन के प्रवर्तन, अपनाई जाने वाली नीतियों आदि के संबंध में परिपत्र / दिशा-निर्देश जारी किए गए ।

बैंक में अनुशासन और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों को लागू करने के लिए उन स्टाफ सदस्यों के प्रति कार्रवाई की गई, जिनके खिलाफ आईआर प्रकृति की शिकायतें / मामले दर्ज हुए ।

आगे, स्टाफ मामलों से संबंधित वित्त मंत्रालय और भारतीय बैंक संघ द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों को हमारे स्टाफ सदस्यों के लाभ के लिए परिपत्र जारी करके शीघ्रता से लागू किया गया ।

एचआरएमडी-आईआर अनुभाग, केंद्रीय कार्यालय ने स्टाफ सदस्यों की स्थानांतरण, अन्य लाभों आदि के संबंध में शिकायतों के निवारण के लिए अधिकारी एशोशिएसन / कर्मचारी यूनियन के साथ विचार-विमर्श किया ।

वित्तीय वर्ष के दौरान पर्यवेक्षी स्टाफ को देय मनोरंजन व्यय की प्रतिपूर्ति की राशि की मात्रा में वृद्धि की गई । अवार्ड स्टाफ सदस्यों को देय पेट्रोल व्यय की प्रतिपूर्ति में वृद्धि की गई । इसके अलावा, वे पर्यवेक्षी स्टाफ जिनके पास वाहन नहीं हैं, उनके लिए घोषणा के आधार पर वाहन भत्ता की प्रतिपूर्ति को बढ़ाया गया था । अधीनस्थ स्टाफ सदस्यों को वर्दी की लागत की प्रतिपूर्ति में वृद्धि की गई ।

कर्मचारी कल्याण योजना के हिस्से के रूप में तीन अतिरिक्त योजनाएं शुरू की गईं, जैसे 1) दिव्यांगजन सहायता / उपकरण की खरीद की लागत की प्रतिपूर्ति 2) महिला कर्मचारियों के लिए क्रेच या बेबीसिटिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति और 3) वार्ड की शिक्षा ऋण देयता के लिए कर्ज़ राहत । इसके अलावा, मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं में सुधार किए गए जैसे-

1. सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित मृतक स्टाफ सदस्यों के शोक संतप्त परिवार को वित्तीय सहायता 7500/- रुपये से बढ़ाकर 15000/- रुपये की गई ।
2. मृत स्टाफ सदस्यों के स्टाफ हाउसिंग लोन देनदारी के लिए अधिकतम कर्ज़ राहत को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया ।
3. चश्मे की लागत की प्रतिपूर्ति को बढ़ाकर 4000/- रुपये कर दिया गया और प्रतिपूर्ति के लिए पात्रता आयु को भी 40 वर्ष की आयु पूरी करने के लिए परिवर्तन किया गया है ।
4. बच्चों की शिक्षा के खर्च (1 बच्चे के लिए) की प्रतिपूर्ति फिर से शुरू की गई और प्रतिपूर्ति राशि भी बढ़ा दी गई ।
5. वीआरएस सहित अधिवर्षिता पर माइलस्टोन अवार्ड (बर्खास्तगी, निष्कासित, सेवा मुक्त, सीआरएस आदि के कारण सेवा की समाप्ति पर नहीं प्रदत्त) कैडर के अनुसार, बेदाग सेवाएं देने वाले स्टाफ सदस्यों को सम्मानित करने के लिए एक योजना के रूप में प्रस्तावित किया गया था ।

सेवा में कार्यरत सभी स्टाफ सदस्यों के लिए विशेष समूह बीमा योजना के अंतर्गत बीमित राशि को सामान्य मृत्यु के लिए रु. 1 लाख से बढ़ाकर रु. 2 लाख और दुर्घटना के कारण मृत्यु के लिए रु. 2 लाख से रु. 4 लाख कर दिया गया । आइओबी पेंशनभोगियों के लिए, बैंक ने चिकित्सा सहायता के लिए पेंशनभोगियों को रु. 2000/- प्रति वर्ष और पारिवारिक पेंशनभोगियों को रु. 1000/- प्रति वर्ष की राशि की प्रतिपूर्ति की थी ।

हर साल मार्च के अंत में सभी स्टाफ सदस्यों से उनकी 'चल, अचल और मूल्यवान संपत्तियों' के बारे में विवरण प्राप्त करते हैं । 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए, अधिकांश स्टाफ सदस्यों ने अपने रिटर्न जमा कर दिए हैं, जिनकी समीक्षा भी की गई थी ।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार सभी प्रशासनिक कार्यालयों (केंद्रीय / क्षेत्रीय कार्यालयों) में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया गया था ।

वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त और निपटाए गए यौन उत्पीड़न की शिकायतों का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष (01.04.2022) के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त शिकायतें	वर्ष के दौरान शिकायतों का निस्तारण किया गया	वर्ष (31.03.2023)के अंत तक लंबित शिकायतें
1	1	2	0

वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार सहायक श्रम आयुक्त सहित विभिन्न न्यायालयों के समक्ष स्टाफ सदस्यों द्वारा दर्ज़ औद्योगिक विवाद / अदालती मामलों की समीक्षा बैंक द्वारा शीर्ष स्तर पर की जाती है और अदालती मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए प्रयास किए जाते हैं ।

programmes Bank has also conducted a Leadership Development Programme for Top Performers for 89 of our Officers with the faculty support from XLRI – The Xavier School of Management, Jamshedpur.

E-Paatashala – Online e-Learning portal:

E-Paatashala was made available for all the staff members in our Bank's online module consisting of 75 modules on various areas like Credit, NPA, Treasury, Foreign Exchange etc., during the FY 2022 - 23. These modules were targeted at enhancing and updating the knowledge of the staff members thereby scaling up our online learning initiative (E-Paatashala). The said portal was updated and maintained by our Staff College Faculty on a regular basis. A total of 8814 staff members completed all SIX Mandatory modules (out of 75 available modules) under E-Paatashala.

INDUSTRIAL RELATIONS

The Industrial relations environment in the Bank remained cordial and conducive throughout the year for achieving organization's objectives.

In order to monitor and maintain good Industrial Relations climate in all offices/Branches of the Bank, circulars/ guidelines are issued from time to time regarding enforcement of discipline, policies to be followed, etc.

Action is taken against staff members against whom complaints/matters of IR nature are reported to enforce discipline and harmonious industrial relations in the Bank.

Further, all the guidelines issued by the Ministry of Finance and Indian Banks Association with regard to staff matters are implemented expeditiously by issuing circulars for the benefit of our employees.

HRMD-IR Section, Central Office holds discussions with Officer Association / Workmen Union for redressal of grievances of staff members regarding transfers, other benefits etc.

During the financial year, increase was made to the quantum of amount reimbursed towards entertainment expenses payable to Supervisory Staff. Reimbursement of petrol expenses payable to award staff was increased. Also, conveyance allowance to supervisory staff who do not own vehicles and claim reimbursement on declaration basis was increased. Enhancement was also made towards reimbursement of cost of uniform to substaff members.

Three additional schemes were introduced as part of Staff Welfare measure viz., 1) Reimbursement of cost of purchase of PH aid / equipment 2) Reimbursement of Creche or babysitting charges for women employees & 3) Distress Relief for education loan liability of ward. Further, improvements were made in the existing welfare schemes like

1. Financial Assistance to the bereaved family of the deceased staff members including retirees was enhanced from Rs.7500/- to Rs.15000/-
2. The maximum distress relief towards Staff Housing Loan liability of the deceased staff members was enhanced to Rs.10 lacs from Rs.2 lacs.
3. Reimbursement of cost of spectacles was enhanced to Rs.4000/- and the eligible age for reimbursement was also changed to completion of 40 years of age.
4. Reimbursement of children education expenses (for 1 child) was reintroduced and reimbursement amount was also increased.
5. Milestone award on superannuation including VRS (not resulting in cessation of service due to dismissal, termination, discharge, CRS etc.) was proposed as a scheme for awarding staff members for unblemished services, according to their cadre.

The sum assured under Special Group Insurance Scheme cover for all the employees in service was enhanced from Rs.1 lac to Rs.2 lacs for normal death and from Rs.2 lacs to Rs.4 lacs for death caused by accident. For IOB Pensioners, Bank had reimbursed an amount of Rs.2000/- p.a. to pensioners and Rs.1000/- p.a. to family pensioners towards medical aid.

We obtain statement from all staff members regarding their 'Movable, Immovable and valuable properties' as at the end of March every year. For the year ended 31.03.2022, most of the staff members have submitted their returns which were also scrutinized.

To prevent sexual harassment of women at workplace, Internal complaints committees were constituted at all Administrative offices (Central / Regional offices) as per the provisions of Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013.

The details of the Sexual Harassment Complaints received and disposed during the year 2022 – 2023 is as follows:

Complaints pending as at the beginning of the year (01.04.2022)	Complaints received during the year 2022-23	Complaints disposed off during the year	Complaints pending as at the end of the year (31.03.2023)
1	1	2	0

Industrial Disputes / Court Cases filed by staff members before various Courts including those before Assistant Labour Commissioner are reviewed by the Bank at Apex level as per Ministry of Finance guidelines and efforts are taken to settle/get the Court cases disposed of expeditiously.

आचरण और अनुशासनात्मक कार्रवाई कक्ष:

अनुशासनिक कार्यवाही

वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुशासनिक मामलों के निराकरण हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने के कारण, 369 मामलों का निपटान किया गया है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने 325 नए आरोपपत्र जारी किए ।

31.03.2023 तक बकाया 210 मामलों के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रगति के विभिन्न चरणों में है, जिनमें से 135 सतर्कता और 75 गैर-सतर्कता के मामले हैं । अनुशासनात्मक कार्यवाही को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 319 नए मामलों के प्रवाह के बीच अनुशासनात्मक मामलों की संख्या को घटाकर 210 कर दिया गया है । जहां सदस्यों को निलंबित किया गया है, वहां अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है ।

अनुशासनात्मक कार्यवाही में तेजी लाने के लिए डिजिटल मोड जैसे वेबेक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के माध्यम से पूछताछ कर कार्यवाही की जा रही है ।

अनुशासनात्मक अधिकारियों, आईए और पीओ को अनुशासनात्मक कार्यवाही को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के लिए जागरूक किया गया है ।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

पदों की श्रेणी	31.03.2023 तक कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति की संख्या	अनुसूचित जाति का %	एसटी की संख्या	एसटी का%	ओबीसी की संख्या	ओबीसी का %	सामान्य वर्ग की संख्या	सामान्य वर्ग का %
अधिकारी	12491	2143	17.16	1167	9.34	3875	31.02	5306	42.48
लिपिक	7678	1489	19.39	359	4.68	2616	34.07	3214	41.86
अधीनस्थ स्टाफ	1486	542	36.47	59	3.97	462	31.09	423	28.47
सफाई कर्मचारी	390	173	44.36	10	2.56	137	35.13	70	17.95
कुल	22045	4347	19.72	1595	7.24	7090	32.16	9013	40.88

रोस्टर:

मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रधान कार्यालय में पदोन्नति और भर्ती रोस्टर बनाए जाते हैं । रोस्टरों का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाता है । कैलेंडर वर्ष 2021 ,2020 ,2019 और 2022 के लिए रोस्टर रजिस्टर वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली द्वारा सत्यापित किया गया है ।

प्रशिक्षण:

पदोन्नति परीक्षाओं के शुरू होने से पहले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ पीडब्ल्यूबीडी कर्मचारियों के लिए पूर्व-पदोन्नति प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं ।

आरक्षण मानदंडों, रोस्टर और अन्य सरकारी दिशानिर्दे के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण एसोसिएशन के पदाधिकारियों और मुख्य संपर्क अधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया ।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पीडब्ल्यूबीडी / भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों का कल्याण:

भारत सरकार के तहत बैंकों के पीडब्ल्यूबीडी / भूतपूर्व सैनिक के लिए लागू आरक्षण नीति, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक पर भी लागू है । भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस कक्ष के अधीन मुख्य संपर्क अधिकारी, एचआरएमडी, केंद्रीय कार्यालय प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं, जो आरक्षण के नियमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हैं । यह कक्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिकों/दिव्यांगजन स्टाफ सदस्यों की शिकायतों का ध्यान रखता है ।

हमारे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों / सेवा मामलों / कल्याण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के क्रम में, बहुसंख्यक कल्याण एसोसिएशन के साथ त्रैमासिक बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती है ।

ओबीसी कर्मचारियों का कल्याण:

भारत सरकार के तहत बैंकों मेंओबीसी के लिए लागू आरक्षण नीति, इण्डिययन ओवरसीज़ बैंक पर भी लागू होती है ।

बैंक के केंद्रीय कार्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस कक्ष है, जो महाप्रबंधक (एचआर) और मुख्य संपर्क अधिकारी, जो महाप्रबंधक के पद पर है, के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है । अन्य पिछड़ा वर्ग कक्ष के माध्यम से मुख्य संपर्क अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि बैंक में सरकार के दिशा-निर्देशों को लागू किया जा रहा है ।

हमारे ओबीसी कर्मचारियों की शिकायतों/सेवा मामलों/कल्याण से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए बहुसंख्यक कल्याण संघ के साथ अर्धवार्षिक बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती है ।

सुरक्षा विभाग

स्थानीय कानून और व्यवस्था, अपराध दर और बैंकों के विरुद्ध अपराधों के तौर-तरीकों को ध्यान में रखते हुए सभी शाखाओं, एटीएम और प्रशासनिक कार्यालयों में सलामती, सुरक्षा और एहतियाती उपाय, जहां भी आवश्यक हो, अनिवार्य और सुझाए गए उपायों की समीक्षा, अध्ययन और कार्यान्वयन किया गया । बैंक ने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों के बीच सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के लिए निवारक उपायों और कर्मचारियों के बीच आग की रोकथाम और सुरक्षा जागरूकता पर जोर देना जारी रखा है । सभी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में ए, बी और सी श्रेणी की आग से लड़ने के लिए पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं । सभी शाखाओं में स्व-संचालित यूपीएस कक्ष में मॉड्यूलर अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं । बैंक ने सुरक्षा जागरूकता के संबंध में स्टाफ सदस्यों को संवेदनशील बनाया है और सभी शाखाओं में पैसिव

CONDUCT AND DISCIPLINARY ACTION CELL:

Disciplinary Proceedings

During the Financial Year 2022-23 due to effective steps taken for disposal of disciplinary cases, we have disposed of 369 cases. During the year under review, the Bank issued 325 new charge sheets.

The disciplinary proceedings are in various stages of progress in respect of outstanding 210 cases as on 31.03.2023, out of which 135 are Vigilance cases and 75 are Non-Vigilance cases. Efforts are made to complete the disciplinary proceedings within the stipulated time frame. The number of Disciplinary cases has been brought down to 210 cases amidst inflow of 319 new cases during the financial year 2022-23. Utmost priority is being given to complete the disciplinary proceedings where the members are under suspension.

Enquiry proceedings are being conducted through Digital modes like Webex, Video conferencing etc., to speed up the Disciplinary proceedings.

Disciplinary Authorities, IA & PO have been sensitized to complete the Disciplinary proceedings within the stipulated time.

REPRESENTATION OF SC/ST/OBC EMPLOYEES IN INDIAN OVERSEAS BANK

Category of posts	Total No. of employees As on 31.03.2023	No of SCs	% of SCs	No of STs	% OF STs	No of OBCs	% of OBCs	No of Gen	% of Gen
Officers	12491	2143	17.16	1167	9.34	3875	31.02	5306	42.48
Clerk	7678	1489	19.39	359	4.68	2616	34.07	3214	41.86
Sub-Staff	1486	542	36.47	59	3.97	462	31.09	423	28.47
Sweeper	390	173	44.36	10	2.56	137	35.13	70	17.95
Total	22045	4347	19.72	1595	7.24	7090	32.16	9013	40.88

Rosters:

As per Ministry guidelines promotions and recruitment rosters are maintained at Head Office to ensure adequate representation of SC/ST/OBC employees. Inspection of Rosters is carried out on a regular basis. Roster Register for the Calendar year 2019, 2020, 2021 & 2022 have been verified by Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi.

Trainings:

Pre-Promotion trainings are conducted for SC/ST/OBC/PwBD employees before the commencement of the promotion examinations.

CLOs & Office Bearers of SC/ST welfare Association were imparted training on Reservation norms, Rosters and other Govt. guidelines.

Welfare of SC/ST/PwBD/ Ex-Servicemen Employees:

The Reservation Policy for SC/ST/PwBD/Ex- Serviceman which are applicable for banks under Government of India is also applicable to Indian Overseas Bank. As stipulated by the Government of India SC/ST/OBC/EWS Cell is functioning under the direct control of Chief Liaison officer at HRMD, Central Office which ensures the implementation of the rules of Reservation. The Cell takes care of the grievances of SC/ST/OBC/Ex-Servicemen/Differently abled Persons.

Quarterly meeting with the majority Welfare Association is held at regular intervals in order to resolve issues related to grievances/service matter/welfare of our SC/ST Employees.

Welfare of OBC Employees:

The Reservation Policy for OBCs which are applicable for Banks under Government of India are also applicable to Indian Overseas Bank.

Bank is having SC/ST/OBC/EWS Cell at the Central Office, which is under the direct supervision of General Manager (HR) and Chief Liaison Officer, who is in the rank of General Manager. The Chief Liaison Officer through the OBC Cell ensures that the Government guidelines are implemented in the Bank.

Half yearly meeting with the majority Welfare Association is held at regular intervals in order to resolve issues related to grievances/service matter/welfare of our OBC Employees.

SECURITY DEPARTMENT

Safety, Security and precautionary measures, as and where required, mandated and suggested were reviewed, studied and implemented in all Branches, ATMs and Administrative Offices keeping in view the local law and order, crime rate and modus operandi of the crimes against Banks in mind. The Bank continued to stress on preventive measures for security and fire safety arrangements and inculcation of fire prevention and security consciousness among staff to ensure safety to life and property. Portable fire extinguishers for fighting A, B and C classes of fire have been provided at all Branches and Administrative Offices. Self operating *Modular Fire Extinguishers* have been provided in UPS room across all branches. Bank has sensitized staff members regarding security awareness and ensured installation of security

इंफ्रा रेड (पीआईआर) सेंसर और वाइब्रेशन सेंसर को शामिल करते हुए 24x7x365 दिन काम करने वाले सुरक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सीसीटीवी और बर्गलर अलार्म सिस्टम की प्रतिष्ठापन सुनिश्चित की है । संवेदनशील शाखाओं में एकीकृत अलार्म प्रणाली प्रतिष्ठापित की गई है । मामले दर मामले के आधार पर, संवेदनशील एटीएम और शाखाओं में आउटसोर्स चौकीदार/ सशस्त्र गार्ड तैनात किए गए हैं । विभिन्न क्षेत्रों में तैनात आरएसओ (क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी) ने शाखाओं का दौरा किया है, स्थापित सुरक्षा उपकरणों की कार्यप्रणाली की जांच की है, इन उपकरणों के प्रबंधन और महत्व के बारे में कर्मचारियों को शिक्षित किया है और शाखाओं एवं एटीएम की जोखिम धारणाओं का आकलन और पर्याप्त सुधारात्मक उपाय किए हैं । शाखाओं में सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के उपाय की नियमित जांच की आवश्यकता है । अधिकांश करेंसी चेस्ट को ज़रूरतमंद शाखाओं में नकदी के सुरक्षित हस्तांतरण के लिए दो सशस्त्र गार्ड के साथ आउटसोर्स फोर्टिफाइड कैश वैन स्वीकृत किया गया है और जहां कहीं भी नकदी अधिक है, वहां से इसे स्थनांतरित किया जाता है और सुरक्षा विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है ।

राजभाषा विभाग

बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने के लिए सभी प्रयास किए हैं । बैंक राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित वार्षिक कार्यक्रम के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है । वर्ष के दौरान आयोजित सामान्य हिंदी कार्यशालाओं में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले 946 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया । भारत सरकार के निर्देशानुसार, बैंक ने सभी प्रशासनिक कार्यालयों और शाखाओं के सभी कंप्यूटरों में हिंदी यूनिकोड फ़ॉन्ट प्रतिष्ठापित किया है । हमारी हिन्दी गृह-पत्रिका "वाणी" के चार अंक प्रकाशित हुए और उन्हें डिजिटल रूप में भी प्रदर्शित किया गया । बैंक ने 6 और 7 मई 2022 को स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै में राजभाषा अधिकारियों के लिए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया ।

हमारे बैंक द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में किए गए प्रयासों के प्रमाणन के रूप में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार से 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' प्राप्त हुआ, जिसे हमारे बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता ने ग्रहण किया । संबंधित नराकासों से केंद्रीय कार्यालय सहित 24 क्षेत्रीय कार्यालयों / शाखाओं को पुरस्कार प्राप्त हुए हैं । राजभाषा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया । राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखाओं को राजभाषा शील्ड योजना के तहत पुरस्कृत किया गया । साथ ही, ई-पत्रिका का उत्कृष्ट प्रकाशन करने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों को पुरस्कृत किया गया । केंद्रीय कार्यालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हर महीने सभी क्षेत्रीय कार्यालय की मासिक अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा की ।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति ने दिनांक 17 मई 2022, 13 सितंबर 2022, 05 नवंबर 2022 एवं 18 जनवरी 2023 को क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून, क्षेत्रीय कार्यालय बड़ौदा, तिरुपति शाखा एवं क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का क्रमश: निरीक्षण किया । उक्त समिति ने राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उन केंद्रों पर हो रहे कार्यों के प्रति संतोष प्रकट किया ।

हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय में हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । स्टाफ सदस्यों के लिए अखिल भारतीय हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता 19 सितंबर 2022 को आयोजित की गई । बैंक ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के स्टाफ सदस्यों के लिए दिसंबर महीने 2022 में अंतर बैंक अखिल भारतीय निबंध लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित किया है । उक्त प्रतियोगिता में पुरस्कृत लेखों को संकलित कर, 'निबन्ध संचय' पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गई । 10 जनवरी 2023 को केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया । इस अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की गईं । केंद्रीय कार्यालय ने 10 जनवरी 2023 को कार्यपालकों के लिए "तमिल-हिंदी का अनन्य संबंध" विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया । 10 फरवरी 2023 को बैंक के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । हमारे केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों ने 21 फरवरी, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया । इस अवसर पर बैंक द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताएं, सेमिनार, विशेष बैठक एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया गया । बैंक ने 17 दिसंबर 2022 को सभी कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय राजभाषा प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया और विजेताओं को पुरस्कृत किया ।

हमारे बैंक ने जनवरी 2021 से राजभाषा कार्यान्वयन हेतु नकद प्रोत्साहन योजना की शुरूआत की है । इस योजना के तहत प्रत्येक छमाही के दौरान राजभाषा में उत्कृष्ट कार्यान्वयन कार्य करने वाले स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहन स्वरूप रु. 1,000 राशि एवं प्रमाणपत्र देने का प्रावधान है । इस योजना के अनुसार प्रत्येक छमाही के दौरान केंद्रीय कार्यालय से 12 स्टाफ सदस्यों एवं प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय से 3 स्टाफ सदस्यों एवं प्रत्येक क्षेत्राधीन शाखाओं से 6 स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहन राशि व प्रमाण पत्र देने का प्रावधान है । वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान इस योजना के अंतर्गत कुल 529 स्टाफ सदस्यों को नकद प्रोत्साहन राशि एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया गया ।

हमारे बैंक में इंड-एएस के कार्यान्वयन की स्थिति

बैंक ने वित्तीय वर्ष 17-2016 से आईएनडी एएस (भारतीय लेखा मानक) कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू की है । आरबीआई ने अपनी अधिसूचना आरबीआई/146/19-2018 डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.-2018/21.07.001/29 19 दिनांकित 22.03.2019 के द्वारा आईएनडी एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है । आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि वे 30.09.2021 से आधे साल के आधार पर प्रोफार्मा में भरकर वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें। आरबीआई के निर्देश के अनुसार, बैंक ने आरबीआई को 31.03.2023 तक का प्रोफार्मा में वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया है ।

बैंक ने कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक परियोजना संचालन समिति (पीएससी) की स्थापना की है, जिसमें सदस्य के रूप में 4 कार्यकारी समूहों के महाप्रबंधक हैं जो आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार आईएनडी एएस कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करते हैं । बैंक ने आईएनडी एएस के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए एक आईएनडी एएस कोर टीम और अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) टीम भी बनाई है ।

बैंक ने आईएनडी एएस के कार्यान्वयन के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया है ।

इसके अलावा, हमारे बैंक में आईएनडी एएस के कार्यान्वयन की स्थिति समय-समय पर बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति और बैंक के बोर्ड को सूचित की जाती रही है ।

पीएसबीएस के लिए- सुधार एजेंडा – ईज़ - एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस

ईज़ सुधार एजेंडा 2018 में आईबीए द्वारा डीएफएस के मार्गदर्शन में लॉन्च किया गया था । ईज़ सुधार एजेंडा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच परिचालन और क्षमता के अंतर को पाटने पर केंद्रित है । ईज़ कार्यक्रम हर साल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक सामान्य सुधार एजेंडा तय करता है । ईज़ का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में लाभप्रदता, संपत्ति की गुणवत्ता, ग्राहक सेवा और डिजिटल क्षमताओं में सुधार के लिए नए युग के सुधारों को बढ़ावा देना है । एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस (ईज़)

electronics viz., CCTV and Burglar Alarm system functioning 24x7x365 days incorporating Passive Infra Red (PIR) sensors and vibration sensors in all branches. Integrated Alarm system installed in vulnerable branches. Outsourced Watchmen/ Armed Guards deployed at vulnerable ATMs and branches, on case to case basis. RSO's (Regional Security Officers) deployed in various Regions have visited Branches, checked functioning of security gadgets installed, educated staff about handling and importance of these gadgets and need for routine checking of same, assessed risk perceptions of Branches and ATM's and have taken adequate corrective measures to provide a safe working environment in Branches. Most of the Currency Chests have been sanctioned outsourced fortified cash vans with two armed guards for safe transfer of cash to needy Branches and lifting of same from wherever it is in excess and the same is reviewed by Security Department at Central Office.

OFFICIAL LANGUAGE

The Bank has taken all efforts to implement the Official Language Policy of Government of India during the FY 2022-23. The Bank is committed to achieve all the goals of the Annual Program formulated by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India. 946 Staff members possessing working knowledge of Hindi were trained in General Hindi Workshops held during the year. As per the directives of Government of India, Bank has enabled Hindi Unicode font in all the computers in Administrative Offices and all the Branches. Four editions of our in-house Hindi Magazine "VANI" in print as well as in digital form, have been published. Bank has conducted All India Official Language Conference for Official Language Officers on 6th and 7th May 2022 at Staff College, Chennai.

Our Bank has received the 'Rajbhasha Kirti Puraskar' from the Ministry of Home Affairs, Government of India for Financial Year 2021-22, as a certification of the efforts made by our Bank towards the implementation of Official Language, which was received by Sri Partha Pratim Sengupta, Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank. Our Central Office along with 24 Regional Offices / Branches has received awards from respective TOLICs. All Regional Offices were inspected in connection with Official Language implementation by Official Language Department, Central Office. Regional offices and Branches who have done excellent work in the field of Official Language implementation were rewarded under the Rajbhasha Shield Scheme. Also, the Regional Offices whose publication of E-Magazine was excellent were rewarded. Our Central Office has reviewed monthly compliance report of all ROs in every month through video conferencing.

Third Sub Committee of Parliamentary Committee on Official Language has conducted inspection of Regional Office Dehradun, Regional Office Baroda, Tirupati Branch and Regional Office Bhopal on 17th May 2022, 13th September 2022, 05th November 2022 and 18th January 2023, respectively. The said committee expressed satisfaction over the implementation of Official Language in these centers.

Bank has conducted Hindi competitions in all Regional Offices and Central Office on the occasion of Hindi Day Celebrations. An All India Hindi Essay Writing competition was held on 19th September 2022. Bank has also conducted inter-bank All-India Essay Writing competition in the month of December 2022 for the staff members of all Public Sector Banks and FIs. Award winning articles of the said competition have been compiled and published in a book form as "Nibandh Sanchay". On 10th January 2023 World Hindi Day was observed in Central Office and Regional Offices. On this occasion various Hindi competitions, seminars and workshops were held in Regional Offices. Central Office conducted one seminar on "Tamil – Hindi Ka Ananya Sambandh" for executives on 10th January 2023. Various Hindi competitions were conducted by Regional Offices on the occasion of Bank's Foundation Day celebrations on 10th February 2023. Our Central Office and Regional Offices have celebrated International Mother Language Day On 21st February, 2023. On this occasion, Bank organized various competitions, seminars, special meeting, and workshops. Bank has conducted All India Official Language Quiz for all staff on 17th December 2022 and awarded the winners.

Our Bank has introduced cash incentive scheme for excellent Official Language implementation in January 2021. Under this scheme, staff members who have excelled in the Official Language are being given an incentive of Rs. 1,000 and there is a provision to give certificate to 12 staff members from central office and 3 staff members from each Regional Office & 6 staff members from Branches comeing under the jurisdiction of respective ROs during every half year. During the FY 2022-23, a total of 529 staff members were awarded with cash incentive and certificates under this scheme.

STATUS OF IMPLEMENTATION OF Ind AS IN OUR BANK

Bank has commenced the process of Ind AS (Indian Accounting Standards) implementation from FY 2016-17. RBI vide their notification RBI/2018-19/146 DBR.BP.BC. No.29/21.07.001/2018-19 dated 22.03.2019 has deferred the implementation of Ind AS till further notice. RBI has advised the Banks to submit Proforma Financial Statements on half year basis w.e.f. 30.09.2021. In line with the direction of RBI, Bank has filed Proforma Financial Statements upto 31.03.2023 to RBI.

Bank has set up a Project Steering Committee (PSC) headed by Executive Director with General Managers of 4 Working Groups as members which monitor the progress of Ind AS implementation as per the guidelines of RBI. Bank has also formed a Ind AS Core team and Expected Credit Loss (ECL) team for taking forward implementation of Ind AS.

Bank has appointed a Consultant for implementation of Ind AS in our Bank.

Further, the status of implementation of Ind AS in our Bank has been periodically informed to the Audit Committee of Board and to the Board of the Bank.

PSBS – REFORM AGENDA – EASE – ENHANCED ACCESS & SERVICE EXCELLENCE.

EASE Reforms Agenda was launched in 2018 by IBA under the guidance of DFS. EASE Reforms Agenda focused on bridging operational and capability gaps between public and private sector banks. EASE programme sets a common reforms agenda for public-sector banks every year. EASE aims to foster new-age reforms in Public sector banks (PSBs) to improve profitability, asset quality, customer service and digital capabilities. The Enhanced Access and Service Excellence (EASE) program stressed on data analytics, automation, digitization, technology, asset quality improvement, outcome-

प्रोग्राम में डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन, टेक्नोलॉजी, एसेट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, रिजल्ट-सेंट्रिक एचआर और पूर्णत: गवर्नेंस पर जोर दिया गया है । ईज रिफॉर्म्स एजेंडा का सभी पीएसबी'यों में प्रदर्शन, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है ।

ईज़ 5.0 को "उन्नत डिजिटल अनुभव" की टैगलाइन के साथ पेश किया गया है; वित्तीय वर्ष 2023 के लिए "डेटा संचालित, एकीकृत और समावेशी बैंकिंग" 5 विषयों पर केंद्रित है:

1. डिजिटल रूप से सक्षम ग्राहक पेशकश ।
2. बड़ा डेटा और एनालिटिक्स ।
3. आधुनिक तकनीक की क्षमता ।
4. सहयोगात्मक और विकास केंद्रित बैंकिंग ।
5. कर्मचारी विकास और शासन।

बैंक ने ईज़ 5.0 कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया है और ईज़ रिफॉर्म इंडेक्स के तहत बेहतर प्रदर्शन दिखाने के लिए आवश्यक पहल की है ।

प्रायोजना और आर्थिक डेस्क:

योजना कार्य क्षेत्रवार मासिक लाभ और हानि आंदोलन की निगरानी, कॉरपोरेट स्तर के बजट, अनंतिम दैनिक एमआईएस को शीर्ष प्रबंधन और विभिन्न अध्ययन विश्लेषण की रिपोर्ट करने के लिए उपयोगी परिणाम प्राप्त करना जारी रखता है। आर्थिक डेस्क नियमित अंतराल पर सरकार/आरबीआइ की नीतियों का विश्लेषण करने के अलावा, अर्थव्यवस्था में दिन-प्रतिदिन के विकास के साथ शीर्ष प्रबंधन का समर्थन करता है।

जनसंपर्क:

- वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार, बैंक ने "आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) - भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न" ग्राहक बैठक, कारोबार बैठक, वृक्षारोपण, ऑनलाइन क्विज जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके मनाया । गतिविधियों को मलयालम, उड़िया , मराठी, बिहारी, असमिया, बंगाली, पंजाबी, मणिपुरी, गुजराती, तमिल और हिंदी भाषा में चलाया गया । एंकर और नॉन-एंकर महीनों के लिए एकेएएम की घटनाओं पर रिपोर्ट डीएफएस को प्रस्तुत की गई ।

- **डीएफएस के निर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित कार्यक्रम बैंक द्वारा केंद्रिकृत रूप से आयोजित की गई ।**

➢ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर 21 जून 2022 को स्टाफ कॉलेज, तिरुमंगलम, चेन्नै में सामूहिक योग / ड्रिल सत्र का आयोजन किया गया ।

➢ हर घर तिरंगा अभियान के तहत कर्मचारियों, ग्राहकों एवं जनता के आवास पर तिरंगा फहराया गया । जरूरतमंदों को नि:शुल्क झंडों का वितरण किया गया और फहराते हुए झंडों की तस्वीर वेबसाइट पर पिन किया गया ।

➢ 10 अगस्त 2022 से 14 अगस्त 2022 तक 26 राज्यों को कवर करते हुए 40 स्थानों पर विभाजन संत्रास दिवस की प्रदर्शनी लगई थी ।

➢ स्वच्छता विशेष - 02 अक्टूबर 2022 को स्वच्छता अभियान 2.0 का आयोजन केन्द्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं सभी शाखाओं में किया गया ।

➢ 26 नवंबर 2022 को केंद्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और सभी शाखाओं में संविधान दिवस मनाया गया ।

➢ 10 फरवरी 2023 को बैंक के 87वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर, विभाग ने क) 700 अनाथ और गरीब बच्चों के लिए एक दिन के लिए रामकृष्ण मिशन छात्र गृह को अन्नदानम किया गया । ख) रामकृष्ण मिशन और लायंस क्लब (टी नगर और रेड हिल्स) द्वारा चिन्हित लाभार्थियों को 52 व्हिलचेयर / ट्राइसाइकल दान किए गए । ग) समारोह के दिन दान के एक भाग को अक्षय पात्र फाउंडेशन, पांडिचेरी को भोजन वितरण वाहन सौंपा गया ।

➢ अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 08 मार्च 2023 को केंद्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और सभी शाखाओं में आयोजित की गई ।

- वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, पीआर एजेंसियों के माध्यम से निम्नलिखित प्रेस मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवर किया गया ।

➢ ईटी नाउ स्वदेश (हिंदी), सीएनबीसी (अंग्रेजी), ज़ी (हिंदी और अंग्रेजी) ने वित्तीय परिणामों पर एमडी व सीईओ के साथ मीडिया साक्षात्कार की गई ।

➢ समय-समय पर जमा, अग्रिम, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी के तहत बैंक द्वारा प्रस्तुत नए उत्पादों पर प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की गई । उधारी की ब्याज दरों में बदलाव को लेकर भी प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई ।

➢ सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू)'22 कार्यक्रम के लिए एलियट बीच, बेसेंट नगर में वॉकथॉन के लिए मीडिया कवरेज किया गया । "सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू)'22 कार्यक्रम के बारे में व्यापक प्रचार प्रदान करने के लिए 10 मीडियाबंधुओं ने भाग लिया ।

- **बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित निम्नलिखित संसदीय (लोकसभा और राज्य सभा) समिति की बैठकों की समन्वय की / भाग लिया ।**

i. याचिका समिति, राज्य सभा का अध्ययन दौरा 15 अप्रैल 2022 को कोडाइकनाल में

ii. उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति विभाग का अध्ययन दौरा 18 अप्रैल 2022 को तिरुपति में

iii. संसदीय कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय समिति का अध्ययन दौरा 28 अप्रैल 2022 को चेन्नै में

iv. वित्त संबंधी स्थायी समिति का अध्ययन दौरे मई 2022 को बेंगलुरु में

v. सरकारी आश्वासन समिति का अध्ययन दौरा मई 2022 को बड़ौदा में

vi. आवास समिति का अध्ययन दौरा 16 जून 2022 को चेन्नै में

vii. संसदीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का अध्ययन दौरा 24 अगस्त 2022 को ऊटी में

viii. श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति का अध्ययन दौरा 03 सितंबर 2022 को विशाखापत्तनम में

ix. अधीनस्थ विधान, राज्य सभा संबंधी समिति का अध्ययन दौरा 12 सितंबर 2022 को चेन्नै में

x. याचिका समिति का अध्ययन दौरा 15 सितंबर 2022 को मुंबई में

xi. उद्योग समिति के अध्ययन दौरे 09 नवंबर 2022 को चेन्नै में

centric HR and overall governance. EASE Reforms Agenda has significant contribution in increasing performance, transparency and accountability across all the PSBs.

EASE 5.0 introduced with Tagline of "Enhanced digital experience; data driven, integrated and inclusive banking" for financial year 2023 focuses on the 5 themes :

1. Digitally-enabled customer offerings.
2. Big data and analytics.
3. Modern technology capabilities.
4. Collaborative and development focused banking.
5. Employee development and governance.

Bank has actively participated in EASE 5.0 programme and has taken necessary initiatives to showcase improved performance under EASE Reform Index.

PLANNING & ECONOMIC DESK:

The Planning function continues to derive useful results towards monitoring region wise monthly Profit & Loss movement, Corporate level Budgeting, reporting provisional Daily MIS to Top Management & various study analysis. The economic desk supports Top Management with day-to-day developments in the economy, apart from analyzing the Government/ RBI policies at regular intervals.

PUBLIC RELATIONS

- As directed by Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, Bank celebrated "Azadi ka Amrut Mahotsav (AKAM) – 75 years of India's Independence Celebrations" by conducting various events such as Customer Meet, Business Meet, Plant Sapling, Online Quiz programme. The activities were carried out in Malayalam, Odiya, Marathi, Bihari, Assamese, Bengali, Punjabi, Manipuri, Gujarati, Tamil and Hindi as planned. Reports on events of AKAM for Anchor and Non-Anchor Months were furnished to DFS.
- **As per the DFS Instructions, the following programmes were organized centrally by Bank**

➢ Mass Yoga/ Drill session at Staff College, Thirumangalam, Chennai on 21st June 2022 on the eve of International Day of Yoga.

➢ Har Ghar Tiranga campaign hoisting of flags at residence of employees, customers and Public. Flags were distributed to needies at free of cost and display of flags was pinned on the website.

➢ Partition Horror Day Exhibition was conducted in 40 Locations covering 26 states from 10thAugust 2022 to 14th August 2022

➢ Swachhta Special - Cleanliness Campaign 2.0 on 02nd October 2022, was conducted at Central Office, Regional Offices, and all Branches.

➢ Constitutional Day on 26th November 2022 was celebrated at Central Office, Regional Offices, and all Branches.

➢ On the eve of 87th Foundation Day on 10th February 2023, department has organized a) donation to Ramakrishna Mission Students' Home for Annadanam for one day for 700 orphans and poor children b) Donation of 52 Wheelchairs/ Tricycle to Needy Beneficiaries identified by Ramakrishna Mission & Lion's Club (T Nagar & Red Hills) c) Handing over ceremony of food distribution vehicle to Akshaya Patra Foundation, Pondicherry as a part of Donation.

➢ International Women' Day was conducted on 08th March 2023 at Central office, Regional Offices, and all Branches.

- During the FY 2022-23, the following Press media and electronic media through PR Agencies.

➢ Media Interview on financial Results with MD & CEO in ET Now (English), ET Now Swadesh (Hindi), CNBC(English), Zee(Hindi & English) were arranged

➢ Press Releases were published on New Products introduced by the Bank under Deposits, Advances, Electronic Bank Guarantee, from time to time. Press Release was also made for variation in interest rates of lending.

➢ Media Coverage for Walkathon at Eliot's Beach, Besant Nagar for Vigilance Awareness Week (VAW)'22 Programme. 10 Media persons were participated for providing wide publicity about "Vigilance Awareness Week (VAW)'22 Programme.

- **Bank hosted/participated in the following Parliamentary (Lok Sabha & Rajya Sabha) Committee Meetings held during the FY 2022-23**

i. Study Visit of the Committee on petition, Rajya Sabha held in Kodaikanal on 15th April 2022.

ii. Study Visit of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Industry held in Tirupati on 18th April 2022.

iii. Study visits on Parliamentary Committee on Personnel, Public Grievance, Law and Justice in Chennai on 28th April 2022.

iv. Study visits of the standing committee on Finance held in Bangalore on 05th May 2022.

v. Study Visit of the Committee on Government Assurances held in Vadodara on 06th May 2022.

vi. Study Tour on the Committee on House committee held in Chennai on 16th June 2022.

vii. Study tour of the Parliamentary Committee on Welfare of SC/ST held in Ooty on 24th August 2022.

viii. Study visits of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development held in Vishakhapatnam on 03rd September 2022.

ix. Study Visit of the Committee on Subordinate Legislation, Rajya Sabha in Chennai on 12th September 2022.

x. Study Visit of the Committee on petitions held in Mumbai on 15th September 2022.

xi. Study visits of the Committee on Industry held in Chennai on 09th November 2022.

xii. शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल समिति का अध्ययन दौरा 7 जनवरी 2023 को हैवलॉक में

xiii. सरकारी आश्वासन समिति का अध्ययन दौरा 23 जनवरी 2023 को गोवा में

xiv. वित्त संबंधी स्थायी समिति का अध्ययन दौरा 23 जनवरी 2023 को अहमदाबाद में

xv. लोक लेखा स्थायी समिति का अध्ययन दौरा 6 मार्च 2023 को महाबलीपुरम में

- बैंक की ब्रांड छवि को बढ़ाने के लिए बैंक के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया । सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी ब्रांड छवि को और बढ़ाने और बनाने के लिए तीन अधिकारियों के साथ समर्पित सोशल मीडिया कक्ष का गठन किया गया । विभाग ने डिजिटल विपणन एजेंसियों को क्रिएटिव प्रदान करने के लिए विज्ञापन और रचनात्मक एजेंसियों के लिए हित की अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) भी जारी किया है ।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त सभी ग्राहक की शिकायतों को संज्ञान में लिया और 48 घंटों के भीतर उनका समाधान किया गया ।
- वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर कुल रु. 1.04 करोड़ खर्च किया है ।

बैंकिंग क्षेत्र के लिए आउटलुक

पीएसबी अब अपनी लाभप्रदता के मामले में एक सुनहरे दौर में हैं और उनका मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष में संचयी लाभ 1 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया है । लेकिन केंद्र द्वारा कैपेक्स में बड़ी वृद्धि से अपेक्षित दोहरे अंकों की क्रेडिट वृद्धि के बावजूद चालू वित्त वर्ष में पीएसबी के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के लाभ की स्थिरता एक बड़ी चुनौती हो सकती है ।

बैंक को निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उधार लागत की तुलना में फंडिंग लागत में तेजी से वृद्धि हुई है । बैंकों में विशेष सावधि जमा बकेट पर अधिक ध्यान देने और उच्च ब्याज दर के साथ नई जमा की पुनर्मूल्यांकन के कारण ब्याज व्यय में वृद्धि देखेगा ।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आने वाले एक वर्ष में प्रस्तावित संभावित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) मॉडल के कारण तुलन पत्र और पूंजी आवश्यकता पर बैंक को महत्वपूर्ण प्रभाव का सामना करना पड़ेगा ।

पिछले वित्तीय वर्ष में भारत में बैंकों के लिए ताजा फिसलन में वृद्धि भी एक प्रमुख चिंता थी, जो आर्थिक गतिविधियों में व्यापक आधार पर सुधार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज दर में वृद्धि पर रोक के कारण चालू वित्तीय वर्ष में बैंक को कमी देखने को मिल सकती है । अपेक्षाकृत बढ़ी हुई डिजिटल उपस्थिति और संचालन वाले बैंक सभी मापदंडों पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे ।

xii. Study visit of the Committee on Education, women, children, youth and sports held in Havelock on 07th January 2023.

xiii. Study Visit of Committee on Government Assurance held in Goa on 23rd January 2023.

xiv. Study tour of the standing Committee on finance held in Ahmedabad on 23rd January 2023.

xv. Study Visit of standing Committee of public accounts held in Mahabalipuram on 06th March 2023.

- Official Social Media platform of the Bank was effectively used for enhancing Brand image of the Bank. To further enhance and to build our Brand Image through social media, dedicated social media cell has been formed with three officers. Department has also floated Expression of Interest for Advertising Agencies and creative agencies for providing creatives to Digital Marketing Agencies.
- During FY 2022-23, all the customer complaints received through social media were meticulously attended and resolved within 48 hours.
- During FY 2022-23, the Bank has total spending on Corporate Social Responsibility (CSR) for Rs.1.04 Crores

OUTLOOK FOR BANKING SECTOR

PSBs are now in a golden period in terms of their profitability and crossed cumulative profit of Rs 1 lakh crore-mark in the financial year ended March 2023. but Sustainability of Rs 1 lakh crore profit may be a top challenge for PSBs in the current financial year in spite of expected double digit credit growth facilitated by a large increase in capex by the centre.

Bank may face pressure on Net Interest Margin (NIM) because of rise in funding cost faster than lending cost. Bank to see increase in interest expenses due to higher concentration on Special fixed deposit buckets and repricing of new deposit with higher interest rate.

Bank to face significant impact on balance sheet and capital requirement due to propose Expected Credit Loss (ECL) Model by RBI to be implemented in a year to come.

Rise in fresh slippage was also a major concern for banks in India in last financial year which Bank may see decrease in the current financial year due to broad based improvement in economic activities, pause in interest rate hike by Reserve Bank of India. Banks with relatively increased digital presence and operations would be performing better on all parameters.

वर्ष 2022-23 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

ए. अनिवार्य अपेक्षाएं

1. कॉरपोरेट गवर्नेंस पर बैंक का दर्शन

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक कॉरपोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों और महत्व को पहचानता है और न केवल वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करता रहा है, बल्कि स्वेच्छा से मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं के एक सेट का निर्माण और पालन करता है। बैंक हमेशा अपने सभी हितधारकों जैसे शेयरधारक, ग्राहक, सरकार और समाज के हितों को सर्वोत्कृष्ट सेवा देने लिए अथक प्रयास करता है। कॉरपोरेट गवर्नेंस पर बैंक का दर्शन सभी स्तरों पर प्रदर्शन के लिए उच्च स्तर की पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही प्रदान करना और व्यावसायिकता, सामाजिक जवाबदेही, सुदृढ़ कारोबारी प्रथाओं और इष्टतम दक्षता के माध्यम से उत्कृष्टता सुनिश्चित करना और प्राप्त करना है। इसने बदले में बैंक को शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करने और उनके हितों की रक्षा के लिए उच्च स्तर की व्यावसायिक नैतिकता बनाए रखने में सक्षम बनाया है।

2. निदेशक मंडल

क. संघटन:

बैंक का व्यवसाय, निदेशक मंडल में निहित है। एमडी व सीईओ और ईडी बोर्ड के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के तहत कार्य करते हैं। 31.03.2023 तक नौ निदेशकों की संख्या में तीन पूर्णकालिक निदेशक, 2 गैर-कार्यकारी निदेशक, 3 अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और शेयरधारकों में से चुने गए एक निदेशक शामिल हैं जो विधिवत रूप से उनके हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। चूंकि फरवरी 2020 में गैर-कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया था, एमडी व सीईओ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करते हैं।

ख. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कार्यरत निदेशकों के विवरण:

क्रमांक	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	पदनाम	निदेशकत्व की प्रकृति	नियुक्तियों की तिथि	वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/ पद त्याग
1.	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी	कार्यपालक/ पूर्णकालिक	24.07.2020	31.12.2022
2.	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी	कार्यपालक / पूर्णकालिक	01.01.2023	
3.	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	09.10.2017	31.12.2022
4.	सुश्री एस श्रीमती	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	10.03.2021	
5.	श्री संजय विनायक मुदालियर	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	01.01.2023	
6.	श्रीमती ऐनी जॉर्ज मैथ्यू	सरकार के नामित निदेशक	सरकारी गैर- कार्यपालक	22.07.2016	
7.	श्री विवेक अग्रवाल	आरबीआई के नामित निदेशक	सरकारी गैर- कार्यपालक	25.02.2022	
8.	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	शेयरधारक निदेशक	गैर- कार्यपालक	29.01.2021	07.10.2022
9.	श्री सुरेश कुमार रूंगटा	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	गैर- कार्यपालक	21.12.2021	
10	श्री बी चन्द्रा रेड्डी	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	गैर- कार्यपालक	21.12.2021	
11	श्री दीपक शर्मा	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	गैर- कार्यपालक	21.12.2021	
12	श्री संजया रस्तोगी	शेयरधारक निदेशक	गैर- कार्यपालक	03.12.2022	

01.03.2023 को बैंक के निदेशकों की प्रोफ़ाइल एक अनुबंध के रूप में संलग्न है।

यह घोषित किया जाता है कि कोई भी निदेशक एक-दूसरे से संबंधित नहीं है।

Report of the Board of Directors on Corporate Governance for the year 2022-23

A. Mandatory Requirements

1. Bank's Philosophy on Corporate Governance

Indian Overseas Bank recognizes the principles and importance of Corporate Governance and has been complying with not only the statutory requirements, but also has voluntarily formulated and adhered to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank has always strived hard to best serve the interest of all its stakeholders viz. Shareholders, Customers, Government and Society at large. The Bank's philosophy on Corporate Governance is to bestow high standard of transparency, fairness and accountability for performance at all levels and to ensure and achieve excellence through professionalism, social responsiveness, sound business practices and optimum efficiency. This in turn has enabled the Bank to maintain a high level of business ethics to maximize the shareholders' value and to protect their interest.

2. Board of Directors

a. Composition:

The business of the Bank is vested with the Board of Directors. The MD & CEO and EDs function under the superintendence, direction and control of the Board. The strength as on 31.03.2023 is 9 directors comprising 3 whole time Directors, 2 non-executive Directors, 3 Part-time Non Official Directors and 1 director elected from amongst the shareholders to duly represent their interest. Since the term of the Non-Executive Chairman ended in February 2020, the MD & CEO presides as Chairman of the Board.

b. Particulars of Directors who held office during the financial year 2022-23:

Sl. No.	Name of the Director	Designation	Nature of Directorship	Date of Appointments	Retirement/ demission of office during the year
1.	Shri Partha Pratim Sengupta	Managing Director & Chief Executive Officer	Executive / Whole Time	24.07.2020	31.12.2022
2.	Shri Ajay Kumar Srivastava	Managing Director & Chief Executive Officer	Executive / Whole Time	01.01.2023	--
3.	Shri Ajay Kumar Srivastava	Executive Director	Executive / Whole Time	09.10.2017	31.12.2022
4.	Smt S Srimathy	Executive Director	Executive / Whole Time	10.03.2021	--
5.	Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	Executive Director	Executive / Whole Time	01.01.2023	--
6.	Smt Annie George Mathew	Government Nominee Director	Official – Non-Executive	22.07.2016	--
7.	Shri Vivek Aggarwal	RBI Nominee Director	Official – Non-Executive	25.02.2022	--
8.	Shri Navin Prakash Sinha	Shareholder Director	Non-Executive	29.01.2021	07.10.2022
9.	Shri Suresh Kumar Rungta	Part Time Non-Official Director	Non-Executive	21.12.2021	--
10	Shri B Chandra Reddy	Part Time Non-Official Director	Non-Executive	21.12.2021	--
11	Shri Deepak Sharma	Part Time Non-Official Director	Non-Executive	21.12.2021	--
12	Shri Sanjaya Rastogi	Shareholder Director	Non-Executive	03.12.2022	--

Profile of Directors of the Bank as on 31.03.2023 is enclosed as an Annexure.

It is declared that none of the directors are related to each other.

बोर्ड ने निदेशकों के लिए एक आचार संहिता को अपनाया है और एमडी व सीईओ से आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि करने के लिए एक घोषणा प्राप्त की गई है और वो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

श्री कोल्ला महिधर, सहायक महा प्रबंधक, बोर्ड के वर्तमान सचिव हैं।

ग) निदेशक मंडल के कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमता का विवरण

प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए बैंक व्यवसाय और क्षेत्रों के संदर्भ में आवश्यक मुख्य कौशल/विशेषज्ञता/ दक्षताओं की पहचान की गई है	बोर्ड के पास उपलब्ध मुख्य कौशल/ विशेषज्ञता/दक्षताएं
बैंकिंग	हाँ
वित्त	हाँ
अर्थशास्त्र	हाँ
मानव संसाधन प्रबन्धन	हाँ
सूचना प्रौद्योगिकी	हाँ
ट्रेज़री प्रबन्धन	हाँ
विपणन	हाँ
जोखिम प्रबन्धन	हाँ

घ. बोर्ड की बैठकें

बैठक की तारीख और स्थान के साथ-साथ कार्यसूची के कागजात सभी निदेशकों को काफी पहले ही सूचित कर दिए जाते हैं। निदेशकों के पास एजेंडे पर सभी अतिरिक्त जानकारी तक पहुंच है। आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए बैंक के अधिकारियों को भी बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बोर्ड की बैठकें तिमाही में कम से कम एक बार और वर्ष में कम से कम छह बार बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता के मुकाबले 11 बार आयोजित की गईं।

बैंक ने 2012-13 से एक वेब आधारित ऑनलाइन वर्कस्पेस, बोर्ड पोर्टल के उपयोग के माध्यम से बोर्ड के सदस्यों को समय पर और निर्बाध सूचना प्रवाह सुनिश्चित करके बोर्ड और समिति की बैठकों के ई-संचालन के लिए एक ई-गवर्नेंस पहल की है। इसके बाद, वेब आधारित पोर्टल को ई-मीटिंग पोर्टल में स्थानांतरित कर दिया गया है जो वित्त वर्ष 2019-20 में मोबीट्रेल का एक उत्पाद है। यह पोर्टल एजेंडा पेपर्स के लिए वास्तविक समय के आधार पर आईपैड्स पर निदेशकों की गोपनीय ई-एक्सेस प्रदान करता है। इस पहल ने बैठकें आयोजित करने के तरीके को बदल दिया है, जबकि लागत, समय और संसाधनों में पर्याप्त बचत हुई है।

- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बोर्ड की बैठकें निम्नलिखित तिथियों और स्थानों पर 11 बार आयोजित की गईं:

क्रमांक	बैठक की तिथि	आयोजन का स्थान
01	18.05.2022	चेन्नै
02	22.06.2022	चेन्नै
03	18.07.2022	चेन्नै
04	06.08.2022	चेन्नै
05	21.09.2022	चेन्नै
06	20.10.2022	चेन्नै
07	21.10.2022	चेन्नै
08	05.11.2022	चेन्नै
09	29.12.2022	चेन्नै
10	09.02.2023	चेन्नै
11	20.03.2023	चेन्नै

सभी बैठकें उचित गणपूर्ति के साथ और बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं। जहां भी निदेशकों द्वारा अनुपस्थिति की छुट्टी का अनुरोध किया जा रहा है, अनुपस्थिति की छुट्टी चिह्नित की गई है। पूरे वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सभी बैठकें आंशिक/पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक मोड में हुई हैं।

- निदेशक मंडल की बैठकों और आयोजित अंतिम एजीएम में निदेशकों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

क्रमांक	निदेशक का नाम	उपस्थित/आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या	पिछली एजीएम 15.07.2022 में उपस्थिति
01	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	09/09	उपस्थित
02	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	11/11	उपस्थित
03	सुश्री एस श्रीमती	11/11	उपस्थित
04	श्री संजय विनायक मुदालियर	02/02	--
05	श्रीमती ऐनी जॉर्ज मैथ्यू	07/11	--
06	श्री विवेक अग्रवाल	08/11	--
07	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	02/05	--
08	श्री सुरेश कुमार रूंगटा	11/11	--
09	श्री बी चन्द्रा रेड्डी	11/11	उपस्थित
10	श्री दीपक शर्मा	11/11	--
11	श्री संजया रस्तोगी	03/03	--

सेबी (एलडओडीआर) विनिमय, 2015 के विनियम 34 के सम्बन्ध में दिनांक 31.03.2023 को गैर-कार्यकारी निदेशकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

1. श्री संजया रस्तोगी – 100

किसी अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक के पास आइओबी के शेयर नहीं हैं।

The Board has adopted a Code of Conduct for Directors and a declaration has been obtained from the MD & CEO confirming their compliance with the Code of Conduct.

Shri Kolla Mahidar, Assistant General Manager, is the present Secretary of the Board.

c. Particulars of Skills/ Expertise/ Competence of Board of Directors

Core Skill/ Expertise/ Competencies identified as required in the context of the Bank business and sectors for it to function effectively	Core Skill/ Expertise / Competencies available with the board
Banking	Yes
Finance	Yes
Economics	Yes
Human Resource Management	Yes
Information Technology	Yes
Treasury Management	Yes
Marketing	Yes
Risk Management	Yes

d. Meetings of the Board

The date and place of the meeting as well as the agenda papers are advised to all Directors well in advance. The Directors have access to all additional information on the agenda. Executives of the Bank are also invited to attend the Board meetings to provide necessary clarifications. During the year under review, the meetings of the Board were held 11 times as against the requirement of holding meetings at least once a quarter with a minimum of six times a year.

Bank has promoted an e-governance initiative for e-conduct of Board and Committee meetings by ensuring timely and seamless flow of information to Board members through the use of a Board Portal, a web based online workspace since 2012-13. Subsequently, web based portal is shifted to e-meeting portal which is a product of MobiTrail in FY 2019-20. The portal offers Directors confidential e-access on iPads, on a real-time basis, to agenda papers. This initiative has transformed the way meetings are conducted while resulting in substantial savings in cost, time and resources.

- During the financial year 2022-23, the Board meetings were held 11 times on the following dates and places:

SL NO.	DATE OF MEETING	PLACE HELD
01	18.05.2022	Chennai
02	22.06.2022	Chennai
03	18.07.2022	Chennai
04	06.08.2022	Chennai
05	21.09.2022	Chennai
06	20.10.2022	Chennai
07	21.10.2022	Chennai
08	05.11.2022	Chennai
09	29.12.2022	Chennai
10	09.02.2023	Chennai
11	20.03.2023	Chennai

All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments. Wherever Leave of Absence is being requested by Directors, leave of absence is marked. All meeting has taken place partially/fully in electronic mode throughout the FY 2022-23

- Attendance of the directors at the Board meetings and last AGM held on are furnished below:

Sl. No.	Name of the Director	Number of Board Meetings attended/held	Attendance in the Last AGM 15.07.2022
01	Shri Partha Pratim Sengupta	09/09	Present
02	Shri Ajay Kumar Srivastava	11/11	Present
03	Smt S Srimathy	11/11	Present
04	Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	02/02	--
05	Smt Annie George Mathew	07/11	--
06	Shri Vivek Aggarwal	08/11	--
07	Shri Navin Prakash Sinha	02/05	--
08	Shri Suresh Kumar Rungta	11/11	--
09	Shri B Chandra Reddy	11/11	Present
10	Shri Deepak Sharma	11/11	--
11	Shri Sanjaya Rastogi	03/03	--

Details of Shares held by Non-Executive Directors in terms of Regulation 34 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 as on 31.03.2023

1. Shri Sanjaya Rastogi – 100

No other Non-Executive Directors hold any IOB shares.

घ. बोर्ड या बोर्ड समितियों की संख्या जिनमें निदेशक सदस्य/अध्यक्ष हैं :

निदेशक का नाम	अन्य कंपनियों की संख्या (निजी कंपनियों और आइओबी को छोड़कर) जिसमें वह बोर्ड के सदस्य/अध्यक्ष हैं (वैकल्पिक/नामित निदेशक को छोड़कर)	समितियों की संख्या (आइओबी के अलावा) जिसमें सदस्य हैं
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी	--

ड़. समितियों में सदस्यता:

बोर्ड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष की अनुपलब्धता के कारण, एमडी और सीईओ बोर्ड की अध्यक्षता करते हैं। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति, बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है। आरबीआई/सेबी/डीएफएस दिशानिर्देशों के मद्देनजर समितियों का पुनर्गठन किया गया है।

3. बोर्ड की समितियां:

निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, बोर्ड ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है और उन्हें विशिष्ट शक्तियां प्रदान की हैं। प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त को बाद में पुष्टि के लिए समिति की अगली बैठक के समक्ष रखा जाता है। रिकॉर्डिंग के लिए कार्यवृत्त को बोर्ड बैठक के समक्ष भी रखा जाता है।

1. बोर्ड की प्रबन्धन समिति(एमीबी)
2. ऋण मंजूरी समिति (सीएसी)
3. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
4. बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति(आरएमसीबी)
5. बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)
6. अनुशासनात्मक मामलों और विभागीय जांच की समीक्षा के लिए समिति (सीआरडीसी)
7. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति(आइटीएससी)
8. मानव संसाधन पर बोर्ड स्तरीय संचालन समिति (बीएलएससीएचआर)
9. एनपीए में वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड स्तरीय समिति (बीएलसीएमआरएनपीए)
10. अपील पर विचार करने के लिए बोर्ड की समिति (सीबीसीए)
11. बोर्ड की हितधारक सम्बन्ध समिति (एसआरसी)
12. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)
13. बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड स्तरीय समिति (सीएमएलवीएफ)
14. जनाबूझकर चूककर्ता और असहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूडीएनसीबी)
15. कार्य-निष्पादन के मुल्यांकन पर बोर्ड समिति(बीसीपीई)

3.1 बोर्ड की प्रबन्धन समिति

एमसीबी का गठन राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। एमसीबी के कार्य और कर्तव्य निम्नानुसार हैं:

ए. बोर्ड द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार क्रेडिट प्रस्तावों (निधिक और गैर-निधिक) की स्वीकृति

बी. ऋण और ब्याज समझौता/प्रस्तावों को बट्टे खाते में डालना - बोर्ड द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार।

सी. पूंजीगत एवं राजस्व व्यय के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव

डी. परिसर के अधिग्रहण और किराए पर लेने से संबंधित प्रस्ताव, परिसर के अधिग्रहण और किराए पर लेने के लिए मानदंडों से विचलन सहित।

ई. वाद/अपील दायर करना, उनका बचाव करना आदि ।

एफ. अंडरराइटिंग सहित सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, कंपनियों के शेयरों और डिबेंचर में निवेश।

जी. दान

एच. बोर्ड द्वारा प्रबंधन समिति को संदर्भित कोई अन्य मामला।

(ए) से (जी) के मद उन प्रस्तावों के संबंध में होंगे जो एमडी व सीईओ की विवेकाधीन शक्तियों/क्रेडिट अनुमोदन समिति की शक्तियों से परे हैं, जैसा भी लागू हो।

समिति के अध्यक्ष बैंक के एमडी और सीईओ हैं। वर्ष के दौरान समिति की 19 बैठकें हुईं । सभी बैठकें उचित गणपूर्ति के साथ और बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं।

जिन सदस्यों ने 01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि के दौरान कार्यालय संभाला और प्रत्येक समिति सदस्य द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान बैठकों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
			से	तक	
1	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	समिति के अध्यक्ष	24.07.2020	31.12.2022	13/13
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	समिति के अध्यक्ष	01.01.2023		06/06
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	सदस्य	09.10.2017	31.12.2022	13/13
4	सुश्री एस श्रीमती	सदस्य	10.03.2021		19/19

e. Number of other Boards or Board Committees in which the Director is a member/ Chairperson:

Name of the Director	Number of other companies (excluding private companies and IOB) in which he / she is a member/ Chairperson of the Board (excluding alternate / nominee director)	Number of Committees (other than IOB) in which a member
Shri Ajay Kumar Srivastava	Universal Sompo General Insurance Company	--

f. Membership in Committees:

Due to non-availability of Non-Executive Chairman of the Board, MD & CEO chairs the Board. Audit Committee of the Board, Risk Management Committee of Board, Information Technology Committee of the Board, Nomination and Remuneration Committee of the Board and Stakeholder Relationship Committee is chaired by Independent Director. In view of RBI/SEBI/DFS guidelines, reconstitution of the committees has been done.

3. COMMITTEES OF THE BOARD:

In order to facilitate the decision-making process, Board has constituted the following committees and delegated specific powers to them. The minutes of each meeting are subsequently placed before the next meeting of the committee for confirmation. The minutes are also placed before the Board Meeting for recording.

1. Management Committee of the Board(MCB)
2. Credit Approval Committee (CAC)
3. Audit Committee of the Board (ACB)
4. Risk Management Committee of the Board(RMCB)
5. Customer Service Committee of the Board (CSC)
6. Committee for Review of Disciplinary Cases & Departmental Enquiries(CRDC)
7. Information Technology Strategy Committee(ITSC)
8. Board Level Steering Committee on Human Resources (BLSCHR)
9. Board Level Committee to Monitor Recovery in NPA(BLCMRNPA)
10. Committee of Board for Consideration of Appeals(CBCA)
11. Stakeholder Relationship Committee of the Board (SRC)
12. Nomination and Remuneration Committee(NRC)
13. Board Level Committee for Monitoring Large Value Frauds (CMLVF)
14. Review Committee on Wilful Defaulters and Non Co-Operative Borrowers (RCWDNCB)
15. Board Committee for Performance Evaluation(BCPE)

3.1 MANAGEMENT COMMITTEE OF THE BOARD

MCB is constituted as per the provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980. The functions and duties of the MCB are as under:

a. Sanctioning of credit proposals (funded and non-funded) as per quantum fixed by the Board.

b. Loan and Interest Compromise / Write off proposals – as per quantum fixed by the Board.

c. Proposals for approval of capital and revenue expenditure.

d. Proposals relating to acquisition and hiring of premises, including deviation from norms for acquisition and hiring of premises.

e. Filing of suits / appeals, defending them etc.

f. Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies, including underwriting.

g. Donations.

h. Any other matter referred to the Management Committee by the Board.

Items (a) to (g) will be in respect of proposals beyond the discretionary powers of MD & CEO/ powers of Credit Approval Committee, as may be applicable.

The Chairman of the Committee is the MD & CEO of the Bank. The Committee met 19 times during the year. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

The Members who held office during the period from 01.04.2022 to 31.03.2023 and the details of number of meetings attended during their tenure by each Committee member are as under:

Sl No	Name of the Director	Position	Tenure of membership		Number of meetings Attended / Held
			From	To	
1	Shri Partha Pratim Sengupta	Chairman of the Committee	24.07.2020	31.12.2022	13/13
2	Shri Ajay Kumar Srivastava	Chairman of the Committee	01.01.2023	--	06/06
3	Shri Ajay Kumar Srivastava	Member	09.10.2017	31.12.2022	13/13
4	Smt S Srimathy	Member	10.03.2021	--	19/19

5	श्री संजय विनायक मुदालियर	सदस्य	01.01.2023		06/06
6	श्री विवेक अग्रवाल	सदस्य	25.02.2022		16/19
7	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	सदस्य	30.01.2021	07.10.2022	06/10
8	श्री दीपक शर्मा	सदस्य	05.01.2022	28.12.2022	13/13
9	श्री संजया रस्तोगी	सदस्य	29.12.2022		03/06

3.2 बोर्ड की ऋण मंजूरी समिति

राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 की अधिसूचना संख्या एस.0.2736(ई) दिनांक 5 दिसंबर, 2011 के संशोधन के संदर्भ में निदेशक मंडल द्वारा 25.02.2012 को ऋण स्वीकृति समिति का गठन किया गया है। समिति को ऋण प्रस्तावों की स्वीकृति और ऋण समझौते/बट्टे खाते में डालने के निपटान के लिए विशिष्ट वित्तीय शक्तियों का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद सीएसी के संबंध में विभिन्न निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसके आधार पर बोर्ड द्वारा पिछली बार दिनांक 25.06.2020 को समिति का पुनर्गठन किया गया था

समिति के अध्यक्ष बैंक के एमडी व सीईओ हैं। 01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि के दौरान समिति की 22 बैठकें हुईं। सभी बैठकें उचित गणपूर्ति के साथ और बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं।

3.3 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी के निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया गया है। बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) में केवल गैर-कार्यकारी निदेशक (एनईडी) होते हैं। बोर्ड का अध्यक्ष एसीबी का सदस्य नहीं होता है। एसीबी की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है जो बोर्ड की किसी अन्य समिति की अध्यक्षता नहीं करता है। एसीबी का अध्यक्ष बोर्ड की किसी भी समिति का सदस्य नहीं होता है, जिसके पास ऋण जोखिमों को मंजूरी देने का अधिकार होता है। सभी सदस्यों के पास सभी वित्तीय विवरणों के साथ-साथ उनसे जुड़ी टिप्पणियों/रिपोर्टों को समझने की क्षमता होती है और कम से कम एक सदस्य के पास वित्तीय लेखांकन या वित्तीय प्रबंधन में अपेक्षित पेशेवर विशेषज्ञता/योग्यता होती है [उदा. इसके आसपास के आंतरिक नियंत्रण सहित लेखा मानकों और प्रथाओं के आवेदन में अनुभव]।

कार्यपालक निदेशक आमंत्रित के रूप में बैठक में शामिल होते हैं जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है

एसीबी को सौंपे गए कार्य एवं दायित्व निम्नवत है:

⇒ दिशा प्रदान करने के साथ-साथ बैंक में संपूर्ण लेखापरीक्षा कार्य के संचालन की निगरानी करना। कुल लेखापरीक्षा कार्य में बैंक के भीतर आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण का संगठन, संचालन और गुणवत्ता नियंत्रण शामिल होगा और बैंक के वैधानिक/बाह्य लेखापरीक्षा और आरबीआई के निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

⇒ बैंक प्रणाली में आंतरिक निरीक्षण / लेखापरीक्षा कार्य की समीक्षा करना, अनुवर्ती कार्रवाई के संदर्भ में इसकी गुणवत्ता और प्रभावशीलता और विशेष और अतिरिक्त-बड़ी शाखाओं और असंतोषजनक रेटिंग वाली सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्ट भी

⇒ विदेशी शाखाओं के संबंध में मेजबान देशों में नियामकों की नियामक आवश्यकता के अनुपालन पर अनुपालन विभाग से त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना और उसकी समीक्षा करना।

⇒ एसीबी/बोर्ड/आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों पर अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करना

⇒ वैधानिक ऑडिट की रिपोर्ट और लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए सभी मुद्दों की समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई करना और वार्षिक। त्रैमासिक वित्तीय विवरणों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले बाहरी ऑडिटरों के साथ बातचीत करना।

⇒ आरबीआई की निरीक्षण रिपोर्ट यानी आरएआर/आरएमपी आदि में उठाए गए सभी मुद्दों/चिंताओं की समीक्षा और उनका पालन करना

⇒ संवेदनशील क्षेत्रों, यानी पूंजी बाजार और रियल एस्टेट में एक्सपोजर की समीक्षा।

⇒ केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों की समीक्षा - (i) कार्यान्वयन की समीक्षा (ii) शाखाओं में केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों के पालन के संबंध में समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुपालन की समीक्षा।

⇒ विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा उल्लंघन पर सूचना की समीक्षा

⇒ इसे बोर्ड की बैठक में अनुमोदन के लिए बैंक के निरीक्षण और लेखापरीक्षा/लेखा/शासन आदि के संबंध में विभिन्न नीतियों की सिफारिश करनी चाहिए।

⇒ एसीबी द्वारा अनुमोदित कैलेंडर नोट्स की समीक्षा करना

यह समिति निम्नलिखित के अनुवर्तन पर विशेष ध्यान देती है:

⇒ अंतर-शाखा समायोजन खाते

⇒ सस्पेंस, हर तरह की चीज़ें, ट्रांज़िट में फ़ंड, अंतर-बैंक खातों, नोस्ट्रो खातों आदि की समाशोधन में लंबे समय से असमाधानित प्रविष्टियाँ

⇒ धोखाधड़ी और हाउसकीपिंग के अन्य सभी प्रमुख क्षेत्र,

⇒ फिशिंग हमलों के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित धोखाधड़ी लेनदेन पर विस्तृत रिपोर्ट, विशेष रूप से मौजूदा प्रणालियों में कमियों और ऐसे मामलों को रोकने के लिए आईटी विभाग द्वारा उठाए गए कदमों की ओर इशारा करते हुए,

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सुझावों के अनुरूप, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के दायरे को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित विशिष्ट जोखिम स्तरों पर खातों की निम्नलिखित समीक्षाओं को शामिल करने के लिए विस्तृत किया गया था:

ए) संभावित एनपीए / तनाव के मामले जब भी आवश्यक हो।

बी) उच्च मूल्य के ऋण जो एक ऐसी सुरक्षा पर दिए गए हैं जो भार से मुक्त नहीं है

सी) उच्च मूल्य ऋण वाले एकमुश्त निपटान के मामले

डी) उच्च मूल्य खाते - सुरक्षा / संपार्श्विक (दोनों मूर्त और विशेष रूप से अमूर्त) के मूल्य और गुणवत्ता का मूल्यांकन / पुनर्मूल्यांकन करने के लिए

स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों पर सेबी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित अतिरिक्त भूमिका कार्य/शक्तियां एसीबी को सौंपी गई हैं

5	Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	Member	01.01.2023	--	06/06
6	Shri Vivek Aggarwal	Member	25.02.2022	--	16/19
7	Shri Navin Prakash Sinha	Member	30.01.2021	07.10.2022	06/10
8	Shri Deepak Sharma	Member	05.01.2022	28.12.2022	13/13
9	Shri Sanjaya Rastogi	Member	29.12.2022	--	03/06

3.2 CREDIT APPROVAL COMMITTEE OF THE BOARD

The Credit Approval Committee has been constituted on 25.02.2012 by the Board of Directors in terms of the amendment of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 vide Notification No. S.0.2736(E) dated December 5, 2011. The Committee is empowered with specific financial powers for sanctioning of credit proposals and for settlement for Loan compromise / write off. Subsequently, various directives have been received in respect of CAC. On basis of that, the committee was last reconstituted by Board on 25.06.2020.

The Chairman of the Committee is the MD & CEO of the Bank. The Committee met 22 times during the period from 01.04.2022 to 31.03.2023. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

3.3 AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per instructions of the Reserve Bank of India/SEBI. The Audit Committee of the Board (ACB) consists of only non-executive directors (NEDs). The Chair of the board is not member of the ACB. The meetings of the ACB is chaired by an independent director who is not chairing any other committee of the Board. The Chair of the ACB is not member of any committee of the board which has a mandate of sanctioning credit exposures. All members have the ability to understand all financial statements as well as the notes/ reports attached thereto and at least one member have requisite professional expertise/ qualification in financial accounting or financial management [e.g. experience in application of accounting standards and practices, including internal controls around it].

Executive Directors are joining the meeting as Invitee which is approved by the Board

The delegated functions and duties of the ACB are as under:

⇒ To provide direction as also oversee the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function will imply the organization, operationalization and quality control of the internal audit and inspection within the Bank and follow up on the statutory/ external audit of the Bank and inspections of RBI.

⇒ To review the internal inspection / audit function in the Bank the system, its quality and effectiveness in terms of follow up and also the inspection reports of specialized and extra-large branches and all branches with unsatisfactory ratings

⇒ To obtain and review quarterly/annual reports from Compliance Department on compliance of regulatory requirement of Regulators in Host Countries in respect of overseas branches.

⇒ To review compliance report on the directives issued by ACB/ Board/RBI

⇒ To review and follow up on the report of the statutory audit and all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interact with the external auditors before the finalization of the annual / quarterly financial statements and reports.

⇒ To review and follow up all the issues / concerns raised in the Inspection reports of RBI i.e. RAR/RMP, etc.,

⇒ Review on exposures to sensitive sectors, i.e. capital market and real estate.

⇒ Review of KYC/ AML Guidelines- - (i) Review of implementation (ii) Review of compliance of concurrent audit reports with respect to adherence to KYC / AML guidelines at branches.

⇒ Review of information on violations by various functionaries in the exercise of discretionary powers.

⇒ It should recommend the various policies in respect of Inspection and Audit/ Accounting/ Governance etc. of Bank for approval of Board in its meeting.

⇒ To review calendar notes as approved by ACB.

This Committee specially focuses on the follow-up of:

⇒ Inter- Branch Adjustment Accounts

⇒ Unreconciled long outstanding entries in Suspense, Sundries, Funds in Transit, clearing Inter - Bank Accounts, Nostro Accounts, etc.,

⇒ Frauds and all other major areas of house- keeping,

⇒ Detailed report on fraudulent transactions relating to Internet Banking through phishing attacks pointing out in particular the deficiencies in the existing systems and steps taken by the IT department to prevent such cases.

In line with the suggestions of the Ministry of Finance, Government of India, the scope of the Audit Committee of the Board was broadened to include the following reviews of accounts at specific exposure levels as approved by the Audit Committee of the Board:

A) Potential NPA / stress cases as and when required.

B) High value loans which have been granted against a security which is not free from encumbrances.

C) Cases of One-time settlement involving high value loans.

D) High value accounts - to evaluate / re-evaluate the value and quality of security / collateral (both tangible and especially intangible) provided against the accounts.

The following additional role functions/powers have been entrusted to ACB in terms of SEBI Committee on Corporate Governance guidelines issued by RBI to Indian Commercial Banks listed on stock exchanges.

- संदर्भ की शर्तों के अंतर्गत किसी भी गतिविधि की जांच करना।
- किसी भी कर्मचारी से सूचना प्राप्त करना।
- बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना।
- प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, यदि यह आवश्यक समझे।

लेखापरीक्षा समिति की भूमिका में मौजूदा भूमिका कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित भी शामिल होंगे:

- बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं, इसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण।
- लेखांकन नीतियों और प्रथाओं, लेखांकन मानकों के अनुपालन और वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य कानूनी आवश्यकताओं पर विशेष जोर देते हुए प्रबंधन के साथ वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।
- प्रबंधन, बाहरी और आंतरिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता के साथ समीक्षा करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां संदेहास्पद धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है और बोर्ड को मामले की रिपोर्ट करना।
- लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले बाहरी लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करना, लेखापरीक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के साथ-साथ चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के बाद चर्चा करना।
- लेखापरीक्षा योजना की समीक्षा और उसकी उपलब्धि की स्थिति
- बैंक की वित्तीय और जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना।

इसके अलावा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 भाग सी के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति की भूमिका परिभाषित की गई है जो कॉर्पोरेट प्रशासन नीति का हिस्सा है

समिति की वर्ष 2022-23 के दौरान 9 बैठकें दिनांक 17.05.2022, 18.05.2022 (परिणाम), 05.08.2022, 06.08.2022 (परिणाम), 22.09.2022, 04.11.2022, 05.11.2022 (परिणाम), 08.02.2023, 09.02.2023 (परिणाम)।

सभी बैठकें उचित गणपूर्ति के साथ और बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं।

जिन सदस्यों ने 01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि के दौरान कार्यालय संभाला और वर्ष के दौरान उनके द्वारा भाग लेने वाली बैठकों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि		उपस्थिति/ आयोजित बैठकों की संख्या
			से	तक	
1	श्री बी चन्द्रा रेड्डी	समिति के अध्यक्ष	05.01.2022	--	09/09
2	श्रीमती ऐनी जॉर्ज मैथ्यू	सदस्य	22.07.2016	29.12.2022	02/07
3	श्री विवेक अग्रवाल	सदस्य	25.02.2022	--	05/09
4	श्री सुरेश कुमार रूंगटा	सदस्य	05.01.2022	--	09/09
5	श्री दीपक शर्मा	सदस्य	05.01.2022	--	09/09

3.4 बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) की बैठक की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है जो बोर्ड या बोर्ड की किसी अन्य समिति का अध्यक्ष नहीं होता है। बोर्ड का अध्यक्ष आरएमसीबी का सदस्य तभी हो सकता है जब उसके पास अपेक्षित जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञता हो। समिति के वर्तमान अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार रूंगटा हैं जो एक स्वतंत्र निदेशक हैं। बैंक द्वारा ग्रहण किए गए समग्र जोखिमों की समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए आरएमसीबी की भूमिका और कार्य। समिति क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम से संबंधित एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति की देखरेख करेगी। समिति की 01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि के दौरान 5 बैठकें हुईं। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लेने वाली बैठकों की संख्या:

क्रमांक	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित /आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री सुरेश कुमार रूंगटा	05.01.2022	--	05/05
2	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	24.07.2020	31.12.2022	04/04
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ##	09.10.2017	--	05/05
4	सुश्री एस श्रीमती	10.03.2021	--	05/05
5	श्री संजय विनायक मुदालियर	01.01.2023	--	01/01
6	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	16.03.2020	07.10.2022	02/02
7	श्री बी चन्द्रा रेड्डी	21.10.2022	--	03/03
8	श्री दीपक शर्मा	05.01.2022	--	05/05
9	श्री संजया रस्तोगी	29.12.2022	--	01/01

दिनांक 01.01.2023 से प्रभावी एमडी व सीईओ

- To investigate any activity within its terms of reference.
- To seek information from any employee.
- To obtain outside legal or other professional advice.
- To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.

The role of the Audit Committee shall also include the following in addition to the existing role function:

- Overseeing of the Bank's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible.
- Reviewing with the Management the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance of accounting standards and other legal requirements concerning the financial statements.
- Reviewing with the Management, external and internal auditors, the adequacy of internal control systems.
- Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
- Discussing with external auditors before the commencement of audit the nature and scope of audit as well as having post audit discussion to ascertain any area of concern.
- Reviewing of Audit Plan and status of achievement thereof.
- Reviewing the Bank's Financial and Risk Management Policies.

Further as per Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 PART C, the role of the audit committee is defined which is part of Corporate Governance Policy.

The committee met 9 times during the year 2022-23 on 17.05.2022, 18.05.2022 (Results), 05.08.2022, 06.08.2022(Results), 22.09.2022, 04.11.2022, 05.11.2022 (Results), 08.02.2023, 09.02.2023 (Results).

All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournment.

The members who held office during the period 01.04.2022 to 31.03.2023 and the particulars of the number of meetings attended by them during the year are as under:

Sl. No.	Name of Director	Position	Tenure of membership		Number of meetings Attended / Held
			From	To	
1	Shri B Chandra Reddy	Chairman of the Committee	05.01.2022	--	09/09
2	Smt Annie George Mathew	Member	22.07.2016	29.12.2022	02/07
3	Shri Vivek Aggarwal	Member	25.02.2022	--	05/09
4	Shri Suresh Kumar Rungta	Member	05.01.2022	--	09/09
5	Shri Deepak Sharma	Member	05.01.2022	--	09/09

3.4 RISK MANAGEMENT COMMITTEE OF BOARD

Meetings of Risk Management Committee of Board(RMCB) is chaired by an independent director who is not Chair of the board or any other committee of the board. The Chair of the board may be a member of the RMCB only if he/she has the requisite risk management expertise. Present Chairman of the committee is Shri Suresh Kumar Rungta who is an Independent Director. Role and Function of RMCB to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank. The Committee will oversee the policy and strategy for integrated risk management relating to credit risk, market risk and operational risk. The Committee met 5 times during the period from 01.04.2022 to 31.03.2023. Number of Meetings attended by each Member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri Suresh Kumar Rungta	05.01.2022	--	05/05
2	Shri Partha Pratim Sengupta	24.07.2020	31.12.2022	04/04
3	Shri Ajay Kumar Srivastava##	09.10.2017	--	05/05
4	Smt S Srimathy	10.03.2021	--	05/05
5	Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.01.2023	--	01/01
6	Shri Navin Prakash Sinha	16.03.2020	07.10.2022	02/02
7	Shri B Chandra Reddy	21.10.2022	--	03/03
8	Shri Deepak Sharma	05.01.2022	--	05/05
9	Shri Sanjaya Rastogi	29.12.2022	--	01/01

MD & CEO w.e.f. 01.01.2023

3.5 वृहत् मूल्य धोखाधड़ियों के प्रबोधन के लिए समिति

समिति के प्रमुख कार्य सभी बड़े मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी और समीक्षा करना है ताकि प्रणालीगत कमियों की पहचान की जा सके, यदि कोई हो, पता लगाने में देरी के कारण और रिपोर्टिंग, यदि कोई हो, सीबीआई/पुलिस जांच की प्रगति की निगरानी, वसूली की स्थिति, यह सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए की गई उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावशीलता की समीक्षा करते हुए और उपयुक्त निवारक उपायों को लागू करते हुए कर्मचारियों की जवाबदेही की कवायद जल्दी पूरी की जाती है। अध्यक्ष समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और समिति के वर्तमान अध्यक्ष एमडी और सीईओ हैं। 01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लेने वाली बैठकों की संख्या:

क्र.सं	निदेशक का नाम	सदस्यता का कार्यकाल		उपस्थित/आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	24.07.2020	31.12.2022	03/03
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ##	09.10.2017	--	04/04
3	सुश्री एस श्रीमती	10.03.2021	--	04/04
4	श्री संजय विनायक मुदालियर	01.01.2023	--	01/01
5	श्री सुरेश कुमार रूंगटा	05.01.2022	--	04/04
6	श्री बी चन्द्रा रेड्डी	05.01.2022	--	04/04

दिनांक 01.01.2023 से प्रभावी एमडी व सीईओ

3.6 ग्राहक सेवा समिति

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति, निम्नलिखित को संबोधित कर सकती है, उदाहरण के तौर पर : -

- एक व्यापक जमा नीति तैयार करना
- खाते के संचालन के लिए जमाकर्ता की मृत्यु पूर्व किए गए उपचार संबंधित मुद्दे
- उपयुक्तता की दृष्टि से उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया
- जमाकर्ता संतुष्टि के लिए वार्षिक सर्वेक्षण
- ऐसी सेवाओं की त्रैवार्षिक लेखापरीक्षा। इसके अलावा, समिति प्रदान की गई ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर प्रभाव डालने वाले किसी अन्य मुद्दे की भी जांच कर सकती है।
- बैंक में ग्राहक सेवाओं के स्तर का मूल्यांकन और समीक्षा करना। यह ग्राहक सेवाओं में सुधार के लिए नए उपायों पर भी विचार करेगी ।

एमडी व सीईओ समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। 01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकें हुई । वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लेने वाली बैठकों की संख्या:

क्र.सं	निदेशक का नाम	सदस्यता का कार्यकाल		उपस्थिति/आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	24.07.2020	31.12.2022	03/03
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव##	09.10.2017	--	04/04
3	सुश्री एस श्रीमती	10.03.2021	--	04/04
4	श्री संजय विनायक मुदालियर	01.01.2023	--	01/01
5	श्री सुरेश कुमार रूंगटा	05.01.2022	--	04/04
6	श्री दीपक शर्मा	05.01.2022	--	04/04

दिनांक 01.01.2023 से प्रभावी एमडी व सीईओ

3.7 अनुशासनात्मक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा के लिए समिति

यह तिमाही आधार पर सतर्कता/गैर-सतर्कता अनुशासनात्मक और विभागीय जांच की समीक्षा करता है और 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक के धोखाधड़ी के मामलों में तिमाही आधार पर कर्मचारियों की जवाबदेही जांच करता है। एमडी और सीईओ समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। 01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लेने वाली बैठकों की संख्या निम्नवत है :

3.5 COMMITTEE FOR MONITORING LARGE VALUE FRAUDS

The major functions of the Committee are to monitor and review all large value frauds with a view to identifying systemic lacunae, if any, reasons for delay in detection and reporting, if any, monitoring progress of CBI/Police investigation, recovery position, ensuring that staff accountability exercise is completed quickly, reviewing the efficacy of remedial action taken to prevent recurrence of frauds and putting in place suitable preventive measures. The Chairman presides over the meetings of the Committee and the present Chairman of the committee is MD & CEO. The Committee met 4 times during the period 01.04.2022 to 31.03.2023. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri Partha Pratim Sengupta	24.07.2020	31.12.2022	03/03
2	Shri Ajay Kumar Srivastava##	09.10.2017	--	04/04
3	Smt S Srimathy	10.03.2021	--	04/04
4	Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.01.2023	--	01/01
5	Shri Suresh Kumar Rungta	05.01.2022	--	04/04
6	Shri B Chandra Reddy	05.01.2022	--	04/04

MD & CEO w.e.f. 01.01.2023

3.6 CUSTOMER SERVICE COMMITTEE

Customer Service Committee of the Board, illustratively, could address the following: -

- formulation of a Comprehensive Deposit Policy
- issues such as the treatment of death of a depositor for operations of his account
- product approval process with a view to suitability and appropriateness
- annual survey of depositor satisfaction
- triennial audit of such services. Besides, the Committee could also examine any other issues having a bearing on the quality of customer service rendered.
- To evaluate and review the level of customer services in the Bank. It shall also consider the new measures for improvement in Customer Services

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met 4 times during the period 01.04.2022 to 31.03.2023. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri Partha Pratim Sengupta	24.07.2020	31.12.2022	03/03
2	Shri Ajay Kumar Srivastava##	09.10.2017	--	04/04
3	Smt S Srimathy	10.03.2021	--	04/04
4	Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.01.2023	--	01/01
5	Shri Suresh Kumar Rungta	05.01.2022	--	04/04
6	Shri Deepak Sharma	05.01.2022	--	04/04

MD & CEO w.e.f. 01.01.2023

3.7 COMMITTEE FOR REVIEW OF DISCIPLINARY CASES & DEPARTMENTAL ENQUIRIES

It reviews the vigilance/ non-vigilances disciplinary and departmental enquires on quarterly basis and Quarterly progress for staff accountability examination in fraud cases involving Rs 50 crore and above. The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met 4 times during the period 01.04.2022 to 31.03.2023. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

क्र.सं	निदेशक का नाम	सदस्यता का कार्यकाल		उपस्थिति/आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	24.07.2020	31.12.2022	03/03
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव##	09.10.2017	--	04/04
3	सुश्री एस श्रीमती	10.03.2021	--	04/04
4	श्री संजय विनायक मुदालियर	01.01.2023	--	01/01
5	श्रीमती ऐनी जॉर्ज मैथ्यू	22.07.2016	--	03/04
6	श्री विवेक अग्रवाल	25.02.2022	--	03/04

दिनांक 01.01.2023 से प्रभावी एमडी व सीईओ

3.8 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) समुचित सावधानी बरत रही है और निर्वाचित निदेशकों के लिए 'फिट एंड प्रॉपर' मानदंड पर आई है जैसा कि आरबीआई मास्टर दिशा-निर्देश डीबीआर.एपीटी.सं. में निर्दिष्ट है । 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, भाग डी के अनुसार। यह मौजूदा पारिश्रमिक समिति का कार्य भी कर रही है।

एनआरसी का गठन केवल गैर-कार्यकारी निदेशकों (एनईडी) के साथ किया गया है। एनआरसी की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है । बोर्ड के अध्यक्ष एनआरसी की अध्यक्षता नहीं कर रहे हैं। एनआरसी की बैठक आवश्यकता पड़ने पर आयोजित की जाती है। समिति में 5 गैर-कार्यकारी निदेशक होते हैं

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की पहली बैठक हुई

वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा उपस्थिति:

क्र.सं. _	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थिति/आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री दीपक शर्मा	21.10.2022	--	01/01
2	श्रीमती ऐनी जॉर्ज मैथ्यू	21.10.2022	--	01/01
3	श्री सुरेश कुमार रूंगटा	21.10.2022	--	01/01
4	श्री बी चंद्रा रेड्डी	21.10.2022	--	01/01

3.9 सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति

सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आईटीएससी) है व्यवसाय में सुधार के लिए आईटी में विकास का लाभ उठाने के लिए बैंक द्वारा प्रौद्योगिकी अपनाने की आईटी नीति पर विचार-विमर्श किया गया। यह आईटी सक्षम प्रमुख व्यावसायिक पहलों और बैंक की तकनीकी संरचना की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करता है। कॉरपोरेट गवर्नेंस पॉलिसी में विस्तृत भूमिका और कार्य को परिभाषित किया गया है

अध्यक्ष , समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते है। वर्तमान में, श्री दीपक शर्मा, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। समिति की 01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि के दौरान 5 बार बैठक हुई । वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लेने वाली बैठकों की संख्या:

क्र.सं.	निदेशकों का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थिति/आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री दीपक शर्मा	05.01.2022	--	05/05
2	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	24.07.2020	31.12.2022	04/04
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव##	09.10.2017	--	05/05
4	सुश्री एस श्रीमती	10.03.2021	--	05/05
5	श्री संजय विनायक मुदालियर	01.01.2023	--	01/01
6	श्रीमती ऐनी जॉर्ज मैथ्यू	25.07.2018	--	03/05
7	श्री बी चंद्रा रेड्डी	05.01.2022	--	05/05

दिनांक 01.01.2023 से प्रभावी एमडी व सीईओ

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri Partha Pratim Sengupta	24.07.2020	31.12.2022	03/03
2	Shri Ajay Kumar Srivastava##	09.10.2017	--	04/04
3	Smt S Srimathy	10.03.2021	--	04/04
4	Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.01.2023	--	01/01
5	Smt Annie George Mathew	22.07.2016	--	03/04
6	Shri Vivek Aggarwal	25.02.2022	--	03/04

MD & CEO w.e.f. 01.01.2023

3.8 NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Nomination and Remuneration Committee(NRC) is carrying out necessary due diligence and arrive at the 'Fit and Proper' Criteria for Elected Directors as specified in RBI master Direction DBR.Appt.No. 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and as per Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Part D. It is also carrying out function of existing Remuneration Committee which was evaluating the payment of performance linked incentive to Whole time Directors as per DFS guidelines.

NRC is constituted with only Non-Executive Directors(NED). The meetings of the NRC is chaired by an independent director. The Chair of the board is not chairing the NRC. The meeting of NRC is held as and when required. The Committee consists of 5 Non-Executive Directors.

The Committee met 1 time during the year FY 2022-23.

Attendance by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri Deepak Sharma	21.10.2022	--	01/01
2	Smt Annie George Mathew	21.10.2022	--	01/01
3	Shri Suresh Kumar Rungta	21.10.2022	--	01/01
4	Shri B Chandra Reddy	21.10.2022	--	01/01

3.9 INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGY COMMITTEE

Information Technology Strategy Committee (ITSC) is deliberating on the IT policy of technology adoption by the Bank for leveraging the developments in IT to improve business. It reviews and monitor progress of major IT enabled business initiatives and Technical Architecture of the Bank. Detail role and function is defined in Corporate Governance Policy.

The Chairman, presides over the meetings of the Committee. At present, Shri Deepak Sharma, part time non-official Director is chairing the committee. The Committee had met 5 times during the period 01.04.2022 to 31.03.2023. The Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri Deepak Sharma	05.01.2022	--	05/05
2	Shri Partha Pratim Sengupta	24.07.2020	31.12.2022	04/04
3	Shri Ajay Kumar Srivastava##	09.10.2017	--	05/05
4	Smt S Srimathy	10.03.2021	--	05/05
5	Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.01.2023	--	01/01
6	Smt Annie George Mathew	25.07.2018	--	03/05
7	Shri B Chandra Reddy	05.01.2022	--	05/05

MD & CEO w.e.f. 01.01.2023

3.10 मानव संसाधन पर बोर्ड स्तरीय संचालन समिति

एमडी और सीईओ समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। 01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकें हो चुकी हैं। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लेने वाली बैठकों की संख्या:

क्र.सं.	निदेशकों/सदस्य का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थिति/आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	24.07.2020	31.12.2022	02/02
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ##	09.10.2017	--	04/04
3	सुश्री एस श्रीमती	10.03.2021	--	04/04
4	श्री संजय विनायक मुदालियर	01.01.2023	--	02/02
5	श्रीमती ऐनी जॉर्ज मैथ्यू	22.07.2016	--	04/04
6	श्री संजया रस्तोगी	29.12.2022	--	02/02
7	डॉ टी टी राम मोहन **		--	04/04

दिनांक 01.01.2023 से प्रभावी एमडी व सीईओ

** वे एक नियुक्त निदेशक नहीं है । उन्हें डीएफएस दिशानिर्देशों के अनुसार इस समिति के लिए मानव संसाधन पेशेवर (पूर्व-आईआईएम प्रोफेसर) के रूप में नामित किया गया है

3.11 एनपीए में वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड स्तरीय समिति

एनपीए में वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड स्तरीय समिति (बीएलसीएमआरएनपीए) सभी एनपीए खातों में वसूली की समीक्षा और निगरानी कर रही है। यह एनपीए प्रबंधन की समीक्षा भी करती है और तनावग्रस्त संपत्तियों के संबंध में भारत सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न दिशानिर्देशों/निर्देशों पर प्रगति/कार्रवाई की गई रिपोर्ट की भी समीक्षा करती है। एमडी और सीईओ समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। समिति की 01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि के दौरान 6 बैठकें हुईं। सभी बैठकें उचित गणपूर्ति के साथ और बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं।

3.12 इरादतन चूककर्ताओं और असहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति

एमडी और सीईओ समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। 01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि के दौरान समिति की कुल 4 बैठकें हुईं। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लेने वाली बैठकों की संख्या:

क्र.सं.	निदेशकों का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थिति/आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	24.07.2020	31.12.2022	03/03
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	01.01.2023	--	01/01
3	श्री सुरेश कुमार रूंगटा	05.01.2022	--	04/04
4	श्री बी चंद्रा रेड्डी	05.01.2022	--	04/04

3.13 बोर्ड की हितधारक संबंध समिति

हितधारक संबंध समिति की भूमिका सेबी एलओडीआर 2015 के अनुसूची II के भाग डी के निर्दिष्टानुसार होगी जोकि निम्नवत है:

- सूचीबद्ध इकाई के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान जिसमें शेयरों के अंतरण/ संचरण, वार्षिक रिपोर्ट की अप्राप्ति, घोषित लाभांश की अप्राप्ति, नए/ड्यूप्लिकेट प्रमाण- पत्रों का निर्गम, सामान्य बैठकें आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं ।
- शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए की गयी उपायों की समीक्षा।
- रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा ।
- अदावाकृत लाभांश की मात्रा को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट/ वार्षिक रिपोर्ट / वैधानिक सूचना की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध इकाई द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

01.04.2022 से 31.03.2023 के दौरान समिति की बैठक एक बार आयोजित की गयी। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य की प्रतिभागिता वाली बैठकों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:

3.10 BOARD LEVEL STEERING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCES

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee had met 4 times during the period 01.04.2022 to 31.03.2023. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri Partha Pratim Sengupta	24.07.2020	31.12.2022	02/02
2	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017	--	04/04
3	Smt S Srimathy	10.03.2021	--	04/04
4	Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.01.2023	--	02/02
5	Smt Annie George Mathew	22.07.2016	--	04/04
6	Shri Sanjaya Rastogi	29.12.2022	--	02/02
7	Dr T T Ram Mohan **		--	04/04

MD & CEO w.e.f. 01.01.2023

** He is not an appointed director. He has been nominated for this Committee as HR professional (Ex-IIM Professor) in line with DFS guidelines.

3.11 BOARD LEVEL COMMITTEE TO MONITOR RECOVERY IN NPA

Board Level Committee to Monitor Recovery in NPA(BLCMRNPA) is reviewing and monitoring the recovery in all NPA accounts. It also reviews the NPA Management and also progress/ action taken report on various guidelines/ directions given by Government of India in respect of stressed assets. The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met 6 times during the period 01.04.2022 to 31.03.2023. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

3.12 REVIEW COMMITTEE ON WILFUL DEFAULTERS & NON CO-OPERATIVE BORROWERS

The MD & CEO presides over the meeting of the Committee. The Committee met 4 times during the period 01.04.2022 to 31.03.2023. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri Partha Pratim Sengupta	24.07.2020	31.12.2022	03/03
2	Shri Ajay Kumar Srivastava	01.01.2023	--	01/01
3	Shri Suresh Kumar Rungta	05.01.2022	--	04/04
4	Shri B Chandra Reddy	05.01.2022	--	04/04

3.13 STAKEHOLDERS RELATIONSHIP COMMITTEE

The role of the Stakeholders Relationship Committee shall be as specified as in Part D of the Schedule II, SEBI LODR 2015, which is given below:

- Resolving the grievances of the security holders of the listed entity including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new /duplicate certificates, general meetings and etc.
- Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.
- Review of adherence to the service standards adopted by the listed entity in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.
- Review of the various measures and initiatives taken by the listed entity for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/annual reports /statutory notices by the shareholders of the company.

The Committee met 4 times during the period 01.04.2022 to 31.03.2023. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

क्र.सं.	निदेशकों का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थिति/आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	25.01.2019	07.10.2022	02/02
2	श्री संजया रस्तोगी	29.12.2022	--	01/01
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017	31.12.2022	03/03
4	सुश्री एस श्रीमती	10.03.2021	--	04/04
5	श्री संजय विनायक मुदालियर	01.01.2023	--	01/01
6	श्रीमती ऐनी जॉर्ज मैथ्यू	21.10.2022	28.12.2022	01/01
7	श्री बी चंद्रा रेड्डी	05.01.2022	--	04/04
8	श्री दीपक शर्मा	05.01.2022	--	04/04

3.14 कार्य निष्पादन मूल्यांकन के लिए बोर्ड समिति

डीएफ़एस दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों और आंतरिक नियंत्रण के प्रभारी महाप्रबंधकों (जैसे निरीक्षण और लेखा परीक्षा, अनुपालन, जोखिम) के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की दो बैठक आयोजित की गई।

3.15 अपील पर विचार करने के लिए बोर्ड की समिति

अपील पर विचार करने के लिए बोर्ड की समिति सजा/अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि के मामले में अपीलीय प्राधिकारी /समीक्षा प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है जहाँ एमडी व सीईओ अनुशासनात्मक प्राधिकारी हैं या उनकी अनुपस्थिति में कार्यकारी निदेशक अनुशासनात्मक प्राधिकारी हैं, जहाँ कहीं भी एमडी व सीईओ अनुशासनात्मक प्राधिकारी हैं, वे अपील और समीक्षा समिति के सदस्य नहीं होंगे। वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की बैठक नहीं हुई।

4.1 अनुपालन अधकिारी:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सेबी, स्टॉक एक्सचेंज इत्यादि के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन के लिए सेबी (एलओडीआर) के विनियम 6 के अनुसार श्री नंदकुमरन एस, कंपनी सचिव एवं अनुपान अधिकारी हैं।

4.2 शेयरधारकों की शिकायतें

वर्ष के दौरान प्राप्त, समाधान और लंबित शिकायतों की संख्या :

01.04.2022 को लंबित	शून्य
वर्ष के दौरान प्राप्त	04
वर्ष के दौरान निपटायी गयी	04
31.03.2023 को लंबित	शून्य

सेबी (एलओडीआर) के विनियम 46 के संबंध में हमने शेयरधारकों को सूचित किया है कि निवेशकों की शिकायतों को दूर करने व उनके समाधान हेतु एक अलग ई-मेल आइडी investor@iobnet.co.in आबंटित की गयी है और कंपनी सचिव श्री नंदकुमारन.एस इस संबंध में अनुपालन अधिकारी हैं। हमने इस ई-मेल आइ.डी व अन्य प्रासंगिक विवरणों को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया है । कंपनी सचिव की अध्यक्षता में निवेशक संबंध कक्ष , निवेशकों की शिकायतों का भी निपटारा करता है ।

5. सामान्य बैठकें

ए) स्थान और समय जहाँ पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकें आयोजित की गई ।

क्र.सं.	बैठक की प्रकृति	तिथि, दिन और समय	स्थान
1	20 वां एजीएम	24.08.2020, सोमवार पूर्वाह्न 11.00 बजे	वर्चुअल मोड (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) इण्डियन ओवरसीज बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002
2	21 वां एजीएम	07.08.2021, शनिवार पूर्वाह्न 11.30 बजे	वर्चुअल मोड (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) इण्डियन ओवरसीज बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002
3	22 वां एजीएम	15.07.2022, शुक्रवार पूर्वाह्न 11.00 बजे	वर्चुअल मोड (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) इण्डियन ओवरसीज बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002

बी) 20वां , 21वां और 22वां वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदनार्थ योग्यता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट (क्यू.आइ.पी.), राईट्स ईश्यू, अधिमानी आधार पर आबंटन और अनुवर्तन पब्लिक ऑफर या अधिमानी शेयरों (संचयी/गैरसंचयी) के ज़रिए इक्विटी शेयरों को जारी कर पूँजी जुटाने के लिए विशेष

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings attended/ held
		From	To	
1	Shri Navin Prakash Sinha	25.01.2019	07.10.2022	02/02
2	Shri Sanjaya Rastogi	29.12.2022	--	01/01
3	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017	31.12.2022	03/03
4	Smt S Srimathy	10.03.2021	--	04/04
5	Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.01.2023	--	01/01
6	Smt Annie George Mathew	21.10.2022	28.12.2022	01/01
7	Shri B Chandra Reddy	05.01.2022	--	04/04
8	Shri Deepak Sharma	05.01.2022	--	04/04

3.14 BOARD COMMITTEE FOR PERFORMANCE EVALUATION

To evaluate the performance of Whole time directors and General Managers in charge of internal control (such as Inspection and Audit, Compliance and Risk) as per DFS guidelines. The Committee met 2 times during the year 2022-23.

3.15 COMMITTEE OF BOARD FOR CONSIDERATION OF APPEALS

Committee of Board for Consideration of Appeals act as an Appellate authority/ Reviewing Authority in case of punishment/ Disciplinary action etc., is awarded to Executives where MD& CEO is the Disciplinary Authority(DA) or in his absence Executive Directors are Disciplinary Authority. Wherever, MD& CEO is the Disciplinary Authority, he/ she will not be the member of Committee for Appeal and Review. The Committee did not meet during the year 2022-23.

4.1 COMPLIANCE OFFICER

In terms of Regulation 6 of SEBI (LODR), Mr. Nandakumaran S is the Company Secretary and the Compliance Officer during the period under review for complying with the various provisions of SEBI, Stock Exchanges etc.

4.2 SHAREHOLDERS COMPLAINTS

Number of complaints received, resolved and pending during the year:

Pending as on 01.04.2022	Nil
Received during the year	04
Redressed during the year	04
Pending as on 31.03.2023	Nil

In terms of Regulation 46 of SEBI (LODR), we have advised the shareholders that an exclusive e-mail ID : investor@iobnet.co.in has been allotted and Mr. S Nandakumaran, Company Secretary is the Compliance Officer for the purpose of registering and redressal of complaints by investors. We have displayed this email ID and other relevant details prominently on our website. The Investor Relations Cell headed by the Company Secretary is handling the redressal of investor complaints.

5. GENERAL MEETINGS

a. Location and time where last three Annual General Meetings were held:

Sl. No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
1	20th AGM	24.08.2020, Monday 11.00 AM	Virtual Mode (Through Video Conferencing) Indian Overseas Bank, Central Office, 763 Anna Salai, Chennai 600 002
2	21st AGM	07.08.2021, Saturday 11.30 AM	Virtual Mode (Through Video Conferencing) Indian Overseas Bank, Central Office, 763 Anna Salai, Chennai 600 002
3	22nd AGM	15.07.2022, Friday 11.00 AM	Virtual Mode (Through Video Conferencing) Indian Overseas Bank, Central Office, 763 Anna Salai, Chennai 600 002

b. In the 20th , 21st & 22nd AGMs, special resolutions were put through to obtain the shareholders' approval to raise capital by way of issue of equity shares through Qualified Institutional Placement (QIP), Rights Issue, Preferential allotment or Follow-on

संकल्प प्रस्तुत किए गए।

सी) कोई डाक मतदान नहीं हुआ था ।

डी) स्थान और समय जहाँ असाधारण सामान्य बैठकें आयोजित हुईं :

क्र.सं.	बैठक की प्रकृति	तिथि, दिन और समय	कार्यक्रम का स्थान
1.	ईजीएम	24.03.2016, गुरुवार सुबह 10.30 बजे	नारद गण सभा 314, टीटीके रोड, चेन्नै 600 018
2.	ईजीएम	15.09.2016, गुरुवार सुबह 10.00 बजे	रानी सीताई हॉल, 603, अण्णा सालै , चेन्नै 600 006
3.	ईजीएम	29.11.2017, बुधवार सुबह 10.30* बजे	नारद गण सभा 314, टीटीके रोड, चेन्नै 600 018
4.	ईजीएम	30.01.2018, मंगलवार सुबह 10.30 ** बजे	नारद गण सभा 314, टीटीके रोड, चेन्नै 600 018
5.	ईजीएम	28.03.2018, बुधवार सुबह 10.00 बजे	नारद गण सभा 314, टीटीके रोड, चेन्नै 600 018
6.	ईजीएम	02.11.2018, शुक्रवार सुबह 10.00 बजे	रानी सीताई हॉल, 603 अण्णा सालै, चेन्नै 600 006
7.	ईजीएम	28.03.2019, गुरुवार सुबह 10.00 बजे	नारद गण सभा 314, टीटीके रोड, चेन्नै 600 018
8.	डाक मतपत्र	27.11.2019, बुधवार शाम 5.00 बजे	कैमियो कॉरपोरेट सर्विसेज, नंबर 1 सुब्रमण्यन बिल्डिंग, क्लब हाउस रोड, चेन्नै 600 002
9.	डाक मतपत्र	26.02.2020, बुधवार शाम 5.00 बजे	कैमियो कॉरपोरेट सर्विसेज, नंबर 1 सुब्रमण्यन बिल्डिंग, क्लब हाउस रोड, चेन्नै 600 002
10.	ईजीएम	12.05.2021, बुधवार सुबह 11.30 बजे	वर्चुअल मोड (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002

उपर्युक्त सभी ईजीएम भारत सरकार और एलआईसी व उसककी विभिन्न योजनाओं को ईक्विटी शेयर जारी करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आयोजित की गई थीं।

एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव के लिए 15.12.2022 को ईजीएम का आयोजन होने वाला था लेकिन मौजूदा रिक्ति के प्रति केवल एक वैध नामांकन प्राप्त होने के कारण इसे रद्द करना पड़ा ।

*शेयरधारक निदेशकों के चुनाव के लिए ईजीएम का आयोजन किया गया।

**संचित नुकसानों के प्रति शेयर प्रीमियम खाते को समायोजित करने के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए ईजीएम का आयोजन किया गया।

ङ) ई-वोटिंग :

सेबी (एलओडीआर) के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुसार, जारीकर्ता एजीएम/ईजीएम में पारित किए जाने वाले सभी शेयरधारकों के प्रस्तावों के संबंध में अपने शेयरधारकों को सुविधा **ई-वोटिंग** प्रदान करने के लिए सहमत है। तदनुसार, बैंक ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है।

6. संप्रेषण का माध्यम

क) बैंक के त्रैमासिक अ-लेखा परीक्षित/ लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है और उन्हें निर्धारित अवधि के भीतर सभी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दिया जाता है जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं। बैंक हरित पहल के तहत वार्षिक रिपोर्ट उन शेयरधारकों को ई-मेल द्वारा भेज रहा है जिनके ई-मेल पते बैंक के पास उपलब्ध हैं और वैसे शेयर धारक जिन्होंने इस उद्देश्य के लिए अपनी ई-मेल आइडी पंजीकृत नहीं की है, उन शेयरधारकों को कूरियर/ पोस्ट के माध्यम से भेज रहा है ।

ख) सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताओं और प्रकटीकरण अपेक्षाओं) विनियम 2015 (एलओडीआर) के विनियम 47 के संदर्भ में तिमाही वित्तीय परिणाम एक राष्ट्रीय दैनिक, हिंदी दैनिक और क्षेत्रीय दैनिक अखबार में प्रकाशित किए जाते हैं । प्रकाशन का विवरण और तिथियाँ इस प्रकार हैं :

Public Offer or preference shares (cumulative / non-cumulative).

c. There was no postal ballot exercise.

d. Location and time where Extra Ordinary General Meetings were held:

Sl. No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
1.	EGM	24.03.2016, Thursday 10.30 A.M.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
2.	EGM	15.09.2016, Thursday 10.00 A.M.	Rani Seethai Hall, 603, Anna Salai, Chennai 600 006
3.	EGM	29.11.2017, Wednesday 10.30 A.M. *	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
4.	EGM	30.01.2018, Tuesday 10.30 A.M.**	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
5.	EGM	28.03.2018, Wednesday 10.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
6.	EGM	02.11.2018, Friday 10.00 A.M.	Rani Seethai Hall, 603 Anna Salai, Chennai 600 006
7.	EGM	28.03.2019, Thursday 10.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
8.	Postal Ballot	27.11.2019, Wednesday 5.00 P.M.	Cameo Corporate Services, No.1 Subramanian Building, Club House Road, Chennai 600 002
9.	Postal Ballot	26.02.2020, Wednesday 5.00 P.M.	Cameo Corporate Services, No.1 Subramanian Building, Club House Road, Chennai 600 002
10.	EGM	12.05.2021, Wednesday 11.30 A.M.	Virtual Mode (Through Video Conferencing) Indian Overseas Bank, Central Office, 763 Anna Salai, Chennai 600 002

The above EGMs were held for obtaining shareholders' approval for issue of equity shares to Government of India and LIC and its various schemes on preferential basis.

EGM for election of one shareholder director was scheduled to be held on 15.12.2022 and the same was cancelled due to receipt of only one valid nomination against one existing vacancy.

*EGM held for election of Shareholder Directors

** EGM held for obtaining shareholders' approval for set off of Share Premium Account against accumulated losses

e) E-Voting:

In accordance with the provisions of Regulation 44 of SEBI (LODR), the Issuer agrees to provide **E-Voting facility to its shareholders** in respect of all shareholders resolutions, to be passed at AGM/EGM. Accordingly, the Bank is providing e-voting facility.

6. MEANS OF COMMUNICATION:

a. The quarterly un-audited/ audited financial results of the Bank are approved by the Board of Directors and the same are submitted within the stipulated period to all the stock exchanges where the Bank's shares are listed. The Bank has been sending Annual Reports, under Green Initiative by email to those shareholders whose e-mail addresses are available with the Bank and through courier/post to shareholders who have not registered their email id for this purpose.

b. The quarterly financial results are published in a national daily, Hindi daily and a regional vernacular daily in terms of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (LODR). The details and dates of publication are as under:

समाप्त तिमाही	हिंदी दैनिक	तमिल दैनिक	अंग्रेज़ी दैनिक	प्रकाशन की तिथि
31.03.2022	जनसत्ता	दिनमणी	फाइनेंशिएल एक्सप्रेस	20.05.2022
30.06.2022	जनसत्ता	दिनमणी	फाइनेंशिएल एक्सप्रेस	08.08.2022
30.09.2022	जनसत्ता	द हिंदू	फाइनेंशिएल एक्सप्रेस	07.11.2022
31.12.2022	जनसत्ता	दिनमणी	फाइनेंशिएल एक्सप्रेस	10.02.2023
31.03.2023	बिज़नेस स्टैंडर्ड	दिनमणी	बिज़नेस स्टैंडर्ड	13.05.2023

ग) तिमाही परिणाम/ वार्षिक परिणाम और प्रदर्शन विश्लेषण भी बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं ।

घ) बैंक तिमाही/वार्षिक परिणामों के दौरान आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति प्रदर्शित करता है ।

7. शेयरधारक के लिए सामान्य जानकारी

क) एजीएम : तिथि, समय और स्थान

तिथि	07.07.2023, शुक्रवार
समय	सुबह 11.00 बजे
स्थान	वर्चुअल मोड (वीडियो कॉनफरेंश द्वारा)

ख) वित्तीय वर्ष : 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023

ग) लाभांश भुगतान तिथि : शून्य (संचित हानियों को मिटाया जाना है)

घ) बही खाता बंद होने की तिथि : वार्षिक सामान्य बैठक के लिए 01.07.2023 से 07.07.2023 तक (दोनों तिथियाँ शामिल) ।

ङ) अदत्त लाभांश :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) और वित्तीय संस्थान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 ने बैंकों और मंत्रालयों के अदत्त लाभांश पर बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 में एक नई धारा 10 (ख) को शामिल किया है । कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने बैंकों को अदत्त लाभांश राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोश (आइईपीएफ़) में स्थानांतरित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए सूचित किया था ।

तदनुसार, पिछले वर्षों के अदत्त लाभांश राशि को आइओबी के अदत्त लाभांश खाते/खातों में स्थानांतरित कर दिया गया है और इसलिए ऐसे धन, जो सात वर्षों की अवधि के लिए भुगतान न किए गए हैं, आइईपीएफ़ में स्थानांतरित किए जाएंगे ।

वर्ष के लिए लाभांश	अदत्त लाभांश खाते में स्थानांतरण की तिथि	सरकार को स्थानांतरित करने की नियत तिथि
शून्य	शून्य	शून्य

च) बैंक के शेयर निम्न स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

स्टॉक एक्सचेंज का नाम	स्टॉक कोड
मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	532388
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (भारत) लिमिटेड	आइओबी

वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान स्टॉक एक्सचेंजों को निर्धारित नियत तारीखों के भीतर किया गया है ।

Quarter ended	Hindi daily	Tamil daily	English Daily	Date of Publication
31.03.2022	Jansatta	Dinamani	Financial express	20.05.2022
30.06.2022	Jansatta	Dinamani	Financial express	08.08.2022
30.09.2022	Jansatta	The Hindu	Financial express	07.11.2022
31.12.2022	Jansatta	Dinamani	Financial express	10.02.2023
31.03.2023	Business Standard	Dinamani	Business Standard	13.05.2023

c. The quarterly results/annual results and Performance Analysis are also being displayed on the Bank's website www.iob.in

d. Bank displays official press release during quarterly/annual results.

7. GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION:

a) AGM: Date, Time and Venue:-

Date	07.07.2023, Friday
Time	11.00 am
Venue	Virtual Mode (Through Video Conferencing)

b) Financial Year: 01st April 2022 to 31st March 2023.

c) Dividend Payment Date: Nil (Accumulated losses are to be wiped out)

d) Date of Book Closure: 01.07.2023 to 07.07.2023 (Both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

e) Unpaid Dividend:

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, has incorporated a new section 10(B) in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 on Unpaid dividend of banks and Ministry of Corporate Affairs had advised the process to be followed by banks for transferring the Unpaid Dividend amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF).

Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend Account/s of IOB and hence such monies, which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years, shall be transferred to IEPF:

Dividend for the year	Date of Transfer to Unpaid Dividend A/c	Due Date for Transferring to Government (IEPF)
NIL	NIL	NIL

f. The Bank's shares are listed on the following stock exchanges:

Name of the Stock Exchange	Stock Code
Bombay Stock Exchange Ltd.	532388
National Stock Exchange of India Ltd.	IOB

Annual Listing Fees for the year 2022-23 have been paid to the stock exchanges within the prescribed due dates.

छ) बाज़ार मूल्य डाटा

अवधि- महीना	बीएसई		एनएसई	
	अधिकतम (रु)	न्यूनतम (रु)	अधिकतम (रु)	न्यूनतम (रु)
अप्रैल 2022	20.20	17.80	20.20	17.80
मई 2022	18.80	15.55	18.80	**15.25**
जून 2022	18.55	**15.25**	18.50	**15.25**
जुलाई 2022	18.85	16.20	18.95	16.10
अगस्त 2022	18.40	17.10	18.40	17.05
सितंबर 2022	19.80	16.80	19.80	16.80
अक्तूबर 2022	19.70	17.00	19.70	17.05
नवंबर 2022	24.85	18.50	24.85	18.45
दिसंबर 2022	**36.70**	21.90	**36.70**	21.90
जनवरी 2023	33.15	26.15	33.15	26.20
फरवरी 2023	29.30	23.35	29.35	23.35
मार्च 2023	26.30	20.87	26.35	20.85

बॉल्ड में दिए गए आँकडे संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों में वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक के शेयरों की अधिकतम/कम कीमत का प्रतिनिधित्व करते हैं । हमारे बैंक को कारोबार से निलंबित नहीं किया गया था ।

ज) दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 के दौरान बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 की तुलना में ईक्विटी प्रदर्शन

g) Market Price Data: -

Period - Month	BSE		NSE	
	High (Rs.)	Low (Rs.)	High (Rs.)	Low (Rs.)
April 2022	20.20	17.80	20.20	17.80
May 2022	18.80	15.55	18.80	**15.25**
June 2022	18.55	**15.25**	18.50	**15.25**
July 2022	18.85	16.20	18.95	16.10
August 2022	18.40	17.10	18.40	17.05
September 2022	19.80	16.80	19.80	16.80
October 2022	19.70	17.00	19.70	17.05
November 2022	24.85	18.50	24.85	18.45
December 2022	**36.70**	21.90	**36.70**	21.90
January 2023	33.15	26.15	33.15	26.20
February 2023	29.30	23.35	29.35	23.35
March 2023	26.30	20.87	26.35	20.85

Figures in bold represent the high/low price of the Bank's shares traded during the year 2022-23, in the respective Stock Exchanges. Bank was not suspended from trading.

h) Equity performance in comparison to BSE Sensex and Nifty50 during 01.04.2022 to 31.03.2023

झ) रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट

कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लिमिटेड (इकाई-आइओबी)
सुब्रमणियन बिल्डिंग,
पाँचवाँ तल नं: 1, क्लब हाउस रोड,
चेन्नै – 600 002
टेली: 044 2846 0395
फैक्स : 28460129
ई-मेल: cameo@cameoindia.com

ञ) शेयर अंतरण प्रणाली

हमारे बैंक के निदेशक मंडल ने शेयर अंतरण, प्रसारण आदि पर विचार व अनुमोदन करने के लिए कार्यकारी स्तर की शेयर अंतरण अनुमोदन समिति (ईएलएसटीएसी) को इक्विटी शेयरों पर लेनदेन का अधिकार सौंपा दी है। ईएलएसटीएसी की बैठकों के कार्यवृत्त प्रत्येक बैठक में निदेशक मंडल को सूचित किए जाते हैं। पिछले वर्ष के दौरान समिति की 22 बार बैठक हुई और रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत की गई।

सेबी के परिपत्र दिनांक 25.01.2022 के अनुसार निवेशक सेवा अनुरोधों के मामले में आरटीए और सूचीबद्ध इकाई को प्रतिभूतियों को डीमाट रूप में जारी करना होगा अर्थात् :

ए) डूप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाण जारी करना।

बी) दावा न किए गए उचंत खाते से दावा।

सी) प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का नवीनीकरण/विनिमय।

डी) पृष्ठांकन ।

ई) प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का उप- विभाजन/ विभाजन।

एफ़) प्रतिभूति प्रमाणपत्रों /फॉलियो का समेकन।

जी) प्रसारण

एच) स्थानांतरण

अत: दिनांक 25.01.2022 के बाद, भौतिक शेयरधारकों को उपरोक्त अनुरोध के लिए अपने शेयर प्रमाण पत्र को अभौतिकीकरण के लिए समर्पित करना होगा ।

ट) 31.03.2023 को शेयरधारिता का विवरण:

क्र.सं	प्रवर्ग	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
	प्रमोटर होल्डिंग		
1	भारत सरकार	18,21,83,26,570	96.38
	उप-कुल	**18,21,83,26,570**	**96.38**

i) Registrar & Share Transfer Agent:

M/s. Cameo Corporate Services Limited (Unit-IOB)
Subramanian Building,
V Floor No.1 Club House Road,
Chennai-600 002
Tel: 044-28460395
Fax: 28460129
e-mails: cameo@cameoindia.com

j) Share Transfer System:

Our Bank's Board of Directors have delegated the power of transactions on equity shares to Executive Level Share Transfer Approval Committee (ELSTAC), Committee of General Managers, to consider and approve Share Transfer, Transmission etc. The minutes of the ELSTAC meetings are reported to the Board of Directors in each meeting. The Committee met 22 times during last year and reports were submitted to the Board.

As per SEBI circular dated 25.01.2022, the RTA & Listed entity has to Issue Securities in dematerialized form in case of Investor Service Requests i.e.

a) Issue of duplicate securities certificate

b) Claim from Unclaimed Suspense Account

c) Renewal / Exchange of securities certificate

d) Endorsement

e) Sub-division / Splitting of securities certificate

f) Consolidation of securities certificates/folios

g) Transmission

h) Transposition

Hence, after 25.01.2022, the physical shareholders have to surrender their share certificate for dematerialization for the above request.

k) Distribution of shareholding as on 31.03.2023:

S No	Category	No. of Shares	% of share holding
	PROMOTERS HOLDING		
1	Government of India	18,21,83,26,570	96.38
	Sub-Total	**1821,83,26,570**	**96.38**

गैर-प्रमोटर होल्डिंग			
2	**संस्थागत निवेशक**	**शेयरों की संख्या**	**शेयरधारिता का %**
ए	म्यूचुअल फ़ंड्स	19326106	0.11
बी	बैंक, वित्तीय संस्थाएँ	233386735	1.23
सी	बीमा कंपनियाँ	4662178	0.02
डी	विदेशी संस्थागत निवेशक	0	0
ई	विदेशी पोर्ट्फ़ोलियो निवेशक	26546009	0.14
	उप-कुल	**283921028**	**1.50**
3	**अन्य**		
ए	निकाय कॉर्पोरेट	26677929	0.14
बी	वैयक्तिक	306769788	1.62
सी	एनआरआइ	8418932	0.05
डी	विदेशी कॉर्पोरेट निकाय	48000	0
ई	ईएसओपी/ईएसओएस/ईएसपीएस	50400473	0.27
एफ	अन्य	7849536	0.04
	उप-योग	**400164658**	**2.12**
कुल योग		**18902412256**	**100.00**

ठ) 31.03.2023 तक वितरण अनुसूची :

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक - दिनांक 31.03.2023 को धारिता का वितरण

शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों की संख्या का प्रतिशत	रु. 10 के नाममात्र मूल्य के संदर्भ में शेयरधारिता	शेयर राशि (अंकित मूल्य)	कुल का प्रतिशत
413198	80.99	10 - 5000	526042900	0.28
44906	8.80	5001- 10000	378689530	0.20
22383	4.39	10001 - 20000	344623070	0.18
7803	1.53	20001 - 30000	202419530	0.11
3954	0.78	30001 - 40000	143169000	0.08
3868	0.76	40001 - 50000	184495810	0.10
9036	1.77	50001 - 100000	693941620	0.37
5013	0.98	100001 और उससे ऊपर	186550741100	98.69
510161	**100.00**	**कुल**	**189024122560**	**100.00**

ड) 31.03.2023 तक विदेशी शेयरधारिता :

क्र.सं	प्रवर्ग	31.03.2022 तक		31.03.2023 तक	
		शेयरों की संख्या	कुल पूँजी का %	शेयरों की संख्या	कुल पूँजी का %
1	विदेशी संस्थागत निवेशक	शून्य	0.00	शून्य	0.00
2	ओसीबियाँ	48000	0.00	48000	0.00
3	एनआरआइ	8997058	0.05	8418932	0.04
4	विदेशी पोर्ट्फ़ोलियो निवेशक	14705100	0.08	26546009	0.14
	कुल	**23750158**	**0.13**	**35012941**	**0.18**

NON-PROMOTERS HOLDING			
2	**Institutional Investors**	**No. of Shares**	**% of Share Holding**
A	Mutual Funds	19326106	0.11
B	Banks, Financial Institutions	233386735	1.23
C	Insurance Companies	4662178	0.02
D	Foreign Institutional Investors	0	0
E	Foreign Portfolio Investor	26546009	0.14
	Sub-Total	**283921028**	**1.50**
3	**OTHERS**		
A	Bodies Corporate	26677929	0.14
B	Individuals	306769788	1.62
C	NRI	8418932	0.05
D	Overseas Corporate Body	48000	0
E	ESOP/ESOS/ESPS	50400473	0.27
F	Others	7849536	0.04
	Sub-total	**400164658**	**2.12**
GRAND TOTAL		**18902412256**	**100.00**

l) Distribution schedule as on 31.03.2023

INDIAN OVERSEAS BANK - DISTRIBUTION OF HOLDINGS AS ON 31.03.2023

No. of Shareholder	% to Total No. of Shareholders	Shareholding in terms of nominal value of Rs.10/-	Share Amount (Face Value)	% to Total
413198	80.99	10 - 5000	526042900	0.28
44906	8.80	5001- 10000	378689530	0.20
22383	4.39	10001 - 20000	344623070	0.18
7803	1.53	20001 - 30000	202419530	0.11
3954	0.78	30001 - 40000	143169000	0.08
3868	0.76	40001 - 50000	184495810	0.10
9036	1.77	50001 - 100000	693941620	0.37
5013	0.98	100001 - and above	186550741100	98.69
510161	**100.00**	**Total**	**189024122560**	**100.00**

m) Foreign Shareholding as on 31.03.2023

S No	Category	As on 31.03.2022		As on 31.03.2023	
		No. of shares	% To total capital	No. of shares	% To total capital
1	Foreign Institutional Investors	NIL	0.00	NIL	0.00
2	OCBs	48000	0.00	48000	0.00
3	NRIs	8997058	0.05	8418932	0.04
4	Foreign Portfolio Investor	14705100	0.08	26546009	0.14
	Total	**23750158**	**0.13**	**35012941**	**0.18**

जैसा कि उपरोक्त तालिका में बताया गया है, दिनांक 31.03.2023 को कुल विदेशी शेयरधारिता (एफ़आइआइ, ओसीबी, एनआरआइ और विदेशी पोर्टफ़ॉलियो) 0.18% थी, जो बैंक की कुल प्रदत्त पूँजी के 20% के निर्धारित स्तर के भीतर है ।

ढ) 31.03.2023 तक बैंक के शीर्ष दस शेयरधारक

क्र.सं	शेयरधारकों के नाम	धारित शेयरों की संख्या	कुल धारिता का %
1	राष्ट्रपति, भारत सरकार	18218326570	96.38
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	227401943	1.20
3	निप्पोन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड	10362455	0.05
4	क्राड्रेचर कैपिटल वेक्टर एसपी लिमिटेड	8223012	0.04
5	कोटक पीएसयू बैंक ईटीएफ	7544758	0.04
6	सुआशीष डायमंडस लिमिटेड	6831677	0.04
7	सुआशीष डायमंडस लि.	6642001	0.04
8	केनरा बैंक	4115000	0.02
9	डीएफए निवेश डाइमेंशन ग्रुप आइएनसी. (डीएफएआइडीजी) का इमर्जिंग मार्केट कोर इक्विटी पोर्टफोलिओ (द पोर्टफोलिओ)	3839506	0.02
10	जेनेरल इंश्यूरेंश कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	2665275	0.01

ण) शेयरों और भौतिक होल्डिंग का अभौतिकीकरण

सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों को 01 अप्रैल 2019 से भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए अनुरोध स्वीकार करने से रोकने के लिए सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन किया है । इसके अलावा संशोधन 2022 के द्वारा यह अनिवार्य किया गया है कि भौतिक या डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखी गई प्रतिभूतियों का ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन केवल डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही प्रभावी होगा । जो शेयरधारक इस तिथि के बाद भी भौतिक रूप में शेयर रखना जारी रखते हैं, वे आगे के हस्तांतरण के लिए बैंक/इसके आरटीए के पास शेयर जमा नहीं कर पाएंगे । यदि वे कोई अंतरण करना चाहते हैं तो उन्हें अनिवार्य रूप से डीमैट रूप में परिवर्तित करना होगा । आरटीए द्वारा केवल भौतिक रूप में प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और हस्तांतरण के अनुरोध स्वीकार किए जाएंगे ।

पूर्वोक्त संशोधन के मद्देनज़र, बैंक के शेयरधारक, जो इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में भौतिक शेयर रखे हुए हैं, उन्हें एक बर पुन: अपने शेयर डीमैट में रखने के लिए सूचित किया जाता है । शेयरधारक दो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में से किसी एक में अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड में डीमैट खाता खोल सकते हैं । डिपॉसिटरी सेवाओं ने बैंक को एक आइएसआइएन कोड - INE565A01014 आबंटित किया है ।

दिनांक 31.03.2023 को 1890.24 करोड़ इक्विटी शेयरों में से 1887.62 करोड़ इक्विटी शेयर या 99.86% डीमैट रूप में 440979 शेयरधारकों के पास हैं (जिनमें से भारत सरकार के पास डीमैट रूप में 1821.83 करोड़ इक्विटी शेयर हैं जो कुलमिलाकर 96.38% हैं) और 2.56 करोड़ इक्विटी शेयर या 0.14% भौतिक रूप में 78703 शेयरधारकों के पास हैं।

त) डीमैट खाते में रखे गए अदावाकृत शेयर

दावा न किए गए उचंत खाते में धारित शेयरों की स्थिति का उल्लेख नीचे किया गया है :

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
दिनांक 01.04.2022 की शुरुआत में दावा न किए गए उचंत खाते में पड़े शेयरधारकों और बकाया शेयरों की कुल संख्या	219	54700
वर्ष के दौरान दावा न किए गए उचंत खाते से शेयरों के हस्तांतरण के लिए संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	शून्य	शून्य
उन शेयरधारकों की संख्या जिन्हें दावा न किए गए उचंत खाते से शेयर हस्तांतरित किए गए थे	शून्य	शून्य
दिनांक 31.03.2023 के अंत में दावा न किए गए उचंत खाते में पड़े शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर	219	54700

इन शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक जमे रहेंगे जब तक ऐसे शेयरों के असली मालिक शेयरों का दावा नहीं करते।

As detailed in the above table, the total foreign shareholding (FIIs, OCBs, NRIs and Foreign Portfolio Investors) as at 31.03.2023 was 0.18%, which is within the stipulated level of 20% of the total paid up capital of the Bank.

n) Top Ten shareholders of the Bank as on 31.03.2023:

S No	Name of the Shareholders	No. of Shares held	% of Total Holding
1	PRESIDENT OF INDIA	18218326570	96.38
2	LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	227401943	1.20
3	NIPPON LIFE INDIA TRUSTEE LTD	10362455	0.05
4	QUADRATURE CAPITAL VECTOR SP LIMITED	8223012	0.04
5	KOTAK PSU BANK ETF	7544758	0.04
6	SUASHISH DIAMONDS LIMITED	6831677	0.04
7	SUASHISH DIAMONDS LTD	6642001	0.04
8	CANARA BANK	4115000	0.02
9	EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO (THE PORTFOLIO) OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC. (DFAIDG)	3839506	0.02
10	GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA	2665275	0.01

o) Dematerialization of shares & Physical Holding:

SEBI has amended relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to disallow listed companies from accepting request for transfer of securities which are held in physical form, with effect from 01st April 2019. Further it has been mandated vide amendment 2022 that transmission or transposition of securities held in physical or dematerialized form shall be effected only in dematerialized form. The shareholders who continue to hold shares in physical form even after this date, will not be able to lodge the shares with Bank / its RTA for further transfer. They will need to convert them to demat form compulsorily if they wish to effect, any transfer. Only the requests for transmission and transposition of securities in physical form, will be accepted by the RTA.

In view of the aforesaid amendment, the shareholders of the Bank, who are holding physical shares of Indian Overseas Bank, are once again advised to get their shares dematerialized. Shareholders can open a demat account in either of the two Depositories, viz. National Securities Depository Ltd., or Central Depository Services India Ltd through any of the depository participant. The depository services have allotted the following ISIN code to the Bank: INE565A01014.

Out of 1890.24 crore equity shares as on 31.03.2023, 1887.62 crore equity shares or 99.86% are held by 440979 shareholders in Demat form (of which Government of India holds 1821.83 crore equity shares in Demat form aggregating to 96.38%) and 2.56 crore equity shares or 0.14% are held by 78703 shareholders in physical form.

p) Unclaimed shares held in Demat Account:

The position of shares held in the unclaimed suspense account is mentioned below:

Details	No. of shareholders	No. of Shares
Aggregate number of shareholders and outstanding shares lying in unclaimed suspense account at the beginning 01.04.2022	219	54700
Number of Shareholders who approached for transfer of shares from unclaimed suspense account during the year	NIL	NIL
Number of Shareholders to whom shares were transferred from the unclaimed suspense account	NIL	NIL
Aggregate Number of Shareholders and the outstanding shares lying in the unclaimed suspense account at the end of 31.03.2023	219	54700

The voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

थ) बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, रूपांतरण तिथि और ईक्विटी पर संभावित प्रभाव

बैंक ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किया है।

द) बैंक ने समय-समय पर डिबेंचर / वचनपत्रों से संबंधी गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड जारी किए हैं । दिनांक 31.03.2023 तक बकाया ऐसे बॉण्डों का विवरण इस प्रकार है:

श्रृंखला	आबंटन की तिथि	साइज़ (रुपए करोड़ों में)	अवधि (महीनों में)	कूपन (%)	शोधन की तिथि
बेसल III टीयर II					
II	10.12.2018	300.00	120	11.70	#08.12.2028
III	24.09.2019	500.00	120	9.0802	24.09.2029
IV	31.03.2022	665.00	120	8.60	#31.03.2032
V	24.03.2023	1000.00	120	9.00	#31.03.2033

5 साल के अंत में और बाद में कूपन भुगतान तिथि पर (आरबीआई के पूर्व अनुमोदन के साथ) कॉल विकल्प उपलब्ध है ।

वर्ष के दौरान बैंक ने कॉल विकल्प का प्रयोग करके बेसल III अभियोग टियर II बांड - श्रृंखला I की 800 करोड़ रुपये की राशि को भुनाया है ।

ध) निर्गम के बॉण्ड ट्रस्टी

बैंक ने आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई को सीरीज II, सीरीज III और सीरीज IV बॉन्ड इश्यू के लिए और एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, मुंबई को सीरीज V बॉन्ड जारी करने हेतु बॉन्ड ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया है ताकि बॉण्ड के निवेशकों के हितों की रक्षा और सुरक्षा की

मेसर्स आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड **एशियन बिल्डिंग, 17 आर कमनी रोड़, बल्लार्ड एस्टेट,** **फ़ोर्ट, मुंबई – 400 001** **संपर्क विवरण : श्री कृष्णकांत** **वरिष्ठ प्रबंधक** **022-40807000**	**मेसर्स एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड** **मिस्त्री भवन, 4 तल, 122 दिनसाव वाच्छा रोड,** **चर्चगेट, मुंबई – 400 020** **संपर्क विवरण : श्री आदित्य कापील** **022 4302 5500/5566** **022 4302 5525** **www.sbicaptrustee.com**

न) लेखापरीक्षक शुल्क :

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों को सभी सेवाओं के लिए बैंक द्वारा भुगतान किया गया कुल शुल्क रु. 27,73,40,022.70 है ।

प) क्रेडिट रेटिंग्स

रेटिंग एजेंसी के नाम	बेसल III टाइर II बॉन्ड			
	श्रृंखला II	**श्रृंखला III**	**श्रृंखला IV**	**श्रृंखला V**
क्रिसिल लिमिटेड	एए – स्टेबल	एए – स्टेबल		
इक्रा लिमिटेड	एए – स्टेबल			एए – स्टेबल
इंडिया रेटिंग्स		एए – स्टेबल	एए – स्टेबल	
केयर रेटिंग्स			एए – स्टेबल	एए – स्टेबल

शेयर अंतरण, लाभांश भुगतान और अन्य सभी निवेशक संबंधी गतिविधियाँ कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड, रजिस्ट्रार के कार्यालय और शेयर ट्रांस्फर एजेंटों संसाधित किया जाता है। शेयरधारक उनके पते पर दस्तावेज़, शिकायतें और परिवेदनाएँ दर्ज़ करा सकते हैं:

मेसर्स कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड

(इकाई-आइओबी) सुब्रमणियन बिल्डिंग, पाँचवाँ तल

नं: 1, क्लब हाउस रोड, चेन्नै – 600 002

टेली: 044 40020734

फैक्स : 2846 0395

ई-मेल: cameo@cameoindia.com

q) Outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity:

The Bank has not issued any GDRs /ADRs / Warrants or any convertible instruments.

r) The bank has raised non-convertible bonds in the nature of Debentures/ Promissory notes from time to time. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2023 are as follows:

Series	Date of Allotment	Size (Rs. in Crores)	Tenor (in months)	Coupon %	Redemption Date
Basel III Tier II					
II	10.12.2018	300.00	120	11.70	#08.12.2028
III	24.09.2019	500.00	120	9.0802	24.09.2029
IV	31.03.2022	665.00	120	8.60	#31.03.2032
V	24.03.2023	1000.00	120	9.00	#31.03.2033

#Call option available at the end of 5 years and on subsequent coupon payment date (with prior approval of RBI)

During the year Bank has redeemed the Basel III complaint Tier II Bonds- Series I amounting to Rs 800 Crore, by exercising Call option.

s) BOND TRUSTEE TO THE ISSUE:

The Bank has appointed M/s. IDBI Trusteeship Services Limited, Mumbai, as Bond Trustees to for Series II, Series III & Series IV Bond Issues and has appointed SBI Cap Trustee Company Limited, Mumbai as Bond Trustees to for Series V Bond issues to safeguard and to protect the interests of the investors of the Bonds. Address of the Trustees is given below:

M/s. IDBI Trusteeship Services Ltd., Asian Building, 17 R Kamani Road, Ballard Estate, Fort, MUMBAI-400 001 Contact Details: Mr. Krishnakant Senior Manager 022-40807000	**M/s. SBICAP Trustee Company Limited Mistry Bhavan, 4th Floor, 122 Dinshaw Vachha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020 Contact Details: Mr. Aditya Kapil 022 4302 5500/5566 022 4302 5525 www.sbicaptrustee.com**

t) Auditors Fee:

Total Fee paid by the Bank for all services to the Statutory Auditors during FY 2022-23 is Rs. 27,73,40,022.70

u) Credit Ratings:

Name of the Rating Agencies	Basel III Tier II Bonds			
	Series II	Series III	Series IV	Series V
CRISIL Limited	AA- STABLE	AA- STABLE		
ICRA Limited	AA- STABLE			AA- STABLE
India Ratings		AA- STABLE	AA- STABLE	
CARE Ratings			AA- STABLE	AA- STABLE

v) Address for Correspondence:

Share transfers, dividend payment and all other investor related activities are attended to and processed at the office of Cameo Corporate Services Ltd., Registrars & Share Transfer Agents. Shareholders may lodge documents, grievances and complaints at their address:

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-IOB) Subramanian Building, V Floor
No.1 Club House Road, Chennai-600 002
Tel: 044-28460395
Fax: 28460129
email: cameo@cameoindia.com

शेयरधारकों की शिकायतों और सेवा आवश्यकताओं को देखभाल करने के लिए निम्नलिखित पते पर बैंक के केंद्रीय कार्यालय में एक निवेशक संबंध कक्ष है:

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
निवेशक संबंध कक्ष,
केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै
चेन्नै -600 002
टेली: 044-28519654, 71729791,28415702
ई-मेल: investor@iobnet.co.in / investorcomp@iobnet.co.in

प्रकटीकरण

ए) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अर्थात् पूर्णकालिक निदेशकों के संबंधित पार्टी लेनदेन के बारे में प्रकटीकरण की बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा तिमाही आधार पर समीक्षा की जा रही है ।

बी) बैंक के निदेशकों, प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों आदि के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनेदेन नहीं है जो बड़े पैमाने पर बैंक के हितों के साथ संभावित टकराव हो ।

सी) बैंक की एक विज़िल ब्लॉअर नीति है और वह पुष्टि करती है कि सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है और इसका प्रकटीकरण हमारी वेबसाइट में किया जाता है ।

डी) भारतीय रिज़र्व बैंक / भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों को समय-समय पर जारी विधियों/ दिशानिर्देशों/निर्देशों में प्रदान की गई सीमा तक बैंक ने सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है ।

ई) सेबी (एलओडीआर) के विनियम 34 के अनुसार, वर्ष 2022-23 के लिए व्यापार उत्तरदायित रिपोर्ट हमारे बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर उपलब्ध है ।

एफ़) गैर- अनिवार्य आवश्यकताओं को संबंधित मदों के प्रति इस रिपोर्ट में बताए गए अनुसार अपनाया गया है ।

जी) बैंक कमोडिटी बाज़ार की गतिविधियों से नहीं जुड़ा है ।

एच) वित्तीय वर्ष की शुरुआत में यौन उत्पीड़न से संबंधित लंबित शिकायतों की संख्या : 01
वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या : 01
वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या : 2

लंबित शिकायतों की संख्या : शून्य

आइ) एमडी व सीईओ और ईडी का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है । एमडी व सीईओ और ईडी को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नवत है:

क्र.सं	नाम	पदनाम	अवधि	पारिश्रमिक का विवरण			राशि (रुपए)
				वेतन	बकाया	पी.एफ़	
1	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	ईडी	01.04.2022 से 31.12.2022	3275480.00	42510.00	182700.00	3500690.00
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	एमडी व सीईओ	01.01.2023 से 31.03.2023	851256.00	शून्य	61620.00	912876.00
3	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	एमडी व सीईओ	01.04.2022 से 31.12.2022	3640366.00	61328.78	194870.00	3896564.78
4	सुश्री एस श्रीमती	ईडी	01.04.2022 से 31.03.2023	3480766.00	197804.09	226150.00	3904720.09
5	श्री संजय विनायक मुदालियर	ईडी	01.01.2023 से 31.03.2023	1002684.00	शून्य	56280.00	1058964.00

*रुपए आइएनआर में

भारत सरकार के परिपत्र सं: एफ.नं: 15/1/2011-बी.ओ.आई दिनांक 18.01.2019 के अनुसार बैंक गैर-कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित बैठक शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता है, जो प्रति बोर्ड बैठक में 40,000/- रुपए और समिति की बैठक के लिए 20,000 रुपए और बोर्ड की अध्यक्षता के लिए अतिरिक्त शुल्क रु 10,000/- तथा बोर्ड समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए रु. 5000/- निर्धारित है ।

The Bank has an Investor Relations Cell at its Central Office to handle the complaints and service requirements of the shareholders at the following address:

Indian Overseas Bank
Investor Relations Cell
Central Office, 763, Anna Salai
Chennai-600 002
Tel: 044-28519654, 71729791, 28415702,
email: investor@iobnet.co.in / investor@iobnet.co.in

w) Disclosures

a. Disclosures as to Related Party Transactions of Key Managerial Personnel i.e., Whole Time Directors are being reviewed on a quarterly basis by the Audit Committee of the Board.

b. There are no significant related party transactions of the Bank with its directors, management, or their relatives etc that would have potential conflict with the interests of the Bank at large.

c. Bank has a Whistle Blower Policy and affirmed that no personnel has been denied access to the Audit Committee as per CVC guidelines and the same is disclosed in our website.

d. The Bank has complied with all the mandatory requirements to the extent provided for in the statutes/guidelines/ directives issued from time to time by RBI/Government of India to the nationalized banks.

e. In terms of Regulation 34 of SEBI (LODR), Business Responsibility and Sustainability Report for the year 2022-23 is made available in our Bank's web site: www.iob.in

f. The Non-Mandatory requirements have been adopted as stated in this report against the relevant items.

g. The Bank does not undertake commodity market activities.

h. Number of sexual harassment complaints pending at the beginning of the financial year: 01

Number of sexual harassment complaints filed during the financial year: 01

Number of complaints disposed off during the financial year: 02

Number of complaints pending – Nil

i. The remuneration of MD & CEO and EDs is fixed by the Government of India. The details of remuneration paid to the MD & CEO and EDs are detailed below:

S No	Name	Designation	Period	Details of Remuneration*			Amount (Rs)
				Salary	Arrears	PF	
1	Mr. Ajay Kumar Srivastava	ED	01.04.2022 to 31.12.2022	3275480.00	42510.00	182700.00	3500690.00
2	Mr. Ajay Kumar Srivastava	MD & CEO	01.01.2023 to 31.03.2023	851256.00	Nil	61620.00	912876.00
3	Mr. Partha Pratim Sengupta	MD & CEO	01.04.2022 to 31.12.2022	3640366.00	61328.78	194870.00	**3896564.78**
4	Smt S Srimathy	ED	01.04.2022 to 31.03.2023	3480766.00	197804.09	226150.00	3904720.09
5	Mr. Sanjay Vinayak Mudaliar	ED	01.01.2023 to 31.03.2023	1002684.00	Nil	56280.00	1058964.00

*Amount in INR

The Bank does not pay any remuneration to the Non-Executive Directors except sitting fee fixed by Government of India which is Rs.40,000/- per Board Meeting and Rs.20,000.00 per Committee Meeting and additional Fee of Rs.10,000/- for chairing Board Meeting and Rs.5,000 for chairing Board Committee meeting in terms of GOI Circular No.F.No.15/1/2011-BO.I dated 18.01.2019.

जे) सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17(8) के अनुसार सीईओ और सीएफओ का प्रमाणपत्र बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत कर दिया गया है।

के) सेबी (एलओडीआर) के विनियम 34 के अनुसार, वर्ष 2022-23 के लिए बैंक में कॉर्पोरेट प्रशासन पर सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है और उसे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है ।

एल) बैंक की लाभांश वितरण नीति रिपोर्ट का हिस्सा है और यह बैंक की वेबसाइट https://iob.in/upload/CEDocuments/IOB_Dividend_Distribution_Policy.pdf पर उपलब्ध है ।

एम) निदेशकों के लिए आयोजित परिचय कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर दिया गया है ।

बी) गैर-अनिवार्य अपेक्षाएँ

गैर-अनिवार्य अपेक्षाएँ	**हमारा अभिग्रहण**
गैर-कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा कंपनी के खर्च बोर्ड - कार्यालय का रखरखाव	बैंक ने गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के लिए कार्यालय उपलब्ध नहीं कराया है ।
शेयरधारकों के अधिकार	हमारी वेबसाइट पर वित्तीय परिणाम प्रदर्शित किए जाते हैं ।
लेखापरीक्षा योग्यता	वर्ष 2022-23 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उचित टिप्पणियाँ नहीं हैं ।
अध्यक्ष और सीईओ का अलग-अलग पद	भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद को एक समग्र नीति-निर्देश देने के लिए एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष और बैंक के दिन-प्रतिदिन के कामकाज की निगरानी के लिए एक पूर्णकालिक कार्यपालक प्रबंध निदेशक और सीईओ में विभाजित किया गया है । वर्तमान में, हमारे बैंक में कोई गैर – कार्यपालक अध्यक्ष नहीं है ।
आंतरिक लेखापरीक्षक	बैंक की अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा / निरीक्षण विभाग है और उनकी रिपोर्ट आवधिक रूप से समीक्षा के लिए लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाती है ।

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(अजय कुमार श्रीवास्तव)

प्रबंध निदेशक व सीईओ

j. The Certificate of CEO and CFO in accordance with Regulation 17(8) of SEBI (LODR) has been submitted to the Board of Directors of the Bank.

k. In terms of Regulation 34 of SEBI (LODR), a certificate has been obtained from the Statutory Central Auditors on corporate governance in the Bank for the year 2022-23 and the same is annexed to this report.

l. The Dividend Distribution Policy of the Bank form part of the Report and is available on the Bank's website at https://iob.in/upload/CEDocuments/IOB_Dividend_Distribution_Policy.pdf

m. Details of familiarization programmes for Directors have been given on the Bank's website at www.iob.in

B. NON MANDATORY REQUIREMENTS:

Non Mandatory Requirements	**Our Adoption**
The Board – Maintenance of an office by a non-executive Chairman at the company's expense	Bank has not provided office for the non-executive Chairman
Shareholders Rights	The financial results are displayed in our website.
Audit Qualification	The Audit Reports for the year 2022-23 do not contain qualified remarks.
Separate post of Chairman and CEO	The post of Chairman and Managing Director of Public Sector Banks has been bifurcated by the Government of India into a non-executive Chairman to give an overall policy direction to the Bank and a full-time executive Managing Director & CEO to oversee the day-to-day functioning of the Bank. At present, there is no Non-Executive Chairman in our Bank.
Internal Auditor	The Bank has its own Internal Audit/Inspection, and their reports are periodically placed to the Audit Committee for review.

For and on behalf of the Board of Directors

(Ajay Kumar Srivastava)

Managing Director & CEO

निदेशकों का जीवन परिचय DIRECTORS' PROFILE

1. श्री अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

उम्र एवं जन्म तिथि : 56 वर्ष – 15.10.1967

योग्यता : बी. एससी. (ऑनर्स), सीएआइआइबी भाग ।

नियुक्ति की तिथि : 09.10.2017 (एमडी व सीईओ के रूप में दिनांक 01.01.2023 से प्रभावी)

वर्तमान पद की समाप्ति की तिथि : 31.12.2025

अनुभव :

दिनांक 09 अक्टूबर 2017 से कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यरत श्री अजय कुमार श्रीवास्तव को 01 जनवरी 2023 से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में पदोन्नत किया गया है ।

उन्होंने अपने बैंकिंग पेशे की शुरुआत 1991 में इलाहाबाद बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में की, जहाँ उन्होंने देश के विभिन्न भागों में विभिन्न पदों पर कार्य किया । वे एक दक्ष एवं समर्पित बैंकर हैं, जिन्हें फील्ड का विशाल अनुभव है तथा इलाहाबाद बैंक में उच्च स्तर पर कार्य करने के दौरान उन्हें उत्तर प्रदेश, गुजरात व दिल्ली के बड़े व महत्वपूर्ण क्षेत्रों का नेतृत्व करने का अनुभव प्राप्त है ।

इलाहाबाद बैंक में लगभग 27 सफल वर्षों के पश्चात, वे भारत सरकार द्वारा कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किए गए और उन्होंने दिनांक 09.10.2017 को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में कार्यभार ग्रहण किया।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में, उनका सफर बेहद चुनौती पूर्ण रहा है । बैंक 2014 से घाटा व 2015 से पीसीए में चला गया था और वित्तीय पैरामीटर भी बुरी स्थिति में था । इसके अतिरिक्त और भी कई चुनौतियाँ थीं। उन्होंने सभी मुख्य क्षेत्रों के लिए रणनीति बनाईं और बोर्ड के सहयोग से उनका जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करवाया । उन्होंने बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में पाँच वर्षों से अधिक कार्य किया है और उल्लिखित अवधि के दौरान सभी विभागों और पोर्टफोलियो को संभाला है । कार्यपालक निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि उन्होंने बैंक को मार्च 2020 में घाटे और सितंबर 2021 में पीसीए से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त, वे बैंक में 2020-21 के दौरान 14 महीनों के लिए एकमात्र कार्यपालक निदेशक थे ।

वे इंडिया इनफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड में निदेशक के रूप में भारत सरकार द्वारा दो वर्षों के लिए नियुक्त किए गए थे । अपने पूर्ववर्ती बैंक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं ।

आइओबी में शेयर धारण : शून्य

अन्य निदेशकता : शून्य

1. Shri Ajay Kumar Srivastava
Managing Director & Chief Executive Officer

Age and Date of Birth: 56 Years – 15.10.1967

Qualification: B.Sc. (Hons), CAIIB Part I

Date of Appointment: 09.10.2017 (Designated as MD & CEO w.e.f 01.01.2023)

Date of expiry of the current term: 31.12.2025

Experience:

Shri Ajay Kumar Srivastava has been elevated as Managing Director and CEO of Indian Overseas Bank with effect from 1st January 2023 from his current posting as Executive Director since 9th October 2017.

He started his banking career as Probationary officer in 1991 with Allahabad Bank where he worked in various capacities in different parts of the country. He is an astute and hardcore banker with vast field level experience and has the distinction of having successfully led the largest and most critical areas of Uttar Pradesh, Gujarat and Delhi while working at senior level in Allahabad Bank.

After successful completion of about 27 years in Allahabad Bank, he was elevated as Executive Director by Government of India and he joined Indian Overseas Bank on 09.10.2017.

At Indian Overseas Bank as Executive Director, he had a very challenging journey. Bank was incurring losses since 2014, was in PCA since 2015 and financial parameters were in bad shape besides many other challenges. He made strategies for each of the key areas and successfully implemented them at the ground level with the support of the Board. He served the Bank as Executive Director for more than five years and handled all the departments and portfolios during the period. The highlight of his stint as Executive Director is that he had played a very key role in bringing the Bank out of loss in March 2020 and out of PCA in September 2021. Moreover, he was the only Executive Director in the Bank for about 14 months during 2020-2021.

He was appointed as Director on the Board of India Infrastructure Finance Company Limited(IIFCL) by Government of India for two years. He has also served as Director on the Board of Regional Rural Bank in his previous Bank.

Shareholding in IOB : NIL

Other Directorships : NIL

2. सुश्री एस. श्रीमती
कार्यपालक निदेशक

उम्र एवं जन्म तिथि : 59 वर्ष – 22.05.1964

बी.कॉम , एम.कॉम , एमबीए , सीएआइआइबी

नियुक्ति की तिथि : 10.03.2021

वर्तमान पद की समाप्ति की तिथि : 09.03.2024

अनुभव :

सुश्री एस श्रीमती ने 10.03.2021 को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया । इससे पूर्व वे केनरा बैंक में मुख्य महा प्रबंधक के पद पर कार्यरत थीं । इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में वर्तमान पद संभालने से पहले वे नाबार्ड में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त थीं ।

सुश्री एस श्रीमती ने नवंबर 1986 में केनरा बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपनी सेवाओं की शुरुआत की । उनके पास ग्रामीण से लेकर महानगर तक की सभी श्रेणियों की शाखाओं में कार्य करने का 34 वर्ष से अधिक का बैंकिंग अनुभव है । साथ ही उन्हें शाखा परिचालन, मध्य व वृहत क्रेडिट, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यक्षेत्रों में भी कार्य करने का अनुभव है ।

सुश्री एस श्रीमती ने देश के सभी हिस्सों में काम किया है और तीन साल से अधिक समय तक कफ परेड, मुंबई में प्राइम कॉर्पोरेट शाखा का नेतृत्व किया है । साथ ही चेन्नै सर्कल की प्रमुख बनने से पहले उन्होंने केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय में कॉरपोरेट क्रेडिट विंग और अंतरराष्ट्रीय परिचालन का नेतृत्व किया है।

सुश्री एस श्रीमती को जुलाई, 2018 में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नाबार्ड में प्रतिनियुक्त किया गया था । उस कार्यकाल के दौरान सुश्री एस श्रीमती ने अलग-अलग अवधि के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के सीवीओ के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है ।

आइओबी में शेयरधारण : शून्य

अन्य निदेशकता : शून्य

3.श्री संजय विनायक मुदालियर
कार्यपालक निदेशक

उम्र एवं जन्म तिथि : 54 वर्ष - 02.07.1968

योग्यता : विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर, प्रमाणित परियोजना प्रबंधन प्रेक्टिसनर, लंदन (यूके), सीएआइआइबी

नियुक्ति की तिथि : 01.01.2023

वर्तमान पद की समाप्ति की तिथि : 31.12.2025

अनुभव

श्री संजय विनायक मुदालियर ने 1 जनवरी, 2023 को इण्डियन ओवरसीज बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया ।

2. Ms. S Srimathy
Executive Director

Age and Date of Birth: 59 Years – 22.05.1964

Qualification: B.Com, M.Com, MBA, CAIIB

Date of Appointment: 10.03.2021

Date of expiry of the current term: 09.03.2024

Experience:

Ms. S Srimathy, has assumed charge as Executive Director of Indian Overseas Bank on 10.03.2021 from Canara Bank where she was Chief General Manager. She had been deputed to NABARD as Chief Vigilance Officer prior to taking over the present post in Indian Overseas Bank.

Ms. S Srimathy joined Canara Bank as Probationary Officer in November 1986. She is having 34+ years of Banking Experience in all categories of branches from Rural to Metro and is well exposed to various verticals like Branch Operations, Mid & Large Credits, Human Resources, Risk Management, etc.

Ms. S Srimathy had worked across the country and headed the Prime Corporate Branch at Cuffe Parade, Mumbai for over three years and headed the Corporate Credit Wing & International Operations at Head Office of Canara Bank before becoming Head of Chennai Circle.

Ms. S Srimathy was deputed to NABARD as Chief Vigilance Officer in July, 2018. During the period Ms. S Srimathy held additional charge as CVO of New India Assurance Company Limited, State Bank of India and Bank of Baroda for varying periods.

Shareholding in IOB : Nil

Other Directorships : Nil

3. Shri Sanjay Vinayak Mudaliar
Executive Director

Age and Date of Birth: 54 Years – 02.07.1968

Qualification: Post Graduate in Science and Technology, Certified Project Management Practitioner, London (UK), CAIIB

Date of Appointment: 01.01.2023

Date of expiry of the current term: 31.12.2025

Experience:

Shri Sanjay Vinayak Mudaliar, has taken charge as Executive Director of Indian Overseas Bank w.e.f 1st January, 2023.

वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर हैं और प्रमाणित परियोजना प्रबंधन प्रेक्टिशनर, लंदन (यूके) हैं । वे 19 देशों में फैले बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्लोबल ऑपरेशंस के मुख्य तकनीकी अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। वे एक अनुभवी बैंकर हैं जिनका उद्योगों और वित्तीय संस्थानों में 30 वर्षों से अधिक का करियर है। इसमें से पिछले 25 वर्षों से वे देश भर में और यूनाइटेड किंगडम में बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विभिन्न पदों पर जुड़े हुए थे।

अपने तकनीकी-कार्यात्मक ज्ञान के साथ, वे उत्पाद नवाचार और प्रक्रिया शोधन पर विभिन्न कार्य समूहों/समितियों में योगदान दे रहे हैं। वे बैंकिंग प्रौद्योगिकी पर कई प्रमुख उद्योग पहलों का भी हिस्सा रहे हैं। वे भारत और विदेशों में बैंक ऑफ बड़ौदा / सहायक कंपनियों की 6 कंपनियों में नामित निदेशक रहे हैं।

वे विश्लेषणात्मक, निष्ठावान और बदलती आवश्यकताओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं ।

आइओबी में शेयर धारण : शून्य

अन्य निदेशकता : शून्य

4. सुश्री ऐनी जॉर्ज मैथ्यू
सरकारी नामिती निदेशक

आयु व जन्मतिथि : 59 वर्ष - 21.10.1963

योग्यता : एम. एससी.

नियुक्ति की तिथि : 22.07.2016

वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तिथि : भारत सरकार के अगले आदेश तक

अनुभव :

सुश्री एनी जॉर्ज मैथ्यू वर्तमान में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विभाग में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत हैं । वे 22.07.2016 से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं । वे 12.12.2014 से पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की अंशकालिक सदस्य भी हैं ।

वे भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा (आईए एंड एएस) के 1988 बैच से संबंधित हैं । उनका भारत के भीतर और भारत के बाहर एक विस्तृत और विविध करियर रहा है । उनकी पिछली नियुक्तियों के दौरान उन्होंने देश भर के विभिन्न राज्यों यथा हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश आदि में अपनी सेवाएँ दी हैं । उन्हें राज्य और केंद्र सरकार के लेखा और लेखापरीक्षा संबंधी कार्यों में विविध अनुभव प्राप्त है । लेखापरीक्षा में, उन्होंने वाणिज्यिक, सिविल, रसीद और रेलवे लेखापरीक्षा में काम किया है । उन्होंने यूरोप, अफ्रीका और एशिया के विभिन्न देशों में संयुक्त राष्ट्र, यूएनएचसीआर जैसे अंतरराष्ट्रीय और बहु-पक्षीय संगठनों के साथ काम करने वाली लेखापरीक्षा टीमों का नेतृत्व भी किया है ।

उन्होंने मिरांडा हाउस से अपनी स्नातक तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि ग्रहण की है एवं उसके पश्चात सिविल सेवाओं में शामिल हो गईं।

He is a Post Graduate in Science and Technology and a Certified Project Management Practitioner, London (UK). He was holding the position of Chief Technology Officer of Bank of Baroda's Global Operations spanning across 19 countries. He is a seasoned banker with career spanning over 30 years across industries and financial institutions. Of these, for last 25 years he has been associated with Bank of Baroda in various capacities across the country and in the United Kingdom.

With his techno-functional knowledge, he has been contributing in various working groups/committees on product innovation and process refinement. He has also been part of a number of key industry initiatives on Banking Technology. He has been Nominee Director in 6 companies of Bank of Baroda / subsidiaries in India and abroad.

He is analytical, sincere and demonstrates positive approach to the changing requirements.

Shareholding in IOB : Nil

Other Directorships: Nil

4. Ms Annie George Mathew
GoI Nominee Director

Age and Date of Birth: 59 years - 21.10.1963

Qualification: M.Sc.

Date of Appointment: 22.07.2016

Date of expiry of the current term: Until further orders from Government of India

Experience:

Ms. Annie George Mathew is currently working as Special Secretary to Govt. of India in Department of Expenditure, Ministry of Finance. She is the Government Nominee Director in the Board of Indian Overseas Bank since 22.07.2016. She is also Part-time Member in Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) since 12.12.2014.

She belongs to the 1988 batch of Indian Audit and Accounts Service (IA&AS). She has had a wide and varied career within India and outside India. Her earlier postings have taken her across the country to different states like Himachal Pradesh, Orissa, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi, Madhya Pradesh, etc. She has a varied experience in both Accounting and Auditing function of the State and Union Government. In Audit, she has worked in Commercial, Civil, Receipt and Railways Audit. She has also led audit teams working with international and multi-lateral organizations like the United Nations, UNHCR in various countries of Europe, Africa and Asia.

She is a graduate from Miranda House and post graduate from Delhi University and thereafter joined the civil services.

आइओबी में शेयर धारण : शून्य

अन्य निदेशकता : शून्य

5. श्री विवेक अग्रवाल
आरबीआई नामिती निदेशक

आयु एवं जन्मतिथि : 59 वर्ष – 07.08.1963

श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) अर्थशास्त्र; दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए अर्थशास्त्र; एमबीए (बैंकिंग और वित्त); सीएआइआइबी

नियुक्ति की तिथि : 25.02.2022

वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तिथि : अगले आदेश तक

अनुभव :

वर्तमान में श्री विवेक अग्रवाल भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली के क्षेत्रीय निदेशक हैं । इस कार्यभार से पहले, वे क्षेत्रीय निदेशक, मध्य प्रदेश के रूप में कार्यरत थे ।

वे 1989 में सीधी भर्ती प्रक्रिया के द्वारा अधिकारी के रूप में आरबीआई में शामिल हुए और 5 साल तक कानपुर में निर्गम विभाग में तैनात थे। इसके बाद, वे मुंबई में तैनात किये गये, जहां उन्होंने विदेशी निवेश व संचालन विभाग, सीओ में 7 साल तक विदेशी मुद्रा डीलर के रूप में और बाद में पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में काम किया, जिसमें वे देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करने वाली टीम का हिस्सा थे । इसके बाद वे डीजीएम के रूप में आंध्रा बैंक में प्रतिनियुक्ति पर गए, जहाँ उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग के प्रभारी के रूप में आंध्रा बैंक के विदेशी मुद्रा संचालन का नेतृत्व किया ।

वे विदेशी मुद्रा विनिमय विभाग, केंद्रीय कार्यालय, आरबीआई (3 वर्ष), बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, चेन्नै (4 वर्ष) और आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग, सीओ (2 वर्ष) में काम किया है।

जनवरी 2013 से मई 2016 तक, उन्होंने गवर्नर के कार्यकारी सहायक के रूप में काम किया । उन्होंने दो गवर्नरों यथा डॉ. डी. सुब्बाराव और डॉ. रघुराम जी. राजन के साथ काम किया है।

मई 2016 से मार्च 2019 तक, वे सीजीएम, एचआरएमडी, सीओ के रूप में कार्य किये थे ।

उन्होंने ढाई साल तक पंजाब नेशनल बैंक के बोर्ड में आरबीआई नामित निदेशक के रूप में कार्य किया है ।

वे आरबीआई के गोल्डन जुबली स्कॉलर हैं और आर्थिक नीति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार विषय पर एम.एससी की पढ़ाई के लिए बर्मिंघम बिजनेस स्कूल, बर्मिंघम, यूके गए थे ।

आइओबी में शेयर धारण : शून्य

अन्य निदेशकता : शून्य

6. श्री सुरेश कुमार रुंगटा
अंशकालिक गैर कार्यकारी निदेशक

आयु एवं जन्मतिथि : 67 वर्ष 07.07.1956

Shareholding in IOB : Nil

Other Directorships: Nil

5. Shri Vivek Aggarwal
RBI Nominee Director

Age and Date of Birth: 59 years – 07.08.1963

Qualification: BA (Hons) Economics from Shriram College of Commerce, Delhi University; M.A. Economics from Delhi School of Economics, Delhi University; MBA (Banking & Finance); CAIIB

Date of Appointment: 25.02.2022

Date of expiry of the current term: Until further orders

Experience:

Shri Vivek Aggarwal is currently Regional Director for New Delhi, Reserve Bank of India. Before this assignment, he was Regional Director, Madhya Pradesh.

He joined RBI in 1989 as a direct recruit officer and was posted in Issue Department at Kanpur for 5 years. Thereafter, he was posted to Mumbai where he worked in Department of External Investments & Operations, CO for 7 years as Forex Dealer and later as Portfolio Manager wherein he was part of the team managing the country's forex reserves. He then went on deputation to Andhra Bank as DGM and was in-charge of the International Banking Division wherein he headed the Forex Operations of Andhra Bank.

He has worked in Foreign Exchange Department, Central Office, RBI (3 years); Department of Banking Supervision, Chennai (4 years); and in Internal Debt Management Department, CO (2 years).

From January 2013 to May 2016 he worked as Executive Assistant to the Governor. He has worked closely with 2 Governors namely, Dr.D.Subbarao and Dr.Raghuram G.Rajan.

From May 2016 to March 2019 he was CGM, HRMD, CO.

He has served as RBI Nominee Director in the Board of Punjab National Bank for 2 ½ years.

He is a Golden Jubilee Scholar of RBI and went to the Birmingham Business School, Birmingham, UK to study M.Sc. in Economic Policy and International Business.

Shareholding in IOB : Nil

Other Directorships: Nil

6. Shri Suresh Kumar Rungta
Part-Time Non-official Director

Age and Date of Birth: 67 years 07.07.1956

योग्यता : वित्त में एम कॉम डिग्री

नियुक्ति की तिथि : 21.12.2021

वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तिथि : 20.12.2024

अनुभव :

श्री सुरेश कुमार रुंगटा 21 दिसंबर 2021 से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशक के रूप में नामित किये गये । वे बिहार राज्य में कोषाध्यक्ष के रूप में विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिये हैं । वे बिहार वैट की सलाहकार समिति (2005 से) के सदस्य के रूप में भी सक्रिय रूप से भाग लिये हैं । इसके अलावा उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं ।

वे बिहार के आर्थिक, ग्रामीण विकास और कृषि संबंधी मुद्दों पर आज, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर और अन्य प्रमुख हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में नियमित रूप से लिखते हैं ।

आइओबी में शेयरधारण : शून्य

अन्य निदेशकता : स्वदेशी प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड

7. श्री बी. चंद्रा रेड्डी
अंशकालिक गैर कार्यकारी निदेशक

आयु एवं जन्मतिथि : 65 वर्ष – 14.04.1958

योग्यता : एम.कॉम, एफसीए

नियुक्ति की तिथि : 21.12.2021

वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तिथि : 20.12.2024

अनुभव :

श्री बी.चंद्रा रेड्डी को 21 दिसंबर 2021 से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशक के रूप में नामित किया गया है । उनके पास लेखापरीक्षण का व्यापक अनुभव है । वर्ष 2020-2021 के दौरान वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में वैधानिक बैंक लेखापरीक्षक के रूप में कार्यरत थे । इसके अलावा उन्होंने विभिन्न निजी क्षेत्र की कंपनियों में विभिन्न पदों पर भी कार्य किया है ।

आइओबी में शेयरधारण : शून्य

अन्य निदेशकता : शून्य

8. श्री दीपक शर्मा
अंशकालिक गैर कार्यकारी निदेशक

आयु एवं जन्मतिथि : 47 वर्ष – 31.07.1976

योग्यता : बी.कॉम , ईपीजीडीआइबी (आइआइएफटी), एलएलबी, एलएलएम (रियल एस्टेट)

नियुक्ति की तिथि : 21.12.2021

वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तिथि : 20.12.2024

Qualification: M. Com Degree in Finance

Date of Appointment: 21.12.2021

Date of expiry of the current term: 20.12.2024

Experience:

Shri Suresh Kumar Rungta has been nominated as Director of Indian Overseas Bank on 21st December 2021. He has actively participated in various social activities in the State of Bihar as Treasurer. He has also actively participated as member of Advisory Committee of Bihar VAT (since 2005). Further, he has authored Several books.

He has regularly contributed in leading hindi dailies like AAJ, Dainik Jagran, Hindustan, Prabhat Khabar and other on Economic, Rural Development and Agricultural related issues of Bihar.

Shareholding in IOB : Nil

Other Directorships: Swadeshi Plast Pvt Ltd

7. Shri B. Chandra Reddy
Part-Time Non-official Director

Age and Date of Birth: 65 years 14.04.1958

Qualification: M. Com, F.C.A

Date of Appointment: 21.12.2021

Date of expiry of the current term: 20.12.2024

Experience:

Shri B.Chandra Reddy has been Nominated as Director of Indian Overseas Bank on 21st December 2021. He has vast experience in Auditing. Prior to this he was Statutory Bank Auditor in Union Bank of India during 2020-2021. Further he also worked in various capacities in different Private Sector Companies.

Shareholding in IOB : Nil

Other Directorships: Nil

8. Shri Deepak Sharma
Part-Time Non-official Director

Age and Date of Birth: 47 years 31.07.1976

Qualification: B. Com, EPGDIB (IIFT), LLB, LLM (Real Estate)

Date of Appointment: 21.12.2021

Date of expiry of the current term: 20.12.2024

अनुभव :

श्री दीपक शर्मा को 21 दिसंबर 2021 को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। वह अडानी रियल्टी के लिए प्रमुख कानूनी और संपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें रियल एस्टेट उद्योग एक्सपोजर में व्यापक अनुभव है। इसके अलावा उनके पास वित्त, कानूनी और अनुपालन, नेतृत्व कौशल, परियोजना प्रबंधन और संचालन के अद्वितीय संयोजन में प्रासंगिक अनुभव है। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न निजी क्षेत्र की कंपनियों में विभिन्न क्षमताओं में भी काम किया।

आइओबी में शेयरधारण : शून्य

अन्य निदेशकता : शून्य

9. श्री संजया रस्तोगी
शेयरधारक निदेशक

आयु एवं जन्मतिथि : 60 वर्ष 18.01.1963

योग्यता : बीएससी, एमबीए

नियुक्ति की तिथि : 03.12.2022

वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तिथि : 02.12.2025

अनुभव :

श्री संजय रस्तोगी 1987 में एक सीधी भर्ती के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम में एक अधिकारी के रूप में शामिल हुए। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद, उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया।

अपने शानदार लंबे करियर में उन्होंने एलआईसी में मार्केटिंग मैनेजर, मुंबई डीओ । और ॥। के सीनियर डिविजनल मैनेजर के रूप में कई महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। उन्होंने पेंशन और समूह योजना विभाग और एलआईसीएचएफएल में भी कार्य किया है । कार्यकारी निदेशक (एमबीएसी) के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले उन्होंने एलआईसी के उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली में क्षेत्रीय प्रबंधक (विपणन) के रूप में कार्य किया है । वे 31.01.2023 को एलआईसी ऑफ इण्डिया से कार्यकारी निदेशक के रूप में अधिवर्षिता, पर सेवानिवृत्त हुए हैं ।

आइओबी में शेयरधारण : उनके पास हमारे बैंक के 100 शेयर हैं।

अन्य निदेशकता : शून्य

Experience:

Shri Deepak Sharma has been nominated as Director of Indian Overseas Bank on 21st December 2021. He is working as Head Legal & Liaison for Adani Realty. He has vast experience in Real Estate Industry Exposure. Further, he has relevant Experience in Unique Combination of Finance , Legal & Compliance, Leadership Skills, Project Management and Operations. Further, he also worked in various capacities in different Private Sector Companies.

Shareholding in IOB : Nil.

Other Directorships: Nil

9. Shri Sanjaya Rastogi
Shareholder Director

Age and Date of Birth: 60 years 18.01.1963

Qualification: B.Sc., M.B.A

Date of Appointment: 03.12.2022

Date of expiry of the current term: 02.12.2025

Experience:

Shri Sanjaya Rastogi joined Life Insurance Corporation of India as a Direct Recruit Officer in 1987. After Graduation, he did his Masters in Business Administration from Institute of Management Technology.

In his long illustrious career he has handled several important assignments in LIC as Marketing Manager, Sr. Divisional Manager of Mumbai DO I & III. He has worked in Pension & Group Schemes department and LICHFL. Prior to his posting as Executive Director (MBAC) he worked as Regional Manager (Marketing), Northern Zone, Delhi of LIC. He has superannuated on 31.01.2023 as Executive Director of LIC of India

Shareholding in IOB : He holds 100 Shares of our Bank.

Other Directorships: Nil

निदेशकों की गैर – अयोग्यता का प्रमाण – पत्र

(भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीगत बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 की अनुसूची V अनुच्छेद – सी उप-खंड (10)(i) के साथ पढ़े जाने वाले विनियम 34 (3) के अनुक्रम में)

सदस्यगण,
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक,
763, अण्णा सालै,
चेन्नै – 600002.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीगत बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 की अनुसूची V अनुच्छेद – सी उप-खंड (10)(i) के साथ पढ़े जाने वाले विनियम 34 (3) के अनुसरण में इस प्रमाण – पत्र के निर्गमन के उद्देश्य से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, जिसका पंजीकृत कार्यालय 763, अण्णा सालै, चेन्नै – 600002 में स्थित है, (जिसे आगे से "बैंक" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के निदेशकों द्वारा हमें प्रस्तुत सभी संबंधित पंजियों, रिकोर्डों, प्रारूपों और विवरणियों की हमारे द्वारा जांच की गई ।

बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरणों और वांछित परीक्षणों के अनुसार तथा हमारे अभिमत और जानकारी के अनुसार हम एतद्धवारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च 2022 तक बैंक के बोर्ड में शामिल निम्नवत किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने अथवा जारी रहने से न तो वर्जित किया गया है और न ही अयोग्य ठहराया गया है ।

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	बैंक में नियुक्ति की तिथि
1	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	24.07.2020
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017
3	सुश्री एस. श्रीमती	10.03.2021
4	सुश्री ऐनी जार्ज मैथ्यू	22.07.2016
5	श्री विवेक अग्रवाल	25.02.2022
6	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	29.01.2021
7	श्री सुरेश कुमार रूंगटा	21.12.2021
8	श्री बी. चंद्र रेड्डी	21.12.2021
9	श्री दीपक शर्मा	21.12.2021

बोर्ड के किसी भी निदेशक की नियुक्ति / उनकी सेवाओं को जारी रखने संबंधी पात्रता को सुनिश्चित करना बैंक प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है कि अपनी जांच के आधार पर हम उसके बारे में अपना अभिमत व्यक्त करें । यह प्रमाण पत्र ना तो बैंक की भविष्यगत परिहार्यता के प्रति और ना ही बैंक के प्रबंधन द्वारा किए गए कामकाजों की पद्धति की प्रभाविता या दक्षता के प्रति कोई आश्वासन है ।

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 03.06.2022

कृते **एसआर श्रीनिवासन व कंपनी एलएलपी**
कंपनी सचिव

एस. राजेन्द्रन
प्रबंधन साझेदार
एफ़सीएस : 3727 / सीपी नं. : 14055
यूडीआइएन : एफ़003727डी000456102

CERTIFICATE OF NON – DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

Pursuant to Regulation 34 (3) read with Schedule V Para – C Sub clause (10) (i) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

The Members,
INDIAN OVERSEAS BANK,
763, Anna Salai,
Chennai – 600 002

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of INDIAN OVERSEAS BANK having its Registered office at 763, Anna Salai, Chennai – 600 002, (hereinafter referred to as "The Bank") produced before us by the Bank for the purpose of Issuing this certificate, in accordance with Regulation 34 (3) read with Schedule V Part – C Sub clause 10 (i) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank and its officers, we hereby certify that none of the Directors as stated below on the Board of the Bank as on 31st March, 2022 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank by the Securities and Exchange Board of India or any such other statutory authority.

Sr. No.	Name of Director	Date of appointment in Bank
1	Mr. Partha Pratim Sengupta	24.07.2020
2	Mr. Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017
3	Ms. S Srimathy	10.03.2021
4	Ms. Annie George Mathew	22.07.2016
5	Mr. Vivek Aggarwal	25.02.2022
6	Mr. Navin Prakash Sinha	29.01.2021
7	Mr. Suresh Kumar Rungta	21.12.2021
8	Mr. B Chandra Reddy	21.12.2021
9	Mr. Deepak Sharma	21.12.2021

Ensuring the eligibility of, every Director on the Board, for their appointment / continuity is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on the same based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

PLACE : CHENNAI

DATE : 03.06.2022

For **SR.SRINIVASAN & CO. LLP**
COMPANY SECRETARIES

S.Rajendran
Managing Partner
FCS : 3727 | CP.NO:14055
UDIN : F003727D000456102

निदेशकों की गैर – अयोग्यता का प्रमाण – पत्र

(भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीगत बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 की अनुसूची V अनुच्छेद – सी उप-खंड (10) (i) के साथ पढ़े जाने वाले विनियम 34 (3) के अनुक्रम में)

सदस्यगण,
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक,
763, अण्णा सालै,
चेन्नै – 600 002.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीगत बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 की अनुसूची V अनुच्छेद – सी उप-खंड (10)(i) के साथ पढ़े जाने वाले विनियम 34 (3) के अनुसरण में इस प्रमाण – पत्र के निर्गमन के उद्देश्य से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, जिसका पंजीकृत कार्यालय 763, अण्णा सालै, चेन्नै – 600002 में स्थित है, (जिसे आगे से "बैंक" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के निदेशकों द्वारा हमें प्रस्तुत सभी संबंधित पंजियों, रिकोर्डों, प्रारूपों और विवरणियों की हमारे द्वारा जांच की गई ।

बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरणों और वांछित परीक्षणों के अनुसार तथा हमारे अभिमत और जानकारी के अनुसार हम एतद्धवारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च 2023 तक बैंक के बोर्ड में शामिल निम्नवत किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने अथवा जारी रहने से न तो वर्जित किया गया है और न ही अयोग्य ठहराया गया है ।

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	बैंक में नियुक्ति की तिथि
1	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	01.01.2023
2	सुश्री एस. श्रीमती	10.03.2021
3	श्री संजय विनायक मुदालियर	01.01.2023
4	सुश्री ऐनी जार्ज मैथ्यू	22.07.2016
5	श्री विवेक अग्रवाल	25.02.2022
6	श्री सुरेश कुमार रुंगटा	21.12.2021
7	श्री बी. चंद्रा रेड्डी	21.12.2021
8	श्री दीपक शर्मा	21.12.2021
9	श्री संजय रस्तोगी	03.12.2022
10	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता	नोट – 1
11	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	नोट – 1

नोट – 1 : श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुए और श्री नवीन प्रकाश सिन्हा ने 7 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया ।

बोर्ड के किसी भी निदेशक की नियुक्ति / उनकी सेवाओं को जारी रखने संबंधी पात्रता को सुनिश्चित करना बैंक प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है कि अपनी जांच के आधार पर हम उसके बारे में अपना अभिमत व्यक्त करें । यह प्रमाण पत्र ना तो बैंक की भविष्यगत परिहार्यता के प्रति और ना ही बैंक के प्रबंधन द्वारा किए गए कामकाजों की पद्धति की प्रभाविता या दक्षता के प्रति कोई आश्वासन है ।

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 27.05.2023

कृते **एसआर श्रीनिवासन व कंपनी एलएलपी**
कंपनी सचिव

एस. राजेन्द्रन
प्रबंधन साझेदार
एफ़सीएस : 3727 / सीपी नं. : 14055
यूडीआइएन : एफ़003727ई000398220

CERTIFICATE OF NON – DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

Pursuant to Regulation 34 (3) read with Schedule V Para – C Sub clause (10) (i) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

The Members,
INDIAN OVERSEAS BANK,
763, Anna Salai,
Chennai – 600 002.

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of INDIAN OVERSEAS BANK having its Registered office at 763, Anna Salai, Chennai – 600 002, (hereinafter referred to as "The Bank") produced before us by the Bank for the purpose of issuing this certificate, in accordance with Regulation 34 (3) read with Schedule V Part – C Sub clause 10 (i) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank and its officers, we hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2023 has been debarred or disqualified from being appointed or continuing as a director of companies by the Securities and Exchange Board of India or any such other Statutory Authority.

Sr. No.	Name of Director	Date of appointment in Bank
1	Mr. Ajay Kumar Srivastava	01-01-2023
2	Ms. S Srimathy	10-03-2021
3	Mr. Sanjay Vinayak Mudaliar	01-01-2023
4	Ms. Annie George Mathew	22 -07-2016
5	Mr. Vivek Aggarwal	25-02-2022
6	Mr. Suresh Kumar Rungta	21 -12-2021
7	Mr. B Chandra Reddy	21-12-2021
8	Mr. Deepak Sharma	21-12-2021
9	Mr. Sanjaya Rastogi	03-12-2022
10	Mr. Partha Pratim Sengupta	Note - 1
11	Mr. Navin Prakash Sinha	Note - 1

Note - 1: Mr. Partha Pratim Sengupta was superannuated on 31st December 2022 & Mr. Navin Prakash Sinha resigned on 7th October 2022.

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these, based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

PLACE : CHENNAI
DATE : 27.05.2023

For **SR.SRINIVASAN & CO. LLP**
COMPANY SECRETARIES

S.Rajendran
Managing Partner
FCS : 3727 / CP.NO:14055
UDIN : F003727E000398220

कॉरपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन संबंधी लेखा परीक्षकों का प्रमाण –पत्र

सेवा में

सदस्य गण

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

चेन्नै

हमने मार्च 31, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ("बैंक") द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीगत बाध्यताओं और प्रकटीकरण अपेक्षाओं) के विनियम 2015 में निर्धारित किया गया है ।

कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है । हमारी जांच परीक्षण कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी । यह न तो लेखा परीक्षा है न हीं बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत की अभिव्यक्ति है ।

हम प्रमाणित करते है कि बैंक ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीगत बाध्यताओं और प्रकटीकरण अपेक्षाओं) विनियम 2015 के प्रावधानों में निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है ।

साथ ही हम यह भी सूचित करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन की दक्षता या कॉरपोरेट गवर्नेंस की प्रभावात्मकता का जिसके द्वारा कि प्रबंधन ने बैंक के कार्यकलापों को सम्पन्न किया है ।

कृते एस. एन. नंदा व कंपनी सनदी लेखाकार एफ़आरएन 000685एन	**कृते योगनंद व राम एलएलपी** सनदी लेखाकार एफ़आरएन 005157एस/एस200052
पुनीत नंदा साझेदार एम नं. : 092435 यूडीआईएन: 23092435 बीजीएसवीईज़ेड1312	**एन. रवि शंकर** साझेदार एम नं. : 220436 यूडीआईएन: 23220463 बीजीवीवाईएसक्यू7005
कृते एस. एन. कपूर व एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफ़आरएन 001545सी	**कृते नंदी हलदर व गांगुली** सनदी लेखाकार एफ़आरएन 302017ई
सुयश एसएन. कपूर साझेदार एम नं. : 403528 यूडीआईएन: 23403528बीजीडबल्यू यूडीवी2492	**राणा प्रताप नंदी** साझेदार एम नं. : 051027 यूडीआईएन: 23051027 बीएचएडीएनडी1373

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 12.05.2023

AUDITORS CERTIFICATE REGARDING COMPLIANCE OF CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

To
The Members of
Indian Overseas Bank
Chennai

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Indian Overseas Bank ("the bank") for the financial year ended on March 31, 2023, as stipulated in Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent applicable.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

We certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For S N NANDA & CO Chartered Accountants FRN 000685N	**For YOGANANDH & RAM LLP** Chartered Accountants FRN 005157S/S200052
PUNEETT NANDA Partner M No: 092435 UDIN: 23092435BGSVEZ1312	**N. RAVI SHANKAR** Partner M No: 220436 UDIN: 23220463BGVYSQ7005
For S N KAPUR & ASSOCIATES Chartered Accountants FRN 001545C	**For NANDY HALDER & GANGULI** Chartered Accountants FRN 302017E
SUYASH SN. KAPUR Partner M No: 403528 UDIN:23403528BGWUDV2492	**RANA PRATAP NANDY** Partner M No : 051027 UDIN:23051027BHADND1373

Place: Chennai
Date : 12.05.2023

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनियों के नियम संख्या 9 के अनुसार (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014]

सेवा में,
सदस्यगण
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक,
763, अण्णा सालै,
चेन्नै - 600002

हमने **इण्डियन ओवरसीज़ बैंक** (इसके बाद "बैंक" कहा जाता है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और बेहतर कॉर्पोरेट आचरण के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से आयोजित की गई जिसने हमें कॉर्पोरेट आचरणों/ सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने व उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

बैंक की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बही, प्रपत्रों और फाइल किए गए रिटर्नों, बैंक द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों और उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान प्रदान की गई जानकारी पर हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु लेखापरीक्षा अवधि के दौरान और सामान्य तौर पर पर सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और बैंक के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएँ और अनुपालन तंत्र है व इसके बाद बैंक द्वारा की गई रिपोर्टिंग के अधीन:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा रखी गई बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल किए गए रिटर्न एवं अन्य अभिलेखों की जाँच की है:

i. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम – कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (4) (सी) के अनुसार, अधिनियम के प्रावधान बैंकिंग कंपनियों पर लागू होते हैं, सिवाय इसके कि उक्त प्रावधान बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के साथ असंगत हैं।

ii. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अधीन नियम।

iii. निपेक्षागार अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;

iv. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार, यदि कोई हो, की सीमा तक उसके तहत बनाए गए नियम।

v. बैंक पर लागू अन्य सभी प्रासंगिक कानून, जिसकी एक सूची प्रबंधन द्वारा लागू सीमा तक प्रदान की गई है:

नोट: भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी और अधिसूचित सचिवीय मानक केवल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118 के तहत कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियों पर लागू होते हैं और चूंकि बैंक के पास कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) नहीं है और अब एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, इस पर सचिवीय मानक लागू नहीं होते हैं। अत:, हमने उस पर अपनी टिप्पणियों को शामिल नहीं किया है।

SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st MARCH, 2023

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To :
The Members,
INDIAN OVERSEAS BANK
763, Anna Salai,
Chennai - 600 002

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and adherence to good corporate practices by **INDIAN OVERSEAS BANK** (hereinafter called "the Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us with a reasonable basis for evaluating the corporate conducts / statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed, other records maintained by the Bank and the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2023 by and large appears to have complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the books, papers, minutes books, forms filed and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March, 2023, according to the provisions of:

i. The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder- As per Section 1(4)(c) of the Companies Act,2013, the provisions of the Act shall apply to Banking companies, except is so for as the said provisions are inconsistent with the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949).

ii. The Securities Contracts (Regulation) Act,1956 ('SCRA') and the rules made thereunder.

iii The Depositories Act,1996, and the Regulations and Bye-laws framed thereunder.

iv Foreign Exchange Management Act, 1999, and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings, if any.

v. All other relevant laws applicable to the Bank, a list of which has been provided by the management to the extent applicable.

Note : The Secretarial Standards issued and notified by the Institute of Company Secretaries of India is applicable only to Companies registered under the Companies Act as provided under Section 118 of the Companies Act, 2013 and since the Bank does not have a Corporate Identification Number (CIN) and is a Nationalized Bank now, the Secretarial Standards are not applicable to it. Hence, we have not included our observations on the same.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश: -

क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का मुद्दा और सूचीकरण) विनियम, 2021

घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011

ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एक निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कोई व्यवसाय नहीं किया गया जिसके लिए सेबी के निम्नलिखित विनियमों के अनुपालन की आवश्यकता हो:

क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का मुद्दा और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009, 2018 में यथा संशोधित।

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम 2021

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम 2021

घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 2018

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, जो निम्नलिखित विधानों के तहत शासित व समय-समय पर संशोधित होता है:

i. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949

ii. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970

iii. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने आम तौर पर निम्नलिखित के अतिरिक्त उक्त वर्णित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का पालन किया है, जो लागू सीमा तक है:

1. सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17(1) के प्रावधान में है कि शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक होनी चाहिए। हालाँकि, बोर्ड की संरचना में एक स्वतंत्र महिला निदेशक शामिल नहीं है।

2. बैंक के बोर्ड में नौ निदेशक हैं और कार्यपालक निदेशक, अध्यक्ष हैं। सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17(एल)(बी) में कहा गया है कि – जहाँ सूचीबद्ध इकाई में नियमित गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है, वहाँ निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे। हालांकि, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या चार है, जो निदेशक मंडल के आधे से कम है।

The following Regulations and Guidelines prescribed under the **Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-**

a) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

c) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021

d) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011

e) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations,1993 regarding the Companies Act and dealing with client.

During the period under review, no business was transacted which required the compliance of the following SEBI Regulations:

a) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 as amended in 2018.

b) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021.

c) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021

d) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018.

Indian Overseas Bank is a Nationalized Bank, governed under the following legislations, and as amended from time to time:

I. Banking Regulations Act, 1949

II. Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

III. The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970

During the period under review, the Bank has generally complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above to the extent applicable except the following:

1. Proviso to Regulation 17(1) of SEBI (LODR) provides that the Board of Directors of top 1000 listed companies shall have at least one Independent Woman Director. However, the composition of the Board does not include an Independent Woman Director.

2. The Board of the Bank consists of Nine Directors and the Chairperson is an Executive Director. Regulation 17(1)(b) of SEBI (LODR) states that - where the listed entity does not have a regular non-executive chairperson, at least half of the Board of Directors shall comprise of Independent Directors. However, the number of Independent Directors on the Board is four, which is less than half of the Board of Directors.

3. श्री विवेक अग्रवाल को 25.02.2022 को आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसे सेबी एलओडीआर के विनियम 17(1सी) के तहत आवश्यक शेयरधारकों की मंजूरी के साथ किया जाना चाहिए था। बैंक के अनुसार, आरबीआई द्वारा नामांकन के जरिए उनकी नियुक्ति होने की वजह से इस प्रकार की मंजूरी की आवस्यतका नहीं रह गई थी और हम मानते हैं कि यह तर्क कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) के प्रावधानों के अनुरूप है, जहाँ तक नामिती के रूप में संस्थानों द्वारा नियुक्त निदेशक संबंधित हैं और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के खंड 9(3)(सी) के तहत अधिकार प्राप्त हैं।

4. सेबी (एलओडीआर) के विनियम 25(8) में प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक को एक घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है कि वह बोर्ड की पहली बैठक में स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करता है जिसमें वह निदेशक के रूप में भाग लेता है और उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की पहली बैठक में या जब भी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है, जिसमें स्वतंत्र निदेशक के रूप में स्थिति प्रभावित हो सकती है। बैंक ने, घोषणाएँ प्राप्त करने के बाद, उपरोक्त विनियमों के तहत आवश्यक रूप से बोर्ड के समक्ष उसे नहीं रखा है।

5. सेबी (एलओडीआर) के विनियम 25(10) के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं को उनके सभी स्वतंत्र निदेशकों के लिए निदेशकों और अधिकारियों का बीमा ('डी एंड ओ बीमा') करने की आवश्यकता है। ऐसी मात्रा और ऐसे जोखिमों के लिए जो इसके निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। बैंक ने इसका अनुपालन नहीं किया है।

6. बैंक ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) का निम्नानुसार अनुपालन नहीं किया है:

   क) धारा 9(3)(ई) का अनुपालन नहीं किया गया : जिसके लिए बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से एक निदेशक की नियुक्ति की आवश्यकता है जो कामगार हैं।

   ख) धारा 9(3)(एफ) का अनुपालन नहीं किया गया : जिसके लिए बैंक के उन कर्मचारियों में से एक निदेशक की नियुक्ति की आवश्यकता है जो कामगार नहीं हैं।

   ग) धारा 9(3)(जी) का अनुपालन नहीं किया गया है: जिसके लिए एक निदेशक की नियुक्ति की आवश्यकता है जो कम से कम पंद्रह वर्षों के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट रहा हो, जिसे रिजर्व बैंक के परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।

जहाँ तक अन्य कानूनों का संबंध है जो बैंक पर लागू होते हैं, उपलब्ध कराई गई जानकारी और बैंक द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आधार पर और कंपनी सचिव/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ प्रबंध निदेशक/ क्षेत्रीय प्रमुखों की अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा के आधार पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिया जाता है। हमारी राय में बैंक के आकार और संचालन के अनुरूप बैंक में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएँ हैं, जो निम्नलिखित के अतिरिक्त, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करती हैं:

संविदा श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 में ठेकेदार द्वारा विभिन्न अनुपालनों के पालन की आवश्यकता होती है। हालांकि, बैंक ने उन ठेकेदारों में से किसी एक को ठेकेदार के रूप में लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है, जिससे नियत तारीखों के भीतर ईपीएफ और ईएसआई के योगदान के भुगतान में भी चूक हुई है।

3. Shri Vivek Agarwal was appointed as RBI Nominee Director on 25.02.2022 which appointment ought to have been followed up with the approval of shareholders as required under regulation 17(1C) of SEBI LODR. Such an approval, according to the Bank, had become superfluous in view of his appointment being nominated by RBI and which contention, we hold, is analogous to the provisions of Section 161(3) of the Companies Act, 2013 in so far as nominee directors appointed by Institutions are concerned and as empowered under clause 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

4. Regulation 25(8) of SEBI (LODR) requires every Independent Director to submit a declaration that he meets the criteria of independence at the first meeting of the board in which he participates as a director and thereafter at the first meeting of the board in every financial year or whenever there is any change in the circumstances which may affect his status as an Independent Director. The Bank, having obtained the declarations, has not placed the same before the Board as required under the above regulations.

5. Regulation 25(10) of SEBI (LODR) requires the top 1000 listed entities by market capitalization calculated as on March 31 of the preceding financial year to undertake Directors and Officers insurance ('D & O insurance') for all their independent directors of such quantum and for such risks as may be determined by its Board of Directors. The Bank has not complied with the same.

6. The Bank has not complied with Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as follows:

   a. Not complied with Section 9(3)(e): which requires the appointment of one Director, from among such of the employees of the Bank who are workmen.

   b. Not complied with Section 9(3)(f): which requires the appointment of one Director, from among the employees of the Bank who are not workmen.

   c. Not complied with Section 9(3)(g): which requires the appointment of one Director who has been a Chartered Accountant for not less than fifteen years to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank.

In so far as other laws which are applicable to the Bank, based on the information provided and the representation made by the Bank and on the review of the compliance reports of Company Secretary/ Chief Executive Officer/Managing Director/ Regional Heads taken on record by the Board of Directors of the Bank, in our opinion there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines, except the following:

The Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970 requires various compliances to be followed by the contractor. However, the Bank has not obtained license as contractor from one of the contractors who has also defaulted in payment of contributions towards EPF and ESI within the due dates.

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

- उपरोक्त टिप्पणियों के अधीन बैंक के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन बैंकिंग कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन और सेबी (एलओडीआर) के अनुरूप किए गए थे।
- अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार बोर्ड सचिव सभी बोर्ड बैठकों में भाग लेते हैं।
- बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को नोटिस दिया गया है। बैठक से पहले व बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए कार्यसूची मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रणाली मौजूद है। हालांकि कार्यसूची पर विस्तृत नोट अग्रिम रूप से भेजे जा रहे हैं, ऐसी स्थिति भी होती है जब उन्हें यह नोट टुकड़ों में भेजा जाता है जिससे बोर्ड को इसे पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि बैंक में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएँ हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान:

क) बैंक के पास 2011 में अधिग्रहित रु.210.01 करोड़ की गैर-बैंकिंग संपत्ति मरोल, मुंबई में है और जिसको नियमित करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी, भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग) निर्देश 2016' के कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक पर रु.57.50 लाख का जुर्माना लगाया।

ग) मुद्रा तिजोरी और एटीएम के संबंध में दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने रु. 11.68 लाख और रु.5.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

घ) एनएसई ने सेबी एलओडीआर के विनियम 60(2) के गैर-अनुपालन के लिए 10,000/- रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें सूचीबद्ध इकाई को स्टॉक एक्सचेंज को कम से कम सात कार्य दिवसों के पहले रिकॉर्ड तिथि का नोटिस देना आवश्यक है।

ङ) सेबी एलओडीआर के विनियम 57(4) के गैर-अनुपालन के लिए सेबी ने रु. 1000/- का जुर्माना लगाया था, जिसमें सूचीबद्ध इकाई को तिमाही के शुरू होने से पहले पांच कार्य दिवसों के भीतर तिमाही के दौरान देय ब्याज/ लाभांश/ मूल दायित्वों का विवरण प्रदान करना आवश्यक है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, ऑडिट अवधि के दौरान, बैंक ने 24 मार्च 2023 को निजी प्लेसमेंट के माध्यम से 1000 करोड़ प्रति दर से कुल रु.1,00,00,000/- (रुपये एक करोड़ मात्र) के 1000 की संख्या में 9% अरक्षित, गौण, गैर-परिवर्तनीय, सूचीबद्ध, प्रतिदेय, पूरी तरह से भुगतान किए गए, कर योग्य बेसल ।।। अनुपालन टीयर ।। बांड (श्रृंखला V) आबंटित किए हैं।

स्थान : चेन्नै — कृते **एस आर श्रीनिवासन एंड कं. एलएलपी**

दिनांक : 27.05.2023 — कंपनी सचिव

एस. राजेंद्रन
प्रबंध भागीदार
एफसीएस:3727/ सीपी. संख्या 14055
यूडीआईएन : F003727E000398506
पीयर रिव्यू सर्टि नं 1177/2021.

We further report that:

- Subject to the above observations the Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors, and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Banking laws and in consonance with SEBI (LODR).
- The Board Secretary attends all Board meetings as per RBI requirements to ensure compliances are met.
- Adequate notice has been given to all Directors to schedule the Board Meetings. A system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting. Although the detailed notes on agenda are being sent in advance, there are occasions when they are being sent in piece meal not giving sufficient time for the Board to go through the same.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations, and guidelines.

We further report that during the audit period:

a) The Bank holds Non-Banking assets worth Rs. 210.01 Crores at Marol, Mumbai which was acquired in 2011 and the process of regularizing the same is in progress.

b) RBI levied a penalty of Rs. 57.50 Lakhs on the Bank for non-compliance with certain directions issued by RBI on 'Reserve Bank of India (Frauds classification and reporting by commercial Banks and select FIs) directions 2016.'

c) RBI levied penalty of Rs. 11.68 Lakhs and Rs. 5.60 Lakhs for non-compliance of guidelines with respect to Currency Chest and ATMs.

d) NSE levied a penalty of Rs.10,000/- for non-compliance of Regulation 60(2) of SEBI LODR which requires the listed entity to give notice in advance of atleast seven working days to the Stock Exchange of the record date.

e) SEBI had levied a penalty of Rs. 1000/- for non-compliance of Regulation 57(4) of SEBI LODR which requires the listed entity to provide details of interest/dividend/principal obligations payable during the quarter within five working days prior to the beginning of the quarter.

We further report that, during the audit period , the Bank has allotted 9% Unsecured, Subordinated, Non-Convertible, Listed, Redeemable, Fully paid up, Taxable Basel III Compliant Tier II Bonds (Series V) of 1000 nos. of Rs. 1,00,00,000/- (Rupees One Crore only) each aggregating to Rs. 1000 Crores by way of private placement on 24th March 2023.

PLACE : CHENNAI — For **SR.SRINIVASAN & CO. LLP**

DATE : 27.05.2023 — COMPANY SECRETARIES

S. Rajendran
Managing Partner
FCS:3727/CP.No.14055
UDIN:F003727E000398506
Peer Review Cert. No. 1177/2021

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट का अनुबंध 'ए' दिनांक 27 मई 2023

सेवा में,

सदस्यगण
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक,
763, अण्णा सालै, चेन्नै-600 002.

सम दिनांक की हमारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाएगा।

1. सचिवीय अभिलेखों के रखरखाव की जिम्मेदारी बैंक के प्रबंधन की है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन, परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने वित्तीय रिकॉर्ड और बैंक के खातों की बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है, क्योंकि बैंक द्वारा लागू वित्तीय कानूनों जैसे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों और वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की बहियों के रखरखाव के अनुपालन के विषय रहे हैं। वैधानिक वित्तीय लेखा परीक्षा और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा करने के लिए।
4. जहाँ भी आवश्यक था, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच, परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट आंशिक रूप से प्रबंधन द्वारा सॉफ्ट कॉपी में प्रदान किए गए इनपुट के आधार पर आभासी परीक्षा तक सीमित है।
7. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 27.05.2023

कृते **एस आर श्रीनिवासन एंड कं. एलएलपी**
कंपनी सचिव

एस. राजेंद्रन
प्रबंध भागीदार
एफसीएस:3727/ सीपी. संख्या 14055
यूडीआईएन : F003727E000398506
पीयर रिव्यू सर्टि नं 1177/2021.

ANNEXURE 'A' TO SECRETARIAL AUDIT REPORT OF INDIAN OVERSEAS BANK DATED 27th May 2023

To ,
The Members,
INDIAN OVERSEAS BANK,
763, Anna Salai,
Chennai - 600 002.

Our Secretarial Audit Report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial records is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the Bank, since the compliance by the Bank of applicable financial laws such as direct and indirect tax laws and maintenance of financial records and books of accounts have been subject to review by statutory financial audit and other designated professionals.
4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events, etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit Report is partially limited to virtual examination based on inputs provided by the management in soft copies.
7. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

PLACE : CHENNAI
DATE : 27.05.2023

For **SR.SRINIVASAN & CO. LLP**
COMPANY SECRETARIES

S. Rajendran
Managing Partner
FCS:3727/CP.No.14055
UDIN:F003727E000398506
Peer Review Cert. No. 1177/2021

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलन – पत्र

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2023

		अनुसूची SCHEDULES	तक AS AT 31.03.2023	तक AS AT 31.03.2022
				(रु. हजार में **Rs. in 000's**)
पूँजी व देयताएँ	**CAPITAL & LIABILITIES**			
पूँजी	Capital	01	18902 41 23	18902 41 23
आरक्षितियाँ और अधिशेष	Reserves and Surplus	02	6360 53 25	4097 98 46
जमाएँ	Deposits	03	260883 29 05	262158 92 48
उधार	Borrowings	04	20803 77 19	3070 63 66
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	Other Liabilities & Provisions	05	6795 81 65	11147 21 06
कुल	**TOTAL**		**313745 82 37**	**299377 16 89**
आस्तियाँ	**ASSETS**			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और अतिशेष	Cash & Balances with Reserve Bank of India	06	17148 35 62	22748 99 35
बैंकों में अतिशेष और माँग व अल्प सूचना पर प्राप्त धन	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	07	3458 72 71	14024 19 93
निवेश	Investments	08	94170 41 04	98179 31 28
अग्रिम	Advances	09	178052 57 37	144243 52 45
स्थिर आस्तियाँ	Fixed Assets	10	3709 97 69	3364 89 66
अन्य आस्तियाँ	Other Assets	11	17205 77 94	16816 24 22
कुल	**TOTAL**		**313745 82 37**	**299377 16 89**
आकस्मिक देयताएँ	Contingent Liabilities	12	196131 44 96	97998 90 15
वसूली के लिए बिल	Bills for Collection		19547 85 75	17216 22 01
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	Significant Accounting Policies	17		
लेखाओं पर टिप्पणियाँ	Notes on Accounts	18		

अनुसूचियाँ तुलन – पत्र का अंग हैं — Schedules Form Part of the Balance Sheet

बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से — **FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD**

अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

AJAY KUMAR SRIVASTAVA
Managing Director & CEO

एस श्रीमती
कार्यपालक निदेशक

S SRIMATHY
Executive Director

संजय विनायक मुदालियर
कार्यपालक निदेशक

SANJAY VINAYAK MUDALIAR
Executive Director

ऐनी जॉर्ज मैथ्यू
ANNIE GEORGE MATHEW

विवेक अग्रवाल
VIVEK AGGARWAL

सुरेश कुमार रुंगटा
SURESH KUMAR RUNGTA

संजया रस्तोगी
SANJAYA RASTOGI

बी चंद्रा रेड्डी
B CHANDRA REDDY

दीपक शर्मा
DEEPAK SHARMA

निदेशक गण DIRECTORS

स्थान Place : चेन्नै Chennai
दिनांक Date : 12.05.2023

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाता
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2023

		अनुसूची SCHEDULES	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2023	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2022
			(रु. हजार में Rs. in 000's)	
आय	**INCOME**			
अर्जित ब्याज	Interest earned	13	19400 32 62	16729 86 62
अन्य आय	Other income	14	4108 74 82	4903 01 99
योग	**TOTAL**		**23509 07 44**	**21632 88 61**
व्यय	**EXPENDITURE**			
व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	11145 44 45	10418 72 85
परिचालनगत व्यय	Operating expenses	16	6421 46 32	5451 24 36
प्रावधान और आकस्मिकताएँ (निवल)	Provisions & Contingencies (Net)		3843 38 07	4053 37 13
योग	**TOTAL**		**21410 28 84**	**19923 34 34**
लाभ / हानि (-)	PROFIT / LOSS (-)			
वर्ष के लिए निवल लाभ / हानि (-)	Net Profit / Loss (-) for the year		2098 78 60	1709 54 26
अग्रणित लाभ / हानि (-)	Profit /Loss (-) brought forward		(17999 28 75)	(18813 86 23)
योग	**TOTAL**		**(15900 50 15)**	**(17104 31 97)**
विनियोजन	**APPROPRIATIONS**			
राजस्व आरक्षिति में अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		524 69 65	493 20 56
राजस्व और अन्य आरक्षितियों में अंतरण	Transfer to Revenue and Other Reserves			
पूंजी आरक्षितियों में अंतरण	Transfer to Capital Reserve		23 50 06	111 76 22
निवेश उतार - चढ़ाव आरक्षिति से अंतरण	Transfer to Invest. Fluctuation Reserve		0	290 00 00
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	Proposed Dividend (including Dividend Tax)		0	0
तुलन – पत्र में अग्रेषित शेष राशि	Balance carried over to Balance Sheet		(16448 69 86)	(17999 28 75)
योग	**TOTAL**		**(15900 50 15)**	**(17104 31 97)**
मूल एवं घटाए गए शेयर अर्जन (रु.)	Basic & Diluted Earnings per share (Rs.)		1.15	0.92
प्रति इक्विटी शेयर का सांकेतिक मूल्य (रु.)	Nominal Value per Equity Share (Rs.)		10.00	10.00

अनुसूचियाँ लाभ व हानि खाता का अभिन्न अंग है । Schedules Form Part of the Profit & Loss Account

संबंधित तिथि की हमारी रिपोर्ट के जरिए **VIDE OUR REPORT OF EVEN DATE**

एस.एन नंदा व कंपनी एफआरएन 000685एन	**S.N NANDA & CO** FRN 000685N	**योगनंद व राम एलएलपी** एफआरएन 005157एस/एस200052	**YOGANANDH & RAM LLP** FRN 005157S/S200052
पुनीत नंदा साझेदार एम नं. 092435	**PUNEETT NANDA** Partner M.No. 092435	**एन रविशंकर** साझेदार एम नं 220436	**N RAVISHANKAR** Partner M.No. 220436
एस एन कपूर व एसोसियेट्स एफआरएन 001545सी	**SN KAPUR & ASSOCIATES** FRN 001545C	**नंदी हलदर व गांगुली** एफआरएन 302017ई	**NANDY HALDER & GANGULI** FRN302017E
सुयश एसएन. कपूर साझेदार एम नं 403528	**SUYASH SN. KAPUR** Partner M.No. 403528	**राणा प्रताप नंदी** साझेदार एम नं 51027	**RANA PRATAP NANDY** Partner M.No.51027

सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS

स्थान Place : चेन्नै Chennai
दिनांक Date : 12.05.2023

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक INDIAN OVERSEAS BANK			
31 मार्च 2023 समाप्त वर्ष के लिए स्टैण्ड अलोन नकदी प्रवाह की विवरणी **Standalone Cash Flow Statement for the Year ended March 31, 2023**			
		रु में Rs. in '000s	
		समाप्त वर्ष Year ended	
		31.03.2023	**31.03.2022**
परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
कर के बाद निवल लाभ /(हानि)	**Net Profit / (Loss) After Tax**	**20 98 78 61**	**17 09 54 25**
जोडें:आयकर प्रावधान	Add: Provision for Income Tax	2 49 45 56	69 51 72
कर के पहले निवल लाभ /(हानि)	**Net Profit / (Loss) before Tax**	**23 48 24 17**	**17 79 05 97**
समायोजन हेतु	**Adjustments for :**		
एचटीएम निवेशों के लिए परिशोधन	Amortization of HTM Investments	48 32 25	32 84 25
निवेशों के पूनर्मूल्यांकन से हुई हानि	Loss on Revaluation of Investments	3 14 03 46	1 91 52 27
स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on Fixed Assets	2 59 88 98	1 72 18 61
आस्तियों की बिक्री पर (लाभ) / हानि	(Profit) / Loss on Sale of Assets	(1 58 38)	(1 20 05)
आरक्षितियों से अंतरण	Transfer from Reserves	(4 19 14)	(4 01 20)
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for NPAs	29 32 97 61	34 70 16 92
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	(4 62 44 67)	1 87 66 50
निवेशों पर मूल्य ह्रास (निवल)	Depreciation on Investments (net)	3 43 49 00	2 54 01 18
अन्य मदों के लिए प्रावधान	Provision for Other Items	8 67 99 15	1 36 98 58
आइओबी बाण्ड पर ब्याज	Interest on IOB Bonds	1 83 40 80	1 54 64 98
		44 81 89 06	**45 94 82 04**
निम्नवत के लिए समायोजन	**Adjustments for :**		
जमाओं में वृद्धि / (कमी)	Increase / (Decrease) in Deposits	**(12 75 63 43)**	218 70 62 92
उधारियों में वृद्धि /(कमी)	Increase / (Decrease) in Borrowings	175 33 13 53	(12 65 93 99)
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि /(कमी)	Increase / (Decrease) in Other Liabilities & Provisions	(53 76 00 83)	15 29 20 52
निवेशों में (वृद्धि) /कमी	(Increase) / Decrease in Investments	33 03 05 53	(31 63 46 61)
अग्रिमों में (वृद्धि) /कमी	(Increase) / Decrease in Advances	(367 42 02 52)	(199 93 04 11)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(Increase) / Decrease in Other Assets	7 49 38 96	9 62 69 24
		(218 08 08 76)	**(59 92 03)**
प्रत्यक्ष कर (निवल)	Direct Taxes (Net)	(6 41 41 91)	(7 48 09 12)
परिचालनगत गतिविधियों से सृजित निवल नकदी प्रवाह (क)	**NET CASH FLOW GENERATED FROM / (USED IN) OPERATING ACTIVITIES(A)**	**(156 19 37 44)**	**55 65 86 87**
निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
स्थिर आस्तियों की बिक्री / निपटान	Sale / disposal of Fixed Assets	22 72 02	6 88 72
स्थिर आस्तियों की खरीद	Purchase of Fixed Assets	(5 82 20 43)	(54 86 15)
निवेश संबंधी गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (ख)	**NET CASH GENERATED FROM/(USED IN) INVESTING ACTIVITIES (B)**	**(5 59 48 40)**	**(47 97 43)**
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
ईक्विटी शेयर निर्गम से धनागम (शेयर प्रीमियम को मिलाकर)	Proceeds of Equity Share Issue (including Share premium)	0	0
टीयर 1 एवं टीयर 2 बाँडों का मोचन (निवल)	Redemption of Tier I & Tier II Bonds (Net)	0	0
बेसल 3 टीयर 2 बॉंड का निर्गम	Issue of Basel III Tier II Bonds	2 00 00 00	6 65 00 00
टीयर 2 पूँजी पर प्रदत्त ब्याज	Interest Paid on Tier II Capital	(1 87 25 11)	(1 86 03 85)
बेमियादी (एटी1) बाँडों पर प्रदत्त ब्याज	Interest paid on perpetual (AT1) bonds	0	0
भारत सरकार से प्राप्त शेयर आवेदन राशि	Share Application Money received from GOI	0	0

वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी	**NET CASH GENERATED FROM/(USED IN) FROM FINANCING ACTIVITIES (C)**	**12 74 89**	**4 78 96 15**
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख +ग)	**NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A) +(B) + (C)**	**(161 66 10 95)**	**59 96 85 59**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी समतुल्य	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
भा.रि.बैं के साथ नकद व शेष	Cash & Balances with RBI	227 48 99 35	121 88 25 40
बैंकों के साथ शेष और माँग-द्रव्य	Balances with Banks & Money at Call	140 24 19 93	185 88 08 30
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समतुल्य	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**		
नकद व भा.रि.बैं के साथ शेष	Cash & Balances with RBI	171 48 35 62	167 05 99 35
बैंकों के साथ शेष और माँग-द्रव्य	Balances with Banks & Money at Call	34 58 72 71	200 67 19 93
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि /कमीं	**NET INCREASE / DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS**	**(161 66 10 95)**	**59 96 85 58**

ये विवरण अप्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं।

*वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से तारतम्यता हेतु पिछले वर्ष के आंकड़ों का आवश्यकता अनुसार पुन: समूहन किया गया है।

This Statement has been prepared in accordance with Indirect Method.

*The previous year figures have been regrouped wherever necessary to conform with the current year presentation and as per regulatory requirements.

बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से | **FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD**

अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

AJAY KUMAR SRIVASTAVA
Managing Director & CEO

एस श्रीमती
कार्यपालक निदेशक

S SRIMATHY
Executive Director

संजय विनायक मुदालियर
कार्यपालक निदेशक

SANJAY VINAYAK MUDALIAR
Executive Director

ऐनी जॉर्ज मैथ्यू
ANNIE GEORGE MATHEW

विवेक अग्रवाल
VIVEK AGGARWAL

सुरेश कुमार रुंगटा
SURESH KUMAR RUNGTA

संजया रस्तोगी
SANJAYA RASTOGI

बी चंद्रा रेड्डी
B CHANDRA REDDY

दीपक शर्मा
DEEPAK SHARMA

निदेशक गण DIRECTORS

स्थान Place : चेन्नै Chennai
दिनांक Date : 12.05.2023

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के जरिए | Vide our Report of Even Date

एस.एन नंदा व कंपनी
एफआरएन 000685एन

S.N NANDA & CO
FRN 000685N

योगनंद व राम एलएलपी
एफआरएन
005157एस/एस200052

YOGANANDH & RAM LLP
FRN 005157S/S200052

पुनीत नंदा
साझेदार एम नं. 092435

PUNEETT NANDA
Partner M.No. 092435

एन रविशंकर
साझेदार एम नं 220436

N RAVISHANKAR
Partner M.No. 220436

एस एन कपूर व एसोसियेट्स
एफआरएन 001545सी

SN KAPUR & ASSOCIATES
FRN 001545C

नंदी हलदर व गांगुली
एफआरएन
302017ई

NANDY HALDER & GANGULI
FRN302017E

सुयश एसएन. कपूर
साझेदार एम नं 403528

SUYASH SN. KAPUR
Partner M.No. 403528

राणा प्रताप नंदी
साझेदार एम नं 51027

RANA PRATAP NANDY
Partner M.No.51027

सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS

अनुसूची - 1 पूंजी	SCHEDULE - 1 CAPITAL	तक AS AT 31.03.2023	तक AS AT 31.03.2022
		(रु.हजार में) (Rs. in 000's)	
प्राधिकृत पूंजी	**AUTHORISED CAPITAL**		
प्रत्येक रु.10/- के 2500,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष -प्रत्येक रु.10/- के 2500,00,00,000 इक्विटी शेयर)	2500,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each (Previous year-2500,00,00,000 Equity shares of Rs. 10/- each)	**25000 00 00**	**25000 00 00**
निर्गमित , अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी	**ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP CAPITAL**		
प्रत्येक रु.10/- के 1890 24 12 256 ईक्विटी शेयर (इसमें भारत सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु.10/- के 1821 83 26 570 इक्विटी शेयर शामिल हैं)	1890 24 12 256 Equity Shares of Rs.10/- each. (Includes 1821 83 26 570 Equity Shares of Rs.10/- each held by Government of India)	**18902 41 23**	**18902 41 23**

अनुसूची - 2 आरक्षतियाँ व अधिशेष	SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS	तक AS AT 31.03.2023	तक AS AT 31.03.2022
		(रु.हजार में) (Rs. in 000's)	
II. सांविधिक आरक्षितियाँ	**I. STATUTORY RESERVE**		
अथ शेष	Opening balance	3562 03 19	2926 77 62
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	524 69 65	635 25 56
घटाएँ : कटौतियाँ	Less: Deductions	0	0
योग – I	**TOTAL -I**	**4086 72 84**	**3562 03 19**
III. पूंजी आरक्षिति	**II. CAPITAL RESERVE**		
अ. पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	**A.** Revaluation Reserve		
अथ शेष	Opening Balance	2749 56 13	2220 45 88
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	43 90 22	569 12 83
घटाएँ : कटौतियाँ/ मूल्य ह्रास	Less: Deductions / Depreciation	40 30 99	40 02 58
योग – अ	**TOTAL - A**	**2753 15 36**	**2749 56 13**
आ. आस्तियों की बिक्री पर	**B.** On Sale of Assets		
अथ शेष	Opening Balance	2133 94 51	2164 23 30
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	23 50 06	111 76 22
घटाएँ : कटौतियाँ	Less: Deduction	0	142 05 00
योग- आ	**TOTAL - B**	**2157 44 57**	**2133 94 51**
इ. अन्य	**C.** Others		
अथ शेष	Opening Balance	153 12 62	153 09 32
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	9 45	3 30
घटाएँ : कटौतियाँ	Less: Deduction	0	0
योग -इ	**TOTAL - C**	**153 22 07**	**153 12 62**
योग - II (अ,आ,इ)	**TOTAL - II (A,B,C)**	**5063 82 00**	**5036 63 26**
III. शेयर प्रीमियम	**III. SHARE PREMIUM**		
अथ शेष	Opening balance	8557 90 11	6923 32 50
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	0	1634 57 61
घटाएँ : कटौतियाँ	Less: Deductions	0	0
योग -III	**TOTAL -III**	**8557 90 11**	**8557 90 11**

IV. राजस्व व अन्य आरक्षिति	**IV. REVENUE & OTHER RESERVES**		
अ. अन्य राजस्व आरक्षिति	**A. Other Revenue Reserves**		
अथ शेष	Opening Balance	3611 09 12	3575 11 03
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	36 02 40	35 98 08
घटाएँ : कटौतियाँ	Less: Deduction	0	0
योग – अ	**TOTAL - A**	**3647 11 52**	**3611 09 12**
आ. निवेश आरक्षिती खाता	**B. Investment Reserve Account**		
अथ शेष	Opening Balance	97 95 58	97 95 58
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	0	0
घटाएँ : कटौतियाँ	Less: Deductions	0	0
योग - आ	**TOTAL - B**	**97 95 58**	**97 95 58**
इ. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिती	**C. Foreign Currency Translation Reserve**		
अथ शेष	Opening balance	841 65 96	1160 73 24
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	126 64 35	34 22 96
घटाएँ : कटौतियाँ	Less: Deduction	2 59 25	353 30 24
योग – इ	**TOTAL - C**	**965 71 07**	**841 65 96**
ई. निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व खाता	**D. Investment Fluctuation Reserve Account**		
अथ शेष	Opening balance	390 00 00	100 00 00
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	0	290 00 00
घटाएँ : कटौतियाँ	Less : Deductions	0	0
योग – ई	**TOTAL - D**	**390 00 00**	**390 00 00**
कुल - IV (अ,आ,इ,ई)	**TOTAL - IV (A,B,C,D)**	**5100 78 16**	**4940 70 65**
V. लाभ व हानि खाते	**V. PROFIT AND LOSS ACCOUNT**	**(16448 69 85)**	**(17999 28 75)**
योग (I, II , III, IV एवं V)	**TOTAL (I, II , III, IV & V)**	**6360 53 25**	**4097 98 46**

अनुसूची - 3 **SCHEDULE - 3**

जमाएँ	**DEPOSITS**	**तक AS AT 31.03.2023**	**तक AS AT 31.03.2022**
		(रु.हजार में) (Rs. in 000's)	
अ. I. मांग जमाएँ	**A. I. DEMAND DEPOSITS**		
i) बैंकों से	i) From Banks	8 12 73	11 49 29
ii) अन्यों से	ii) From Others	16662 13 19	17364 34 39
योग - I	**TOTAL - I**	**16670 25 92**	**17375 83 68**
II. बचत बैंक जमाएँ	**II. SAVINGS BANK DEPOSITS**	**97442 54 56**	**96500 83 40**
III. मियादी जमाएँ	**III. TERM DEPOSITS**		
i) बैंकों से	i) From Banks	570 93 19	544 96 77
ii) अन्यों से	ii) From Others	146199 55 38	147737 28 64
योग - III	**TOTAL - III**	**146770 48 57**	**148282 25 40**
योग – अ (I,II एवं III)	**TOTAL - A (I,II & III)**	**260883 29 05**	**262158 92 48**
आ. I) भारत की शाखाओं में जमाएँ	**B. I) Deposits of branches in India**	254324 09 53	256889 88 19
II) भारत के बाहर की शाखाओं में जमाएँ	**II) Deposits of branches outside India**	6559 19 52	5269 04 29
कुल - आ	**TOTAL - B**	**260883 29 05**	**262158 92 48**

अनुसूची - 4	SCHEDULE - 4		
लिए गए उधार	BORROWINGS	तक AS AT 31.03.2023	तक AS AT 31.03.2022
		(रु.हजार में) (Rs. in 000's)	
I. भारत में लिए गए उधार	**I. BORROWINGS IN INDIA**		
भारतीय रिज़र्व बैंक	Reserve Bank of India	0	0
अन्य बैंके	Other Banks	0	0
अन्य संस्थाएँ और अभिकरण	Other Institutions & Agencies	15428 82 35	184 00 00
नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	0	0
बॉन्ड के तौर पर जारी हाइब्रिड कर्ज पूंजी लिखत	Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	0	0
अधीनस्थ कर्ज	Subordinated Debt	2465 00 00	2265 00 00
योग (I)	**TOTAL (I)**	**17893 82 35**	**2449 00 00**
II. भारत के बाहर से लिए गए उधार	**II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA**	**2909 94 83**	**621 63 66**
योग (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**20803 77 19**	**3070 63 66**
III. ऊपर I एवं II में सम्मिलित प्रतिभूति उधार	**III. Secured borrowings included in I & II above**	**15428 82 35**	**184 00 00**

अनुसूची – 5	SCHEDULE - 5		
अन्य देयताएँ व प्रावधान	OTHER LIABILITIES & PROVISIONS	तक AS AT 31.03.2023	तक AS AT 31.03.2022
		(रु.हजार में) (Rs. in 000's)	
I. देय बिल	I. Bills Payable	818 79 34	700 76 90
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter Office Adjustments (Net)	0	3555 93 65
III. उपचित ब्याज	III. Interest Accrued	162 44 02	41 43 74
IV. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	IV. Others (including provisions)	5814 58 29	6849 06 77
	TOTAL	**6795 81 65**	**11147 21 06**

अनुसूची - 6	SCHEDULE - 6		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी व शेष	CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	तक AS AT 31.03.2023	तक AS AT 31.03.2022
		(रु.हजार में) (Rs. in 000's)	
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा व एटीएम नकद सम्मिलित है)	I. Cash on hand (including Foreign currency notes)	1124 68 01	1153 89 98
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष	II. Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खाते में शेष	i) in Current Account	12222 84 82	13355 89 50
ii) अन्य खातों में शेष	ii) in Other Accounts	3800 82 79	8239 19 86
योग	**TOTAL**	**17148 35 62**	**22748 99 35**

अनुसूची - 7 SCHEDULE - 7

बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	तक AS AT 31.03.2023	तक AS AT 31.03.2022
		(रु.हजार में) (Rs. in 000's)	
I. भारत में	I. In India		
i) बैंकों में शेष	i) Balances with banks		
अ) चालू खातों में	a) In Current Accounts	15 11 42	14 57 45
आ) अन्य जमा खातों में	b) In Other Deposit Accounts	1060 05 50	387 42 48
ii) मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	ii) Money at Call and Short Notice		
अ) बैंकों के साथ	a) With banks	0	0
आ) अन्य संस्थाओं के साथ	b) With other institutions	0	0
योग - I	**TOTAL - I**	**1075 16 92**	**401 99 93**
II. भारत के बाहर	II. Outside India		
अ) चालू खातों में	a) In Current Accounts	473 61 34	2504 72 15
आ) अन्य जमा खातों में	b) In Other Deposit Accounts	1732 15 95	10957 87 85
इ) मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	c) Money at Call and Short Notice	177 78 50	159 60 00
योग - II	**TOTAL - II**	**2383 55 79**	**13622 20 00**
योग (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**3458 72 71**	**14024 19 93**

अनुसूची - 8 निवेश SCHEDULE - 8 INVESTMENTS

अनुसूची - 8 निवेश	SCHEDULE - 8 INVESTMENTS	तक AS AT 31.03.2023	तक AS AT 31.03.2022
		(रु.हजार में) (Rs. in 000's)	
I. भारत में निवेश	**I. INVESTMENTS IN INDIA**		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	i) Government Securities	86603 00 74	88308 63 94
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	ii) Other Approved Securities	98 95	98 95
iii) शेयर	iii) Shares	1135 28 89	1372 18 12
iv) डिबेंचर और बॉण्ड पत्र	iv) Debentures and Bonds	2214 23 50	3106 12 70
v) अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम	v) Subsidiaries/ Joint Ventures	0	0
vi) अन्य निवेश	vi) Other Investments	88 83 28	1203 84 53
(म्यूचुअल फंड, जमाओं की वेंचर पूंजी फंड जमा प्रमाण-पत्र)	(Investments in Mutual Funds, Venture Capital Funds Certificate of Deposits and CP)		
योग- I	**TOTAL - I**	**90042 35 36**	**93991 78 24**
II. भारत के बाहर के निवेश	**II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA**		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों समेत)	i) Government Securities (including Local Authorities)	3710 18 36	3634 96 94
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	ii) Other Approved Securities	0	0
iii) शेयर	iii) Shares	45 85 91	42 28 93
iv) डिबेंचर और बॉण्ड	iv) Debentures and Bonds	178 57 21	316 82 98
v) अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम	v) Subsidiaries/ Joint Ventures	193 44 19	193 44 19
vi) अन्य निवेश	vi) Other Investments	0	0
योग – II	**TOTAL - II**	**4128 05 68**	**4187 53 04**
योग (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**94170 41 04**	**98179 31 28**

भारत में सकल निवेश	**Gross Investments in India**	92133 61 92	96408 63 05
घटाएँ : मूल्यह्रास	Less: Depreciation	2091 26 56	2416 84 81
घटाएँ: पुनर्संरचित निवेशों पर ब्याज	Less: Interest on Restructured Investments	0	0
निवल विनिधान	**Net Investments**	**90042 35 36**	**93991 78 24**
भारत के बाहर सकल निवेश	**Gross Investments Outside India**	4137 76 01	4206 90 67
घटाएँ : मूल्यह्रास	Less: Depreciation	9 70 33	19 37 63
निवल निवेश	**Net Investments**	**4128 05 68**	**4187 53 04**
कुल निवल निवेश	**Total Net Investments**	**94170 41 04**	**98179 31 28**

अनुसूची - 9 SCHEDULE - 9

अग्रिम	**ADVANCES**	**तक AS AT 31.03.2023**	**तक AS AT 31.03.2022**
		(रु.हजार में) (Rs. in 000's)	
अ. i) क्रय व डिस्काउंट किए गए बिल	A. i) Bills Purchased & Discounted	4566 85 34	2902 69 97
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय उधार	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	77358 12 71	44600 77 20
iii) सावधि उधार	iii) Term Loans	96127 59 31	96740 05 28
योग	**TOTAL**	**178052 57 36**	**144243 52 45**
आ. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूति (बहीगत ऋणों के प्रति अग्रिमों सहित)	B. i) Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts)	135655 23 42	116825 49 19
ii) बैंक/ सरकारी जमानतों द्वारा संरक्षित	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	11604 08 55	6852 60 01
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	30793 25 39	20565 43 25
योग	**TOTAL**	**178052 57 36**	**144243 52 45**
इ. I) भारत में अग्रिम	C. I) Advances in India		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	i) Priority Sector	91803 94 00	82051 69 47
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	24710 67 89	8971 66 67
iii) बैंक	iii) Banks	0	0
iv) अन्य	iv) Others	47319 44 89	41693 29 21
योग	**TOTAL**	**163834 06 79**	**132716 65 35**
II) भारत के बाहर अग्रिम	II) Advances Outside India		
i) बैंकों से बकाया	i) Due from Banks	0	0
ii) अन्यों से बकाया	ii) Due from Others		
a) क्रय व डिस्काउंट किए गए बिल	a) Bills Purchased & Discounted	6623 36 77	5762 40 66
b) संघबद्ध उधार	b) Syndicated Loans	2530 49 57	1743 43 04
c) अन्य	c) Others	5064 64 25	4021 03 40
योग	**TOTAL**	**14218 50 59**	**11526 87 10**
योग (इ-I एवं इ-II)	**TOTAL (C-I & C-II)**	**178052 57 37**	**144243 52 45**

अनुसूची - 10 स्थिर आस्तियाँ	SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS	तक AS AT 31.03.2023	तक AS AT 31.03.2022
		(रु.हजार में) (Rs. in 000's)	
I. परिसर	**I. Premises**		
वर्ष के आरंभ में / पुनर्मूल्यांकित लागत पर	At cost / revalued as at beginning of the FY	4491 30 77	3973 49 58
वर्ष के दौरान परिवर्धन *	Additions during the year *	80 65 22	517 82 24
उप योग	SUB TOTAL	4571 95 99	4491 31 82
वर्ष के दौरान कटौतियाँ *	Deductions during the year *	0	105
		4571 95 99	4491 30 77
अद्यतन मूल्यह्रास	Depreciation to date	1325 92 48	1262 20 25
कुल -I	**TOTAL -I**	**3246 03 51**	**3229 10 53**
II. पूँजीगत चालू कार्य	**II. Capital work in progress**	8 79	11 11
कुल - II	**TOTAL - II**	**8 79**	**11 11**
III. अन्य स्थिर आस्तियाँ (इसमें फर्निचर और जुड़नार शामिल हैं)	**III. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)**		
वित्त वर्ष के आरंभ में लागत	At cost as at beginning of the FY	2202 47 91	2113 53 42
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	542 31 60	109 52 81
उप योग	SUB TOTAL	2744 79 50	2223 06 23
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	Deductions during the year	41 55 63	20 58 32
		2703 23 88	2202 47 91
अद्यतन मूल्यह्रास	Depreciation to date	2239 38 49	2066 79 89
कुल - III	**TOTAL - III**	**463 85 39**	**135 68 02**
योग (I, II व III)	**Total (I, II & III)**	**3709 97 69**	**3364 89 66**

* 31.03.2023 को विनिमय दर पर विदेशी शाखाओं से संबंधित बदलाव पर समायोजन शामिल हैं।

* Includes adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange at 31.03.2023

अनुसूची - 11 अन्य आस्तियाँ	SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS	तक AS AT 31.03.2023	तक AS AT 31.03.2022
		(रु.हजार में) (Rs. in 000's)	
i) अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	i) Inter Office Adjustments (Net)	746 96 34	0
ii) प्रदत्त ब्याज	ii) Interest Accrued	3620 47 19	3092 78 58
iii) अग्रिम रूप से प्रदत्त कर (प्रावधानों का निवल)	iii) Tax paid in advance (Net of Provisions)	4522 59 89	4130 63 54
iv) लेखन – सामग्री व स्टैम्प	iv) Stationery & Stamps	3 94 07	3 43 65
v) दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियाँ	v) Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	210 01 51	210 01 51
vi) अन्य (नाबार्ड के पास रखी जमाओं को शामिल करें)	vi) Others (Include Deposits placed with NABARD)	8101 78 94	9379 36 94
कुल	**TOTAL**	**17205 77 94**	**16816 24 22**

अनुसूची - 12 आकस्मिक दायित्व	SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES	तक AS AT 31.03.2023	तक AS AT 31.03.2022
		(रु.हजार में) (Rs. in 000's)	
i) बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	i) Claims against the Bank not acknowledged as debts	4 79 19	4 15 85
ii) अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता	ii) Liability for partly paid investments	11 60	11 60
iii) बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	iii) Liability on account of outstanding forward exchange contracts	165634 95 19	68771 74 82
iv) ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ	iv) Guarantees given on behalf of constituents		
क) भारत में	a) In India	11746 40 32	12704 85 48
ख) भारत के बाहर	b) Outside India	371 76 19	414 52 80
v) सकार , पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ	v) Acceptances, Endorsements &Other obligations	5530 28 60	5818 66 41
vi) अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	vi) Other items for which the bank is contingently liable		
क) पूँजीगत खातों पर निष्पादित शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	a) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts	52 46 12	46 81 79
ख) करेंसी स्वैप के तहत बैंक देयताएँ	b) Banks liability under currency swaps	0	1093 13 00
ग) ब्याज दर स्वैप (यूएसडी)	c) Interest rate swaps (USD)	0	0
घ) ब्याज दर स्वैप (आइएनआर)	d) Interest rate swaps (INR)	0	0
ङ) मुद्रा विकल्पों के तहत बैंक देयता	e) Bank's Liability under Currency Options	0	0
च) क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप / एफआरए / प्राप्य प्रभार	f) Credit Default Swaps/FRAs/Receivable charges	0	0
छ) भारिबै के साथ डीईएएफ में राशि	g) Amount in DEAF with RBI	1822 20 80	1595 20 53
ज) आईटी मांग विवादित	h) Disputed IT demands	10968 40 67	7549 61 57
झ) अन्य	i) Others	6 29	6 29
कुल	**TOTAL**	**196131 44 96**	**97998 90 15**

अनुसूची - 13 अर्जित ब्याज	SCHEDULE - 13 INTEREST EARNED	को समाप्त वर्ष **Year Ended 31.03.2023**	को समाप्त वर्ष **Year Ended 31.03.2022**
		(रु.हजार में) (Rs. in 000's)	
i) ब्याज/ अग्रिम बट्टा/ बिल	i) Interest / discount on advances / bills	13150 68 73	10665 16 79
ii) निवेशों पर आय	ii) Income on investments	5848 62 93	5674 58 52
iii) भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	iii) Interest on Balances with Reserve Bank of India and Other Inter-Bank Funds	401 00 96	230 49 38
iv) अन्य	iv) Others	0	159 61 93
कुल	**TOTAL**	**19400 32 62**	**16729 86 62**

		को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2023	को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2022
अनुसूची - 14 अन्य आय	**SCHEDULE - 14 OTHER INCOME**	(रु.हजार में) (Rs. in 000's)	
i) कमीशन , विनिमय और दलाली	i) Commission, Exchange and Brokerage	1220 78 96	1039 61 79
ii) निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)	ii) Profit/ loss on Sale of Investments	249 57 50	933 66 42
iii) निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर निवल हानि	iii) Profit/ Loss on Revaluation of Investments	(314 03 46)	(191 52 27)
iv) भूमि और भवनों के विक्रय पर लाभ व अन्य आस्तियाँ	iv) Profit/ loss on sale of land, Building & other Assets	1 58 38	1 20 05
v) विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल)	v) Profit/ loss on exchange transactions	564 42 16	898 10 41
vi) विविध आय	vi) Miscellaneous Income	2386 41 28	2221 95 59
कुल	**TOTAL**	**4108 74 82**	**4903 01 99**

		को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2023	को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2022
अनुसूची - 15 खर्च किया गया ब्याज	**SCHEDULE - 15 INTEREST EXPENDED**	(रु.हजार में) (Rs. in 000's)	
i) जमाओं पर ब्याज	i) Interest on Deposits	10535 60 95	10219 59 75
ii) भारतीय रिजर्व बैंक/ अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	ii) Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank Borrowings	609 80 22	199 11 84
iii) अन्य	iii) Others	3 28	1 26
योग	**TOTAL**	**11145 44 45**	**10418 72 85**

		को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2023	को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2022
अनुसूची - 16 परिचालन व्यय	**SCHEDULE - 16 OPERATING EXPENSES**	(रु.हजार में) (Rs. in 000's)	
i) कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	i) Payments to and provisions for employees	4099 05 11	3485 76 54
ii) भाड़ा, कर और रोशनी	ii) Rent, Taxes and Lighting	492 71 53	445 39 59
iii) मुद्रण और लेखन सामग्री	iii) Printing and Stationery	24 66 66	19 52 09
iv) विज्ञापन और प्रचार	iv) Advertisement and Publicity	1 40 17	42 02
v) बैंकों की संपत्ति पर मूल्यहास	v) Depreciation on Bank's property	259 88 98	172 18 61
vi) निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	vi) Directors' fees, allowances and expenses	74 46	26 77
vii) लेखा परीक्षकों की फीस व खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों के शुल्क व व्यय सहित)	vii) Auditors' fees and expenses (including Branch auditor's Fees and Expenses)	31 96 81	38 97 19
viii) विधि प्रभार	viii) Law charges	24 70 76	24 24 42
ix) डाक, तार, टेलीफोन, आदि	ix) Postages, telegrams, telephones, etc.	67 19 63	67 18 50
x) मरम्मत व अनुरक्षा	x) Repairs and Maintenance	25 05 46	20 87 49
xi) बीमा	xi) Insurance	340 80 82	322 88 85
xii) अन्य व्यय	xii) Other Expenditure	1053 25 93	853 52 30
योग	**TOTAL**	**6421 46 32**	**5451 24 36**

अनुसूची -17

बैंक की प्रमुख लेखांकन नीतियाँ

1. तैयारी का आधार

1.1. बैंक का वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत उपचित अवधारणा एवं कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किया गया है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो। यह भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप है, जिसमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक / भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक / मार्गदर्शन नोट्स और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं । विदेशी कार्यालयों के संबंध में, संबंधित विदेशी देशों में प्रचलित वैधानिक प्रावधानों और प्रथाओं का अनुपालन किया जाता है।

आकलन का प्रयोग:

1.2 वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को ऐसे आकलन व अनुमान लगाने होते हैं जिसमें वित्तीय विवरणों की तारीख को आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की प्रतिवेदित रकम तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिये आय व खर्च की प्रतिवेदित रकम में विचारार्थ शामिल किया जा सके। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त ये आकलन विवेक सम्मत व तर्कसंगत हैं। भविष्य के परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

2. राजस्व पहचान और व्यय लेखांकन

2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार आस्तियों पर उपचित आधार पर और अनर्जक आस्तियों के सम्बन्ध में वसूली के आधार पर आय का निर्धारण किया जाता है। वाद दायर खातों एवं एकबारगी निपटान खातों को छोड़कर जहाँ मूल रकम के संबंध में समंजन किया जाता है, बाकी मामलों में अनर्जक आस्तियों में वसूली का समंजन पहले ब्याज और शेष , अगर हो तो, के लिए किया जाता है। एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनियों (एआरसी) को बेची गई परिसंपत्तियों के मामले में आय का निर्धारण बिक्री मूल्य से प्राप्त नकदी घटक की सीमा तक तय किया जाता है जब बिक्री रकम निवल बही मूल्य से अधिक (अर्थात प्रावधान घटाकर बही बकाया) होती है ।

2.2 खरीदे गए बिलों/बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों पर ब्याज, कमीशन(साख पत्र / गारंटीपत्र/सरकारी कारोबार/ बीमा को छोड़कर), विनिमय, लॉकर किराया और लाभांश को उगाही के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2.3 बहुमूल्य धातुओं की परेषण बिक्री से प्राप्त आय को बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में गणना में लिया जाता है ।

2.4 खर्चों को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है,जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2.5 निष्क्रिय बचत बैंक खाते,अदावी बचत बैंक खाते एवं अदावी मियादी जमाओं के मामलों में ब्याज, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर लिया जाता है ।

2.6 वाद दायर खातों के संबंध में कानूनी खर्चों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। ऐसे खातों में वसूली हो जाने पर उसे आय में लिया जाता है ।

2.7 विदेशी शाखाओं के मामलों में, आय और व्यय का अभिज्ञान / हिसाब देश में लागू स्थानीय कानून के अनुसार किया जाता है ।

3. विदेशी मुद्रा लेन-देन

3.1 विदेशी मुद्रा से जुड़े लेन-देन का लेखांकन, लेखा मानक (एएस)11 के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव" के अनुसरण में किया जाता है ।

3.2 ट्रेज़री के संबंध में लेन-देन (विदेशी):

क) विदेशी मुद्रा जमाओं और ऋणों को छोड़कर विदेशी मुद्रा लेन-देनों को लेन-देन के दिन रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच की विनिमय दर विदेशी मुद्रा रक़म पर लागू कर के रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता को रिकार्ड किया जाता है। विदेशी मुद्रा जमाएँ और ऋणों का आरंभिक लेखांकन तत्कालीन लागू फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएसन ऑफ इंडिया, की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार किया जाता है।

ख) नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों में इति शेष को समापन दरों पर दिखाया जाता है। सभी विदेशी मुद्रा जमाओं एवं आकस्मिक देयताओं सहित उधारों को प्रत्येक तिमाही के अंतिम सप्ताह के लिए लागू भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार दिखाया जाता है। अन्य आस्तियों, देयताओं और विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गीकृत बकाया वायदा संविदाओं को लेन-देन की तारीख की दरों पर दिखाया जाता है।

ग) फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएसन ऑफ इंडिया द्वारा सूचित वर्षांत विनिमय दरों पर आकस्मिक देयताओं सहित बकाया वायदा विनिमय संविदाओं व सभी आस्तियों, देयताओं के पुनर्मूल्यांकन के कारण परिणत लाभ व हानि को ''अन्य देयताएँ व प्रावधान' '/ ''अन्य आस्ति खाता' में तत्सम्बन्धी निवल समायोजनाओं सहित राजस्व के अंतर्गत रखा जाता है, केवल नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों को छोडकर जहाँ खातों का समायोजन अंतिम दरों पर किया जाता है ।

घ) आय और व्यय संबंधी मदों को, लेखा बहियों में उनके लेन-देन की निर्दिष्ट तारीख पर लागू विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

3.3. विदेशी शाखाओं के संबंध में परिवर्तन:

क. जैसा कि लेखा मानक 11 में निर्धारित है, सभी विदेशी शाखाओं को गैर अभिन्न परिचालन माना जाता है।

ख. परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देनदारियों सहित) को हर तिमाही के अंत में के भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित अंतिम स्पॉट दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES OF THE BANK

1. Basis of Preparation

1.1 The Bank's financial statements have been prepared under the historical cost convention on the accrual basis of accounting and ongoing concern basis, unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises applicable statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards / Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

Use of Estimates

1.2 The preparation of financial statements requires the Management to make estimates and assumptions which are considered in the reported amounts of assets and liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expense for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates.

2. Revenue Recognition and Expense Accounting

2.1 Income is recognized on accrual basis on performing assets and on realization basis in respect of non-performing assets as per the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India. Recovery in Non-Performing Assets is first appropriated towards interest and the balance, if any, towards principal, except in the case of Suit Filed Accounts and accounts under One Time Settlement, where it would be appropriated towards principal. In case of assets sold to Asset Reconstruction Companies (ARCs), the income is recognized to the extent of cash component of the Sale Consideration received, where the sale consideration is over and above Net Book Value (i.e., Book outstanding less Provisioning).

2.2 Interest on bills purchased/Mortgage Backed Securities, Commission (except on Letter of Credit/Letter of Guarantee/Government Business/ Insurance), Exchange, Locker Rent and Dividend are accounted for on realization basis.

2.3 Income from consignment sale of precious metals is accounted for as Other Income after the sale is complete.

2.4 Expenditure is accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

2.5 In respect of Inoperative Savings Bank Accounts, unclaimed Savings Bank accounts and unclaimed Term Deposits, interest is accrued as per RBI guidelines.

2.6 Legal expenses in respect of Suit Filed Accounts are charged to Profit and Loss Account. Such amount when recovered is treated as income.

2.7 In respect of foreign branches, Income and Expenditure are recognized/ accounted for as per local laws of the respective countries.

3. Foreign Currency Transactions

3.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

3.2 Transactions in respect of Treasury (Foreign):

a) Foreign Currency transactions, except foreign currency deposits and lending, are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction. Foreign Currency deposits and lendings are initially accounted at the then prevailing FEDAI weekly average rate.

b) Closing Balances in NOSTRO and ACU Dollar accounts are stated at closing rates. All foreign currency deposits and lendings including contingent liabilities are stated at the FEDAI weekly average rate applicable for the last week of each quarter. Other assets, liabilities and outstanding forward contracts denominated in foreign currencies are stated at the rates on the date of transaction.

c) The resultant profit or loss on revaluation of all assets, liabilities and outstanding forward exchange contracts including contingent liabilities at year-end exchange rates advised by FEDAI is taken to revenue with corresponding net adjustments to "Other Liabilities and Provisions" / Other Asset Account" except in case of NOSTRO and ACU Dollar accounts where the accounts stand adjusted at the closing rates.

d) Income and expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the date of incorporating the transaction in the books of accounts.

3.3 Translation in respect of overseas branches:

a) As stipulated in Accounting Standard 11, all overseas branches are treated as Non Integral Operations.

b) Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

ग. प्रत्येक तिमाही के अंत में आय और व्यय को फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएसन ऑफ इंडिया द्वारा सूचित त्रैमासिक औसत दर पर परिवर्तित किया जाता है।

घ. परिणामी विनिमय के अंतर को अवधि के लिए आय या व्यय के रूप में नहीं लिया जाता है लेकिन इसे निवल निवेश के निपटान तक ''विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिती'' नामक अलग खाते में जमा किया जाता है ।

4. निवेश

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में किये गए निवेश को ट्रेडिंग के लिए धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और परिपक्वता के लिए धारित प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाता है । इन निवेशों के प्रकटीकरण को निम्नलिखित 6 वर्गों में दिखाया जाता है:

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ

ख) स्थानीय निकायों द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों सहित अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

ग) शेयर,

घ) बॉण्ड्स एवं डिबेंचर,

ड.) अनुषंगियां/संयुक्त उपक्रम

च) म्यूचुअल फंड यूनिट व अन्य

4.2. म्यूचुअल फण्ड के यूनिटों से आय और जहाँ ब्याज/मूलधन 90 से भी अधिक दिनों से बकाया है, वहाँ निवेशों पर ब्याज की पहचान विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार उगाही आधार पर की जाती है।

4.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

4.3.1. ''व्यापार के लिए धारित'' और ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' प्रवर्गों के तहत व्यक्तिगत शेयरों को तिमाही अंतराल पर विपणन के लिए चिह्नित किया जाता है। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल (फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा घोषित बाजार दरों पर किया जाता है। राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों और बाण्ड एवं डिबेंचरों का मूल्यांकन एफआइएमएमडीए (भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ) द्वारा सुझाई गई अन्य पद्धतियों और रेटिंग/उधार स्प्रेड यील्ड कर्व के अनुसार किया जाता है। उद्धृत भाव वाले ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाजार दरों पर किया जाता है तथा गैर उद्त भाव वाले ईक्विटी शेयरों और वेंचर कैपिटल फंड की इकाइयों का मूल्यांकन तुलन पत्र से प्राप्त बही मूल्य/ एनएवी के आधार पर किया जाता है अन्यथा इसका मूल्यांकन रु.1/-प्रति कंपनी/ निधि के हिसाब से किया जाता है।

ट्रेज़री बिलों और वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाण पत्र को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। म्यूचुअल फण्ड योजना में धारित यूनिटों को बाज़ार मूल्य या पुनर्खरीद मूल्य या नेट एसेट वैल्यू के क्रम में उपलब्धता के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है ।

पीडीएआइ (प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया)/ एफबीआईएल द्वारा केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाइटीएम (परिपक्वता प्रतिफल) दर पर उपयुक्त मूल्य वृद्धि के साथ अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन वाइटीएम (परिपक्वता प्रतिफल) के आधार पर आवधिक रूप से किया जाता है ।

छ: वर्गीकरणों में से प्रत्येक के तहत उपर्युक्त मूल्यांकनों के आधार पर निवल मूल्यह्रास यदि कोई है, तो उसके लिए प्रावधान किया जाता है और निवल वृद्धि, यदि कोई है तो इसे नजरअंदाज किया जाता है, सिर्फ ऐसे मूल्यह्रास को छोड़कर जिन्हें बॉस्केट में उपलब्ध मूल्य वृद्धि के प्रति समायोजित नहीं किया जाता है। हालाँकि यदि व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के बही मूल्य में मूल्यांकन के कारण कोई परिवर्तन नहीं है तो तुलन पत्र में निवेशों को मूल्य ह्रास के निवल के रूप में दर्शाया जाता है।

4.3.2 ''परिपक्वता के लिए धारित'': ऐसे निवेशों को अधिग्रहण लागत /परिशोधन लागत पर लिया जाता है। प्रत्येक प्रतिभूति के अंकित मूल्य के ऊपर अधिग्रहण लागत में यदि अधिकता हो तो उसे परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। अनुषंगी, सहयोगी और प्रायोजित संस्थाओं और जोखिम पूँजी निधि के यूनिटों में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

4.4 एन.पी.ए वर्गीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार आय के उचित प्रावधान/आय की अनभिज्ञान के अधीन है। अग्रिमों के रूप में डिबेंचरों/बॉण्डों पर भी सामान्य विवेकपूर्ण मानदण्ड प्रयोज्य होते हैं और तदनुसार, जहाँ कहीं लागू हो, प्रावधान किया जाता है।

4.5 किसी भी वर्ग में (जैसे ट्रेडिंग के लिए धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध व परिपक्वता तक धारित) निवेशों के विक्रय से होने वाले लाभ / हानि को लाभ / हानि खाते में लिखा जाता है। ''परिपक्वता के लिए धारित'' वर्ग में निवेशों के विक्रय की आय के मामले में, कर चुकतान के बाद निवल लाभ और सांविधिक आरक्षिती में अंतरित की जाने वाली राशि को "पूँजी आरक्षित खाते" में विनियोजित किया जाता है।

4.6 प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज, प्रोत्साहन/प्रारम्भिक शुल्क (फ्रण्ट-एण्ड-फीस) आदि को लाभ-हानि खाते में लिया जाता है। ट्रेज़री बिलों के मामले में खंडित अवधि ब्याज नहीं होता है। आय का लेखांकन होल्डिंग लागत और फेस वैल्यू यानि डिस्काउंट आय के अंतर के आधार पर किया जाता है।

4.7 रेपो/रिवर्स रिपो (पुन:खरीद /प्रति पुनर्खरीद) लेन-देन का भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखा – जोखा किया जाता है।

4.8 विदेशी शाखाओं द्वारा धारित निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन संबंधित विदेशी विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4.9 सभी निवेशों को वेटेड ऐवरेज प्राइसिंग विधि को अपनाकर धारित किया गया है ।

c) Income and Expenses are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

d) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

4. Investments

4.1 Investments in India are classified into "Held for Trading", "Available for Sale" and "Held to Maturity" categories in line with the RBI Guidelines. Disclosures of Investments are made under six classifications viz.,

a) Government Securities

b) Other Approved securities including those issued by local bodies,

c) Shares,

d) Bonds & Debentures,

e) Subsidiaries / Joint Ventures and

f) Units of Mutual Funds and Others.

4.2 Interest on Investments, where interest/principal is in arrears for more than 90 days and income from Units of Mutual Funds, is recognized on realization basis as per prudential norms.

4.3 Valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by RBI as under:

4.3.1. Individual securities under "Held for Trading" and "Available for Sale" categories are marked to market at quarterly intervals. Central Government securities and State Government securities are valued at market rates declared by FBIL (Financial Benchmarks India Pvt Ltd). Securities of State Government, other Approved Securities and Bonds & Debentures are valued as per the yield curve, credit spread rating-wise and other methodologies suggested by FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India). Quoted equity shares are valued at market rates, Unquoted equity shares and units of Venture Capital Funds are valued at book value /NAV ascertained from the latest available balance sheets, otherwise the same are valued at Re. 1/- per company /Fund.

Treasury Bills, Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at carrying cost. Units held in Mutual fund schemes are valued at Market Price or Repurchase price or Net Asset Value in that order depending on availability.

Valuation of Preference shares is made on YTM basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government Securities put out by the PDAI (Primary Dealers Association of India)/FBIL periodically.

Based on the above valuations under each of the six classifications, net depreciation, if any, is provided for and net appreciation, if any, is ignored except for the depreciation on Non Performing Investments, which is not netted off against appreciation available in the basket. Though the book value of individual securities would not undergo any change due to valuation, in the books of account, the investments are stated net of depreciation in the balance sheet.

4.3.2. "Held to Maturity": Such investments are carried at acquisition cost/amortized cost. The excess, if any, of acquisition cost over the face value of each security is amortised on an effective interest rate method, over the remaining period of maturity. Investments in subsidiaries, associates and sponsored institutions and units of Venture capital funds are valued at carrying cost.

4.4 Investments are subject to appropriate provisioning / de –recognition of income, in line with the prudential norms prescribed by RBI for NPA classification. Bonds and Debentures in the nature of advances are also subject to usual prudential norms and accordingly provisions are made, wherever applicable.

4.5 Profit/Loss on Sale of Investments in any category (viz. Held for Trading, Available for Sale and Held to Maturity) is taken to Profit & Loss account. In case of Profit on Sale of Investments in "Held to Maturity" category, Profit net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserves is appropriated to "Capital Reserve Account".

4.6 Broken period interest, Incentive / Front-end fees, brokerage, commission etc. received on acquisition of securities are taken to Profit and Loss account. Broken Period interest does not arise in case of Treasury Bills. Income is accounted based on the difference between the holding cost and the face value i.e. discount income.

4.7 Repo / Reverse Repo transactions are accounted as per RBI guidelines.

4.8 Investments held by overseas branches are classified and valued as per guidelines issued by respective overseas Regulatory Authorities.

4.9 All the investments are held by adopting the Weighted Average Pricing Method

4.10 सभी निवेश सेटलमेंट तिथि के आधार पर बही में धारित किया जाता है ।

4.11 निवेश पर डिविडेंड आय का हिसाब नकदी आधार पर किया जाता है ।

4.12 तुलनपत्र में निवेशों को अनर्जक निवेशों के संबंध में धारित नेट ऑफ प्रावधान के आधार पर दर्शाया जाता है।

4.13 भुगतान हेतु परिपक्व निवेशों को "अन्य आस्तियों" के तहत दर्शाया जाता है । अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधान भी उन निवेशों से नेट किया गया है ।

4.14 किसी निवेश को उसकी खरीद के समय एचटीएम, एचएफटी या एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में उसके वर्गों में अंतरण, सिर्फ एचएफटी से एएफएस श्रेणी में अदला-बदली/ अंतरण को छोड़कर, अधिग्रहण लागत/बुक वैल्यू/बाजार मूल्य के आधार पर अन्य वर्गों में वर्ष में एक बार, निदेशक मंडल के अनुमोदन से किया जाता है । ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया गया है और प्रतिभूति का बही मूल्य तदनुसार समायोजित किया जाता है। एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रतिभूतियों का ऐसा अंतरण भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की अनुमति या दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4.15 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2017-18/147 डीबीआर नंबर बीपी बीसी. 102/21.04.0489/2017-18 दिनांकित 2 अप्रैल 2018 के अनुसार वर्ष 2018-19 से एक इनवेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व (आईएफआर) बनाया जाना है ताकि भविष्य में उपज में वृद्धि के प्रति बैंक की सुरक्षा के लिए पर्याप्त रिज़र्व तैयार किया जा सके।

निवेश फ्लक्चुएशन रिज़र्व (आईएफआर) में स्थानांतरण निम्नरूप में होना चाहिए: -

ए) वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर शुद्ध लाभ या

बी) वर्ष के लिए शुद्ध लाभ जिसमें से अनिवार्य विनियोग को घटाया जाना है ,

जब तक आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो का 2% न हो जाए।

5. अग्रिम

5.1 भारत में अग्रिमों को 'मानक', 'अव-मानक', 'संदिग्ध' और 'हानि आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार समय-समय पर ऐसे अग्रिमों पर हानियों के लिए प्रावधान किया जाता है । विदेशी शाखाओं के संबंध में, संबंधित देशों के विनियमों के आधार पर वर्गीकरण और प्रावधान किया जाता है या फिर भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंड पर, जो भी उच्चतर हो।

5.2 मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों को प्रावधानों के निवल के रूप में दिखाया गया है।

5.3 पुनर्रचित/पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए, प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं, जिसके अनुसार संबंधित ऋणों/ अग्रिमों खातों प्रावधानीकरण के अतिरिक्त ऋण / अग्रिम की पुनर्संरचना के पूर्व व बाद के उचित मूल्य को घटाया जाता है । उचित मूल्य में कमी और उपर्युक्त से उत्पन्न ब्याज में कमी , यदि कोई हो, के प्रावधान को अग्रिमों से घटा दिया जाता है।

एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, एक खाते को निष्पादन परिसंपत्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है यदि यह विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

6. डेरिवेटिव्स

6.1. ब्याज सहित आस्तियों/ देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार उद्देश्यों लिए बैंक ने डेरिवेटिव अनुबंध किया है।

6.2. प्रतिरक्षा उद्देश्यों से किये गये व्युत्पन्न संविदा के संबंध में प्राप्तियों / देय निवल रकम की पहचान उपचय आधार पर की जाती है। ऐसी संविदा के समापन पर हुए लाभ या हानि को आस्थगित की गयी है और संविदा की शेष अवधि पर अथवा आस्ति/देयता जो भी पहले हो,पर इसकी पहचान की गयी है। ऐसी व्युत्पन्न संविदा बाजार को चिन्हित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि की पहचान नहीं की गयी है सिवाय तब जब कि व्युत्पन्न संविदा को आस्ति/देयता के साथ नामित किया जाता है जिसे भी बाजार को चिन्हित किया जाता है और जिस मामले में परिणामी लाभ या हानि पड़े हुए आस्ति/देयता के बाजार मूल्य के समायोजन के रूप में दर्ज किया जाता है।

6.3. उद्योग में प्रचलित सामान्य पद्धति के अनुसार कारोबार के उद्देश्य से किये गये व्युत्पन्न संविदा और बाजार मूल्य में हुए परिवर्तनों को लाभ- हानि खाते में पहचाना/मान्य किया जाता है। इन संविदाओं से संबंधित आय व व्यय को निपटान की तारीख पर मान्यता दी जाती है । कारोबार व्युत्पन्न संविदा के समापन पर लाभ या हानि को आय या व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

7. अचल आस्तियाँ (संपत्ति, संयंत्र व उपकरण)

7.1 पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर स्थाई आस्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दिखाया गया है ।

7.2 प्रबंधन द्वारा उपयुक्त समझी गयी दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

परिसर	2.50%
फ़र्नीचर	10%
विद्युत संस्थापना, वाहन व कार्यालयीन उपकरण	20%
कम्प्यूटर	33 1/3%
अग्निशामक यंत्र	100%
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	33 1/3%

स्थाई आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन हिस्से पर मूल्यह्रास लाभ और हानि

4.10 All the investments are held in the book on settlement date basis only

4.11 Dividend income on investments is accounted on cash basis

4.12 Investments are shown in the Balance Sheet at net off provision held in respect of Non Performing Investments

4.13 Investments matured for payment are shown under "Other Assets" and underlying provisions held for Non Performing Investments is also netted off from the said investments.

4.14 An Investment is classified as HTM, HFT or AFS at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories, other than shifting / transfer from HFT to AFS Category, is done once in a year with the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is adjusted accordingly. Such transfer of securities from one category to another is done as per permission from or guidelines of Reserve Bank of India (RBI)

4.15 As per RBI Circular no. RBI/2017-18/147 DBR No. BP BC. 102/ 21.04.0489/ 2017-18 dated April 2, 2018, from the year 2018-19 an Investment Fluctuation Reserve (IFR) is to be created to build up adequate reserves to protect the bank against increase in yields in future.

The Transfer to Investment Fluctuation Reserve (IFR) is to be the lower of the following: -

a) Net Profit on sale of investments during the year or

b) Net profit for the year less mandatory appropriations,

until the amount of IFR is at least 2% of the HFT and AFS Portfolio, on a continuing basis.

5. Advances

5.1 Advances in India have been classified as 'Standard', 'Sub-standard', 'Doubtful' and 'Loss assets' and provisions for losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In case of overseas branches, the classification and provision is made based on the respective country's regulations or as per norms of Reserve Bank of India whichever is higher.

5.2 Advances are stated net of provisions, except general provisions for standard advances.

5.3 For Restructured / Rescheduled Assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which require that the difference between the fair value of the loans / advance before and after restructuring is provided for, in addition to provision for the respective loans/ advances. The Provision for Diminution in Fair Value and interest sacrifice, if any, arising out of the above is reduced from advances.

In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the Regulators

6. Derivatives

6.1 The Bank enters into Derivative Contracts in order to hedge interest bearing assets/ liabilities, and for trading purposes.

6.2 In respect of derivative contracts which are entered for hedging purposes, the net amount receivable/ payable is recognized on accrual basis. Gains or losses on termination of such contracts are deferred and recognized over the remaining contractual life of the derivatives or the remaining life of the assets/ liabilities, whichever is earlier. Such derivative contracts are marked to market and the resultant gain or loss is not recognized, except where the derivative contract is designated with an asset/ liability which is also marked to market, in which case, the resulting gain or loss is recorded as an adjustment to the market value of the underlying asset/ liability.

6.3 Derivative contracts entered for trading purposes are marked to market as per the generally accepted practices prevalent in the industry and the changes in the market value are recognized in the profit and loss account. Income and expenses relating to these contracts are recognized on the settlement date. Gain or loss on termination of the trading derivative contracts are recorded as income or expense.

7. Fixed Assets (Property, Plant and Equipment)

7.1 Fixed Assets, except revalued premises, are stated at historical cost.

7.2 Depreciation is provided on straight-line method at the rates considered appropriate by the Management as under:

Premises	2.50%
Furniture	10%
Electrical Installations, Vehicles & Office Equipments	20%
Computers	33 1/3 %
Fire Extinguishers	100%
Computer Software	33 1/3%

Depreciation on revalued portion of the fixed assets is charged to the profit and loss account and equivalent

खाते से लिया जाता है और समकक्ष राशि को पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से राजस्व भंडार में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

7.3 अधिग्रहण/पुनर्मूल्यांकन की तारीख पर ध्यान दिए बगैर मूल्य ह्रास का प्रावधान पूरे साल के लिए किया जाता है ।

7.4 जहाँ अलग-अलग लागतों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, वहाँ भूमि और भवन पर मूल्यह्रास का प्रावधान समग्र रूप में किया गया है ।

7.5 पट्टे वाली संपत्तियों के मामले में पट्टे की अवधि के दौरान प्रीमियम का चुकतान किया जाता है।

7.6 विदेशी शाखाओं की स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए संबंधित देश में लागू कानून पद्धति के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

8. स्टाफ़-सुविधाएँ

8.1 भविष्य निधि के अंशदान के लिए लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया जाता है ।

8.2 उपदान व पेंशन देयताओं के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर किया जाता है और उसे अनुमोदित उपदान एवं पेंशन निधि में अंशदानित किया जाता है। सेवानिवृत्ति व्यवस्था के मामलों में संचित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान वर्षांत पर सीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

8.3. विदेशी शाखाओं के मामले में उपदान का हिसाब संबंधित देशों में लागू कानून के अनुसार किया गया है ।

9. आय पर कर:

आयकर व्यय बैंक द्वारा मौजूदा कर व आस्थगित कर के लिए व्यय की गयी कुल राशि है । मौजूदा कर व्यय और आस्थगित कर व्यय का निर्धारण, विदेशी कार्यालयों में भुगतान किए गए कर , जो कि संबंधित न्यायाधिकार क्षेत्र के कर नियमों पर आधारित होता है , को ध्यान में रखते हुए आयकर अधिनियम 1961 व " आय पर करों के लेखांकन" से संबंधित लेखांकन मानक 22 के तहत किया जाता है। आस्थगित कर समायोजन में आस्तिगत कर आस्ति या देयता में वर्ष के दौरान होने वाले बदलाव शामिल हैं। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों की गणना वर्तमान वर्ष में कर योग्य आय एवं लेखांकन आय के बीच समयांतर के प्रभाव और अगले लाभ से घाटा-पूर्ति को विचार में लेकर की जाती है। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें तुलन-पत्र की तारीख में अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में लिया जाता है। आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान की जाती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उनका पुनर्मूल्यांकन, प्रबंधन के निर्णय के आधार पर कि उनकी वसूली यथोचित रूप से निश्चित मानी जाए या नहीं। आस्थगित कर संपत्तियों को अगले लाभ से कर घाटा-पूर्ति के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब आभासी निश्चितता के साथ इस बात का पुख्ता सबूत हो कि इस तरह की आस्थगित कर संपत्तियों को भविष्य के मुनाफे के प्रति वसूल किया जा सकता है।

10. प्रति शेयर अर्जन

भारतीय सनदी लेखाकंन संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 20 ''इपीएस (प्रति शेयर अर्जन)" के अनुसार बैंक प्रति इक्विटी शेयर के आधार पर मूल और डाइलूटेड प्रति शेयर अर्जन की रिपोर्ट करता है। मूल प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन का परिकलन वर्ष के लिए निवल लाभ को कुछ अवधि के दौरान बकाया शेयरों की धारित औसत से संभाजित किया गया है। डाइलूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर संभाव्य घटाव को दर्शाता है जो वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर ज़ारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य संविदाओं के उपयोग या परिवर्तन के कारण से हो सकता है। प्रति ईक्विटी शेयर डाइलूटेड आय का परिकलन भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या और अवधि के दौरान बकाया डाइलूटिव पोटेंशियल ईक्विटी शेयरों के घटाव के आधार पर किया गया है सिवाय उसके जहाँ परिणाम घटाव विरोधी रहते हैं।

11. आस्तियों की क्षति

बैंक प्रत्येक तुलन पत्र दिनांक को यह निर्धारित करता है कि क्या किसी आस्ति में घाटा होने का संकेत है। यदि कोई घाटा हो तो,उसे लाभ एवं हानि खाता में अनुमानित वसूली योग्य रकम से अधिक आस्ति रकम तक दर्शाया गया है।

12. सेगमेंट रिपोर्टिंग

आरबीआई के दिशानिर्देशों और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में बैंक व्यापार खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को सेकेंडरी रिपोर्टिंग खंड के रूप में चिन्हित करता है ।

13. प्रावधानों प्रासंगिक देयताओं और प्रासंगिक आस्तियों के लिए लेखांकन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 29 के अनुसार जारी प्रावधानों,प्रासंगिक देयताओं और प्रासंगिक आस्तियों के लिये बैंक प्रावधानों को मान्यता देता है जब अतीत की घटनाओं के कारण बैंक को वर्तमान में बाध्यता हो,संभव है कि ऐसे में संसाधनों का बहिर्प्रवाह और उससे आर्थिक लाभ की आवश्यकता से बाध्यताओं को निपटाने के लिए और जब बाध्यता की मात्रा का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रावधानों का निर्धारण तुलन पत्र की तारीख को बाध्यताओं के निपटान के लिए प्रबंधन द्वारा किया गया है और निपटान के लिए प्रबंधन के अनुमान और उसी प्रकार के लेन देनों द्वारा अनुपूरक के आधार पर निर्णय किया गया है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने हेतु समायोजित की जाती है। ऐसे मामलों में जहाँ उपलब्ध जानकारी यह संकेत देती है कि प्रासंगिकता का नुकसान संभव है लेकिन नुकसान की रकम का अनुमान लगाना संभव नहीं है इसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण में किया गया है।

वित्तीय विवरण में प्रासंगिक आस्ति यदि कोई हो तो उसे मान्यता नहीं दी गई है या प्रकट नहीं किया गया है।

amount is transferred from Revaluation reserve to Revenue Reserves.

7.3 Depreciation is provided for the full year irrespective of the date of acquisition / revaluation.

7.4 Depreciation is provided on Land and Building as a whole where separate costs are not ascertainable.

7.5 In respect of leasehold properties, premium is amortized over the period of lease.

7.6 Depreciation on Fixed Assets of foreign branches is provided as per the applicable laws/practices of the respective countries.

8. Staff Benefits

8.1 Contribution to Provident Fund is charged to Profit and Loss Account.

8.2 Provision for gratuity and pension liability is made on actuarial basis and contributed to approved Gratuity and Pension Fund. Provision for encashment of accumulated leave payable on retirement or otherwise is made based on actuarial valuation at the year-end.

8.3 In respect of overseas branches gratuity is accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

9. Taxes on Income

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 – "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions. Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account. Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realization is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognized on carry forward of tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realized against future profits.

10. Earnings per Share

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard - 20, "Earnings Per Share", issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net profit for the year by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year-end except where the results are anti-dilutive.

11. Impairment of Assets

The bank assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. Impairment loss, if any, is provided in the Profit and Loss Account to the extent the carrying amount of assets exceed their estimated recoverable amount.

12. Segment Reporting

The Bank recognizes the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by Institute of Chartered Accountants of India.

13. Accounting for Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

In accordance with Accounting Standard 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date, supplemented by experience of similar transactions. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. In cases where the available information indicates that the loss on the contingency is reasonably possible but the amount of loss cannot be reasonably estimated, a disclosure is made in the financial statements.

Contingent Assets, if any, are not recognized or disclosed in the financial statements.

अनुसूची 18

लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. निवेश

1.1 आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्नवत हैं:

प्रवर्ग	सकल बही मूल्य (रु.करोड़ में)		कुल निवेशों का प्रतिशत (%)	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
परिपक्वता के लिए धारित	81 802.30	79 958.83	84.98	79.47
बिक्री के लिए उपलब्ध	14 469.07	20 656.71	15.03	20.53
ट्रेडिंग के लिए धारित	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2 "परिपक्वता के लिए धारित" के तहत एसएलआर (देशीय) प्रतिभूतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 21.30% (पिछले वर्ष 20.91 %) की सीमा के अंदर है जो 31 मार्च 2023 की समाप्ति तक बैंक की माँग व सावधि देयताओं का 23% (पिछले वर्ष 22%) रही ।

1.3 परिपक्वता के लिए धारित" प्रवर्ग के निवेशों के संबंध में रु. 48.32 करोड़ के प्रीमियम (पिछले वर्ष रु. 32.84 करोड़) का इस वर्ष परिशोधन कर दिया गया है ।

इसके अलावा, 4100 करोड़ रुपये की राशि गैर-ब्याज भारत सरकार पुनर्पूंजीकरण बांड निवेश के रूप में एचटीएम श्रेणी के तहत वहन लागत पर धारित की जाती है जो मार्च 2031 से मार्च 2036 के बीच परिपक्व हो रही है।

1.4 निपटान गारंटी निधि के प्रति रु. 1717.00 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 1639.00 करोड़) के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों और संपार्श्विकीकृत उधार ऋण बाध्यताओं के तहत उधार ऋण बाध्यताओं के तहत उधार के लिए संपार्श्विक के प्रति रु. 15518.00 करोड़ (पिछला वर्ष रु. 7518.00 करोड़) की प्रतिभूतियों क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास रखी गयी है । इसके अलावा, 127.10 करोड़ रुपये (पिछले साल 123.10 करोड़ रुपये) तक की प्रतिभूतियां सीसीआईएल के पास विदेशी मुद्रा परिचालन के लिए डिफॉल्ट फंड और करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए रखे गए 15 करोड़ रुपये (पिछले साल 15.00 करोड़ रुपये) के लिए दर्ज की गई हैं। बैंक ने इंट्राडे उधार लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रु. 1500 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 1500 करोड़) अंकित मूल्य की प्रतिभूतियां रखी हैं । बैंक ने एलएएफ विंडो के तहत हमारी उधारी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास रु. 6100 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 2800 करोड़) तक की प्रतिभूतियां भी रखी हैं ।

1.5 भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेशों के तहत शेयरों में रु. 606.90 करोड़ (पिछले वर्ष रु 575.37 करोड़) की शेयर आवेदन राशि का आबंटन लंबित हैं ।

1.6 बैंक ने आउटराइट और भारतीय रिज़र्व बैंक के खुले बाज़ार परिचालन (ओएमओ) दोनों के अंतर्गत वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियाँ बेंची । ओएमओ के अंतर्गत बैंक द्वारा शून्य (बीवी) (पिछले वर्ष 3682.97 करोड़) और अर्जित लाभ शून्य (पिछले वर्ष 15.40 करोड़) है । बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियाँ (ओएमओ के अतिरिक्त) भी बेची और रु. 2408.02 करोड़ (बीवी) (पिछले वर्ष रु. 2314.59 करोड़) (आरबीआई की 5% सीमा के अंदर) का विक्रय हुआ और अर्जित लाभ रु. 27.95 करोड़ (पिछले वर्ष 124.77 करोड़) है ।

निवेश फ्लक्चुएशन रिज़र्व

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2017-18/147 डीबीआर नंबर बीपी बीसी. 102/21.04.048/2017-18 दिनांकित 2 अप्रैल 2018 के अनुसार वर्ष 2018-19 से एक निवेश फ्लक्चुएशन रिज़र्व (आईएफआर) सृजित किया जाना है ताकि भविष्य में आय में वृद्धि के प्रति बैंक की सुरक्षा के लिए पर्याप्त रिज़र्व तैयार किया जा सके ।

निवेश फ्लक्चुएशन रिज़र्व (आईएफआर) में अंतरण निम्नरूप में होना चाहिए:

ए) वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ या

बी) वर्ष के लिए निवल लाभ जिसमें से अनिवार्य विनियोग को घटाया जाना है,

जब तक आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो का 2% न हो जाए।

तदनुसार, आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन में, 31.03.2023 को आईएफआर में शून्य राशि अंतरित किया गया ।

2. अग्रिम

2.1 अग्रिमों का वर्गीकरण एवं संभावित हानि के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार किया गया ।

2.2 गारंटी संस्थाओं के यहाँ निपटारे के लिए लंबित व दायर किए जाने वाले ऐसे दावों, जिनकी शाखाओं ने पहचान की है, पर प्रावधानिक अपेक्षाओं के लिए इस आधार पर विचार किया गया है कि ऐसे दावे वैध व वसूली योग्य हैं ।

2.3 आस्ति वर्गीकरण और आय की पहचान के उद्देश्य से कुछ अग्रिमों की उगाही की स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्रतिभूति के अनुमानित मूल्य, केन्द्र सरकार की गारंटियों आदि को ध्यान में रखा गया है ।

Schedule 18

NOTES TO ACCOUNTS

1. Investments:

1.1 In accordance with Reserve Bank of India guidelines, the investments portfolio of the bank has been classified into three categories, as given below:

Category	Gross Book Value (Rs. in crore)		Percentage to Total Investments (%)	
	31.03.2023	**31.03.2022**	**31.03.2023**	**31.03.2022**
Held to Maturity	81 802.30	79 958.83	84.98	79.47
Available for Sale	14 469.07	20 656.71	15.03	20.53
Held for Trading	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2 SLR Securities (domestic) under "Held to Maturity" accounted for 21.30% (previous Year 20.91 %) of bank's Demand and Time liabilities as at March 31st 2023 as against ceiling of 23 % (previous year 22%) stipulated by Reserve Bank of India.

1.3 In respect of Held to Maturity category of Investments, premium of Rs.48.32 Crore was amortized during the year (previous year Rs.32.84 Crore).

Further, a sum of Rs.4100 Crore being Non–Interest bearing GOI Recapitalization Bonds investments are held under Held to Maturity category at carrying cost are maturing from March 2031 to March 2036.

1.4 Securities of Face Value for Rs.1717.00 Crore (previous year Rs.1639.00 Crore) towards CCIL Settlement Guarantee Fund/Default Fund and securities for Rs.15518.00 Crore (previous year Rs.7518.00 Crore) towards collateral for borrowing under TREPS/Default Fund have been kept with Clearing Corporation of India Limited. Besides, securities to the extent of Rs.127.10 Crore (previous year Rs.123.10 Crore) has been lodged with CCIL towards default fund for Forex operations and Rs.15 Crore (previous year Rs.15.00 Crore) held for Currency derivative segment. The Bank has placed securities of face value Rs.1500 Crore (previous year Rs.1500 Crore) with Reserve Bank of India for intraday borrowing. The Bank has also placed Securities to the extent Rs.6100 Crore (previous year Rs.2800 Crore) with Reserve Bank of India for our borrowing under the LAF window.

1.5 Shares under Investments in India in Regional Rural Bank- Odisha Gramya Bank is Rs.606.90 Crore (previous year Rs.575.37 Crore) which includes amount's towards Share Capital Deposits.

1.6 The Bank sold Government Securities from HTM category during the year, both outright and under Reserve Bank of India's Open Market Operations (OMO). The extent of sale by the Bank under OMO was NIL (BV) [previous year: Rs.3682.97 Crore] and earned a profit of NIL [previous year: Rs.15.40 Crore]. The Bank has also sold Government Securities (other than OMO), to the extent of Rs.2408.02 Crore (BV) [previous year Rs.2314.59 Crore] (within 5%, prescribed limit of Reserve Bank of India) and booked a profit of Rs.27.95 Crore [previous year Rs.124.77 Crore].

Investment Fluctuation Reserve

As per Reserve Bank of India circular number RBI/2017-18/147 DBR. No. BP BC .102/ 21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018, from the year 2018-2019, an Investment Fluctuation Reserve (IFR) is to be created to build up adequate reserves to protect the bank against increase in yields in future.

The Transfer to IFR is to be the lower of the following –

a. Net profit on sale of Investments during the year or

b. Net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis.

During the year ended on March 31st 2023 an amount of NIL has been transferred to IFR.

2. Advances

2.1 The Classification for advances and provisions for possible loss has been made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India.

2.2 Claims pending settlement and claims yet to be lodged with Guarantee Institutions identified by the branches have been considered for provisioning requirements on the basis that such claims are valid and recoverable.

2.3 In assessing the realisability of certain advances, the estimated value of security, Central Government Guarantees etc. have been considered for the purpose of asset classification and income recognition.

2.4 अलेखा- परीक्षित शाखाओं के संबंध में अग्रिमों का वर्गीकरण शाखा प्रबन्धकों द्वारा किए गए प्रमाणन के अनुसार किया गया है ।

3. अचल आस्तियाँ (संपत्ति, संयंत्र व उपकरण)

वर्ष 2022-23 के दौरान आस्तियों की बिक्री पर रु. 1.58 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 1.20 करोड़) का लाभ हुआ है ।

4. रुपये का ब्याज दर स्वैप

31.03.2023 को प्रतिरक्षा हेतु लिए गए रुपये का ब्याज दर स्वैप के निरसन पर लाभ खातों पर आस्थगित आय शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है । इस रकम को स्वैप की संविदागत शेष अवधि या आस्तियों / देयताओं की अवधि , जो भी पहले हो , के लिए मान्यता दी जाएगी ।

5. समाधान

31.03.2023 तक अंतर-शाखा लेनदेन का समाधान पूरा कर लिया गया है और बकाया प्रविष्टियों को समाप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । प्रबंधन बकाया प्रविष्टियों के समाधान/उन्मूलन पर किसी महत्वपूर्ण परिणामी प्रभाव की आशा नहीं करता है।

6. पूंजी और आरिक्षतियाँ

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने क्यूआइबी द्वारा सब्सक्राइब किए गए निजी प्लेसमेंट के माध्यम से कुल 1000 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 665 करोड़) के बेसल III टीयर II बॉन्ड जारी किए हैं ।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने कोई इक्विटी पूँजी नहीं जुटाई है । 31 मार्च 2023 तक बैंक की प्रदत्त राशि 18902.41 करोड़ रुपया है । 31 मार्च 2023 तक भारत सरकार की शेयरधारिता 96.38% है । वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया । 31 मार्च 2023 तक पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती 2753.15 करोड़ रुपया है ।

7. कर

7.1 प्रबंधन की राय में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेबी (न्यूनतम वैकल्पिक कर) के तहत प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं । इसलिए बैंक ने आयकर के प्रावधान के लिए कोई राशि प्रदान नहीं की है ।

7.2 अग्रिम भुगतान किया गया कर (प्रावधानों का शुद्ध) समाधान के अधीन है । यह लंबित मूल्यांकन/अपील के तहत/विवाद के तहत भुगतान किए गए कर के कारण है। [अनुसूची 11(iii) देखें] ।

7.3 अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णयों, कुछ न्यायिक घोषणाओं और कर विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखते हुए, विवादित और आयकर की अन्य मांगों 9081.37 करोड़ (पिछले वर्ष 7409.24 करोड़ रुपये), सेवा कर कुल रुपये 220.52 करोड़ (पिछले वर्ष 122.33 करोड़ रुपये) और माल व सेवा कर कुल रुपये 1648.68 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है ।

7.4 वर्ष के लिए कर व्यय की राशि रु. 249.45 करोड़ की राशि में रु. 20.60 करोड़ का वर्तमान कर व्यय और रु. 228.85 करोड़ रुपये का आस्थगित कर व्यय शामिल है - नोट संख्या 18.8 देखें ।

7.5 आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बैंक ने वर्तमान में मौजूदा कर व्यवस्था को जारी रखने का निर्णय लिया है । इसके अलावा, बैंक ने 31 मार्च 2023 को समायोजन यदि कोई उचित स्तर पर पुनर्मूल्यांकन पर करने और भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी "आय पर करों के लिए लेखांकन" पर लेखांकन मानक - 22 के अनुसार समय के अंतराल पर कुल मिलाकर रु. 228.85 करोड़ (पीवाई रु. 37.81 करोड़) की शुद्ध आस्थगित कर देयता को मान्यता दी है ।

8. 1 नवंबर 2022 से प्रभावी 12वें द्विपक्षीय समझौते से उत्पन्न वेतन संशोधन के संबंध में बैंक को आईबीए से अधिसूचना प्राप्त हुई । 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने उसके लिए रु. 60.00 करोड़ का तदर्थ प्रावधान किया है (संचयी प्रावधान रु. 60.00 करोड़) ।

9. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मूल राशि या उस पर देय ब्याज के विलंबित भुगतान का कोई मामला सामने नहीं आया है ।

10. भारतीय रिज़र्व बैंक ने आइएसई 2022 (निरीक्षण के लिए पर्यवेक्षी मूल्यांकन 2022) के दौरान जोखिम न्यूनीकरण योजना 5(ii) के तहत एमसीएलआर, आरएलएलआर और बेस रेट से जुड़े ऋण खातों के संबंध में ब्याज पेगिंग विसंगतियों से संबंधित टिप्पणियां कीं । बैंक ने अपने द्वारा निर्धारित राशि को अपने ग्राहकों को वापस कर दिया है । उक्त टिप्पणियों के संबंध में सत्यापन की अनुपालन प्रक्रिया प्रगति पर है और किसी भी अंतिम प्रभाव को उपलब्ध करवाया जाएगा ।

भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटीकरण:

1. नियामक पूंजी

क) नियामक पूंजी की संरचना **(राशि रु. करोड़ में)**

क्र.सं.	विवरण	2022-23	2021-22
i)	सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी (सीईटी 1)* / भुगतान की गई शेयर पूंजी और भंडार@ (कटौती का निवल, यदि कोई हो)	16736.13	12 428.11
ii)	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी*/ अन्य टीयर 1 पूंजी@	0.00	0.00
iii)	टीयर 1 पूंजी (i + ii)	16736.13	12 428.11
iv)	टीयर 2 पूंजी	4188.83	3 622.20

2.4 The classification of advances, as certified by the Branch Managers have been incorporated, in respect of unaudited branches.

3. Fixed Assets (Property, Plant and Equipment)

The Profit on sale of land & building for the year 2022-23 is 1.58 Crore (previous year Rs.1.20 Crore).

4. Rupee Interest Rate Swap

Deferred income on account of gains on termination of Rupee Interest Rate Swaps taken for hedging as on March 31st 2023 is NIL (previous year NIL). This amount, if any, is to be recognized over the remaining contractual life of Swap or life of the Assets/Liabilities, whichever is earlier.

5. Reconciliation

Reconciliation of Inter Branch transactions has been completed up to March 31st 2023 and steps for elimination of outstanding entries are in progress. The Management does not anticipate any material consequential effect on reconciliation / elimination of outstanding entries.

6. Capital and Reserves

During the Financial Year 2022-23 Bank has issued Basel III Tier II Bonds aggregating to Rs.1,000 Crore (Previous year Rs.665 Crore) through private placement subscribed by Qualified Institutional Buyers (QIBs).

During the current financial year 2022-23, Bank has not raised any equity capital. The paid up capital of the Bank stands at Rs.18902.41 crores as on March 31st 2023. The Government of India shareholding stands at 96.38% as on March 31st 2023. During the financial year 2022-23, there is no revaluation of immovable properties. The Revaluation Reserve as on March 31st 2023 stands at Rs.2753.15 Crore.

7. Taxes

7.1 In the opinion of management provisions under section 115 JB (Minimum Alternate Tax) of the Income Tax Act ,1961 are not applicable to the Bank. Therefore bank has not provided any amount towards provision for Income tax.

7.2 Tax paid in advance (Net of provisions) is under reconciliation. This is on account of amounts pending assessment/under appeal/ tax paid under dispute. [Refer Schedule 11(iii)].

7.3 Taking into consideration the decisions of Appellate Authorities, certain judicial pronouncements and the opinion of tax experts, no provision is considered necessary in respect of disputed and other demands of income tax aggregating Rs. 9081.37 Crore (previous year Rs. 7409.24 Crore), Service Tax aggregating to Rs.220.52 Crore (previous year Rs.122.33 crore) and Goods and Service Tax aggregating to Rs.1648.68 Crore (Previous year Nil).

7.4 Tax expense for the year amounting to Rs.249.45 crore includes Current Tax expense of RS.20.60 crore and Deferred Tax expense of Rs 228.85 crore – refer note no.18.8.

7.5 The Bank based on internal evaluation presently has decided to continue with the existing tax regime. Further, the Bank has recognized net Deferred Tax liability as on March 31st 2023 aggregating to Rs.228.85 crore (PY Rs.37.81 crore) on timing differences in accordance with Accounting Standard – 22 on "Accounting for Taxes on Income" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and adjustments if any to be carried out on reassessment at appropriate stage.

8. Bank has received notification from IBA regarding wage revision arising out of 12th bipartite settlement effective from November 1st 2022. During the year ended March 31st 2023, the Bank has made ad-hoc provision of Rs.60.00 Crores towards the same (cumulative provision Rs.60.00 Crores)

9. There has been no reported cases of delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro, Small & Medium Enterprises

10. Reserve Bank of India during the ISE 2022 (Inspection for Supervising Evaluation 2022) made observations relating to interest pegging discrepancies in respect of MCLR, RLLR and Base Rate linked loan accounts, under Risk Mitigation Plan 5(ii). The Bank has refunded amount as assessed by it, to its customers. The compliance process of validation with regard to the said observations in under progress and the final impact in any, would be provided.

DISCLOSURES AS PER RESERVE BANK OF INDIA REQUIREMENTS:

1. REGULATORY CAPITAL

a) Composition of Regulatory Capital **(Amount in ₹ crore)**

S.No.	Particulars	2022-23	2021-22
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1)* / Paid up share capital and reserves@ (net of deductions, if any)	16736.13	12 428.11
ii)	Additional Tier 1 capital*/ Other Tier 1 capital@	0.00	0.00
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	16736.13	12 428.11
iv)	Tier 2 capital	4188.83	3 622.20

v)	कुल पूंजी (टीयर 1+टीयर 2)	20924.96	16 050.31
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	129980.80	116 069.83
vii)	सीईटी 1 अनुपात * (सीईटी 1 आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)* / आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में भुगतान की गई शेयर पूंजी और आरक्षितियां @	12.88%	10.71%
viii)	टीयर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 1 पूंजी)	12.88%	10.71%
ix)	टीयर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 2 पूंजी)	3.22%	3.12%
x)	पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	16.10%	13.83%
xi)	लीवरेज अनुपात	5.14%	4.07%
xii)	शेयरधारिता की प्रतिशतता का अनुपात*		
	क) भारत सरकार	96.38%	96.38%
	ख) राजय सरकार (विशिष्ट नाम)$	लागू नहीं	लागू नहीं
	ग) प्रायोजक बैंक $	लागू नहीं	लागू नहीं
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई प्रदत्त इक्विटी पूंजी की राशि	शून्य	2 465.42#
xiv	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टीयर 1 पूंजी की राशि	शून्य	0.00
xv)	बेसल III के टीयर II बॉंड से, वर्ष के दौरान जुटाई गई टीयर 2 पूंजी राशि	1000.00	665.00

$ राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक की शेयरधारिता का प्रतिशत केवल आरआरबी के लिए लागू है ।

बैंक को 31.03.2021 को भारत सरकार से 4100 करोड़ रुपये (चार हजार एक सौ करोड़ रुपये मात्र) का पूंजी प्रवाह प्राप्त हुआ और 16.63 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर नकद के लिए प्रत्येक के लिए 10 रुपये का अंकित मूल्य (प्रति इक्विटी शेयर 6.63 रुपये के प्रीमियम सहित) इक्विटी शेयर 02.06.2021 यानी 246,54,23,932 इक्विटी शेयरों को जारी और आवंटित किया गया ।

अ) आरक्षितियों से आहरण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आरक्षितियों से शून्य आहरण किया गया ।

अत: वित्तीय वर्ष 2020-21 के शुद्ध लाभ का 25% वैधानिक रिज़र्व के लिए विनियोजन के संबंध में आरबीआई-आरएआर 2021 टिप्पणियों का अनुपालन करने के लिए, बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 18.02.2022 के पत्र के माध्यम से रिज़र्व के ड्रा-डाउन को प्रभावित किया है । जो कि निम्नवत है:

से	तक	राशि (रुपये करोड़ में)
पूंजी आरक्षितियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियां को छोड़कर)	सांविधिक आरक्षितियां	142.05
लाभ और हानि खाता	सांविधिक आरक्षितियां	65.82

2. आस्ति देयता प्रबंधन

क) 31 मार्च 2023 तक आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान* (रु. करोड़ में)

विवरण	जमाएँ	अग्रिम (सकल)	निवेश (सकल)	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1 दिन	3 070.49	1 837.10	23 532.65	0.27	2 360.90	2 467.40
2 से 7 दिन	6 659.81	4 429.34	2 545.41	2 54.38	1 581.66	868.81
8 से 14 दिन	7 958.73	2 393.20	1 962.03	0.00	1 814.52	945.80

v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	20924.96	16 050.31
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	129980.80	116 069.83
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)/ Paid-up share capital and reserves as percentage of RWAs	12.88%	10.71%
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	12.88%	10.71%
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	3.22%	3.12%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	16.10%	13.83%
xi)	Leverage Ratio	5.14%	4.07%
xii)	Percentage of the shareholding of		
	a) Government of India	96.38%	96.38%
	b) State Government (specify name)$	N.A	NA
	c) Sponsor Bank$	N.A	NA
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	Nil	2 465.42#
xiv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year	Nil	0.00
xv)	Amount of Tier 2 capital raised during the year, Basel III compliant Tier II Bonds	1000.00	665.00

$ Percentage of shareholding of State Government and Sponsor Bank is applicable only for RRBs.

#The Bank received a capital infusion of Rs.4100 crore (Rupees Four Thousand One Hundred Crore Only) from Government of India on 31.03.2021 and the equity shares were issued and allotted on 02.06.2021 i.e. 246,54,23,932 equity shares of face value of Rs.10 each for cash at issue price of Rs.16.63 per equity shares (including premium of Rs.6.63 per equity share)

b) Draw down from Reserves

Drawdown from the reserves during the financial year 2022-23 is NIL.

However, to comply with the RBI-RAR 2021 observations regarding appropriation of 25% of Net Profit of FY 2020-21 to Statutory Reserve, Bank with the approval of Reserve Bank of India vide their letter dated 18.02.2022 has effected the draw-down of reserve as given below:

From	To	Amount (Rs. in crores)
Capital Reserve (Excluding Revaluation Reserve)	Statutory Reserve	142.05
Profit & Loss Account	Statutory Reserve	65.82

2. Asset Liability Management

a) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as at March 31,2023 (Amount in ₹ crore)

Particulars	Deposits	Advances (Gross)	Investments (Net)	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
Day 1	3 070.49	1 837.10	23 532.65	0.27	2 360.90	2 467.40
2 to 7 days	6 659.81	4 429.34	2 545.41	2 54.38	1 581.66	868.81
8 to 14 days	7 958.73	2 393.20	1 962.03	**0.00**	1 814.52	945.80

15 से 30 दिन	5 606.22	4 431.81	1 507.15	287.09	3 322.09	1 820.99
31 दिन से 2 महीने तक	8 717.88	6 163.05	2 604.59	828.52	5 412.50	2 205.18
2 महीने से 3 महीने तक	9 675.62	8 546.17	2 521.78	828.67	4 016.56	3 702.26
3 महीने से 6 महीने	22 588.12	13 299.37	5 667.89	2 091.53	6 122.42	9 281.98
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	40 030.48	26 407.51	9 580.31	9 64.01	2 679.34	7 325.23
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	44 559.84	47 511.61	13 165.16	3 075.73	1 346.52	776.50
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 664.79	27 652.69	2 980.80	5.89	2 122.64	698.54
5 वर्ष से अधिक	106 351.30	46 336.68	28 102.65	2 479.72	2 059.46	2 745.90
कुल	**260 883.28**	**189 008.53**	**94 170.42**	**10 815.81**	**32 838.61**	**32 838.59**

क) 31 मार्च 2023 तक आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान* (रु. करोड़ में)

विवरण	जमाएँ	अग्रिम (सकल)	निवेश (सकल)	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1 दिन	2 903.00	2 568.14	25 573.95	318.73	4 446.79	2 399.94
2 से 7 दिन	6 218.09	2 732.04	2 424.07	0.00	1 724.50	842.78
8 से 14 दिन	6 862.09	3 460.08	1 457.71	0.00	2 073.75	2 437.69
15 से 30 दिन	5 486.80	2 328.62	1 330.71	0.00	3 829.54	4 615.05
31 दिन से 2 महीने तक	9 487.30	9 981.92	2 734.04	0.00	6 266.46	6 095.62
2 महीने से 3 महीने तक	10 549.00	11 168.10	3 506.14	0.00	6 835.68	5 697.70
3 महीने से 6 महीने	26 778.48	13 102.44	6 688.80	479.61	7 335.48	10 609.79
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	49 691.20	29 477.94	12 071.21	7.30	4 556.64	5 189.03
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	32 652.62	46 776.20	9 741.03	0.00	1 036.33	745.18
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 569.67	12 048.08	2 892.99	800.00	1 180.14	628.62
5 वर्ष से अधिक	105 960.69	22 157.16	29 758.67	1 465.00	2 213.95	2 236.86
कुल	**262 158.92**	**155 800.71**	**98 179.31**	**3 070.64**	**41 499.26**	**41 499.26**

ख) तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) को परिपत्र संख्या आरबीआई/2014-15/529 डीबीआर सं. बीपी. बीसी.80/21.06.201/2014-15 दिनांक 31 मार्च,2015 के माध्यम से पेश किया था। जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकों के पास पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले बैंक हैं और संभावित चलनिधि व्यवधानों के लिए बैंकों की अल्पकालिक लचीलापन सुनिश्चित किया जा सके। तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) 30 दिनों तक चलने वाले एक तीव्र तनाव परिदृश्य से बचने के लिए। 1 जनवरी, 2019 से प्रभावी बैंक के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में निर्धारित न्यूनतम एलसीआर आवश्यकता 100% है।

15 Days – 30 Days	5 606.22	4 431.81	1 507.15	287.09	3 322.09	1 820.99
31 Days – 2 Months	8 717.88	6 163.05	2 604.59	828.52	5 412.50	2 205.18
2 Months – 3 Months	9 675.62	8 546.17	2 521.78	828.67	4 016.56	3 702.26
3 Months – 6 Months	22 588.12	13 299.37	5 667.89	2 091.53	6 122.42	9 281.98
Over 6 Months & Upto 1 year	40 030.48	26 407.51	9 580.31	9 64.01	2 679.34	7 325.23
Over 1 year & up to 3 years	44 559.84	47 511.61	13 165.16	3 075.73	1 346.52	776.50
Over 3 years & up to 5 years	5 664.79	27 652.69	2 980.80	5.89	2 122.64	698.54
Over 5 years	106 351.30	46 336.68	28 102.65	2 479.72	2 059.46	2 745.90
Total	**260 883.28**	**189 008.53**	**94 170.42**	**10 815.81**	**32 838.61**	**32 838.59**

Maturity pattern of assets and liabilities as at March 31, 2023 (Amount in ₹ crore)

Particulars	Deposits	Advances (Gross)	Investments (Net)	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
Day 1	2 903.00	2 568.14	25 573.95	318.73	4 446.79	2 399.94
2 to 7 days	6 218.09	2 732.04	2 424.07	0.00	1 724.50	842.78
8 to 14 days	6 862.09	3 460.08	1 457.71	0.00	2 073.75	2 437.69
15 Days – 30 Days	5 486.80	2 328.62	1 330.71	0.00	3 829.54	4 615.05
31 Days – 2 Months	9 487.30	9 981.92	2 734.04	0.00	6 266.46	6 095.62
2 Months – 3 Months	10 549.00	11 168.10	3 506.14	0.00	6 835.68	5 697.70
3 Months – 6 Months	26 778.48	13 102.44	6 688.80	479.61	7 335.48	10 609.79
Over 6 Months & Upto 1 year	49 691.20	29 477.94	12 071.21	7.30	4 556.64	5 189.03
Over 1 year & up to 3 years	32 652.62	46 776.20	9 741.03	0.00	1 036.33	745.18
Over 3 years & up to 5 years	5 569.67	12 048.08	2 892.99	800.00	1 180.14	628.62
Over 5 years	105 960.69	22 157.16	29 758.67	1 465.00	2 213.95	2 236.86
Total	**262 158.92**	**155 800.71**	**98 179.31**	**3 070.64**	**41 499.26**	**41 499.26**

b) Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Reserve Bank of India had introduced the Liquidity Coverage Ratio (LCR) vide circular No RBI/2014-15/529 DBR. No. BP.BC.80/21.06.201/2014-15 dated March 31,2015 which has been modified from time to time, in order to ensure short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that bank have sufficient high quality liquid assets (HQLA) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. The minimum LCR requirement set out in the Reserve Bank of India guidelines for the bank effective January 1, 2019 is 100%

एलसीआर की परिभाषा : उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का स्टॉक / अगले 30 कलेंडर दिनों तक कुल निवल नकदी प्रवाह (बहिर्गमन)

उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (HQLA) के स्टॉक में, परिसंपत्तियों की दो श्रेणियां हैं यानी स्तर 1 और स्तर 2 आस्ति । स्तर 2 आस्ति को उनके मूल्य-अस्थिरता के आधार पर स्तर 2 ए और स्तर 2 बी परिसंपत्तियों में उप-विभाजित किया जाता है । वे प्रत्येक श्रेणी में शामिल किए जाने वाली परिसंपत्तियां हैं, जो बैंक के पास तनाव अवधि के पहले दिन मौजूद है । स्तर 1 की संपत्ति 0% कटौती के साथ है जबकि स्तर 2 में, 2 ए की संपत्ति न्यूनतम 15% कटौती और स्तर 2 बी आस्ति की संपत्ति , न्यूनतम 50% कटौती के साथ उपलब्ध है ।

कुल निवल नकदी बहिर्गमन को अगले 30 कलेंडर दिनों के लिए कुल अपेक्षित नकदी बहिर्गमन से कटौती के रूप में पारिभाषित किया गया है। कुल अपेक्षित कैश आउटफ्लो की गणना विभिन्न श्रेणियों या देनदारियों और बकाया-तुलन पत्र प्रतिबद्धताओं के बकाया शेष राशि को उस दर से गुणा करके की जाती है, जिस पर वे बंद होने या कम होने की उम्मीद करते हैं। कुल अपेक्षित नकदी प्रवाह की गणना दरों की संविदात्मक प्राप्तियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए बकाया शेष राशि को गुणा करके की जाती है जिस पर वे कुल अपेक्षित नकदी बहिर्वाह के 75% के कुल कैप तक प्रवाह की उम्मीद करते हैं ।

वित्तीय वर्ष 2022-23 (चार तिमाहियों) और मार्च तिमाही 2022 लिए एलसीआर का विवरण : (रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही	31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही	30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही	30 जून 2022 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही
एचक्यूएलए	69 269.29	69 630.48	71 853.08	74 671.80	72,048.89
कुल निवल नकदी बहिर्गमन	40 469.60	40 377.79	42 468.53	44 262.78	40,499.29
% में एलसीआर	171.16	172.45	169.19	168.70	177.90

बैंक ने मार्च 2023 तिमाही में सभी कार्य दिवसों के लिए एलसीआर की गणना की है । 31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए बैंक का एलसीआर तीन महीने के दैनिक औसत (चौथी तिमाही वित्तीय वर्ष 2022-23) के आधार पर 171.16% है और मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए आरबीआइ द्वारा निर्धारित 100% की वर्तमान न्यूनतम आवश्यकता से काफी ऊपर है । 31.03.2022 को 100% की आवश्यकता थी । अचानक नकदी बहिर्वाह को पूरा करने के लिए बैंक के पास पर्याप्त तरलता है ।

विस्तृत मात्रात्मक प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

बैंक में तरलता प्रबन्धन बैंक की एएलएम नीति व विनियमों पर आधारित है । देशीय व विदेशी केंद्र आस्ति देयता प्रबन्धन समिति (अल्को) को रिपोर्ट करते हैं । बैंक बोर्ड ने अल्को को बैंक की फंडिंग रणनीतियाँ बनाने हेतु अधिकार प्रदान किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फंडिंग स्रोतों में विविधता है और यह बैंक के परिचालन आवश्यकता के अनुरूप है । अल्को के सभी प्रमुख फैसले बैंक के बोर्ड को समय- समय पर सूचित किए जाते हैं । दैनिक / मासिक एलसीआर रिपोर्टिंग के अतिरिक्त, नियमित रूप से बैंक की तरलता जरूरतों का आकलन करने हेतु बैंक दैनिक सांविधिक तरलता विवरणी तैयार करता है ।

बैंक अनिवार्य आवश्यकताओं के ऊपर एसएलआर निवेश के रूप में मुख्य रूप से एचक्यूएलए को बनाए रख रहा है । खुदरा जमा कुल वित्तपोषण स्रोतों का प्रमुख हिस्सा है, और ऐसे फंडिंग स्रोत विविध हैं । प्रबंधन का मानना है कि बैंक की भविष्य की अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता कवर है ।

Definition of LCR: $\dfrac{\text{Stock of high quality liquid assets (HQLAs)}}{\text{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}}$

In the stock of high quality liquid assets (HQLA), there are two categories of assets, viz. Level 1 and Level 2 assets. Level 2 assets are sub-divided into Level 2A and Level 2B assets on the basis of their price-volatility. Assets included in each category are those that the bank is holding on the first day of the stress period. Level 1 assets are with 0% haircut while in Level 2, 2A assets are with a minimum 15% haircut and Level 2B Assets, with a minimum 50% haircut.

The total net cash outflows is defined as the total expected cash outflows minus total expected cash inflows for the subsequent 30 calendar days. Total expected cash outflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories or types of liabilities and off-balance sheet commitments by the rates at which they are expected to run off or be drawn down. Total expected cash inflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates at which they are expected to flow in up to an aggregate cap of 75% of total expected cash outflows.

Details of LCR for FY 2022-23 (Four Quarters) & Quarter Ended March 2022: (Rs. in crore)

Details	Quarter Ended March 31 2023	Quarter Ended December 31 2022	Quarter Ended september 30 2022	Quarter Ended June 30 2022	Quarter Ended March 31 2022
HQLA	69 269.29	69 630.48	71 853.08	74 671.80	72,048.89
Total Net cash Outflows	40 469.60	40 377.79	42 468.53	44 262.78	40,499.29
LCR in %	171.16	172.45	169.19	168.70	177.90

Bank has calculated LCR for all working days over the March 2023 quarter. Bank's LCR for the quarter ended March 31st 2023 stands at 171.16% based on daily average of three months (Q4 FY 2022-23) and is well above the present minimum requirement prescribed by Reserve Bank of India of 100% for the Quarter ended March, 2023. The Minimum requirement as on March 31st 2022 was 100%. Bank is having enough liquidity to meet sudden cash outflows.

The detailed Quantitative disclosure is placed below:

Liquidity Management in the Bank is driven by the ALM Policy of the Bank and regulatory prescriptions. The Domestic and Overseas Centers are reporting to the Asset Liability Management Committee (ALCO). The ALCO has been empowered by the Bank's Board to formulate the Bank's funding strategies to ensure that the funding sources are well diversified and is consistent with the operational requirements of the Bank. All the major decisions of ALCO are being reported to the Bank's Board periodically. In addition to daily/monthly LCR reporting, Bank prepares daily Structural Liquidity statements to assess the liquidity needs of the Bank on an ongoing basis.

The Bank has been maintaining HQLA mainly in the form of SLR investments over and above the mandatory requirements. Retail deposits constitute major portion of total funding sources, and such funding sources are well diversified. Management is of the view that the Bank has sufficient liquidity cover to meet its likely future short-term requirements.

मात्रात्मक प्रकटीकरण से संबंधित अनुबंध:

		जून-22		जून-21		सितम्बर-22		सितम्बर-21		दिसम्बर-22		दिसम्बर-21		मार्च-23		मार्च-22	
		कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)
उच्च गुणवत्ता तरल आस्ति																	
1	कुल उच्च गुणवत्ता तरलता आस्ति (एच क्यू एल ए)	[redacted]	74 671.80	[redacted]	62 208.66	[redacted]	71 853.08	[redacted]	68 066.62	[redacted]	69 630.48	[redacted]	69 720.72	[redacted]	69 269.29	[redacted]	72 048.89
नकदी बहिर्वाह																	
2	लघु कारोबार ग्राहकों से रिटेल जमाएं व जमाएं, जिसमें	2 01 162.57	18 798.37	189 031.09	17 616.92	2 01 708.59	18 852.73	191 690.05	17 881.60	2 03 241.69	19 003.77	170 147.01	15 968.30	2 04 063.66	19 079.47	196 375.47	18 335.17
(i)	स्थिर जमाएं	26 357.71	1 317.89	25 723.73	1 286.19	26 362.54	1 318.13	25 748.04	1 287.40	26 408.03	1 320.40	20 927.87	1 046.39	26 537.86	1 326.89	26 047.53	1 302.38
(ii)	कम स्थिर जमाएं	1 74 804.86	17 480.49	163 307.36	16 330.74	1 75 346.05	17 534.61	165 942.01	16 594.20	1 76 833.66	17 683.37	149 219.14	14 921.91	1 77 525.80	17 752.58	170 327.94	17 032.79
3	अप्रतिभूत थोक वित्तीयन जिसमें	54 893.41	27 300.37	42 567.30	21 432.99	51 913.39	25 847.61	47 141.84	23 367.76	47 480.46	23 936.18	71 082.58	26 112.16	47 998.14	24 053.50	49 446.36	24 943.52
(i)	परिचलनात्मक जमाएँ (सभी कॉउंटर पार्टियाँ)	0.00	0.00	0.13	0.03	0.00	0.00	0.13	0.03	0.00	0.00	0.13	0.03	0.00	0.00	0.13	0.03
(ii)	गैर परिचलनात्मक जमाएँ (सभी कॉउंटर पार्टियाँ)	54 893.41	27 300.37	42 567.17	21 432.96	51 913.39	25 847.61	47 141.71	23 367.73	47 480.46	23 936.18	71 082.45	26 112.13	47 998.14	24 053.47	49 446.23	24 943.49
(iii)	अप्रतिभूति ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	प्रतिभूत थोक वित्तीयन	1 806.59	629.85	437.67	409.01	1 352.74	640.06	1 352.74	285.79	2 333.67	614.27	1 649.38	677.20	2 976.52	458.00	724.21	474.09
5	अतिरिक्त अपेक्षाएं जिसमें से	12 283.99	1 631.34	12 127.36	1 195.50	12 351.63	1 640.75	11 656.89	1 246.30	12 285.57	1 732.91	26 451.30	1 652.22	12 532.57	1 945.81	11 239.77	1 254.99
(i)	व्युत्पन्न एक्सपोज़र एवं अन्य संपार्श्वी अपेक्षाओं से संबंधित बहिर्वाह	539.67	539.67	99.49	99.49	556.77	556.77	207.82	207.82	672.96	672.96	217.78	217.78	891.27	891.27	250.24	250.24
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधीकरण की हानि से संबंधित बहिर्वाह	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0
(iii)	ऋण एवं तरलता सुविधा	11 744.32	1 091.67	12 027.87	1 096.01	11 794.86	1 083.98	11 449.07	1 038.48	11 612.61	1 059.95	10 704.91	968.53	11 641.30	1 054.54	10 989.53	1 004.75

Annexure to the Quantitative Disclosure:

		Jun-22		Jun-21		Sep-22		Sep-21		Dec-22		Dec-21		Mar-23		Mar-22	
		Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value [average]	Total Weighted Value (average)
High Quality Liquid Assets																	
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		74 671.80		62 208.66		71 853.08		68 066.62		69 630.48		69 720.72		69 269.29		72 048.89
Cash Outflows																	
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	2 01 162.57	18 798.37	189 031.09	17 616.92	2 01 708.59	18 852.73	191 690.05	17 881.60	2 03 241.69	19 003.77	170 147.01	15 968.30	2 04 063.66	19 079.47	196 375.47	18 335.17
(i)	Stable deposits	26 357.71	1 317.89	25 723.73	1 286.19	26 362.54	1 318.13	25 748.04	1 287.40	26 408.03	1 320.40	20 927.87	1 046.39	26 537.86	1 326.89	26 047.53	1 302.38
(ii)	Less stable deposits	1 74 804.86	17 480.49	163 307.36	16 330.74	1 75 346.05	17 534.61	165 942.01	16 594.20	1 76 833.66	17 683.37	149 219.14	14 921.91	1 77 525.80	17 752.58	170 327.94	17 032.79
3	Unsecured wholesale funding, of which:	54 893.41	27 300.37	42 567.30	21 432.99	51 913.39	25 847.61	47 141.84	23 367.76	47 480.46	23 936.18	71 082.58	26 112.16	47 998.14	24 053.50	49 446.36	24 943.52
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.13	0.03	0.00	0.00	0.13	0.03	0.00	0.00	0.13	0.03	0.00	0.00	0.13	0.03
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	54 893.41	27 300.37	42 567.17	21 432.96	51 913.39	25 847.61	47 141.71	23 367.73	47 480.46	23 936.18	71 082.45	26 112.13	47 998.14	24 053.47	49 446.23	24 943.49
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0
4	Secured wholesale funding	1 806.59	629.85	437.67	409.01	1 352.74	640.06	1 352.74	285.79	2 333.67	614.27	1 649.38	677.20	2 976.52	458.00	724.21	474.09
5	Additional requirements, of which	12 283.99	1 631.34	12 127.36	1 195.50	12 351.63	1 640.75	11 656.89	1 246.30	12 285.57	1 732.91	26 451.30	1 652.22	12 532.57	1 945.81	11 239.77	1 254.99
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	539.67	539.67	99.49	99.49	556.77	556.77	207.82	207.82	672.96	672.96	217.78	217.78	891.27	891.27	250.24	250.24
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0
(iii)	Credit and liquidity facilities	11 744.32	1 091.67	12 027.87	1 096.01	11 794.86	1 083.98	11 449.07	1 038.48	11 612.61	1 059.95	10 704.91	968.53	11 641.30	1 054.54	10 989.53	1 004.75

		जून-22		जून-21		सितम्बर-22		सितम्बर-21		दिसम्बर-22		दिसम्बर-21		मार्च-23		मार्च-22	
		कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)
6	अन्य संविदागत निधीकरण बाध्यताएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	अन्य संभाव्यता वित्तीयन बाध्यताएं	16 004.55	480.49	14 383.62	719.18	16 622.63	498.87	14 931.09	475.67	16 021.53	480.84	15 528.61	465.92	15 579.47	467.51	15 225.23	456.98
8	कुल नकद बहिर्वाह		48 840.42		41 373.60		47 480.02		43 257.12		45 767.97		44 409.89		46 004.29		45 464.75
नकदी प्रवाह																	
9	प्रतिभूत उधार [उदा. रिवर्स रेपो]	527.18	0.00	8 351.21	0.00	22.53	0.00	4 197.92	0.00	0.00	0.00	3 473.33	0.00	89.58	0.00	3 930.26	0.00
10	पूर्णता निष्पादित एक्सपोज़र से अंतर्वाह	6 858.73	3 916.95	6 624.81	3 707.35	7 750.10	4 447.50	8 396.27	4 621.84	8 116.86	4 722.21	8 827.61	4 814.60	8 557.04	4 903.28	8 296.79	4 658.92
11	अन्य नकद अंतर्वाह	664.52	660.69	284.14	266.15	567.62	563.99	200.40	154.79	674.70	667.97	197.78	163.84	638.16	631.41	308.64	306.54
12	कुल नकद अंतर्वाह	8 050.43	4 577.64	15 260.16	3 973.50	8 340.25	5 011.49	12 794.59	4 776.63	8 791.56	5 390.18	12 498.72	4 978.44	9 284.78	5 534.69	12 535.69	4 965.46
13	कुल एच क्यू एल ए		74 671.80		62 208.66		71 853.08		68 066.62		69 630.48		69 720.72		69 269.29		72 048.89
14	कुल निवल नकद प्रवाह		44 262.78		37 400.10		42 468.53		38 480.49		40 377.79		39 433.57		40 469.60		40 499.29
15	तरलता कवरेज अनुपात [%]		168.70%		166.33%		169.19%		176.89%		172.45%		176.81%		171.16%		177.90%

1. गैर-भारित मूल्यों की गणना 30 दिनों के भीतर परिपक्व या कॉल करने योग्य बकाया शेष राशि के रूप में की जाती है (इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए) सिवाय जहां अन्यथा परिपत्र और एलसीआर टेम्पलेट में उल्लिखित है।
2. भारित मूल्यों की गणना संबंधित हेयरकट (एचक्यूएलए के लिए) या इनफ्लो और आउटफ्लो दरों (इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए) को लागू करने के बाद की जाती है।
3. समायोजित मूल्यों की गणना (i) हेयरकट और इनफ्लो और आउटफ्लो दरों और (ii) किसी भी लागू कैप्स (यानी एचक्यूएलए के लिए लेवल 2बी और लेवल 2 एसेट्स पर कैप और इनफ्लो पर कैप) दोनों को लागू करने के बाद की जाती है।

ग) निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 मई 2018 के परिपत्र संख्या आरबीआई/2017-18/178 डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.106/21.04.098/2017-18 के माध्यम से शुद्ध स्थिर निवल अनुपात (एनएसएफआर) की शुरुआत की जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है । बैंकों को अपनी गतिविधियों को निरंतर आधार पर वित्त पोषण के अधिक स्थिर स्रोतों के साथ निधि देने की आवश्यकता के द्वारा लंबी अवधि के क्षितिज पर बैंकों के लचीलेपन को बढ़ावा देना आवश्यक है । 01 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में निर्धारित न्यूनतम एनएसएफआर की आवश्यकता 100% है ।

		Jun-22		Jun-21		Sep-22		Sep-21		Dec-22		Dec-21		Mar-23		Mar-22	
		Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value [average]	Total Weighted Value (average)
6	Other contractual funding obligations	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0
7	Other contingent funding obligations	16 004.55	480.49	14 383.62	719.18	16 622.63	498.87	14 931.09	475.67	16 021.53	480.84	15 528.61	465.92	15 579.47	467.51	15 225.23	456.98
8	TOTAL CASH OUTFLOWS		48 840.42		41 373.60		47 480.02		43 257.12		45 767.97		44 409.89		46 004.29		45 464.75
Cash Inflows																	
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	527.18	0.00	8 351.21	0	22.53	0.00	4 197.92	0.00	0.00	0.00	3 473.33	0	89.58	0.00	3 930.26	0
10	Inflows from fully performing exposures	6 858.73	3 916.95	6 624.81	3 707.35	7 750.10	4 447.50	8 396.27	4 621.84	8 116.86	4 722.21	8 827.61	4 814.60	8 557.04	4 903.28	8 296.79	4 658.92
11	Other cash inflows	664.52	660.69	284.14	266.15	567.62	563.99	200.40	154.79	674.70	667.97	197.78	163.84	638.16	631.41	308.64	306.54
12	TOTAL CASH INFLOWS	8 050.43	4 577.64	15 260.16	3 973.50	8 340.25	5 011.49	12 794.59	4 776.63	8 791.56	5 390.18	12 498.72	4 978.44	9 284.78	5 534.69	12 535.69	4 965.46
13	TOTAL HQLA		74 671.80		62 208.66		71 853.08		68 066.62		69 630.48		69 720.72		69 269.29		72 048.89
14	TOTAL NET CASH OUTFLOWS		44 262.78		37 400.10		42 468.53		38 480.49		40 377.79		39 433.57		40 469.60		40 499.29
15	LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)		168.70%		166.33%		169.19%		176.89%		172.45%		176.81%		171.16%		177.90%

1. Unweighted values are calculated as outstanding balances maturing or callable within 30 days (for inflows and outflows) except where otherwise mentioned in the Circular and LCR template.
2. Weighted values are calculated after the application of respective haircuts (for HQLA) or inflow and outflow rates (for inflows and outflows).
3. Adjusted values are calculated after the application of both (i) haircuts and inflow and outflow rates and (ii) any applicable caps (i.e. cap on level 2B and level 2 assets for HQLA and cap on inflows).

c) Net Stable Funding ratio (NSFR)

Reserve Bank of India introduced the Net Stable Funding Ratio (NSFR) vide circular No. RBI/2017-18/178 DBR.BP.BC.No.106/21.04.098/2017-18 dated May 17,2018 which has been modified from time to time in order to promote resilience of Banks over a longer-term time horizon by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis. The minimum NSFR requirement set out in the Reserve Bank of India guidelines effective from October 1, 2021 is 100%

एनएसएफआर की परिभाषा: $\frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधि (एएसएफ)}}{\text{आवश्यक स्थिर निधि (आरएसएफ)}}$

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर फंडिंग की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर फंडिंग की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है । उपलब्ध स्थिर वित्त पोषण (एएसएफ) को पूंजी और देनदारियों के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एनएसएफआर द्वारा विचार किए गए समय क्षितिज पर विश्वसनीय होने की उम्मीद है, जो एक वर्ष तक फैली हुई है । किसी विशिष्ट संस्थान की आवश्यक स्थिर निधि (आरएसएफ) की राशि चलनिधि विशेषताओं और उस संस्था द्वारा धारित विभिन्न परिसंपत्तियों की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ-साथ इसके तुलन पत्र से इतर (ओबीएस) एक्सपोजर का एक कार्य है ।

दिसंबर 2022 और मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर का विवरण: (रुपये करोड़ में)

विवरण	दिसंबर 2022 तिमाही	मार्च 2023 तिमाही
उपलब्ध स्थिर निधि (एएसएफ) (भारित मूल्य)	2 26 423.49	2 45 665.82
आवश्यक स्थिर निधि (आरएसएफ) (भारित मूल्य)	1 48 366.14	1 71 536.41
एनएसएफआर % में	152.61%	143.21%

बैंक ने 31 मार्च 2023 के लिए एनएसएफआर की गणना की है जो 143.21% है जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 100% की न्यूनतम आवश्यकता से काफी ऊपर है। बैंक का अधिकांश वित्तपोषण खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों से होता है, जो फंडिंग की स्थिरता के संबंध में उच्च स्थिरता प्रदान करते हैं। लंबी अवधि के क्षितिज पर निरंतर आधार पर अपनी गतिविधियों को निधि देने के लिए बैंक के पास वित्त पोषण के पर्याप्त स्थिर स्रोत हैं।

Definition of NSFR: $\frac{\text{Available Stable Fund (ASF)}}{\text{Required Stable Fund (RSF)}}$

The NSFR is defined as the amount of available stable funding relative to the amount of required stable funding. Available stable funding (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered by the NSFR, which extends to one year. The amount of required stable funding (RSF) of a specific institution is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by that institution as well as those of its off-balance sheet (OBS) exposures.

Details of NSFR for the quarter ended Dec'2022 & Mar'2023: (Rs. In Crore)

Details	**Dec'2022 Quarter**	**Mar'2023 Quarter**
Available stable funding (ASF) (Weighted Value)	2 26 423.49	2 45 665.82
Required Stable Fund (RSF) (Weighted Value)	1 48 366.14	1 71 536.41
NSFR in %	152.61%	143.21%

Bank has calculated NSFR for March 31st 2023 which stands at 143.21% which is well above the Reserve Bank of India prescribed minimum requirement of 100%. Bank's majority funding is from Retail and Small Business customers, which provide high stability with regard to stability of Funding. Bank is having enough stable sources of funding to fund their activities on an ongoing basis over a longer-term time horizon.

विस्तृत मात्रात्मक प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

		दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए					मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए				
		एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट					एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट				
(रुपये करोड़ में)		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारित मूल्य				भारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारित मूल्य				भारित मूल्य
		कोई परिपक्वता नहीं	<6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	एक वर्ष और अधिक		कोई परिपक्वता नहीं	<6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	एक वर्ष और अधिक	
एएसएफ आइटम											
1	पूंजी: (2+3)	18 812.52	0	0	0	18 812.52	20 924.96	0	0	0	20 924.96
2	विनियामक पूंजी	18 812.52	0	0	0	18 812.52	20 924.96	0	0	0	20 924.96
3	अन्य पूंजीगत साधन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	छोटे व्यवसाय ग्राहकों से खुदरा जमा और जमा: (5+6)	90 119.40	64 762.40	47 611.95	3 003.24	1 86 599.97	90 095.64	66 700.62	49 179.28	5 458.82	192 196.69
5	स्थिर जमाएँ	12 037.32	8 650.37	6 359.57	3 003.24	28 698.13	11 896.49	8 807.34	6493.77	5458.82	31 296.55
6	कम स्थिर जमाएँ	78 082.07	56 112.03	41 252.38	0.00	1 57 901.84	78 199.15	57 893.28	42685.50	0.00	160 900.14
7	थोक वित्त पोषण: (8+9)	24 471.50	19 470.19	14 314..07	0.00	29 127.88	24017.17	23640.63	17430.56	0.00	32 544.18
8	परिचालन जमा	.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक वित्त पोषण	24 471.50	19 470.19	14 314.07	0.00	29 127.88	24 017.17	23 640.63	17 430.56	0.00	32 544.18
10	अन्य देनदारियां: (11+12)	2 569.43	1 846.47	1 357.48	0.00	0	2777.07	2055.95	1524.76	0.00	0.00
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देनदारियां		0.00	0.00	0.00			0.00	8.88	0.00	
12	अन्य सभी देनदारियां और इक्विटी उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	2 569.43	1 846.47	1 357.48	0.00	0.00	2 777.07	2 055.95	15 15.88	0.00	0.00
13	कुल एएसएफ (1+4+7+10)					2 34 540.37					245665.82
आरएसएफ़ मदें											
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्ति(HQLA)					3 567.78					3 530.99
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाएँ	703.68	0.00	0.00	0.00	351.84	1 304.97	0.00	0.00	0.00	652.48
16	ऋण और प्रतिभूतियों अर्जक (17+18+19+21+23)	32 005.44	30 396.73	19 003.02	95 750.21	1 28 854.10	0.00	36 401.95	22 248.02	56083.06	138587.63
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को ऋण देना	0.00	0.00	0.00	0.00	.0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएल द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण दिए गए प्रतिभूत अर्जक तथा वित्तीय को दिए गए गैर प्रतिभूत अर्जक ऋण संस्थानों	0.00	51.35	624.74	8 936.80	9 256.87	0.00	54.17	1 513.22	9 117.20	9 881.94

The detailed Quantitative disclosure is placed below:

		For Quarter Ended Dec'2022					For Quarter Ended Mar'2023				
		NSFR Disclosure Template					NSFR Disclosure Template				
	(Rs.in Crore)	Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value	Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value
	ASF Item	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More	
1	Capital: (2+3)	18 812.52	0	0	0	18 812.52	20 924.96	0	0	0	20 924.96
2	Regulatory capital	18 812.52	0	0	0	18 812.52	20 924.96	0	0	0	20 924.96
3	Other capital instruments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	90 119.40	64 762.40	47 611.95	3 003.24	1 86 599.97	90 095.64	66 700.62	49 179.28	5 458.82	192 196.69
5	Stable deposits	12 037.32	8 650.37	6 359.57	3 003.24	28 698.13	11 896.49	8 807.34	6493.77	5458.82	31 296.55
6	Less stable deposits	78 082.07	56 112.03	41 252.38	0.00	1 57 901.84	78 199.15	57 893.28	42685.50	0.00	160 900.14
7	Wholesale funding: (8+9)	24 471.50	19 470.19	14 314..07	0.00	29 127.88	24017.17	23640.63	17430.56	0.00	32 544.18
8	Operational deposits	.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	24 471.50	19 470.19	14 314.07	0.00	29 127.88	24 017.17	23 640.63	17 430.56	0.00	32 544.18
10	Other liabilities: (11+12)	2 569.43	1 846.47	1 357.48	0.00	0	2777.07	2055.95	1524.76	0.00	0.00
11	NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00			0.00	8.88	0.00	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	2 569.43	1 846.47	1 357.48	0.00	0.00	2 777.07	2 055.95	15 15.88	0.00	0.00
13	Total ASF (1+4+7+10)					2 34 540.37					245665.82
RSF Item											
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					3 567.78					3 530.99
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	703.68	0.00	0.00	0.00	351.84	1 304.97	0.00	0.00	0.00	652.48
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	32 005.44	30 396.73	19 003.02	95 750.21	1 28 854.10	0.00	36 401.95	22 248.02	56083.06	138587.63
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	.0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	51.35	624.74	8 936.80	9 256.87	0.00	54.17	1 513.22	9 117.20	9 881.94

		दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए					मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए				
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण देना, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण देना, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण देना, जिनमें से:	32 005.44	30 345.38	18 378.27	40 419.97	83 266.67	0.00	36 347.77	20 734.81	0.00	91 991.24
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	5 870.21	0.00	0.00	7 413.54	8 634.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10 091.95
21	अर्जक आवासीय बंधक जिनमें से:	0.00	0.00	0.00	19 808.36	13 733.24	0.00	0.00	0.00	20451.08	14 176.89
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0.00	0.00	0.00	15 519.36	10 087.58	0.00	0.00	0.00	16 032.62	10 421.20
23	प्रतिभूतियां जो डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं	0.00	0.0	0.00	26 585.08	22 597.32	0.00	0.00	0.00	2 6514.78	22 537.56
24	अन्य संपत्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग)	12 967.99	488.02	189.15	17 793.91	31 151.37	0.00	0.00	0.00	168.92	27 978.56
25	स्वर्ण सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं	0.00				0.00	0.00				0.00
26	डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई संपत्तियां और सीसीपी के डिफ़ॉल्ट फंड में योगदान		0.00	0.00	1 917.99	1 630.29		0.00	0.00	168.92	143.58
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव एसेट्स		167.34	0.00	0.00	167.34		0.00	0.00	0.00	0.00
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं		8.37	0.00	0.00	8.37		0.00	0.00	0.00	0.00
29	अन्य सभी संपत्तियां उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	12 967.99	312.32	189.15	15 875.92	29 345.38	0.00	0.00	0.00	0.00	27 834.98
30	तुलन पत्र से इतर मदें		1 639.53	992.96	13 796.80	711.56		1 842.66	1062.64	15081.70	780.92
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)					1 64 636.65					171536.41
32	शुद्ध स्थिर निधि अनुपात (%)					142.46%					143.21

		For Quarter Ended Dec'2022					For Quarter Ended Mar'2023				
19	Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	32 005.44	30 345.38	18 378.27	40 419.97	83 266.67	0.00	36 347.77	20 734.81	0.00	91 991.24
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	5 870.21	0.00	0.00	7 413.54	8 634.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10 091.95
21	Performing residential mortgages, of which:	0.00	0.00	0.00	19 808.36	13 733.24	0.00	0.00	0.00	20451.08	14 176.89
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	0.00	0.00	15 519.36	10 087.58	0.00	0.00	0.00	16 032.62	10 421.20
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	0.00	0.0	0.00	26 585.08	22 597.32	0.00	0.00	0.00	2 6514.78	22 537.56
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	12 967.99	488.02	189.15	17 793.91	31 151.37	0.00	0.00	0.00	168.92	27 978.56
25	Physical traded commodities, including gold	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	1 917.99	1 630.29		0.00	0.00	168.92	143.58
27	NSFR derivative assets		167.34	0.00	0.00	167.34		0.00	0.00	0.00	0.00
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		8.37	0.00	0.00	8.37		0.00	0.00	0.00	0.00
29	All other assets not included in the above categories	12 967.99	312.32	189.15	15 875.92	29 345.38	0.00	0.00	0.00	0.00	27 834.98
30	Off-balance sheet items		1 639.53	992.96	13 796.80	711.56		1 842.66	1062.64	15081.70	780.92
31	Total RSF (14+15+16+24+30)					1 64 636.65					171536.41
32	Net Stable Funding Ratio (%)					142.46%					143.21

(रुपये करोड़ में)

		जून 2022 तिमाही के लिए					सितंबर 2022 तिमाही के लिए				
		एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट					एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट				
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारित मूल्य				भारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भारित मूल्य				भारित मूल्य
		कोई परिपक्वता नहीं	<6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	एक वर्ष और अधिक		कोई परिपक्वता नहीं	<6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	एक वर्ष और अधिक	
एएसएफ आइटम											
1	पूंजी: (2+3)	17976.3	0	0	0	17976.3	18654.38	0	0	0	18654.38
2	विनियामक पूंजी	17976.3	0	0	0	17976.3	18654.38	0	0	0	18654.38
3	अन्य पूंजीगत साधन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	छोटे व्यवसाय ग्राहकों से खुदरा जमा और जमा: (5+6)	85881.35	61981.47	51516.92	1048.30	181825.95	86666.45	67147.05	48851.08	3538.57	187283.36
5	स्थिर जमा	11508.44	8305.76	6903.47	1048.30	26430.10	11517.55	8923.51	6492.07	3538.57	29125.05
6	कम स्थिर जमा	74372.91	53675.70	44613.44	0.00	155395.85	75148.90	58223.54	42359.01	0.00	158158.31
7	थोक वित्त पोषण: (8+9)	26131.05	18177.20	15108.27	0.00	29708.26	25257.72	21138.45	15378.73	0.00	30887.45
8	परिचालन जमा	0.13	0	0	0	0.07	0.00	0	0	0	0.00
9	अन्य थोक वित्त पोषण	26130.92	18177.20	15108.27	0.00	29708.20	25257.72	21138.45	15378.73	0.00	30887.45
10	अन्य देनदारियां: (11+12)	3277.19	2365.18	1965.86	0.00	0	2705.74	2096.34	1525.14	0.00	0
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देनदारियां		0	0.00	0			0	0.00	0	
12	अन्य सभी देनदारियां और इक्विटी उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	3277.19	2365.18	1965.86	0.00	0.00	2705.74	2096.34	1525.14	0.00	0.00
13	कुल एएसएफ (1+4+7+10)					229510.51					236825.19
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए)					3484.33					3610.04
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाराशियां	617.25	0.00	0.00	0.00	308.63	514.26	0.00	0.00	0.00	257.13
16	ऋण और प्रतिभूतियों का निष्पादन: (17+18+19+21+23)	34984.92	16778.71	22526.83	87605.31	119926.82	36922.17	19167.37	25764.71	87976.61	123694.21
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना और वित्तीय संस्थानों को असुरक्षित प्रदर्शन करने वाले ऋण	0.00	52.85	542.87	9601.88	9881.24	0.00	82.76	485.10	7717.91	7972.88

(Rs.in Crore)

		For Quarter Ended June 2022					For Quarter Ended September 2022				
		NSFR Disclosure Template					NSFR Disclosure Template				
		Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value	Unweighted value by Residual Maturity				Weighted value
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	One Yr and More	
ASF Item											
1	Capital: (2+3)	17976.3	0	0	0	17976.3	18654.38	0	0	0	18654.38
2	Regulatory capital	17976.3	0	0	0	17976.3	18654.38	0	0	0	18654.38
3	Other capital instruments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	85881.35	61981.47	51516.92	1048.30	181825.95	86666.45	67147.05	48851.08	3538.57	187283.36
5	Stable deposits	11508.44	8305.76	6903.47	1048.30	26430.10	11517.55	8923.51	6492.07	3538.57	29125.05
6	Less stable deposits	74372.91	53675.70	44613.44	0.00	155395.85	75148.90	58223.54	42359.01	0.00	158158.31
7	Wholesale funding: (8+9)	26131.05	18177.20	15108.27	0.00	29708.26	25257.72	21138.45	15378.73	0.00	30887.45
8	Operational deposits	0.13	0	0	0	0.07	0.00	0	0	0	0.00
9	Other wholesale funding	26130.92	18177.20	15108.27	0.00	29708.20	25257.72	21138.45	15378.73	0.00	30887.45
10	Other liabilities: (11+12)	3277.19	2365.18	1965.86	0.00	0	2705.74	2096.34	1525.14	0.00	0
11	NSFR derivative liabilities		0	0.00	0			0	0.00	0	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	3277.19	2365.18	1965.86	0.00	0.00	2705.74	2096.34	1525.14	0.00	0.00
13	Total ASF (1+4+7+10)					229510.51					236825.19
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					3484.33					3610.04
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	617.25	0.00	0.00	0.00	308.63	514.26	0.00	0.00	0.00	257.13
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	34984.92	16778.71	22526.83	87605.31	119926.82	36922.17	19167.37	25764.71	87976.61	123694.21
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	52.85	542.87	9601.88	9881.24	0.00	82.76	485.10	7717.91	7972.88

(रुपये करोड़ में)

		जून 2022 तिमाही के लिए					सितंबर 2022 तिमाही के लिए				
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण देना, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण देना, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण देना, जिनमें से:	34984.92	16725.86	21983.96	32441.54	73922.14	36922.17	19084.60	25279.61	34539.75	79740.52
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	7122.05	0.00	0.00	6604.28	8922.12	8225.94	0.00	0.00	7695.16	10348.72
21	आवासीय बंधक प्रदर्शन करना, जिनमें से:	0.00	0.00	0.00	18107.94	12787.58	0.00	0.00	0.00	19088.67	13345.08
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0.00	0.00	0.00	13020.83	8463.54	0.00	0.00	0.00	14401.46	9360.95
23	प्रतिभूतियां जो डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं	0.00	0.00	0.00	27453.95	23335.86	0.00	0.00	0.00	26630.28	22635.74
24	अन्य संपत्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग)	17416.83	618.96	385.44	17289.04	35437.71	16922.73	647.45	343.42	17045.21	34686.25
25	सोने सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं	0.00				0.00	0.00				0.00
26	डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई संपत्तियां और सीसीपी के डिफ़ॉल्ट फंड में योगदान		0.00	0.00	1817.10	1544.54		0.00	0.00	1817.10	1544.54
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव एसेट्स		310.20	0.00	0.00	310.20		369.71	0.00	0.00	369.71
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं		15.51	0.00	0.00	15.51		18.49	0.00	0.00	18.49
29	अन्य सभी संपत्तियां उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	17416.83	293.25	385.44	15471.94	33567.47	16922.73	259.26	343.42	15228.11	32753.52
30	ऑफ-तुलन पत्र आइटम		1014.90	1333.96	12535.95	660.05		1090.13	1443.99	13978.38	718.15
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)					159817.53					162965.78
32	शुद्ध स्थिर निधि अनुपात (%)					143.61%					145.32%

(Rs.in Crore)

		For Quarter Ended June 2022					For Quarter Ended September 2022				
19	Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	34984.92	16725.86	21983.96	32441.54	73922.14	36922.17	19084.60	25279.61	34539.75	79740.52
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	7122.05	0.00	0.00	6604.28	8922.12	8225.94	0.00	0.00	7695.16	10348.72
21	Performing residential mortgages, of which:	0.00	0.00	0.00	18107.94	12787.58	0.00	0.00	0.00	19088.67	13345.08
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	0.00	0.00	13020.83	8463.54	0.00	0.00	0.00	14401.46	9360.95
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	0.00	0.00	0.00	27453.95	23335.86	0.00	0.00	0.00	26630.28	22635.74
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	17416.83	618.96	385.44	17289.04	35437.71	16922.73	647.45	343.42	17045.21	34686.25
25	Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00	0.00				0.00
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	1817.10	1544.54		0.00	0.00	1817.10	1544.54
27	NSFR derivative assets		310.20	0.00	0.00	310.20		369.71	0.00	0.00	369.71
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		15.51	0.00	0.00	15.51		18.49	0.00	0.00	18.49
29	All other assets not included in the above categories	17416.83	293.25	385.44	15471.94	33567.47	16922.73	259.26	343.42	15228.11	32753.52
30	Off-balance sheet items		1014.90	1333.96	12535.95	660.05		1090.13	1443.99	13978.38	718.15
31	Total RSF (14+15+16+24+30)					159817.53					162965.78
32	Net Stable Funding Ratio (%)					143.61%					145.32%

3. निवेश

अ) 31.03.2023 को निवेश पोर्टफोलियो की संरचना (राशि ₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश				
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	शेयर	डिबेंचर और बांड	सहायक कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	सहायक कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश	कुल निवेश
परिपक्वता के लिए धारित												
सकल	77 120.52	1.01	606.90	0.00	0.00	13.86	77 742.29	3 710.18	199.58	150.28	4 060.03	81 802.32
घटाएं: गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	6.13	0.00	6.13	6.15
निवल	**77 120.52**	**0.99**	**606.89**	**0.00**	**0.00**	**13.86**	**77 742.27**	**3 710.18**	**193.45**	**150.28**	**4 053.90**	**81 796.17**
बिक्री के लिए उपलब्ध												
सकल	9 749.10	0.00	1 896.07	2 535.49	0.00	604.33	14 784.99	0.00	0.00	77.72	77.72	14 862.71
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	266.61	0.00	1 367.68	321.26	0.00	529.35	2 484.90	0.00	0.00	3.57	3.57	2 488.47
निवल	**9 482.49**	**0.00**	**528.39**	**2 214.23**	**0.00**	**74.98**	**12 300.09**	**0.00**	**0.00**	**74.15**	**74.15**	**12 374.24**
ट्रेडिंग के लिए आयोजित												
सकल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
कुल निवेश	**86 869.62**	**1.01**	**2 502.97**	**2 535.49**	**0.00**	**618.19**	**92 527.28**	**3 710.18**	**199.58**	**228.00**	**4 137.76**	**96 665.03**
घटाएं: अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान #	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	266.61	0.00	1 367.68	321.26	0.00	529.35	2 484.90	0.00	6.13	3.57	9.70	2 494.60
निवल	**86 603.01**	**0.99**	**1 135.28**	**2 214.23**	**0.00**	**88.84**	**90 042.35**	**3 710.18**	**193.45**	**224.43**	**4 128.05**	**94 170.41**

बैंक के पास हांगकांग शाखा के एनपीआई निवेश के तहत मेसर्स टीसीआई सनमार केमिकल्स एसएई द्वारा जारी इक्विटी और एनसीडी हैं जैसा कि अनुसूची -8 निवेश ओवरसीज के तहत दिखाया गया है और जो एससीए द्वारा प्रमाणित है। चूंकि खाता अवमानक श्रेणी के अंतर्गत है, बैंक के पास उक्त निवेश एक्सपोजर के लिए निम्नानुसार प्रावधान है:

निवेश का प्रकार	31.03.2023 (INR) के अनुसार प्रावधान की राशि
टीसीआई सनमार केम.एसएई - इक्विटी	45 80 79 776.52
टीसीआई सनमार केम.एसएई - एनसीडी	30 04 90 999.26
कुल	**75 85 70 775.78**

उपर्युक्त प्रावधान के.का. बही में किया जाता है।

3. Investments

a) Composition of Investment Portfolio As at 31.03.2023 **(Amount in ₹ crore)**

	Investments in India							Investments outside India				
	Government Securities	**Other Approved Securities**	**Shares**	**Debentures and Bonds**	**Subsidiaries and/ or joint ventures**	**Others**	**Total investments in India**	**Government securities (including local authorities)**	**Subsidiaries and/ or joint ventures**	**Others**	**Total Investments outside India**	**Total Investments**
Held to Maturity												
Gross	77 120.52	1.01	606.90	0.00	0.00	13.86	77 742.29	3 710.18	199.58	150.28	4 060.03	81 802.32
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	6.13	0.00	6.13	6.15
Net	**77 120.52**	**0.99**	**606.89**	**0.00**	**0.00**	**13.86**	**77 742.27**	**3 710.18**	**193.45**	**150.28**	**4 053.90**	**81 796.17**
Available for Sale												
Gross	9 749.10	0.00	1 896.07	2 535.49	0.00	604.33	14 784.99	0.00	0.00	77.72	77.72	14 862.71
Less: Provision for depreciation and NPI	266.61	0.00	1 367.68	321.26	0.00	529.35	2 484.90	0.00	0.00	3.57	3.57	2 488.47
Net	**9 482.49**	**0.00**	**528.39**	**2 214.23**	**0.00**	**74.98**	**12 300.09**	**0.00**	**0.00**	**74.15**	**74.15**	**12 374.24**
Held for Trading												
Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total Investments	**86 869.62**	**1.01**	**2 502.97**	**2 535.49**	**0.00**	**618.19**	**92 527.28**	**3 710.18**	**199.58**	**228.00**	**4 137.76**	**96 665.03**
Less: Provision for non-performing investments #	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
Less: Provision for depreciation and NPI	266.61	0.00	1 367.68	321.26	0.00	529.35	2 484.90	0.00	6.13	3.57	9.70	2 494.60
Net	**86 603.01**	**0.99**	**1 135.28**	**2 214.23**	**0.00**	**88.84**	**90 042.35**	**3 710.18**	**193.45**	**224.43**	**4 128.05**	**94 170.41**

The Bank is holding equity and NCDs issued by M/s. TCI Sanmar Chemicals SAE under NPI investments of Hong Kong Branch as shown under Schedule -8 Investment Overseas) as certified by the SCAs. Since the account is under substandard category, the Bank is holding provision against the said investment exposure as under:

Type of Investment	**Amount of provision as on 31.03.2023 (INR)**
TCI SANMAR CHEM.SAE – EQUITY	45 80 79 776.52
TCI SANMAR CHEM.SAE – NCD	30 04 90 999.26
TOTAL	**75 85 70 775.78**

The above mentioned provision is held in C.O. books.

31.03.2022 को निवेश पोर्टफोलियो की संरचना

(राशि ₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश				
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	शेयर	डिबेंचर और बांड	सहायक कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	सहायक कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश	कुल निवेश
परिपक्वता के लिए धारित												
सकल	75 963.68	1.01	575.37	427.50	0	3.49	76 971.06	2 701.49	199.57	86.73	2 987.79	79 958.85
घटाएं: गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0	0.02	0	0	0	0	0.02	0.00	6.13	0.00	6.13	6.15
निवल	75 963.68	0.99	575.37	427.50	0	3.49	76 971.04	2 701.49	193.44	86.73	2 981.66	79 952.70
बिक्री के लिए उपलब्ध												
सकल	12 601.28	0	2 323.54	3 070.05	0	1 494.22	19 489.10	1 029.07	0	190.05	1 219.12	20 708.22
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	256.32	0	1 526.74	391.43	0	293.87	2 468.36	11.13	0	2.11	13.24	2 481.60
निवल	12 344.96	0	796.80	2 678.62	0	1 200.35	17 020.74	1 017.94	0	187.94	1 205.88	18 226.62
ट्रेडिंग के लिए आयोजित												
सकल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
निवल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल निवेश	88 564.96	1.01	2 898.91	3 497.55	0	1 497.71	96 460.16	3 730.56	199.57	276.78	4 206.91	100 667.07
घटाएं: अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान #	0	0.02	0	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0.02
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	256.32	0	1 526.74	391.43	0	293.87	2 468.36	11.13	6.13	2.11	19.37	2 487.73
निवल	88 308.64	0.99	1 372.17	3 106.12	0	1 203.84	93 991.78	3 719.43	193.44	274.67	4 187.54	98 179.32

Composition of Investment Portfolio As at 31.03.2022

(Amount in ₹ crore)

	Investments in India							Investments outside India				
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/ or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/ or joint ventures	Others	Total Investments outside India	Total Investments
Held to Maturity												
Gross	75 963.68	1.01	575.37	427.50	0	3.49	76 971.06	2 701.49	199.57	86.73	2 987.79	79 958.85
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0	0.02	0	0	0	0	0.02	0.00	6.13	0.00	6.13	6.15
Net	75 963.68	0.99	575.37	427.50	0	3.49	76 971.04	2 701.49	193.44	86.73	2 981.66	79 952.70
Available for Sale												
Gross	12 601.28	0	2 323.54	3 070.05	0	1 494.22	19 489.10	1 029.07	0	190.05	1 219.12	20 708.22
Less: Provision for depreciation and NPI	256.32	0	1 526.74	391.43	0	293.87	2 468.36	11.13	0	2.11	13.24	2 481.60
Net	12 344.96	0	796.80	2 678.62	0	1 200.35	17 020.74	1 017.94	0	187.94	1 205.88	18 226.62
Held for Trading												
Gross	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Less: Provision for depreciation and NPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Investments	88 564.96	1.01	2 898.91	3 497.55	0	1 497.71	96 460.16	3 730.56	199.57	276.78	4 206.91	100 667.07
Less: Provision for non-performing investments#	0	0.02	0	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0.02
Less: Provision for depreciation and NPI	256.32	0	1 526.74	391.43	0	293.87	2 468.36	11.13	6.13	2.11	19.37	2 487.73
Net	88 308.64	0.99	1 372.17	3 106.12	0	1 203.84	93 991.78	3 719.43	193.44	274.67	4 187.54	98 179.32

बैंक के पास हांगकांग शाखा के एनपीआई निवेश के तहत मेसर्स टीसीआई सनमार केमिकल्स एसएई द्वारा जारी इक्विटी और एनसीडी हैं जैसा कि अनुसूची -8 निवेश ओवरसीज के तहत दिखाया गया है और जो एससीए द्वारा प्रमाणित है। चूंकि खाता अवमानक श्रेणी के अंतर्गत है, बैंक के पास उक्त निवेश एक्सपोजर के लिए निम्नानुसार प्रावधान है:

निवेश का प्रकार	**31.03.2023 के अनुसार प्रावधान की राशि (INR)**
टीसीआई सनमार केम.एसएई - इक्विटी	45 80 79 776.52
टीसीआई सनमार केम.एसएई - एनसीडी	30 04 90 999.26
कुल	**75 85 70 775.78**

आ) मूल्यह्रास और निवेश में उतार-चढ़ाव रिज़र्व के प्रावधानों का संचालन (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	**2022-23**	**2021-22**
i) निवेश पर मूल्यह्रास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचालन		
क. प्रारंभिक जमा	2 436.23	2 913.77
ख. जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	769.51	325.34
ग. घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/बट्टे खाते में डालना	1 104.77	802.88
घ. जमा शेष	2 100.97	2 436.23
ii) निवेश में उतार-चढ़ाव रिज़र्व का संचलन		
क. प्रारंभिक जमा	390.00	100.00
ख. जोड़ें: वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि	0.00	290.00
ग. कम: ड्राडाउन	0.00	--
घ. जमा शेष	390.00	390.00
iii) एएफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष (बुक वैल्यू)	2.71%	2.00%

ग) एचटीएम श्रेणी से/को बिक्री और अंतरण

चालू वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी (5% की निर्धारित सीमा से अधिक) से बिक्री: शून्य [पिछला वर्ष: शून्य]। वर्ष की शुरुआत में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत श्रेणी अंतरण के अलावा एचटीएम श्रेणी में/से अंतरण : शून्य।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 7 जुलाई, 2015 के मास्टर परिपत्र - वर्गीकरण मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो के संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार, बैंकों को वर्ष में एक बार एचटीएम में/से निवेश अंतरण करने की अनुमति दी जाती है, आमतौर पर लेखांकन वर्ष की शुरुआत में । उस लेखा वर्ष के शेष भाग के दौरान आगे किसी भी अंतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय इसके कि जब आरबीआई द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई हो ।

घ) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i) गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश (राशि ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	**विवरण**	**2022-23**	**2021-22**
क.	1 अप्रैल को अथ शेष	2 541.11	2 670.54
ख.	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन	1 181.76	451.42
ग.	उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती	1 417.71	580.85
घ.	31 मार्च को अंतिम शेष	2 305.17	2 541.11
ड़.	**धारित कुल प्रावधान**	**2 277.38**	**2 252.21**

The Bank is holding equity and NCDs issued by M/s. TCI Sanmar Chemicals SAE under NPI investments of Hong Kong Branch as shown under Schedule -8 Investment Overseas) as certified by the SCAs. Since the account is under substandard category, the Bank is holding provision against the said investment exposure as under:

Type of Investment	Amount of provision as on 31.03.2023 (INR)
TCI SANMAR CHEM.SAE – EQUITY	45 80 79 776.52
TCI SANMAR CHEM.SAE – NCD	30 04 90 999.26
TOTAL	**75 85 70 775.78**

The above mentioned provision is held in C.O. books.

b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve (Amount in ₹ crore)

Particulars		2022-23	2021-22
i)	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
a.	Opening Balance	2 436.23	2 913.77
b.	Add: Provisions made during the year	769.51	325.34
c.	Less: Write off/write back of excess provisions during the year	1 104.77	802.88
d.	Closing Balance	2 100.97	2 436.23
ii) Movement of Investment Fluctuation Reserve			
a.	Opening Balance	390.00	100.00
b.	Add: Amount transferred during the year	0.00	290.00
c.	Less: Drawdown	0.00	--
d.	Closing balance	390.00	390.00
iii) Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category (Book value)		2.71%	2.00%

c) Sale and transfers to/from HTM category

Sale from HTM category (above the prescribed limit of 5%) during the current year: NIL [previous year: NIL]. Transfer to/from HTM Category other than the category transfer allowed by Reserve Bank of India at the beginning of the year: NIL.

As per Master Circular – Prudential Norms for Classification Valuation and Operation of Investment portfolio by Banks dated July 7,2015 issued by Reserve Bank of India, Banks are permitted to shift investments to/from HTM once in a year, normally at the beginning of the accounting year. No further shifting will be allowed during remaining part of that accounting year, except when explicitly permitted by Reserve Bank of India.

d) Non-SLR Investment Portfolio

i) Non-performing non-SLR investments (Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	2022-23	2021-22
a)	Opening balance as on 1st April	2 541.11	2 670.54
b)	Additions during the year since 1st April	1 181.76	451.42
c)	Reductions during the above period	1 417.71	580.85
d)	Closing balance as on 31st March	2 305.17	2 541.11
e)	**Total provisions held**	**2 277.38**	**2 252.21**

ii) गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना **(राशि ₹ करोड़ में)**

क्रम सं	जारीकर्ता	राशि		निजी प्लेसमेंट की सीमा		'निवेश ग्रेड से नीचे' प्रतिभूतियों की सीमा		अनरेटेड' प्रतिभूतियों की सीमा		असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		22-23	**21-22**	**22-23**	**21-22**	**22-23**	**21-22**	**22-23**	**21-22**	**22-23**	**21-22**
a)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों	23 478.76	23 703.05	23 415.10	23621.13	0.00	0	0.00	0	0.00	0
b)	वित्तीय संस्थाएँ	380.50	431.22	364.40	409.40	0.00	0	0.00	0	0.00	0
c)	बैंकों	1 258.27	1 344.48	1 135.25	1109.12	8.75	127.24	8.75	8.75	8.75	8.75
d)	निजी कॉर्पोरेट	3 179.12	5 188.68	2 874.32	4771.98	110.74	113.20	77.92	71.92	19.27	18.80
e)	सहायक/संयुक्त उद्यम	199.58	199.58	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
f)	अन्य	3 710.18	3 646.09	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
g)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(2 227.99)	(2 179.90)	(2 032.44)	(1998.49)	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	कुल *	29 978.42	32 333.20	25 756.63	27913.14	119.49	240.44	86.67	80.67	28.02	27.55

नोट:

1. * वाणिज्यिक बैंकों के लिए, कॉलम 3 के तहत कुल मिलाकर बैलेंस शीट की अनुसूची 8 में निम्नलिखित श्रेणियों के तहत शामिल कुल निवेशों के योग के साथ मेल खाना चाहिए :

क) भारत में निम्नलिखित में निवेश :

i) शेयर

ii) डिबेंचर और बाँड

iii) अनुषंगी और / या संयुक्त उद्यम

iv) अन्य

ख) भारत में निम्नलिखित में निवेश (जहाँ लागू हो)

i) सरकारी प्रतिभूति (स्थानीय प्राधिकारी सहित)

ii) अनुषंगी और / या विदेश में संयुक्त उद्यम

iii) अन्य निवेश

2. उपरोक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशियाँ परस्पर अनन्य नहीं हो सकती हैं ।

ii) Issuer composition of non-SLR investments

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Issuer	Amount		Extent of Private Placement		Extent of 'Below Investment Grade' Securities		Extent of 'Unrated' Securities		Extent of 'Unlisted' Securities	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		22-23	**21-22**	**22-23**	**21-22**	**22-23**	**21-22**	**22-23**	**21-22**	**22-23**	**21-22**
a)	PSUs	23 478.76	23 703.05	23 415.10	23621.13	0.00	0	0.00	0	0.00	0
b)	FIs	380.50	431.22	364.40	409.40	0.00	0	0.00	0	0.00	0
c)	Banks	1 258.27	1 344.48	1 135.25	1109.12	8.75	127.24	8.75	8.75	8.75	8.75
d)	Private Corporates	3 179.12	5 188.68	2 874.32	4771.98	110.74	113.20	77.92	71.92	19.27	18.80
e)	Subsidiaries/ Joint Ventures	199.58	199.58	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
f)	Others	3 710.18	3 646.09	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
g)	Provision held towards depreciation	(2 227.99)	(2 179.90)	(2 032.44)	(1998.49)	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	Total *	29 978.42	32 333.20	25 756.63	27913.14	119.49	240.44	86.67	80.67	28.02	27.55

Note:

1. * For Commercial Banks, the Total under column 3 shall match with the sum of total of Investments included under the following categories in Schedule 8 to the balance sheet:

a) Investment in India in:

i) Shares

ii) Debentures and Bonds

iii) Subsidiaries and/or Joint Ventures

iv) Others

b) Investment outside India in (where applicable)

i) Government securities (including local authorities)

ii) Subsidiaries and/ or joint ventures abroad

iii) Other investments

2. Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.

ङ) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के संदर्भ में) **(राशि ₹ करोड़ में)**

	वर्ष 2022-23 के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष 2022-23 के दौरान अधिकतम बकाया	दैनिक औसत बकाया वर्ष 2022-23 के दौरान	31 मार्च 2023 तक बकाया
i) रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां क) सरकारी प्रतिभूतियां ख) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ग) कोई अन्य प्रतिभूतियां	2 140.64	5 475.06	20.86	0.00
ii) रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ क) सरकारी प्रतिभूतियां ख) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ग) कोई अन्य प्रतिभूतियां	669.35	7 125.99	88.49	0.00

• प्रकटीकरण समय-समय पर संशोधित पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2018 में निर्दिष्ट के अनुसार होगा ।

e) Repo transactions (in face value terms)

(Amount in ₹ crore)

	Minimum outstanding during the year 2022-23	Maximum outstanding during the year 2022-23	Daily average outstanding during the year 2022-23	Outstanding as on March 31, 2023
i) Securities sold under repo a) Government securities b) Corporate debt securities c) Any other securities	2 140.64	5 475.06	20.86	0.00
ii) Securities purchased under reverse repo a) Government securities b) Corporate debt securities c) Any other securities	669.35	7 125.99	88.49	0.00

- The disclosure shall be as specified in Repurchase Transactions (Repo) (Reserve Bank) Directions,2018 as amended from time to time.

4. आस्ति गुणवत्ता

क) धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

	मानक	गैर निष्पादित				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल गैर-निष्पादक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
प्रारंभिक जमा	1 40 502.09	2 695.46	10 751.14	1 852.02	15 298.62	1 55 800.71
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	[redacted]				4 472.43	4 472.43
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती	[redacted]				19 771.05	19 771.05
जमा शेष	174 936.97	2 558.23	8 704.16	2 809.16	14 071.55	189 008.52
सकल एनपीए में कमी के कारण:	[redacted]					
i) उन्नयन	[redacted]				1 022.97	1 022.97
ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर)	[redacted]				1 264.40	1264.40
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना	[redacted]				2 819.72	2 819.72
iv) उपरोक्त (iii) के तहत अन्य के अलावा अन्य बट्टे खाते में डालना	[redacted]				592.42	592.42
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक संतुलन	2 067.60	1 066.18	8 391.79	1 691.37	11 149.34	13 216.94
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान	[redacted]				2 857.74	2 395.29
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधान उलटे/बट्टे खाते में डाले गए ऋण	[redacted]				3 488.31	3 499.75
धारित प्रावधानों का अंतिम संतुलन	1593.71	1078.72	6 752.67	2 687.37	10 518.77	12 112.48

4. Asset quality

a)Classification of advances and provisions held

(Amount in ₹ crore)

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	**Sub-standard**	**Doubtful**	**Loss**	**Total Non-Performing Advances**	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	1 40 502.09	2 695.46	10 751.14	1 852.02	15 298.62	1 55 800.71
Add: Additions during the year	[redacted]				4 472.43	4 472.43
Less: Reductions during the year					19 771.05	19 771.05
Closing balance	174 936.97	2 558.23	8 704.16	2 809.16	14 071.55	189 008.52
Reductions in Gross NPAs due to:	[redacted]					
i) Upgradation					1 022.97	1 022.97
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					1 264.40	1264.40
iii) Technical/ Prudential Write-offs					2 819.72	2 819.72
iv) Write-offs other than those under (iii) above					592.42	592.42
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	2 067.60	1 066.18	8 391.79	1 691.37	11 149.34	13 216.94
Add: Fresh provisions made during the year	[redacted]				2 857.74	2 395.29
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					3 488.31	3 499.75
Closing balance of provisions held	1593.71	1078.72	6 752.67	2 687.37	10 518.77	12 112.48

निवल एनपीए						
प्रारंभिक शेष	[redacted]	1629.28	2 034.69	160.64	3 824.62	[redacted]
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	3006.75	[redacted]
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	3565.37	[redacted]
इति शेष	[redacted]	1469.50	1753.01	43.62	3 266.01	3 266.01
अस्थायी प्रावधान	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0
प्रारंभिक शेष	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0
घटाएँ: वर्ष के दौरान आहरित राशि	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0
तकनीकी बट्टे खाते में डालना और उस पर की गई वसूली						
तकनीकी/प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	30 580.04
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	2 819.72
घटाएं: पूर्व में वर्ष के दौरान खाते तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालने से की गई वसूली	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	3 103.13
अंतिम शेष	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	30 244.10

अनुपात (प्रतिशत में)	**2022-23**	**2021-22**
सकल एनपीए से सकल अग्रिम	7.44%	9.82%
शुद्ध एनपीए से निवल अग्रिम	1.83%	2.65%
प्रावधान कवरेज अनुपात	92.63%	91.66%

Net NPAs						
Opening Balance		1629.28	2 034.69	160.64	3 824.62	
Add: Fresh additions during the year					3006.75	
Less: Reductions during the year					3565.37	
Closing Balance		1469.50	1753.01	43.62	3 266.01	3 266.01
Floating Provisions						0
Opening Balance						0
Add: Additional provisions made during the year						0
Less: Amount drawn down during the year						0
Closing balance of floating provisions						0
Technical write-offs and the recoveries made thereon						
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						30 580.04
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						2 819.72
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						3 103.13
Closing balance						30 244.10

Ratios (in Percent)	2022-23	2021-22
Gross NPA to Gross Advances	7.44%	9.82%
Net NPA to Net Advances	1.83%	2.65%
Provision coverage ratio	92.63%	91.66%

क) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(राशि करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्र*	2022-23			2021-22		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत
i)	प्राथमिकता क्षेत्र						
क)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	44 487.68	2 880.74	6.48%	38 708.88	2 905.93	7.51%
ख)	प्राथमिकता के रूप में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	15 110.54	1 433.44	9.49%	14 457.03	1 763.99	12.20%
ग)	सेवाएं	18 566.92	1 318.10	7.10%	16 874.79	1 522.12	9.02%
घ)	वैयक्तिक ऋण	13 638.80	1 177.51	8.63%	12 439.01	778.89	6.26%
	उप-योग (i)	91 803.94	6 809.79	7.42%	82 479.71	6 970.93	8.45%
ii)	गैर - प्राथमिकता क्षेत्र						
क)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	2 187.07	93.14	4.26%	944.10	133.55	14.15%
ख)	उद्योग	51192.05	5 679.66	11.09%	25 547.71	5 322.48	20.83%
ग)	सेवाएं	29254.00	864.77	2.96%	10 516.78	2 358.89	22.43%
घ)	वैयक्तिक ऋण	44243.48	624.19	1.41%	35 037.03	512.76	1.46%
ङ)	खाद्य साख	587.18	0	0	1 275.37	0.00	0.00%
	उप-योग (ii)	127463.78	7 261.76	5.70%	73 320.99	8 327.68	11.36%
	कुल (i + ii)	219267.72	14 071.55	6.42%	155 800.70	15 298.61	9.82%

*बैंक उपरोक्त प्रारूप में उन उप-क्षेत्रों का भी खुलासा करें जहां बकाया अग्रिम उस क्षेत्र के कुल बकाया अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक है । उदाहरण के लिए, यदि खनन उद्योग के लिए किसी बैंक का बकाया अग्रिम 'उद्योग' क्षेत्र के बकाया कुल अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक है, तो यह 'उद्योग' क्षेत्र के तहत उपरोक्त प्रारूप में खनन के लिए अपने बकाया अग्रिमों का विवरण अलग से प्रकट करेगा ।

ग) विदेशी संपत्ति, एनपीए और राजस्व

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
कुल संपत्ति	20 193.55	18 353.11
कुल एनपीए	1 559.87	1 639.12
कुल राजस्व	562.61	417.28

a) Sector-wise Advances and Gross NPAs

(Amount in crore)

Sr. No.	Sector*	2022-23			2021-22		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i)	**Priority Sector**						
a)	Agriculture and allied activities	44 487.68	2 880.74	6.48%	38 708.88	2 905.93	7.51%
b)	Advances to industries sector eligible as priority sector lending Services	15 110.54	1 433.44	9.49%	14 457.03	1 763.99	12.20%
c)	Services	18 566.92	1 318.10	7.10%	16 874.79	1 522.12	9.02%
d)	Personal loans	13 638.80	1 177.51	8.63%	12 439.01	778.89	6.26%
	Subtotal (i)	91 803.94	6 809.79	7.42%	82 479.71	6 970.93	8.45%
ii)	**Non-priority Sector**						
a)	Agriculture and allied activities	2 187.07	93.14	4.26%	944.10	133.55	14.15%
b)	Industry	51192.05	5 679.66	11.09%	25 547.71	5 322.48	20.83%
c)	Services	29254.00	864.77	2.96%	10 516.78	2 358.89	22.43%
d)	Personal loans	44243.48	624.19	1.41%	35 037.03	512.76	1.46%
	Food Credit	587.18	0	0	1 275.37	0.00	0.00%
	Sub-total (ii)	127463.78	7 261.76	5.70%	73 320.99	8 327.68	11.36%
	Total (I + ii)	219267.72	14 071.55	6.42%	155 800.70	15 298.61	9.82%

*Banks shall also disclose in the format above, sub-sectors where the outstanding advances exceeds 10 percent of the outstanding total advances to that sector. For instance, if a bank's outstanding advances to the mining industry exceed 10 percent of the outstanding total advances to 'Industry' sector it shall disclose details of its outstanding advances to mining separately in the format above under the 'Industry' sector.

c) Overseas assets, NPAs and revenue

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2022-23	2021-22
Total Assets	20 193.55	18 353.11
Total NPAs	1 559.87	1 639.12
Total Revenue	562.61	417.28

घ) समाधान योजना और पुनर्रचना का विवरण

1) समाधान योजना का विवरण

तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/2013 डीबीआर नंबर बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 - संशोधित ढांचा: (राशि करोड़ में)

आरबीआई परिपत्र से प्रभावित ऋणों की राशि	एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले ऋणों की राशि	एनपीए के रूप में वर्गीकृत (बी) में से 31.03.2022 को ऋण की राशि	31.12.2022 तक धारित प्रावधान	आरबीआई परिपत्र के तहत कवर ऋण के लिए अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान	(घ) में से प्रावधान 31.03.2023 तक पहले ही किया जा चुका है
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)
5.60	5.60	5.60	1.37	0	1.36

e) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में अंतर (राशि करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1.	31 मार्च, 2022 को सकल एनपीए* जैसा कि बैंक ने रिपोर्ट किया है	15 299
2.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च, 2022 को सकल एनपीए	16 236
3.	सकल एनपीए में अंतरण (2-1)	937*
4.	बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए 31 मार्च, 2022 को निवल एनपीए	3 825
5.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकन किए गए 31 मार्च, 2022 को शुद्ध एनपीए	4 762
6.	शुद्ध एनपीए में अंतर (5-4)	937*
7.	बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार 31 मार्च, 2022 तक एनपीए के लिए प्रावधान	3 401
8.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च, 2022 को एनपीए के लिए प्रावधान	3 665
9.	प्रावधान में अंतर (8-7)	264
10	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधान और आकस्मिकताओं से पहले रिपोर्ट किया गया लाभ	5 763
11.	मार्च 31,2022 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट किया गया कर पश्चात निवल लाभ (पीएटी)	1 709
12.	प्रावधान में अंतर पर विचार करने के बाद 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समायोजित (काल्पनिक) कर पश्चात निवल लाभ (पीएटी)	256**

* भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकन के अनुसार विचलन 937 करोड़ रुपये है । उक्त 937 करोड़ रुपये की राशि में से एक खाता मैसर्स एगसन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी राशि 713 करोड़ रुपये है, को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नए एनपीए के रूप में शामिल किया गया है । माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.03.2022 के अनुसार, इस खाते को 31 मार्च 2022 तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सका और खाते की वर्तमान स्थिति (यानी, मानक) को बनाए रखा जाना है ।

हालाँकि, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 07.12.2022 के आदेश के अनुसार बैंक ने अब खाते को एनपीए में डाउनग्रेड कर दिया है और आवश्यक प्रावधान पहले ही कर दिया गया है ।

** विभिन्न प्रावधानों के तहत विचलन को ध्यान में रखने के बाद, जैसे-

- निवेश के मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त प्रावधान - रु. 1,155 करोड़,
- एनपीए के विचलन के लिए अतिरिक्त प्रावधान - 264 करोड़ रुपये और मानक संपत्ति प्रावधान - 34 करोड़ रुपये।

d) Particulars of resolution plan and restructuring

i) Particulars of Resolution Plan

The RBI Circular No. RBI/2018-19/2013 DBR No. BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019 on resolution of stressed assets - Revised framework: (Amount in crore)

Amount of loans impacted by RBI Circular	Amount of loans to be classified as NPA	Amount of Loans as on 31.03.2022, out of (b) classified as NPA	Provision held as on 31.12.2022	Addl. Provision required for loans covered under RBI circular	Provision out of (d) already made by 31.03.2023
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
5.60	5.60	5.60	1.37	0	1.36

e) Divergence in asset classification and provisioning (Amounts in crore)

Sr.	Particulars	Amount
1.	Gross NPAs as on March 31, 2022* as reported by the bank	15 299
2.	Gross NPAs as on March 31, 2022 as assessed by Reserve Bank of India	16 236
3.	Divergence in Gross NPAs (2-1)	937*
4.	Net NPAs as on March 31, 2022 as reported by the bank	3 825
5.	Net NPAs as on March 31, 2022 as assessed by Reserve Bank of India	4 762
6.	Divergence in Net NPAs (5-4)	937*
7.	Provisions for NPAs as on March 31, 2022 as reported by the bank	3 401
8.	Provisions for NPAs as on March 31, 2022 as assessed by Reserve Bank of India	3 665
9.	Divergence in provisioning (8-7)	264
10	Reported Profit before Provisions and Contingencies for the year ended March 31, 2022	5 763
11.	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31,2022	1 709
12.	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2022 after considering the divergence in provisioning	256**

*the divergence as assessed by Reserve Bank of India is Rs 937 crores. Out of the said amount of Rs 937 crores, one account M/s Agson Global P ltd., amounting to Rs 713 crores are included as fresh NPA by Reserve Bank of India. As per the Hon'ble Delhi High Court Order dated 09.03.2022, this account could not be classified as NPA as on March 31st 2022 and present status of the account (i.e., Standard) to be maintained .

However, Bank has now downgraded the account to NPA as per Hon'ble Delhi High Court Order dated 07.12.2022 and the required provision has been already made.

**After taking into consideration of divergence under various provisions viz.,

- Additional provisions for valuation of investments—Rs 1,155 crores,
- Additional provisions for divergence of NPAs—Rs 264 crores and Standard asset provision—Rs 34 crores.

च)) ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण का प्रकटीकरण

दिनांक 24.09.2021 को ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर आरबीआई के मास्टर निर्देश के तहत 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान - हस्तांतरित किए गए तनावग्रस्त ऋणों का विवरण						
(सभी राशियाँ रु करोड़ में)	एआरसी को		अनुमत हस्तांतरी को		अन्य हस्तांतरी को	
	वर्ष 31.03.2023	वर्ष 31.03.2022	वर्ष 31.03.2023	वर्ष 31.03.2022	वर्ष 31.03.2023	वर्ष 31.03.2022
खातों की संख्या	7 एनपीए ऋण + 256 एमएसएमई एनपीए ऋणों का पोर्टफोलियो + 9604 असुरक्षित शैक्षिक ऋणों का पोर्टफोलियो	8 एनपीए ऋण + 285 एमएसएमई एनपीए ऋणों का पोर्टफोलियो + 20897 असुरक्षित शैक्षिक ऋणों का पोर्टफोलियो	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का सकल मूल बकाया	750.55	1 519.70	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	5 वर्ष	5 वर्ष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का शुद्ध बही मूल्य (अंतरण के समय)	0.00	0.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल विचारार्थ	319.04	725.60	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	0.00	0.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

वर्ष के दौरान अर्जित ऋणों का विवरण

(सभी राशियाँ रु करोड़ में)	एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफआई, एसएफबी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) सहित एनबीएफसी से	एआरसी से
अर्जित ऋणों का सकल मूल बकाया	शून्य	
भुगतान हुए कुल विचारार्थ		
अर्जित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि		

बैंक ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान तनावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में अतिरिक्त प्रावधान की 198.72 करोड़ रुपये की राशि को वापस कर दिया है ।

छ) धोखाधड़ी खाते

अग्रिम संबंधित धोखाधड़ी:

	2022-23	**2021-22**
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	48	70
धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़)	1 309.14	1 450.51
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	1 309.14	1 450.51
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षितियों' से डेबिट किए गए असंशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	शून्य	शून्य

1. 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान, अग्रिम सम्बन्धित 12 धोखाधड़ियाँ रिपोर्ट की गईं, जिनमें शेष राशि (कटौतियों को छोड़कर) रु. 33.79 करोड़ थी और इसके लिए बैंक ने 100% प्रावधान कर रखा है।
2. बैंक ने चार तिमाहियों की बजाय 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए धोखाधड़ी के प्रति देयता हेतु पूर्ण प्रावधान प्रदान करने का विकल्प चुना है।

f) Disclosure of transfer of loan exposures **(Amount in Rs. Crore)**

Details of stressed loans transferred during the year ended 31.03.2023 under RBI Master Direction on transfer of loan exposure dated 24.09.2021						
(all amounts in ₹ crore)	To ARCs		To permitted transferees		To other transferees	
	Y.E. 31.03.2023	Y.E. 31.03.2022	Y.E. 31.03.2023	Y.E. 31.03.2022	Y.E. 31.03.2023	Y.E. 31.03.2022
No: of accounts	7 NPA Loans + a portfolio of 256 MSME NPA Loans + a portfolio of 9604 Unsecured Education loans	8 NPA Loans + a portfolio of 285 MSME NPA Loans + a portfolio of 20897 Unsecured Education loans	Nil	Nil	Nil	Nil
Aggregate principal outstanding of loans transferred	750.55	1 519.70	Nil	Nil	Nil	Nil
Weighted average residual tenor of the loans transferred	5 Years	5 Years	Nil	Nil	Nil	Nil
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	0.00	0.00	Nil	Nil	Nil	Nil
Aggregate consideration	319.04	725.60	Nil	Nil	Nil	Nil
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.00	0.00	Nil	Nil	Nil	Nil

Details of loans acquired during the year		
(all amounts in ₹ crore)	From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	From ARCs
Aggregate principal outstanding of loans acquired	NIL	
Aggregate consideration paid		
Weighted average residual tenor of loans acquired		

The Bank has reversed the amount of Rs.198.72 Crore of excess provision to the Profit & Loss account on account of sale of stressed loans during Year ending March 31st 2023.

g) Fraud accounts

Advance related fraud:

	2022-23	**2021-22**
Number of frauds reported	48	70
Amount involved in fraud (₹ crore)	1 309.14	1 450.51
Amount of provision made for such frauds (₹ crore)	1 309.14	1 450.51
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (₹ crore)	Nil	Nil

1. During the quarter ended March 31st 2023, 12 number of advance related frauds reported, having amount outstanding (net off deductions) of Rs 33.79 crores and for which the Bank is holding 100% provision.
2. Bank has opted to provide full provision for the liability towards frauds for the financial year ended March 31st, 2023, instead of spilling over a period of four quarters.

3.अग्रिम संबंधित धोखाधड़ी के अलावा:

	2022-23	2021-22
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	34	25
ऐसी धोखाधड़ी में शामिल राशि - 31 मार्च को बकाया (₹ करोड़)	22.94	11.36
31 मार्च को बकाया राशि के लिए किए गए प्रावधान की मात्रा (₹ करोड़)	22.94	11.36
सेंधमारी/डकैती/लूट-पाट और आदि सहित शुरुआत से 31 मार्च तक संचयी प्रावधान	491.81	478.70

- बैंक ने 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए चार तिमाहियों की अवधि के दौरान धोखाधड़ी के प्रति देयता के लिए पूर्ण प्रावधान प्रदान करने का विकल्प चुना है ।
- 31.03.2023 को समाप्त तिमाही के दौरान, आरबीआई को अग्रिम श्रेणी के अलावा अन्य 05 धोखाधड़ियों की सूचना मिली है, जहां संभावित नुकसान 1.53 करोड़ रुपये है और जिसके लिए बैंक के पास 100% प्रावधान है ।

साइबर धोखाधड़ी:

विवरण	2022-23	2021-22
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	935	217
ऐसी धोखाधड़ी में शामिल राशि - 31 मार्च को बकाया (₹ करोड़)	0.06	0.46
31 मार्च को बकाया राशि के लिए किए गए प्रावधान की मात्रा (₹ करोड़)	0.06	0.46
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षितियों ' से डेबिट किए गए असंशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	शून्य	शून्य

बैंक ने 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए चार तिमाहियों की अवधि के दौरान धोखाधड़ी के प्रति देयता के लिए पूर्ण प्रावधान प्रदान करने का विकल्प चुना है ।

31.03.2023 को समाप्त तिमाही के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक को डिजिटल बैंकिंग श्रेणी के तहत 817 धोखाधड़ी की सूचना मिली है, जहां संभावित शून्य नुकसान हुआ। अत:, किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

ज) कोविड-19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण (राशि ₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर- पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए)	(ए) में से कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए हुए हैं	(ए) में से छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	(ए) में से छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - यथास्थिति इस छमाही के अंत में
वैयक्तिक ऋण	890.98	82.87	-	52.86	755.25
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	2751.03	153.54	-	296.81	2492.28
जिनमें से एमएसएमई	2332.66	153.54	-	254.53	2116.41
अन्य	315.38	26.11	-	14.75	274.52
कुल	3957.39	262.52	-	364.42	3522.05

* जैसा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित है ।

3. **Other than Advance related frauds:**

	2022-23	**2021-22**
Number of frauds reported	34	25
Amount involved in such Frauds - Outstanding as on 31st March (₹ crore)	22.94	11.36
Quantum of Provision made for the outstanding amount as on 31st March (₹ crore)	22.94	11.36
Cumulative Provision as on 31st March since beginning, including Burglary/ Dacoity/Robbery and etc.	491.81	478.70

*Bank has opted to provide full provision for the liability towards frauds for financial year ended March 31st 2023 instead of spilling over a period of four quarters.

*During the quarter ended March 31st 2023, 5 frauds under other than advances category has been reported to Reserve Bank of India, where likely loss is Rs. 1.53 crores and for which the Bank is holding 100% provision.

Cyber Frauds:

Particulars	**2022-23**	**2021-22**
Number of frauds reported	935	217
Amount involved in such Frauds - Outstanding as on 31st March (₹ crore)	0.06	0.46
Quantum of Provision made for the outstanding amount as on 31st March (₹ crore)	0.06	0.46
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (₹ crore)	Nil	Nil

Bank has opted to provide full provision for the liability towards frauds for financial year ended March 31st 2023 instead of spilling over a period of four quarters.

During the quarter ended March 31st 2023, 817 frauds under Digital Banking category have been reported to Reserve Bank of India, where the likely loss is Nil. Hence, no provision is required.

h) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress(Amounts in ₹ crore)

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan– Position as at the end of the previous half-year (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half- year	Of (A) amount written off during the half-year	Of (A) amount paid by the borrowers during the half- year	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of this half-year
Personal Loans	890.98	82.87	-	52.86	755.25
Corporate persons*	2751.03	153.54	-	296.81	2492.28
Of which MSMEs	2332.66	153.54	-	254.53	2116.41
Others	315.38	26.11	-	14.75	274.52
Total	3957.39	262.52	-	364.42	3522.05

* As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

5. एक्स्पोज़र

क. स्थावर संपदा क्षेत्र को एक्स्पोज़र (राशि रु. करोड़ में)

वर्ग	**2022-23**	**2021-22**
1. प्रत्यक्ष एक्स्पोज़र		
क) आवासीय बंधक		
उधारकर्ता की उस आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णत: प्रतिभूति उधार जिसमें उधारकर्ता खुद रहता है या रहने वाला है या जिसे किराए पर दिया जायेगा ।	25 659.39	21 968.01
जिसमें प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र वैयिक्तक आवास ऋण ।		
ख) वाणिज्यिक स्थावर-संपदा –	10 801.04	9 488.79
वाणिज्यिक स्थावर संपदाओं पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार (कार्यालय भवन, छोटी-मोटी ज़मीन, बहु-उद्देशीयवाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार निवासीय भवन, बहुविध किराए पर दिया हुआ वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयरहाउस, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) इसमें गैर-निधि आधारित (एनबीएफ) सीमाएं भी शामिल होंगी;	2 180.25	3 025.52
ग) अन्य स्थावर संपदा :	1 056.76	1 448.42
सीआरई के तहत नहीं आने वाले होटल, अस्पताल और लिक्वीरेंट		
बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत जोखिमों में निवेश-		
i. आवासीय	0.00	0.00
ii. व्यावसायिक रियल एस्टेट		
iii. अप्रत्यक्ष एक्स्पोज़र		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवासीय वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित उधार	4 961.52	3 877.23
स्थावर संपदा प्रवर्ग को कुल एक्स्पोज़र	**33 857.92**	**28 870.76**

ख. पूंजी बाज़ार को एक्स्पोज़र (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
i) उन ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनशील बाँडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में किया गया प्रत्यक्ष निवेश, जिनकी निधि का निवेश विशिष्टत: कार्पोरेट ऋण में नहीं किया गया है;	444.89	439.30
ii) शेयरों (आइपीओ / ईएसओपी सहित), परिवर्तनशील बाँडों और परिवर्तनशील डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों/बॉन्ड्स/डिबेन्चर्स या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या क्लीन आधार पर अग्रिम;	0.18	0.18
iii) किसी अन्य प्रयोजन हेतु दिए गए वे अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडो की यूनिटों को मूल प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है;	0.36	0.36
iv) प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती, वहाँ शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों को संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रत्याभूत कर किन्हीं अन्य उद्देश्यों के लिए प्रदत्त अग्रिम;	1 008.64	789.56
v) स्टॉक ब्रोकर को दिए गए सुरक्षित व असुरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी की गई गारंटियाँ;	0.20	0.60
vi) संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटरों के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के प्रति या निर्बन्ध आधार पर कार्पोरेटों को मंजूर ऋण;	0.00	0.00
vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह / निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण;	0.00	0.00
viii) शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंड की यूनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गयी हामीदारी प्रतिबद्धताएँ;	0.00	0.00

5. Exposure

a. Exposure to real estate

(Amounts in ₹ crore)

Category	2022-23	2021-22
i) Direct exposure		
a) Residential Mortgages –		
Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented.	25 659.39	21 968.01
Out of which, Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances.	10 801.04 2 180.25	9 488.79 3 025.52
b) Commercial Real Estate –		
Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure also include non-fund based (NFB) limits;	1 056.76	1 448.42
c) Real estate other:	0.00	0.00
Hotels, Hospitals and Liquirent not under CRE		
d) Investments in Mortgage-Backed Securities (MBS) and other securitized exposures –		
i. Residential	4 961.52	3 877.23
ii. Commercial Real Estate		
ii) Indirect Exposure		
Fund based and non-fund-based exposures on National HousingBank and Housing Finance Companies.		
Total Exposure to Real Estate Sector	**33 857.92**	**28 870.76**

b. Exposure to capital market

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	2022-23	2021-22
i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	444.89	439.30
ii) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds;	0.18	0.18
iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.36	0.36
iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	1 008.64	789.56
v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	0.20	0.60
vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
vii) Bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	0.00	0.00
viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00

ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना	0.41	0.41
x)	उद्यम पूंजीगत निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों ही) के प्रति सभी ऋण	114.52	121.69
xi)	अन्य वित्तीय गारंटी	0.00	6.06
पूँजी बाजार का कुल एक्सपोज़र		**1 569.20**	**1 358.16**

ग. जोखिम वर्ग वार देशीय एक्स्पोज़र : **(राशि ₹ करोड़ में)**

जोखिम वर्ग *	31.03.2023 तक (निवल) अग्रिम	31.03.2023 तक धारित प्रावधान	31.03.2022 तक (निवल) अग्रिम	31.03.2022 तक धारित प्रावधान
अमहत्वपूर्ण	10 276.51	4.65	14 570.96	9.04
कम	5 785.86	0.00	13 624.86	5.15
सामान्य रूप से कम	1 468.35	0.00	63.73	Nil
सामान्य	12.04	0.00	238.47	Nil
सामान्य रूप से उच्च	338.13	0.00	757.87	Nil
उच्च	412.17	0.00	Nil	Nil
उच्चतर	4.03	0.00	Nil	Nil
कुल	18 297.09	4.65	29 255.89	14.19

* बैंक द्वारा आंतरिक रेटिंग प्रणाली को अपनाए जाने तक, बैंक देशीय जोखिम एक्सपोज़र के वर्गीकरण करने एवं प्रावधान बनाने हेतु ईसीजीसी द्वारा अपनाए जा रहे सात श्रेणी वर्गीकरण का प्रयोग कर सकते हैं । ईसीजीसी द्वारा बैंकों को उनके देश वर्गीकरण की तिमाही अपडेट अनुरोध किए जाने पर प्रदान कर सकता है और अंतरिम अवधि के दौरान देश वर्गीकरण में अचानक हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों की सूचना दे सकता है ।

घ. अप्रतिभूत अग्रिम (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	49 549.61	40 879.21
उक्त में से,अमूर्त प्रतिभूतियों की कुल रकम जैसे अधिकार, लाइसेंस प्राधिकार पर किए गए प्रभार आदि	7 031.50	4 282.72
ऐसी अमूर्त संपार्श्विकों का आकलित मूल्य	7 031.50	4 282.72

ड़. फैक्टरिंग एक्सपोजर (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
फैक्टरिंग के तहत हमारे बैंक का एक्सपोजर	2489.62	562.65

च. इंट्रा-ग्रुप एक्सपोज़र (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
1. इंट्रा-ग्रुप एक्सपोज़र की कुल राशि	शून्य	शून्य
2. शीर्ष 20 इंट्रा-ग्रुप एक्सपोज़र की कुल राशि	शून्य	शून्य
3. उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोज़र के इंट्रा-ग्रुप एक्सपोज़र का	शून्य	शून्य
4. इंट्रा-ग्रुप एक्सपोज़र पर सीमा विच्छेद के विवरण और उन पर की गई नियामक कार्रवाई, यदि कोई हो	शून्य	शून्य

छ. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

भा.रि.बै. के परिपत्र भा.रि.बै./2013-14/620 एवं भा.रि.बै./2013-14/448 के अनुसार, शाखाओं से उधारकर्ता के यूएफसीई से संबंधित आंकड़े ऑनलाइन प्राप्त किए जाते हैं और जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा रक्षित विदेशी मुद्रा ऋण वाली इकाइयों के ऋण के लिए पूँजी व अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान की गणना का समेकन किया जाता है ।

ix) Financing to stockbrokers for margin trading;	0.41	0.41
x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	114.52	121.69
xi) Other financial Guarantee	0.00	6.06
Total exposure to capital market	**1 569.20**	**1 358.16**

c. Risk category-wise country exposure (Amounts in₹ crore)

Risk Category*	Exposure (net) as at 31.03.2023	Provision held as at 31.03.2023	Exposure (net) as at 31.03.2022	Provision held as at 31.03.2022
Insignificant	10 276.51	4.65	14 570.96	9.04
Low	5 785.86	0.00	13 624.86	5.15
Moderately Low	1 468.35	0.00	63.73	Nil
Moderate	12.04	0.00	238.47	Nil
Moderately High	338.13	0.00	757.87	Nil
High	412.17	0.00	Nil	Nil
Very High	4.03	0.00	Nil	Nil
Total	**18 297.09**	**4.65**	**29 255.89**	**14.19**

*Till such time, as banks move over to internal rating systems, banks shall use the seven-category classification followed by Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (ECGC) for the purpose of classification and making provisions for country risk exposures. ECGC shall provide to banks, on request, quarterly updates of their country classifications and shall also inform all banks in case of any sudden major changes in country classification in the interim period.

d. Unsecured advances (Amounts in ₹ crore)

Particulars	2022-23	2021-22
Total unsecured advances of the bank	49 549.61	40 879.21
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	7 031.50	4 282.72
Estimated value of such intangible collateral	7 031.50	4 282.72

e. Factoring exposures (Amounts in ₹ crore)

Particulars	2022-23	2021-22
Exposure of our Bank under Factoring	2489.62	562.65

f. Intra-group exposures (Amounts in ₹ crore)

Particulars	2022-23	2021-22
Total amount of intra-group exposures	Nil	Nil
Total amount of top 20 intra-group exposures	Nil	Nil
% of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers/ customers	Nil	Nil
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	Nil	Nil

g. Unhedged foreign currency exposures

As per Reserve Bank of India circular ref RBI/2013-14/620 & RBI/2013-14/448, data relating to UFCE of borrowers from individual branches is obtained through online and consolidated working of the required additional provision and capital for Exposures to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure is done.

बैंक ने यूएफसीईई पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अपने ग्राहकों के लिए अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीईई) के लिए प्रावधान का अनुमान लगाया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीओआर.एमआरजी.आरईसी.76/100-00-007/22-23 दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 के अनुरूप है । 31 मार्च 2023 को बैंक ने उसके प्रति 12.96 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है ।

6. जमाओं, अग्रिमों, उधारों व अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

क. जमाओं का संकेंद्रण (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएं	13 701.36	12 636.30
बैंक की कुल जमाओं की तुलना में बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं	5.25%	4.82%

ख. अग्रिमों का केंद्रीकरण (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
बीस बड़े उधारकर्ताओं को प्रदत्त कुल अग्रिम	32 027.55	18 975.92
बैंक के कुल अग्रिमों की तुलना में बीस बड़े उधारकर्ताओं को प्रदत्त अग्रिमों का प्रतिशत	16.95%	12.18%

*अग्रिमों की गणना एक्सपोजर मानदंडों पर हमारे मास्टर परिपत्र में प्रस्तुत डेरिवेटिव सहित क्रेडिट एक्सपोजर के आधार पर की जाएगी।

ग. एक्सपोज़र का संकेंद्रण (उधार और निवेश एक्सपोज़र) (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	35 588.43	24 243.25
बैंक द्वारा उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र की तुलना में बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र का प्रतिशत	11.80%	9.21%

घ. अनर्जक आस्तियों का केंद्रीकरण (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	3 761.29	3 773.70
कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर के एक्सपोजर का प्रतिशत	26.73%	24.67%

वित्त वर्ष 2022-23 में एनपीए का संकेन्द्रण (शीर्ष बीस खातों में तकनीकी राइट-ऑफ खाते शामिल नहीं हैं) ।

7. डेरिवेटिव्स

क. वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
i) स्वैप करारों के काल्पनिक मूल ii) करारों के तहत यदि काउंटर पार्टी अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में असफल होती हैं तो उससे होने वाली हानि iii) स्वैप करने के बाद बैंक को अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति iv) स्वैप से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम पर केंद्रीकरण v) स्वैप बही का उचित मूल्य@	शून्य	शून्य

The Bank has estimated the provision towards Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) to their constituents as per Board approved policy on UFCE, which is in line with Reserve Bank of India Circular DOR.MRG.REC.76/100-00-007/22-23 dated October 11, 2022. The Bank holds provision of Rs. 12.96 crore as on March 31st 2023 against the same.

6. Concentration of deposits, advances, exposures and NPA

a. Concentration of Deposits (Amounts in ₹ crore)

Particulars	2022-23	2021-22
Total Deposits of twenty largest depositors	13 701.36	12 636.30
Percentage of Deposits of twenty largest deposits to Total Deposits of the Bank	5.25%	4.82%

b. Concentration of advances (Amounts in ₹ crore)

Particulars	2022-23	2021-22
Total Advances to the twenty largest borrowers	32 027.55	18 975.92
Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank	16.95%	12.18%

c. Concentration of exposures (Credit and Investment Exposure) (Amounts in ₹ crore)

Particulars	2022-23	2021-22
Total exposure to the twenty largest borrowers/customers	35 588.43	24 243.25
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers/ customers to the total exposure of the bank on borrowers/customers	11.80%	9.21%

d. Concentration of NPAs (Amounts in ₹ crore)

	2022-23	2021-22
Total Exposure to the top twenty NPA accounts	3 761.29	3 773.70
Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	26.73%	24.67%

Concentration of NPAs FY 2022-23 (Top Twenty Accounts excludes Technical write off accounts)

7. Derivatives

a. Forward rate agreement/Interest rate swap (Amounts in ₹ crore)

	Particulars	2022-23	2021-22
i)	The notional principal of swap agreements	Nil	Nil
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements		
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps		
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps$		
v)	The fair value of the swap book@		

ख. विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स (राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	2022-23	2021-22
i)	वर्ष के दौरान विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम (लिखत वार)	शून्य	शून्य
ii)	31 मार्च तक विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम (लिखत वार)	शून्य	शून्य
iii)	विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम और जो ''ज्यादा प्रभावी '' नहीं (लिखत वार)	शून्य	शून्य
iv)	प्रतिभूतियों के दैनिक मूल्य प्रभार के विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम जो ''ज्यादा प्रभावी '' नहीं (लिखत वार)	शून्य	शून्य

ग. डेरिवेटिव्स में ऋण जोखिम पर प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

ट्रेज़री (विदेशी)

बैंक, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम और मुद्रा जोखिम को कम करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षा के लिए ब्याज दर स्वैप (आइआरएस) मुद्रा स्वैप व सुरक्षा उद्देश्य उपलब्ध विकल्पों का प्रयोग करता है।बैंक कार्पोरेट ग्राहकों को ये उत्पाद भी उपलब्ध कराता है ताकि वे अपनी ही मुद्रा और ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन कर सके। इस तरह के लेनदेन ग्राहकों व बैंक के साथ ही किए जाते हैं जिनके करार विद्यमान हैं ।

अ) विदेशी उधार/एफ़सीएनआर(बी) पोर्टफोलियो/ आस्ति देयता के असंतुलन के कारण ब्याज/ विनिमय दरों में उत्पन्न होने वाली जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए डेरिवेटिव उत्पादों का प्रयोग करने के लिए विदेशी खाताओं आदि के निधियन हेतु बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियाँ अनुमति देती हैं और साथ ही ये उत्पाद बैंक टू बैंक दुतरफा आधार पर ग्राहकों को उपलब्ध कराने की अनुमति देती है।

आ) डेरिवेटिव्स एक्सपोज़र का मूल्यांकन करने के लिए बैंक के पास एक अलग प्रणाली है और व्यक्तिगत ग्राहकों की निवल साख एवं प्रतिभूति समर्थन को पूर्ण रूप से गणना में लेते हुए डेरिवेटिव लेनदेनों के निष्पादन के लिए समुचित उधार श्रेणियाँ प्रस्तुत करने की भी प्रणाली है।

इ) बैंक ने प्रतिरक्षा लिखतों के रूप में डेरिवेटिव्स के उपयोग से जुड़े जोखिम को निर्धारित करने के लिए उचित नियंत्रण प्रणालियों का गठन किया है और डेरिवेटिव लेनदेन से संबंधित सभी पक्षों के प्रबोधन के लिए उचित रिपोर्टिंग प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। प्रत्येक प्रतिपक्षी पार्टी के लिए उपयुक्त उधार मंजूरीकर्ता प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित ऋण सीमा के अंदर डेरिवेटिव्स लेन-देन सिर्फ प्रतिपक्षी पार्टी के साथ किए गए।

ई) बैंक ने डेरिवेटिव्स के प्रयोग के लिए आवश्यक सीमाएँ गठित की हैं और इसकी स्थिति का निरंतर प्रबोधन किया जाता है।

उ) बैंक के पास आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रशासनिक पदानुक्रम के परिणामी एक्सपोज़र के मूल्यांकन व निरंतर प्रबोधन करने की अलग प्रणाली है।

ऊ) डेरिवेटिव्स का प्रयोग बैंक के तुलन पत्र के एक्सपोज़र को हेज़ करने हेतु किया जाता है ।

ऋ) इस प्रकार के डेरिवेटिव्स से होने वाली आय को परिशोधित किया गया है और संविदा की आयु के लिए उपचयन के आधार पर लाभ व हानि लेखे में लिया गया है।तुलन पत्र हेतु किए गए स्वैप के शीघ्र निरसन के मामले में ऐसे लाभों से प्राप्त आय अदला बदली की शेष संविदात्मक अवधि आयु या आस्तियों/देयताओं की अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी। ग्राहकों के लिए बैक टू बैक आधार पर लिए गए डेरिवेटिव्स के शीघ्र समापन के संबंध में प्राप्त होने वाली आय की पहचान समापन के आधार पर की जाएगी ।

ए) सभी प्रतिरक्षा लेन देन उपचयन के आधार पर परिकलित किए गए हैं । बकाया संविदाओं का मूल्यांकन बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के आधार पर किया गया। बैंक के पास डेरिवेटिव्स में लेन देन के लिए विधिवत अनुमोदित जोखिम प्रबंधन और लेखांकन नीति उपलब्ध है ।

ऐ) डेरिवेटिव्स लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं ।

ट्रेजरी (देशी)

बैंक, सरकारी प्रतिभूतियों में ब्याजदर जोखिम को कम करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षा हेतु और अधीनस्थ ऋणों और सावधि जमाओं की लागत कम करने के लिए रुपया ब्याज दर स्वैप(आइआरएस) का प्रयोग करता है । इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार ट्रेडिंग के लिए बैंक रुपया ब्याज दर स्वैप को अपनाता है।स्वैप लेन देन केवल उन्हीं बैंकों के साथ किए जाते हैं जिनके पास आइएसडीए करार मौजूद है ।

क) बैंक में जोखिम प्रबंधन के लिए उपयुक्त ढांचा और संगठन उपलब्ध है जिसमें ट्रेजरी विभाग , बोर्ड की आस्ति देयता प्रबंधन समिति और जोखिम प्रबंधन समिति शामिल है ।

b. Exchange traded interest rate derivatives (Amounts in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	2022-23	2021-22
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	Nil	Nil
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March …..(instrument wise)	Nil	Nil
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	Nil	Nil
iv)	Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	Nil	Nil

c. Disclosures on risk exposure in derivatives

i) Qalitative disclosures

Treasury (Foreign)

The Bank uses Interest Rate Swaps (IRS), Currency Swaps and Options for hedging purpose to mitigate interest rate risk and currency risk in banking book. Such transactions are entered only with Clients and Banks having agreements in place.

a) The Risk Management Policy of the Bank allows using of derivative products to hedge the risk in Interest/Exchange rates that arise on account of overseas borrowing/FCNR(B) portfolio/the asset liability mismatch, for funding overseas branches etc.

b) The Bank has a system of evaluating the derivatives exposure separately and placing appropriate credit lines for execution of derivative transactions duly reckoning the Net Worth and security backing of individual clients.

c) The Bank has set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives as hedge instruments and proper risk reporting systems are in place to monitor all aspects relating to derivative transactions. The Derivative transactions were undertaken only with the Banks and counterparties well within their respective exposure limit approved by appropriate credit sanctioning authorities for each counter party.

d) The Bank has set necessary limits in place for using derivatives and its position is continuously monitored.

e) The Bank has a system of continuous monitoring appraisal of resultant exposures across the administrative hierarchy for initiation of necessary follow up actions.

f) Derivatives are used by the Bank to hedge the Bank's Balance sheet exposures.

g) The income from such derivatives are amortized and taken to profit and loss account on accrual basis over the life of the contract. In case of early termination of swaps undertaken for Balance Sheet Management, income on account of such gains would be recognized over the remaining contractual life of the swap or life of the assets/liabilities whichever is lower.

h) All the hedge transactions are accounted on accrual basis. Valuations of the outstanding contracts are done on Mark to Market basis. The Bank has duly approved Risk Management and Accounting procedures for dealing in Derivatives.

i) The derivative transactions are conducted in accordance with the extant guidelines of Reserve Bank of India.

Treasury (Domestic)

The Bank uses Rupee Interest Rate Swaps (IRS) for hedging purpose to mitigate interest rate risk in Government Securities and to reduce the cost of Subordinated Debt. In addition, the bank also enters into rupee interest rate swaps for trading purposes as per the policy duly approved by the Board. Swap transactions are entered only with Banks having ISDA agreements in place.

a) The bank has put in place an appropriate structure and organization for management of risk, which includes Treasury Department, Asset Liability Management Committee and Risk Management Committee of the Board.

ख) व्युत्पन्न लेन-देन में बाजार जोखिम (ब्याज दरों में प्रतिकूल संचलन के कारण उत्पन्न), उधार जोखिम (संभावित काउंटर पार्टी चूकने से उत्पन्न) तरलता जोखिम (सामान्य मूल्य पर लेनदेन निष्पादित करने हेतु या निधियों की जरूरत की पूर्ति करने से चूकने पर उत्पन्न), परिचालनगत जोखिम, विनियामक जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम शामिल रहता है। बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने में निहित जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त नियंत्रण प्रणालियां स्थापित कर रखी हैं और व्युत्पन्न लेन देनों से संबंधित सभी पक्षों का प्रबोधन करने हेतु उचित जोखिम सूचना प्रणाली और उसे कम करने की प्रणाली उपलब्ध करवाई है । आइ आर एस लेन देन केवल बैंकों के साथ प्रतिपार्टी के रूप में किए जाते हैं और हर पार्टी के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित उधार सीमा के अंदर होते हैं ।

ग) बैंक व्युत्पन्न का प्रयोग प्रतिरक्षा एवं ट्रेडिंग के लिए करता है । बैंक में व्युत्पन्न के लिए अनुमोदित नीति उपलब्ध है और बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सीमाएं नियत की हैं और इसकी स्थिति का नियमित रूप से प्रबोधन किया जाता है। केवल दुतरफा आधार पर प्रयुक्त प्रतिरक्षाओं अथवा बैंक के तुलन पत्र की प्रतिरक्षा का मूल्य व परिपक्वता ने ऋण के मूलाधार का अधिगमन नहीं किया है ।

घ) व्युत्पन्न के लिए लेखाकरण नीति भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूची 17-महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ (नीति संख्या 6) में प्रकटन अनुसार तैयार की गयी है ।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण (राशि ₹ करोड़ में)

<table>
<tr><th rowspan="2">SNo</th><th rowspan="2"></th><th colspan="2">2022-23</th><th colspan="2">2021-22</th></tr>
<tr><th>मुद्रा डेरिवेटिव्स</th><th>ब्याज दर डेरिवेटिव्स</th><th>मुद्रा डेरिवेटिव्स</th><th>ब्याज दर डेरिवेटिव्स</th></tr>
<tr><td rowspan="3">क)</td><td>डेरिवेटिव्स (काल्पनिक मूल रकम)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1) प्रतिरक्षा के लिए</td><td rowspan="2">शून्य</td><td rowspan="2">शून्य</td><td>1093.13</td><td rowspan="2">शून्य</td></tr>
<tr><td>2) व्यापार के लिए</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">ख)</td><td>बाजार मूल्य को बही में अंकित करने की स्थिति</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1) आस्तियाँ (+)</td><td rowspan="2">शून्य</td><td rowspan="2">शून्य</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>2) देयताएँ (-)</td><td>194.53</td><td></td></tr>
<tr><td>ग)</td><td>ऋण जोखिम</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>21.86</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">घ)</td><td>ब्याज दर में संभावित एक प्रतिशत के परिवर्तन (100*पीवी01)</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1) प्रतिरक्षा डेरिवेटिव्स पर</td><td rowspan="2">शून्य</td><td rowspan="2">शून्य</td><td>8.96</td><td></td></tr>
<tr><td>2) व्यापार डेरिवेटिव्स पर</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">ङ)</td><td>वर्ष के दौरान देखे गए 100* पीवी01 का न्यूनतम और अधिकतम</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>प्रतिरक्षा पर</td><td>क)अधि:9.04
न्यून:0.00</td><td rowspan="2">शून्य</td><td>क) अधि :24.06
न्यून :8.96</td><td></td></tr>
<tr><td>व्यापार पर</td><td>ख) अधि :0.00
न्यून :0.00</td><td>ख) अधि :0.00
न्यून :0.00</td><td></td></tr>
</table>

घ. क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप

क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप - शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)

8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण (संख्या/ राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	मार्च 31 2023	मार्च 31 2022
1.	प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए संपत्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी यहां रिपोर्ट की जाएगी)	शून्य	शून्य

b) Derivative transactions carry Market Risk (arising from adverse movement in interest rates), Credit risk (arising from probable counter party failure), Liquidity risk (arising from failure to meet funding requirements or execute the transaction at a reasonable price), Operational risk, Regulatory risk and Reputation risk. The Bank has laid down policies, set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives and proper risk reporting and mitigation systems are in place to monitor all risks relating to derivative transactions. The IRS transactions were undertaken with only Banks as counter party and well within the exposure limit approved by the Board of Bank for each counter party.

c) Derivatives are used by the bank for trading and hedging. The bank has an approved policy in force for derivatives and has set necessary limits for the use of derivatives and the position is continuously monitored. The value and maturity of the hedges which are used only as back to back or to hedge bank's Balance Sheet has not exceeded that of the underlying exposure.

d) The accounting policy for derivatives has been drawn up in accordance with Reserve Bank of India guidelines, as disclosed in Schedule 17 – Significant Accounting Policies (Policy No.6).

ii) Quantitative disclosures (Amounts in ₹ crore)

SNo		2022-23		2021-22	
		Currency Derivatives	**Interest rate derivatives**	**Currency Derivatives**	**Interest rate derivatives**
a)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	i) For hedging	Nil	Nil	1093.13	Nil
	ii) For trading			0.00	
b)	Marked to Market Positions				
	i) Asset (+)	Nil	Nil	0.00	
	ii) Liability (-)			194.53	
c)	Credit Exposure	Nil	Nil	21.86	
d)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	i) on hedging derivatives	Nil	Nil	8.96	
	ii) on trading derivatives			0.00	
e)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	i) on hedging	a) Max:9.04 Min:0.00	Nil	a) Max:24.06 Min:8.96	
	ii) on trading	b) Max:0.00 Min:0.00		b) Max:0.00 Min:0.00	

d. Credit default swaps

Credit Default Swaps – Nil (previous year – Nil)

8. Disclosures relating to securitization

(Number/ Amounts in ₹ crore)

Sl. No.	Particulars	Mar 31 2023	Mar 31 2022
1.	No of SPEs holding assets for securitisation transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)	Nil	Nil

2.	एसपीई की बही के अनुसार प्रतिभूत संपत्ति की कुल राशि	शून्य	शून्य
3.	तुलन पत्र की तारीख को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा रक्षित किए गए एक्सपोजर की कुल राशि	शून्य	शून्य
	क) तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर • पहली हानि • अन्य	शून्य	शून्य
	ख) तुलनपत्र पर एक्सपोजर • पहली हानि • अन्य	शून्य	शून्य
4.	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए एक्सपोजर की राशि	शून्य	शून्य
	क) तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर i) स्वयं की प्रतिभूतियों का एक्सपोजर • पहली हानि • अन्य ii) अन्य पक्ष की प्रतिभूतियों का एक्सपोजर • पहली हानि • अन्य	शून्य	शून्य
	ख) तुलन पत्र के अनुसार एक्सपोजर i) स्वयं की प्रतिभूतियों का एक्सपोजर • पहली हानि • अन्य ii) तीसरे पक्ष की प्रतिभूतियों का एक्सपोजर • पहली हानि • अन्य	शून्य	शून्य
5.	प्रतिभूत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि	शून्य	शून्य
6.	लिक्विडिटी सपोर्ट, पोस्ट-सिक्योरिटाइजेशन एसेट सर्विसिंग आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का प्रारूप और मात्रा (बकाया मूल्य)	शून्य	शून्य
7.	प्रदान की गई सुविधा का निष्पादन । कृपया प्रत्येक सुविधा के लिए अलग से प्रदान करें अर्थात ऋण वृद्धि, चलनिधि सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि के लिए प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें । (क) भुगतान की गई राशि (ख) पुनर्भुगतान प्राप्ति (ग) बकाया राशि	शून्य	शून्य
8.	पूर्व में देखी गई पोर्टफोलियो की औसत डिफ़ॉल्ट दर । कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें ।	शून्य	शून्य
9.	समान अंतर्निहित परिसंपत्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि और संख्या। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग यानी आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से ब्रेकअप प्रदान करें ।	शून्य	शून्य
10.	निवेशकों की शिकायतें (क) प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और; (ख) लंबित शिकायतें	शून्य	शून्य

9. तुलन पत्र इतर प्रायोजित एसपीवी (लेखांकन मानदंडों के अनुसार जिसका समेकन किया जाना आवश्यक हो)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशी	**विदेशी**
शून्य	शून्य

2.	Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	Nil	Nil
3.	Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet	Nil	Nil
	a) Off-balance sheet exposures • First loss • Others	Nil	Nil
	b) On-balance sheet exposures • First loss • Others		
4.	Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	Nil	Nil
	a) Off-balance sheet exposures i) Exposure to own securitisations • First loss • Others ii) Exposure to third party securitisations • First loss • Others	Nil	Nil
	b) On-balance sheet exposures i) Exposure to own securitisations • First loss • Others ii) Exposure to third party securitisations • First loss • Others	Nil	Nil
5.	Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	Nil	Nil
6.	Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	Nil	Nil
7.	Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided. a) Amount paid b) Repayment received c) Outstanding amount	Nil	Nil
8.	Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc.	Nil	Nil
9.	Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.	Nil	Nil
10.	Investor complaints a) Directly/Indirectly received and; b) Complaints outstanding	Nil	Nil

9. Off balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	**Overseas**
Nil	Nil

10. जमाकर्ता शैक्षिक एवं जागरूकता निधि को अंतरण (डीईए निधि) **(राशि ₹ करोड़ में)**

विवरण	2022-23	2021-22
डीईएएफ को अंतरित राशियों का अथ शेष	1 595.20	1 372.16
जोड़े : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	256.98	240.69
घटाएँ : दावे की ओर डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति राशि	29.98	17.65
डीईएएफ को अंतरित राशियों का इति शेष	1 822.20	1 595.20

11. शिकायतों का प्रकटीकरण

क. बैंक को ग्राहकों एवं लोकपाल कार्यालय से प्राप्त शिकायतों की सूचना का सार

क्र.सं		विवरण	2022-23	2021-22
बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायत				
1		वर्ष के प्रारंभ में लंबित रही शिकायतों की संख्या	2 850	2 026
2		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	198 307	169 599
3		वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	199 207	168 775
	3.1	जिसमें, बैंक द्वारा खारिज किए गए शिकायतों की संख्या	6 071	1 667
4		वर्ष के समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	1 950	2 850
बैंक को लोकपाल के कार्यालय से प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतें				
5		ओबीओ से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या	1 432	1 516
	5.1	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में सुलझाई गई शिकायतों की संख्या	627	658*
	5.2	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा समाधान / मध्यस्थता / जारी एडवाइज़रीज़ के माध्यम से सुलझाई गई शिकायतों की संख्या	804	858*
	5.3	5 में से, बैंक के विरुद्ध लोकपाल कार्यालय द्वारा अवार्ड पारित करने के बाद सुलझाई गई शिकायतों की संख्या	1#	0
6		निर्धारित समय समय के भीतर कार्यान्वित नहीं होने वाले अवार्ड की संख्या (जिनकी अपील की गई है, उन्हें छोड़कर)	0	0

नोट: बनाए रखने योग्य शिकायतें एकीकृत लोकपाल योजना 2021 (पहले बैंकिंग लोकपाल योजना 2006) में विशेष रूप से उल्लिखित आधार पर शिकायतों को संदर्भित करती हैं और योजना के दायरे में आती हैं ।

* पिछले वर्ष के लिए दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित आंकड़ों से भिन्न हैं, क्योंकि हमें भारतीय रिजर्व बैंक से विसंगति के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है ।

आरबीआईओएस योजना के अनुसार अवार्ड व्यपगत हो गया है क्योंकि ग्राहक ने पत्र दिया है कि उसे अवार्ड स्वीकार नहीं है ।

ख. बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के पाँच शीर्ष आधार

शिकायतों का आधार (यथा संबन्धित शिकायत)	वर्ष के शुरुआत से लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या में बढ़ोत्तरी / कमी का %	वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	5 के, 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
वर्तमान वर्ष (वि.वर्ष 2022-23)					
इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	1 006	111 287	(+)32.25%	793	0
एटीएम / डेबिट कार्ड	1 134	70 769	(-)2.39%	595	0
क्रेडिट कार्ड	307	1 926	(-)12.69	262	0

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund) (Amounts in ₹ crore)

Particulars	2022-23	2021-22
Opening Balance of Amounts transferred to DEAF	1 595.20	1 372.16
Add: Amounts transferred to DEAF during the year	256.98	240.69
Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	29.98	17.65
Closing Balance of Amounts transferred to DEAF	1 822.20	1 595.20

11. Disclosure of complaints

a. Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman

S.No.		Particulars	2022-23	2021-22
Complaints received by the Bank from its customers				
1		Number of complaints pending at beginning of the year	2 850	2 026
2		Number of complaints received during the year	198 307	169 599
3		Number of complaints disposed during the year	199 207	168 775
	3.1	Of which, number of complaints rejected by the Bank	6 071	1 667
4		Number of complaints Pending at the end of the year	1 950	2 850
Maintainable complaints received by the Bank from OFFICE OF OMBUDSMAN				
5		Number of Maintainable complaints received by the Bank from Office Of Ombudsman	1 432	1 516
	5.1	Of 5, number of complaints resolved in favour of the Bank by Office Of Ombudsman	627	658*
	5.2	Of 5, Number of complaints resolved through conciliation/ mediation/advisories issued by Office Of Ombudsman	804	858*
	5.3	Of 5, Number of complaints resolved after passing of Awards by Office Of Ombudsman against the Bank	1#	0
6		Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in Integrated Ombudsman scheme 2021 (previously banking Ombudsman Scheme 2006) and covered within the ambit of the scheme.

* The figures given for previous year are different from the one published in the last year Annual Report, as we have received some clarification from Reserve Bank of India regarding the discrepancy

The Award is lapsed as per RBIOS Scheme as the customer has given letter stating that he is not accepting the Award

b. Top five grounds of complaints received by the bank from customers

Grounds of Complaints, (i.e. Complaints relating to	Number of complaints pending at the beginning of the year	number of complaints received during the year	%Increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	Number of complaints pending at the end of the year	of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
Current Year (FY 2022-23)					
Internet/Mobile/Electronic Banking	1 006	111 287	(+)32.25%	793	0
ATM/Debit cards	1 134	70 769	(-)2.39%	595	0
Credit Cards	307	1 926	(-)12.69	262	0

ऋण और अग्रिम	112	1 045	(-)32.36	23	1
चेक / ड्राफ्ट / बिल	7	2 732	(+)83.60	10	1
अन्य	284	10 548	(+)36.77	267	0
कुल	**2 850**	**198 307**	**(+)16.93**	**1 950**	**2**
वर्तमान वर्ष (वि.वर्ष 2021-22)					
इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रानिक बैंकिंग	226	84 147	(+)11.58	1 006	
एटीएम / डेबिट कार्ड	1 119	72 501	(+)17.93	1 134	
क्रेडिट कार्ड	24	2 206	(-)33.09	307	
ऋण और अग्रिम	74	1 545	(+)13.35	112	
चेक / ड्राफ्ट / बिल	7	1 488	(+)380	7	
अन्य	576	7 712	(-)16.38	284	
कुल	**2 026**	**169 599**		**2 850**	

12. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण **(रु. लाख में)**

विवरण	2022-23	2021-22
आरबीआई द्वारा लगाए गए दंड	57.50	--
सेबी/ स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लगाए गए दंड	--	--
अन्य दंड	--	--

13. पारिश्रमिक प्रकटीकरण

क्र. सं.	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक* राशि (रु.) (2022-23)	पारिश्रमिक* राशि (रु.) (2021-22)
1.	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी व सीईओ) 01.01.2023 से	9,12,876.00	लागू नहीं
		कार्यपालक निदेशक 31.12.2022 तक	35,00,690.00	32,65,002.00
2	श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता **	पूर्व एमडी व सीईओ 31.12.2022 तक	38,96,564.78	34,71,378.00
3.	सुश्री एस श्रीमती	कार्यपालक निदेशक	39,04,720.09	29,45,576.33
4.	श्री संजय विनायक मुदालियर **	कार्यपालक निदेशक 01.01.2023 से	10,58,964.00	लागू नहीं

*पारिश्रमिक में वेतन व भत्ते, वेतन बकाया, कार्य निष्पादन प्रोत्साहन राशि, छुट्टी नकदीकरण बकाया और ग्रैच्युटी बकाया शामिल हैं ।

**वर्ष का भाग

14. अन्य प्रकटीकरण

क. कारोबार अनुपात

विवरण	2022-23	2021-22
i) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजगत आय	2.66%	2.17%
ii) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	1.32%	1.69%
iii) जमाओं की लागत	4.13%	4.22%
iv) निवल ब्याज मार्जिन	2.93%	2.41%

Loans and advances	112	1 045	(-)32.36	23	1
Cheques/Draft/bills	7	2 732	(+)83.60	10	1
others	284	10 548	(+)36.77	267	0
Total	**2 850**	**198 307**	**(+)16.93**	**1 950**	**2**
Previous Year (FY 2021-22)					
Internet/Mobile/Electronic Banking	226	84 147	(+)11.58	1 006	
ATM/Debit cards	1 119	72 501	(+)17.93	1 134	
Credit Cards	24	2 206	(-)33.09	307	
Loans and advances	74	1 545	(+)13.35	112	
Cheques/Draft/bills	7	1 488	(+)380	7	
others	576	7 712	(-)16.38	284	
Total	**2 026**	**169 599**		**2 850**	

12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

(Rs in Lakhs)

Particulars	2022-23	2021-22
Penalties imposed by RBI	57.50	--
Penalties imposed by SEBI / stock exchanges	-	--
Other Penalties	-	--

13. Disclosure on remuneration

Sl. No.	Name	Designation	Remuneration* Amount (Rs.) (2022-23)	Remuneration* Amount (Rs.) (2021-22)
1.	Shri Ajay Kumar Srivastava	Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) From 01.01.2023	9,12,876.00	NA
		Executive Director (upto 31.12.2022)	35,00,690.00	32,65,002.00
2.	Shri Partha Pratim Sengupta**	Ex MD & CEO Upto 31.12.2022	38,96,564.78	34,71,378.00
3.	Smt. S Srimathy	Executive Director	39,04,720.09	29,45,576.33
4.	Shri Sanjay Vinayak Mudaliar **	Executive Director From 01.01.2023	10,58,964.00	NA

* Remuneration Includes salary & allowances, salary arrears, performance incentives, leave encashment arrears and gratuity arrears.

**Part of the year

14. Other Disclosures

a. Business ratios

Particulars		2022-23	2021-22
i)	Interest Income as a percentage to Working Funds	2.66%	2.17%
ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.32%	1.69%
iii)	Cost of Deposits	4.13%	4.22%
iv)	Net Interest Margin	2.93%	2.41%

v) औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनात्मक लाभ		1.91%	1.98%
vi) आस्तियों से लाभ		0.76%	0.59%
vii) कारोबार (जमाएँ व अग्रिम) प्रति कर्मचारी (रु. करोड़ में)		20.21	18.69
viii) प्रति कर्मचारी लाभ (रु. करोड़ में)		0.09	0.08

आ. बैंक बीमा कारोबार (राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	आय का स्वरूप *	2022-23	2021-22
(a)	जीवन बीमा पॉलिसियों को बेचने के लिए	3.24	2.14
(b)	गैर जीवन बीमा पॉलिसियों को बेचने के लिए	26.31	22.91
(c)	म्युचुअल फंड उत्पादों को बेचने के लिए	0.44	0.47
(d)	अन्य (स्पष्ट करें)	शून्य	शून्य
	कुल	**29.99**	**25.52**

***बैंक द्वारा किए गए बैंकएश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक।**

ग. विपणन और वितरण - शून्य

घ. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण (राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2022-23		2021-22	
		खरीद	बिक्री	खरीद	बिक्री
1	पीएसएलसी कृषि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	पीएसएलसी - एसएफ़/ एमएफ़	शून्य	शून्य	--	3100.00
3	पीएसएलसी - अतिलघु उद्यम	शून्य	शून्य	--	--
4	पीएसएलसी सामान्य	शून्य	शून्य	--	1758.50

ड़. प्रावधान और आकस्मिकताएँ (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
निवेश / बट्टा खाता किए गए पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	1.35	249.25
अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान	2857.74	3 401.01
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(462.45)	187.66
पुनर्रचित खातों के लिए प्रावधान	(12.85)	4.18
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	249.46	69.52
अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएँ	1210.12	141.75
कुल	**3843.38**	**4 053.37**

च. आइएफ़आरएस अभिरूपित भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (इंड एएस)

- फरवरी 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में एक संचालन समिति की स्थापना की है जिसमें चार (4) महाप्रबंधकों का एक कार्यकारी समूह है जो इंड-एएस की प्रगति की निगरानी करता है ।

- बैंक ने इंड-एएस के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यात्मक विभागों से 10 सदस्यों की एक कोर टीम और 7 सदस्यों की ईसीएल टीम भी बनाई है ।

v)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.91%	1.98%
vi)	Return on Assets	0.76%	0.59%
vii)	Business (deposits plus advances) per employee (in ₹ crore)	20.21	18.69
viii)	Profit per employee (in ₹ crore)	0.09	0.08

b. Bancassurance business (Amounts in ₹ crore)

S. No.	Nature of income*	2022-23	2021-22
(a)	For selling Life Insurance Policies	3.24	2.14
(b)	For selling Non Life Insurance Policies	26.31	22.91
(c)	For Selling Mutual Fund products	0.44	0.47
(d)	Others (specify)	Nil	Nil
	Total	**29.99**	**25.52**

***Fees/Remuneration received in respect of the Bancassurance Business undertaken by the Bank.**

c. Marketing and distribution - NIL

d. Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs) (Amounts in ₹crore)

S. No.	Particulars	2022-23		2021-22	
		Purchase	Sales	Purchase	Sales
1	PSLC - Agriculture	Nil	Nil	Nil	Nil
2	PSLC - SF/MF	Nil	Nil	--	3100.00
3	PSLC - Micro Enterprises	Nil	Nil	--	--
4	PSLC - General	Nil	Nil	--	1758.50

e. Provisions and contingencies (Amounts in ₹crore)

Particulars	2022-23	2021-22
Provisions for depreciation on Investment / Written back	1.35	249.25
Provision towards NPA	2857.74	3401.01
Provision towards Standard Assets	(462.45)	187.66
Provision for Restructured accounts	(12.85)	4.18
Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax & Wealth Tax)	249.46	69.52
Other Provision and Contingencies	1210.12	141.75
Total	**3843.38**	**4053.37**

f. Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS)

- In line with the guidance issued by the Reserve Bank of India in February 2016, the Bank has set up a Steering Committee headed by the Executive Director along with a Working Group consisting of four (4) General Managers which monitors the progress of Ind-AS implementation.
- Bank has also formed a core team of 10 members and ECL team of 7 members drawn from various functional departments for taking forward for implementation of Ind AS.

- बैंक ने 09.11.2022 से तीन साल की अवधि के लिए हमारे बैंक में इंड एएस के कार्यान्वयन के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया है।

- पूर्व में बैंक ने कार्यपालकों के साथ-साथ विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों से जुड़े अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया ।

- जीएपी विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर, बैंक ने इंड-एएस अनुपालन वित्तीय उत्पन्न करने के लिए मौजूदा प्रणाली में अनुकूलन आवश्यकता की पहचान की है जिसमें स्टाफ अग्रिमों का उचित मूल्यांकन, स्टाफ जमा, परिशोधन लागत के तहत वर्गीकृत ऋणों के लिए प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) की गणना, अपेक्षित क्रेडिट शामिल हैं। प्रारंभिक चरण में नियुक्त सलाहकार की सहायता से हानि (ईसीएल) मॉडल विकास जिसमें चूक की संभावना (पीडी), डिफ़ॉल्ट रूप से हानि (एलजीडी) डिफ़ॉल्ट पर एक्सपोजर (ईएडी) आदि शामिल हैं । बैंक में इंड एएस के कार्यान्वयन के लिए सॉफ्टवेयर और आवश्यक हार्डवेयर की खरीद के लिए बैंक आरएफपी जारी करने की प्रक्रिया में है ।

- प्रोफार्मा वित्तीय विवरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए जा रहे हैं ।

छ. डीआइसीजीसी को किस्त का भुगतान

(राशि करोड़ ₹ में)

क्रम सं	विवरण	2022-23	2021-22
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	353.02	333.64
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	शून्य	शून्य

ज. बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण परिशोधित पेंशन और ग्रेच्युटी देनदारियों और व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण

1. पेंशन:

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार सरकारी दिशानिर्देशों के कारण पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण अतिरिक्त देयता रु. 425,85,83,225/- है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/ 2021-22/ 105/ डीओआर. एसीसी. आरईसी. 57/ 21.04.018/ 2021-22 दिनांक 04.10.2021 के अनुसार बैंकों को पांच साल की अवधि में कुल देनदारियों का परिशोधन करने की अनुमति है। बैंक ने आरबीआई के उक्त प्रावधान को चुना है और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए न्यूनतम राशि रु. 21,29,29,161.25/- का शुल्क लिया है ।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, बैंक ने पारिवारिक पेंशन परिशोधन के लिए रु. 85,17,16,645/- दिया है ।

255,51,49,935 रुपये के शेष अपरिशोधित व्यय को आगे बढ़ाया गया है ।

1. ग्रेच्युटी:

31.03.2023 को परिशोधित ग्रेच्युटी देयता शून्य है ।

अंतिम बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण से संबंधित कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान किया गया है ।

15. चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

बैंकों को वर्ष के दौरान उनके द्वारा जारी किए गए सभी चुकौती आश्वासन पत्रों (एलओसी) का पूरा ब्योरा देना चाहिए, जिसमें उनके मूल्यांकित वित्तीय प्रभाव के साथ ही उनके द्वारा पूर्व में जारी एलओसी के तहत उनके द्वारा जारी किए गए संचयी वित्तीय दायित्व और बकाया के वित्तीय विवरण जिन्हें, 'नोट्स टू अकाउंट्स' के भाग के रूप में प्रकाशित किया गया है ।

विवरण		वि.वर्ष 2022-23
वर्ष के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र	-	शून्य
31.3.2023 को बकाया चुकौती आश्वासन पत्र	-	3
वित्तीय प्रभाव का आकलन	-	शून्य
संचयी वित्तीय आकलन बाध्यता	-	शून्य

31 मार्च, 2023 तक एलओसी के बकाया की संचयी स्थिति:

1. वर्ष 2009-10 के दौरान, बैंक ने बैंकॉक शाखा के संबंध में 12% का न्यूनतम सीआरएआर बनाए रखने और प्रतिधारित आय को पूंजीगत निधियों में परिवर्तित करने और/या अतिरिक्त पूंजी डालने की व्यवस्था करने के लिए एक लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन के अधीन, सीआरएआर को न्यूनतम 12% तक बहाल करना है । 31.03.2023 को बैंकॉक शाखा की नियत पूंजी टीएचबी 2200 एमआईओ (25.97) है ।

शाखा के पूरे टेक्सटाइल एक्सपोजर के सबसे खराब स्थिति में एनपीए होने की स्थिति में हमें मानक कपड़ा अनारक्षितियों के असुरक्षित हिस्से हेतु टीबीएच 92.854 मियो की सीमा तक का अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ सकता है। यदि यह आकस्मिकता उत्पन्न होती है, तो कोई अतिरिक्त पूंजी प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि मौजूदा भंडार अनारक्षित राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं।

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक नेगारा मलेशिया के पक्ष में आश्वासन का एक पत्र जारी किया है । बैंक अन्य संयुक्त उद्यम भागीदारों के साथ मिलकर इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद को फंडिंग में सहायता प्रदान करेगा, इंडिया इंटरनेशनल (मलेशिया) बरहद को फंडिंग, व्यापार और अन्य मामलों में जब भी आवश्यकता होगी, सहायता प्रदान करेगा और सुनिश्चित करता है कि यह अपने व्यवसाय संचालन और प्रबंधन के संचालन में मलेशियाई कानूनों, विनियमों और नीतियों की आवश्यकताओं का अनुपालन होता है । बैंक नेगारा मलेशिया को जारी किए गए कंपोर्ट के पत्र का वित्तीय प्रभाव एमवाईआर 330 मियो यानी एमवाईआर 115.500 एमआईओ की विभिन्न तिथियों पर भुगतान की गई पूंजी के 35% के हमारे हिस्से के अनुरूप है।

- Bank has appointed a consultant for implementation of Ind AS in our Bank for a period of three years from 09.11.2022
- Bank in the past imparted training to Executives as well as Officials attached to various Administrative Offices.
- Based on the GAP Analysis report, Bank has identified customization requirement in existing system for generating Ind AS compliant financials which includes fair valuation of staff advances, staff deposits, computation of Effective Interest Rate (EIR) for loans classified under Amortized cost, Expected Credit Loss (ECL) model development involving Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) Exposure at Default (EAD) etc with the help of consultant appointed in the initial stage. Bank is in the process of floating RFP for procurement of Software and requirement hardware for implementation of Ind AS in the bank.
- Proforma financials Statements are being submitted to Reserve Bank of India according to the time lines stipulated by Reserve Bank of India.

g. Payment of DICGC Insurance Premium (Amounts in ₹crore)

Sr. No.	Particulars	2022-23	2021-22
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	353.02	333.64
ii)	Arrears in payment of DICGC premium	Nil	Nil

h. Disclosure on unamortised Pension and Gratuity Liabilities and amortization of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of Banks

1. Pension:

The additional liability on account of enhancement in family pension in view of Government guidelines, works out of Rs Rs.425,85,83,225- as per the Actuarial Valuation.

As per Reserve Bank of India Circular RBI / 2021 – 22 / 105 / DOR. ACC. REC. 57/ 21.04.018/2021-22 dated 04.10.2021 banks are permitted to amortise the total liabilities over the period of five years. The Bank has opted the said provision of Reserve Bank of India and has charged minimum amount of Rs.21,29,29,161.25 for the quarter ended March 31st 2023.

For the Financial Year 2022-23, Bank has provided an amount of Rs 85,17,16,645 for amortization of family pension.

The balance unamortized expenses of Rs 255,51,49,935- has been carried forward.

2. Gratuity:

Unamortised gratuity liabilities as on March 31st 2023 is Nil.

Provision for the employee benefits pertaining to Pension, Gratuity & Leave encashment have been made on the basis of Final Actuarial Valuation.

15. Letter of Comfort (LoC):

Banks should disclose the full particulars of all the letters of comfort (LoCs) issued by them during the year, including their assessed financial impact , as also their assessed cumulative financial obligations under the LoCs issued by them in the past and outstanding, in its published financial statements, as part of the "Notes to Accounts"

Particulars		FY 2022-23
Letters of Comfort issued during the year	-	NIL
Letters of Comfort outstanding as on 31.03.2023	-	3
Assessed Financial impact	-	NIL
Cumulative Assessed Financial Obligation	-	NIL

Cumulative position of LOC's outstanding as on March 31,2023:

1. During the year 2009-10, the Bank has issued a Letter of Comfort (LoC) undertaking to maintain a minimum CRAR of 12% in respect of Bangkok branch and to arrange to convert retained earnings to capital funds and/or infuse further capital in order to restore the CRAR to a minimum of 12%, subject to approval from Reserve Bank of India. The assigned capital of Bangkok Branch stands at THB 2200 Mio(25.97) as on March 31st 2023.

In the worst case scenario of the entire textile exposure of the branch becoming NPA. We may have to make additional provision to the extent of THB 92.854 Mio being unsecured portion of standard textile advances. If this contingency arises, there would be no additional capital to be remitted as existing reserves are adequate to cover the unsecured amount

During the year 2010-11 has issued a letter of Comfort favoring Bank Negara Malaysia. The Bank in association with other Joint Venture partners will provide support to India International Bank (Malaysia) Berhad in funding, provide support to India International (Malaysia) Berhad in funding, business and other matters as and when required and ensure that it complies with the requirements of the Malaysian laws, regulations and policies in the conduct of its business operations and management. The financial impact of the letter of Comport issued to bank Negara Malaysia is to the tune of our share of 35% of the paid up capital of MYR 330 Mio i.e., MYR 115.500 Mio on various dates

मेजबान देश के नियामकों के दिशानिर्देशों के आधार पर, बैंक ने आइओबी श्रीलंका शाखा द्वारा किए गए व्यवसाय से उत्पन्न होने वाले सभी दायित्वों और देनदारियों को पूरा करने के लिए 12.09.2019 को आयोजित अपनी बैठक में सीबीएसएल के पक्ष में आश्वासन पत्र जारी किया है ।

16. भारतीय रिज़र्व बैंक की परिपत्र संख्या डीबीआर. सं. बीपी. बीसी. 18/ 21.04.048/ 2018-19 दिनांक 01.01.2019, डीओआर. सं. बीपी. बीसी. 34/ 21.04.048/ 2019-20 दिनांक 11.02.2020 एवं डीओआर. सं. बीपी. बीसी/ 4/ 21.04.048/ 2020-21 दिनांक 06.08.2020 के अनुसार "वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत छूट प्राप्त या पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत" पर, एमएसएमई पुनर्गठित खातों का विवरण 01.04.2019 से 31.03.2023 तक निम्नानुसार हैं:

खातों की संख्या	31 मार्च 2023 तक कुल एक्सपोजर (रुपये करोड़ में)
5117	294.85

17. कोविड-19 महामारी ने दो साल से अधिक समय से भारतीय अर्थव्यवस्था सहित दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। हालांकि, महामारी के कारण बैंक के नतीजे, परिचालन और संपत्ति की गुणवत्ता ज्यादा प्रभावित नहीं हुई है। इसके अलावा, बैंक ने सभी कोविड संबंधित पुनर्गठित ऋणों के लिए आवश्यक प्रावधान किए हैं । तथापि, बैंक निरंतर आधार पर विकास पर कड़ी नजर रख रहा है और संपत्ति की गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने के लिए लगातार सक्रिय कदम उठा रहा है। इसलिए, बैंक का मानना है कि बैंक के भविष्य के वित्तीय परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ सकता है ।

18. वर्ष के दौरान आय कर के लिए किए गए प्रावधान:

(राशि रु. करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
आयकर के लिए प्रावधान	20.60	31.71
आस्थगित कर के लिए प्रावधान	228.85	37.81
निवल प्रावधान	249.45	69.52

19. तुलनात्मक आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़े जहां भी जरूरी हो, पुन: समूहित / पुन: वर्गीकृत किए गए हैं ।

लेखा मानकों के तहत प्रकटीकरण

1. लेखांकन मानक 5 – अवधि के लिए निवल लाभ या हानि , पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

वित्तीय विवरणी को उन्हीं लेखांकन नीतियों व पॉलिसियों के आधार पर तैयार किया गया है जिनका पालन 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए किया गया था।

वर्ष के दौरान, पूर्व अवधि आय/व्यय मदों की कोई सामग्री नहीं थी ।

2. लेखांकन मानक 9 – राजस्व मान्यता

महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसी – अनुसूची 17 में मद सं. 2 में वर्णितानुसार राजस्व को मान्यता दी गयी है ।

3. लेखांकन मानक 11 – विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के प्रभाव

विवरण	2022-23	2021-22
अथ शेष	841.66	1160.73
वर्ष के दौरान क्रेडिट	126.64	34 .23
वर्ष के दौरान आहरण	2.59	353.30
इति शेष	965.71	841 .666

4. लेखांकन मानक 15 – कर्मचारी लाभ

i. बैंक ने 01 अप्रैल 2007 से भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''कर्मचारियों के लाभ'' संबंधी लेखांकन मानक 15 (परिशोधित) को अपनाया है।

ii. लेखांकन मानक-15 (परिशोधित) के अनुसार अपेक्षित लाभ व हानि खाते और तुलन पत्र में पहचाने गए नियोजन-उत्तर लाभों और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की स्थिति का सारांश निम्नवत है ;

(क) परिभाषित लाभ योजनाएँ:

बाध्यताओं के वर्तमान मूल्यों में परिवर्तन (राशि रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	10 363.22	9 856.98	1 200.55	913.11	516.13	506.57
ब्याज लागत	735.23	674.21	85.31	57.72	36.33	31.60
वर्तमान सेवा लागत	279.52	256.02	78.70	72.68	56.88	43.37
प्रदत्त लाभ	(1 067.96)	(1 166.10)	(120.21)	(186.44)	(60.75)	(111.59)
बाध्यताओं पर वास्तविक नुकसान / (लाभ)	1 004.24	742.11	57.83	343.48	27.68	46.18
वर्ष के अंत में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	11 314.24	10 363.22	1 302.17	1 200.55	576.27	516.13

Based on the host country regulators guidelines, Bank has issued letter of Comfort favoring CBSL at its meeting held on 12.09.2019 for meeting all obligations and liabilities arising out of business carried on by IOB Srilanka Branch

16. In accordance with the Reserve Bank of India Circular No DBR No. BP. BC.18/21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019, DOR.No.BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated 11.02.2020 and DOR.No.BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated 06.08.2020, on "Relief for MSME borrowers either exempted or registered under Goods and Service Tax (GST)", the details of MSME restructured accounts from 01.04.2019 to 31.03.2023 are as under:

No. of Accounts	Aggregate exposure as on 31st March 2023 (Rs. in crore)
5117	294.85

17. COVID-19 pandemic has adversely impacted the economic activity across the globe including the Indian economy for more than two years. However, the bank's results, operations and asset quality have not been affected much because of the pandemic. Further, bank has made necessary provisions for all COVID related restructured loans. The Bank is however keeping a close watch on developments on an ongoing basis and taking proactive measures continuously to maintain and improve asset quality. The bank, therefore, believes that there may not be any significant impact on Bank's future financial results

18. Amount of provisions made for Income Tax during the year: Amount in Rs. Crore

Particulars	2022-23	2021-22
Provision for Income Tax	20.60	31.71
Provision for Deferred Tax	228.85	37.81
Net Provision	249.45	69.52

19. Comparative Figures

Previous year's figures have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

DISCLOSURES UNDER ACCOUNTING STANDARDS

1. Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies

The financial statements have been prepared following the same accounting policies and practices as those followed for the year ended March 31, 2022.

During the year, there were no material prior period income / expenditure items.

2. Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

Revenue has been recognized as described in item No. 2 of Significant Accounting Policies – Schedule 17.

3. Accounting Standard 11 – The Effects of Changes In Foreign Exchange Rates

Particulars	2022-23	2021-22
Opening Balance	841.66	1160.73
Credited during the year	126.64	34 .23
Withdrawn during the year	2.59	353.30
Closing Balance	965.71	841 .666

4. Accounting Standard 15 – Employee Benefits

i. The Bank had adopted Accounting Standard 15 (Revised) "Employees Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, with effect from 1st April, 2007.

ii. The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) are as under: -

(a) Defined Benefit Schemes:

Changes in the present value of the obligations (Amount in Rs. crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous year
Present Value of obligation as at the beginning of the year	10 363.22	9 856.98	1 200.55	913.11	516.13	506.57
Interest Cost	735.23	674.21	85.31	57.72	36.33	31.60
Current Service Cost	279.52	256.02	78.70	72.68	56.88	43.37
Benefits Paid	(1 067.96)	(1 166.10)	(120.21)	(186.44)	(60.75)	(111.59)
Actuarial loss/(gain) on Obligations	1 004.24	742.11	57.83	343.48	27.68	46.18
Present Value of Obligation at year end	11 314.24	10 363.22	1 302.17	1 200.55	576.27	516.13

(ख) प्लान आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन (राशि रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य	10 363.23	9 856.98	1 225.20	1 295.29	0.00	--
योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	782.28	710.44	91.81	84.63	0.00	--
नियोक्ता का अंशदान	1 202.74	915.48	124.65	--	60.75	111.59
प्रदत्त लाभ	(1 067.96)	(1 166.10)	(120.21)	(186.44)	(60.75)	(111.59)
बाध्यताओं पर वास्तविक (नुकसान) / लाभ	33.96	46.43	5.37	31.72	0.00	--
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	11 314.25	10 363.23	1 326.82	1 225.20	0.00	--
गैर निधि संक्रमणकालीन देयता	--	--	--	--	--	--

(ग) तुलन पत्र में चिन्हित राशि (राशि रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का अनुमानित वर्तमान मूल्य	11 569.76	10 703.91	1 302.17	1 200.55	576.27	516.13
वर्ष के अंत में तक योजना आस्ति का उचित मूल्य	11314.25	10 363.23	1 326.82	1 225.20	0.00	--
तुलन पत्र में पहचानी गई अनिधिक निवल देयता	*(255.51)	*(340.68)	0.00	--	576.27	516.13
तुलन पत्र में पहचानी गई निधिक निवल देयता	0.00	--	24.65	24.65	0.00	--

* सरकारी दिशानिर्देशों के कारण पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण अतिरिक्त देयता, बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार रु. 425,85,83,225/- है। आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2021-22/105/डीओआर.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 04.10.2021 के अनुसार बैंकों को पांच साल की अवधि में कुल देनदारियों का परिशोधन करने की अनुमति है। बैंक ने आरबीआई के उक्त प्रावधान को चुना है और 31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए न्यूनतम 85,17,16,645/- रुपये की राशि का शुल्क लिया है । 255,51,49,935 रुपये की शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया है ।

(घ) लाभ व हानि में चिन्हित व्यय (राशि रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्तमान सेवा लागत	279.52	256.02	78.70	72.68	56.88	43.37
ब्याज लागत	735.23	674.21	85.31	57.72	36.33	31.60

(b) Change in Fair Value of Plan Asset (Amount in Rs. crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous year
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	10 363.23	9 856.98	1 225.20	1 295.29	0.00	--
Expected return on Plan Assets	782.28	710.44	91.81	84.63	0.00	--
Employer's contribution	1 202.74	915.48	124.65	--	60.75	111.59
Benefit Paid	(1 067.96)	(1 166.10)	(120.21)	(186.44)	(60.75)	(111.59)
Actuarial gain/(loss) on Obligations	33.96	46.43	5.37	31.72	0.00	--
Fair Value of Plan Asset at the end of the year	11 314.25	10 363.23	1 326.82	1 225.20	0.00	--
Unfunded Transitional Liability	--	--	--	--	--	--

(c) Amount recognized in Balance Sheet (Amount in Rs. Crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Estimated Present value of obligations as at the end of the year	11 569.76	10 703.91	1 302.17	1 200.55	576.27	516.13
Actual Fair value of Plan Assets as at the end of the year	11314.25	10 363.23	1 326.82	1 225.20	0.00	--
Unfunded Net Liability recognized in Balance Sheet	*(255.51)	*(340.68)	0.00	--	576.27	516.13
Funded Net Assets to be recognized in Balance Sheet	0.00	--	24.65	24.65	0.00	--

*The additional liability on account of enhancement in family pension on account of Government guidelines, works out of Rs 425,85,83,225 as per the Actuarial valuation. As per Reserve Bank of India circular RBI/2021-22/105/DOR.ACC. REC.57/21.04.018/2021-22 dated 04.10.2021 banks are permitted to amortise the total liabilities over the period of five years. The Bank has opted the said provision of Reserve Bank of India and has charged minimum amount of Rs 85,17,16,645 for the year ended March 31st 2023. The Balance unamortized expenses of Rs 255,51,49,935 has been carried forward.

(d) Expenses Recognized in Profit & Loss (Amount in Rs. Crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Current Service Cost	279.52	256.02	78.70	72.68	56.88	43.37
Interest Cost	735.23	674.21	85.31	57.72	36.33	31.60

योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	(782.28)	(710.44)	(91.81)	(84.63)	0.00	0.00
वर्ष में पहचाना गया निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	970.28	695.68	52.46	311.76	27.68	46.18
लाभ व हानि खाते में प्रभारित करने योग्य कुल व्यय	1 202.74	915.47	124.65	357.53	120.89	121.15
।। पेंशन विकल्पियों / पीएफ में नियोक्ता के अंशदान से प्राप्त रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ङ) पेंशन व ग्रैच्युटी न्यास द्वारा अनुरक्षित निवेश प्रतिशतता: (आंकड़े % में)

विवरण	पेंशन न्यास		ग्रैच्युटी न्यास	
	2023	2022	2023	2022
क) ऋण लिखतों की				
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	3.41	3.06	8.67	8.09
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	2.58	1.85	17.32	24.32
पीएसयू / पीएफआइ/कार्पोरेट बाँडों में निवेश	4.50	3.47	12.75	12.18
अन्य निवेश	88.83	91.16	58.95	53.42
ख) ईक्विटी लिखतें	0.68	0.46	2.31	1.99

(च) तुलन-पत्र की तारीख तक मूल वास्तविक अनुमान (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त) (आंकड़े % में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
बट्टा दर	7.48	7.27	7.56	7.48	7.56	7.48
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ दर	7.50	7.30	7.48	7.04	0	0
वेतन वृद्धि की प्रत्याशित दर	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
पेंशन में बढ़ोतरी	4.00	4.00	-	-	-	-
एट्रीशन दर	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00
मोर्टलिटी	2012-14 अंतिम संशोधित		2012-14 अंतिम		2012-14 अंतिम	
अपनायी गयी प्रक्रिया	अनुमानित यूनिट क्रेडिट		अनुमानित यूनिट क्रेडिट		अनुमानित यूनिट क्रेडिट	

Expected return on Plan Asset	(782.28)	(710.44)	(91.81)	(84.63)	0.00	0.00
Net Actuarial (Gain)/ Loss recognized in the year	970.28	695.68	52.46	311.76	27.68	46.18
Total expenses chargeable in Profit & Loss Account	1 202.74	915.47	124.65	357.53	120.89	121.15
Amount received from II Pension optees/ employer's contribution of PF	N.A	N.A.	N.A	N.A.	N.A	N.A.

(e) Investment percentage maintained by Pension & Gratuity Trust: (Figures in %)

Particulars	Pension Trust		Gratuity Trust	
	2023	2022	2023	2022
a) Debt Instruments				
Central Government Securities	3.41	3.06	8.67	8.09
State Government Securities	2.58	1.85	17.32	24.32
Investment in PSU /PFI / Corporate Bonds	4.50	3.47	12.75	12.18
Other Investments	88.83	91.16	58.95	53.42
b) Equity Instruments	0.68	0.46	2.31	1.99

(f) Principal actuarial assumptions at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average) (Figures in %)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Discount Rate	7.48	7.27	7.56	7.48	7.56	7.48
Expected rate of return on Plan Assets	7.50	7.30	7.48	7.04	0	0
Expected Rate of Salary increase	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Pension increase	4.00	4.00	-	-	-	-
Attrition rate	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Mortality	2012-14 Modified Ultimate		2012-14 Ultimate		2012-14 Ultimate	
Method used	Projected unit credit		Projected unit credit		Projected unit credit	

(छ) अनुभवगत समायोजन (राशि रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)					ग्रैच्युटी (निधिक)					अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)				
	2023	2022	2021	2020	2019	2023	2022	2021	2020	2019	2023	2022	2021	2020	2019
योजना आस्तियों पर अनुभवगत समायोजन (हानि) / लाभ	(33.96)	(46.43)	102.28	(32.05)	44.11	(5.37)	(31.72)	31.56	(20.96)	2.59	--	--	--	--	--
योजना देयताओं पर अनुभवगत समायोजन (हानि) / लाभ	1 004.24	742.11	864.20	430.22	336.01	66.00	375.22	39.11	(356.18)	(52.77)	32.00	68.06	11.82	18.52	29.71

बीमांकक मूल्यांकन के तहत भावी वेतन वृद्धि के अनुमानों में, योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ,मुद्रास्फीति, वरीयता, पदोन्नति और अन्य संबंधित कारकों यथा कर्मचारी बाज़ार में माँग व आपूर्ति को हिसाब में लिया गया है । विदेशी शाखाओं के संबंध में, कर्मचारी लाभ योजना के लिए यदि कोई प्रकटीकरण अपेक्षित है तो सूचना के अभाव में यह नहीं है ।

ज) परिकलनों के लिए किए गए वित्तीय अनुमान निम्नवत है:

बट्टा दर : बट्टा दर को मूल्यांकन की तारीख (तुलन - पत्र दिनांकित 31.03.2023) सरकारी बाँडों पर बाजार लाभ के संदर्भ में तय किया गया है ।

प्रत्याशित वापसी दर: आस्तियों पर कुल मिलाकर प्रत्याशित लाभ दर उस तिथि पर प्रचलित बाजार मूल्य पर तय की जाती है, जिस अवधि में लागू तिथि पर दायित्वों का निपटारा किया जाना है। सुधरे हुए स्टॉक बाजार परिदृश्य के कारण आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन है।

अगले वित्तीय वर्ष में ग्रैच्युटी के लिए अपेक्षित अदायगी के लिए बैंक का सर्वोत्तम आकलन रु.100 .00 करोड़ है ।

5. लेखांकन मानक 17 – सेग्मेंट रिपोर्टिंग

सेग्मेंट रिपोर्टिंग के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अप्रैल 2007 में जारी संशोधन दिशानिर्देशों को अपनाया है, जिसके अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले खण्डों को ट्रेज़री , कार्पोरेट / थोक बैंकिंग, रीटेल बैंकिंग व अन्य बैंकिंग परिचालनों मे वर्गीकृत किया है।

(g) Experience Adjustments (Amount in Rs. Crore)

Particulars	PENSION (Funded)					GRATUITY (Funded)					LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)				
	2023	2022	2021	2020	2019	2023	2022	2021	2020	2019	2023	2022	2021	2020	2019
Experience adjustment on Plan assets Loss/(Gain)	(33.96)	(46.43)	102.28	(32.05)	44.11	(5.37)	(31.72)	31.56	(20.96)	2.59	--	--	--	--	--
Experience adjustment on Plan Liabilities Loss/(Gain)	1 004.24	742.11	864.20	430.22	336.01	66.00	375.22	39.11	(356.18)	(52.77)	32.00	68.06	11.82	18.52	29.71

The estimates of future salary increases, considered in actuarial valuation, take into account actual return on plan assets, inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employee market. In respect of overseas branches, disclosures if any required for Employee Benefit Schemes are not made in the absence of information.

h) The financial assumptions considered for the calculations are as under:

Discount Rate: The discount rate has been chosen by reference to market yield on government bonds as on the date of valuation (Balance sheet dated March 31st 2023).

Expected Rate of Return: The Overall expected rate of return on assets is determined based on the market prices prevailing on that date applicable to the period over which the obligation is to be settled.

Bank's best estimate expected to be paid in next Financial Year for Gratuity is Rs.100.00 crores.

5. Accounting Standard 17 – Segment Reporting

The Bank has adopted Reserve Bank of India's revised guidelines issued in April 2007 on Segment Reporting in terms of which the reportable segments have been divided into Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and Other Banking Operations.

भाग क : कारोबार सेग्मेंट

(राशि रु. करोड़ में)

कारोबार सेग्मेंट	राजकोष		कार्पोरेट / थोक बैंकिंग		रीटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
विवरण	**2022-23**	**2021-22**	**2022-23**	**2021-22**	**2022-23**	**2021-22**	**2022-23**	**2021-22**	**2022-23**	**2021-22**
राजस्व	6 666.61	7 442.65	66 45.75	6 087.86	9 619.76	7 477.69	575.37	463.87	**23507.49**	**21 472.07**
परिणाम	888.61	1 885.46	742.14	1 050.51	3909.84	2 343.90	400.07	322.54	**5940.66**	**5 602.41**
अनाबंटित आय									**1.58**	**160.81**
अनाबंटित व्यय									**1.51**	**0.31**
परिचालनगत लाभ/हानि									**5 942.17**	**5 762.91**
आय कर									**0**	**69.52**
प्रावधान व आकस्मिकताएँ									**3 593.95**	**3 983.85**
असाधारण लाभ / हानि									**0.00**	**0.00**
निवल लाभ									**2348.22**	**1 709.54**
सेग्मेंट आस्तियां	103211.70	113 119.49	98 471.30	82 075.39	101 371.87	93 593.78	131.15	150.87	**303 185.45**	**288 939.53**
अनाबंटित आस्तियाँ									**10 559.80**	**10 437.63**
कुल आस्तियाँ									**313 745.82**	**299 377.16**
सेग्मेंट देयताएँ	102 119.91	106 809.35	91562.64	78 963.58	94590.37	90 376.63	151.16	181.53	**288 424.08**	**276 328.09**
अनाबंटित देयताएं									**58.81**	**0.48**
कुल देयताएं									**288 482.89**	**276 376.77**

भाग ख - भौगोलिक सेग्मेंट

(राशि रु. करोड़ में)

विवरण	देशीय		अंतरराष्ट्रीय		कुल	
	2022-23	**2021-22**	**2022-23**	**2021-22**	**2022-23**	**2021-22**
राजस्व	22 946.46	21 215.60	562.61	417.28	**23 509.07**	**21 632.88**
आस्तियाँ	303 132.96	292 233.50	10 612.87	7 143.66	**313 745.82**	**299 377.16**

6. लेखांकन मानक 18 – संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

विवरण निम्नवत है :

(क) संबंधित पार्टियों का नाम व उनके संबंध

(अ) एसोसियेट्स – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

(आ) संयुक्त उद्यम : इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद लिमिटेड

Part A: Business Segments (Amount in Rs. Crore)

Business Segments	Treasury		Corporate / Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		TOTAL	
Particulars	**2022-23**	**2021-22**	**2022-23**	**2021-22**	**2022-23**	**2021-22**	**2022-23**	**2021-22**	**2022-23**	**2021-22**
Revenue	6 666.61	7 442.65	66 45.75	6 087.86	9 619.76	7 477.69	575.37	463.87	**23507.49**	**21 472.07**
Result	888.61	1 885.46	742.14	1 050.51	3909.84	2 343.90	400.07	322.54	**5940.66**	**5 602.41**
Unallocated Income									**1.58**	**160.81**
Unallocated Expenses									**1.51**	**0.31**
Operating Profit/Loss									**5 942.17**	**5 762.91**
Income Taxes									**0**	**69.52**
Provisions & Contingencies									**3 593.95**	**3 983.85**
Extraordinary profit / loss									**0.00**	**0.00**
Net Profit									**2348.22**	**1 709.54**
Segment Assets	103211.70	113 119.49	98 471.30	82 075.39	101 371.87	93 593.78	131.15	150.87	**303 185.45**	**288 939.53**
Unallocated Assets									**10 559.80**	**10 437.63**
Total assets									**313 745.82**	**299 377.16**
Segment Liabilities	102 119.91	106 809.35	91562.64	78 963.58	94590.37	90 376.63	151.16	181.53	**288 424.08**	**276 328.09**
Unallocated Liabilities									**58.81**	**0.48**
Total Liabilities									**288 482.89**	**276 376.77**

Part B – Geographic segments (Rs. In Crore)

Particulars	**Domestic**		**International**		**Total**	
	2022-23	**2021-22**	**2022-23**	**2021-22**	**2022-23**	**2021-22**
Revenue	22 946.46	21 215.60	562.61	417.28	**23 509.07**	**21 632.88**
Assets	303 132.96	292 233.50	10 612.87	7 143.66	**313 745.82**	**299 377.16**

6. Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures

The details are as follows:

A. Name of the Related Parties and their relationship:

(a) Associates – Regional Rural Bank: Odisha Gramya Bank

(b) Joint Venture: India International Bank (Malaysia) Berhad Ltd.

(इ) मुख्य प्रबंधन कार्मिक :

(i) श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक व सीईओ (01.01.2023 से प्रभावी)

(ii) श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, प्रबंध निदेशक व सीईओ (31.12.2022 तक)

(iii) श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक (31.12.2022 तक)

(iv) सुश्री एस श्रीमती, कार्यपालक निदेशक

(v) श्री संजय विनायक मुदालियर, कार्यपालक निदेशक (01.01.2023 से प्रभावी)

(ख) संबन्धित पक्षों के साथ लेनदेन:

2021-22 व 2022-23 के दौरान पूर्वकालिक निदेशकों को वेतन और प्रदर्शन प्रोत्साहन का विवरण: (राशि रु. में)

पूर्ण कालिक निदेशकों के नाम	पारिश्रमिक * (2022-23)	पारिश्रमिक * (2021-22)
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (ईडी)		
01.04.2022 से 30.09.2022	19,64,990.00	32,65.002.00
01.10.2022 से 31.12.2022	15,35,700.00	
कुल	**35,00,690.00**	
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (एमडी व सीईओ)		
01.01.2023 से 31.03.2023	9,12,876.00	
श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता (एमडी व सीईओ)		34,71,378.00
01.04.2022 से 30.09.2022	22,76,284.00	
01.10.2022 से 31.12.2022	16,20,280.78	
कुल	**38,96,564.78**	
सुश्री एस श्रीमती (ईडी)		29,45,576.33
01.04.2022 से 30.09.2022	15,91,533.00	
01.10.2022 से 31.03.2023	23,13,187.09	
Total	39,04,720.09	
श्री संजय विनायक मुदालियर (ईडी)		लागू नहीं
01.01.2023 से 31.03.2023	10,58,964.00	
कुल	**10,58,964.00**	

*पारिश्रमिक में वेतन व भत्ते, वेतन बकाया, कार्य निष्पादन प्रोत्साहन राशि, छुट्टी नकदीकरण बकाया और ग्रैच्युटी बकाया शामिल हैं।

**वर्ष का भाग

(c) Key Management Personnel:

(i) Shri Ajay Kumar Srivastava, Managing Director and CEO (w.e.f 01.01.2023)

(ii) Shri Partha Pratim Sengupta, Managing Director and CEO (upto 31.12.2022)

(iii) Shri Ajay Kumar Srivastava, Executive Director (upto 31.12.2022)

(iv) Smt. S Srimathy, Executive Director

(v) Shri Sanjay Vinayak Mudaliar, Executive Director (w.e.f 01.01.2023)

B. Transaction with Related parties:

Details of Salary and Performance Incentive paid to Whole Time Directors during the year 2022-23 and 2021-22:

(Amount in Rs.)

NAME OF THE WHOLE TIME DIRECTOR	REMUNERATION * (2022-23)	REMUNERATION * (2021-22)
Shri Ajay Kumar Srivastava (ED)		
01.04.2022 to 30.09.2022	19,64,990.00	
01.10.2022 to 31.12.2022	15,35,700.00	
Total	**35,00,690.00**	32,65.002.00
Shri Ajay Kumar Srivastava (MD & CEO)		
01.01.2023 to 31.03.2023	9,12,876.00	
Shri Partha Pratim Sengupta (MD & CEO)		
01.04.2022 to 30.09.2022	22,76,284.00	34,71,378.00
01.10.2022 to 31.12.2022	16,20,280.78	
Total	**38,96,564.78**	
Ms S Srimathy (ED)		
01.04.2022 to 30.09.2022	15,91,533.00	29,45,576.33
01.10.2022 to 31.03.2023	23,13,187.09	
Total	**39,04,720.09**	
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar (ED)		
01.01.2023 to 31.03.2023	10,58,964.00	NA
Total	**10,58,964.00**	

*Remuneration Includes salary & allowances, salary arrears, performance incentives, leave encashment arrears and gratuity arrears.

**Part of the year

(राशि रु. करोड़ में)

मदें/ संबंधित पार्टी	मूल (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	सहायक कंपनियों	एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम**		मुख्य प्रबंधन कार्मिक		मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार		कुल	
			वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम
उधार#	लागू नहीं	लागू नहीं	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	98.93	98.93
जमा#	लागू नहीं	लागू नहीं	622.75	622.75	0.74	2.39	0.19	0.28	623.68	625.42
जमाराशियों की नियुक्ति#	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अग्रिम#	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06
निवेश#	लागू नहीं	लागू नहीं	830.76	832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	830.76	832.67
गैर-वित्त पोषित प्रतिबद्धताएं#	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लीजिंग/एचपी व्यवस्था की लाभ ली गई#	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लीजिंग/एचपी व्यवस्था प्रदान की गई#	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अचल संपत्तियों की खरीद	लागू नहीं	लागू नहीं		0.00		0.00		0.00		0.00
अचल संपत्तियों की बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं		0.00		0.00		0.00		0.00
ब्याज का भुगतान किया	लागू नहीं	लागू नहीं		1.20		0.04		0.01		1.25
प्राप्त ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं		28.35		0.02		0.01		28.38
सेवाओं का प्रतिपादन*	लागू नहीं	लागू नहीं		0.00		0.00		0.00		0.00
सेवाओं की प्राप्ति*	लागू नहीं	लागू नहीं		0.00		0.00		0.00		0.00
प्रबंधन अनुबंध*	लागू नहीं	लागू नहीं		0.00		0.00		0.00		0.00

एन.ए (लागू नहीं)

वर्ष के अंत में बकाया और वर्ष के दौरान अधिकतम का प्रकट किया जाना है ।

* अनुबंध सेवाएं आदि न कि प्रेषण सुविधाएं, लॉकर सुविधाएं इत्यादि जैसी सेवाएं ।

(Amount in Rs Crore)

Items/Related Party	Parent (as per ownership or control)	Subsidiaries	Associates/ Joint ventures		Key Management Personnel		Relatives of Key Management Personnel		Total	
			Outstand-ing at the year end	Maximum during the year	Outstand-ing at the year end	Maximum during the year	Outstand-ing at the year end	Maximum during the year	Outstand-ing at the year end	Maximum during the year
Borrowings#	N.A.	N.A.	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	98.93	98.93
Deposits#	N.A.	N.A.	622.75	622.75	0.74	2.39	0.19	0.28	623.68	625.42
Placement of deposits#	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Advances#	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06
Investments#	N.A.	N.A.	830.76	832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	830.76	832.67
Non-funded commitments#	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Leasing/HP arrangements availed#	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Leasing/HP arrangements provided#	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Purchase of fixed assets	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	
Sale of fixed assets	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	
Interest paid	N.A.	N.A.	1.20		0.04		0.01		1.25	
Interest received	N.A.	N.A.	28.35		0.02		0.01		28.38	
Rendering of services*	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	
Receiving of services*	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	
Management contracts*	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	

N.A. (Not Applicable)

The outstanding at the year end and the maximum during the year are to be disclosed.

* Contract services etc. and not services like remittance facilities, locker facilities etc.

7. लेखांकन मानक 20-प्रति शेयर आय

विवरण	2022-23	2021-22
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद उपलब्ध लाभ (रु. करोड़ों में)	2098.78	1 709.54
भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या	18,90,24,12,256	1890 24 12,256
	1890 24 12,256	Rs.0.92
मूल तथा कम किए हुए प्रति शेयर आय	रु. 0.34	रु. 0.92
प्रति शेयर सामान्य मूल्य	रु. 10.00	रु. 10.00

8. लेखांकन मानक - 21 समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) और लेखांकन मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन

बैंक की सहायक कंपनियों, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों का विवरण के साथ-साथ धारित शेयर का प्रतिशत है: -

क्रम सं	कंपनी का नाम	निवेश का प्रकार	निगमन का देश	होल्डिंग का %
1	ओड़िशा ग्राम्य बैंक	एसोसिएट्स	भारत	35.00%
2	इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद	संयुक्त उद्यम	मलेशिया	35.00%
3	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*	संयुक्त उद्यम	भारत	18.06%

बैंक की कोई अनुषंगी संस्था नहीं है ।

समेकित वित्तीय परिणाम "समेकित वित्तीय विवरणों के लिए लेखांकन" पर एएस 21 के अनुसार, "एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन" पर एएस 23 और आईसीएआई द्वारा जारी "संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग" पर एएस 27 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किए जाते हैं ।

**चूंकि यूनिवर्सल सेम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में शेयरधारिता 25% से कम है, इसे आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संयुक्त उद्यम के रूप में नहीं माना गया है और इस प्रकार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए विचार नहीं किया गया है ।

9. लेखांकन मानक 22: आय पर करों के लिए लेखांकन -

(रु. करोड़ में)

ववरण	31.03.2023		31.03.2022	
	डीटीए	डीटीएल	डीटीए	डीटीएल
अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास	0.00		19.88	
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	202.90		181.89	
धोखाधड़ियों के लिए प्रावधान	190.97		184.99	
अन्य सम्पत्तियों के लिए प्रावधान	28.79		28.92	
पुन: संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान	13.59		18.08	
पृथककरण राशि के लिए आरक्षतियाँ	0.93		0.82	
विशेष आरक्षितियाँ	3 675.34		3 895.58	
एनपीए के लिए प्रावधान	337.42		294.08	
विदेशी मुद्रा अंतरण के लिए प्रावधान	1583.89		1 638.17	
अन्य	**6033.83**		**6 262.41**	
कुल डीटीए	**6033.83**		**6 262.41**	

10. लेखांकन मानक 24 - परिचालन बंद करना

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी विदेशी शाखा को बंद नहीं किया है । इसलिए इस प्रकटीकरण से संबंधित डेटा को शून्य माना जा सकता है । यह मानक संचालन बंद करने के बारे में जानकारी देने के लिए सिद्धांत स्थापित करता है । उसी बैंक की अन्य शाखाओं

7. Accounting Standard 20 – Earnings per Share

Particulars	2022-23	2021-22
Net Profit after Tax available for Equity Shareholders (Rs. in Crore)	2098.78	1 709.54
Weighted Average Number of Equity Shares	18,90,24,12,256	1890 24 12,256
Basic & Diluted Earnings Per Share	Rs .0.34	Rs.0.92
Nominal value per Equity Share	Rs.10.00	Rs.10.00

8. Accounting Standard 21 - Consolidated Financial Statements and Accounting Standard-23 - Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements

The details of Subsidiaries, Associates and Joint Ventures of the Bank along with the percentage of share held are:-

Sl. No	Name of the Company	Type of Investment	Country of Incorporation	% of Holding
1	Odisha Gramya Bank	Associate	India	35.00%
2	India International Bank (Malaysia) Berhad	Joint Venture	Malaysia	35.00%
3	Universal Sompo General Insurance Company Limited*	Joint Venture	India	18.06%

Bank does not have any subsidiary.

The consolidated financial results are prepared in accordance with AS 21 on “Accounting for Consolidated Financial Statements”, AS 23 on “Accounting for Investment in Associates” and AS 27 on “Financial Reporting of Interests in Joint Ventures” issued by the ICAI & guidelines issued by the Reserve Bank of India.

*Since the shareholding in Universal Sompo General Insurance Company Ltd., is less than 25% the same has not been considered as Joint Venture as per extant Reserve Bank of India guidelines and thus not considered for preparation of consolidated financial statements.

9. Accounting Standard 22: Accounting for Taxes on Income -

(Rs. in Crore)

Particulars	31.03.2023		31.03.2022	
	DTA	DTL	DTA	DTL
Depreciation on Fixed Assets	0.00		19.88	
Provision for Employee Benefits	202.90		181.89	
Provision for Frauds	190.97		184.99	
Provision for Other Assets	28.79		28.92	
Provision for Restructured Advances	13.59		18.08	
Reserve for Severance Pay	0.93		0.82	
Provision for NPA	3675.34		3895.58	
Foreign Currency Translation Reserve	337.42		294.08	
Others	1583.89		1638.17	
Total	**6033.83**		**6262.41**	
Net DTA	**6033.83**		**6262.41**	

10. Accounting Standard 24 – Discontinuing Operations

The Bank has not closed any of its Overseas Branches during the currency financial year 2022-23. Hence the data relating to this disclosure may be treated as Nil. This standard establishes principles for reporting information about discontinuing operations. Merger/closure of branches of banks by transferring the assets/liabilities to the other branches of the same bank may no be deemed as a discontinuing operation and hence this Accounting Standard will not be applicable to merger/closure of branches

में परिसंपत्तियों/देयताओं को स्थानांतरित करके बैंकों की शाखाओं के विलय/बंद होने को संचालन बंद करने के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसलिए यह लेखा मानक बैंक की शाखाओं के विलय/बंद करने पर लागू नहीं होगा। मानक के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता केवल तब होगी जब: (i) संचालन बंद करने के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा देनदारियों और संपत्तियों की वापसी में कमी आई है या उपरोक्त प्रभाव वाले संचालन को बंद करने का निर्णय बैंक द्वारा अंतिम रूप दिया गया है और (ii) बंद किया गया संचालन पूरी तरह से पर्याप्त है ।

11. लेखांकन मानक 26 – अमूर्त आस्तियाँ :

कोर बैंकिंग सिस्टम के लिए अधिग्रहित सॉफ्टवेयर को अमूर्त संपत्ति के रूप में माना जाता है और 3 साल की अवधि तक बढ़ाया जाता है ।

12. लेखांकन मानक 27 –संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग :

मलेशिया में हमारे बैंक ने (35% हिस्से के साथ) बैंक ऑफ बड़ौदा (40%) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (25%) (भूतपूर्व आंध्रा बैंक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय हो गया) के साथ एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए हैं । इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी (आइआइबीएमबी) नाम से मलेशिया में स्थापित किया गया जिसकी प्रधिकृत पूँजी एमवाइआर 500 मियो है । संयुक्त उद्यम का प्राधिकृत पूंजी एमवाईआर 330 मियो है। (पिछले वर्ष एमवाईआर 330 मियो था) ।

31.03.2023 को, संयुक्त उद्यम में बैंक का निवेश मूल्य बही के अनुसार रु. 193.44 करोड़ (मूल निवेश राशि रु. 199.58 करोड़ है, जो कि रु. 6.14 करोड़ राशि के निवेश के मूल्यों तक कम किया गया है ।

13. लेखांकन मानक 28 – आस्तियों का अनर्जक होना :

बैंक द्वारा धारित अचल आस्तियों को 'कॉर्पोरेट आस्तियाँ' माना गया है और आइसीएआइ द्वारा जारी एएस -28 में दी गई परिभाषा के अनुसार यह 'नकदी सृजन इकाई' नहीं है । प्रबन्धन के मतानुसार बैंक की किसी भी अचल आस्ति को क्षति नहीं हुई है ।

14. लेखांकन मानक 29 –आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान:

इस संबंध में भारतीय सनदी लेखाकारों की संस्था द्वारा जारी दिशानिर्देशों को उपयुक्त स्थानों पर शामिल किया गया है ।

क्रम सं	विवरण	संक्षिप्त वर्णन
1	बैंक के प्रति दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	बैंक व्यवसाय के सामान्य संदर्भ में विभिन्न कार्यवाहियों के लिए एक पार्टी है। बैंक को उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम से बैंक की वित्तीय स्थिति, संचालन के परिणाम या नकदी प्रवाह पर कोई महत्वपूर्ण सलाह प्रभाव पड़ेगा । बैंक उन विभिन्न कराधान मामलों में भी एक पक्षकार है जिनके संबंध में अपीलें लंबित हैं ।
2	आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों/उद्यम निधियों पर देयता	यह आइटम आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता के प्रति भुगतान न की गई शेष राशि का प्रतिनिधित्व करता है । इसमें वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं ।
3	बकाया वायदा विनिमय अनुबंधों के कारण देयता	बैंक भविष्य की तारीख में एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर मुद्राओं का आदान-प्रदान करने के लिए व्यापार सामान्य संदर्भ में विदेशी एक्सचेंजों में प्रवेश करता है। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट अनुबंधित दर पर भविष्य की तारीख में विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने की प्रतिबद्धता है । काल्पनिक राशियों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेन-देन के संबंध में, बैंक आम तौर पर इंटरबैंक बाजार में लेन-देन बंद कर देता है । इसके परिणामस्वरूप अधिक संख्या में बकाया लेनदेन उत्पन्न होते हैं, और इसलिए पोर्टफोलियो के सकल काल्पनिक मूलधन का एक बड़ा मूल्य होता है, जबकि शुद्ध बाजार जोखिम कम होता है ।
4	घटकों, स्वीकृति, समर्थन और अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटी	अपनी वाणिज्यिक बैंकिंग गतिविधियों के एक भाग के रूप में, बैंक अपने ग्राहक की ओर से दस्तावेजी क्रेडिट और गारंटी जारी करता है । दस्तावेजी ऋण बैंक के ग्राहकों की साख को बढ़ाते हैं। गारंटियां आम तौर पर अपरिवर्तनीय आश्वासन का प्रतिनिधित्व करती हैं कि ग्राहक अपने वित्तीय या प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करने में विफल होने की स्थिति में बैंक भुगतान करेगा ।
5	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	बैंक अपने स्वयं के खाते में और ग्राहकों के लिए अंतर बैंक प्रतिभागियों के साथ मुद्रा विकल्प, अग्रेषण दर समझौते, मुद्रा स्वैप और ब्याज दर स्वैप में प्रवेश करते हैं । करेंसी स्वैप निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा में दूसरी मुद्रा के मुकाबले ब्याज/मूलधन के माध्यम से नकदी प्रवाह का आदान-प्रदान करने की प्रतिबद्धता है । ब्याज दर स्वैप फिक्स्ड और फ्लोटिंग ब्याज दर कैश फ्लो के आदान-प्रदान की प्रतिबद्धता है । आकस्मिक देनदारियों के रूप में दर्ज की जाने वाली कल्पित राशियाँ, आमतौर पर अनुबंधों के ब्याज घटक की गणना के लिए एक बेंचमार्क के रूप में उपयोग की जाने वाली राशियाँ हैं। इसके अलावा, इनमें उन अनुबंधों की अनुमानित राशि भी शामिल है जिन्हें पूंजी खाते पर निष्पादित किया जाना बाकी है और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, सहयोगियों और सहायक कंपनियों की ओर से बैंक द्वारा आश्वासन का पत्र, जमाकर्ताओं की शिक्षा और जागरूकता निधि के तहत बैंक देयता और अन्य विविध दल देनदारियों जारी किए गए ।

of Bank. Disclosures shall be required under the standard only when: (i) discontinuing of the operation has resulted in shedding of liability and relisation of the assets by the bank or decision to discontinue an operation which will have the above effect has been finalized by the bank and (ii) the discontinued operation is substantial in its entirety.

11. Accounting Standard 26 – Intangible Assets

The software acquired for core banking system is treated as intangible asset and amortized over a period of 3 years

12. Accounting Standard 27 – Financial Reporting of Interest in Joint Venture

Our Bank (with 35% share) has floated a Joint Venture at Malaysia along with Bank of Baroda (40%) and Union Bank of India (25%) (erstwhile Andhra Bank now merged with Union Bank of India) by name India International Bank (Malaysia) BHD. IIBMB has an Authorized capital of MYR 500 Mio. The Joint Venture's paid up capital is MYR 330 Mio (previous year MYR 330 Mio).

As on March 31st 2023, Bank's Investment value in the Joint Venture as per Books stands at Rs 193.44 crore (original investment value Rs.199.58 crore as reduced by diminution in value of investment amounting to Rs 6.14 crores).

13. Accounting Standard 28 – Impairment of Assets

Fixed Assets owned by the Bank are treated as 'Corporate Assets' and are not 'Cash Generating Units' as defined by AS-28 issued by ICAI. In the opinion of the Management, there is no impairment of any of the Fixed Assets of the Bank.

14. Accounting Standard 29 – Provision for Contingent Liabilities and Contingent Assets:

The guidelines issued by the Institute of Chartered Accountant of India in this respect have been incorporated at the appropriate places.

Sl No	Particulars	Brief Description
1	Claims against the bank not acknowledged as debts	The Bank is a party to various proceedings in the normal course of business. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material advise effect on the Banks financial conditions, results of operations or cash flows. The Bank is also a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending
2	Liability on partly paid-up investments /venture funds	This item represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments. This also includes undrawn commitments for Venture Capital Funds.
3	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	The Bank enters into foreign exchanges in its normal course of business to exchange currencies at a prefixed price at a future date. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate. The notional amounts are recorded as Contingent liabilities. with respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off setting transactions in the interbank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.
4	Guarantees given on behalf of constituents, acceptances, endorsements and other obligations	As a part of its commercial banking activities, the Bank issues documentary credits and guarantees on behalf on its customer. Documentary credits enhance the credit standing of the customers of the Bank. Guarantees generally represent irrevocable assurance that the bank will make payment in the event of the customer failing to fulfil its financial or performance obligations
5	Other items for which the Bank is contingently liable	The banks enter into currency options, forward rate agreements, currency swaps and interest rate swaps with inter bank participants on its own account and for customers. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/principal in one currency against another, based on determined rates. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows. The notional amounts that are recorded as contingent liabilities, are typically amounts used as a benchmark for the calculation of the interest component of the contracts. Further, these also include estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for, letter of comforts issued by the bank on behalf of associates & subsidiaries, banks liability under Depositors Education and Awareness Fund a/c and other sundry contingent liabilities.

15. पुनर्संरचित खातों का विवरण

(राशि रु. करोड़ में)

क्रम संख्या.	पुनर्संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार संरचना के अंतर्गत					कॉरपोरेट सहित अन्य					कुल				
	2022-23																					
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण																					
1	वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल 2022 तक पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	36 994.00	3 550.00	2 984.00	16.00	43 544.00	94 827.00	8 858.00	7 954.00	2.00	111 641.00	131 821.00	12 408.00	10 938.00	18.00	155 185.00
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	3 014.42	121.03	85.96	11.86	3 233.27	3 080.70	332.12	194.67	0.02	3 607.51	6 095.12	453.15	280.63	11.88	6 840.78
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	273.78	30.26	85.96	11.86	401.86	263.86	66.30	60.22	0.02	390.40	537.64	96.56	146.18	11.88	792.26
2	01.04.2022 से 31.03.2023 के दौरान नई संरचना जिसमें मौजूदा खातों हेतु एक्सपोज़र में बढ़ोत्तरी शामिल है	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	2 266.00	0.00	0.00	0.00	2 266.00	9 463.00	14.00	772.00	2.00	10 251.00	11 729.00	14.00	772.00	2.00	12 517.00
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	373.28	0.00	0.00	0.00	373.28	279.43	0.96	102.25	0.54	383.18	652.71	0.96	102.25	0.54	756.46
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	37.33	0.00	0.00	0.00	37.33	17.43	0.27	41.49	0.54	59.73	54.76	0.27	41.49	0.54	97.06
3	01.04.2022 से 31.03.2023 के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग के स्तर में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	74.00	(63.00)	(11.00)	0.00	0.00	283.00	(226.00)	(15.00)	0.00	42.00	357.00	(289.00)	(26.00)	0.00	42.00
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	3.26	(3.19)	(0.07)	0.00	(0.00)	8.14	(2.25)	(1.20)	0.00	4.69	11.40	(5.44)	(1.27)	0.00	4.69
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	0.33	(0.46)	(0.07)	0.00	(0.20)	0.51	(1.32)	(0.34)	0.00	(1.15)	0.84	(1.78)	(0.41)	0.00	(1.35)

15. Particulars of Accounts Restructured

(Amount in Rs. Crore)

			2022-23																			
Sl No.	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others Including Corporate					Total				
	Asset Classification		Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
	Details																					
1	Restructured Accounts as on April 1, 2022	No. of Borrowers	-	-	-	-	-	36 994.00	3 550.00	2 984.00	16.00	43 544.00	94 827.00	8 858.00	7 954.00	2.00	111 641.00	131 821.00	12 408.00	10 938.00	18.00	155 185.00
		Amount Outstanding	-	-	-	-	-	3 014.42	121.03	85.96	11.86	3 233.27	3 080.70	332.12	194.67	0.02	3 607.51	6 095.12	453.15	280.63	11.88	6 840.78
		Provision Thereon	-	-	-	-	-	273.78	30.26	85.96	11.86	401.86	263.86	66.30	60.22	0.02	390.40	537.64	96.56	146.18	11.88	792.26
2	Fresh Restructuring during 01.04.2022 to 31.03.2023 including increase in exposure for existing accounts	No. of Borrowers	-	-	-	-	-	2 266.00	0.00	0.00	0.00	2 266.00	9 463.00	14.00	772.00	2.00	10 251.00	11 729.00	14.00	772.00	2.00	12 517.00
		Amount Outstanding	-	-	-	-	-	373.28	0.00	0.00	0.00	373.28	279.43	0.96	102.25	0.54	383.18	652.71	0.96	102.25	0.54	756.46
		Provision Thereon	-	-	-	-	-	37.33	0.00	0.00	0.00	37.33	17.43	0.27	41.49	0.54	59.73	54.76	0.27	41.49	0.54	97.06
3	Upgradation of restructured standard category during 01.04.2022 to 31.03.2023	No. of Borrowers	-	-	-	-	-	74.00	(63.00)	(11.00)	0.00	0.00	283.00	(226.00)	(15.00)	0.00	42.00	357.00	(289.00)	(26.00)	0.00	42.00
		Amount Outstanding	-	-	-	-	-	3.26	(3.19)	(0.07)	0.00	(0.00)	8.14	(2.25)	(1.20)	0.00	4.69	11.40	(5.44)	(1.27)	0.00	4.69
		Provision Thereon	-	-	-	-	-	0.33	(0.46)	(0.07)	0.00	(0.20)	0.51	(1.32)	(0.34)	0.00	(1.15)	0.84	(1.78)	(0.41)	0.00	(1.35)

4 उच्च प्रावधान आकर्षित करने वाले पुनर्संरचित मानक अग्रिम और / या वित्तीय वर्ष के अंत में जोखिम भार और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जिन्हें पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है		
उन पर प्रावधान	बकाया राशि	उधारकर्ताओं की संख्या
-	-	-
-	-	-
(5.11)	(51.15)	(1 176.00)
(1.39)	(9.26)	(172.00)
(2.26)	(2.26)	(28.00)
31.00	0.00	0.00
22.24	(62.67)	(1 376.00)
0.74	4.69	42.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.74	4.69	42.00
(4.37)	(46.46)	(1 134.00)
(1.39)	(9.26)	(172.00)
(2.26)	(2.26)	(28.00)
31.00	0.00	0.00
22.98	(57.98)	(1 334.00)

Sr.	Particulars		Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of Borrowers	-				-	(1 176.00)	(172.00)
		Amount Outstanding	-				-	(51.15)	(9.26)
		Provision Thereon	-				-	(5.11)	(1.39)

Sr.	Particulars		Col. 8	Col. 9	Col. 10	Col. 11	Col. 12	Col. 13	Col. 14
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of Borrowers	(28.00)	0.00	(1 376.00)	42.00	0.00	0.00	0.00
		Amount Outstanding	(2.26)	0.00	(62.67)	4.69	0.00	0.00	0.00
		Provision Thereon	(2.26)	31.00	22.24	0.74	0.00	0.00	0.00

Sr.	Particulars		Col. 15	Col. 16	Col. 17	Col. 18	Col. 19	Col. 20
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of Borrowers	42.00	(1 134.00)	(172.00)	(28.00)	0.00	(1 334.00)
		Amount Outstanding	4.69	(46.46)	(9.26)	(2.26)	0.00	(57.98)
		Provision Thereon	0.74	(4.37)	(1.39)	(2.26)	31.00	22.98

क्रम संख्या.	पुनर्संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार संरचना के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण																					
5	01.04.2022 से 31.03.2023 के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	(9 459.00)	6 432.00	2 996.00	1.18	(29.82)	(21 316.00)	21 478.00	596.00	18.00	776.00	(30 775.00)	27 910.00	3 592.00	19.18	746.18
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	(370.10)	283.53	85.39	1.18	(0.00)	(578.46)	654.24	13.48	0.25	89.51	(948.56)	937.77	98.87	1.43	89.51
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	(37.01)	42.53	85.39	0.00	90.91	(49.55)	157.51	13.25	0.25	121.46	(86.56)	200.04	98.64	0.25	212.37
6	01.04.2022 से 31.03.2023 के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते डालना / समाप्ति/ सीडीआर से निकासी / उसमें वसूली हेतु की जाने वाली कार्रवाई का शुरुआत	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	(6 031.00)	(239.00)	(583.00)	(1.02)	(6 854.02)	23 121.00	2 870.00	6 060.00	0.00	32 051.00	17 090.00	2 631.00	5 477.00	(1.02)	25 196.98
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	(474.81)	(21.58)	(23.28)	(1.02)	(520.69)	789.90	83.84	170.36	0.00	1 044.10	315.09	62.26	147.08	(1.02)	523.41
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	(47.48)	(3.24)	(23.28)	47.00	(27.00)	73.09	15.62	56.97	0.00	145.68	25.61	12.38	33.69	47.00	118.68
7	31 मार्च 2023 (अंतिम आंकड़े) तक पुनर्संरचित किए गए खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	22 668.00	9 508.00	5 358.00	12.02	37 546.02	60 174.00	25 646.00	3 220.00	22.00	89 062.00	82 842.00	35 154.00	8 578.00	34.02	126 608.02
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	2 494.90	370.53	145.74	12.02	3 023.19	2 003.64	672.74	137.38	0.81	2 814.57	4 498.54	1 043.27	283.12	12.83	5 837.76
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	234.08	55.58	145.74	12.02	447.42	159.90	166.78	56.43	0.81	383.92	393.98	222.36	202.17	12.83	831.34

Sl No.	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification		Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
	Details																					
5	Downgradation of the restructured accounts during 01.04.2022 to 31.03.2023	No. of Borrowers	-	-	-	-	-	(9 459.00)	6 432.00	2 996.00	1.18	(29.82)	(21 316.00)	21 478.00	596.00	18.00	776.00	(30 775.00)	27 910.00	3 592.00	19.18	746.18
		Amount Outstanding	-	-	-	-	-	(370.10)	283.53	85.39	1.18	(0.00)	(578.46)	654.24	13.48	0.25	89.51	(948.56)	937.77	98.87	1.43	89.51
		Provision Thereon	-	-	-	-	-	(37.01)	42.53	85.39	0.00	90.91	(49.55)	157.51	13.25	0.25	121.46	(86.56)	200.04	98.64	0.25	212.37
6	Write off/ sale/ closure/ exit from CDR/ recovery action initiated in restructured accounts during 01.04.2022 to 31.03.2023	No. of Borrowers	-	-	-	-	-	(6 031.00)	(239.00)	(583.00)	(1.02)	(6 854.02)	23 121.00	2 870.00	6 060.00	0.00	32 051.00	17 090.00	2 631.00	5 477.00	(1.02)	25 196.98
		Amount Outstanding	-	-	-	-	-	(474.81)	(21.58)	(23.28)	(1.02)	(520.69)	789.90	83.84	170.36	0.00	1 044.10	315.09	62.26	147.08	(1.02)	523.41
		Provision Thereon	-	-	-	-	-	(47.48)	(3.24)	(23.28)	47.00	(27.00)	73.09	15.62	56.97	0.00	145.68	25.61	12.38	33.69	47.00	118.68
7	Restructured Accounts as on March 31 of the 2023 (closing Figures)	No. of Borrowers	-	-	-	-	-	22 668.00	9 508.00	5 358.00	12.02	37 546.02	60 174.00	25 646.00	3 220.00	22.00	89 062.00	82 842.00	35 154.00	8 578.00	34.02	126 608.02
		Amount Outstanding	-	-	-	-	-	2 494.90	370.53	145.74	12.02	3 023.19	2 003.64	672.74	137.38	0.81	2 814.57	4 498.54	1 043.27	283.12	12.83	5 837.76
		Provision Thereon	-	-	-	-	-	234.08	55.58	145.74	12.02	447.42	159.90	166.78	56.43	0.81	383.92	393.98	222.36	202.17	12.83	831.34

2021-22																						
क्रम संख्या.	पुनर्संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार संरचना के अंतर्गत					कॉरपोरेट सहित अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण / विवरण		मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल 2021 तक पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	25	0	25.00	17029	1966	72	5	19072	44059	1323	1970	13	47365	61088.00	3289.00	2067.00	18.00	66 462.00
		बकाया राशि	-	-	4 625.50	-	4 625.50	921.63	116.52	13.96	0.42	1 052.53	1 542.14	125.63	7 328.18	0.26	8 996.21	2 463.77	242.15	11 967.64	0.68	14 674.24
		उन पर प्रावधान	-	-	7.37	-	7.37	50.76	23.30	5.58	0.42	80.06	208.47	6.39	27.05	0.26	242.17	259.23	29.69	40.00	0.68	329.60
2	01.04.2021 से 31.03.2022 के दौरान नई संरचना जिसमें मौजूदा खातों हेतु एक्सपोज़र में बढ़ोत्तरी शामिल है	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0.00	2 6418	0	0	0	2 6418	12 4626	1526	0	0	12 6127	15 1044.00	1 526.00	0.00	0.00	152 545.00
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	2,387.86	-	-	-	2,387.86	4,765.80	153.76	-	-	4,919.56	7153.66	153.76	0.00	0.00	7 307.42
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	238.79	-	-	-	238.79	424.28	23.06	-	-	447.34	663.07	23.06	0.00	0.00	686.13
3	01.04.2021 से 31.03.2022 के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग के स्तर में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00	0	0.00	136	-136	0	0	0	55	-28	-27	0	0	191.00	-164.00	-27.00	0.00	0.00
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	5.65	(5.65)	-	-	-	2.29	(1.06)	(1.23)	-	-	7.94	-6.71	-1.23	0.00	0.00
		उन पर प्रावधान	-	-	-	-	-	1.41	(1.41)	-	-	-	0.34	(0.16)	(0.18)	-	0.00	1.75	-1.57	-0.18	0.00	0.00
4	उच्च प्रावधान आकर्षित करने वाले पुनर्संरचित मानक अग्रिम और / या वित्तीय वर्ष के अंत में जोखिम भार और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जिन्हें पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	0		0		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		बकाया राशि	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		उन पर प्रावधान	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sl No.	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others Including Corporate					Total				
	Asset Classification / Details		Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
	2021-22																					
1	Restructured Accounts as on April 1, 2021	No. of Borrowers	0	0	25	0	25.00	17029	1966	72	5	19072	44059	1323	1970	13	47365	61088.00	3289.00	2067.00	18.00	66 462.00
		Amount Outstanding	-	-	4 625.50	-	4 625.50	921.63	116.52	13.96	0.42	1 052.53	1 542.14	125.63	7 328.18	0.26	8 996.21	2 463.77	242.15	11 967.64	0.68	14 674.24
		Provision Thereon	-	-	7.37	-	7.37	50.76	23.30	5.58	0.42	80.06	208.47	6.39	27.05	0.26	242.17	259.23	29.69	40.00	0.68	329.60
2	Fresh Restructuring during 01.04.2021 to 31.03.2022 including increase in exposure for existing accounts	No. of Borrowers	0	0	0	0	0.00	2 6418	0	0	0	2 6418	12 4626	1526	0	0	12 6127	15 1044.00	1 526.00	0.00	0.00	152 545.00
		Amount Outstanding	-	-	-	-	-	2,387.86	-	-	-	2,387.86	4,765.80	153.76	-	-	4,919.56	7153.66	153.76	0.00	0.00	7 307.42
		Provision Thereon	-	-	-	-	-	238.79	-	-	-	238.79	424.28	23.06	-	-	447.34	663.07	23.06	0.00	0.00	686.13
3	Upgradation of restructured standard category during 01.04.2021 to 31.03.2022	No. of Borrowers	0.00	0.00	0.00	0	0.00	136	-136	0	0	0	55	-28	-27	0	0	191.00	-164.00	-27.00	0.00	0.00
		Amount Outstanding	-	-	-	-	-	5.65	(5.65)	-	-	-	2.29	(1.06)	(1.23)	-	-	7.94	-6.71	-1.23	0.00	0.00
		Provision Thereon	-	-	-	-	-	1.41	(1.41)	-	-	-	0.34	(0.16)	(0.18)	-	0.00	1.75	-1.57	-0.18	0.00	0.00
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and /or additional risk weight at the end of FY and hence need not be shows as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of Borrowers	0		0		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Amount Outstanding	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Provision Thereon	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्रम संख्या.		5			6			7		
पुनर्संरचना का प्रकार		01.04.2021 से 31.03.2022 के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन			01.04.2021 से 31.03.2022 के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते डालना / समाप्ति/ सीडीआर से निकासी / उसमें वसूली हेतु की जाने वाली कार्रवाई का शुरुआत			31 मार्च 2022 (अंतिम आंकड़े) तक पुनर्संरचित किए गए खाते		
आस्ति वर्गीकरण	विवरण	उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया राशि	उन पर प्रावधान	उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया राशि	उन पर प्रावधान	उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया राशि	उन पर प्रावधान
सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत	मानक	0	-	-	0	-	-	0	-	-
	अव मानक	0	-	-	0	-	-	0	-	-
	संदिग्ध	0	-	-	2	(1,056.47)	(7.35)	23	3,569.03	0.02
	हानि	0	-	-	0	-	-	0	-	-
	कुल	0.00	-	-	2.00	(1,056.47)	(7.35)	23.00	3,569.03	0.02
एसएमई उधार संरचना के अंतर्गत	मानक	-4662	(95.54)	9.22	1927	205.18	7.96	36994	3,014.42	273.78
	अव मानक	1739	12.10	8.37	19	1.94	-	3550	121.03	30.26
	संदिग्ध	2912	72.00	72.00	0	-	-	2984	85.96	85.96
	हानि	11	11.44	11.44	0	-	-	16	11.86	11.86
	कुल	0	-	101.03	1946	207.12	7.96	43544	3,233.27	401.86
अन्य	मानक	-13778	(302.33)	(82.92)	59995	1,654.41	138.05	94855	4,247.85	406.26
	अव मानक	7721	272.27	46.85	1735	535.84	20.58	8861	835.10	79.26
	संदिग्ध	6104	310.56	48.04	28	1,511.94	7.69	8073	6,128.03	67.58
	हानि	5	0.08	0.08	16	0.32	0.32	2	0.02	0.02
	कुल	52	280.58	12.05	61774	3,702.51	166.64	111791	11,211.00	553.12
कुल	मानक	-18440.00	-397.87	-73.70	61922.00	1859.59	146.01	131849.00	7262.27	680.04
	अव मानक	9460.00	284.37	55.22	1754.00	537.78	20.58	12411.00	956.13	109.52
	संदिग्ध	9016.00	382.56	120.04	30.00	455.47	0.34	11080.00	9783.02	153.56
	हानि	16.00	11.52	11.52	16.00	0.32	0.32	18.00	11.88	11.88
	कुल	52.00	280.58	113.08	63722.00	2853.16	167.25	155358.00	18013.30	955.00

Sl No.	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification		Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
	Details																					
5	Down gradation of the restructured accounts during 01.04.2021 to 31.03.2022	No. of Borrowers	0	0	0	0	0.00	-4662	1739	2912	11	0	-13778	7721	6104	5	52	-18440.00	9460.00	9016.00	16.00	52.00
		Amount Outstanding	-	-	-	-	-	(95.54)	12.10	72.00	11.44	-	(302.33)	272.27	310.56	0.08	280.58	-397.87	284.37	382.56	11.52	280.58
		Provision Thereon	-	-	-	-	-	9.22	8.37	72.00	11.44	101.03	(82.92)	46.85	48.04	0.08	12.05	-73.70	55.22	120.04	11.52	113.08
6	Write off/ sale/ closure/ exit from CDR/ recovery action initiated in restructured accounts during 01.04.2021 to 31.03.2022	No. of Borrowers	0	0	2	0	2.00	1927	19	0	0	1946	59995	1735	28	16	61774	61922.00	1754.00	30.00	16.00	63722.00
		Amount Outstanding	-	-	(1,056.47)	-	(1,056.47)	205.18	1.94	-	-	207.12	1,654.41	535.84	1,511.94	0.32	3,702.51	1859.59	537.78	455.47	0.32	2853.16
		Provision Thereon	-	-	(7.35)	-	(7.35)	7.96	-	-	-	7.96	138.05	20.58	7.69	0.32	166.64	146.01	20.58	0.34	0.32	167.25
7	Restructured Accounts as on March 31 of the 2022 (closing Figures)	No. of Borrowers	0	0	23	0	23.00	36994	3550	2984	16	43544	94855	8861	8073	2	111791	131849.00	12411.00	11080.00	18.00	155358.00
		Amount Outstanding	-	-	3,569.03	-	3,569.03	3,014.42	121.03	85.96	11.86	3,233.27	4,247.85	835.10	6,128.03	0.02	11,211.00	7262.27	956.13	9783.02	11.88	18013.30
		Provision Thereon	-	-	0.02	-	0.02	273.78	30.26	85.96	11.86	401.86	406.26	79.26	67.58	0.02	553.12	680.04	109.52	153.56	11.88	955.00

स्वायत्त लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के सभी सदस्यों को

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने **इण्डियन ओवरसीज़ बैंक** ("बैंक") के पृथक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2023 तक के तुलन पत्र के अलावा तत्संबंधी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का विवरण व नकद प्रवाहों का विवरण और संबंधित तिथि हेतु केंद्रीय कार्यालय के संबंध में विनिर्दिष्ट लेखांकन नीतियों और अन्य स्पष्टीकरण मूलक सूचनाओं के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के प्रति सभी नोट शामिल है ।

   i. हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाएँ तथा

   ii. सांविधिक शाखा लेखा परिक्षकों द्वारा 2 क्षेत्रीय कार्यालयों सहित 838 शाखाओं का लेखा परीक्षण किया गया ।

   iii. स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 4 विदेशी शाखाएँ । ।

हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ज़ारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ही किया है । इस तुलन-पत्र, लाभ और हानि के विवरण और नकद प्रवाह की विवरणियों में 2418 शाखाओं (47 क्षेत्रीय कार्यालयों समेत) से प्राप्त रिटर्न भी शामिल किए गए हैं जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई है। इन अ-लेखापरीक्षित शाखाओं का अग्रिम के क्षेत्र में 26.38%, जमाओं में 55.00%, ब्याज आय में 60.79% और ब्याज संबंधी खर्चों में 64.92% का अंशदान है ।

हमारे अभिमत और हमारे संज्ञान के अनुसार तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुक्रम में उक्त पृथक वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) द्वारा उस रूप में वांछित सूचना प्रदान करते हैं जो बैंक के लिए आवश्यक है और भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है और:

   i. तुलन पत्र को उसमें दी गई पूरी टिप्पणियों में पूर्ण और उचित तुलन पत्र के सभी आवश्यक ब्योरे निहित हैं, भारत में स्वीकृत सामान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2023 को बैंक की वर्तमान स्थिति का ठीक रूप से सही और उचित आकलन किया गया है;

   ii. लाभ और हानि खाता उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उस पर नोटों के साथ पढ़े गए लाभ का सही संतुलन दर्शाता है; और

   iii. नकदी प्रवाह विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की सही एवं उचित स्थिति दर्शाता है ।

अभिमत का आधार

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-परीक्षा विषयक मानकों के अनुसार किया है । इन मानकों के अधीन हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के भाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों के तहत विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक अपेक्षाएं जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं जिन्हें आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा जारी किए गए परिपत्र और दिशानिर्देश के अनुसरण में तैयार किया गया है और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम विश्वास करते है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वह पर्याप्त है और अपने विचार के लिए आधार प्रदान करते हुए सम्पयुक्त है ।

मूल बातें

3. हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 के निम्न नोट्स की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं:-

i. नोट संख्या 7.2 जो अग्रिम कर भुगतान (प्रावधान को घटाकर) से सम्बन्धित है जिसमें राशियां मूल्यांकन, अपीलों और विवादों के अधीन समाधान के अंतर्गत लंबित हैं।

ii. नोट संख्या 7.3 जो विभिन्न आयकर और अप्रत्यक्ष कर विवादों के सम्बन्ध में नहीं किए गए अतिरिक्त प्रावधानों से सम्बन्धित है जिसके कारण वहां दिए गए हैं।

iii. विवरणी का नोट संख्या 14(एच)(1) जो रुपए 425.86 करोड़ के पारिवारिक पेंशन राशि में संशोधन से अतिरिक्त देयता के परिशोधन से सम्बन्धित है। बैंक ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में 85.17 करोड़ रुपये की राशि चार्ज की है और शेष अपरिशोधित व्यय रु. 255.52 करोड़ को आरबीआई सर्कुलर संख्या आरबीआई/2021-22/105 डीओआर.एसीसी. आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 के अनुसार आगे ले जाया गया है।

iv. विवरणी का नोट संख्या 17 जिसके अनुसार कोविड-19 महामारी के बैंक परिचालन पर हुए प्रभाव की सीमा भविष्य के घटनाक्रमों पर निर्भर करेगी जो काफी अनिश्चित हैं।

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारे विचार में कोई परिवर्तन नहीं आया है ।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामलें :-

4. हमारे व्यवसायिक अभिमत में प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले है जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं । इन मामलों पर हमारे अभिमत वित्तीय विवरणों के समावेश रूप में हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में हैं और उन पर हमारे अभिप्रायों को प्रदान नहीं करना चाहते । निम्नांकित मामलों को हमने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है जो हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए गए है ।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members of Indian Overseas Bank

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying standalone financial statements of **Indian Overseas Bank** ("the Bank"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2023, the Profit and Loss account and the Statement of Cash Flows for the year then ended and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the returns for the year ended on that date of the Central Office.

   (i) 20 branches audited by us and

   (ii) 838 branches including 2 Regional Offices, audited by the Statutory Branch Auditors

   (iii) 4 foreign branches audited by local Auditors.

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss account and Statement of Cash Flows are the returns from 2418 branches (Including 47 Regional Offices) which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 26.38% of advances, 55.00% of deposits, 60.79% of interest income and 64.92% of interest expenses.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:

(i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March, 2023;

(ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit for the year ended on that date; and

(iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the Cash Flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone financial statements prepared in accordance with the Accounting Principles generally accepted in India including the Accounting Standards issued by the ICAI, and provisions of section 29 of Banking Regulation Act, 1949 and circular and guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

3. We draw attention to following notes in Schedule 18 of Standalone Financial Statements:

   i. Note No. 7.2 regarding Tax paid in Advance (Net of provision) where amounts pending assessment, appeals and under dispute are under reconciliation.

   ii. Note No. 7.3 relating non providing of any additional provisioning towards various disputed income tax and indirect taxes for the reasons stated therein.

   iii. Note No. 14 (h) (1) of the statement regarding amortization of additional liability on account of revision in family pension amounting to Rs. 425.86 Crores. The Bank has charged an amount of Rs.85.17 crores to the profit and loss account for the year ended 31st March 2023 and the balance unamortized expense of Rs. 255.52 crore has been carried forward in terms of RBI Circular No.RBI/2021-22/105 DOR.ACC. REC.57/ 21.04.018/ 2021-22 dated October 4, 2021.

   iv. Note No.17 to the statement which explains that the extent to which the Covid-19 pandemic's impact on the bank's operation will depend on future developments, which are highly uncertain.

Our Opinion is not modified in respect of the above matters.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our Report.

क्रम सं	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखा परीक्षक के अभिमत
1	**आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण एवं अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण** **अग्रिमों का प्रतिशत बैंक की कुल आस्तियों का 50.09% है ।** बैंक द्वारा प्रदत्त अग्रिमों के संबंध में संचयन आधार पर आय की पहचान, निष्पादित एवं गैर-निष्पादित के रूप में अग्रिमों का वर्गीकरण और तत्संबंधी प्रावधानीकरण आय की पहचान विषयक विविक पूर्ण मानदण्डों एवं आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आइआरएसी) मानदण्डों तथा समय- समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अन्य परिपत्रों व निर्देशों के अनुसार है (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 2 के साथ पढ़ते हुए अनुसूची 17 के बिन्द 2.1 का संदर्भ लें) । हमारी राय में अग्रिमों से संबंधित लेखापरीक्षा में लेन-देन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अग्रिमों को निष्पादित और गैर-निष्पादित में वर्गीकृत करना, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल मुद्दे आदि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में ऐसे अग्रिमों के संबंध में आय की मान्यता और प्रावधान निष्पादन/ गैर-निष्पादन करना सबसे महत्वपूर्ण मामला है और इसलिए इसे प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों में से एक माना जाता है ।	**मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ** हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में डिजाइन का परीक्षण करना और आंतरिक नियंत्रणों की परिचालनात्मक प्रभाविता की जाँच करना और वस्तुगत परीक्षण करना भी निम्नानुसार शामिल रहा :- • आइआरएसी विषयक के विवेकपूर्ण मानदण्डों के कार्यान्वयन से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन और आरबीआई द्वारा जारी अन्य संबंधित परिपत्रों /निर्देशों के साथ बैंक की आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं का भी मूल्यांकन किया गया । • अग्रिमों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावात्मकता एवं आरबीआई निरीक्षण तथा बैंक की प्रबोधन प्रणाली के अनुसार पूरी की गई विभिन्न लेखा परीक्षाओं में की गई टिप्पणियों के अनुपालन का परीक्षण किया गया । • नमूना आधार पर सभी बड़े अग्रिमों / तनावग्रस्त अग्रिमों और अन्य अग्रिमों की जांच करना, जिसमें बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा भी शामिल है । • अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर निर्भर रहना । • अलेखापरीक्षित शाखाओं के संबंध में शाखा प्रमुख द्वारा साझा किए गए विवरणियों और वित्तीय विवरणों पर भरोसा करना। • शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों के ज्ञापन की समीक्षा करना और उचित कार्रवाई करना। • विभिन्न क्षेत्रों में हमारे लिए उपलब्ध विभिन्न लेखा परीक्षा और निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा । • कानूनी मामलों, विलेखों, मूल्यांकन और बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के अन्य पहलूओं पर मुख्य विशेषज्ञों की राय पर निर्भरता रखना । • ऐसे खातों के नमूना और संचालन के आधार पर चयनित उधारकर्ताओं की फाइलों की समीक्षा । • प्रासंगिक विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन । • लगाए गए ब्याज की जाँच, अन्य शुल्क, कमीशन आदि की जाँच ।
2	**आकस्मिक देयता** आकस्मिक देयता जैसा कि एएस 29 में परिभाषित किया गया है- प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक संपत्ति के लिए संभावित परिणामों और नकदी प्रवाह के आकलन की आवश्यकता होती है । आकस्मिक देनदारियों की पहचान और मात्रा का ठहराव प्रबंधन द्वारा अनुमान और निर्णय की आवश्यकता है । (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 8 (एएस 29) के साथ पठित अनुसूची 17 के बिन्द 13 का संदर्भ लें) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से जुड़े मुकदमों से संबंधित मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता के मद्देनजर, अन्य पार्टियों द्वारा दायर विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, हमने उपर्युक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है ।	**प्रमुख लेखापरीक्षा की प्रक्रिया** हमने प्रबंधन द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचनाओं का सत्यापन निम्नलिखित प्रक्रियाओं को पूरा करके किया है: • अंतर्निहित मान्यताओं के कारण का मूल्यांकन । • मुकदमों/ कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना । • विभिन्न कर प्राधिकारियों / न्यायिक मंचों से हाल के आदशों और / या संचारों की जांच और उसके बाद की कार्रवाई । • रिकॉर्ड पर संबंधित दस्तावेजों की जांच । • उपलब्ध संबंधित बाहरी साक्ष्यों सहित विधिक अभिमत, संबंधित न्यायिक प्रक्रिया एवं उद्योग प्रक्रियाओं पर भरोसा करना । • जहाँ-कहीं भी आवश्यक हो प्रबंधन से पुष्टि लेना ।

Sr. No	Key Audit Matter	Auditor's Response
1	**Income Recognition, Asset Classification & Provisioning relating to Advances** **Advances constitute 50.09% of the Bank's total assets.** The recognition of income on accrual basis in respect of advances extended by the Bank, Classification of advances into Performing and Non performing and provisioning thereof are in accordance with the extant prudential norms on Income Recognition and Asset Classification and provisioning (IRAC) norms and other circulars and directives issued by Reserve bank of India from time to time (Refer 2.1 of Schedule 17, read with Note 2 of Schedule 18 to the financial statements). Taking into consideration the nature of transactions, compliance with the Reserve Bank of India guidelines, issues involved in the valuation of securities etc., in our opinion classification of Advances into performing and non performing, recognition of income in respect of such advances and also provisioning relating to Performing/ Non-Performing advances are considered to be one of the most significant matter in the audit and therefore determined to be a Key audit matter.	**Principal Audit Procedures** Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing as under: - • Evaluating the design of internal controls relating to implementation of prudential norms on IRAC and other related circulars/directives issued by RBI and also the internal policies and procedures of the Bank. • Examining the efficacy of various internal controls over advances to determine the nature, timing and extent of the substantive procedures and compliance with the observations of the various audits conducted as per the monitoring mechanism of the Bank and RBI inspection. • Examining large advances/stressed advances and other advances on a sample basis including review of valuation reports of independent valuers as provided by the Bank's management. • Relying on the audit reports of other Statutory Branch Auditors. • Relying on the returns and financial statements shared by the branch head in respect of unaudited branches. • Reviewing Memorandum of Changes suggested by the Branch Auditors and take appropriate action. • Review of various audit and inspection reports made available to us in the relevant areas. • Placing reliance on the opinions of domain experts on legal matters, titles, valuation and other aspects of securities charged to the bank. • Review of files of the borrowers selected on sample basis and operations of such accounts. • Performing relevant analytical procedures. • Test checking of interest application, levying of other charges, commission etc.,
2	**Contingent Liability** The contingent liability as defined in AS 29 – Provisions, Contingent Liability and Contingent Assets requires assessment of probable outcomes and cash flows. The identification and quantification of contingent liabilities require estimation and judgment by the management. (Refer 13 of Schedule 17, read with Note 8(AS 29) of Schedule 18 to the financial statements) In view of associated uncertainty relating to the outcome of the matters relating to litigations involving Direct and Indirect taxes, various claims filed by other parties not acknowledged as debts, and as a result we have determined the above area as a Key audit matter.	**Principal Audit Procedures** We have carried out the validation of information provided by the management by performing the following procedures • Evaluating reasonableness of the underlying assumptions. • Understanding the current status of the litigations/tax assessments. • Examination of recent orders and /or communication received from various tax authorities/judicial forums and follow up action thereon. • Examining the relevant documents on record. • Relying on relevant external evidence available including legal opinion, relevant judicial precedents and industry practices. • Getting management confirmation where-ever necessary.

3	**आईटी सिस्टम और नियंत्रण** वित्तीय विवरणों की पूरी तैयारी सीबीएस और अन्य सहायक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नियंत्रणों पर अत्यधिक निर्भर है । यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और उचित आईटी नियंत्रण और बदलाव उचित तरीके से किए गए हैं, आईटी अनुप्रयोग प्रक्रिया डेटा अपेक्षित रूप से किया जाना आवश्यकता है । इस तरह के नियंत्रण डेटा के गलत आउटपुट के अपेक्षित जोखिम में कमी सुनिश्चित करते हैं। ऑडिट का परिणाम मौजूदा आईटी नियंत्रण और प्रणालियों पर निर्भर है और तदनुसार उपर्युक्त क्षेत्रों को एक प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में निर्धारित किया जाता है ।	**प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ** हमने ऐसी नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आइटी नीतियों और नियंत्रणों का प्रभावी ढंग से निरीक्षण, नियंत्रण और मूल्यांकन करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली आइटी नीतियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की दिशा में मानकों के साथ अपनी ऑडिट प्रक्रियाओं को पूरा किया है । हमने आइएस लेखापरीक्षक द्वारा जारी रिपोर्ट पर विश्वास किया है और जहां भी आवश्यक हो आइएस विशेषज्ञों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की है और प्रबन्धन को सूचित किया है कि वे अनुशंसाओं को लागू करे।
4	**गैर-निष्पादित निवेश के लिए निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन, पहचान और प्रावधान** (वित्तीय विवरणों हेतु अनुसूची 18 के नोट 1 के साथ पठित अनुसूची 17 का भाग 4 देखें) **बैंक की कुल संपत्ति में निवेश का हिस्सा 26.49% है।** निवेश का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार किया जाता है, जिसमें बीएसई / एनएसई और अन्य एजेंसियों पर उद्त दरों को लागू करना, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर निर्भर रहना आदि शामिल होता है । बैंक की बही में दर्ज किए जा रहे निवेश का मूल्य, निवेश के मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं को हमने उपर्युक्त क्षेत्र के एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में माना है ।	**प्रमुख लेखा परीक्षा की प्रक्रिया** हमने मूल्यांकन, गैर-प्रदर्शनकारी निवशों की पहचान, निवेश से संबंधित प्रवधान और मल्यांकन के संबंध में आरबीआई के प्रासंगिक दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन किया और उन्हें समझा है। निवेश के मूल्य का निर्धारण करने के लिए विभिन्न स्रोतों से डेटा संग्रह के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का मूल्यांकन। अनर्जक निवेश की पहचान की व्यवस्था का आकलन और मूल्यांकन, ऐसे निवेशों में आय की मान्यता और अनर्जक निवेशों के संबंध में आवश्यक प्रावधान का निर्माण सुनिश्चित करना ।

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारे विचार में कोई परिवर्तन नहीं आया है ।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

5. बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कॉर्पोरेट गवरनेंस रिपोर्ट (लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है), शामिल है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर जारी हमारी राय में बेसल III प्रकटीकरण के तहत अन्य जानकारी और स्तंभ 3 के खुलासे को शामिल नहीं किया गया है और हम इस बारे में आश्वासन के किसी भी रुप को व्यक्त नहीं करेंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि उपरोक्त अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के साथ अन्य जानकारी भौतिक रुप से असंगत है या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारा ज्ञान या भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य और इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त अन्य जानकारी के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा जिन पर गवर्नेंस का प्रभार है उनकी जिम्मदारियां

6. बैंक का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों ,जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं, के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण ; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भी हुई हो, शामिल हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, एक कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखने की बैंक की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन या तो बैंक को बंद करने या परिचालन

3	**IT Systems & Control** The entire Preparation of financial statements is highly dependent on CBS and other supporting software and hardware controls. Adequate and appropriate Information Technology (IT) controls are required to ensure that these IT application process data as expected and changes are made in an appropriate manner. Such controls ensure mitigating the expected risk of erroneous output data, Other compliances to regulators etc., are an important part of the process. Such reporting is highly dependent on the effective working of Core Banking Software and other allied systems. Audit outcome is dependent on the extant IT controls and systems, and accordingly the above areas are determined to be a key audit matter.	**Principal Audit Procedures** We have carried out our audit procedures with standards on auditing guidelines towards implementation of IT policies and procedures followed by the bank in order to effectively monitor, control, and evaluate the IT applications and controls to ensure effective implementation of such policies and procedures. We have also relied on the report issued by the IS Auditor and obtained necessary inputs from IS experts wherever necessary and advised the management to implement the recommendations.
4	**Classification and Valuation of Investments, Identification of and Provisioning for Non Performing Investments.** (Refer 4 of Schedule 17, read with Note 1 of Schedule 18 to the financial statements) **Investments constitute 26.49% of the total assets of the bank.** Valuation of Investments are done as per the guidelines, circulars and directives issued by RBI from time to time involving applying the rates quoted on BSE/NSE and other agencies, relying on the financial statements of unlisted companies etc., Taking into consideration the volume of transactions, value of investments being carried in the books of the bank, complexities involved in the valuation of investments, the above area has been considered as a key audit matter.	**Principal Audit Procedures** We evaluated and understood the Bank's internal control systems to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, provisioning and depreciation related to investments. Evaluating the process adopted for collection of data from various sources for determining the value of investments. Assessing and evaluating the system of identification of Non performing investments, income recognition on such investments and also ensuring creation of necessary provision in respect of Non performing investments.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance report (but does not include the Standalone Financial Statements and our auditors' report thereon).

   Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosures under the Basel III Disclosure and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

   If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors are responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

   In preparing the financial statements, management is

को बंद करने का इरादा नहीं रखता है, तब तक परिचानगत संस्था से संबंधित मामलों का खुलासा करता है और लेखांकन के आधार पर परिचालनगत संस्था का उपयोग करता है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियां

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भी हुई हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। पर्याप्त आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि सांविधिक लेखापरीक्षकों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा सदैव ही किसी सामग्री में गलती के मौजूद होने का पता लगाएगी । गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें सामग्री , व्यक्तिगत या समग्र रूप से, माना जाता है । इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय प्रभावित होने की उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संशयवाद बनाए रखते हैं । साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचान कर, उनका आकलन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादन करते हैं व लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होनेवाली सामग्री से गलत विवरण का पता नहीं लगने के कारण जोखिम त्रुटि एक से अधिक रूप में परिणामित हो सकती है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण को निरस्त करना शामिल हो सकती है।
- प्रबंधन के द्वारा इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों का मूल्यांकन और लेखांकन अनुमानों की व्यावहारिकता और प्रबन्धन द्वारा किए गए सम्बन्धित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के आधार पर कार्यशील प्रतिष्ठान के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक को कार्यशील प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने होगा । हमारे निष्कर्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएं या शर्त बैंक को कार्यशील प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने से वंचित कर सकती हैं।
- समग्र प्रस्तुति, प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की विषय वस्तु और संरचना के मूल्यांकन सहित इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत या समग्र रूप से , जिसके कारण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं ।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के संबंध में शासन के प्रभारी लोगों के साथ चर्चा करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में लेखा परीक्षा के दौरान चिह्नित महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं ।

हम उन लोगों को जिन पर गवर्नेंस का प्रभार है , उन्हें भी यह विवरणी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों जो कि हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में संवाद करने के लिए विचार किया जा सकता है।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। जबतक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है, हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से दुष्परिणाम स्वरूप संचार जनहित लाभ कम हो जाएंगे।

अन्य मामले

8. हमने बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 842 शाखाओं (जिनमें 2 क्षेत्रीय कार्यालय एवं 4 विदेशी शाखाएँ शामिल हैं) के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय विवरणी / वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2023 तक रु. 162325.70 (करोड़ में) की कुल संपत्ति को दर्शाती है और उस वर्ष के लिए कुल राजस्व रु.10,896.78 (करोड़ में) है, जैसा कि स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों में माना गया है । 31 मार्च 2023 तक इन शाखाओं और प्रसंस्करण केंद्रों द्वारा अग्रिम का 45.24%, जमा का 43.57% और गैर-निष्पादित आस्तियों का 22.01% और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व का 28.25% कवर किया जा रहा है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं का लेखा-जोखा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है और अब तक हमारी राय में यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और खुलासों से संबंधित है जो पूरी तरह से इस तरह के शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं ।

responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the standalone financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the standalone financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter, or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

8. We did not audit the financial statements / information of 842 branches (including 2 Regional Offices and 4 Overseas Branches) included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs.162325.70 (in crores) as at 31st March 2023 and total revenue of Rs.10,896.78 (in crores) for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. These branches and processing centers cover 45.24% of advances, 43.57% of deposits and 22.01% of non-performing assets as at 31st March 2023 and 28.25% of revenue for the year ended 31st March 2023. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

इस संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है ।

अन्य विधिक तथा नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

9. तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है।

उपर्युक्त पैराग्राफ 6 से 8 में इंगित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 के अनुसार इसमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन रहते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे एवं हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

ख) बैंक के वे सभी लेन-देन जो हमारे संज्ञान में थे बैंक की क्षमता के अधीन हैं; तथा

ग) बैंक की शाखाओं तथा कार्यालयों से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त पाई गयी थीं।

10. जैसा कि पत्र संख्या डीओएस.एआरजी.6270/08.91.001/2019-20 दिनांकि 17 मार्च 2020 की आवश्यकताओं के अनुसार " सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति- वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए की रिपोर्टिंग उत्तरदायित्व" पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उत्तरवर्ती संसूचना दिनांकित 19 मई, 2020 के साथ पठित , हम उपर्युक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे की रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत करते है :

क) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, यहाँ तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

ख) वित्तीय लेन-देन या मामलों पर कोई टिप्पणी और अवलोकन नहीं है, जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ग) 31 मार्च, 2023 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के उपधारा (2) के संदर्भ में 31 मार्च, 2023 से निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए किसी भी निदेशक को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

घ) खातों और अन्य मामलों से जुड़े मामलों के अनुरक्षण से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ङ) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंकों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध-ए में दी गई है। हमारी रिपोर्ट 31 मार्च, 2023 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।

11. हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

क) हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए बैंक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त खाता बही विवरणियों से प्राप्त की गयी हैं ।

ख) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह का विवरण, खातों की पुस्तक के साथ हैं ।

ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा समुचित सावधानी बरती गई है ।

घ) हमारी राय में, तुलन पत्र , लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह का विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं और वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

कृते एस.एन नंदा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000685एन

पुनीत नंदा
साझेदार
एम नं. 092435
यूडीआईएन :23092435बीजीएसवीईजेड1312

कृते एस एन कपूर व एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 001545सी

सुयश एसएन. कपूर
साझेदार
एम नं. 403528
यूडीआईएन :23403528बीजीडबल्यूयूडीवी2492

कृते योगनंद व राम एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005157एस / एस200052

एन रविशंकर
साझेदार
एम नं. 220436
यूडीआईएन: 23220436बीजीवीवाईएसक्यू7005

कृते नंदी हलदर व गांगुली
सनदी लेखाकार
एफआरएन 302017ई

राणा प्रताप नंदी
साझेदार
एम नं. 051027
यूडीआईएन: 23051027बीएचएडीएनडी1373

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 12.05.2023

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 6 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

(a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

(b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

(c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. As required by letter No. DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

c) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2023, none of the directors is disqualified as on March 31, 2023 from being appointed as a director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.

d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

e) Our Audit report on the adequacy and operating effectiveness of the bank's internal financial controls over financial reporting is given in **Annexure-A** to this report. Our Report Expresses an unmodified opinion on the Bank's Internal financial control over financial reporting as at 31st March, 2023.

11. We further report that:

a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far it appears from our examination of those books.

b) The Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account.

c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For S N NANDA & CO
Chartered Accountants
FRN 000685N

PUNEETT NANDA
Partner
M No: 092435
UDIN: 23092435BGSVEZ1312

For S N KAPUR & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 001545C

SUYASH SN. KAPUR
Partner
M No: 403528
UDIN: 23403528BGWUDV2492

For YOGANANDH & RAM LLP
Chartered Accountants
FRN 005157S/S200052

N RAVISHANKAR
Partner
M No: 220436
UDIN: 23220436BGVYSQ7005

For NANDY HALDER & GANGULI
Chartered Accountants
FRN 302017E

RANA PRATAP NANDY
Partner
M No: 051027
UDIN: 23051027BHADND1373

Place: Chennai
Date :12.05.2023

स्वायत्त लेखा परीक्षकों से संबंधित अनुबंध "ए"

भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") पत्र डॉस.एआरजी. सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (संशोधित) ("आरबीआई संचार") द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट की सम तारीख की रिपोर्ट के लिए 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत पैराग्राफ 11 (ई) का संदर्भ लें ।

हमने 31 मार्च, 2023 तक इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ("बैंक") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के साथ, जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण आंतरिक वित्तीय शामिल है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

बैंक की प्रबंधन संस्थान और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है । इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो बैंक की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे । लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक है ।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है । हमने भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और जारी किए गए लेखा परीक्षण (एसएएस) पर मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया, आईसीएआई द्वारा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक किया है ।

उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं ।

हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं । वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है । चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो ।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण के लिए बैंक की आंतरिक वित्तीय विषय पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है । वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, बैंक की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) बैंक की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री का गलत विवरण हो सकता है और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है । इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगाड़ सकता है ।

ANNEXURE "A" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 11(e) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date) Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

We have audited the Internal Financial Controls Over Financial Reporting of Indian Overseas Bank ("the Bank") as of March 31, 2023 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes Internal Financial Controls Over Financial Reporting of the Bank's branches.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's Internal Financial Controls Over Financial Reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls.

Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate Internal Financial Controls Over Financial Reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the Internal Financial Controls Over Financial Reporting and their operating effectiveness. Our audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting included obtaining an understanding of Internal Financial Controls Over Financial Reporting, assessing the risk that a material weakness exists and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's Internal Financial Controls Over Financial Reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Bank's Internal Financial Controls Over Financial Reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's Internal Financial Controls Over Financial Reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the Internal Financial Controls Over Financial Reporting to future periods are subject to the risk that the Internal Financial Controls Over Financial Reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

अभिमत

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, बैंक के पास सभी भौतिक मामलों में पर्याप्त हैं । वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 को प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर टिप्पणी, मार्गदर्शन में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंड पर आधारित था ।

अन्य मामलें

हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट जहां तक 842 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है जो कि उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

हमारी राय में, बैंक की शाखाओं, विशेष शाखाओं और सभी नियंत्रक कार्यालय, विभागों और प्रक्रियाओं को कवर करने वाले आरसीएम के परीक्षण और उसे अपनाने सहित प्रक्रिया को मजबूत करने की आवश्यकता है । इस संबंध में हमारा पत्र बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए प्रस्तुत किया गया है ।

इस संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है ।

कृते एस.एन नंदा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000685एन

पुनीत नंदा
साझेदार
एम नं. 092435
यूडीआईएन :23092435बीजीएसवीईज़ेड1312

कृते एस एन कपूर व एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 001545सी

सुयश एसएन. कपूर
साझेदार
एम नं. 403528
यूडीआईएन :23403528बीजीडब्लूयूडीवी2492

कृते योगनंद व राम एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005157एस / एस200052

एन रविशंकर
साझेदार
एम नं. 220436
यूडीआईएन: 23220436बीजीवीवाइएसक्यू7005

कृते नंदी हलदर व गांगुली
सनदी लेखाकार
एफआरएन 302017ई

राणा प्रताप नंदी
साझेदार
एम नं. 51027
यूडीआईएन: 23051027बीएचएडीएनडी1373

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 12.05.2023

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate Internal Financial Controls Over Financial Reporting and such Internal Financial Controls Over Financial Reporting were operating effectively as at March 31, 2023, based on "the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the ICAI".

Other Matters

Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of Internal Financial Controls over financial report of 842 branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

In our opinion, the Bank needs to strengthen the process including testing and adoption of the RCMs covering branches, specialized branches and all controlling office departments and processes. Our communication in this regard has been submitted to the Management to further strengthen the Internal Financial Controls Over Financial Reporting of the Bank.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For **S N NANDA & CO**
Chartered Accountants
FRN 000685N

PUNEETT NANDA
Partner
M No: 092435
UDIN: 23092435BGSVEZ1312

For **S N KAPUR & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN 001545C

SUYASH SN. KAPUR
Partner
M No: 403528
UDIN:23403528BGWUDV2492

Place: Chennai
Date :12.05.2023

For **YOGANANDH & RAM LLP**
Chartered Accountants
FRN 005157S/S200052

N RAVISHANKAR
Partner
M No: 220436
UDIN:23220436BGVYSQ7005

For **NANDY HALDER & GANGULI**
Chartered Accountants
FRN 302017E

RANA PRATAP NANDY
Partner
M No: 51027
UDIN:23051027BHADND1373

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन – पत्र

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31.03.2023

(रु. हजार में Rs. in 000's)

		अनुसूचियाँ SCHEDULES	AS AT 31.03.2023 तक	AS AT 31.03.2022 तक
पूँजी व देयताएँ	**CAPITAL & LIABILITIES**			
पूँजी	Capital	01	18902 41 23	18902 41 23
आरक्षितियाँ और अधिशेष	Reserves and Surplus	02	5973 62 73	3695 33 93
जमाएँ	Deposits	03	260973 59 04	262213 76 35
उधार	Borrowings	04	20803 77 19	3070 63 65
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	Other Liabilities & Provisions	05	6796 50 21	11147 82 21
कुल	**TOTAL**		**313449 90 40**	**299029 97 37**
आस्तियाँ	**ASSETS**			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और अतिशेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	06	17150 18 08	22749 65 47
बैंकों में अतिशेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	07	3670 64 98	14201 60 56
निवेश	Investments	08	93642 52 02	97640 78 78
अग्रिम	Advances	09	178067 68 04	144253 55 69
स्थिर आस्तियाँ	Fixed Assets	10	3710 73 87	3366 03 63
अन्य आस्तियाँ	Other Assets	11	17208 13 41	16818 33 24
कुल	**TOTAL**		**313449 90 40**	**299029 97 37**
आकस्मिक देयताएँ	Contingent Liabilities	12	196131 44 96	97998 90 15
वसूली के लिए बिल	Bills for Collection		19547 85 75	17216 22 01
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियाँ	Notes on Accounts	18		

अनुसूचियाँ तुलन – पत्र का अंग हैं

Schedules Form Part of the Balance Sheet

बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व सीईओ

AJAY KUMAR SRIVASTAVA
Managing Director & CEO

एस श्रीमती
कार्यपालक निदेशक

S SRIMATHY
Executive Director

संजय विनायक मुदालियर
कार्यपालक निदेशक

SANJAY VINAYAK MUDALIAR
Executive Director

ऐनी जॉर्ज मैथ्यू
ANNIE GEORGE MATHEW

विवेक अग्रवाल
VIVEK AGGARWAL

सुरेश कुमार रुंगटा
SURESH KUMAR RUNGTA

संजया रस्तोगी
SANJAYA RASTOGI

बी चंद्रा रेड्डी
B CHANDRA REDDY

दीपक शर्मा
DEEPAK SHARMA

निदेशक गण DIRECTORS

स्थान : चेन्नै Chennai

दिनांक Date : 12.05.2023

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता
CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2023

(रु. हजार में Rs. in 000's)

		अनुसूचियाँ SCHEDULES	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2023	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2022
आय	**INCOME**			
अर्जित ब्याज	Interest earned	13	19406 97 10	16735 84 21
अन्य आय	Other income	14	4116 44 74	4905 33 27
योग	**TOTAL**		**23523 41 84**	**21641 17 48**
व्यय	**EXPENDITURE**			
व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	11146 28 89	10419 48 58
परिचालन गतव्यय	Operating expenses	16	6429 81 39	5458 97 17
प्रावधान और आकस्मिक व्यय (नेट)	Provisions & Contingencies (Net)		3843 32 59	4053 44 28
योग	**Total**		**21419 42 88**	**19931 90 03**
लाभ / हानि (-)	**PROFIT/ LOSS (-)**			
वर्ष के लिए लाभ / हानि (-)	Net Profit / Loss (-) for the year		2103 98 96	1709 27 45
अग्रणित लाभ / हानि (-)	Profit /Loss (-) brought forward		(18010 24 02)	(18824 54 70)
घटायें : शेयर प्रीमियम के प्रति सेट ऑफ	Less: Set off against Share Premium		0	0
योग	**Total**		**(15906 25 06)**	**(17115 27 24)**
विनियोजन	**APPROPRIATIONS**			
सांविधिक आरक्षितियों में अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		524 69 65	493 20 56
राजस्व और अन्य आरक्षितियों में अंतरण	Transfer to Revenue and Other Reserves		0	0
पूँजी आरक्षितियों में अंतरण	Transfer to Capital Reserve		23 50 06	111 76 22
निवेश उतार- चढ़ाव आरक्षिति से अंतरण	Transfer to Invest. Fluctuation Reserve		0	290 00 00
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	Proposed Dividend (including Dividend Tax)		0	0
तुलन – पत्र में अग्रेषित शेष राशि	Balance carried over to Balance Sheet		(16454 44 77)	(18010 24 02)
योग	**TOTAL**		**(15906 25 06)**	**(17115 27 24)**
मूल एवं घटाया गया प्रति शेयर अर्जन (रु.)	Basic & Diluted Earnings per Share (Rs.)		1.15	0.92
प्रति इक्विटी शेयर का नाममात्र मूल्य (रु.)	Nominal Value per Equity Share (Rs.)		10.00	10.00

अनुसूचियाँ लाभ व हानि खाता का अभिन्न अंग है — Schedules Form Part of the Profit & Loss Account

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के जरिए — **VIDE OUR REPORT OF EVEN DATE**

एस.एन नंदा व कंपनी
एफआरएन 000685एन

S.N NANDA & CO
FRN 000685N

योगनंद व राम एलएलपी
एफआरएन 005157एस/एस200052

YOGANANDH & RAM LLP
FRN 005157S/S200052

पुनीत नंदा
साझेदार एम नं. 092435

PUNEETT NANDA
Partner M.No. 092435

एन रविशंकर
साझेदार एम नं 220436

N RAVISHANKAR
Partner M.No. 220436

एस एन कपूर व एसोसियेट्स
एफआरएन 001545सी

SN KAPUR & ASSOCIATES
FRN 001545C

नंदी हलदर व गांगुली
एफआरएन 302017ई

NANDY HALDER & GANGULI
FRN302017E

सुयश एसएन. कपूर
साझेदार एम नं 403528

SUYASH SN. KAPUR
Partner M.No. 403528

राना प्रताप नंदी
साझेदार एम नं 51027

RANA PRATAP NANDY
Partner M.No.51027

सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS

स्थान : चेन्नै Place : Chennai
दिनांक Date : 12.05.2023

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक INDIAN OVERSEAS BANK			
31 मार्च 2023 समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह की विवरणी **Consolidated Cash Flow Statement for the Year ended March 31, 2023**			
		रु. हजार में Rs. in 000's	
		समाप्त वर्ष Year ended	
		31.03.2023	**31.03.2022**
परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
कर के बाद निवल लाभ /(हानि)	**Net Profit / (Loss) After Tax**	**21 03 98 96**	**17 09 27 48**
जोडें:आयकर प्रावधान	Add: Provision for Tax	2 49 45 56	69 68 77
कर के पहले निवल लाभ /(हानि)	**Net Profit / (Loss) before Tax**	**23 53 44 52**	**17 78 96 25**
के लिए समायोजन	**Adjustments for :**		
एचटीएम निवेशों के लिए परिशोधन	Amortisation of HTM Investments	48 32 25	32 84 25
निवेशों के पूनर्मूल्यांकन से हुई हानि	Loss on Revaluation of Investments	3 14 03 46	1 91 52 27
स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on Fixed Assets	2 60 42 01	1 72 55 89
आस्तियों की बिक्री पर (लाभ) / हानि	(Profit) / Loss on Sale of Assets	(1 58 38)	(1 20 05)
आरक्षितियों से अंतरण	Transfer from Reserves	6 34 52	66 17 19
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for NPAs	29 32 97 61	34 70 16 92
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	(4 62 36 52)	1 87 66 94
निवेशों पर मूल्य ह्रास (निवल)	Depreciation on Investments (net)	3 43 49 00	2 54 01 18
अन्य मदों के लिए प्रावधान	Provision for Other Items	8 67 85 52	1 36 88 24
आइओबी बाण्ड पर ब्याज	Interest on IOB Bonds	1 83 40 80	1 54 64 98
		44 92 90 28	**46 65 27 81**
निम्नवत के लिए समायोजन	**Adjustments for :**		
जमाओं में वृद्धि / (कमी)	Increase / (Decrease) in Deposits	(12 40 17 31)	218 60 98 13
उधारियों में वृद्धि /(कमी)	Increase / (Decrease) in Borrowings	175 33 13 53	(12 65 93 99)
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि /कमी	Increase / (Decrease) in Other Liabilities & Provisions	(53 75 87 93)	15 29 30 15
निवेशों में (वृद्धि) /कमी	(Increase) / Decrease in Investments	32 92 42 04	(32 60 71 29)
अग्रिमों में (वृद्धि) /कमी	(Increase) / Decrease in Advances	(367 47 09 96)	(199 82 30 53)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(Increase) / Decrease in Other Assets	7 49 18 60	9 61 95 79
		(217 88 41 03)	**(1 56 71 74)**
प्रत्यक्ष कर (निवल)	Direct Taxes (Net)	(6 41 47 98)	(7 48 09 12)
परिचालनगत गतिविधियों से सृजित / (उपयोगित) निवल नकदी प्रवाह (क)	**NET CASH FLOW GENERATED FROM /(USED IN) OPERATING ACTIVITIES(A)**	**(155 83 54 21)**	**55 39 15 31**
निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
स्थिर आस्तियों की बिक्री / निपटान	Sale / disposal of Fixed Assets	22 72 75	6 93 80
स्थिर आस्तियों की खरीद	Purchase of Fixed Assets	(5 82 36 40)	(56 23 22)
निवेश संबंधी गतिविधियों से सृजित / (उपयोगित) निवल नकद (क)	**NET CASH GENERATED FROM/(USED IN) INVESTING ACTIVITIES (B)**	**(5 59 63 65)**	**(49 29 41)**
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
ईक्विटी शेयर निर्गम से धनागम (शेयर प्रीमियम को मिलाकर)	Proceeds of Equity Share Issue (including Share premium)	0	0
टीयर। एवं टीयर॥ बाँडों का मोचन (निवल)	Redemption of Tier I & Tier II Bonds (Net)	0	0
बेसल ॥। टीयर ॥ बाँड का निर्गम	Issue of Basel III Tier II Bonds	2 00 00 00	6 65 00 00
टीयर ॥ पूँजी पर प्रदत्त ब्याज	Interest Paid on Tier II Capital	(1 87 25 11)	(1 86 03 85)
बेमियादी (एटी1) बाँडों पर प्रदत्त ब्याज	Interest paid on perpetual (AT1) bonds	0	0

भारत सरकार से प्राप्त शेयर आवेदन राशि	Share Application Money received from GOI	0	0
वित्तपोषित गतिविधियों से सृजित / (उपयोगित) निवल नकदी (ग)	**NET CASH GENERATED FROM/(USED IN) FROM FINANCING ACTIVITIES (C)**	**12 74 89**	**4 78 96 15**
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख +ग)	**NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A) +(B) + (C)**	**(161 30 42 98)**	**59 68 82 05**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी समतुल्य	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
भा.रि.बैं के साथ नकदी व शेष	Cash & Balances with RBI	227 49 65 48	121 89 20 63
बैंकों के साथ शेष और माँग-द्रव्य	Balances with Banks & Money at Call	142 01 60 56	187 93 23 36
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समतुल्य	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**		
नकदी व भा.रि.बैं के साथ शेष	Cash & Balances with RBI	171 50 18 08	22749 65 48
बैंकों के साथ शेष और माँग-द्रव्य	Balances with Banks & Money at Call	36 70 64 98	14201 60 55
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि /कमी	**NET INCREASE / DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS**	**(161 30 42 98)**	**59 68 82 05**

ये विवरण अप्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं।

This Statement has been prepared in accordance with Indirect Method.

*वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से तारतम्यता हेतु पिछले वर्ष के आंकड़ों का आवश्यकता अनुसार पुन: समूहन किया गया है।

*The previous year figures represents standalone cash flow statement which have been reqrouped wherever necessary to conform with the current year presentation and as per regulatory requirement.

बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से **FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD**

अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व सीईओ

AJAY KUMAR SRIVASTAVA
Managing Director & CEO

एस श्रीमती
कार्यपालक निदेशक

S SRIMATHY
Executive Director

संजय विनायक मुदालियर
कार्यपालक निदेशक

SANJAY VINAYAK MUDALIAR
Executive Director

ऐनी जॉर्ज मैथ्यू
ANNIE GEORGE MATHEW

विवेक अग्रवाल
VIVEK AGGARWAL

सुरेश कुमार रुंगटा
SURESH KUMAR RUNGTA

संजया रस्तोगी
SANJAYA RASTOGI

बी चंद्रा रेड्डी
B CHANDRA REDDY

दीपक शर्मा
DEEPAK SHARMA

निदेशक गण DIRECTORS

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के जरिए Vide our Report of Even Date

एस.एन नंदा व कंपनी
एफआरएन 000685एन

S.N NANDA & CO
FRN 000685N

योगनंद व राम एलएलपी
एफआरएन 005157एस/एस200052

YOGANANDH & RAM LLP
FRN 005157S/S200052

पुनीत नंदा
साझेदार एम नं. 092435

PUNEETT NANDA
Partner M.No. 092435

एन रविशंकर
साझेदार एम नं 220436

N RAVISHANKAR
Partner M.No. 220436

एस एन कपूर व एसोसियेट्स
एफआरएन 001545सी

SN KAPUR & ASSOCIATES
FRN 001545C

नंदी हलदर व गांगुली
एफआरएन 302017ई

NANDY HALDER & GANGULI
FRN302017E

सुयश एसएन. कपूर
साझेदार एम नं 403528

SUYASH SN. KAPUR
Partner M.No. 403528

राणा प्रताप नंदी
साझेदार एम नं 51027

RANA PRATAP NANDY
Partner M.No.51027

सनदी लेखाकार CHARTERED ACCOUNTANTS

अनुसूची - 1	SCHEDULE - 1		
पूंजी	CAPITAL	तक AS AT 31.03.2023	तक AS AT 31.03.2022
		(रु.हजार में)	(Rs. in 000's)
प्राधिकृत पूंजी	**AUTHORISED CAPITAL**		
प्रत्येक रु.10/- के 2500,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष -प्रत्येक रु.10/- के 2500,00,00,000 इक्विटी शेयर)	2500,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each (Previous year-2500,00,00,000 Equity shares of Rs. 10/- each)	**25000 00 00**	**25000 00 00**
निर्गमित , अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी	**ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP CAPITAL**		
प्रत्येक रु.10/- के 1890 24 12 256 इक्विटी शेयर (इसमें भारत सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु.10/- के 1821 83 26 570 इक्विटी शेयर शामिल हैं)	1890 24 12 256 Equity Shares of Rs.10/- each. (Includes 1821 83 26 570 Equity Shares of Rs.10/- each held by Government of India)	**18902 41 23**	**18902 41 23**

अनुसूची - 2	SCHEDULE - 2		
आरक्षतियाँ व अधिशेष	RESERVES & SURPLUS	तक AS AT 31.03.2023	तक AS AT 31.03.2022
		(रु.हजार में)	(Rs. in 000's)
I. सांविधिक आरक्षितियाँ	**I. STATUTORY RESERVE**		
अथ शेष	Opening balance	3562 03 19	2926 77 62
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	524 69 65	635 25 56
घटाएँ : कटौतियाँ	Less: Deductions	0	0
योग – I	**TOTAL -I**	**4086 72 84**	**3562 03 19**
II. पूंजी आरक्षिति	**II. CAPITAL RESERVE**		
अ. पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	**A.** Revaluation Reserve		
अथ शेष	Opening Balance	2749 56 13	2220 45 88
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	43 90 22	569 12 83
घटाएँ : कटौतियाँ/ मूल्य ह्रास	Less: Deductions / Depreciation	40 30 99	40 02 58
योग – अ	**TOTAL - A**	**2753 15 36**	**2749 56 13**
आ. आस्तियों की बिक्री पर	**B.** On sale of Assets		
अथ शेष	Opening Balance	2133 94 51	2164 23 30
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	23 50 06	111 76 22
घटाएँ : कटौतियाँ	Less: Deduction	0	142 05 00
योग- आ	**TOTAL - B**	**2157 44 57**	**2133 94 51**
इ. अन्य	**C.** Others		
अथ शेष	Opening Balance	153 12 62	153 09 32
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	9 45	3 30
घटाएँ : कटौतियाँ	Less: Deduction	0	0
योग - इ	**TOTAL - C**	**153 22 07**	**153 12 62**
योग - II (अ,आ,इ)	**TOTAL - II (A,B,C)**	**5063 82 00**	**5036 63 26**
III. शेयर प्रीमियम	**III. SHARE PREMIUM**		
अथ शेष	Opening balance	8557 90 11	6923 32 50
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	0	1634 57 61
घटाएँ : कटौतियाँ	Less: Deductions	0	0
योग -III	**TOTAL -III**	**8557 90 11**	**8557 90 11**

IV. राजस्व व अन्य आरक्षिति	**IV. REVENUE & OTHER RESERVES**		
अ. अन्य राजस्व आरक्षिति	**A Other Revenue Reserves**		
अथ शेष	Opening Balance	3199 35 83	3161 66 17
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	43 22 60	37 69 67
घटाएँ : कटौतियाँ	Less: Deduction	0	0
योग – अ	**TOTAL - A**	**3242 58 44**	**3199 35 83**
आ. अन्य निवेश आरक्षिति लेखा	**B Investment Reserve Account**		
अथ शेष	Opening Balance	97 95 58	97 95 58
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	0	0
घटाएँ : कटौतियाँ	Less: Deductions	0	0
योग – आ	**TOTAL - B**	**97 95 58**	**97 95 58**
इ. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिती	**C Foreign Currency Translation Reserve**		
अथ शेष	Opening balance	854 49 79	1177 26 89
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	137 47 16	34 25 63
घटाएँ : कटौतियाँ	Less: Deduction	2 88 39	357 02 73
योग – इ	**TOTAL - C**	**989 08 56**	**854 49 79**
ई. निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व खाता	**D. Investment Fluctuation Reserve Account**		
अथ शेष	Opening balance	390 00 00	100 00 00
जोड़ें: परिवर्धन	Add: Additions	0	290 00 00
घटाएँ : कटौतियाँ	Less : Deductions	0	0
योग – ई	**TOTAL - D**	**390 00 00**	**390 00 00**
कुल - IV (अ,आ,इ,ई)	**TOTAL - IV (A,B,C,D)**	**4719 62 57**	**4541 81 20**
V. लाभ व हानि खाते	**V. PROFIT AND LOSS ACCOUNT**	**(16454 44 78)**	**(18003 03 83)**
योग (I, II , III, IV एवं V)	**TOTAL (I, II , III, IV & V)**	**5973 62 73**	**3695 33 93**

अनुसूची - 3 **SCHEDULE - 3**

जमाएँ	**DEPOSITS**	**तक AS AT 31.03.2023**	**तक AS AT 31.03.2022**
		(रु.हजार में)	(Rs. in 000's)
अ. I. मांग जमाएँ	**A. I. DEMAND DEPOSITS**		
i) बैंकों से	i) From Banks	8 12 73	11 49 29
ii) अन्यों से	ii) From Others	16675 44 49	17378 28 31
योग - I	**TOTAL - I**	**16683 57 22**	**17389 77 60**
II. बचत बैंक जमाएँ	**II. SAVINGS BANK DEPOSITS**	**97442 80 12**	**96501 20 23**
III. मियादी जमाएँ	**III. TERM DEPOSITS**		
i) बैंकों से	i) From Banks	570 93 19	544 96 77
ii) अन्यों से	ii) From Others	146276 28 51	147777 81 76
योग - III	**TOTAL - III**	**146847 21 70**	**148322 78 52**
योग – अ (I,II एवं III)	**TOTAL - A (I,II & III)**	**260973 59 04**	**262213 76 35**
अ. I) भारत की शाखाओं में जमाएँ	**B. I) Deposits of branches in India**	254324 09 53	256889 88 19
II) भारत के बाहर की शाखाओं में जमाएँ	**II) Deposits of branches outside India**	6649 49 51	5323 88 16
योग - आ	**TOTAL - B**	**260973 59 04**	**262213 76 35**

अनुसूची - 4	SCHEDULE - 4		
लिए गए उधार	BORROWINGS	तक AS AT 31.03.2023	तक AS AT 31.03.2022
		(रु.हजार में)	(Rs. in 000's)
I. भारत में लिए गए उधार	**I. BORROWINGS IN INDIA**		
भारतीय रिज़र्व बैंक	Reserve Bank of India	0	0
अन्य बैंके	Other Banks	0	0
अन्य संस्थाएँ और अभिकरण	Other Institutions & Agencies	15428 82 35	184 00 00
नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	0	0
बॉन्ड के तौर पर जारी हाइब्रिड कर्ज पूंजी लिखत	Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	0	0
अधीनस्थ कर्ज	Subordinated Debt	2465 00 00	2265 00 00
योग (I)	**TOTAL (I)**	**17893 82 35**	**2449 00 00**
II. भारत के बाहर से लिए गए उधार	**II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA**	**2909 94 83**	**621 63 65**
योग (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**20803 77 19**	**3070 63 65**
III. ऊपर I एवं II में सम्मिलित प्रतिभूति उधार	**III. Secured borrowings included in I & II above**	**15428 82 35**	**184 00 00**

अनुसूची – 5	SCHEDULE - 5		
अन्य देयताएँ व प्रावधान	OTHER LIABILITIES & PROVISIONS	तक AS AT 31.03.2023	तक AS AT 31.03.2022
		(रु.हजार में)	(Rs. in 000's)
I. देय बिल	I. Bills Payable	818 79 34	700 76 90
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter Office Adjustments (Net)	0	3555 93 65
III. उपचित ब्याज	III. Interest Accrued	162 44 02	41 43 74
IV. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	IV. Others (including provisions)	5815 26 85	6849 67 92
	TOTAL	**6796 50 21**	**11147 82 21**

अनुसूची - 6	SCHEDULE - 6		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी व शेष	CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	तक AS AT 31.03.2023	तक AS AT 31.03.2022
		(रु.हजार में)	(Rs. in 000's)
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा व एटीएम नकद सम्मिलित है)	I. Cash on hand (including Foreign currency notes)	1125 07 45	1154 04 35
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष	II. Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खाते में शेष	i) in Current Account	12222 84 82	13355 89 50
ii) अन्य खातों में शेष	ii) in Other Accounts	3802 25 82	8239 71 63
योग	**TOTAL**	**17150 18 08**	**22749 65 47**

अनुसूची - 7	SCHEDULE - 7		
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	तक AS AT 31.03.2023	तक AS AT 31.03.2022
		(रु.हजार में)	(Rs. in 000's)
I. भारत में	I. In India		
i) बैंकों में शेष	i) Balances with banks		
अ) चालू खातों में	a) In Current Accounts	15 15 17	14 60 32
आ) अन्य जमा खातों में	b) In Other Deposit Accounts	1060 05 50	387 42 48
ii) मांग पर तथा अल्प[सूचना पर प्राप्य धन	ii) Money at Call and Short Notice		
अ) बैंकों के साथ	a) With banks	0	0
आ) अन्य संस्थाओं के साथ	b) With other institutions	0	0
योग - I	**TOTAL - I**	**1075 20 67**	**402 02 80**
II. भारत के बाहर	II. Outside India		
अ) चालू खातों में	a) In Current Accounts	475 12 12	2505 33 41
आ) अन्य जमा खातों में	b) In Other Deposit Accounts	1732 53 68	10959 37 60
इ) मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	c) Money at Call and Short Notice	387 78 51	334 86 74
योग - II	**TOTAL - II**	**2595 44 31**	**13799 57 75**
योग (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**3670 64 98**	**14201 60 56**

अनुसूची - 8 निवेश	SCHEDULE - 8 INVESTMENTS	तक AS AT 31.03.2023	तक AS AT 31.03.2022
		(रु.हजार में)	(Rs. in 000's)
I. भारत में निवेश	**I. INVESTMENTS IN INDIA**		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	i) Government Securities	86603 00 74	88308 63 94
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	ii) Other Approved Securities	98 95	98 95
iii) शेयर	iii) Shares	730 75 81	960 44 83
iv) डिबेंचर और बॉण्ड पत्र	iv) Debentures and Bonds	2214 23 50	3106 12 70
v) अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम	v) Subsidiaries/ Joint Ventures	0	0
vi) अन्य निवेश	vi) Other Investments	88 83 28	1203 84 53
(म्यूचुअल फंड, जमाओं की वेंचर पूंजी फंड जमा प्रमाण-पत्र)	(Investments in Mutual Funds, Venture Capital Funds Certificate of Deposits and CP)		
योग- I	**TOTAL - I**	**89637 82 28**	**93580 04 96**
II. भारत के बाहर के निवेश	**II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA**		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों समेत)	i) Government Securities (including Local Authorities)	3744 15 69	3660 81 89
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	ii) Other Approved Securities	0	0
iii) शेयर	iii) Shares	45 85 91	42 28 93
iv) डिबेंचर और बंध पत्र	iv) Debentures and Bonds	178 57 21	316 82 98
v) अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम	v) Subsidiaries/ Joint Ventures	0	0
vi) अन्य निवेश	vi) Other Investments	0	0
योग – II	**TOTAL - II**	**3968 58 81**	**4019 93 79**
योग (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**93606 41 08**	**97599 98 75**

भारत में सकल निवेश	**Gross Investments in India**	91535 64 64	95803 45 58
घटाएँ : मूल्यह्रास	Less: Depreciation	2091 26 56	2416 84 81
घटाएँ: पुनर्संरचित निवेशों पर ब्याज	Less: Interest on Restructured Investments	0	0
निवल निवेश	**Net Investments**	**89444 38 08**	**93386 60 76**
भारत के बाहर सकल निवेश	**Gross Investments Outside India**	4207 84 27	4273 55 64
घटाएँ : मूल्यह्रास	Less: Depreciation	9 70 33	19 37 63
निवल निवेश	**Net Investments**	**4198 13 94**	**4254 18 02**
कुल निवल निवेश	**Total Net Investments**	**93642 52 02**	**97640 78 78**

अनुसूची - 9 **SCHEDULE - 9**

अग्रिम	**ADVANCES**	**तक AS AT 31.03.2023**	**तक AS AT 31.03.2022**
		(रु.हजार में) (Rs. in 000's)	
अ. i) क्रय व डिस्काउंट किए गए बिल	A. i) Bills Purchased & Discounted	4569 89 01	2905 75 04
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय उधार	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	77364 66 07	44605 23 51
iii) सावधि उधार	iii) Term Loans	96133 12 96	96742 57 14
योग	**TOTAL**	**178067 68 04**	**144253 55 69**
आ. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूति (बहीगत ऋणों के प्रति अग्रिमों सहित)	B. i) Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts)	135655 23 42	116825 49 19
ii) बैंक/ सरकारी जमानतों द्वारा संरक्षित	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	11604 08 55	6852 60 01
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	30808 36 06	20575 46 49
योग	**TOTAL**	**178067 68 03**	**144253 55 69**
इ. I) भारत में अग्रिम	C. I) Advances in India		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	i) Priority Sector	91803 94 00	82051 69 47
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	24710 67 89	8971 66 67
iii) बैंक	iii) Banks	0	0
iv) अन्य	iv) Others	47319 44 89	41693 29 21
योग	**TOTAL**	**163834 06 79**	**132716 65 35**
II) भारत के बाहर अग्रिम	II) Advances Outside India		
i) बैंकों से बकाया	i) Due from Banks	0	0
ii) अन्यों से बकाया	ii) Due from Others		
a) क्रय व डिस्काउंट किए गए बिल	a) Bills Purchased & Discounted	6623 36 77	5762 40 66
b) संघबद्ध उधार	b) Syndicated Loans	2530 49 57	1743 43 04
c) अन्य	c) Others	5079 74 92	4031 06 64
योग	**TOTAL**	**14233 61 26**	**11536 90 34**
योग (इ-I एवं इ-II)	**TOTAL (C-I & C-II)**	**178067 68 04**	**144253 55 69**

अनुसूची - 10	SCHEDULE - 10		
स्थिर आस्तियाँ	FIXED ASSETS	तक AS AT 31.03.2023	तक AS AT 31.03.2022
		(रु.हजार में) (Rs. in 000's)	
I. परिसर	**I. Premises**		
वर्ष के आरंभ में / पुनर्मूल्यांकित लागत पर	At cost / revalued as at beginning of the FY	4491 30 77	3973 49 58
वर्ष के दौरान परिवर्धन *	Additions during the year *	80 65 22	517 82 24
उप योग	SUB TOTAL	4571 95 99	4491 31 82
वर्ष के दौरान कटौतियाँ *	Deductions during the year *	0	1 05
		4571 95 99	4491 30 77
अद्यतन मूल्यह्रास	Depreciation to date	1325 92 48	1262 20 25
कुल -I	**TOTAL -I**	**3246 03 51**	**3229 10 53**
II. पूँजीगत चालू कार्य	**II. Capital work in progress**	8 79	11 11
कुल - II	**TOTAL - II**	**8 79**	**11 11**
III. अन्य स्थिर आस्तियाँ (इसमें फर्निचर और जुड़नार शामिल हैं)	**III. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)**		
वर्ष के आरंभ में लागत	At cost as at beginning of the FY	2216 22 53	2126 18 10
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	Additions during the year	542 43 63	110 62 75
उप योग	SUB TOTAL	2758 66 15	2236 80 85
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	Deductions during the year	41 56 35	20 58 32
		2717 09 80	2216 22 53
अद्यतन मूल्यह्रास	Depreciation to date	2252 48 23	2079 40 54
कुल - III	**TOTAL - III**	**464 61 57**	**136 81 99**
योग (I, II व III)	**Total (I, II & III)**	**3710 73 87**	**3366 03 63**

* 31.03.2023 को विनिमय दर पर विदेशी शाखाओं से संबंधित बदलाव पर समायोजन शामिल हैं ।

* Includes adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange at 31.03.2023

अनुसूची - 11	SCHEDULE - 11		
अन्य आस्तियाँ	OTHER ASSETS	तक AS AT 31.03.2023	तक AS AT 31.03.2022
		(रु.हजार में) (Rs. in 000's)	
i) अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	i) Inter Office Adjustments (Net)	746 96 34	0
ii) उपचित ब्याज	ii) Interest Accrued	3620 47 19	3092 78 58
iii) अग्रिम रूप से प्रदत्त कर (प्रावधानों का निवल)	iii) Tax paid in advance (Net of Provisions)	4523 00 18	4130 97 77
iv) लेखन – सामग्री व स्टैम्प	iv) Stationery & Stamps	3 94 07	3 43 65
v) दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियाँ	v) Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	210 01 51	210 01 51
vi) अन्य (नाबार्ड के पास रखे जमाओं को शामिल करें)	vi) Others (Include Deposits placed with NABARD)	8103 74 12	9381 11 74
कुल	**TOTAL**	**17208 13 41**	**16818 33 24**

अनुसूची - 12 आकस्मिक दायित्व	SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES	तक AS AT 31.03.2023	तक AS AT 31.03.2022
		(रु.हजार में) (Rs. in 000's)	
i) बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	i) Claims against the Bank not acknowledged as debts	4 79 19	4 15 85
ii) अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता	ii) Liability for partly paid investments	11 60	11 60
iii) बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	iii) Liability on account of outstanding forward exchange contracts	165634 95 19	68771 74 82
iv) ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ	iv) Guarantees given on behalf of constituents		
क) भारत में	a) In India	11746 40 32	12704 85 48
ख) भारत के बाहर	b) Outside India	371 76 19	414 52 80
v) सकार , पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ	v) Acceptances, Endorsements &Other obligations	5530 28 60	5818 66 41
vi) अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	vi) Other items for which the bank is contingently liable		
क) पूँजीगत खातों पर निष्पादित शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	a) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts	52 46 12	46 81 79
ख) करेंसी स्वैप के तहत बैंक देयताएँ	b) Banks liability under currency swaps	0	1093 13 00
ग) ब्याज दर स्वैप (यूएसडी)	c) Interest rate swaps (USD)	0	0
घ) ब्याज दर स्वैप (आइएनआर)	d) Interest rate swaps (INR)	0	0
ङ) मुद्रा विकल्पों के तहत बैंक देयता	e) Bank's Liability under Currency Options	0	0
च) क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप / एफआरए / प्राप्य प्रभार	f) Credit Default Swaps/FRAs/Receivable charges	0	0
छ) भारिबै के साथ डीईएएफ में राशि	g) Amount in DEAF with RBI	1822 20 80	1595 20 53
ज) आइटी मांग विवादित	h) Disputed IT demands	10968 40 67	7549 61 57
झ) अन्य	i) Others	6 29	6 29
कुल	**TOTAL**	**196131 44 96**	**97998 90 15**

अनुसूची - 13 अर्जित ब्याज	SCHEDULE - 13 INTEREST EARNED	को समाप्त वर्ष **Year Ended 31.03.2023**	को समाप्त वर्ष **Year Ended 31.03.2022**
		(रु.हजार में) (Rs. in 000's)	
i) ब्याज/ अग्रिम बट्टा/ बिल	i) Interest / discount on advances / bills	13151 35 40	10665 88 10
ii) निवेशों पर आय	ii) Income on investments	5850 30 90	5675 81 98
iii) भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	iii) Interest on Balances with Reserve Bank of India and Other Inter-Bank Funds	405 30 80	234 52 20
iv) अन्य	iv) Others	0	159 61 93
कुल	**TOTAL**	**19406 97 10**	**16735 84 21**

अनुसूची - 14	SCHEDULE - 14	को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2023	को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2022
अन्य आय	OTHER INCOME		
		(रु.हजार में) (Rs. in 000's)	
i) कमीशन , विनिमय और दलाली	i) Commission, Exchange and Brokerage	1221 00 41	1039 84 09
ii) निवेशों के विक्रय पर लाभ/हानि	ii) Profit/ Loss on Sale of Investments	249 57 50	933 66 42
iii) निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / हानि	iii) Profit/Loss on Revaluation of Investments	(314 03 46)	(191 52 27)
iv) भूमि और भवनों के विक्रय पर लाभ/हानि व अन्य आस्तियाँ	iv) Profit/ Loss on sale of land, Building & other Assets	1 58 38	1 20 05
v) विनिमय संव्यवहारों पर लाभ/हानि	v) Profit/ Loss on exchange transactions	564 70 36	898 47 76
vi) विविध आय	vi) Miscellaneous Income	2393 61 55	2223 67 23
कुल	**TOTAL**	**4116 44 74**	**4905 33 28**

अनुसूची - 15	SCHEDULE - 15	को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2023	को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2022
खर्च किया गया ब्याज	INTEREST EXPENDED		
		(रु.हजार में) (Rs. in 000's)	
i) जमाओं पर ब्याज	i) Interest on Deposits	10536 45 21	10220 35 04
ii) भारतीय रिजर्व बैंक/ अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	ii) Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank Borrowings	609 80 40	199 12 28
iii) अन्य	iii) Others	3 28	1 26
योग	**TOTAL**	**11146 28 89**	**10419 48 58**

अनुसूची - 16	SCHEDULE - 16	को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2023	को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2022
परिचालन व्यय	OPERATING EXPENSES		
		(रु.हजार में) (Rs. in 000's)	
i) कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	i) Payments to and provisions for employees	4102 36 60	3488 89 39
ii) भाड़ा, कर और रोशनी	ii) Rent, Taxes and Lighting	493 23 94	445 92 66
iii) मुद्रण और लेखन सामग्री	iii) Printing and Stationery	24 68 66	19 53 90
iv) विज्ञापन और प्रचार	iv) Advertisement and Publicity	1 42 49	44 09
v) बैंकों की संपत्ति पर मूल्यह्रास	v) Depreciation on Bank's property	260 42 01	172 55 89
vi) निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	vi) Directors' fees, allowances and expenses	90 73	40 56
vii) लेखा परीक्षकों की फीस व खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों के शुल्क व व्यय सहित)	vii) Auditors' fees and expenses (including Branch auditor's Fees and Expenses)	32 12 14	39 11 30
viii) विधि प्रभार	viii) Law charges	24 71 14	24 25 91
ix) डाक, तार, टेलीफोन, आदि	ix) Postages, telegrams, telephones, etc.	67 53 72	67 51 65
x) मरम्मत व अनुरक्षा	x) Repairs and Maintenance	27 20 20	22 93 39
xi) बीमा	xi) Insurance	340 97 46	322 99 21
xii) अन्य व्यय	xii) Other Expenditure	1054 22 32	854 39 21
योग	**TOTAL**	**6429 81 39**	**5458 97 17**

अनुसूची 17

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (समेकित लेखे)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित खातों के भाग के रूप में अनुबंधित

1. तैयारी का आधार

1.1. बैंक का वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत उपचित अवधारणा एवं कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किया गया है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो। यह भारत में सामान्तया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप है, जिसमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक / भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक / मार्गदर्शन नोट्स और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं । विदेशी कार्यालयों के संबंध में, संबंधित विदेशी देशों में प्रचलित वैधानिक प्रावधानों और प्रथाओं का अनुपालन किया जाता है।

वित्तीय विवरणों को कार्यशील उपक्रम की अवधारणा के आधार पर तैयार किया गया है और लेखांकन प्रथाओं के अनुसार इसका लगातार पालन किया जाता है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

समेकन का आधार

i. बैंक के समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) (संयुक्त उद्यम और सहयोगी समेत) के आधार पर तैयार किए गए हैं:

क) इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (बैंक) का लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण।

ख) संयुक्त उद्यम का समेकन - आईसीएआई द्वारा जारी एएस 27 "संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसार 'आनुपातिक समेकन'।

विदेशी संयुक्त उद्यम के सीएफएस की तैयारी के लिए उपयोग की जाने वाली विनिमय दर नीचे दी गई है:

लाभ और हानि - त्रैमासिक औसत दर

तुलन-पत्र - वर्ष के अंत में स्पॉट रेट

ग) आईसीएआई द्वारा जारी एएस 23 "समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन" के अनुसार 'इक्विटी पद्धति' के तहत 'एसोसिएट्स' में निवेश के लिए लेखांकन।

ii. विदेशी संयुक्त उद्यम में बैंक के निवेश की लागत के बीच के अंतर को ट्रांसलेशन रिज़र्व के तहत हिसाब में लिया जाता है।

iii. संयुक्त उद्यम और सहयोगी, संबंधित नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित और वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार, लेखांकन नीतियों का पालन करते हैं। इस तरह की विविध लेखांकन नीतियों का पालन करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अनिवार्य / सांविधिक आवश्यकताओं की संबंधित लेखांकन नीतियों को अपनाते हुए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए जाने पर वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किया जाता है।

आकलन का प्रयोग:

1.2 वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को ऐसे आकलन व अनुमान लगाने होते हैं जिनने वित्तीय विवरणों की तारीख को आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की प्रतिवेदित रकम तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिये आय व खर्च की प्रतिवेदित रकम में विचारार्थ शामिल किया जा सके। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त ये आकलन विवेक सम्मत व तर्कसंगत हैं। भविष्य के परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

बैंक द्वारा पालन की जाने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2. राजस्व पहचान और व्यय लेखांकन

2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार आस्तियों पर उपचित आधार पर और अनर्जक आस्तियों के सम्बन्ध में वसूली के आधार पर आय का निर्धारण किया जाता है। वाद दायर खातों एवं एकबारगी निपटान खातों को छोड़कर जहाँ मूल रकम के संबंध में समंजन किया जाता है, बाकी मामलों में अनर्जक आस्तियों में वसूली का समंजन पहले ब्याज और शेष , अगर हो तो, के लिए किया जाता है। एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनियों (एआरसी) को बेची गई परिसंपत्तियों के मामले में आय का निर्धारण बिक्री मूल्य से प्राप्त नकदी घटक की सीमा तक तब किया जाता है जब बिक्री रकम निवल बही मूल्य से अधिक (अर्थात प्रावधान घटाकर बही बकाया) होती है ।

2.2 खरीदे गए बिलों/बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों पर ब्याज, कमीशन(साख पत्र / गारंटीपत्र/सरकारी कारोबार/ बीमा को छोडकर), विनिमय, लॉकर किराया और लाभांश को उगाही के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2.3 बहुमूल्य धातुओं की परेषण बिक्री से प्राप्त आय को बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में गणना में लिया जाता है ।

2.4 खर्चों को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है,जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2.5 निष्क्रिय बचत बैंक खाते,अदावी बचत बैंक खाते एवं अदावी मियादी जमाओं के मामलों में ब्याज, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर लिया जाता है ।

2.6 वाद दायर खातों के संबंध में कानूनी खर्चों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। ऐसे खातों में वसूली हो जाने पर उसे आय में लिया जाता है ।

2.7 विदेशी शाखाओं के मामलों में, आय और व्यय का अभिज्ञान / हिसाब देश में लागू स्थानीय कानून के अनुसार किया जाता है ।

3. विदेशी मुद्रा लेन-देन

3.1 विदेशी मुद्रा से जुड़े लेन-देन का लेखांकन, लेखा मानक (एएस)11 के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव" के अनुसरण में किया जाता है ।

3.2 ट्रेज़री (विदेशी) के संबंध में लेन-देन:

क) विदेशी मुद्रा जमाओं और ऋणों को छोड़कर विदेशी मुद्रा लेन-देनों को लेन-देन के दिन रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच की विनिमय दर विदेशी मुद्रा रक़म पर लागू कर के रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता को रिकार्ड किया जाता है। विदेशी मुद्रा जमाएँ और ऋणों का

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONSOLIDATED ACCOUNTS)

Annexed to and forming part of the Consolidated Accounts for the year ended 31st March 2023.

1. Basis of Preparation

1.1 The Bank's financial statements have been prepared under the historical cost convention on the accrual basis of accounting and ongoing concern basis, unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI), circulars and guidelines issued by RBI from time to time. Accounting Standards / Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

The financial statements have been prepared on going concern basis with accrual concept and in accordance with the accounting practices consistently followed unless otherwise stated.

Basis of Consolidation

i. Consolidated financial statements (CFS) of the Bank (comprising of Joint Venture and Associate) have been prepared on the basis of:

a) Audited financial statements of Indian Overseas Bank (Bank).

b) Consolidation of Joint Venture — 'Proportionate Consolidation' as per AS 27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by the ICAI.

The Exchange rate used for the preparation of CFS of Overseas Joint Venture are as below:

Profit & Loss – Quarterly Average Rate

Balance Sheet – Spot Rate at the end of the Year.

c) Accounting for investment in 'Associates' under the 'Equity Method' as per AS 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI.

ii. The difference between cost to the Bank of its investment in the overseas Joint venture is accounted under translation reserves.

iii. The Joint Venture and Associate follow Accounting Policies as prescribed by the respective regulatory authorities and as per statutory requirements. In view of such diverse accounting policies required to be followed, the consolidated financial statements have been prepared by adopting the respective accounting policies of the mandated / statutory requirements. No adjustments are made to the financial statements when they are used in preparing consolidated financial statements.

Use of Estimates

1.2 The preparation of financial statements requires the Management to make estimates and assumptions which are considered in the reported amounts of assets and liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expense for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates.

Significant Accounting Policies followed by the Bank.

2. Revenue Recognition and Expense Accounting

2.1 Income is recognized on accrual basis on performing assets and on realization basis in respect of non-performing assets as per the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India. Recovery in Non-Performing Assets is first appropriated towards interest and the balance, if any, towards principal, except in the case of Suit Filed Accounts and accounts under One Time Settlement, where it would be appropriated towards principal. In case of assets sold to Asset Reconstruction Companies (ARCs), the income is recognized to the extent of cash component of the Sale Consideration received, where the sale consideration is over and above Net Book Value (i.e. Book outstanding less Provisioning).

2.2 Interest on bills purchased/Mortgage Backed Securities, Commission (except on Letter of Credit/Letter of Guarantee/Government Business/Insurance), Exchange, Locker Rent and Dividend are accounted for on realization basis.

2.3 Income from consignment sale of precious metals is accounted for as Other Income after the sale is complete.

2.4 Expenditure is accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

2.5 Interest payable on Overdue Term Deposits is provided @ Savings Bank rate, till such time it is transferred to Unclaimed Term Deposits. In respect of Inoperative Savings Bank Accounts, unclaimed Savings Bank accounts and unclaimed Term Deposits, interest is accrued as per RBI guidelines.

2.6 Legal expenses in respect of Suit Filed Accounts are charged to Profit and Loss Account. Such amount when recovered is treated as income.

2.7 In respect of foreign branches, Income and Expenditure are recognized/ accounted for as per local laws of the respective countries.

3. Foreign Currency Transactions

3.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

3.2 Transactions in respect of Treasury(Foreign):

a) Foreign Currency transactions, except foreign currency deposits and lending, are recorded on initial recognition

आरंभिक लेखांकन तत्समय पर लागू एफईडीएआई की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार किया जाता है।

ख) नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों में इति शेष को समापन दरों पर दिखाया जाता है। सभी विदेशी मुद्रा जमाओं एवं आकस्मिक देयताओं सहित उधारों को प्रत्येक तिमाही के अंतिम सप्ताह के लिए लागू एफईडीएआई की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार दिखाया जाता है। अन्य आस्तियों, देयताओं और विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गीकृत बकाया वायदा संविदाओं को लेन-देन की तारीख की दरों पर दिखाया जाता है।

ग) एफईडीएआई द्वारा सूचित वर्षांत विनिमय दरों पर आकस्मिक देयताओं सहित बकाया वायदा विनिमय संविदाओं व सभी आस्तियों, देयताओं के पुनर्मूल्यांकन के कारण परिणत लाभ व हानि को ''अन्य देयताएँ व प्रावधान' '/ ''अन्य आस्ति खाता' में तत्सम्बन्धी निवल समायोजनाओं सहित राजस्व के अंतर्गत रखा जाता है, केवल नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों को छोड़कर जहाँ खातों का समायोजन अंतिम दरों पर किया जाता है ।

घ) आय और व्यय संबंधी मदों को, लेखा बहियों में उनके लेन-देन की निर्दिष्ट तारीख पर लागू विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

3.3. विदेशी शाखाओं के संबंध में:

क. जैसा कि लेखा मानक 11 में निर्धारित है, सभी विदेशी शाखाओं को गैर अभिन्न परिचालन माना जाता है।

ख. परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देनदारियों सहित) को हर तिमाही के अंत में के एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम स्पॉट दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

ग. प्रत्येक तिमाही के अंत में आय और व्यय को एफईडीएआई द्वारा सूचित त्रैमासिक औसत दर पर परिवर्तित किया जाता है।

घ. परिणामी विनिमय के अंतर को अवधि के लिए आय या व्यय के रूप में नहीं लिया जाता है लेकिन इसे निवल निवेश के निपटान तक ''विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिती" नामक अलग खाते में जमा किया जाता है ।

4. निवेश

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में किये गए निवेश को ट्रेडिंग के लिए धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और परिपक्वता के लिए धारित प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। इन निवेशों के प्रकटीकरण को निम्नलिखित 6 वर्गों में दिखाया जाता है:

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ

ख) स्थानीय निकायों द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों सहित अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

ग) शेयर,

घ) बॉण्ड्स एवं डिबेंचर,

ड.) अनुषंगियां/संयुक्त उपक्रम

च) म्यूचुअल फंड यूनिट व अन्य

4.2. म्यूचुअल फण्ड के यूनिटों से आय और जहाँ ब्याज/मूलधन 90 से भी अधिक दिनों से बकाया है, वहाँ निवेशों पर ब्याज की पहचान विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार उगाही आधार पर की जाती है।

4.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

4.3.1. ''व्यापार के लिए धारित" और ''बिक्री के लिए उपलब्ध" प्रवर्गों के तहत व्यक्तिगत शेयरों को तिमाही अंतराल पर विपणन के लिए चिह्नित किया जाता है। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल (फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा घोषित बाजार दरों पर किया जाता है। राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों और बाण्ड एवं डिबेंचरों का मूल्यांकन एफआइएमएमडीए (भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ) द्वारा सुझाई गई अन्य पद्धतियों और रेटिंग/उधार स्प्रेड यील्ड कर्व के अनुसार किया जाता है। उद्धृत भाव वाले ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाजार दरों पर किया जाता है तथा गैर उद्‌त भाव वाले ईक्विटी शेयरों और वेंचर कैपिटल फंड की इकाइयों का मूल्यांकन तुलन पत्र से प्राप्त बही मूल्य/ एनएवी के आधार पर किया जाता है अन्यथा इसका मूल्यांकन रु.1/-प्रति कंपनी/ निधि के हिसाब से किया जाता है।

ट्रेज़री बिलों और वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाण पत्र को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। म्युचुअल फण्ड योजना में धारित यूनिटों को बाज़ार मूल्य या पुनर्खरीद मूल्य या नेट एसेट वैल्यू के क्रम में उपलब्धता के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है ।

पीडीएआइ (भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ)/ एफबीआईएल द्वारा केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाइटीएम (परिपक्वता प्रतिफल) दर पर उपयुक्त मूल्य वृद्धि के साथ अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन वाइटीएम (परिपक्वता प्रतिफल) के आधार पर आवधिक रूप से किया जाता है ।

छ: वर्गीकरणों में से प्रत्येक के तहत उपर्युक्त मूल्यांकनों के आधार पर निवल मूल्यह्रास यदि कोई है, तो उसके लिए प्रावधान किया जाता है और निवल वृद्धि, यदि कोई है तो इसे नजरअंदाज किया जाता है, सिर्फ ऐसे मूल्यह्रास को छोड़कर जिन्हें बॉस्केट में उपलब्ध मूल्य वृद्धि के प्रति समायोजित नहीं किया जाता है । हालाँकि यदि व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के बही मूल्य में मूल्यांकन के कारण कोई परिवर्तन नहीं है तो तुलन पत्र में निवेशों को मूल्य ह्रास के निवल के रूप में दर्शाया जाता है।

4.3.2 ''परिपक्वता के लिए धारित": ऐसे निवेशों को अधिग्रहण लागत / परिशोधन लागत पर लिया जाता है। प्रत्येक प्रतिभूति के अंकित मूल्य के ऊपर अधिग्रहण लागत में यदि अधिकता हो तो उसे परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। अनुषंगी, सहयोगी और प्रायोजित संस्थाओं और जोखिम पूँजी निधि के यूनिटों में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

4.4 निवेश, एन.पी.ए वर्गीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार आय के उचित प्रावधान/आय की अनभिज्ञान के अधीन है। अग्रिमों के रूप में डिबेंचरों/बॉण्डों पर भी सामान्य विवेकपूर्ण मानदण्ड प्रयोज्य होते हैं और तदनुसार, जहाँ कहीं लागू हो, प्रावधान किया जाता है।

4.5 किसी भी वर्ग में (जैसे ट्रेडिंग के लिए धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध व परिपक्वता तक धारित) निवेशों के विक्रय से होने वाले लाभ / हानि को लाभ / हानि खाते में लिखा जाता है। ''परिपक्वता के लिए धारित" वर्ग में निवेशों के विक्रय की आय के मामले में, कर चुकतान के बाद निवल लाभ और सांविधिक आरक्षिती में अंतरित की जाने वाली राशि को "पूँजी आरक्षित खाते" में विनियोजित किया जाता है।

in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction. Foreign Currency deposits and lendings are initially accounted at the then prevailing FEDAI weekly average rate.

b) Closing Balances in NOSTRO and ACU Dollar accounts are stated at closing rates. All foreign currency deposits and lendings including contingent liabilities are stated at the FEDAI weekly average rate applicable for the last week of each quarter. Other assets, liabilities and outstanding forward contracts denominated in foreign currencies are stated at the rates on the date of transaction.

c) The resultant profit or loss on revaluation of all assets, liabilities and outstanding forward exchange contracts including contingent liabilities at year-end exchange rates advised by FEDAI is taken to revenue with corresponding net adjustments to "Other Liabilities and Provisions"/"Other Asset Account" except in case of NOSTRO and ACU Dollar accounts where the accounts stand adjusted at the closing rates.

d) Income and expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the date of incorporating the transaction in the books of accounts.

3.3 Translation in respect of overseas branches:

a) As stipulated in Accounting Standard 11, all overseas branches are treated as Non Integral Operations.

b) Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) Income and Expenses are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

d) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

4. Investments

4.1 Investments in India are classified into "Held for Trading", "Available for Sale" and "Held to Maturity" categories in line with the RBI Guidelines. Disclosures of Investments are made under six classifications viz.,

a) Government Securities

b) Other Approved securities including those issued by local bodies.

c) Shares,

d) Bonds & Debentures,

e) Subsidiaries / Joint Ventures and

f) Units of Mutual Funds and Others.

4.2 Interest on Investments, where interest/principal is in arrears for more than 90 days and income from Units of Mutual Funds, is recognized on realization basis as per prudential norms.

4.3 Valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by RBI as under:

4.3.1. Individual securities under "Held for Trading" and "Available for Sale" categories are marked to market at quarterly intervals. Central Government securities and State Government securities are valued at market rates declared by FBIL (Financial Benchmarks India Pvt Ltd). Securities of State Government, other Approved Securities and Bonds & Debentures are valued as per the yield curve, credit spread rating-wise and other methodologies suggested by FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India). Quoted equity shares are valued at market rates, Unquoted equity shares and units of Venture Capital Funds are valued at book value /NAV ascertained from the latest available balance sheets, otherwise the same are valued at Re. 1/- per company /Fund.

Treasury Bills, Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at carrying cost. Units held in Mutual fund schemes are valued at Market Price or Repurchase price or Net Asset Value in that order depending on availability.

Valuation of Preference shares is made on YTM basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government Securities put out by the PDAI (Primary Dealers Association of India)/FBIL periodically.

Based on the above valuations under each of the six classifications, net depreciation, if any, is provided for and net appreciation, if any, is ignored except for the depreciation on Non-Performing Investments, which is not netted off against appreciation available in the basket. Though the book value of individual securities would not undergo any change due to valuation, in the books of account, the investments are stated net of depreciation in the balance sheet.

4.3.2. "Held to Maturity": Such investments are carried at acquisition cost/amortized cost. The excess, if any, of acquisition cost over the face value of each security is amortised on an effective interest rate method, over the remaining period of maturity. Investments in subsidiaries, associates and sponsored institutions and units of Venture capital funds are valued at carrying cost.

4.4 Investments are subject to appropriate provisioning / de –recognition of income, in line with the prudential norms prescribed by RBI for NPA classification. Bonds and Debentures in the nature of advances are also subject to usual prudential norms and accordingly provisions are made, wherever applicable.

4.5 Profit/Loss on Sale of Investments in any category (viz. Held for Trading, Available for Sale and Held to Maturity) is taken to Profit & Loss account. In case of Profit on Sale of Investments in "Held to Maturity" category, Profit net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserves is appropriated to "Capital Reserve Account".

4.6 प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज, प्रोत्साहन/ प्रारम्भिक शुल्क (फ्रण्ट-एण्ड-फीस) आदि को लाभ-हानि खाते में लिया जाता है। ट्रेज़री बिलों के मामले में खंडित अवधि ब्याज नहीं होता है। आय का लेखांकन होल्डिंग लागत और फेस वैल्यू यानी डिस्काउंट आय के अंतर के आधार पर किया जाता है।

4.7 रेपो/रिवर्स रिपो लेन-देन का भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखा – जोखा किया जाता है।

4.8 विदेशी शाखाओं द्वारा धारित निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन संबंधित विदेशी विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4.9 सभी निवेशों को वेटेड ऐवरेज प्राइसिंग विधि को अपनाकर धारित किया गया है ।

4.10 सभी निवेश सेटलमेंट तिथि के आधार पर बही में धारित किया जाता है ।

4.11 निवेश पर डिविडेंड आय का हिसाब नकदी आधार पर किया जाता है ।

4.12 तुलन-पत्र में निवेशों को अनर्जक निवेशों के संबंध में धारित नेट ऑफ प्रावधान के आधार पर दर्शाया जाता है।

4.13 भुगतान हेतु परिपक्व निवेशों को "अन्य आस्तियों" के तहत दर्शाया जाता है । अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधान भी उन निवेशों से नेट किया गया है ।

4.14 किसी निवेश को उसकी खरीद के समय एचटीएम, एचएफटी या एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में उसके वर्गों में अंतरण, सिर्फ एचएफटी से एएफएस श्रेणी में अदला-बदली/ अंतरण को छोड़कर, अधिग्रहण लागत/बुक वैल्यू/बाजार मूल्य के आधार पर अन्य वर्गों में वर्ष में एक बार, निदेशक मंडल के अनुमोदन से किया जाता है । ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया गया है और प्रतिभूति का बही मूल्य तदनुसार समायोजित किया जाता है। एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रतिभूतियों का ऐसा अंतरण भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की अनुमति या दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4.15 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2017-18/147 डीबीआर नंबर बीपी बीसी. 102/21.04.0489/2017-18 दिनांकित 2 अप्रैल 2018 के अनुसार वर्ष 2018-19 से एक इनवेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व (आईएफआर) बनाया जाना है ताकि भविष्य में उपज में वृद्धि के प्रति बैंक की सुरक्षा के लिए पर्याप्त रिज़र्व तैयार किया जा सके।

निवेश फ्लक्चुएशन रिज़र्व (आईएफआर) में स्थानांतरण निम्नरूप में होना चाहिए : -

ए) वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर शुद्ध लाभ या

बी) वर्ष के लिए शुद्ध लाभ जिसमें से अनिवार्य विनियोग को घटाया जाना है ,

जब तक आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो का 2% न हो जाए।

5. अग्रिम

5.1 भारत में अग्रिमों को मानक, अव-मानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार समय-समय पर ऐसे अग्रिमों पर हानियों के लिए प्रावधान किया जाता है । विदेशी शाखाओं के संबंध में, संबंधित देशों के विनियमों के आधार पर वर्गीकरण और प्रावधान बनाया जाता है या फिर भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंड पर, जो भी उच्चतर हो।

5.2 मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों को प्रावधानों के निवल के रूप में दिखाया गया है।

5.3 पुनर्रचित/पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए, प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं, जिसके अनुसार संबंधित ऋणों/ अग्रिमों खातों प्रावधानीकरण के अतिरिक्त ऋण / अग्रिम की पुनर्संरचना के पूर्व व बाद के उचित मूल्य को घटाया जाता है । उचित मूल्य में कमी और उपरोक्त से उत्पन्न ब्याज में कमी , यदि कोई हो, के प्रावधान को अग्रिमों से घटा दिया जाता है।

एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, एक खाते को निष्पादन परिसंपत्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है यदि यह विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

6. डेरिवेटिव्स

6.1. ब्याज सहित आस्तियों/ देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार उद्देश्यों लिए बैंक ने डेरिवेटिव अनुबंध किया है।

6.2. प्रतिरक्षा उद्देश्यों से किये गये व्युत्पन्न संविदा के संबंध में प्राप्तियों / देय निवल रकम की पहचान उपचय आधार पर की जाती है। ऐसी संविदा के समापन पर हुए लाभ या हानि को आस्थगित की गयी है और संविदा की शेष अवधि पर अथवा आस्ति/देयता जो भी पहले हो,पर इसकी पहचान की गयी है। ऐसी व्युत्पन्न संविदा बाजार को चिन्हित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि की पहचान नहीं की गयी है सिवाय तब जब कि व्युत्पन्न संविदा को आस्ति/देयता के साथ नामित किया जाता है जिसे भी बाजार को चिन्हित किया जाता है और जिस मामले में परिणामी लाभ या हानि पड़े हुए आस्ति/देयता के बाजार मूल्य के समायोजन के रूप में दर्ज किया जाता है।

6.3. उद्योग में प्रचलित सामान्य पद्धति के अनुसार कारोबार के उद्देश्य से किये गये व्युत्पन्न संविदा और बाजार मूल्य में हुए परिवर्तनों को लाभ- हानि खाते में पहचाना/मान्य किया जाता है। इन संविदाओं से संबंधित आय व व्यय को निपटान की तारीख पर मान्यता दी जाती है । कारोबार व्युत्पन्न संविदा के समापन पर लाभ या हानि को आय या व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

7. अचल आस्तियाँ (संपत्ति, संयंत्र व उपकरण)

7.1 पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर स्थाई आस्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दिखाया गया है ।

7.2 प्रबंधन द्वारा उपयुक्त समझी गयी दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

4.6 Broken period interest, Incentive / Front-end fees, brokerage, commission etc. received on acquisition of securities are taken to Profit and Loss account. Broken Period interest does not arise in case of Treasury Bills. Income is accounted based on the difference between the holding cost and the face value i.e. discount income.

4.7 Repo / Reverse Repo transactions are accounted as per RBI guidelines.

4.8 Investments held by overseas branches are classified and valued as per guidelines issued by respective overseas Regulatory Authorities.

4.9 All the investments are held by adopting the Weighted Average Pricing Method.

4.10 All the investments are held in the book on settlement date basis only.

4.11 Dividend income on investments is accounted on cash basis.

4.12 Investments are shown in the Balance Sheet at net off provision held in respect of Non Performing Investments.

4.13 Investments matured for payment are shown under "Other Assets" and underlying provisions held for Non Performing Investments is also netted off from the said investments.

4.14 An Investment is classified as HTM, HFT or AFS at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories, other than shifting / transfer from HFT to AFS Category, is done once in a year with the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is adjusted accordingly. Such transfer of securities from one category to another is done as per permission from or guidelines of Reserve Bank of India (RBI).

4.15 As per RBI Circular no. RBI/2017-18/147 DBR No. BP BC. 102/ 21.04.048/ 2017-18 dated April 2, 2018, from the year 2018-19 an Investment Fluctuation Reserve (IFR) is to be created to build up adequate reserves to protect the bank against increase in yields in future.

The Transfer to Investment Fluctuation Reserve (IFR) is to be the lower of the following: -

a) Net Profit on sale of investments during the year or

b) Net profit for the year less mandatory appropriations,

until the amount of IFR is atleast 2% of the HFT and AFS Portfolio, on a continuing basis.

5. Advances

5.1 Advances in India have been classified as 'Standard', 'Sub-standard', 'Doubtful' and 'Loss assets' and provisions for losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In case of overseas branches, the classification and provision is made based on the respective country's regulations or as per norms of Reserve Bank of India whichever is higher.

5.2 Advances are stated net of provisions, except general provisions for standard advances.

5.3 For Restructured / Rescheduled Assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which require that the difference between the fair value of the loans / advance before and after restructuring is provided for, in addition to provision for the respective loans/ advances. The Provision for Diminution in Fair Value and interest sacrifice, if any, arising out of the above is reduced from advances.

In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the Regulators.

6. Derivatives

6.1 The Bank enters into Derivative Contracts in order to hedge interest bearing assets/ liabilities, and for trading purposes.

6.2 In respect of derivative contracts which are entered for hedging purposes, the net amount receivable/ payable is recognized on accrual basis. Gains or losses on termination of such contracts are deferred and recognized over the remaining contractual life of the derivatives or the remaining life of the assets/ liabilities, whichever is earlier. Such derivative contracts are marked to market and the resultant gain or loss is not recognized, except where the derivative contract is designated with an asset/ liability which is also marked to market, in which case, the resulting gain or loss is recorded as an adjustment to the market value of the underlying asset/ liability.

6.3 Derivative contracts entered for trading purposes are marked to market as per the generally accepted practices prevalent in the industry and the changes in the market value are recognized in the profit and loss account. Income and expenses relating to these contracts are recognized on the settlement date. Gain or loss on termination of the trading derivative contracts are recorded as income or expense.

7. Fixed Assets (Property, Plant and Equipment)

7.1 Fixed Assets, except revalued premises, are stated at historical cost.

7.2 Depreciation is provided on straight-line method at the rates considered appropriate by the Management as under:

परिसर	2.50%
फ़र्नीचर	10%
विद्युत प्रतिष्ठापन, वाहन व कार्यालयीन उपकरण	20%
कम्प्यूटर	33 1/3%
अग्निशामक यंत्र	100%
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	33 1/3%

स्थाई आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन हिस्से पर मूल्यह्रास लाभ और हानि खाते से लिया जाता है और समकक्ष राशि को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से राजस्व भंडार में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

7.3 अधिग्रहण/पुनर्मूल्यांकन की तारीख पर ध्यान दिए बगैर मूल्य ह्रास का प्रावधान पूरे साल के लिए किया जाता है ।

7.4 जहाँ अलग-अलग लागतों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, वहाँ भूमि और भवन पर मूल्यह्रास का प्रावधान समग्र रूप में किया गया है ।

7.5 पट्टे वाली संपत्तियों के मामले में पट्टे की अवधि के दौरान प्रीमियम का चुकतान किया जाता है।

7.6 विदेशी शाखाओं की स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए संबंधित देश में लागू कानून पद्धति के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

8. स्टाफ़-सुविधाएँ

8.1 भविष्य निधि के अंशदान लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया जाता है ।

8.2 उपदान व पेंशन देयताओं के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर किया जाता है और उसे अनुमोदित उपदान एवं पेंशन निधि में अंशदानित किया जाता है। सेवानिवृत्ति व्यवस्था के मामलों में संचित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान वर्षांत पर सीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

8.3. विदेशी शाखाओं के मामले में उपदान का हिसाब संबंधित देशों में लागू कानून के अनुसार किया गया है ।

9. आय पर कर:

आयकर व्यय बैंक द्वारा मौजूदा कर व आस्थगित कर व्यय की गयी कुल राशि है । मौजूदा कर व्यय और आस्थगित कर व्यय का निर्धारण, विदेशी कार्यालयों में भुगतान किए गए कर , जो कि संबंधित न्यायाधिकार क्षेत्र के कर नियमों पर आधारित होता है , को ध्यान में रखते हुए आयकर अधिनियम 1961 व " आय पर करों के लेखांकन" से संबंधित लेखांकन मानक 22 के तहत किया जाता है। आस्थगित कर समायोजन में आस्तिगत कर आस्ति या देयता में वर्ष के दौरान होने वाले बदलाव शामिल हैं। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों की गणना वर्तमान वर्ष में कर योग्य आय एवं लेखांकन आय के बीच समयांतर के प्रभाव और अगले लाभ से घाटा-पूर्ति को विचार में लेकर की जाती है। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें तुलन-पत्र की तारीख में अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में लिया जाता है। आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान की जाती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उनका पुनर्मूल्यांकन, प्रबंधन के निर्णय के आधार पर कि उनकी वसूली यथोचित रूप से निश्चित मानी जाए या नहीं। आस्थगित कर संपत्तियों को अगले लाभ से कर घाटा-पूर्ति के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब आभासी निश्चितता के साथ इस बात का पुख्ता सबूत हो कि इस तरह की आस्थगित कर संपत्तियों को भविष्य के मुनाफे के खिलाफ वसूल किया जा सकता है।

10. प्रति शेयर अर्जन

सनदी लेखाकंन संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 20 ''इपीएस (प्रति शेयर अर्जन)" के अनुसार बैंक प्रति इक्विटी शेयर के आधार पर मूल और डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की रिपोर्ट करता है। मूल प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन का परिकलन वर्ष के लिए निवल लाभ को कुछ अवधि के दौरान बकाया शेयरों की धारित औसत से संभाजित किया गया है। डाइल्यूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर संभाव्य घटाव को दर्शाता है जो वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर ज़ारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य संविदाओं के उपयोग या परिवर्तन के कारण से हो सकता है। प्रति ईक्विटी शेयर डाइल्यूटेड आय का परिकलन भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या और अवधि के दौरान बकाया डाइल्यूटिव पोटेंशियल ईक्विटी शेयरों के घटाव के आधार पर किया गया है सिवाय उसके जहाँ परिणाम घटाव विरोधी रहते हैं।

11. आस्तियों की क्षति

बैंक प्रत्येक तुलन पत्र दिनांक को यह निर्धारित करता है कि क्या किसी आस्ति में घाटा होने का संकेत है। यदि कोई घाटा हो तो, उसे लाभ एवं हानि खाते में अनुमानित वसूली योग्य रकम से अधिक आस्ति रकम तक दर्शाया गया है।

12. सेगमेंट रिपोर्टिंग

आरबीआई के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में बैंक व्यापार खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को सेकेंडरी रिपोर्टिंग खंड के रूप में चिन्हित करता है ।

13. प्रावधानों प्रासंगिक देयताओं और प्रासंगिक आस्तियों के लिए लेखांकन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 29 के अनुसार जारी "प्रावधानों, प्रासंगिक देयताओं और प्रासंगिक आस्तियों" के अनुसरण में बैंक, प्रावधानों को मान्यता देता है जब अतीत की घटनाओं के कारण बैंक को वर्तमान में बाध्यता हो, ये भी संभवना है कि जब बाध्यताओं की राशि के लिए विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके तब बाध्यताओं को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह हो सकता है।

प्रावधानों का निर्धारण तुलन पत्र की तारीख को बाध्यताओं के निपटान के लिए प्रबंधन द्वारा किया गया है और निपटान के लिए प्रबंधन के अनुमान और उसी प्रकार के लेन-देनों द्वारा अनुपूरक के आधार पर निर्णय किया गया है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने हेतु समायोजित की जाती है। ऐसे मामलों में जहाँ उपलब्ध जानकारी यह संकेत देती है कि प्रासंगिकता का नुकसान संभव है लेकिन नुकसान की रकम का अनुमान लगाना संभव नहीं है इसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण में किया गया है।

वित्तीय विवरण में प्रासंगिक आस्ति को, यदि कोई हो तो, मान्यता नहीं दी जाती है या प्रकट नहीं किया जाता है।

Premises	2.50%
Furniture	10%
Electrical Installations, Vehicles & Office Equipment	20%
Computers	33 1/3 %
Fire Extinguishers	100%
Computer Software	33 1/3%

Depreciation on revalued portion of the fixed assets is charged to the profit and loss account and equivalent amount is transferred from Revaluation reserve to Revenue Reserves.

7.3 Depreciation is provided for the full year irrespective of the date of acquisition / revaluation.

7.4 Depreciation is provided on Land and Building as a whole where separate costs are not ascertainable.

7.5 In respect of leasehold properties, premium is amortized over the period of lease.

7.6 Depreciation on Fixed Assets of foreign branches is provided as per the applicable laws/practices of the respective countries.

8. Staff Benefits

8.1 Contribution to Provident Fund is charged to Profit and Loss Account.

8.2 Provision for gratuity and pension liability is made on actuarial basis and contributed to approved Gratuity and Pension Fund. Provision for encashment of accumulated leave payable on retirement or otherwise is made based on actuarial valuation at the year-end.

8.3 In respect of overseas branches gratuity is accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

9. Taxes on Income

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 – "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions. Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account. Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realization is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognized on carry forward of tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realized against future profits.

10. Earning per Share

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard - 20, "Earnings Per Share", issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net profit for the year by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year-end except where the results are anti-dilutive.

11. Impairment of Assets

The bank assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. Impairment loss, if any, is provided in the Profit and Loss Account to the extent the carrying amount of assets exceed their estimated recoverable amount.

12. Segment Reporting

The Bank recognizes the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by Institute of Chartered Accountants of India.

13. Accounting for Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

In accordance with Accounting Standard 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date, supplemented by experience of similar transactions. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. In cases where the available information indicates that the loss on the contingency is reasonably possible but the amount of loss cannot be reasonably estimated, a disclosure is made in the financial statements.

Contingent Assets, if any, are not recognized or disclosed in the financial statements.

अनुसूची 18

वर्ष 2022-23 हेतु समेकित वित्तीय विवरणों के खातों पर टिप्पणियाँ

समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) को आईसीएआई द्वारा जारी "समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए लेखांकन" पर लेखांकन मानक 21 (एएस 21), "एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन" पर लेखांकन मानक 23 (एएस 23) और "संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग" पर लेखांकन मानक 27 (एएस 27) के अनुसरण में तैयार किया जाता है ताकि के आरबीआई के दिशानिर्देशों से असंगत नहीं हों।

1. समेकित वित्तीय विवरणों में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (बैंक) और बैंक के निम्नलिखित अनुषंगी और संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण शामिल हैं:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	निवेश का प्रकार	निगमनो का देश	होल्डिंग का%
1	ओडिशा ग्राम्य बैंक	एसोसिएट	भारत	35%
2	इंड़िया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद	संयुक्त उद्यम	मलेशिया	35%

यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बैंक की 18.06% हिस्सेदारी है। चूंकि युनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में शेयरधारिता 25% से कम है, इसे आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संयुक्त उद्यम के रूप में नहीं माना गया है और इस प्रकार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए विचार में नहीं लिया गया है।

समेकित वितीय विवरणी में संयुक्त उपक्रम के हित को एएस 27 (संयुक्त उपक्रम में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग) की अनुपातिक समेकित पद्धति के अनुसार लेखे में शामिल किया गया है। तदनुसार, एफसीटीआर को दर्शाने वाले संयुक्त उपक्रम में रु 23.37 करोड़ के निवेश की रखाव लागत से ऊपर, निवल आस्तियों में अधिकता के हिस्से को आरक्षिती एवं अधिशेष के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाता है, यह ट्रांसलेशन अंतर को दर्शाता है।

बैंक की कोई अनुषंगी इकाई नहीं है।

2. एसोसिएट्स / संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण:

अ. सहयोगी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण बैंक की रिपोर्टिंग तिथि अर्थात 31.03.2023 तक और संयुक्त उद्यम अर्थात इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद (आइआइबीएमबी) के मामले में 31.12.2022 तक हैं। । जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है, 01.01.2022 से 31.03.2022 की अवधि के दौरान कोई महत्वपूर्ण लेन-देन या अन्य घटनाएँ नहीं हुई हैं जिनमें समायोजन की आवश्यकता है।

प्रबंधन के पास उपलब्ध विवरण के आधार पर संयुक्त उद्यम के संबंध में प्रकटीकरण दिया जाता है। इस तरह के विवरण की अनुपलब्धता के मामले में, प्रबंधन का विचार है कि ऐसे विवरण समेकित वित्तीय विवरणों के तहत प्रकटीकरण को अधिक प्रभावित नहीं करेंगे।

आ. सहयोगी में निवेश, जिसे ईक्विटी पद्धति के अंतर्गत एएस 23 (सहयोगी में निवेश के लिए लेखांकन) के अनुसार लेखांकित किया है, रु 575.37 करोड़ के ईक्विटी शेयर में निवेश की रखाव राशि को रु 170.84 करोड़ की निवल आस्ति में आइओबी के हिस्से के साथ समायोजित किया गया है और शेष रु 404.53 करोड़ को आरक्षिती एवं अधिशेष के शेष के साथ समायोजित किया गया है ताकि मूल्हास को दर्शाया जा सके।

इ. समेकित वितीय विवरणी में संयुक्त उपक्रम के हित को एएस 27 (संयुक्त उपक्रम में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग) की अनुपातिक समेकित पद्धति के अनुसार लेखे में शामिल किया गया है। तदनुसार, एफसीटीआर को दर्शाने वाले संयुक्त उपक्रम में रु 23.37 करोड़ के निवेश की रखाव लागत से ऊपर, निवल आस्तियों में अधिकता के हिस्से को आरक्षिती एवं अधिशेष के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाता है, यह ट्रांसलेशन अंतर को दर्शाता है।

ई. सहयोगी/ संयुक्त उपक्रम की आकस्मिक देयता में आइओबी के हिस्से की राशि को हटा दिया गया है क्योंकि वो आइओबी की देयता नहीं है।

3. समाधान

31.03.2023 तक अंतर-शाखा लेन-देन का समाधान पूरा कर लिया गया है और बकाया प्रविष्टियों को समाप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । प्रबंधन बकाया प्रविष्टियों के समाधान/उन्मूलन पर किसी महत्वपूर्ण परिणामी प्रभाव की आशा नहीं करता है।

4. पूंजी और आरक्षितियाँ

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने क्वालिफाएड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआइबी) द्वारा सब्सक्राइब किए गए निजी प्लेसमेंट के माध्यम से कुल 1,000 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रु 665 करोड़) के बेसल III टियर II बॉन्ड जारी किए हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने कोई ईक्विटी पूंजी नहीं जुटाई है। 31 मार्च 2023 को बैंक की प्रदत्त पूंजी रु 18902.41 करोड़ है। 31 मार्च 2023 को भारत सरकार की शेयरधारिता 96.38% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है। 31 मार्च 2023 को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती रु 2,753.15 करोड़ है।

Schedule 18

NOTES ON ACCOUNTS TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 2022-23

The consolidated financial statements (CFS) are prepared in accordance with Accounting Standard 21 (AS 21) on "Accounting for Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 23 (AS 23) on "Accounting for Investment in Associates" and Accounting Standard 27 (AS 27) on "Financial Reporting of Interests in Joint Venture" issued by the ICAI, to the extent they are not inconsistent with RBI guidelines.

1. The Consolidated Financial Statements comprise the financial statements of Indian Overseas Bank (Bank) and the following Associates and Joint Ventures of the Bank:

Sl. No	Name of the Company	Type of Investment	Country of Incorporation	% of Holding
1	Odisha Gramya Bank	Associate	India	35%
2	India International Bank (Malaysia) Berhad	Joint Venture	Malaysia	35%

The Bank is holding 18.06% in Universal Sompo General Insurance Company Ltd. Since the shareholding in the Company is less than 25%, the same has not been considered as Joint Venture as per extant RBI guidelines and thus not considered for preparation of consolidated Financial Statements.

The consolidated financial statements include the interest in JV which has been accounted in proportionate consolidation method as per AS 27 (Financial reporting of Interest in JV). Accordingly, the share of excess of net asset over the carrying cost of investment of Rs 23.37 crore in JV representing FCTR is reported under reserves and surplus, this represents the translation difference.

Bank does not have any subsidiary.

2. Financial Statements of Associates / Joint Venture:

a. The audited financial statements of the Associate have been drawn up to the same reporting date as that of the Bank i.e. 31.03.2023 and in case of JV viz: India International Bank (Malaysia) Bhd. (IIBMB), which have been drawn up to 31.12.2022. As certified by the Management, there are no significant transactions or other events during the period from 01.01.2023 to 31.03.2023 requiring adjustment therein.

   The disclosures in respect of Joint venture is given to the extent details available with the management. In the case of non-availability of such details, the management is of the view that the details would not materially impact disclosures under the consolidated financial statements.

b. The investment in Associate, which has been accounted under equity method as per AS 23 (Accounting for investment in Associates), the carrying amount of investment in equity share of Rs 575.37 crore is adjusted against IOB 's share of net assets of Rs 170.84 crore and the balance of Rs 404.53 Crore is adjusted against the balance in Reserves and Surplus to recognize the decline in the value.

c. The consolidated financial statement includes the interest in JV which has been accounted in proportionate consolidated method as per AS 27 (Financial Reporting of Interest in JV). Accordingly, the share of excess of net asset over the carrying cost of investment of Rs 23.37 Crore in JV representing FCTR is reported under reserves and surplus, this represents the translation difference.

d. The amount of IOB's share in contingent liability of Associate/JV has been removed since it is not the liability of IOB.

3. Reconciliation

Reconciliation of Inter Branch transactions has been completed up to 31.03.2023 and steps for elimination of outstanding entries are in progress. The Management does not anticipate any material consequential effect on reconciliation / elimination of outstanding entries.

4. Capital and Reserves

During the Financial Year 2022-23 Bank has issued Basel III Tier II Bonds aggregating to Rs. 1,000 Crore (Previous year Rs.665 Crore) through private placement subscribed by Qualified Institutional Buyers (QIBs).

During the current financial year 2022-23, Bank has not raised any equity capital. The paid up capital of the Bank stands at Rs.18902.41 crores as on March 31st 2023. The Government of India shareholding stands at 96.38% as on March 31st 2023.During the financial year 2022-23, there is no revaluation of immovable properties. The Revaluation Reserve as on March 31st 2023 stands at Rs.2753.15 Crore.

4. विनियामक पूंजी की संरचना (राशि करोड़ रु में)

क्रमांक	विवरण	2022-23	2021-22
i)	कॉमन ईक्विटी टीयर 1 पूंजी (सीईटी 1) / प्रदत्त शेयर पूंजी एवं अरक्षितियां @ (कटौती पश्चात, यदि कोई हो)	16 736.13	12 428.11
ii)	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी*/ अन्य टीयर 1 पूंजी@	0.00	0.00
iii)	टीयर 1 पूंजी (i + ii)	16 736.13	12 428.11
iv)	टीयर 2 पूंजी	4 188.83	3 622.20
v)	कुल पूंजी (टीयर 1+टीयर 2)	20 924.96	16 050.31
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	129 980.80	116 069.83
vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के तौर पर सीईटी 1) / आरडब्ल्यू@ के प्रतिशत के तौर पर प्रदत्त शेयर पूंजी	12.88%	10.71%
viii)	टीयर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के तौर पर टीयर 1 पूंजी)	12.88%	10.71%
ix)	टीयर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के तौर पर टीयर 2 पूंजी)	3.22%	3.12%
x)	जोखिम भारित आस्तियों के अनुपात में पूंजी (सीआरएआर) (आरडब्ल्यू के प्रतिशत के तौर पर कुल पूंजी)	16.10%	13.83%
xi)	लीवरेज अनुपात	5.14%	4.07%
xii)	शेयरधारिता का प्रतिशत		
	क) भारत सरकार	96.38%	96.38%
	ख) राज्य सरकार (नाम बताएं) $	लागू नहीं	लागू नहीं
	ग) प्रायोजक बैंक$	लागू नहीं	लागू नहीं
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई प्रदत्त ईक्विटी पूंजी की राशि	शून्य	2 465.42#
xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-ईक्विटी टीयर 1 पूंजी की राशि	शून्य	0.00
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टीयर 2 पूंजी में से बेसल ॥। टीयर ॥ बॉन्ड्स	1000.00	665.00

$ राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक की शेयरधारिता का प्रतिशत सिर्फ आरआरबी के लिए लागू है।

बैंक को 31.03.2021 को भारत सरकार से रुपए 4100 करोड़ (रुपए चार हजार एक सौ करोड़ मात्र) का पूंजी निवेश प्राप्त हुआ और दिनांक 02.06.2021 को ईक्विटी शेयर जारी और आबंटित किए गए हैं यानी 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले 246,54,23,932 ईक्विटी शेयर को नकद में रु 16.63 प्रति ईक्विटी शेयर के इश्यू प्राइस पर (प्रति ईक्विटी शेयर रु. 6.63 शेयर प्रीमियम के साथ)

प्रावधान एवं आकस्मिकताएं (राशि करोड़ रु में)

विवरण	2022-23	2021-22
निवेश में ह्रास / अवलेखन पर प्रावधान	1.35	249.25
एनपीए के लिए प्रावधान	2857.74	3 401.01
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(462.45)	187.66
पुनर्संरचित खातों के लिए प्रावधान	(12.85)	4.18
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर समेत)	249.46	69.52
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	1210.12	141.75
कुल	3843.38	4 053.37

5. निवेश फ्लक्चुएशन रिज़र्व

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2017-18/147 डीबीआर संख्या बीपी बीसी. 102/21.04.048/2017-18 दिनांकित 2 अप्रैल 2018 के अनुसार वर्ष 2018-19 से एक निवेश फ्लक्चुएशन रिजर्व (आइएफआर) बनाया जाना है ताकि भविष्य में आय में वृद्धि के प्रति बैंक की सुरक्षा के लिए पर्याप्त आरक्षितियाँ तैयार की जा सकें ।

4. Composition of Regulatory Capital (Rs. in Crores)

Sr. No.	Particulars	2022-23	2021-22
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1) / Paid up share capital and reserves@ (net of deductions, if any)	16 736.13	12 428.11
ii)	Additional Tier 1 capital*/ Other Tier 1 capital@	0.00	0.00
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	16 736.13	12 428.11
iv)	Tier 2 capital	4 188.83	3 622.20
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	20 924.96	16 050.31
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	129 980.80	116 069.83
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs) / Paid-up share capital and reserves as percentage of RWAs@	12.88%	10.71%
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	12.88%	10.71%
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	3.22%	3.12%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	16.10%	13.83%
xi)	Leverage Ratio	5.14%	4.07%
xii)	Percentage of the shareholding of		
	a) Government of India	96.38%	96.38%
	b) State Government (specify name)$	N.A	NA
	c) Sponsor Bank$	N.A	NA
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	Nil	2 465.42#
xiv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year	Nil	0.00
xv)	Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which Basel III Tier II Bonds	1000.00	665.00

$ Percentage of shareholding of State Government and Sponsor Bank is applicable only for RRBs.

The Bank received a capital infusion of Rs.4100 crore (Rupees Four Thousand One Hundred Crore Only) from Government of India on 31.03.2021 and the equity shares were issued and allotted on 02.06.2021 i.e. 246,54,23,932 equity shares of face value of Rs.10 each for cash at issue price of Rs.16.63 per equity shares (including premium of Rs.6.63 per equity share)

Provisions and contingencies (Amounts in ₹crore)

Particulars	2022-23	2021-22
Provisions for depreciation on Investment / Written back	1.35	249.25
Provision towards NPA	2857.74	3401.01
Provision towards Standard Assets	(462.45)	187.66
Provision for Restructured accounts	(12.85)	4.18
Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax & Wealth Tax)	249.46	69.52
Other Provision and Contingencies	1210.12	141.75
Total	**3843.38**	**4053.37**

5. Investment Fluctuation Reserve

As per RBI circular number RBI/2017-18/147 DBR. No. BP BC .102/ 21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018, from the year 2018-2019, an Investment Fluctuation Reserve (IFR) is to be created to build up adequate reserves to protect the bank against increase in yields in future.

आइएफआर में स्थानांतरण निम्नरूप में होना चाहिए:

ए) वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर शुद्ध लाभ या

बी) वर्ष के लिए शुद्ध लाभ जिसमें से अनिवार्य विनियोग को घटाया जाना है, जब तक आइएफआर राशि निरंतर आधार पर एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो का 2% न हो जाए।

6. आरक्षितियों से आहरण

वर्ष 2022-23 के दौरान आरक्षितियों से आहरण शून्य है।

हालांकि, जैसा कि नीचे दिया गया है चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक शुद्ध लाभ के 25% के सांविधिक रिजर्व का विनियोजन करने के संबंध में आरबीआई -आरएआर 2021 टिप्पणियों का पालन करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन पर दिनांक 18.02.2022 के अपने पत्र के माध्यम से आरक्षतियों से आहरण को प्रभावित किया है।

(रुपये करोड़ में)

से	तक	राशि
पूंजी आरक्षितियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियां को छोड़कर)	सांविधिक आरक्षितियां	142.05
लाभ और हानि खाता	सांविधिक आरक्षितियां	65.82

7. कर

7.1 प्रबंधन की राय में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेबी (न्यूनतम वैकल्पिक कर) के तहत प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं। अत:, बैंक ने आयकर के प्रावधान के लिए कोई राशि प्रदान नहीं की है।

7.2 अग्रिम भुगतान किया गया कर (प्रावधानों का शुद्ध) समाधान के अधीन है। यह लंबित मूल्यांकन/अपील के तहत/विवाद के तहत भुगतान किए गए कर के कारण है। [अनुसूची 11(iii) देखें]।

7.3 अपीलकर्ता प्राधिकारियों के निर्णयों, न्यायिक संघोषणाओं और कर विशेषज्ञों की राय पर विचार करने के पश्चात विवादित रकम और अन्य माँगों के संबंध में आय कर से संबंधित रु. 9081.37 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 7409.24 करोड़) एवं सेवा कर से संबंधित रु. 220.52 करोड़ (पिछले वर्ष 122.33 करोड़) एवं कुल वस्तु एवं सेवा कर रु 1648.68 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) हेतु किसी भी प्रकार का प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

7.4 वर्ष के लिए कर व्यय रु. 249.45 करोड़ है जिसमें रु. 20.60 करोड़ का मौजूदा कर व्यय और रु.228.85 करोड़ का आस्थगित कर शामिल है – नोट सं. 18.8 का संदर्भ लें ।

7.5 वर्तमान में आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बैंक ने मौजूदा कर पद्धति को जारी रखने का निर्णय लिया है । साथ ही बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा “आय पर कर हेतु लेखांकन” विषय पर आधारित लेखांकन मानक 22 के अनुसार रु. 228.85 करोड़ (गत वर्ष रु. 37.81 करोड़) की राशि और समायोजन यदि किसी भी उचित स्तर पर पाया जाता है तो उसे 31.03.2023 को निवल आस्थगित कर आस्ति के रूप में माना है ।

वर्ष के दौरान आयकर के लिए किए गए प्रावधान की राशि:

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
आयकर के लिए प्रावधान	20.60	31.71
आस्थगित कर के लिए प्रावधान	228.85	37.81
निवल प्रावधान	249.45	69.52

8. चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) पर स्थिति

बैंकों को वर्ष के दौरान उनके द्वारा जारी किए गए सभी चुकौती आश्वासन पत्रों (एलओसी) के पूर्ण विवरण का खुलासा करना चाहिए, जिसमें उनके मूल्यांकन किए गए वित्तीय प्रभाव के साथ उनके द्वारा पूर्व में जारी किए गए एलओसी के तहत उनके संचयी वित्तीय दायित्वों का मूल्यांकन भी शामिल है जिसे प्रकाशित वित्तीय विवरण के “नोट्स टू अकाउंट्स" के हिस्से के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

विवरण		वित्त वर्ष 2022-23
वर्ष के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र	-	शून्य
31.3.2023 को बकाया चुकौती आश्वासन पत्र	-	3
आकलित वित्तीय प्रभाव	-	शून्य
संचयी आंकलित वित्तीय दायित्व	-	शून्य

31 मार्च, 2023 तक एलओसी के बकाया की संचयी स्थिति:

1. वर्ष 2009-10 के दौरान, बैंक ने बैंकॉक शाखा के संबंध में 12% के न्यूनतम सीआरएआर बनाए रखने और प्रतिधारित आय के प्रति पूंजीगत निधियों में परिवर्तित करने और/या अतिरिक्त पूंजी डालने की व्यवस्था करने के लिए ताकि सीआरएआर को न्यूनतम 12% पर बनाए रखा जाए, एक चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) जारी किया है जोकि आरबीआई से अनुमोदन के अधीन है । 31.03.2023 को बैंकॉक शाखा की नियत पूंजी टीएचबी 2200 मिओ (25.97) है।

सबसे बुरी स्थिति में यदि शाखा का संपूर्ण टेक्सटाइल एक्सपोजर के एनपीए होने पर हमें मानक कपड़ा अनारक्षित के असुरक्षित हिस्से हेतु टीबीएच 92.854 मिओ की सीमा तक का अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ सकता है। यदि यह आकस्मिकता उत्पन्न होती है, तो कोई अतिरिक्त पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि मौजूदा आरक्षितियाँ अनारक्षित राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं।

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक नेगारा मलेशिया को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया गया था। बैंक अन्य संयुक्त उद्यम साझेदारों के साथ मिलकर इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद (आइआइबीएमबी) की फंडिंग, कारोबार और अन्य मामलों में, जब भी उनकी आवश्यकता होगी, सहायता करेगा और सुनिश्चित करेगा कि वो अपने कारोबार परिचालन एवं प्रबन्धन में मलेशियाई कानून, विनिमयनों एवं नीतियों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है। नेगारा मलेशिया को जारी लेटर ऑफ कंफर्ट का वित्तीय प्रभाव एमवाईआर 330 मियो यानि विभिन्न तिथियों पर एमवाईआर 115.50 मियो के प्रदत्त पूंजी के 35% के हमारे हिस्से तक है।

The Transfer to IFR is to be the lower of the following –

a. Net profit on sale of Investments during the year or

b. Net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis.

6. Draw down from Reserves

Drawdown from the reserves during the financial year 2022-23 is NIL.

However, to comply with the RBI-RAR 2021 observations regarding appropriation of 25% of Net Profit of FY 2020-21 to Statutory Reserve, Bank with the approval of Reserve Bank of India vide their letter dated 18.02.2022 has effected the draw-down of reserve as given below:

(Rs. in crores)

From	To	Amount
Capital Reserve (Excluding Revaluation Reserve)	Statutory Reserve	142.05
Profit & Loss Account	Statutory Reserve	65.82

7. Taxes

7.1 In the opinion of management provisions under section 115 JB (Minimum Alternate Tax) of the Income Tax Act 1961 are not applicable to the Bank. Therefore, bank has not provided any amount towards provision for Income tax.

7.2 Tax paid in advance (Net of provisions) is under reconciliation. This is on account of amounts pending assessment/under appeal/ tax paid under dispute. [Refer Schedule 11(iii)].

7.3 Taking into consideration the decisions of Appellate Authorities, certain judicial pronouncements and the opinion of tax experts, no provision is considered necessary in respect of disputed and other demands of income tax aggregating Rs. 9081.37 Crore (previous year Rs. 7409.24 Crore), Service Tax aggregating to Rs.220.52 Crore (previous year Rs.122.33 crore) and Goods and Service Tax aggregating to Rs.1648.68 Crore (Previous year Nil).

7.4 Tax expense for the year amounting to Rs.249.45 crore includes Current Tax expense of RS.20.60 crore and Deferred Tax expense of Rs 228.85 crore – refer note no. 18.8.

7.5 The Bank based on internal evaluation presently has decided to continue with the existing tax regime. Further, the Bank has recognized net Deferred Tax liability as on March 31st 2023 aggregating to Rs.228.85 crore (PY Rs.37.81 crore) on timing differences in accordance with Accounting Standard – 22 on “Accounting for Taxes on Income” issued by the Institute of Chartered Accountants of India and adjustments if any to be carried out on reassessment at appropriate stage.

Amount of provision made for Income Tax during the year:

(Rs. in Crores)

Particulars	2022-23	2021-22
Provision for Income Tax	20.60	31.71
Provision for Deferred Tax	228.85	37.81
Net Provision	249.45	69.52

8. Status on Letters of Comfort (LoC)

Banks should disclose the full particulars of all the letters of comfort (LoCs) issued by them during the year, including their assessed financial impact , as also their assessed cumulative financial obligations under the LoCs issued by them in the past and outstanding, in its published financial statements, as part of the “Notes to Accounts”

Particulars		FY 2022-23
Letters of Comfort issued during the year	-	NIL
Letters of Comfort outstanding as on 31.3.2023	-	3
Assessed Financial impact	-	NIL
Cumulative Assessed Financial Obligation	-	NIL

Cumulative position of LOC’s outstanding as on March 31, 2023:

1. During the year 2009-10, the Bank has issued a Letter of Comfort (LoC) undertaking to maintain a minimum CRAR of 12% in respect of Bangkok branch and to arrange to convert retained earnings to capital funds and/or infuse further capital in order to restore the CRAR to a minimum of 12%, subject to approval from Reserve Bank of India. The assigned capital of Bangkok Branch stands at THB 2200 Mio(25.97) as on March 31st 2023.

   In the worst case scenario of the entire textile exposure of the branch becoming NPA. We may have to make additional provision to the extent of THB 92.854 Mio being unsecured portion of standard textile advances. If this contingency arises, there would be no additional capital to be remitted as existing reserves are adequate to cover the unsecured amount

   During the year 2010-11 has issued a letter of Comfort favoring Bank Negara Malaysia. The Bank in association with other Joint Venture partners will provide support to India International Bank (Malaysia) Berhad in funding, provide support to India International (Malaysia) Berhad in funding, business and other matters as and when required and ensure that it complies with the requirements of the Malaysian laws, regulations and policies in the conduct of its business operations and management. The financial impact of the Letter of Comfort issued to bank Negara Malaysia is to the tune of our share of 35% of the paid up capital of MYR 330 Mio i.e., MYR 115.500 Mio on various dates

मेजबान देश के नियामक दिशानिर्देशों के आधार पर, बैंक ने आइओबी-श्रीलंका शाखा द्वारा किए गए व्यवसाय से उत्पन्न सभी दायित्वों और देनदारियों को पूरा करने के लिए दिनांक 12.09.2019 को आयोजित बैठक में सीबीएसएल के पक्ष में लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया है।

9. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों (एएस) के संदर्भ में प्रकटीकरण

9.1 लेखांकन मानक 5 – अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

वित्तीय विवरणी को उन्हीं लेखांकन नीतियों व पॉलिसियों के आधार पर तैयार किया गया है जिनका पालन 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए किया गया था।

9.2 लेखांकन मानक 9 – राजस्व मान्यता

महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसी – अनुसूची 17 में मद सं. 2 में वर्णितानुसार राजस्व को मान्यता दी गयी है ।

9.3. लेखांकन मानक 15 – कर्मचारी लाभ (मूल बैंक)

i. बैंक ने 01 अप्रैल 2007 से भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''कर्मचारियों के लाभ'' संबंधी लेखांकन मानक 15 (परिशोधित) को अपनाया है।

ii. लेखांकन मानक-15 (परिशोधित) के अनुसार अपेक्षित लाभ व हानि खाते और तुलन पत्र में पहचाने गए नियोजन-उत्तर लाभों और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की स्थिति का सारांश निम्नवत है;

(क) **परिभाषित लाभ योजनाएँ**

बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**
वर्ष के आरंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	10 363.22	9 856.98	1 200.55	913.11	516.13	506.57
ब्याज लागत	735.23	674.21	85.31	57.72	36.33	31.60
वर्तमान सेवा लागत	279.52	256.02	78.70	72.68	56.88	43.37
प्रदत्त लाभ	(1 067.96)	(1 166.10)	(120.21)	(186.44)	(60.75)	(111.59)
बाध्यताओं पर वास्तविक नुकसान / (लाभ)	1 004.24	742.11	57.83	343.48	27.68	46.18
वर्ष के अंत में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	11 314.24	10 363.22	1 302.17	1 200.55	576.27	516.13

(ख) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन (रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य	10 363.23	9 856.98	1 225.20	1 295.29	0.00	--
योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	782.28	710.44	91.81	84.63	0.00	--
नियोक्ता का अंशदान	1 202.74	915.48	124.65	--	60.75	111.59
प्रदत्त लाभ	(1 067.96)	(1 166.10)	(120.21)	(186.44)	(60.75)	(111.59)
बाध्यताओं पर वास्तविक (नुकसान) / लाभ	33.96	46.43	5.37	31.72	0.00	--
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	11 314.25	10 363.23	1 326.82	1 225.20	0.00	--
गैर निधीय संक्रमणकालीन देयता	--	--	--	--	--	--

Based on the host country regulators guidelines, Bank has issued letter of Comfort favoring CBSL at its meeting held on 12.09.2019 for meeting all obligations and liabilities arising out of business carried on by IOB Srilanka Branch

9. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)

9.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies

The financial statements have been prepared following the same accounting policies and practices as those followed for the year ended March 31, 2022.

9.2 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

Revenue has been recognized as described in item No. 2 of Significant Accounting Policies – Schedule 17.

9.3. Accounting Standard 15 – Employee Benefits (Parent Bank)

i. The Bank had adopted Accounting Standard 15 (Revised) "Employees Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, with effect from 1st April, 2007.

ii. The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) are as under: -

(a) Defined Benefit Schemes:

Changes in the present value of the obligations (Rs. In Crores)

PARTICULARS	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Present Value of obligation as at the beginning of the year	10 363.22	9 856.98	1 200.55	913.11	516.13	506.57
Interest Cost	735.23	674.21	85.31	57.72	36.33	31.60
Current Service Cost	279.52	256.02	78.70	72.68	56.88	43.37
Benefits Paid	(1 067.96)	(1 166.10)	(120.21)	(186.44)	(60.75)	(111.59)
Actuarial loss/(gain) on Obligations	1 004.24	742.11	57.83	343.48	27.68	46.18
Present Value of Obligation at year end	11 314.24	10 363.22	1 302.17	1 200.55	576.27	516.13

(b) Change in Fair Value of Plan Asset (Rs. In Crores)

PARTICULARS	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	10 363.23	9 856.98	1 225.20	1 295.29	0.00	--
Expected return on Plan Assets	782.28	710.44	91.81	84.63	0.00	--
Employer's contribution	1 202.74	915.48	124.65	--	60.75	111.59
Benefit Paid	(1 067.96)	(1 166.10)	(120.21)	(186.44)	(60.75)	(111.59)
Actuarial gain/(loss) on Obligations	33.96	46.43	5.37	31.72	0.00	--
Fair Value of Plan Asset at the end of the year	11 314.25	10 363.23	1 326.82	1 225.20	0.00	--
Unfunded Transitional Liability	--	--	--	--	--	--

(ग) तुलन पत्र में पहचानी गयी रकम (रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का अनुमानित वर्तमान मूल्य	11 569.76	10 703.91	1 302.17	1 200.55	576.27	516.13
वर्ष के अंत में तक योजना आस्ति का उचित मूल्य	11314.25	10 363.23	1 326.82	1 225.20	0.00	--
तुलन पत्र में पहचानी गई अनिधिक निवल देयता	*(255.51)	*(340.68)	0.00	--	576.27	516.13
तुलन पत्र में पहचानी गई निधिक निवल परिसंपत्तियों	0.00	--	24.65	24.65	0.00	--

*सरकारी दिशानिर्देशों के कारण पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण अतिरिक्त देयता, बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार रु. 425,85,83,225/- है। आरबीआई के परिपत्र आरबीआई/2021-22/105/डीओआर.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 04.10.2021 के अनुसार बैंकों को पांच साल की अवधि में कुल देनदारियों का परिशोधन करने की अनुमति है। बैंक ने आरबीआई के उक्त प्रावधान को चुना है और 31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए न्यूनतम 85,17,16,645/- रुपये की राशि का शुल्क लिया है। रु 255,51,49,935 की शेष परिशोधित राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

(घ) लाभ व हानि में पहचाने गए व्यय (रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
वर्तमान सेवा लागत	279.52	256.02	78.70	72.68	56.88	43.37
ब्याज लागत	735.23	674.21	85.31	57.72	36.33	31.60
योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	(782.28)	(710.44)	(91.81)	(84.63)	0.00	0.00
वर्ष में पहचाना गया निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	970.28	695.68	52.46	311.76	27.68	46.18
लाभ व हानि खाते में प्रभारित करने योग्य कुल व्यय	1 202.74	915.47	124.65	357.53	120.89	121.15
।। पेंशन विकल्पियों / पीएफ में नियोक्ता के अंशदान से प्राप्त रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ड़) पेंशन व ग्रैच्युटी न्यास द्वारा अनुरक्षित निवेश प्रतिशतता: (% में आंकड़े)

विवरण	पेंशन न्यास		ग्रैच्युटी न्यास	
	2022	2021	2022	2021
क) ऋण लिखतें				
केंद्र सरकार प्रतिभूतियाँ	3.41	3.06	8.67	8.09
राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	2.58	1.85	17.32	24.32
पीएसयू/ पीएफआइ/कार्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश	4.50	3.47	12.75	12.18
अन्य निवेश	88.83	91.16	58.95	53.42
ख) ईक्विटी लिखतें	0.68	0.46	2.31	1.99

(c) Amount recognized in Balance Sheet (Rs. In Crores)

PARTICULARS	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Estimated Present value of obligations as at the end of the year	11 569.76	10 703.91	1 302.17	1 200.55	576.27	516.13
Actual Fair value of Plan Assets as at the end of the year	11314.25	10 363.23	1 326.82	1 225.20	0.00	--
Unfunded Net Liability recognized in Balance Sheet	*(255.51)	*(340.68)	0.00	--	576.27	516.13
Funded Net Assets to be recognized in Balance Sheet	0.00	--	24.65	24.65	0.00	--

* The additional liability on account of enhancement in family pension on account of Government guidelines, works out of Rs 425,85,83,225 as per the Actuarial valuation. As per Reserve Bank of India circular RBI/2021-22/105/DOR.ACC. REC.57/21.04.018/2021-22 dated 04.10.2021 banks are permitted to amortise the total liabilities over the period of five years. The Banks has opted the said provision of Reserve Bank of India and has charged minimum amount of Rs 85,17,16,645 for the year ended March 31st 2023. The Balance unamortized expenses of Rs 255,51,49,935 has been carried forward.

(d) Expenses Recognized in Profit & Loss (Rs. In Crores)

PARTICULARS	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Current Service Cost	279.52	256.02	78.70	72.68	56.88	43.37
Interest Cost	735.23	674.21	85.31	57.72	36.33	31.60
Expected return on Plan Asset	(782.28)	(710.44)	(91.81)	(84.63)	0.00	0.00
Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the year	970.28	695.68	52.46	311.76	27.68	46.18
Total expenses chargeable in Profit & Loss Account	1 202.74	915.47	124.65	357.53	120.89	121.15
Amount received from II Pension optees/ employer's contribution of PF	N.A	N.A.	N.A	N.A.	N.A	N.A.

(e) Investment percentage maintained by Pension & Gratuity Trust: (Figures in %)

PARTICULARS	Pension Trust		Gratuity Trust	
	2023	2022	2023	2022
a) Debt Instruments				
Central Government Securities	3.41	3.06	8.67	8.09
State Government Securities	2.58	1.85	17.32	24.32
Investment in PSU /PFI / Corporate Bonds	4.50	3.47	12.75	12.18
Other Investments	88.83	91.16	58.95	53.42
b) Equity Instruments	0.68	0.46	2.31	1.99

च) तुलन-पत्र की तारीख तक मूल वास्तविक अनुमान (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त) (% में आंकड़े)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
बट्टा दर	7.48	7.27	7.56	7.48	7.56	7.48
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ दर	7.50	7.30	7.48	7.04	0	0
वेतन वृद्धि की प्रत्याशित दर	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
पेंशन वृद्धि	4.00	4.00	-	-	-	-
पलायन दर	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00
मोर्टैलिटी	2012-14 संशोधित अंतिम		2012-14 अंतिम		2012-14 अंतिम	
अपनायी गयी पद्धति	अनुमानित यूनिट क्रेडिट		अनुमानित यूनिट क्रेडिट		अनुमानित यूनिट क्रेडिट	

7) अनुभवगत समंजन (रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)					ग्रैच्युटी (निधिक)					अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)				
	2023	2022	2021	2020	2019	2023	2022	2021	2020	2019	2023	2022	2021	2020	2019
योजना आस्तियों पर अनुभवगत समंजन हानि/(लाभ)	(33.96)	(46.43)	102.28	(32.05)	44.11	(5.37)	(31.72)	31.56	(20.96)	2.59	-	-	-	-	-
योजना देयताओं पर अनुभवगत समंजन हानि/(लाभ)	1 004.24	742.11	864.20	430.22	336.01	66.00	375.22	39.11	(356.18)	(52.77)	32.00	68.06	11.82	18.52	29.71

बीमांकक मूल्यांकन के तहत भावी वेतन वृद्धि के अनुमानों में, योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ,मुद्रास्फीति, वरीयता, पदोन्नति और अन्य संबंधित कारकों यथा कर्मचारी बाज़ार में माँग व आपूर्ति को हिसाब में लिया गया है।

विदेशी शाखाओं के संबंध में, कर्मचारी लाभ योजना के लिए यदि कोई प्रकटीकरण अपेक्षित है तो सूचना के अभाव में नहीं किया गया है।

(ज) परिकलनों के लिए किए गए वित्तीय अनुमान निम्नवत हैं:

बट्टा दर : बट्टा दर को सरकारी बाँडों पर बाजार लाभ के संदर्भ मूल्यांकन की तारीख (तुलन - पत्र दिनांकित 31.03.2022) के अनुसार तय किया गया है ।

प्रत्याशित वापसी दर: आस्तियों पर कुल मिलाकर प्रत्याशित लाभ दर उस तिथि पर प्रचलित बाजार मूल्य पर तय की जाती है, जिस अवधि में लागू तिथि पर दायित्वों का निपटारा किया जाना है। अगले वित्तीय वर्ष में अपेक्षित अदायगी वाली ग्रैच्युटी के लिए बैंक का सर्वोत्तम आकलन रु.126.00 करोड़ है ।

9.4 लेखांकन मानक 17 – समेकित वित्तीय विवरणों पर खण्ड रिपोर्टिंग

खण्ड रिपोर्टिंग के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अप्रैल 2007 में जारी संशोधन दिशानिर्देशों को अपनाया है, जिसके अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले खण्डों को राजकोष, कार्पोरेट / थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग व अन्य बैंकिंग परिचालनों मे वर्गीकृत किया है।

(f) Principal actuarial assumptions at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average) (Figures in %)

PARTICULARS	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Discount Rate	7.48	7.27	7.56	7.48	7.56	7.48
Expected rate of return on Plan Assets	7.50	7.30	7.48	7.04	0	0
Expected Rate of Salary increase	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Pension increase	4.00	4.00	-	-	-	-
Attrition rate	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Mortality	2012-14 Modified Ultimate		2012-14 Ultimate		2012-14 Ultimate	
Method used	Projected unit credit		Projected unit credit		Projected unit credit	

(g) Experience Adjustments (Rs. In Crores)

PARTICULARS	PENSION (Funded)					GRATUITY (Funded)					LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)				
	2023	2022	2021	2020	2019	2023	2022	2021	2020	2019	2023	2022	2021	2020	2019
Experience adjustment on Plan assets Loss/ (Gain)	(33.96)	(46.43)	102.28	(32.05)	44.11	(5.37)	(31.72)	31.56	(20.96)	2.59	--	--	--	--	--
Experience adjustment on Plan Liabilities Loss/ (Gain)	1 004.24	742.11	864.20	430.22	336.01	66.00	375.22	39.11	(356.18)	(52.77)	32.00	68.06	11.82	18.52	29.71

The estimates of future salary increases, considered in actuarial valuation, take into account actual return on plan assets, inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employee market.

In respect of overseas branches, disclosures if any required for Employee Benefit Schemes are not made in the absence of information.

h) The financial assumptions considered for the calculations are as under: -

Discount Rate: The discount rate has been chosen by reference to market yield on government bonds as on the date of valuation (Balance sheet dated 31.03.2022).

Expected Rate of Return: The Overall expected rate of return on assets is determined based on the market prices prevailing on that date applicable to the period over which the obligation is to be settled. Bank's best estimate expected to be paid in next Financial Year for Gratuity is Rs.126.00 crores.

9.4 Accounting Standard 17 – Segment Reporting on the Consolidated Financials

The Bank has adopted Reserve Bank of India's revised guidelines issued in April 2007 on Segment Reporting in terms of which the reportable segments have been divided into Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and Other Banking Operations.

भाग ए : कारोबार खण्ड

(रु. करोड़ में)

कारोबार खण्ड	राजकोष		कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
विवरण	**2022-23**	**2021-22**	**2022-23**	**2021-22**	**2022-23**	**2021-22**	**2022-23**	**2021-22**	**2022-23**	**2021-22**
राजस्व	6 666.61	7 442.65	66 45.75	6 087.86	9 619.76	7 477.69	575.37	463.87	**23507.49**	**21 472.07**
परिणाम	888.61	1 885.46	742.14	1 050.51	3909.84	2 343.90	400.07	322.54	**5940.66**	**5 602.41**
अनाबंटित आय									**1.58**	**160.81**
अनाबंटित व्यय									**1.51**	**0.31**
परिचालनगत लाभ/हानि									**5 942.17**	**5 762.91**
आय कर									**0**	**69.52**
प्रावधान व आकस्मिकताएँ									**3 593.95**	**3 983.85**
असाधारण लाभ / हानि									**0.00**	**0.00**
निवल लाभ									**2348.22**	**1 709.54**
अन्य सूचना										
खण्डवार आस्तियाँ	103211.70	113119.49	98471.30	82075.39	101371.87	93593.78	131.15	150.87	**303185.45**	**288 939.53**
अनाबंटित आस्तियाँ									**10 559.80**	**10 437.63**
कुल आस्तियाँ									**313745.82**	**299 377.16**
खण्डवार देयताएँ	102119.91	106809.35	91562.64	78963.58	94590.37	90376.63	151.16	181.53	**288424.08**	**276 328.09**
अनाबंटित देयताएं									**58.81**	**0.48**
कुल देयताएं									**288482.89**	**276 376.77**

नोट नंबर 1 - जेवी-आइआइबीएमबी की खंड रिपोर्ट में खंड आस्तियों व देयताओं का विवरण नहीं है। इसलिए, समेकित खंड परिणाम में स्टैंडअलोन के ट्रेजरी संचालन (संपत्ति) के संबंध में 113119.49 करोड़ रुपये का आंकड़ा बरकरार रखा गया है।

नोट नंबर 2 - जेवी-आइआइबीएमबी की खंड रिपोर्ट में खंड आस्तियों व देयताओं का विवरण नहीं है। इसलिए, समेकित खंड परिणाम में स्टैंडअलोन के ट्रेजरी संचालन (देयताओं) के संबंध में 106809.35 करोड़ रुपये का आंकड़ा बरकरार रखा गया है।

Part A: Business Segments

(Rs. in Crores)

Business Segments	**Treasury**		**Corporate / Wholesale Banking**		**Retail Banking**		**Other Banking Operations**		**TOTAL**	
Particulars	**2022-23**	**2021-22**	**2022-23**	**2021-22**	**2022-23**	**2021-22**	**2022-23**	**2021-22**	**2022-23**	**2021-22**
Revenue	6 666.61	7 442.65	66 45.75	6 087.86	9 619.76	7 477.69	575.37	463.87	**23507.49**	**21 472.07**
Result	888.61	1 885.46	742.14	1 050.51	3909.84	2 343.90	400.07	322.54	**5940.66**	**5 602.41**
Unallocated Income									**1.58**	**160.81**
Unallocated Expenses									**1.51**	**0.31**
Operating Profit/Loss									**5 942.17**	**5 762.91**
Income Taxes									**0**	**69.52**
Provisions & Contingencies									**3 593.95**	**3 983.85**
Extraordinary profit / loss									**0.00**	**0.00**
Net Profit									**2348.22**	**1 709.54**
OTHER INFORMATION										
Segment Assets	103211.70	113 119.49	98 471.30	82 075.39	101 371.87	93 593.78	131.15	150.87	**303 185.45**	**288 939.53**
Unallocated Assets									**10 559.80**	**10 437.63**
Total assets									**313 745.82**	**299 377.16**
Segment Liabilities	102 119.91	106 809.35	91562.64	78 963.58	94590.37	90 376.63	151.16	181.53	**288 424.08**	**276 328.09**
Unallocated Liabilities									**58.81**	**0.48**
Total Liabilities									**288 482.89**	**276 376.77**

Note No.1 – The segment report of JV-IIBMB does not have the details of Segment Assets and Liabilities. Hence, the figure of Rs.113119.49 crores regarding Treasury Operations (Assets) of Standalone has been retained in the Consolidated Segment Result.

Note No.2 – The segment report of JV-IIBMB does not have the details of Segment Assets and Liabilities. Hence, the figure of Rs.106809.35 crores regarding Treasury Operations (Liabilities) of Standalone has been retained in the Consolidated Segment Result.

भाग ख - भौगोलिक खण्ड

(रु. करोड़ में)

विवरण	देशी		अंतरराष्ट्रीय		कुल	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
राजस्व	22 946.46	21 215.60	562.61	417.28	**23 509.07**	**21 632.88**
आस्तियाँ	303 132.96	292 233.50	10 612.87	7 143.66	**313 745.82**	**299 377.16**

*वित्त वर्ष 2022-23 के आंकड़े स्टैंडअलोन वित्तीय आंकड़ों पर आधारित हैं।

9.5 लेखांकन मानक 18 – संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

विवरण निम्नवत है :

ए) संबंधित पार्टियों का नाम व उनके संबंध

क) एसोसिएट्स – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ; ओडिशा ग्राम्य बैंक

ख) संयुक्त उद्यम : इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद लिमिटेड

ग) मुख्य प्रबंधन कार्मिक :

(i) श्री अजय कुमार श्रीवास्तव , प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (01.01.2023 से प्रभावी)

(ii) श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता , प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (31.12.2022 तक)

(iii) श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक (31.12.2022 तक)

(iv) सुश्री एस. श्रीमती , कार्यपालक निदेशक

(v) श्री संजय विनायक मुदालियर, कार्यपालक निदेशक (01.01.2023 से प्रभावी)

(ख) संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन:

2021-22 व 2022-23 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को वेतन और निष्पादन प्रोत्साहन का विवरण:

(राशि रु. में)

पूर्णकालिक निदेशक का नाम	पारिश्रमिक * (2022-23)	पारिश्रमिक * (2021-22)
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (का. नि.)		
01.04.2022 to 30.09.2022	19,64,990.00	
01.10.2022 to 31.12.2022	15,35,700.00	
कुल	35,00,690.00	32,65.002.00
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (एमडी व सीईओ)		
01.01.2023 to 31.03.2023	9,12,876.00	
श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता (एमडी व सीईओ)		
01.04.2022 to 30.09.2022	22,76,284.00	34,71,378.00
01.10.2022 to 31.12.2022	16,20,280.78	
कुल	38,96,564.78	

Part B – Geographic segments (Rs. in Crores)

Particulars	Domestic		International		Total	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Revenue	22 946.46	21 215.60	562.61	417.28	**23 509.07**	**21 632.88**
Assets	303 132.96	292 233.50	10 612.87	7 143.66	**313 745.82**	**299 377.16**

*Figures for FY 2022-23 are based on Standalone financial figures.

9.5 Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures

The details are as follows:

(A) Name of the Related Parties and their relationship:

(a) Associates – Regional Rural Bank: Odisha Gramya Bank

(b) Joint Venture: India International Bank (Malaysia) Berhad Ltd.

(c) Key Management Personnel:

(i) Shri Ajay Kumar Srivastava, Managing Director and CEO (w.e.f 01.01.2023)

(ii) Shri Partha Pratim Sengupta, Managing Director and CEO (upto 31.12.2022)

(iii) Shri Ajay Kumar Srivastava, Executive Director (upto 31.12.2022)

(iv) Smt. S Srimathy, Executive Director

(v) Shri Sanjay Vinayak Mudaliar, Executive Director (w.e.f 01.01.2023)

B) Transaction with Related parties:

Details of Salary and Performance Incentive paid to Whole Time Directors during the year 2022-23 and 2021-22:

(Amount in Rs.)

NAME OF THE WHOLE TIME DIRECTOR	REMUNERATION * (2022-23)	REMUNERATION * (2021-22)
Shri Ajay Kumar Srivastava (ED)		
01.04.2022 to 30.09.2022	19,64,990.00	32,65,002.00
01.10.2022 to 31.12.2022	15,35,700.00	
Total	35,00,690.00	
Shri Ajay Kumar Srivastava (MD & CEO)		
01.01.2023 to 31.03.2023	9,12,876.00	
Shri Partha Pratim Sengupta (MD & CEO)		34,71,378.00
01.04.2022 to 30.09.2022	22,76,284.00	
01.10.2022 to 31.12.2022	16,20,280.78	
Total	38,96,564.78	

सुश्री एस. श्रीमती (का. नि.)		29,45,576.33
01.04.2022 to 30.09.2022	15,91,533.00	
01.10.2022 to 31.03.2023	23,13,187.09	
कुल	39,04,720.09	
श्री संजय विनायक मुदालियर (का. नि.)		लागू नहीं
01.01.2023 to 31.03.2023	10,58,964.00	
कुल	10,58,964.00	

*पारिश्रमिक में वेतन व भत्ते, वेतन बकाया, कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन राशि, छुट्टी नकदीकरण बकाया और ग्रैच्युटी बकाया शामिल हैं ।

**वर्ष का भाग

Ms S Srimathy (ED)		29,45,576.33
01.04.2022 to 30.09.2022	15,91,533.00	
01.10.2022 to 31.03.2023	23,13,187.09	
Total	39,04,720.09	
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar (ED)		NA
01.01.2023 to 31.03.2023	10,58,964.00	
Total	10,58,964.00	

* Remuneration Includes salary & allowances, salary arrears, performance incentives, leave encashment arrears and gratuity arrears.

**Part of the year

(राशि रु. करोड़ में)

मदें/ संबंधित पार्टी	जनक (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	सहायक कंपनियों	एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम		मुख्य प्रबंधन कार्मिक		मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार		कुल	
			वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम	वर्ष के अंत में बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम
उधारियाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	98.93	98.93
जमाएँ	लागू नहीं	लागू नहीं	622.75	622.75	0.74	2.39	0.19	0.28	623.68	625.42
जमा राशियों का स्थानन	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अग्रिम	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06
निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	830.76	832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	830.76	832.67
गैर-वित्त पोषित प्रतिबद्धताएं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पट्टेदारी/एचपी व्यवस्था का प्राप्त लाभ	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पट्टेदारी/एचपी प्रदत्त व्यवस्था	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अचल संपत्तियों की खरीद	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	
अचल संपत्तियों की बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	
प्रदत्त ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	1.20		0.04		0.01		1.25	
प्राप्त ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	28.35		0.02		0.01		28.38	
सेवाओं का प्रतिपादन*	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	
सेवाओं की प्राप्ति*	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	
प्रबंधन अनुबंध*	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00		0.00		0.00		0.00	

(एन ए - लागू नहीं)

वर्ष के दौरान अधिकतम एवं वर्ष के अंत पर शेष को प्रदर्शित किया जाएगा।

* अनुबंध सेवाएं इत्यादि व विप्रेषण सुविधाएं, लॉकर सुविधाएं इत्यादि जैसी सेवाएं नहीं।

Amount in Rs. Crores

Items/ Related Party	Parent (as per ownership or control)	Subsidiaries	Associates/ Joint ventures		Key Management Personnel @		Relatives of Key Management Personnel		Total	
			Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year	Outstanding at the year end	Maximum during the year
Borrowings	N.A.	N.A.	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	98.93	98.93
Deposits	N.A.	N.A.	622.75	622.75	0.74	2.39	0.19	0.28	623.68	625.42
Placement of deposits	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Advances	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06
Investments	N.A.	N.A.	830.76	832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	830.76	832.67
Non-funded commitments	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Leasing/HP arrangements availed	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Leasing/HP arrangements provided	N.A.	N.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Purchase of fixed assets	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	
Sale of fixed assets	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	
Interest paid	N.A.	N.A.	1.20		0.04		0.01		1.25	
Interest received	N.A.	N.A.	28.35		0.02		0.01		28.38	
Rendering of services*	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	
Receiving of services*	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	
Management contracts*	N.A.	N.A.	0.00		0.00		0.00		0.00	

N.A. (Not Applicable)

The outstanding at the year end and the maximum during the year are to be disclosed.

* Contract services etc. and not services like remittance facilities, locker facilities etc.

9.6 लेखांकन मानक 20-प्रति शेयर आय

विवरण	2022-23	2021-22
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद उपलब्ध लाभ (रु. करोड़ों में)	2098.78	1 709.54
भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या	18090 24 12 256	1890 24 12,256
मूल तथा कम की हुई प्रति शेयर आय (रु. में)	0.34	0.92
प्रति शेयर सामान्य मूल्य (रु. में)	10.00	10.00

9.7 लेखांकन मानक 22: आय पर करों के लिए लेखांकन (रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2023		31.03.2022	
	डीटीए	डीटीएल	डीटीए	डीटीएल
अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास	0.00		19.88	
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	202.90		181.89	
धोखाधड़ियों के लिए प्रावधान	190.97		184.99	
अन्य सम्पत्तियों के लिए प्रावधान	28.79		28.92	
पुन :संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान	13.59		18.08	
सेवाविच्छेद वेतन के लिए आरक्षिती	0.93		0.82	
एनपीए के लिए प्रावधान	3 675.34		3 895.58	
विदेशी मुद्रा अंतरण के लिए प्रावधान	337.42		294.08	
अन्य	1583.89		1 638.17	
कुल	6033.83		6 262.41	
निवल डीटीए	6033.83		6 262.41	

9.8 एएस 24 - परिचालन बंद करना

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी विदेशी शाखा को बंद नहीं किया है। अत:, इस प्रकटीकरण से संबंधित डेटा को शून्य माना जा सकता है। यह मानक परिचालन बंद करने के बारे में जानकारी देने के लिए सिद्धांत स्थापित करता है। उसी बैंक की अन्य शाखाओं में परिसंपत्तियों/देयताओं को स्थानांतरित करके बैंकों की शाखाओं के विलय/बंद होने को परिचालन बंद करने के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसलिए यह लेखा मानक बैंक की शाखाओं के विलय/बंद करने पर लागू नहीं होगा। मानक के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता केवल तब होगी जब: (i) परिचालन बंद करने के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा देनदारियों और संपत्तियों की वापसी में कमी आई है या उपर्युक्त प्रभाव वाले संचालन को बंद करने का निर्णय बैंक द्वारा अंतिम रूप दिया गया है और (ii) बंद किया गया परिचालन पूरी तरह से पर्याप्त है।

9.9 लेखांकन मानक 26 – अमूर्त आस्तियाँ

कोर बैंकिंग सिस्टम के लिए अधिग्रहित सॉफ्टवेयर को अमूर्त संपत्ति के रूप में माना जाता है और 3 साल की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है ।

9.10 लेखांकन मानक 28 – आस्तियों का अनर्जक होना

बैंक द्वारा धारित अचल आस्तियों को 'कॉरपोरेट आस्तियाँ' माना गया है और आइसीएआइ द्वारा जारी एएस 82-में दी गई परिभाषा के अनुसार यह 'नकदी सृजन करने वाली इकाई' नहीं है । प्रबन्धन के मतानुसार बैंक की किसी भी अचल आस्ति को क्षति नहीं हुई है ।

9.11 लेखांकन मानक 29 –आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान:

क्रमांक	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	बैंक के प्रति दावे जो ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए	व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में विभिन्न कार्यवाहियों के लिए बैंक एक पक्षकार है। बैंक को उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम से बैंक की वित्तीय स्थिति, परिचालन के परिणाम या नकदी प्रवाह पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। बैंक उन विभिन्न कराधान मामलों में भी एक पक्षकार है जिनके संबंध में अपीलें लंबित हैं।

9.6 Accounting Standard 20 – Earnings per Share

Particulars	2022-23	2021-22
Net Profit after Tax available for Equity Shareholders (Rs. in Crores)	2098.78	1 709.54
Weighted Average Number of Equity Shares	18090 24 12 256	1890 24 12,256
Basic & Diluted Earnings Per Share (in Rs)	0.34	0.92
Nominal value per Equity Share (in Rs)	10.00	10.00

9.7 Accounting Standard 22: Accounting for Taxes on Income

(Rs. in Crores)

Particulars	31.03.2023		31.03.2022	
	DTA	DTL	DTA	DTL
Depreciation on Fixed Assets	0.00		19.88	
Provision for Employee Benefits	202.90		181.89	
Provision for Frauds	190.97		184.99	
Provision for Other Assets	28.79		28.92	
Provision for Restructured Advances	13.59		18.08	
Reserve for Severance Pay	0.93		0.82	
Provision for NPA	3 675.34		3 895.58	
Foreign Currency Translation Reserve	337.42		294.08	
Others	1583.89		1 638.17	
Total	6033.83		6 262.41	
Net DTA	6033.83		6 262.41	

9.8 AS 24 – Discontinuing Operations

The Bank has not closed any of its Overseas Branches during the currency financial year 2022-23. Hence the data relating to this disclosure may be treated as Nil. This standard establishes principles for reporting information about discontinuing operations. Merger/closure of branches of banks by transferring the assets/liabilities to the other branches of the same bank may not be deemed as a discontinuing operation and hence this Accounting Standard will not be applicable to merger/closure of branches of Bank. Disclosures shall be required under the standard only when: (i) discontinuing of the operation has resulted in shedding of liability and realisation of the assets by the bank or decision to discontinue an operation which will have the above effect has been finalized by the bank and (ii) the discontinued operation is substantial in its entirety.

9.9 Accounting Standard 26 – Intangible Assets

The software acquired for core banking system is treated as intangible asset and amortized over a period of 3 years.

9.10 Accounting Standard 28 – Impairment of Assets

Fixed Assets owned by the Bank are treated as 'Corporate Assets' and are not 'Cash Generating Units' as defined by AS-28 issued by ICAI. In the opinion of the Management, there is no impairment of any of the Fixed Assets of the Bank.

9.11 Accounting Standard 29 – Provision for Contingent Liabilities and Contingent Assets:

Sl No	Particulars	Brief Description
1	Claims against the bank not acknowledged as debts	The Bank is a party to various proceedings in the normal course of business. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material advise effect on the Banks financial conditions, results of operations or cash flows. The Bank is also a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending

2	आंशिक प्रदत्त निवेशों/ वेंचर फंड्स पर देयताएं	यह मद आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता के प्रति भुगतान न की गई शेष राशि का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं।
3	फॉर्वर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से देयता	बैंक भविष्य की तारीख में एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर मुद्राओं का आदान-प्रदान करने के लिए व्यापार के अपने सामान्य रूप में विदेशी मुद्रा विनिमय में प्रवेश करता है। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट अनुबंधित दर पर भविष्य की तारीख में विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने की प्रतिबद्धता है। काल्पनिक राशियों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेन-देन के संबंध में, बैंक आम तौर पर इंटरबैंक बाजार में लेन-देन बंद कर देता है। इसके परिणामस्वरूप अधिक संख्या में बकाया लेन-देन उत्पन्न होते हैं, और इसलिए पोर्टफोलियो के सकल काल्पनिक मूलधन का एक बड़ा मूल्य होता है, जबकि शुद्ध बाजार जोखिम कम होता है।
4	इकाईयों की ओर से दी गई गारंटियां, स्वीकारोक्तियां, बेचान एवं अन्य दायित्व	अपनी वाणिज्यिक बैंकिंग गतिविधियों के एक भाग के रूप में, बैंक अपने ग्राहक की ओर से दस्तावेजी क्रेडिट और गारंटी जारी करता है। दस्तावेजी ऋण बैंक के ग्राहकों की साख को बढ़ाते हैं। गारंटियां आम तौर पर अपरिवर्तनीय आश्वासन का प्रतिनिधित्व करती हैं कि ग्राहक अपने वित्तीय या कार्य-निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में विफल होने की स्थिति में बैंक भुगतान करेगा।
5	अन्य मद जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	बैंक अपने ग्राहकों और स्वयं के लिए अंतर बैंक प्रतिभागियों के साथ मुद्रा विकल्प, अग्रेषण दर समझौते, मुद्रा स्वैप और ब्याज दर स्वैप करते हैं। करेंसी स्वैप निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा में दूसरी मुद्रा के मुकाबले ब्याज/मूलधन के माध्यम से नकदी प्रवाह का आदान-प्रदान करने की प्रतिबद्धता है। ब्याज दर स्वैप फिक्स्ड और फ्लोटिंग ब्याज दर कैश फ्लो के आदान-प्रदान की प्रतिबद्धता है। आकस्मिक देनदारियों के रूप में दर्ज की जाने वाली कल्पित राशियाँ, आमतौर पर अनुबंधों के ब्याज घटक की गणना के लिए एक बेंचमार्क के रूप में उपयोग की जाने वाली राशियाँ हैं। इसके अलावा, इनमें उन अनुबंधों की अनुमानित राशि जिन्हें पूंजी खाते पर निष्पादित किया जाना बाकी है और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, सहयोगियों और सहायक कंपनियों की ओर से बैंक द्वारा जारी किए गए लेटर ऑफ कंफर्ट, जमाकर्ताओं की शिक्षा और जागरूकता निधि के तहत बैंक देयता और अन्य विविध दल देनदारियों भी शामिल हैं।

10. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मूल राशि या उस पर देय ब्याज के विलंबित भुगतान का कोई मामला सामने नहीं आया है।

11. कोविड-19 महामारी ने दो साल से अधिक समय से भारतीय अर्थव्यवस्था सहित दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। हालांकि, महामारी के कारण बैंक के नतीजे, परिचालन और संपत्ति की गुणवत्ता ज्यादा प्रभावित नहीं हुई है। इसके अलावा, बैंक ने सभी कोविड संबंधित पुनर्गठित ऋणों के लिए आवश्यक प्रावधान किए हैं। तथापि, बैंक निरंतर आधार पर घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है और संपत्ति की गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने के लिए लगातार सक्रिय कदम उठा रहा है। अतएव, बैंक का मानना है कि बैंक के भविष्य के वित्तीय परिणामों पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

12. तुलनात्मक आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

2	Liability on partly paid-up investments /venture funds	This item represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments. This also includes undrawn commitments for Venture Capital Funds.
3	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	The Bank enters into foreign exchanges in its normal course of business to exchange currencies at a prefixed price at a future date. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate. The notional amounts are recorded as Contingent liabilities, with respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off setting transactions in the interbank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.
4	Guarantees given on behalf of constituents, acceptances, endorsements and other obligations	As a part of its commercial banking activities, the Bank issues documentary credits and guarantees on behalf of its customer. Documentary credits enhance the credit standing of the customers of the Bank. Guarantees generally represent irrevocable assurance that the bank will make payment in the event of the customer failing to fulfil its financial or performance obligations.
5	Other items for which the Bank is contingently liable	The banks enter into currency options, forward rate agreements, currency swaps and interest rate swaps with inter bank participants on its own account and for customers. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/principal in one currency against another, based on determined rates. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows. The notional amounts that are recorded as contingent liabilities, are typically amounts used as a benchmark for the calculation of the interest component of the contracts. Further, these also include estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for, letter of comforts issued by the bank on behalf of associates & subsidiaries, banks liability under Depositors Education and Awareness Fund a/c and other sundry contingent liabilities.

10. There has been no reported cases of delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro, Small & Medium Enterprises.

11. COVID-19 pandemic has adversely impacted the economic activity across the globe including the Indian economy for more than two years. However, the bank's results, operations and asset quality have not been affected much because of the pandemic. Further, bank has made necessary provisions for all COVID related restructured loans. The Bank is however keeping a close watch on developments on an ongoing basis and taking proactive measures continuously to maintain and improve asset quality. The bank, therefore, believes that there may not be any significant impact on Bank's future financial results.

12. Comparative Figures

Previous year’s figures have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

स्वायत्त लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

के सभी सदस्यों को

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने **इण्डियन ओवरसीज़ बैंक** (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2023 तक के तुलन पत्र के अलावा तत्संबंधी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का समेकित विवरण व समेकित नकद प्रवाहों का विवरण शामिल है । इसके अलावा इसमें संबंधित तिथि हेतु केंद्रीय कार्यालय के संबंध में विनिर्दिष्ट लेखांकन नीतियों और अन्य स्पष्टीकरण मूलक (इसके बाद **'समेकित वित्तीय विवरण'** के रूप में संदर्भित किया जाएगा) सूचनाओं के सारांश है जिसमें शामिल है:

   ए) बैंक के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण;

   बी) एक विदेशी संयुक्त उद्यम (इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और

   सी) एक सहयोगी (ओडिशा ग्राम्य बैंक) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण

हमारे अभिमत एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा जैसा कि अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित किया गया था, ऐसे सहयोगी और संयुक्त उद्यम के अलग-अलग लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा अपेक्षित तरीके से 31 मार्च, 2023 को, उसके समेकित लाभ और उसके बाद समाप्त वर्ष के लिए उसके समेकित नकदी प्रवाह की आवश्यक जानकारी देते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बैंक, उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम के मामलों की समेकित स्थिति के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं ।

अभिमत का आधार

2. हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आइसीएआइ") द्वारा लेखा परीक्षा पर जारी किए गए पर मानकों (एसए) के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की । उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षा के दायित्वों में आगे वर्णित किया गया है । हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी "आचार संहिता" के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताएं जो भारत में जारी आचार संहिता के संदर्भ में भारत में समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं हमने आइसीएआइ और अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है । हम मानते हैं कि नीचे दिए गए "अन्य मामलों" पैराग्राफ में संदर्भित अन्य लेखा परीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार के साथ हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं ।

मामलों पर बल

3. हम समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 में प्रदर्शित निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

i. नोट संख्या 7.2 अग्रिम में भुगतान किए गए कर (प्रावधान का शुद्ध) के संबंध में जहां लंबित मूल्यांकन, अपील और विवाद के तहत राशि का समाधान किया जा रहा है ।

ii. नोट संख्या 7.3 विभिन्न विवादित आयकर और अप्रत्यक्ष करों के लिए उसमें बताए गए कारणों से कोई अतिरिक्त प्रावधान न करने से संबंधित है ।

iii. 425.86 करोड़ रुपये की पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता के परिशोधन के संबंध में वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 की नोट संख्या 9.3(सी) में वर्णन किया गया है । बैंक ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में 85.17 करोड़ रुपये की राशि का शुल्क लिया है और 255.52 करोड़ रुपये की शेष गैर-परिशोधित राशि को आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-22/105 105 डीओआर.एसीसी.आरईसी. 57/21.04.018/2021-22 दिनांकित 4 अक्टूबर, 2021 के संदर्भ में अगले वर्ष हेतु समायोजित किया गया है ।

iv. विवरण के नोट सं 11 में वर्णित है कि कोविड-19 महामारी से बैंक के परिचालन के भविष्य के विकास पर प्रभाव पड़ेगा, जो कि बहुत हद तक अनिश्चित है ।

समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे विचार में कोई परिवर्तन नहीं आया है ।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामलें :-

4. हमारे व्यवसायिक अभिमत में प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं । इन मामलों पर हमारे अभिमत वित्तीय विवरणों के समावेश रूप में हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में हैं और उन पर हम अलग से अभिप्राय को प्रदान नहीं करेंगे । निम्नांकित मामलों को हमने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है जो हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए गए है ।

क्रम सं	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलें	लेखा परीक्षक के अभिमत
1	**आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण एवं अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण** अग्रिमों का प्रतिशत बैंक की कुल आस्तियों का 50.09% है ।	**मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ** हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में डिजाइन का परीक्षण करना और आंतरिक नियंत्रणों की परिचालनात्मक प्रभाविता की जाँच करना और वस्तुगत परीक्षण करना निम्नानुसार है।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members of Indian Overseas Bank

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of **Indian Overseas Bank** (hereinafter referred as the 'the Bank') and its Joint Venture and Associates which comprise the consolidated Balance Sheet as at March 31, 2023, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the Consolidated Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as 'the **Consolidated Financial Statements**') which includes:

   a) Audited Standalone Financial Statements of the Bank;

   b) Audited Financial Statements of a foreign Joint Venture (India International Bank (Malaysia) Berhad and

   c) Audited Financial Statements of an Associate (Odisha Gramya Bank)

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of reports of other auditors on separate audited financial statements of such associate and joint venture as were audited by other auditors, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India, of their consolidated state of affairs of the Bank, its Associate and Joint venture as at March 31, 2023, of its consolidated Profit and its consolidated Cash flows for the year then ended.

Basis for Opinion:

2. We conducted our audit of the consolidated financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements' section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the "Code of Ethics" issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements in India in terms of the Code of Ethics issued by ICAI and the relevant provisions of the Act, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence obtained by us along with the consideration of audit reports of other auditors referred to in the "Other Matters" paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Consolidated Financial Statements.

Emphasis of Matter:

3. We draw attention to the following notes appearing in Schedule 18 of Consolidated Financial Statements:

i. Note No. 7.2 regarding Tax paid in Advance (Net of provision) where amounts pending assessment, appeals and under dispute are under reconciliation.

ii. Note No. 7.3 relating non providing of any additional provisioning towards various disputed income tax and indirect taxes for the reasons stated therein.

iii. Note No. 9.3 of the statement regarding amortization of additional liability on account of revision in family pension amounting to Rs. 425.86 Crores. The Bank has charged an amount of Rs.85.17 crores to the profit and loss account for the year ended 31st March 2023 and the balance unamortized expense of Rs. 255.52 crore has been carried forward in terms of RBI Circular No.RBI/2021-22/105 DOR.ACC. REC.57/ 21.04.018/ 2021-22 dated October 4, 2021.

iv. Note No.11 to the statement which explains that the extent to which the Covid-19 pandemic's impact on the bank's operation will depend on future developments, which are highly uncertain.

Our opinion on the consolidated financial statements is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the Consolidated Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters prescribed below to be the Key Audit Matters to be communicated in our Report.

Sr. No	Key Audit Matter	Auditor's Response
1	**Income Recognition, Asset Classification & Provisioning relating to Advances** Advances constitute 50.09 % of the Bank's total assets.	**Principal Audit Procedures** Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing as under: -

	बैंक द्वारा प्रदत्त अग्रिमों के संबंध में संचयन आधार पर आय की पहचान, निष्पादित एवं गैर-निष्पादित के रूप में अग्रिमों का वर्गीकरण और तत्संबंधी प्रावधानीकरण आय की पहचान विषयक विविक पूर्ण मानदण्डों एवं आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आइआरएसी) मानदण्डों तथा समय- समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अन्य परिपत्रों व निर्देशों के अनुसार है । हमारे अभिमत में अग्रिमों से संबंधित लेखापरीक्षा में लेन-देन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अग्रिमों को निष्पादित और गैर-निष्पादित में वर्गीकृत करना, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल मुद्दे आदि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में ऐसे अग्रिमों के संबंध में आय की मान्यता और प्रावधान निष्पादन/ गैर-निष्पादन करना सबसे महत्वपूर्ण मामला है और इसलिए इसे प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों में से एक माना जाता है ।	• आईएआरएसी विषयक के विवेकपूर्ण मानदण्डों के कार्यान्वयन से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन और आरबीआई द्वारा जारी अन्य संबंधित परिपत्रों /निर्देशों के साथ बैंक की आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं का भी मूल्यांकन किया गया । • अग्रिमों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावात्मकता एवं बैंक तथा आरबीआई निरीक्षण की प्रबोधन प्रणाली के अनुसार पूरी की गई विभिन्न लेखा परीक्षाओं में की गई टिप्पणियों के अनुपालन का परीक्षण किया गया । • नमूना आधार पर सभी बड़े अग्रिमों / तनावग्रस्त अग्रिमों और अन्य अग्रिमों की जांच करना, जिसमें बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा भी शामिल है । • अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर निर्भर रहना । • अ-लेखापरीक्षित शाखाओं के संबंध में शाखा प्रमुख द्वारा साझा किए गए विवरणियों और वित्तीय विवरणों पर भरोसा करना। • शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों के ज्ञापन की समीक्षा करना और उचित कार्रवाई करना । • विभिन्न क्षेत्रों में हमारे लिए उपलब्ध विभिन्न लेखा परीक्षा और निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा । • कानूनी मामलों, विलेखों, मूल्यांकन और बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के अन्य पहलूओं पर मुख्य विशेषज्ञों की राय पर निर्भरता रखना । • ऐसे खातों के नमूना और संचालन के आधार पर चयनित उधारकर्ताओं की फाईलों की समीक्षा । • प्रासंगिक विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का कार्य-निष्पादन। • ब्याज आवेदन की जाँच, अन्य शुल्क, कमीशन आदि की जाँच ।
2	**आकस्मिक देयता** आकस्मिक देयता जैसा कि एएस 29 में परिभाषित किया गया है- प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक संपत्ति के लिए संभावित परिणामों और नकदी प्रवाह के आकलन की आवश्यकता होती है । आकस्मिक देनदारियों की पहचान और मात्रा का ठहराव प्रबंधन द्वारा अनुमान और निर्णय की आवश्यकता है । प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से जुड़े मुकदमों से संबंधित मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता के मद्देनजर, अन्य पार्टियों द्वारा दायर विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, हमने उपर्युक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है ।	**प्रमुख लेखापरीक्षा की प्रक्रिया** हमने प्रबंधन द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचनाओं का सत्यापन निम्नलिखित प्रक्रियाओं को पूरा करके किया है • अंतर्निहित मान्यता की तर्कसंगता का मूल्यांकन । • मुकदमों/ कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना । • विभिन्न कर प्राधिकारियों / न्यायिक मंचों से हाल के आदशों और / या संचारों की जांच और उसके बाद की कार्रवाई । • रिकॉर्ड में रखे संबंधित दस्तावेजों की जांच । • उपलब्ध संबंधित बाहरी साक्ष्यों सहित विधिक अभिमत, संबंधित न्यायिक प्रक्रिया एवं उद्द्योग प्रक्रियाओं पर भरोसा करना । • जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, प्रबंधन से पुष्टि प्राप्त करना ।

	The recognition of income on accrual basis in respect of advances extended by the Bank, Classification of Advances into Performing and Non performing and provisioning thereof are in accordance with the extant prudential norms on Income Recognition and Asset Classification and provisioning (IRAC) norms and other circulars and directives issued by Reserve bank of India from time to time. Taking into consideration the nature of transactions, compliance with the Reserve Bank of India guidelines, issues involved in the valuation of securities etc., in our opinion classification of Advances into performing and non- performing, recognition of income in respect of such advances and also provisioning relating to Performing/ Non-Performing advances are considered to be one of the most significant matter in the audit and therefore determined to be a Key audit matter.	• Evaluating the design of internal controls relating to implementation of prudential norms on IRAC and other related circulars/directives issued by RBI and also the internal policies and procedures of the Bank. • Examining the efficacy of various internal controls over advances to determine the nature, timing and extent of the substantive procedures and compliance with the observations of the various audits conducted as per the monitoring mechanism of the Bank and RBI inspection. • Examining large advances/stressed advances and other advances on a sample basis including review of valuation reports of independent valuers as provided by the Bank's management. • Relying on the audit reports of other Statutory Branch Auditors. • Relying on the returns and financial statements shared by the branch head in respect of unaudited branches. • Reviewing Memorandum of Changes suggested by the Branch Auditors and take appropriate action. • Review of various audit and inspection reports made available to us in the relevant areas. • Placing reliance on the opinions of domain experts on legal matters, titles, valuation and other aspects of securities charged to the bank. • Review of files of the borrowers selected on sample basis and operations of such accounts. • Performing relevant analytical procedures. • Test checking of interest application, levying of other charges, commission etc.,
2	**Contingent Liability** The contingent liability as defined in AS 29 – Provisions, Contingent Liability and Contingent Assets requires assessment of probable outcomes and cash flows. The identification and quantification of contingent liabilities require estimation and judgment by the management. In view of associated uncertainty relating to the outcome of the matters relating to litigations involving Direct and Indirect taxes, various claims filed by other parties not acknowledged as debts, and as a result we have determined the above area as a Key audit matter	**Principal Audit Procedures** We have carried out the validation of information provided by the management by performing the following procedures • Evaluating reasonableness of the underlying assumptions. • Understanding the current status of the litigations/tax assessments. • Examination of recent orders and/or communication received from various tax authorities/judicial forums and follow up action thereon. • Examining the relevant documents on record. • Relying on relevant external evidence available including legal opinion, relevant judicial precedents and industry practices. • Getting management confirmation where-ever necessary.

3	**आईटी सिस्टम और नियंत्रण** वित्तीय विवरणों की पूरी तैयारी सीबीएस और अन्य सहायक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नियंत्रणों पर अत्यधिक निर्भर है । यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और उचित आईटी नियंत्रण और बदलाव उचित तरीके से किए गए हैं, आईटी अनुप्रयोग प्रक्रिया डेटा अपेक्षित रूप से किया जाना आवश्यकता है । इस तरह के नियंत्रण डेटा के गलत आउटपुट के अपेक्षित जोखिम में कमी सुनिश्चित करते हैं । इस प्रकार के नियंत्रण प्राप्त होने वाले त्रुटिपूर्ण डाटा की संभावना का परिसमापन करते हैं । ऑडिट का परिणाम मौजूदा आईटी नियंत्रण और प्रणालियों पर निर्भर है और तदनुसार उपर्युक्त क्षेत्रों को एक प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में निर्धारित किया जाता है ।	**प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ** हमने ऐसी नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आईटी नीतियों और नियंत्रणों का प्रभावी ढंग से निरीक्षण, नियंत्रण और मूल्यांकन करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली आईटी नीतियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की दिशा में मानकों के साथ अपनी ऑडिट प्रक्रियाओं को पूरा किया है । हमने आईएस ऑडिटर द्वारा जारी की गई रिपोर्ट पर भी विश्वास किया है और जहां आवश्यक हो वहां आइएस विशेषज्ञों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की है और प्रबंधन को सिफारिशों को लागू करने की सूचना दी है।
4	**गैर-निष्पादित निवेश के लिए निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन, पहचान और प्रावधान** **निवेश बैंक की कुल संपत्ति का 26.49% हैं ।** निवेश का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार किया जाता है, जिसमें बीएसई / एनएसई और अन्य एजेंसियों पर उद्दत दरों को लागू करना, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर निर्भर रहना आदि शामिल होता है । बैंक की बही में दर्ज किए जा रहे निवेश का मूल्य, निवेश के मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं को हमने उपर्युक्त क्षेत्र के एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में माना है ।	**प्रमुख लेखापरीक्षा की प्रक्रिया** हमने गैर-मूल्यांकन प्रदर्शनकारी निवशों की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान और मू ल्यांकन के संबंध में भारिबैंक के प्रासंगिक दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन किया और उन्हें समझा । निवेश के मूल्य का निर्धारण करने के लिए विभिन्न स्रोतों से डेटा संग्रह के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का मूल्यांकन । अनर्जक निवेश की पहचान की व्यवस्था का आकलन और मूल्यांकन, ऐसे निवेशों में आय की मान्यता और अनर्जक निवेशों के संबंध में आवश्यक प्रावधान का निर्माण सुनिश्चित करना ।

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारे विचार में कोई परिवर्तन नहीं आया है ।

समेकित वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

5. बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है । अन्य जानकारी में कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट (जिसमें समेकित वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है), शामिल है ।

   समेकित वित्तीय विवरण पर जारी हमारा अभिमत में बेसल III प्रकटीकरण के तहत अन्य जानकारी और स्तंभ 3 के प्रकटीकरण को शामिल नहीं किया गया है और हम इस बारे में किसी भी प्रकार आश्वासन को निष्कर्ष के रूप में व्यक्त नहीं करेंगे।

   समेकित वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि उपर्युक्त अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या समेकित वित्तीय विवरण के साथ अन्य जानकारी भौतिक रुप से असंगत है या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारा ज्ञान या भौतिक रुप से गलत प्रतीत होता है ।

   यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य और इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त अन्य जानकारी के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है ।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा गवर्नेंस पर उनके प्रभार की जिम्मेदारी

6. बैंक का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों ,जिसमें आइसीए द्वारा जारी लेखा मानक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं, के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण ; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जोकि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे,वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भी हुई हो, शामिल है ।

   वित्तीय विवरण तैयार करने में, एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की बैंक की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन या तो बैंक को बंद करने या परिचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता है, तब तक परिचानगत संस्था से

3	**IT Systems & Control** The entire Preparation of financial statements is highly dependent on CBS and other supporting software and hardware controls. Adequate and appropriate Information Technology (IT) controls are required to ensure that these IT application process data as expected, and changes are made in an appropriate manner. Such controls ensure mitigating the expected risk of erroneous output data. Audit outcome is dependent on the extant IT controls and systems, and accordingly the above areas are determined to be a Key audit matter.	**Principal Audit Procedures** We have carried out our audit procedures with standards on auditing guidelines towards implementation of IT policies and procedures followed by the bank in order to effectively monitor, control, and evaluate the IT applications and controls to ensure effective implementation of such policies and procedures. We have also relied on the report issued by the IS Auditor and obtained necessary inputs from IS experts wherever necessary and advised the management to implement the recommendations.
4	**Classification and valuation of Investments, Identification of and Provisioning for Non-Performing Investments.** **Investments constitute 26.49% of the total assets of the bank.** Valuation of Investments are done as per the guidelines, circulars and directives issued by RBI from time to time involving applying the rates quoted on BSE/NSE and other agencies, relying on the financial statements of unlisted companies etc. Taking into consideration the volume of transactions, value of investments being carried in the books of the bank, complexities involved in the valuation of investments we have considered the above area as a Key audit matter.	**Principal Audit Procedures** We evaluated and understood the Bank's internal control systems to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, provisioning and depreciation related to Investments. Evaluating the process adopted for collection of data from various sources for determining the value of investments. Assessing and evaluating the system of identification of Non-Performing Investments, income recognition on such investments and also ensuring creation of necessary provision in respect of non-performing investments.

Our opinion is not modified in respect of the above matters

Information other than the consolidated Financial Statements and Auditor's Report Thereon

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report (but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditor's report thereon).

   Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosures under the Basel III disclosures and we do not, and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements, or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

   If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this Auditor's Report, we conclude that there is a material misstatement of this information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors are responsible with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Bank including its Associates and Jointly controlled entities in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank including its Associate and Joint Venture and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

   In preparing the Consolidated Financial Statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable matters related to going concern and

संबंधित मामलों का खुलासा करता है और लेखांकन के आधार पर परिचालनगत संस्था का उपयोग करता है ।

बैंक और उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल बैंक और उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम की वित्तीय विवरण प्रस्तुति प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं ।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारी

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भी हुई हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा अभिमत शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा सदैव ही किसी सामग्री के गलती के मौजूद होने का पता लगाएगी ।गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें सामग्री , व्यक्तिगत या समग्र रूप से, माना जाता है । इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय प्रभावित होने की उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशयवाद बनाए रखते हैं । साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचान कर, उनका आकलन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए हो, उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादन करते हैं व लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारा अभिमत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होनेवाली सामग्री से गलत विवरण का पता नहीं लगने के कारण जोखिम त्रुटि एक से अधिक रूप में परिणामित हो सकती है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जान बूझ कर चूक, गलत बयानी आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त की गई है ।
- प्रबंधन के द्वारा इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं ।
- लेखांकन के के आधार पर चालू प्रतिष्ठान के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने होगा । हमारे निष्कर्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएं या शर्त बैंक को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने से वंचित कर सकती हैं।
- समग्र प्रस्तुति, प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की विषय वस्तु और संरचना के मूल्यांकन सहित इस बात का मूल्याकन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से दर्शाते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है ।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए बैंक और उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम के भीतर ऐसी संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें । हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं की वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं । समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, के लिए किए गए अंकेक्षणों के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए अन्य लेखापरीक्षक उत्तरदायी हैं । हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं ।

हमने अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं, के संबंध में बैंक और उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम के शासन से प्रभारित लोगों के साथ संवाद किया ।

हमने उन लोगों को एक बयान भी प्रदान किया जो शासन के प्रभारी थे कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर विचार कर सकते हैं ।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। जबतक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है, हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से दुष्परिणाम स्वरूप संचार जनहित लाभ कम हो जाएंगे ।

अन्य मामले

8.

i. हमने एक सहयोगी और एक विदेशी संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण नहीं किया, जिसका वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी 295.92 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति में बैंक की हिस्सेदारी, 7.14 करोड़ रुपये के कुल राजस्व में बैंक के समूह की हिस्सेदारी, कुल शुद्ध लाभ में बैंक के समूह की हिस्सेदारी को दर्शाती

using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the companies included in the Bank and of its associate and Joint Venture are responsible for overseeing the financial reporting process of the Bank and of its associate and Joint Venture.

Auditor's Responsibilities for the audit of the consolidated Financial Statements

7. Our Objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Bank and its associates and Joint Venture to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank and its associates and Joint Venture to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of such entities or business activities within the Bank and its Associate and Joint Venture to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicated with those charged with governance of the Bank and its associate and Joint Venture regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provided those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter, or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

8 .

i. We did not audit the Financial Statements of one Associate and one Foreign Joint Venture whose Financial Statement/Financial Information reflect Bank's share of total assets of Rs.295.92 crores, Bank's group share of total revenue of Rs.7.14 crores, Bank's group share of

है। एसोसिएट के लिए 31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए 5.55 करोड़ रुपये और 5.20 करोड़ रुपये के कर के बाद और विदेशी संयुक्त उद्यम के लिए 31 दिसंबर 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, जिसका उनके संबंधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया गया है । इन संस्थाओं के विवरण/वित्तीय जानकारी हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहाँ तक यह इन संस्थाओं के संबंध में शामिल राशियों और खुलासे से संबंधित है, केवल ऐसे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

विदेशी संयुक्त उद्यम के संबंध में, वित्तीय जानकारी उनके निगमन के देश में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई है और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा उनके संबंधित देशों में लागू आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के तहत लेखा परीक्षा की गई है । बैंक के प्रबंधन ने वित्तीय जानकारी को उनके देश में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से भारत में आम तौर पर स्वीकृत और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित लेखांकन सिद्धांतों में परिवर्तित करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया है ।

जहां तक इस तरह के सहयोगी और विदेशी संयुक्त उद्यम की शेष राशि से संबंधित है, हमारा अभिमत अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए रूपांतरण समायोजन पर आधारित है ।

ii. जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ में कहा गया है, जहां तक यह इन संस्थाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से इन संस्थाओं के वित्तीय विवरणों/वित्तीय परिणामों/वित्तीय सूचनाओं पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और वित्तीय परिणामों पर हमारा अभिमत का संबंध है वह पूरी तरह से ऐसे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं पर आधारित है ।

iii. विदेशी संयुक्त उद्यमों के मामले में, वित्तीय जानकारी को आम तौर पर निगमन के देश में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के तहत निगमन के देश में लागू किया गया है । बैंक के प्रबंधन ने संयुक्त उद्यम की वित्तीय जानकारी को भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों में बदलने के लिए सलाहकार नियुक्त किया है । जहां तक यह भारत के बाहर स्थित ऐसे संयुक्त उद्यम की शेष राशि से संबंधित है, हमारा अभिमत अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और बैंक के प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए रूपांतरण समायोजन पर आधारित है । समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट उपरोक्त मामलों के संबंध में और किए गए कार्य और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी पर हमारी निर्भरता के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं आया है ।

अन्य विधिक तथा नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

9. उपरोक्त पैराग्राफ 5 और 8 में इंगित मामलों के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और अलग-अलग वित्तीय विवरणों और अन्य सहयोगियों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने पर और संयुक्त उद्यम, जैसा कि 'अन्य मामले' पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि;

क) हमने उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की की लेखापरीक्षा के लिए उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे एवं हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

ख) बैंक के वे सभी लेन-देन जोकि हमारे संज्ञान में थे बैंक की क्षमता के अधीन हैं; तथा

ग) बैंक की शाखाओं तथा कार्यालयों से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त पाई गयी थीं।

10. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमारी राय में, बैंक द्वारा विधि के अनुसार अपेक्षित उचित खाता बही रखी गई हैं, जहां तक कि उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया है उनसे हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न प्राप्त हुए हैं;

ख) समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकद प्रवाह विवरण इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए खाते की बहियों के साथ और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया है से प्राप्त विवरणी के साथ मेल खाते हैं;

ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उन रिपोर्टों का उचित रूप से विश्लेषण किया गया है;

घ) हमारी राय में, समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकद प्रवाह विवरण लेखा मानक 23 को छोड़कर लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन और लेखा मानक 27, ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग आइसीएआइ द्वारा जारी किए गए संयुक्त उपक्रमों में और इस हद तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं ।

11. आरबीआई द्वारा जारी किए गए "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्वों" विषयक पत्र संख्या डीओएस. एआरजी.संख्या 6270/09.91.001/2019-20 दिनांकित 17 मार्च 2020 एवं 19 मई, 2020 के बाद के संचार के साथ पठित पत्र का संदर्भ लेते हुए पत्र की अपेक्षाओं के अनुरूप हम उपरोक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे की रिपोर्ट निम्नानुसार करते हैं:

क) हमारे अभिमत के अनुसार उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन मानक 23, समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन और लेखा मानक 27, आईसीएआई

total Net Profit after tax of Rs.5.55 Crore and Rs.5.20 crore for the quarter and year ended on 31st March 2023 respectively for the Associate and 31st December 2022 for the Foreign Joint Venture as considered in the consolidated Financial Statements, which have been audited by their respective Independent Auditors. The statements/Financial Information of these entities have been furnished to us and our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these entities, is based solely on the report of such auditors.

In respect of Foreign Joint Venture, the Financial Information has been prepared in accordance with Accounting Principles generally accepted in their country of incorporation and has been audited by other auditors under generally accepted Auditing Standards as applicable in their respective countries. The Bank's management has engaged a Consultant to convert the Financial Information from accounting principles generally accepted in their country to Accounting principles generally accepted in India and have been certified by the Management.

Our opinion in so far as it relates to the balances of such Associate and Foreign Joint Venture is based on the report of other auditors and conversion adjustments as provided by Bank's Management.

ii. The independent auditor's reports on financial statements/financial results/financial information of these entities have been furnished to us and our opinion on the financial results, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these entities, is based solely on the report of such auditors and the procedures performed by us as stated in Paragraph above.

iii. In the case of Foreign Joint ventures, the financial information has been prepared in accordance with accounting principles generally accepted in the country of incorporation and has been audited by the other auditors under generally accepted Auditing standards as applicable in the country of incorporation. The management of the Bank has engaged consultant to convert the financial information of Joint venture to accounting principles generally accepted in India. Our opinion in so far as it relates to the balances of such Joint Venture located outside India is based on the report of other auditors and the conversion adjustments prepared by the management of the Bank.Our opinion on the consolidated financial statements and our Report on Other Legal and Regulatory Requirements below is not modified in respect of the above matters and with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements / financial information certified by the Management.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. Subject to the matters indicated in paragraph 5 and 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, based on our audit and on the consideration of report of the other auditors on separate financial statements and other associates and joint ventures, as noted in the 'other matter' paragraph, we report, to the extent applicable, that;

   a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit of the aforesaid consolidated financial statements and have found them to be satisfactory;

   b) The transactions of the bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

   c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. We further report that:

   a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

   b) The Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from branches not visited by us;

   c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

   d) In our opinion, the Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement comply with the applicable accounting standards except Accounting Standard 23, Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements and Accounting Standard 27, Financial Reporting of Interests in Joint Ventures issued by ICAI and to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

11. As required by letter No.DOS.ARG. No.6270/09.91.001/2019-20 dated March 17,2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by RBI, we further report on the matters specified in Paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

   a. In our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the applicable

द्वारा जारी संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग को छोड़कर लागू अन्य लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, एवं अपनी हद तक वे हैं आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों के साथ असंगत नहीं है ।

ख) वित्तीय लेनदेन या मामलों पर कोई पर्यवेक्षण अथवा टिप्पणी नहीं है जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ग) चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यता बैंक पर लागू नहीं होती है ।

घ) बैंक के खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं पाई गई है।

ङ) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण समेकित वित्तीय विवरण पर लागू नहीं होता है।

कृते **एस.एन नंदा एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000685एन

पुनीत नंदा
साझेदार
एम नं. 092435
यूडीआईएन :23092435बीजीएसवीएफए 5289

कृते **एस एन कपूर व एसोसियेट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 001545सी

सुयश एसएन. कपूर
साझेदार
एम नं. 403528
यूडीआईएन :23403528बीजीडब्लूयूडीडब्लूयू9606

कृते **योगनंद व राम एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005157एस / एस200052

एन रविशंकर
साझेदार
एम नं. 220436
यूडीआईएन: 23220436बीजीवीवाइएसआर2489

कृते **नंदी हलदर व गांगुली**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 302017ई

राणा प्रताप नंदी
साझेदार
एम नं. 051027
यूडीआईएन: 23051027बीएचएडीएनई6091

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 12.05.2023

Accounting Standards except Accounting Standard 23, Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements and Accounting Standard 27, Financial Reporting of Interests in Joint Ventures issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

b. There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.

c. As Bank is not registered under the Companies Act,2013 the disqualification from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the Bank.

d. There are no qualification, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith of the Bank.

e. The Bank's internal financial controls over financial reporting is not applicable on the Consolidated Financial Statement.

For **S N NANDA & CO**
Chartered Accountants
FRN 000685N

PUNEETT NANDA
Partner
M No : 092435
UDIN : 23092435BGSVFA5289

For **YOGANANDH & RAM LLP**
Chartered Accountants
FRN 005157S/S200052

N RAVISHANKAR
Partner
M No : 220436
UDIN : 23220436BGVYSR2489

For **S N KAPUR & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN 001545C

SUYASH SN.KAPUR
Partner
M No : 403528
UDIN : 23403528BGWUDW9606

For **NANDY HALDER & GANGULI**
Chartered Accountants
FRN 302017E

RANA PRATAP NANDY
Partner
M No : 051027
UDIN : 23051027BHADNE6091

Place: Chennai
Date : 12.05.2023

31.03.2023 तक अतिरिक्त प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, नए पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क बेसल III पर समय-समय पर दिशानिर्देश जारी करता है। दिशानिर्देशों के संबंध में पिलर III अपेक्षाओं के तहत निर्धारित प्रारूप के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम लेना बैंकिंग कारोबार का अभिन्न अंग है। अपनी जोखिम आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में बैंक कई प्रकार का जोखिम लेते हैं। बैंक द्वारा किए गए प्रत्येक लेन देन से बैंक का रिस्क प्रोफाइल बदलता है। सामान्य कारोबार में बैंक के लिए कई जोखिम हैं जैसे उधार जोखिम, बाज़ार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम। जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम भरे कार्यकलापों को रोकना नहीं है , बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि पूरी जानकारी, स्पष्ट उद्देश्य और समझ के साथ जोखिम उठाया गया है ताकि इसका आकलन किया जा सके और शमन किया जा सके। ऐसी जोखिमों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए बैंक ने कई जोखिम प्रबंधन उपाय एवं प्रणालियां तैयार की हैं और इन्हें काम में लाया जा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाए रखा है जिसमें नीतियां, साधन, तकनीक, प्रबोधन प्रक्रियाएं और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआइएस) शामिल हैं।

बैंक नियमित आधार पर जोखिम और प्रतिलाभ के बीच उपयुक्त ट्रेड ऑफ प्राप्त करने के जरिए शेयरधारकों के मूल्यों को अधिकतम करने और बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। बैंक के जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों में जोखिम की उचित पहचान, उसे मापना, प्रबोधन / नियंत्रण और इसका शमन करना शामिल है ताकि बैंक की समग्र जोखिम फिलॉसफी को प्रतिपादित किया जा सके। बैंक द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन नीति जोखिम की स्पष्ट समझ और जोखिम की मांग के स्तर पर आधारित है। बैंक की जोखिम आवश्यक्ताओं जोखिम प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नीतियों में जोखिम सीमाओं के उपायों के जरिए प्रदर्शित होते हैं।

बैंक ने उपयुक्त जोखिम प्रबंधन संगठन रूपरेखा बैंक में स्थापित की है। निदेशक मंडल की एक उप-समिति, जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है जो बैंक में ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, परिचालनात्मक जोखिम और अन्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। बैंक ने उधार जोखिम प्रबंधन के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), बाज़ार जोखिम प्रबंधन के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) और बाज़ार जोखिम प्रबंधन हेतु फंडस समिति, परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी), परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन हेतु उत्पाद/ प्रोसेस जोखिम शमन समिति (पीआरएमसी) तथा सूचना सुरक्षा के प्रबंधन हेतु सूचना सुरक्षा समिति का भी गठन किया है।

बैंक में उत्कृष्ट जोखिम प्रबंधन प्रणाली और व्यवहार के कार्यान्वयन के लिए बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में एक पूर्णरूपेण जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है जो कारोबार विभागों से अलग है। महा प्रबंधक इस विभाग के प्रभारी हैं जो बैंक में जोखिम प्रबंधन पर समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी मुख्य जोखिम अधिकारी हैं और सभी आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियों के लिए संयोजक हैं। विशेष रूप से जोखिम प्रबंधन में मिड ऑफिस तथा उधार समर्थन सेवाएँ विभाग और सामान्यत: अन्य प्रकार्यात्मक विभाग/ शाखा भी जोखिम प्रबंधन कार्य करते हैं तथा जोखिम सीमा फ्रेमवर्क और आन्तरिक अनुमोदनों के पालन / अनुपालन का प्रबोधन करते हैं। जोखिम प्रबंधकों को क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात किया गया है। वे विभिन्न एम आइ एस को प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग के साथ समन्वयन करने के अलावा क्षेत्र/ अंचल स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति में सहभागिता करते हैं।

जोखिम का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए मूल एप्रोच इसके प्रारंभिक बिंदु के जोखिम नियंत्रण करने पर निर्भर करती है। बैंक ने 31.3.2008 से प्रभावी पूँजी पर्याप्तता रूप से (बेसल II) का कार्यान्वयन किया था और ये समय - समय पर भा.रि.बैं. द्वारा जारी दिशानिर्देशों के क्रम में फ्रेमवर्क के अनुपालन से है। बेसल III दिशानिर्देशों की शुरूआत 01.04.2013 से की गई है और बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार पूँजी का अनुरक्षण कर रहे हैं। बेसल III फ्रेमवर्क तीन पारस्परिक सहायक पिलर पर आधारित हैं। संशोधित पहला पिलर क्रेडिट, मार्केट और परिचालनात्मक जोखिम के लिए न्यूनतम पूँजी आवश्यकता से संबंधित है। दूसरा पिलर पर्यवेक्षी पुनरीक्षा प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करता है कि बैंक के पास पर्याप्त पूँजी है ताकि वह अपने कारोबार में सभी प्रकार के जोखिमों का बैंक के जोखिम प्रोफाइल और नियंत्रण वातावरण के साथ शमन कर सकता है। भा.रि.बै. की अपेक्षा के अनुरूप बैंक ने आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है ताकि वह दूसरे पिलर की अपेक्षाओं को पूरा कर सके। इस नीति का लक्ष्य उन सभी महत्वपूर्ण जोखिमों का मूल्यांकन प्रथम पिलर जोखिमों के तहत विनियामक निर्धारकों से ऊपर करना है जिसका सामना बैंक करता है और पर्याप्त पूँजी ढाँचा सुनिश्चित करना ताकि आवश्यकताओं की पूर्ति निरंतर होती रहे।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 02 दिसंबर 2013 को जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप एक "स्ट्रेस जांच नीति /फ्रेमवर्क" तैयार किया है जिससे अपवाद स्वरूप किन्तु संभाव्य घटनाओं के प्रति संगठन की संभाव्य संवेदनशील स्थिति का पता लगाया जा सके। स्ट्रेस परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण, विशेषत: बैंक के भौतिक जोखिम एक्सपोजर के संबंध में, आर्थिक मंदी के समय किसी पोर्टफोलियो में निहित संभावित जोखिम की पहचान करने और तदनुसार इसका सामना करने के लिए उचित उपाय करने में सहायक होता है। नीतिगत उपायों के अनुसार बैंक आवधिक रूप से बैंक के तुलन-पत्र पर विभिन्न स्ट्रेस परीक्षण करता है और आल्को / आरएमसीबी / बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता योजना एवं आपदा से उबरने की योजना बनाई है । जीरो डाटा लॉस के लिए 3-वे डाटा केंद्र, सभी 3 डाटा केन्द्रों पर और केन्द्रीय कार्यालय पर , मल्टीपल एम पी एल एस - वी पी एन हाइ बैण्डविथ कनेक्शन , वैकल्पिक सेवा प्रदाता से ड्वेल कनेक्टीविटी और शाखाओं के लिए वैकल्पिक मीडिया की स्थापना की गयी है। फायरवॉल और इन्ट्रूजन डिटेक्शन प्रणाली को कार्यान्वित किया गया है। सूचना सुरक्षा घटनाओं की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए सूचना प्रणाली सुरक्षा विभाग (आइ एस सेक्यूरिटी) की स्थापना की गयी है ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सके। जबकि आइ एस लेखापरीक्षा अनुभाग बैंक के विभागों और शाखाओं की आवधिक सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा की देख-रेख करता है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया है। प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से डी आर ड्रिल आयोजित किया जाता है। नेटवर्क सुरक्शा को सुनिश्चित करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों द्वारा खतरा विश्लेषण और पेनेट्रेशन टेस्टिंग आयोजित किया जाता है।

बेसल III फ्रेमवर्क के तहत परिकल्पित उन्नत पहलों को माइग्रेट करने के लिए बैंक अपने जोखिम प्रबंधन प्रणाली व प्रक्रिया को उन्नत बनाने की प्रक्रिया में है।

ADDITIONAL DISCLOSURE AS ON 31.03.2023

Reserve Bank of India issues guidelines on Basel III Capital Adequacy Framework from time to time. In terms of the guidelines, the following disclosures are made as per the specified Formats under Pillar III requirement:

RISK MANAGEMENT

Risk taking is an integral part of the banking business. Banks assume various types of risks in its activities while providing different kinds of services based on its risk appetite. Each transaction that the Bank undertakes changes the risk profile of the Bank. In the normal course of business, a bank is exposed to various risks including Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. The objective of risk management is not to prohibit or prevent risk taking activity, but to ensure that the risks are consciously taken with full knowledge, clear purpose and understanding so that it can be measured and mitigated. With a view to managing such risks efficiently and strengthening its risk management systems, the bank has put in place various risk management measures and practices which include policies, tools, techniques, monitoring mechanism and management information systems (MIS).

The Bank, on a continuous basis, aims at enhancing and maximizing the shareholder's value through achieving appropriate trade-off between risks and returns. The Bank's risk management objectives broadly cover proper identification, measurement, monitoring, control and mitigation of the risks with a view to enunciate the bank's overall risk philosophy. The risk management strategy adopted by the bank is based on an understanding of risks and the level of risk appetite of the bank. Bank's risk appetite is demonstrated broadly through prescription of risk limits in various policies relating to risk management.

The bank has set up appropriate risk management organization structure in the bank. Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of the Board, is constituted which is responsible for management of credit risk, market risk, operational risk and other risks in the Bank. The bank has also constituted internal risk management committees namely Credit Risk Management Committee (CRMC) for managing credit risk, Asset Liability Management Committee (ALCO), Funds Committee for managing market risk, Operational Risk Management Committee (ORMC) and Product/Process Risk Mitigation Committee (PRMC) for managing operational risk, and Information Security Committee for managing Information security.

A full-fledged Risk Management department is functioning at the Bank's Central Office, independent of the business departments for implementing best risk management systems and practices in the bank. A Chief Risk Officer in the rank of General Manager of the bank is in charge of the department who is responsible for overall supervision on risk management in the bank and is the convener for all the internal risk management committees. The Mid-Office in Risk Management and Credit Support Services Dept., in particular, and other functional departments/ branches in general also carry out the risk management functions and monitor the adherence/ compliance to policies, risk limit framework and internal approvals. Risk Managers have been placed at Regional Offices. Apart from coordinating with Risk Management Department, Central Office for submission of various MIS, they participate in Regional Level Credit Approval Committees.

The basic approach to manage risk more effectively lies with controlling the risk at the point of its origination. The bank had implemented the New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from 31.03.2008 and is in compliance with the framework, in line with the guidelines issued by the RBI from time to time. Basel III guidelines have been introduced from 01.04.2013, and bank is maintaining capital as per Basel III guidelines. The Basel-III Framework is based on three mutually reinforcing pillars. While the first pillar of the revised framework addresses the minimum capital requirement for credit, market and operational risks, the second pillar of supervisory review process ensures that the bank has adequate capital to address all the risks in their business commensurate with bank's risk profile and control environment. As per RBI Circular, the Bank has put in place a Board approved Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to address second pillar requirements. This policy aims at assessing all material risks to which the bank is exposed over and above the regulatory prescriptions under the first pillar risks, and ensuring adequate capital structure to meet the requirements on an ongoing basis.

The bank has formulated a “Stress Testing framework” to assess the potential vulnerability of the organization to exceptional but plausible events in line with the guidelines issued by RBI on 2nd December 2013. Stress testing and scenario analysis, particularly in respect of the bank's material risk exposure, enable identification of potential risks inherent in a portfolio at times of economic recession and accordingly suitable proactive steps are taken to address the same. In accordance with the policy prescriptions, the bank carries out various stress tests on bank's balance sheet periodically and specific portfolios and places the reports to ALCO/ RMCB / Board.

Board approved Business Continuity Plan and Disaster Recovery plan is in place. The 3-way data centers have been implemented to facilitate Zero data loss, Multiple MPLS-VPN high bandwidth connections at all 3 data Centers and Central, Dual connectivity from different alternate service/ alternate providers and alternate media for branches have been established. Firewall and Intrusion detection systems have been implemented. A Security Operating Centre (SOC) has been established by the Information System Security Department to monitor and analyse the information security incidents to take corrective steps while IS Audit section takes care of the periodical Information Systems Audit of the Bank's department and branches. The bank has fine-tuned the information security systems in accordance with RBI guidelines. Regular DR drills are being conducted every quarter. To ensure Network security, periodical Vulnerability assessment and Penetration testing exercise are conducted by external experts.

The Bank is also in the process of upgrading its risk management systems and procedure for migrating to the advanced approaches envisaged under Basel III framework.

The third pillar of Basel-III framework refers to market discipline. The purpose of market discipline is to complement

बेसल III फ्रेमवर्क के तीसरे स्तंभ का अभिप्राय बाज़ार अनुशासन से है। बाज़ार अनुशासन का उद्देश्य, स्तम्भ 1 के तहत उल्लिखित न्यूनतम पूँजी आवश्यकता और स्तम्भ II के तहत उल्लिखित पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया को पूरा करना है। इस संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में जोखिम प्रबंधन के बारे में तालिका डीएफ 1 से 11 (संलग्न) में प्रकटीकरण (मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों) का एक सेट प्रकाशित किया गया है जिससे बाज़ार के सहभागी अनुप्रयोग की गुंजाइश, पूँजी जोखिम एक्सपोजर जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, बैंक की जोखिम प्रोफाइल और पूँजीकरण के स्तर आदि के बारे में महत्वपूर्ण सूचना का आकलन कर सकें; (अ) अनुप्रयोग की गुंजाइश डीएफ-1, (आ) पूँजी पर्याप्तता (डीएफ-2), (इ) उधार जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-3), (ई) उधार जोखिम: पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण बशर्ते कि मानकीकृत दृष्टिकोण (डीएफ-4), (उ) उधार जोखिम शमन: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-5), (ऊ) प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-6), (ए) ट्रेडिंग बुक में बाज़ार जोखिम (डीएफ-7), (ऐ) परिचालन जोखिम (डीएफ-8), (ओ) बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आइआरआरबीबी) (डीएफ-9), (औ) काउंटर पार्टी उधार जोखिम से संबंधित एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-10), (अं) पूँजी का संघटन (डीएफ-11), लेखांकन संपत्तियों की सारांश तुलना बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय (डीएफ 17) और लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (डी एफ 18) । यह बाज़ार के सहभागियों को विभिन्न मानदण्डों में बैंक के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक जानकारी भी प्रदान करेगा।

बेसल III के तहत पिलर III के अनुसार डेटा अपेक्षित

1. प्रयोज्यता की संभावना और पूँजी पर्याप्तता

तालिका डीएफ-1:

प्रयोज्यता की संभावना

बैंकिंग समूह का नाम जहां यह फ्रेमवर्क सलागू होती है

(i) गुणात्म क प्रकटीकरण

(क) समेकन के लिए विचारणीय इकाईयों के समूह की सूची

निगमन के देश/ इकाई का नाम	क्या इकाई समेकन के लेखाकरण संभावना के अंतर्गत आती है (हाँ/ नहीं)	समेकन की विधि की व्याख्या	क्या इकाई समेकन के विनियामक संभावना के अंतर्गत आती है (हाँ/ नहीं)	समेकन की विधि की व्याख्या	समेकन की विधि में अंतर के लिए कारणों की व्याख्या	समेकन की संभावना के सिर्फ किसी एक के तहत समेकन किए जाने के कारण की व्याख्या
ओड़िशा ग्राम्य बैंक	हाँ	ईक्विटी विधि	नहीं	ईक्विटी विधि	लागू नहीं	लागू नहीं
इंडियन इंटरनेशनल बैंक, बरहद, मलेशिया	हाँ	अनुपातिक समेकन विधि	हाँ	अनुपातिक समेकन विधि	लागू नहीं	लागू नहीं

(ख) लेखाकरण और विनियामक समेकन की दोनों संभावनाओं के तहत समेकन के लिए अविचारणीय इकाइयों के समूह की सूची

(रूपये करोड़ में)

निगमन के देश/इकाई का नाम	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	इकाई के पूँजी लिखतों में बैंक के निवेश के प्रति विनियमक व्यवहार	कुल तुलन पत्र परिसंपत्ति(विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेस	नहीं	368.18	18.06%	लागू नहीं	लागू नहीं

ii. मात्रात्मक प्रकटीकरण

1. समेकन के लिए विचारणीय इकाई यों के समूह की सूची (रूपये करोड़ में)

निगमन के देश/ इकाई का नाम जैसा ऊपर (I) क में इंगित किया गया है	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी(विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)	कुल तुलन पत्र परिसंपत्ति(विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)
ओड़िशा ग्राम्य बैंक	बैंकिंग	1643.93*	18623.11
इंडिया इंटरनेशनल बैंक, बरहद, मलेशिया	बैंकिंग	619.74**	863.00

*ओड़िशा ग्राम्य बैंक में इक्विटी का बैंक हिस्सा 573.37 करोड़ रुपये (1643.95*35%) है

** इंडिया इंटरनेशनल बैंक, बरहद, मलेशिया में बैंकों की हिस्सेदारी 216.90 करोड़ रुपये (619.74*35%) है।

the minimum capital requirements detailed under Pillar 1 and the supervisory review process detailed under Pillar 2. In this context and as guided by RBI a set of disclosure (both qualitative and quantitative) is published in DF 1 to 18 (annexed) with regard to risk management in the bank, which will enable market participants to assess key pieces of information on the (a) scope of application (DF-1), (b) Capital Adequacy (DF-2), (c) Credit Risk: General Disclosures for all banks (DF-3), (d) Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardized Approach (DF-4), (e) Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches (DF-5), (f) Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach (DF-6), (g) Market Risk in Trading Book (DF-7), (h) Operational Risk (DF-8), (i) Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) (DF-9), (j) General Disclosure for Exposures Related to Counter Party Credit Risk (DF-10),(k) Composition of Capital (DF 11), Summary Comparison of accounting assets vs Leverage Ratio exposure measure (DF 17) and Leverage ratio common disclosure template (DF-18). This would also provide necessary information to the market participants to evaluate the performance of the bank in various parameters.

Data Required as per Pillar III disclosure under Basel III

1. Scope of Application and Capital Adequacy

TABLE DF –1:

Scope of application

Name of the Banking Group to which the framework applies

(i) Qualitative disclosures:

a. List of group entities considered for consolidation:

Name of the Entity / Country of Incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of Consolidation (yes/ no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of Consolidation (yes/ no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Odisha Gramya Bank	Yes	Equity Method	Yes	Equity Method	NA	NA
India International Bank, Berhad, Malaysia	Yes	Proportionate Consolidation Method	Yes	Proportionate Consolidation Method	NA	NA

b. List of Group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

(Rs. in Crore)

Name of the Entity / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of the Bank's investments in the capital instruments of the entity	Total Balance Sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
Universal Sompo General Insurance	No	368.18	18.06%	NA	NA

ii. Quantitative disclosures:

a. List of Group entities considered for consolidation (Rs. in Crore)

Name of the Entity / Country of Incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total Balance Sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
Odisha Gramya Bank	Banking	1643.93*	18623.11
India International Bank, Berhad, Malaysia	Banking	619.74**	863.00

* Banks share of Equity in Odisha Gramiya Bank is Rs.575.37 Crores (1643.93*35%)

** Banks share of Equity in India International Bank, Berhad, Malaysia is Rs.216.90 Crores (619.74*35%)

ग. सभी अनुषंगी इकाईयों में पूँजी की कमी की कुल रकम समेकन में शामिल नहीं है यानी जिनकी कटौती की गई है और ऐसी अनुषंगी इकाइयों के नाम

निगमन के देश / अनुषंगी का नाम	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी(विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	पूँजी की कमी
लागू नहीं				

च. बीमा इकाई में बैंक के कुल हित की औसत रकम (उदाहरण - चालू बही मूल्य) जो जोखिम भारित हैं:

(रु. करोड़ में)

निगमन का देश/ बीमा इकाइयों के नाम	इकाईका प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)	वोटिंग अधिकार का अनुपात / कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	जोखिम भारित प्रक्रिया बनाम पर्ण कटौती विधि के इस्तेमाल का विनियामक पूँजी पर मात्रात्मक प्रभाव
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस	साधारण बीमा	368.18	18.06%	सीआरएआर में 1 बीपीएस से कम की कटौती

(च) बैंकिंग समूह के बीच निधियों या विनियामक पूँजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा: नहीं

तालिका डीएफ-2: पूँजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में बेसल ।।। पूँजी नियमकों को चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जो 1 अप्रैल 2013 से लागू हैं जहाँ बैंक 30 जून 2013 को समाप्त तिमाही से अपनी बेसल ।।। की पूँजी की घोषणा कर रही हैं । बैंक उपरोक्त दिशानिर्देशों साथ अनुपालन कर रहे हैं ।

बैंक ने निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के केंद्रीय कार्यालय में संबधित आँकड़ों के आधार पर बाज़ार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूँजी की गणना की है। मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत क्रेडिट जोखिम के लिए पूँजी की गणना में बैंक अपने केन्द्रीय कार्यालय की पोर्टफोलियो से इतर प्रत्येक शाखा से प्राप्त उधारकर्तावार आंकड़ों पर निर्भर है। सभी प्रकार के ऋणों में क्रेडिट जोखिम पूँजी की संगणना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में सूचित वर्गीकरण के अनुसार उधारकर्तावार या सुविधा प्रकार आधार पर किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, बैंक ने आंतरिक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जो शाखाओं के अग्रिम पोर्टफोलियो के उधार जोखिम के लिए पूँजी के हिसाब को सुलभ करता है और सीबीएस के ज़रिए शाखा स्तर, क्षेत्रीय कार्यालय और केंद्रीय कार्यालय स्तर पर आवश्यक रिपोर्ट उत्पन्न करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक कुल जोखिम भारित आस्ति अर्थात जोखिम भारित आस्ति (आरडबल्यूए) की पूँजी के 9% के न्यूनतम अनुपात (एमआइटी) को बनाए रखना नियत किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी फ्रेमवर्क 5.5% के न्यूनतम सीईटी के साथ 7% न्यूनतम टीयर। सीआरएआर के अनुरक्षण की बात करता है। कुल पूँजी (टीयर 1 पूँजी + टीयर 2 पूँजी) को नियमित आधार पर जोखिम भारित आस्तियों का कम से कम 9% अवश्य होना चाहिए । बेसल ।।। दिशानिर्देशों के अनुसार, आरडब्ल्यूए के 5.5% की न्यूनतम सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूं जी के अलावा, बैंकों को सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी के रूप में आरडब्ल्यूए के 2.50% पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) को बनाए रखने की भी आवश्यकता है। 31.03.2023 तक, बैंक ने 16.10% (2.50% के सीसीबी सहित) का सीआरएआर बनाए रखा है ।

बैंक की समग्र जोखिम प्रोफाइल के समान परिशोधित फ्रेमवर्क के स्तंभ 2 आवश्यकताओं के उपाय के रूप में बैंक के संबंधित जोखिम कारकों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने आन्तरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया पर नीति और फ्रेमवर्क तैयार किया है। नीति तैयार करते समय बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा ओवरसीज़ परिचालन समेत बैंक की जोखिम प्रवृत्ति, जहाँ कही लागू / प्रासंगिक हो, में निर्धारित अपेक्षाओं को ध्यान में रखा है।

बेसल ।।। फ्रेमवर्क के अंश के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने लीवरेज अनुपात अवधारणा शुरू की है। लीवरेज अनुपात टीयर । पूँजी (कॉमन इक्विटी + अतिरिक्त टीयर ।) तथा कुल जोखिम (बेसल ।।। के तहत परिभाषितानुसार) का अनुपात है। लीवरेज अनुपात का अनुरक्षण तिमाही आधार पर किया जाना है। आरबीआई ने परिपत्र संख्या आरबीआइ /2018-19/225 डीबीआर .बीपी. बीसी. सं. 49/21.06.201/2018-19 दिनांकित 28.06.2019 के माध्यम से अंतिम दिशानिर्देश जारी किया है जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि गैर – देशीय प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक (डीएसआइबी) द्वारा 01.10.2020 से 3.5% के लीवरेज अनुपात का रखरखाव किया जाना है । आरबीआई द्वारा निर्धारित वांक्षित स्तर 3.50% की तुलना में मार्च 2023 के लिए बैंक का लीवरेज अनुपात 5.14% है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) तथा निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) जैसी दो न्यूनतम मानकों के संबंध में दिशानिर्देश ज़ारी किया है । संभाव्य चल स्थितियों से संबंधी बाधाएँ उत्पन्न होने पर 30 दिनों तक गंभीर मौद्रिक तनाव की स्थिति से जूझने के लिए बैंक के पास पर्याप्त उच्च गुणवत्तापूर्ण चल आस्तियों को सुनिश्चित करते हुए एलसीआर बैको को अल्पकालिक सुदृढ़ता प्रदान करता है । बैंक ने मार्च 2023 तिमाही के सभी कार्य दिवसों के लिए एलसीआर की गणना की है । 31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए बैंक का एलसीआर तीन महीने (वित्तीय वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही) के दैनिक औसत के आधार पर 171.16% है और आरबीआइ द्वारा निर्धारित 100% की वर्तमान न्यूनतम आवश्यकता से काफी ऊपर है ।

निवल स्थिरता निधियन अनुपात (एनएसएफ़आर) बैंकों को निरंतर आधार पर निधियों के अधिक स्थिर स्रोतों के साथ अपनी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए आवश्यक लंबी अवधि के दौरान बैंकों के लचीलेपन को बढ़ावा देता है । बैंक ने 31 मार्च 2023 के लिए एनएसएफआर की गणना की है जो कि 143.21% है जो आ रबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम 100% आवश्यकता से काफी अधिक है ।

गुणात्मक प्रकटीकरण:

b. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included, in the regulatory scope of consolidation i.e., that are deducted:

Name of the Subsidiaries / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
Not applicable				

c. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk weighted:

(Rs. in Crore)

Name of the insurance entities / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity/ proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method vs. using the full deduction method
Universal Sompo General Insurance	General Insurance	368.18	18.06	Reduction of 1 bps in CRAR

d. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the Banking Group: NO

Table DF – 2: CAPITAL ADEQUACY

Qualitative disclosures:

Reserve Bank of India has issued guidelines on implementation of Basel III capital regulations in India to be implemented in a phased manner effective from April 1, 2013 with Banks disclosing Basel III capital ratios from the quarter ending June 30, 2013. The bank is complying with the same.

The Bank has computed capital for market risk and operational risk as per the prescribed guidelines at the bank's Central Office, based on the relevant data. In computation of capital for Credit risk under Standardized Approach, the bank has relied upon the borrower-wise data captured from each individual branch besides portfolios held at Central Office of the bank. In all loan types, the credit risk capital computation is done on borrower basis or facility type basis as per the segmentation advised in the RBI guidelines. For this purpose, the Bank has developed in-house software, which enables computation of capital for credit risk of the advances portfolio of the branches and generation of the requisite reports at the Branch level, Regional Office level and Central Office level through CBS System.

RBI has prescribed that banks are required to maintain a minimum total capital (MTC) of 9% of total risk weighted assets (RWAs) i.e. capital to risk weighted assets (CRAR). The framework issued by RBI prescribes maintenance of a minimum Tier-1 CRAR of 7% with a minimum CET 1 of 5.5%. Total Capital (Tier 1 Capital plus Tier 2 Capital) must be at least 9% of RWAs on an ongoing basis. As per Basel III guidelines, in addition to the minimum Common Equity Tier 1 capital of 5.5% of RWAs, banks are also required to maintain a capital conservation buffer (CCB) of 2.50% of RWAs in the form of Common Equity Tier 1 capital. As on 31.03.2023, Bank has maintained CRAR of 16.10% (including CCB of 2.50%)

The Bank has put in place a policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and the framework in consideration of the relevant risk factors of the bank as a measure towards adequacy of capital available to meet the residual risk as part of Pillar 2 requirements of the revised framework commensurate with the bank's overall risk profile. In framing the policy, the bank has taken into consideration the requirements prescribed by the RBI in their guidelines and bank's risk appetite.

As part of Basel III framework, RBI has introduced Leverage Ratio concept. The leverage ratio is the ratio of Tier-1 capital (Common Equity + Additional Tier I) and total exposure (as defined under Basel III). The leverage ratio has to be maintained on a quarterly basis. Final guidelines were issued vide RBI circular RBI/2018-19/225 DBR.BP.BC.No.49/21.06.201/2018-19 dated: 28.06.2019 where in it was decided that Non -Domestic Systemically Important Banks (DSIBs) have to maintain a leverage ratio of 3.50% w.e.f 01.10.2020. Bank's Leverage Ratio as on 31.03.2023 is 5.14% as against 3.50 % being stipulated by RBI

RBI has issued guidelines on two minimum standards Viz. Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) for funding liquidity.

The LCR promotes short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that bank have sufficient high quality liquid assets (HQLA) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. Bank has calculated LCR for all working days over the March'2023 quarter. Bank's LCR for the quarter ended 31st March 2023 stands at 171.16% based on daily average of three months (Q4 FY 2022-23) and is well above the present minimum requirement prescribed by RBI of 100%.

Net Stable Funding Ratio (NSFR) promotes resilience of Banks over a longer-term time horizon by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis. Bank has calculated NSFR for 31st March 2023 which stands at 143.21% which is well above the RBI rescribed inimum requirement of 100%.

रु. करोड़ में

मात्रात्मक प्रकटीकरण	31.03.2023 तक
क) ऋण जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता • मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो • प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	 9603.57 0.00
ख) बाजार जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण • ब्याज दर जोखिम • विदेशी मुद्रा जोखिम • इक्विटी जोखिम	 406.52 5.40 244.73
ग) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता • बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण परिचालनात्मक जोखिम	 1205.31
घ) कुल और टीयर- । पूंजी अनुपात	(प्रतिशत में)
• कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर)	16.10%
• कुल सीआरएआर (विवेकपूर्ण आधार के विनियोग के अधीन)	16.10%
• कुल टीयर 1 पूंजी अनुपात (टीयर 1 सीआरएआर)	12.88%
• सामान्य इक्विटी टीयर-। पूंजी अनुपात	12.88%

तालिका डीएफ-3 :

उधार जोखिम : सभी बैंकों के लिये सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

उधार जोखिम उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षियों की ऋण गुणवत्ता में ह्रास से जुड़ी हानियों की संभावना है। बैंक के पोर्टफोलियो में उधार जोखिम अधिकांशत: बैंक के उधार क्रियाकलापों तथा बैंक के निवेश संबंधी कार्यकलापों से उत्पन्न होता है यदि उधारकर्ता/प्रतिपक्षी ऋणदाता/ निवेशक के प्रति अपनी वित्तीय बाध्यताओं को पूरा नहीं कर पाता है। यह उधारकर्ता या प्रतिपक्षियों की उधार गुणवत्ता / साख में संभाव्य परिवर्तनों से उत्पन्न होता है। उधार जोखिम में काउंटर पार्टी जोखिम और देश जोखिम भी शामिल हैं।

उधार रेटिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया

बैंक उधारकर्ता और पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम के निरन्तर मापन व प्रबोधन के ज़रिए अपने उधार जोखिम का प्रबंधन करता है। बैंक में मजबूत आंतरिक उधार रेटिंग फ्रेमवर्क और सुस्थापित मानकीकृत उधार मूल्यांकन / अनुमोदन प्रक्रिया है। उधार रेटिंग एक उत्प्रेरक प्रक्रिया है जो बैंक के प्रस्तावित गुणों और अवगुणों के मूल्यांकन में सहायक है। यह निर्णय लेने में सहायक साधन है जो किसी उधार प्रस्ताव की स्वीकार्यता पर विचार करने में बैंक की सहायता करती है।

रेटिंग मॉडल उद्योग जोखिम, व्यवसाय जोखिम, प्रबंधन जोखिम, वित्तीय जोखिम, परियोजना जोखिम (जहां लागू हो) और सुविधा जोखिम आदि जैसे जोखिम घटकों से संबंधित मात्रात्मक और गुणात्मक विशेषताओं को कारक बनाता है। उद्योग जोखिम पर डेटा नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और बाजार की स्थितियों के आधार पर क्रिसिल द्वारा समर्थित होता है।

रु. 100 लाख और उससे अधिक के ऋण खातों को क्रिसिल से खरीदे गए आरएएम के तहत रेट किया गया है और आईएमएसीएस (आईसीआरए) जोखिम रेटिंग मॉडल के तहत रु. 100 लाख से कम एक्सपोज़र का मूल्यांकन किया गया है। इस प्रकार सभी पात्र खाते कई जोखिम मापदंडों पर फैले जोखिम स्कोर रेटिंग के अधीन हैं।

बैंक ने पुष्पक (वाहन ऋण), बेजमनाती ऋण , शिक्षा ऋण, आवास ऋण और अन्य खुदरा ऋणों के लिए "खुदरा स्कोरिंग मॉडल" लागू किया है। बैंक ने रु. 10 लाख तक के ऋण मूल्य के छोटे एमएसएमई उधारकर्ताओं की रेटिंग के लिए एक इन-हाउस स्कोरिंग मॉडल विकसित किया है।

बैंक ऋण और अग्रिम की मंजूरी के लिए एक सुपरिभाषित बहुस्तरीय विवेकाधीन शक्ति संरचना का पालन करता है। उपयुक्त स्वीकृति प्राधिकारियों को नए/बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश करने के लिए असाधारण रूप से बड़ी शाखा/आरओ/सीओ को शामिल करते हुए सभी स्तरों पर अनुमोदन समितियों का गठन किया गया है। विशिष्ट स्वीकृति शक्तियां शाखा प्रबंधकों को प्रत्यायोजित की गई हैं ।

बैंक के ऋण नीति दस्तावेज़ के अनुसार, 25 करोड़ रुपये और उससे अधिक के एक्सपोजर वाले सभी खातों (एमएसएमई और विशेष योजनाओं के अलावा) को अनिवार्यत: बाहरी रूप से रेट किया गया है और गतिशील रेटिंग के लिए पात्र खातों को गतिशील रूप से रेट किया गया है ।

एमएसएमई खातों और सभी विशेष योजनाओं के लिए 25.00 करोड़ रुपये और 100.00 करोड़ रुपये तक के एक्सपोजर को अनिवार्य बाहरी रेटिंग से छूट दी गई है।

उधार जोखिम प्रबंधन नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुसंरचित ऋण नीति और उधार जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। इस नीति में संगठन की संरचना, भूमिका और उत्तरदायित्व और उन प्रक्रियाओं का उल्लेख है जहाँ बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले ऋण जोखिम को पहचाना जा सकता है, उसकी मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है और फ्रेमवर्क के अंदर प्रबंधन किया जा सकता है जिसे बैंक अपने अधिदेश और जोखिम सहन करने की क्षमता के साथ निरन्तर जोखिम मानता है। उधार जोखिम का प्रबोधन बैंक द्वारा बैंक वाइड आधार पर किया जाता है और बोर्ड / आरएमसीबी द्वारा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। उधार जोखिम प्रबंधन समिति बैंक की जोखिम वहन क्षमता को हिसाब में लेती है और तदनुसार सुरक्षा, तरलता, विवेकपूर्ण मानदण्डों, एक्सपोज़र सीमाओं से संबंधित मामलों को संभालता है।

बैंक ने बैंक में सर्वोत्तम क्रेडिट जोखिम प्रबंधन प्रथा को लागू करने के लिए गंभीर कदम उठाए हैं । बैंक ने ऋण नीति और ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के अलावा, बैंक ने अग्रिमों, निधियों और निवेश नीति, प्रतिपक्ष जोखिम प्रबंधन नीति और देश जोखिम प्रबंधन नीति आदि पर ब्याज दर नीति भी तैयार की है, जो ऋण जोखिम की निगरानी का अभिन्न अंग है । इसके अलावा, बैंक ने संपार्श्विक प्रबंधन और ऋण जोखिम शमन पर एक नीति लागू की है जो बैंक द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार की जाने वाली प्रतिभूतियों (प्राइम और कोलेटरल दोनों) और बैंक के हितों की रक्षा के लिए ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन का विवरण देता है । वर्तमान में, कुछ चुनिंदा प्रतिभूतियां क्रेडिट जोखिम (पूंजी गणना में) के खिलाफ शमन के रूप में कार्य करती हैं, जिसमें बैंक का ऋण होता है ।

Quantitative disclosures:

(Rs. in crore)

Quantitative Disclosures:	As on 31.03.2023
a) Capital requirement for Credit Risk • Portfolio subject to Standardized Approach • Securitization Exposures	 9603.57 0.00
b) Capital requirements for Market Risk: Standardized Duration Approach • Interest Rate Risk • Foreign Exchange Risk • Equity Risk	 406.52 5.40 244.73
c) Capital requirements for Operational Risk • Basic Indicator Approach Operational Risk	 1205.31
d) Total and Tier 1 capital ratio: For the top consolidated group; and • Total Capital Ratio (CRAR) • Total CRAR (subject to application of Prudential Floor) • Total Tier 1 Capital Ratio (Tier 1 CRAR) • Common Equity Tier-I Capital Ratio	(in Percentage) 16.10% 16.10% 12.88% 12.88%

Table DF-3:

CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES FOR ALL BANKS

Qualitative disclosures:

Credit Risk is the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counter parties. In a Bank's portfolio, Credit Risk arises mostly from lending and investment activities of the Bank if a borrower / counterparty is unable to meet its financial obligations to the lender/investor. It emanates from changes in the credit quality/ worthiness of the borrowers or counter parties. Credit risk also includes counterparty risk and country risk.

Credit rating and Appraisal Process:

The Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at obligor (borrower) and portfolio level. The Bank has a robust internal credit rating framework and well-established standardized credit appraisal / approval process. Credit rating is a facilitating process that enables the bank to assess the inherent merits and demerits of a proposal. It is a decision enabling tool that helps the bank to take a view on acceptability or otherwise of any credit proposal.

The rating models factor quantitative and qualitative attributes relating to Risk components such as Industry Risk, Business Risk, Management Risk, Financial Risk, Project risk (where applicable) and Facility Risk etc. The data on industry risk is regularly updated and supported by CRISIL, based on market conditions.

Borrowal accounts having exposure of Rs 100 Lacs and above are rated under RAM procured from CRISIL and exposure below Rs.100 Lacs are rated under the IMACS (ICRA) risk rating models. Thus all the eligible accounts are subjected to Risk Scores Rating spanning over a number of risk parameters.

Bank has implemented "Retail Scoring Models" for Pushpaka (Vehicle Loan), Clean Loan, Education Loan, Housing loan and other Retail Loans. Bank has developed an in-house scoring model for rating Small MSME borrowers of loan value up to Rs.10 lacs.

The bank follows a well-defined multi layered discretionary power structure for sanction of loans and advances. Approval Committees have been constituted at all levels covering Exceptionally Large branch / RO / CO for recommending fresh/ enhancement proposal to appropriate sanctioning authorities. Specific Sanctioning Powers have been delegated to Branch Managers.

As per Loan Policy Document of the Bank, all the accounts having an exposure above Rs.25 Cr and above (other than MSME and special schemes) are mandatorily externally rated and the accounts eligible for dynamic rating are rated dynamically.

MSME accounts and all Special Schemes having an exposure of Rs.25.00 Cr and up to Rs.100.00 Cr are exempted from compulsory External rating.

Credit Risk Management Policies

The bank has put in place a well-structured loan policy and credit risk management policy duly approved by Board. The policy document defines organizational structure, role and responsibilities and processes whereby the Credit Risk carried by the Bank can be identified, quantified and managed within the framework that the Bank considers consistent with its mandate and risk tolerance. Credit risk is monitored by the bank on a bank-wide basis and compliance with the risk limits approved by Board / RMCB is ensured. The Credit Risk Management Committee (CRMC) takes into account the risk tolerance level of the Bank and accordingly handles the issues relating to Safety, Liquidity, Prudential Norms and Exposure limits.

The bank has taken earnest steps to put in place best credit risk management practices in the bank. In addition to Loan Policy and Credit Risk Management Policy, the bank has also framed Interest Rate Policy on Advances, Funds and Investment Policy, Counter Party Risk Management Policy and Country Risk Management Policy etc., which forms integral part of monitoring of credit risk in the bank. Besides, the bank has implemented a policy on collateral management and credit risk mitigation which lays down the details of securities (both prime and collateral) normally accepted by the Bank and administration of such securities to protect the interest of the bank. Presently, some select securities act as mitigation against credit risk (in capital computation), to which the bank is exposed.

(रू. करोड़ों में)

मात्रात्मक प्रकटीकरण	31.03.2023
अ) कुल सकल क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर:	
निधि आधारित	307896.15
गैर निधि आधारित	16228.74
कुल	324124.89
आ) भौतिक वितरण एक्सपोजर:	
• **देशीय**	
निधि आधारित	173668.54
गैर निधि आधारित (एलसी व एलजी)	16157.89
• **विदेशी**	
निधि आधारित	15339.96
गैर निधि आधारित (एलसी व एलजी)	1490.55
इ) एक्सपोजर, निधि आधारित और गैर-निधि आधारित अलग-अलग उद्योगवार	संलग्न
ई) परिसंपत्तियों की अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता ब्रेकडाउन	संलग्न
उ) एनपीए का मूल्य (कुल)	14071.55
• अवमानक	2505.67
• संदिग्ध	8756.68
क डी1	2397.33
ग डी2	2856.36
घ डी3	3502.98
• हानि	2809.16
ऊ) निवल एनपीए	3266.01
ए) एनपीए अनुपात	
• कुल अग्रिमों पर कुल एनपीए	7.44%
• निवल अग्रिम पर निवल एनपीए	1.83%
ऐ) एनपीए की संचलन (सकल)	
• अथशेष(01.03.2022)	15298.62
• जोड़ना	4472.43
• घटाना	5699.50
• इतिशेष (31.03.2023)	14071.55
ओ) एनपीए के लिए प्रावधानों का संचलन	
• अथशेष (01.04.2022)	11149.34
• अवधि के दौरान किए गये प्रावधान	2857.74
• बट्टे खाते में डालना/ अतिरिक्त प्रावधानों का प्रलेखन	3488.31
• इतिशेष (31.03.2023)	10518.77
औ) अनर्जक निवेशों की राशि	2213.64
अं) अनर्जक निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की राशि	2201.52
अ: निवेशों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान का उतार – चढाव (देशी)	
• अथशेष (01.04.2022)	2422.98
• अवधि के दौरान किए गये प्रावधान	769.51
• बट्टे खाते में डालना/ अतिरिक्त प्रावधानों का प्रलेखन	1095.09
• इतिशेष (31.03.2023)	2097.40

1. आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विभाजन (वैश्विक) (रूपये करोड़ में)

विवरण	राशि
दिन 1	27175.66
2 दिन – 7 दिन	7639.76
8 दिन – 14 दिन	5110.91
15 दिन – 30 दिन	6806.46

(Rs. in crore)

Quantitative Disclosures:	**31.03.2023**
a) Total gross credit risk exposures: Fund based Non fund based Total	 307896.15 16228.74 324124.89
b) Geographic distribution of exposures, • **Domestic** Fund based Non Fund based (LC & LG) • **Overseas** Fund based Non Fund based (LC & LG)	 173668.54 16157.89 15339.96 1490.55
c) Industry type distribution of exposures, fund based and non-fund based separately	Annexed
d) Residual contractual maturity breakdown of assets	Annexed
e) Amount of NPAs (Gross) • Substandard • Doubtful a. D1 b. D2 c. D3 • Loss	14071.55 2505.67 8756.68 2397.33 2856.36 3502.98 2809.16
f) Net NPAs	3266.01
g) NPA Ratios • Gross NPAs to gross advances • Net NPAs to net advances	 7.44% 1.83%
h) Movement of NPAs (Gross) • Opening balance (01.04.2022) • Additions • Reductions • Closing balance (31.03.2023)	 15298.62 4472.43 5699.50 14071.55
i) Movement of provisions for NPAs • Opening balance (01.04.2022) • Provisions made during the period • Write off / Write back of excess provisions • Closing balance (31.03.2023)	 11149.34 2857.74 3488.31 10518.77
j) Amount of Non-Performing Investments	2213.64
k) Amount of provisions held for non-performing investments	2201.52
l) Movement of provisions for depreciation on investments (Domestic) • Opening Balance (01.04.2022) • Provisions made during the period • Write-off / Write-back of excess provisions • Closing Balance (31.03.2023)	 2422.98 769.51 1095.09 2097.40

Residual contractual Maturity break down of Assets (Global) (Rs. in crore)

Particulars	**Amount**
Day 1	27175.66
2 Days – 7 Days	7639.76
8 Days – 14 Days	5110.91
15 Days – 30 Days	6806.46

31 दिन – 2 माह	9250.34
2 माह – 3 माह	12181.49
3 माह – 6 माह	20434.89
>6 माह – 12 माह	38436.79
>1 वर्ष – 3 वर्ष	63490.99
>3 वर्ष – 5 वर्ष	19809.31
> 5 वर्ष	114114.34

उद्योगवार प्रकटीकरण (रू. करोड़ों में)

उद्योग का नाम	**31.03.2023 को एक्सपोज़र**
खनन व क्वेरियिंग	3519.54
खाद्य प्रसंस्करण	4058.93
उनमें से चीनी	812.96
उनमें से खाद्य तेल व वनस्पति	555.25
उनमें से चाय	126.94
बेवरेज़ व तंबाकू उत्पाद	2045.04
सूती वस्त्र	3053.10
जूट वस्त्र	99.90
हस्तशिल्प/ खादी (गैर प्राथमिक)	470.89
अन्य वस्त्र उद्योग	3800.31
चमड़ा व चमड़ा उत्पाद	683.06
लकड़ी व लकड़ी उत्पाद	654.23
कागज व कागज उत्पाद	1672.83
पेट्रोलियम (गैर- इंफ्रा) , कोयला उत्पाद (गैर- खनिज) एवं नाभिकीय ईंधन	2407.25
रसायन व रसायन उत्पाद (डाइ, पेंटस, इत्यादि)	3715.53
उनमें से उर्वरक	2047.21
उनमें से औषधि और फार्मास्युटिकल	457.45
उनमें से अन्य	1210.87
रबर , प्लास्टिक और उनके उत्पाद	1553.88
ग्लास एवं ग्लासवेयर	54.25
सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	1299.09
लौह एवं स्टील	8036.08
अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	2623.98
सभी इंजीनियरिंग	5966.69
उनमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	1148.79
वाहन , वाहन के भाग , परिवहन साधन	3851.37
रत्न व आभूषण	3308.47
निर्माण	847.48
इंफरास्ट्रक्चर	26006.57
उनमें से रोडवेज़	7542.04
उनमें से ऊर्जा	12126.28
उनमें से दूरसंचार	3025.33
अन्य उद्योग	149.66
अवशिष्ट अन्य अग्रिम	179357.22
उनमें से उड्डयन क्षेत्र के लिए	170.59
कुल ऋण व अग्रिम – देशीय	**259405.94**

31 Days – 2 Months	9250.34
2 Months – 3 Months	12181.49
3 Months – 6 Months	20434.89
>6 Months – 12 Months	38436.79
>1 Year – 3 Years	63490.99
>3 Years – 5 Years	19809.31
> 5 Years	114114.34

INDUSTRY WISE EXPOSURES

(Rs. in crore)

Industry Name	**Exposure as on 31.03.2023**
Mining and quarrying	3519.54
Food Processing	4058.93
Of which Sugar	812.96
Of which Edible Oils and Vanaspati	555.25
Of which Tea	126.94
Beverages and Tobacco	2045.04
Cotton Textiles	3053.10
Jute Textiles	99.90
Handicraft/ Khadi (Non Priority)	470.89
Other Textiles	3800.31
Leather and Leather Products	683.06
Wood and Wood Products	654.23
Paper and Paper Products	1672.83
Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	2407.25
Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.,)	3715.53
Of which Fertilisers	2047.21
Of Which Drugs and Pharmaceuticals	457.45
Of which Others	1210.87
Rubber, Plastic and their products	1553.88
Glass & Glassware	54.25
Cement and Cement Products	1299.09
Iron and Steel	8036.08
Other Metal and Metal Products	2623.98
All Engineering	5966.69
Of which Electronics	1148.79
Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	3851.37
Gems and Jewelry	3308.47
Construction	847.48
Infrastructure	26006.57
Of which Roadways	7542.04
Of which Energy	12126.28
Of which Telecommunications	3025.33
Other Industries	149.66
Residuary Other Advances	179357.22
Of which Aviation Sector	170.59
Total Loans and Advances- Domestic	**259405.94**

तालिका डीएफ -4:

उधार जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुरूप पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण (31.03.2023 तक)

गुणात्मक प्रकटीकरण:

सामान्य सिद्धान्त

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने से उधार जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन के लिए बेसल II पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। पूँजी के परिकलन में बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय - समय पर निर्धारित अनुसार जोखिम भारों को विभिन्न आस्ति प्रवर्गों में आबंटित कर दिया है।

बाहरी उधार रेटिंग

पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल II) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को देखते हुए बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों (ईसीआरए) द्वारा उधारकर्ताओं की रेटिंग का महत्व बढ़ गया है। बाहरी रेटिंग के आधार पर कॉरपोरेट / पीएसई / प्राइमरी डीलरों को एक्सपोज़र को जोखिम भार आबंटित किया गया है। इस उद्देश्य के लिए, बैंक आरबीआइ द्वारा मान्यता प्राप्त घरेलू बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा सौंपी गई क्रेडिट रेटिंग का उपयोग करता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने जोखिम भारित संपत्ति और पूंजी की गणना के लिए इन सभी ईसीआरए द्वारा निर्धारित रेटिंग को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। आरबीआइ ने बैंकिंग बही में तुलनीय संपत्तियों पर सार्वजनिक निर्गम रेटिंग की मैपिंग के लिए प्रावधान किया है। हालांकि, इस विशेष प्रावधान को क्रेडिट रिस्क कैपिटल कंप्यूटेशन में ध्यान में नहीं रखा गया है।

बैंक पूँजी परिकलन उद्देश्यों के लिए केवल प्रार्थित बाहरी रेटिंग्स का उपयोग करता है । 15 महीनों के दौरान दी गई नई या पुनरीक्षित रेटिंग को ही बैंक द्वारा पूंजी के अभिकलन के लिए हिसाब में लिया जाता है।

विदेशी एक्सपोज़र की पूँजी परिकलन के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग ऐजेंसियों जैसे फिच , मूडी एवं स्टैंडर्ड व पूअर द्वारा प्रदत्त रेटिंग्स का प्रयोग किया जाता है।

बैंक के ऋण नीति दस्तावेज़ के अनुसार, 25.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक के एक्सपोजर वाले सभी खातों को एमएसएमई और विशेष क्रेडिट योजनाओं को छोड़कर अनिवार्य रूप से बाह्य रूप से रेट किया गया है। एमएसएमई खाते और 25 करोड़ रुपये और 100 करोड़ रुपये तक के एक्सपोजर वाली सभी विशेष योजनाओं को अनिवार्य बाहरी रेटिंग से छूट दी गई है ।

आंतरिक क्रेडिट रेटिंग :

उधारकर्ता से जुड़े क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए बैंक के पास एक अच्छी तरह से संरचित आंतरिक क्रेडिट रेटिंग तंत्र है। बैंक ने 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के एक्सपोजर के लिए विभिन्न सेगमेंट के तहत खातों को रेट करने के लिए एक रिस्क असेसमेंट मॉडल (आरएएम) रखा है । बैंक 1 करोड़ रुपये से कम के जोखिम वाले एमएसएमई और कृषि उधारकर्ताओं को रेट करने के लिए सीआरआरएम रेटिंग का उपयोग करता है ।

बैंक ने "डायनेमिक रेटिंग" की अवधारणा भी पेश की है, जो कुछ ट्रिगर्स पर आधारित है। रणनीति के रूप में खुदरा, कृषि और एमएसएमई (रैम) के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बैंक ने 01.01.2017 को खुदरा स्कोरिंग मॉडल पेश किया और ऑनलाइन ऋण प्रसंस्करण के साथ एकीकृत किया। रेटिंग सत्यापन क्रेडिट विभागों से स्वतंत्र है ।

आंतरिक रेटिंग के आधार पर, प्रस्तावों की स्वीकार्यता और एक्सपोजर के स्तर और मूल्य निर्धारण के संबंध में क्रेडिट निर्णय लिए जाते हैं। बैंक ने नए खातों के मामले में एंट्री लेवल रेटिंग निर्धारित की है। निर्धारित रेटिंग प्रवेश स्तर से कम रेटिंग वाले खातों पर केवल उच्च अधिकारियों द्वारा निर्धारित शक्तियों के अनुसार विचार किया जा सकता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण : (रू. करोड़ों में)

वर्गीकरण	न्यूनीकरण के बाद एक्सपोजर (ईएएम)	ईएएम बाहरी रेटिंग के अंतर्गत आता है	अनरेटेड
अग्रिम/निवेश			
100% जोखिम भार से कम	164538.51	29450.74	135087.77
100% जोखिम भार पर	52964.26	6574.94	46389.32
100% से अधिक जोखिम भार	5374.08	3635.15	1738.93
कटौती	0.00	0.00	0.00
कुल	**222876.85**	**39660.83**	**183216.02**
अन्य परिसंपत्तियां			
100% जोखिम भार से कम	25459.92	943.06	24516.86
100% जोखिम भार पर	7025.30	5.16	7020.14
100% से अधिक जोखिम भार	0.01	0.00	0.01
कटौती	0.00	0.00	0.00
कुल	**32485.23**	**948.22**	**31537.01**

तालिका डीएफ – 5 : उधार जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

उधार जोखिम को करने पर नीति :

विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन तथा उधार जोखिम को कम करने के तकनीक पर बहुत ही स्पष्ट नीति बैंक द्वारा बनाई गई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित है । नीति में बैंक द्वारा ऋण देते समय सामान्यता स्वीकार की गई प्रतिभूतियों के प्रकार तथा इसके साथ जुड़े हुए

Table DF-4:

CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH (as on 31.03.2023)

Qualitative disclosures:

General Principle:

In accordance with the RBI guidelines, the Bank has adopted New Capital Adequacy Framework for computation of capital for credit risk. In computation of capital, the bank has assigned risk weight to different asset classes as prescribed by the RBI from time to time.

External Credit Ratings:

Rating of borrowers by External Credit Rating Agencies (ECRAs) assumes importance in the light of Guidelines for implementation of the Basel III Capital Adequacy Framework. Exposures on Corporates / Public Sector Enterprises/ Primary Dealers are assigned with risk weights based on available external ratings. For this purpose, Bank uses Credit Rating assigned by RBI accredited Domestic External Credit Rating Agency. In consideration of the above, the Bank has decided to accept the ratings assigned by all these ECRAs for arriving Risk Weighted Assets and computation of Capital. The RBI has provided for mapping public issue ratings on to comparable assets into banking book. However, this particular provision has not been taken into account in Credit Risk Capital Computation.

The bank uses only solicited external ratings for capital computation purpose. External ratings assigned fresh or reviewed during the previous 15 months are reckoned for capital computation by the bank.

For the purpose of capital computation of overseas exposures, ratings assigned by the international rating agencies namely Fitch, Moody's and Standard & Poor's are used as per RBI guidelines.

As per Loan Policy Document of the Bank, all the Accounts having exposure of Rs.25.00 Cr and above are mandatorily externally rated except MSME & Special Credit Schemes. MSME Accounts and all special schemes having exposure of Rs 25 Crores & up to Rs 100 Crores are exempted from compulsory External Rating.

Internal Credit Rating:

The bank has a well-structured internal credit rating mechanism to evaluate the credit risk associated with a borrower. Bank has put in place a Risk Assessment Model (RAM) to rate accounts under various segments for exposures of Rs 1 Crore and above. Bank uses CRRM Rating to rate MSME & Agriculture borrowers for exposure below Rs 1 Crore

Bank has also introduced the concept of "Dynamic Rating, which is based on certain triggers. Realizing the focus on Retail, Agriculture and MSME (RAM) growth as strategy, Bank introduced Retail Scoring Model on 01.01.2017 and integrated with on-line loan processing. The rating validation is independent of credit departments.

Based on the internal ratings, credit decisions are taken as regards the acceptability of proposals and level of exposures and pricing. The bank has prescribed entry level rating in case of new accounts. Accounts with ratings below the prescribed rating entry level can be considered only by higher authorities as per the delegated powers prescribed.

Quantitative disclosures: (Rs. in crore)

Classification	Exposure After Mitigation (EAM)	EAM Covered under External Rating	Unrated
Advances/Investment			
Below 100% Risk Weight	164538.51	29450.74	135087.77
At 100% Risk Weight	52964.26	6574.94	46389.32
More than 100% Risk Weight	5374.08	3635.15	1738.93
Deducted	0.00	0.00	0.00
Total	**222876.85**	**39660.83**	**183216.02**
Other Assets			
Below 100% Risk Weight	25459.92	943.06	24516.86
At 100% Risk Weight	7025.30	5.16	7020.14
More than 100% Risk Weight	0.01	0.00	0.01
Deducted	0.00	0.00	0.00
Total	**32485.23**	**948.22**	**31537.01**

Table DF – 5: CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative disclosures:

Policy on Credit Risk Mitigation:

In line with the regulatory requirements, the bank has put in place a well-articulated policy on collateral management and credit risk mitigation techniques duly approved by the bank's Board. The Policy lays down the type of securities normally accepted by

जोखिम को कम करने के बारे में उल्लेख है ताकि बैंक के हित की सुरक्षा/रक्षा हो तथा ऐसी प्रतिभूतियों का प्रशासन/प्रबोधन भी हो ।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करना

(अ) पात्र वित्तीय संपार्श्विक :

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचितानुसार, बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, जो उधार जोखिमों के प्रति प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक) को संपूर्ण रूप से ऑफसेट करने के लिए अनुमति देता है जिससे प्रतिभूतियों पर आरोपित मूल्य द्वारा जोखिम राशि को प्रभावी ढंग से घटाया जा सकता है । अत: पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों का जोखिम पूंजी के परिकलन में उधार जोखिम को कम करने के लिए पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकता है ।

(आ) तुलन पत्र की निवल राशि ज्ञात करना:

उधार जोखिम कम करने की तकनीक तथा संपार्श्विक प्रबंधन के उपयोग पर बैंक की नीति के अनुसार उधारकर्ता के ऋण/अग्रिमों के प्रति उपलब्ध जमाओं के लिए ऑन बैलेंस शीट नेटींग की गणना की गयी है (ऋण की राशि हद तक), जहाँ बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दस्तावेज़ के प्रमाण के साथ विशिष्ट ग्रहणाधिकार शामिल करते हुए विधिक लागू नेटिंग व्यवस्थाएँ कीं। ऐसे मामलों में पूँजी गणना निवल उधार एक्सपोज़र के आधार पर किया जाता है ।

पात्र गारंटियाँ

क्रेडिट जोखिम न्यूनीकरण का अन्य स्वीकृत रूप "पात्र गारंटी" की उपलब्धता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक निम्नलिखित संस्थाओं या पात्र गारंटी को स्वीकार करता है:

संप्रभु, संप्रभु संस्थाएं [बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट (बीआइएस) सहित], अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ़), यूरोपीय सेंट्रल बैंक और यूरोपीय संस्थाओं के साथ-साथ बहुपक्षीय विकास बैंक, निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) और छोटे उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसई), बैंक और प्राथमिक डीलर कम जोखिम वाले प्रतिपक्ष सहित बैंक ने क्रेडिट जोखिम न्यूनीकरण के मामले में आरबीआइ द्वारा निर्धारित कानूनी निश्चितता का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

उधार जोखिम को कम करने में सकेंद्रीकरण जोखिम

बैंक द्वारा मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूँजी की गणना के लिए कई प्रकार के शामक उपाय वाली नीतियाँ व प्रक्रिया उपलब्ध हैं । उधार जोखिम को कम करने के लिए पात्र सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ (वित्तीय संपार्श्विक) आसानी से उगाही लायक वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं। वर्तमान में बैंक प्रयुक्त क्रेडिट जोखिम शमन में कोई संकेंद्रन जोखिम नहीं है और वर्तमान में उधार जोखिम शमन में कोई संकेंद्रन जोखिम नहीं है और वर्तमान में उधार जोखिम कम करने के माध्यमों में प्रत्येक प्रकार के संपार्श्विक की कोई सीमा/ उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गयी है ।

गुणात्मक प्रकटीकरण — रू. करोड़ में

डीएफ़- 5 ऋण जोखमि शमन	**31.03.2023**
प्रत्येक के लिए अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों, एक्सपोज़र (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा हेयर कट के पश्चात कवर किया गया है	**46039.49**
देशीय संप्रभुता	0.00
विदेशी संप्रभुता	0.00
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयाँ	328.05
बैंकों – अनुसूची (आइ एन आर)	0.00
एफ सी वाई में विदेशी बैंकों का दावा	0.00
प्राथमिक डीलर (पीडी)	0.00
कॉर्पोरेट	2724.73
विनियामक रीटेल पोर्टफोलियो	35384.38
आवासीय संपति द्वारा प्रतिभूत	5.43
वाणिज्यिक संपत्ति द्वारा प्रतिभूत	31.28
उपभोक्ता ऋण	7401.30
पूँजी बाज़ार एक्सपोज़र	0.00
एनबीएफसी एन डी	104.45
जोखिम पूँजी	0.00
अनर्जक आस्तियाँ – क) आवासीय ऋण	0.00
अनर्जक आस्तियाँ – ख) अन्य	57.61
स्टाफ ऋण	2.21
अन्य आस्तियाँ	0.00
पुनर्सरचित /पुनर्गठित खाते	0.00
वाणिज्यिक संपत्ति- आर एच द्वारा प्रतिभूत दावे – आर एच	0.05
पुनर्संरचित गृह ऋण	0.00
ग) प्रत्येक के लिए अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों, एक्सपोज़र (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो कि गारंटी/ ऋण व्युत्पन्नी द्वारा कवर किया गया है (जब भी आरबीआइ द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्रदत्त)	**11530.97**
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयां	8619.52
कॉर्पोरेट	1110.59
विनियामक रीटेल पोर्टफोलियो	1800.87
आवासीय संपति द्वारा प्रतिभूत	0.00
सीआरई	0.00
सीआरई- आरएच	0.00

तालिका डीएफ 6 : प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए कोई प्रतिभूतिकरण नहीं किया गया ।

तालिका डीएफ – 7 : ट्रेडिंग बुक में बाज़ार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण :

बाज़ार जोखिम :

बाज़ार जोखिम वह होता है जिससे बैंक को ब्याज दरें, विदेशी मुद्रा विनिमय दरें, इक्विटी कीमतें तथा कमोडिटी कीमतों जैसे बाज़ार व्युत्पन्न द्वारा उत्पन्न

the bank for lending and administration/ monitoring of such securities in order to safeguard /protect the interest of the bank so as to minimize the risk associated with it.

Credit Risk Mitigation under Standardized Approach:

(a) Eligible Financial Collaterals:

As advised by RBI, the Bank has adopted the comprehensive approach relating to credit risk mitigation under Standardised Approach, which allows full offset of securities (prime and collateral) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the securities. Thus the eligible financial collaterals are fully made use of to reduce the credit exposure in computation of credit risk capital.

(b) On Balance Sheet Nettings:

As per Bank's policy on utilization of the credit risk mitigation techniques and collateral management, on–balance sheet netting has been reckoned to the extent of deposits available against loans/advances of the borrower (maximum to the extent of exposure), where bank has legally enforceable netting arrangements involving specific lien with proof of documentation as prescribed by RBI. In such cases, the capital computation is done on the basis of net credit exposure.

(c) Eligible Guarantees:

Other approved form of credit risk mitigation is availability of "Eligible Guarantees".

The Bank accepts the following entities or eligible guarantees in line with RBI guidelines:

Sovereign, Sovereign entities [including Bank for International Settlement (BIS)], International Monetary Fund (IMF), European Central Bank and European entities as well as Multilateral Development Banks, Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) and Credit Guarantee Fund Trust for Small Enterprises (CGTMSE), Public Sector Enterprises (PSE), Banks & Primary Dealers with lower risk weight counterparty

The bank has ensured compliance of legal certainty as prescribed by the RBI in the matter of credit risk mitigation.

Concentration risk in credit risk mitigation:

Policies and process are in place indicating the type of mitigant the bank uses for capital computation under the Standardised approach. All types of securities

(financial collaterals) eligible for mitigation are easily realizable financial securities. As such, the bank doesn't envisage any concentration risk in credit risk mitigation used and presently no limit/ceiling has been prescribed for the quantum of each type of collateral under credit risk mitigation.

Quantitative Disclosures (Rs. in crore)

DF-5 CREDIT RISK MITIGATION	**31.03.2023**
For each separately disclosed credit risk portfolio, the total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by Eligible financial collaterals after the application of haircuts	**46039.49**
Domestic Sovereign	0.00
Foreign Sovereign	0.00
Public Sector Enterprises	328.05
Banks-Schedule (INR)	0.00
Foreign Bank denominated in FCY	0.00
Primary Dealers (PD)	0.00
Corporates	2724.73
Regul'y Retail Portfolio	35384.38
Secured by Residential Propert	5.43
Secured by Commercial Property	31.28
Consumer Credit	7401.30
Capital Market Exposure	0.00
NBFC ND	104.45
Venture Capital	0.00
N.P.A. housing loan	0.00
N.P.A. Others Loan	57.61
Staff Loans	2.21
Other Assets	0.00
Restruct / Reschd. Accounts	0.00
Sec. by Comm.prop - R H	0.05
Restructured Housing Loan	0.00
c) For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by Guarantees/ credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI).	**11530.97**
Public Sector Enterprises	8619.52
Corporates	1110.59
Regul'y Retail Portfolio	1800.87
Restruct / Reschd. Accounts	0.00
CRE	0.00
CRE-RH	0.00

Table DF 6: SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

No Securitization for the year ended 31.03.2023

Table DF – 7: MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative disclosure:

Market Risk:

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank in on & off-balance sheet position caused by changes/movements

परिवर्तन / गति के कारण ऑन-बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट स्थिति में हानि होने की संभावना है। बाज़ार जोखिम से बैंक का एक्सपोजर ट्रेडिंग बुक (एएफएस तथा हेचएफटी वर्गों दोनों) में देशी निवेशों (ब्याज संबंधित लिखतों तथा ईक्विटियों), विदेशी विनिमय स्थितियों (बहुमूल्य धातुओं में खुली स्थिति को शामिल करते हुए) तथा ट्रेडिंग से संबंधित व्युत्पन्न से उत्पन्न होता है। बाज़ार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य अर्जन पर हानि के प्रभाव और इक्विटी पूँजी से उत्पन्न बाज़ार जोखिम को कम करना है ।

बाज़ार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियाँ :

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) को लागू किया है ताकि बैंक में बाज़ार जोखिम का प्रभावपूर्ण प्रबंधन किया जा सके। अन्य नीतियां जो बाजार जोखिम प्रबंधन से संबंधित हैं, वे हैं कंट्री रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, काउंटरपार्टी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, ट्रेजरी ऑपरेशंस के लिए रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी और स्ट्रेस टेस्टिंग पॉलिसी। बाजार जोखिम प्रबंधन नीति बाजार जोखिम प्रबंधन कार्यों और प्रक्रियाओं के लिए अच्छी तरह से परिभाषित संगठन संरचना निर्धारित करती है जिससे बैंक द्वारा किए गए बाजार जोखिमों की पहचान, मापन, निगरानी और नियंत्रण एएलएम ढांचे के भीतर किया जाता है, जो बैंक की जोखिम सहनशीलता के अनुरूप है। नीतियां बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए विभिन्न जोखिम सीमाएं निर्धारित करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि परिचालन उचित परिसंपत्ति देयता प्रबंधन के माध्यम से बैंक की बाजार जोखिम में वापसी की अपेक्षा के अनुरूप है। नीतियां बाजार जोखिम की प्रभावी निगरानी के लिए रिपोर्टिंग ढांचे से भी निपटती हैं ।

एएलएम नीति विशेष रूप से चलनिधि जोखिम प्रबंधन और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन ढांचे से संबंधित है । जैसा कि नीति में परिकल्पना की गई है, आरबीआइ द्वारा निर्धारित सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना डेटा कवरेज के आधार पर दैनिक आधार पर अवशिष्ट परिपक्वता/परिसंपत्तियों और देनदारियों के व्यवहार पैटर्न के आधार पर जीएपी विश्लेषण के माध्यम से तरलता जोखिम का प्रबंधन किया जाता है । स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी स्टेटमेंट के माध्यम से चलनिधि जोखिम अब तक भारतीय रिज़र्व बैंक को घरेलू संचालन के लिए रिपोर्ट किया गया था, जबकि इसे प्रत्येक विदेशी केंद्र में अलग से प्रबंधित किया गया था और पूर्व में नियंत्रण उद्देश्य के लिए एएलसीओ को रखा गया था । हालांकि मार्च 2013 से आरबीआइ के दिशानिर्देशों के अनुसार, तरलता जोखिम की गणना की जाती है और भारतीय रिज़र्व बैंक को रुपये और विदेशी मुद्रा में घरेलू संचालन, विदेशी केंद्रों और विभिन्न आवृत्तियों पर बैंक संचालन के लिए समेकित किया जाता है ।

आरबीआई ने तरलता के वित्तपोषण के लिए दो न्यूनतम मानकों जोकि चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) अल्पावधि लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए और नेट स्थिर वित्त पोषण अनुपात (एनएसएफआर) लंबी अवधि के दौरान बैंक की लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए हैं, पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। ।

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना दैनिक आधार पर की जाती है, एएलसीओ को रखा जाता है, और मासिक आधार पर आरबीआइ को रिपोर्ट किया जाता है। शुद्ध स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफ़आर) की गणना दैनिक आधार पर की जाती है, मासिक आधार पर एएलसीओ को रखा जाता है और तिमाही आधार पर आरबीआई को रिपोर्ट किया जाता है।

बैंक ने आकस्मिक निधियन योजना की व्यवस्था की है। कुशल परिसंपत्ति देयता प्रबंधन के लिए विवेकपूर्ण (सहिष्णुता) सीमाएं पहले चार कोष्ठक (बकेट) के लिए आरबीआइ द्वारा और विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता समय कोष्ठक (बकेट) के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाती हैं। विभिन्न तरलता अनुपातों के माध्यम से बैंक की तरलता प्रोफ़ाइल का मूल्यांकन किया जाता है। तरलता की स्थिति पर किसी भी प्रकार के तनाव से निपटने के लिए बैंक ने विभिन्न आकस्मिक उपाय भी किए हैं। बैंक व्यवस्थित और स्थिर निधि योजना के माध्यम से घरेलू ट्रेजरी द्वारा पर्याप्त तरलता प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

ब्याज दर जोखिम को संवेदनशील आस्तियों और देयताओं को जीएपी विश्लेषण के प्रयोग से प्रबंधित और निर्धारित विवेकपूर्ण (छूट) सीमाओं के जरिए प्रबोधित किया जाता है। ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक ने अवधि अंतराल विश्लेषण फ्रेमवर्क भी बनाया है। शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम बनाने की दृष्टि से निवल ब्याज मार्जिन और इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव को निर्धारित करने के लिए ब्याज दर में प्रतिकूल गति के प्रति बैंक जोखिम पर अर्जन तथा अवधि अंतराल आशोधन को निर्धारित करता है।

आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (अल्को) / बोर्ड, बैंक द्वारा नियत विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को प्रबोधित करती है और एएलएम नीति में स्पष्ट सीमा के अनुसार बाज़ार स्थिति (वर्तमान तथा प्रत्याशित) के अनुरूप रणनीति निर्धारित करता है। कार्यरत मिड ऑफिस विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को निरंतर आधार पर प्रबोधित करता है ।

चूंकि ब्याज दर की गति अस्थिर होती है, खासकर रु. 2 करोड़ व इससे अधिक पर । अतः इस तरह के जमा पर प्रतिस्पर्धी दरों को उद्धृत करने हेतु दैनिक आधार पर विचार करने की आवश्यकता है । एएलसीओ की एक उप समिति , **निधि कमेटी,** इस उद्देश्य के लिए व्यावसायिक घंटों की शुरुआत में **दैनिक** रूप से मिलती है । समिति बैंक की वर्तमान और अनुमानित तरलता स्थिति, तत्काल भुगतान की आवश्यकता, तैनाती के अवसरों के बारे में उपलब्ध बाज़ार प्रवृत्ति, अनहेज़ विदेशी मुद्रा एक्सपोजर आदि पर प्रभाव की समीक्षा करती है ।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप पूँजी के अनुरक्षण के लिए बेसल ।। फ्रेमवर्क के मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) के अनुसार बाज़ार जोखिम के लिए बैंक ने पूँजी परिकलित की है। 31.03.2023 तक बैंक के ट्रेडिंग बुक में बाज़ार जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षाएँ इस प्रकार हैं :

मात्रात्मक प्रकटीकरण डीएफ़ 7:

बाज़ार जोखिम का प्रकार	जोखिम भारित आस्ति (कल्पित)	पूँजी आवश्यकता
ब्याज दर जोखिम	5081.55	406.52
ईक्विटी स्थिति जोखिम	3059.13	244.73
विदेशी विनिमय जोखिम	67.50	5.40
कुल	**8208.18**	**656.65**

तालिका डीएफ – 8 परिचालनात्मक जोखिम :

गुणात्मक प्रकटीकरण :

परिचालनात्मक जोखिम अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से होने वाली हानि संबंधी जोखिम है। परिचालनात्मक जोखिम में कानूनी जोखिम शामिल है लेकिन रणनीतिक और प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं है ।

बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति का गठन किया है जो बैंक के बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित है। बोर्ड द्वारा अपनाई गई अन्य नीतियाँ जो परिचालनात्मक जोखिम को संभालती हैं, इस प्रकार हैं : (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति (ख) साइबर सुरक्षा नीति (ग) फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति (घ) अपने ग्राहक को जानें (के वाइ सी) पर नीतिगत दस्तावेज और धन शोधन निवारक (एएमएल) कार्यविधियों (ड.) अविराम कारोबार तथा विपदा पुन:प्राप्ति योजना (बीसी) डीआरपी अनुपालन नीति और (च) वित्तीय सेवाओं के बाह्य स्त्रोत पर नीति।

in market variables such as interest rate, foreign currency exchange rate, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (Both AFS and HFT categories), the Foreign Exchange positions (including open position, if any, in precious metals) and trading related derivatives. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity capital arising from market risk.

Policies for management of market risk:

The bank has put in place Board approved Market Risk Management Policy, Policy for quoting Interest Rate on Deposits and Asset Liability Management (ALM) policy for effective management of market risk in the bank. Other policies which deal with market risk management are Country Risk Management Policy, Counterparty Risk Management Policy, Risk Management Policy for Treasury Operations and Stress testing policy. The market risk management policy lays down well defined organization structure for market risk management functions and processes whereby the market risks carried by the bank are identified, measured, monitored and controlled within the ALM framework, consistent with the Bank's risk tolerance. The policies set various risk limits for effective management of market risk and ensuring that the operations are in line with Bank's expectation of return to market risk through proper Asset Liability Management. The policies also deal with the reporting framework for effective monitoring of market risk.

The ALM policy specifically deals with liquidity risk management and interest rate risk management framework. As envisaged in the policy, liquidity risk is managed through GAP analysis based on residual maturity/behavioral pattern of assets and liabilities on daily basis based on best available information data coverage as prescribed by RBI. The liquidity risk through Structural Liquidity statement was hitherto reported to RBI for domestic operation while the same was managed separately at each overseas center and placed to ALCO for control purpose in the past. However as per RBI guidelines from March 2013 the liquidity risk is computed and submitted to RBI in rupee and foreign currency for domestic operations, overseas centers and consolidated for Bank operations at various frequencies.

RBI has issued guidelines on two minimum standards for funding liquidity viz. Liquidity Coverage Ratio (LCR) to promotes short term resilience and Net Stable Funding Ratio (NSFR) to promotes resilience of Bank over a longer- term time horizon.

Liquidity Coverage Ratio (LCR) is computed on daily basis, placed to ALCO, and reported to RBI on monthly basis. Net Stable Funding Ratio (NSFR) is computed on daily basis, placed to ALCO on monthly basis and reported to the RBI on quarterly basis.

The bank has put in place mechanism of contingent funding plan. Prudential (tolerance) limits are prescribed by RBI for the first four buckets and by Bank's Board for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. Liquidity profile of the bank is evaluated through various liquidity ratios. The bank has also drawn various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. Bank ensures adequate liquidity management by Domestic Treasury through systematic and stable funds planning.

Interest rate risk is managed through use of GAP analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (tolerance) limits prescribed. The bank estimates Earnings at Risk (EaR) for domestic operations and modified duration gap for global operations periodically for assessing the impact on Net Interest Income and Economic Value of Equity with a view to optimize shareholder value.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence to prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in the light of the market conditions (current and expected) as articulated in the ALM policy. The mid-office monitors adherence to the prudential limits on a continuous basis.

As interest rate movements are volatile, particularly on deposits of Rs.2 Crore and above, there is a need to take views on quoting competitive rates to such deposits on daily basis. A subcommittee of ALCO, namely **Funds Committee**, shall meet **daily** at the beginning of business hours for this purpose. The committee shall review the present & projected liquidity position of the bank, requirement for immediate payment of funds, market trend regarding deployment opportunities available, impact on un-hedged forex exposure etc

Quantitative disclosures:

In line with the RBI's guidelines, the Bank has computed capital for market risk as per Standardised Duration Approach of Basel-II framework for maintaining capital. The capital requirement for market risk as on 31.03.2023 in trading book of the bank is as under:

Table DF-7:
Quantitative Disclosures (Rs. in crore)

Type of Market Risk	Risk Weighted Assets (Notional)	Capital Requirement
Interest Rate Risk	5081.55	406.52
Equity Position Risk	3059.13	244.73
Foreign Exchange Risk	67.50	5.40
Total	**8208.18**	**656.65**

Table DF – 8: OPERATIONAL RISK:

Quantitative disclosures:

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risk.

The bank has framed operational risk management policy duly approved by the Board. Other policies adopted by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information Systems security policy (b) Cyber Security Policy (c) forex risk management policy (d) Policy document on know your customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) procedures (e) Business Continuity and Disaster Recovery Plan (BC-DRP) (f) compliance policy and (g) policy

बैंक ने अपनी अनुदेश पुस्तक में विभिन्न परिचालनों के लिए सुस्पष्ट पद्धतियां व प्रक्रियाएं बना रखी हैं। निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आन्तरिक और बाह्य लेखा परीक्षा प्रणालियां हैं और कमियों को सुधारने के लिए समय पर कार्रवाई की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार, हमारा बैंक परिचालनात्मक जोखिम की पूंजी संगणना हेतु आधारभूत सूचक दृष्टिकोण अपना रहा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को परिचालनात्मक जोखिम के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई सकारात्मक वार्षिक सकल आय के 15% के पिछले तीन वर्षों के औसत के बराबर पूंजी धारित करनी चाहिए।

मात्रात्मक प्रकटीकरण : (रू. करोड़ में)

मानदंड	पूँजी राशि	कल्पित जोखिम भारित आस्ति
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त परिभाषा के अनुसार पिछले तीन वर्षों में सकारात्मक वार्षिक सकल आय का 51%	1205.31	15066.34

तालिका डीएफ 9 –बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण :

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जहां बाज़ार ब्याज दर में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है । ब्याज दर में परिवर्तन चालू अर्जन (परिप्रेक्ष्य अर्जन) तथा बैंक के नेटवर्थ (परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य) दोनों को प्रभावित करता है । परिप्रेक्ष्य अर्जन के जोखिम को निवल ब्याज आय (एनआईआई) या निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार मापा जा सकता है । इसी प्रकार, परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य के जोखिम को इक्विटी के आर्थिक मूल्य में होने वाले घटाव से मापा जा सकता है ।

बैंक ने वैश्विक परिचालनों पर इक्विटी के आर्थिक मूल्य (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) पर प्रभाव (% के रूप में) के निर्धारण के लिए 200 बीपीएस पर कल्पित दर प्रघात को लागू करके पारंपरिक जीएपी विश्लेषण को अंतराल जीएपी विश्लेषण के साथ मिलाकर अपनाया है । इस प्रयोजन के लिए बैंक की 1 वर्ष की अवधि के दौरान एएलएम नीति में तुलन पत्र पर आशोधित अंतराल जीएपी के लिए (+/-) 1.00% की सीमा निर्धारित है और इसकी स्थिति को आवधिक रूप से प्रबोधित किया जाता है ।

बैंक प्रत्येक मुद्रा में ब्याज दर जोखिम स्थिति की गणना अवधि अंतराल विश्लेषण (डीजीए) और पारंपरिक अंतराल विश्लेषण (टीजीए) उस मुद्रा में दर संवेदनशील आस्ति (आर एस ए) दर संवेदनशील देयता (आर एल ए) पर करता है जहाँ या तो आस्ति या देयता बैंक की आस्ति या वैश्विक देयता कुल वैश्विक आस्ति या वैश्विक देयता का 5% या अधिक हो । सभी अन्य अवशेष मुद्रा में ब्याज जोखिम स्थिति की गणना अलग से समग्र आधार पर गणना की जाती है ।

गुणात्मक प्रकटीकरण

निवल ब्याज आय (एन आए आए) और इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) पर प्रभाव के परिवर्तन को दिनांक 31.03.2023 तक उपर्युक्त चर्चा के अनुसार कल्पित ब्याज दर प्रघातों को लागू करके नीचे दिया जा रहा है :

(रू. करोड़ में)

ब्याज दर में परिवर्तन	इएआर के लिए एएलएम नीति सीमा	जोखिम पर अर्जन (इएआर) 31/03/2021	
		1 वर्ष तक	5 वर्ष तक
0.25% परिवर्तन	189.33 (पिछले वर्ष के एन आई आई का 3%)	65.12	56.22
0.50% परिवर्तन	378.66 (पिछले वर्ष के एन आई आई का 6%)	130.24	112.44
0.75% परिवर्तन	567.99 पिछले वर्ष के एन आई आई का 9%)	195.36	168.66
1.00% परिवर्तन	757.32 (पिछले वर्ष के एन आई आई का 12%)	260.48	224.88
2.00% परिवर्तन	1514.64 (पिछले वर्ष के एन आई आई का 24%)	520.96	449.76
इक्विटी का आर्थिक मूल्य			**31.03.2023**
आशोधित अवधि अंतराल (डीजीएपी)			-0.05
एएलएम नीति के अनुसार सीमा			(+/-)1.00%
इक्विटी की बाज़ार मूल्य (एमवीइ)			
200 बीपीएस दर प्रघात के लिए ईक्विटी में घटाव मात्रा % में			2.60%

on outsourcing of Financial Services.

The Bank has got embodied in its Book of Instructions well-defined systems and procedures for various operations. Various internal and external audit systems are in place to ensure that laid down systems and procedures are followed and timely actions are initiated for rectifying the deficiencies.

In line with the final guidelines issued by RBI, our bank is adopting the Basic Indicator Approach for computing capital for operational risk. As per the guidelines the banks must hold capital for operational risk equal to 15% of positive average annual gross income over the previous three years as defined by RBI.

Quantitative disclosures: (Rs. in Crore)

Parameter	Capital amount	Notional Risk Weighted Assets
15% of positive average annual gross income over the previous 3 years as defined by RBI	1205.31	15066.34

Table DF – 9: INTEREST RATE RISK ON THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative disclosures:

Interest rate risk is the risk where changes in the market interest rates might affect a bank's financial condition. Changes in interest rates may affect both the current earnings (earnings perspective) as also the net worth of the Bank (economic value perspective). The risk from earnings perspective can be measured as impact on the Net Interest Income (NII) or Net Interest Margin. Similarly, the risk from economic value perspective can be measured as drop in Economic Value of Equity.

The bank has adopted traditional gap analysis combined with duration gap analysis for assessing the impact (as a percentage) on the Economic Value of Equity (Economic Value Perspective) on global operations by applying a notional interest rate shock of 200 bps over a time horizon of one year. For the purpose a limit of (+/-) 1.00% for modified duration gap is prescribed in the Bank's ALM policy and the position is monitored periodically.

The bank is computing the interest rate risk position in each currency applying the Duration Gap Analysis (DGA) and Traditional Gap Analysis (TGA) to the Rate Sensitive Assets (RSA)/ Rate Sensitive Liabilities (RSL) items in that currency, where

either the assets, or liabilities are 5 per cent or more of the total of either the bank's global assets or global liabilities. The interest rate risk positions in all other residual currencies are computed separately on an aggregate basis.

Quantitative disclosures:

The impact of changes of Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE) calculated as on 31.03.2023 by applying notional interest rate shocks as discussed above are as under

(Rs. in crore)

Change in Interest Rate	ALM Policy Limit for EaR	Earnings at Risk (EaR) 31.03.2023	
		Up to 1 Year	Up to 5 Years
0.25% change	189.33 (3% of NII of previous year)	65.12	56.22
0.50% change	378.66 (6% of NII of previous year)	130.24	112.44
0.75% change	567.99 (9% of NII of previous year)	195.36	168.66
1.00% change	757.32 (12% of NII of previous year)	260.48	224.88
2.00% change	1514.64 (24% of NII of Previous year)	520.96	449.76
ECONOMIC VALUE OF EQUITY			**31.03.2023**
Modified Duration Gap (DGAP) in %			-0.05
Limit as per ALM Policy			(+/-)1.00%
Market value of Equity (MVE)			
For a 200 BPS Rate Shock the Drop in Equity Value in %			2.60%

तालिका डीएफ 10– प्रतिपक्ष उधार जोखिम से संबंधित एक्सपोजर से संबंधित सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(रू. करोड़ में)

क्र	ब्योरे	काल्पनिक मूल्य	एमटीएम	कुल चालू ऋण एक्सपोजर
1	डेरिवेटिब्स	0.00	0.00	0.00
2	ब्याज दर करार / स्वैप एस	0.00	0.00	0.00
3	आगे की खरीददारी /बिक्री करार	165142.08	1173.11	1173.11
4	ऋण डेरिवेटिब्स	0.00	0.00	0.00
5	ऋण डिफॉल्ट स्वैप	0.00	0.00	0.00
	कुल	**165142.08**	**1173.11**	**173.11**

तालिका डीएफ -11: पूँजी की संघटना

(रु. करोड़ में)

	डीएफ -11: पूँजी की संघटना		
बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट का उपयोग विनियामक समायोजन के संक्रमण के दौरान किया जाएगा (अर्थात 1 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017 तक)			राशि पूर्व-बेसल III व्यवहार के अधीन
	सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूँजी: लिखत एवं आरक्षितियाँ		
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त सामान्य शेयर पूँजी सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	27460.31	27460.31
2	प्रतिधारित आय	10044.51	10044.51
3	संचयित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षितियाँ)	1963.20	1963.20
4	सीईटी1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी (केवल गैर- संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0.00	0.00
5	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा अन्य पक्ष द्वारा धारित सामान्य शेयर पूँजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)	0.00	0.00
6	**विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी**	**39468.03**	**39468.03**
	सामान्य ईक्विटी टीयर1 पूँजी : विनियामक समायोजन		
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	2160.57	2160.57
8	साख (संबंधित कर देयता का निवल)		
9	अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)	16448.70	16448.70
10	आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00	0.00
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित		
12	अपेक्षित हानियों पर प्रावधानों की कमी		
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण अभिलाभ		
14	उचित मूल्य देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ व हानि		
15	परिभाषित- लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियाँ,	0.00	0.00
16	खुद के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र पर प्रदत्त पूँजी का पहले ही निवलीकरण नहीं किया गया है)		
17	सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक क्रॉस- धारण	122.91	0.00
18	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा इकाइयों, जो विनियामक समेकन, पात्र आंशिक स्थितियों के निवल के दायरे से बाहर हैं, जहाँ बैंक जारी शेयर पूँजी के 10% से अधिक नहीं रखता है (10 % प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), की पूँजी में निवेश		
19	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा इकाइयों, जो विनियामक समेकन, पात्र आंशिक स्थितियों के निवल के दायरे से बाहर हैं, योग्य अल्प स्थितियों कानिवल (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) 3	0.00	0.00
20	बंधक सेवा अधिकार (10 % प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	0.00
21	अस्थायी अंतरों से उभरती आस्थगित कर आस्तियाँ (10 % प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), संबंधित कर देयता का निवल	3744.19	3744.19

DF – 10: GENERAL DISCLOSURE FOR EXPOSURES RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK

Quantitative Disclosure (Rs. in Crore)

No	Particulars	Notional Amount	MTM	Total current credit exposures
1	Derivatives	0.00	0.00	0.00
2	Interest Rates Contracts/Swaps	0.00	0.00	0.00
3	Forward Purchase / Sales Contract	165142.08	1173.11	1173.11
4	Credit Derivatives	0.00	0.00	0.00
5	Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	Total	**165142.08**	**1173.11**	**1173.11**

Table DF – 11: COMPOSITION OF CAPITAL (Rs. in Crore)

	DF - 11 Composition of Capital	Rs. In Crores	
Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)			Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	27460.31	27460.31
2	Retained earnings	10044.51	10044.51
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	1963.20	1963.20
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies1)	0.00	0.00
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	0.00
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**39468.03**	**39468.03**
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	Prudential valuation adjustments	2160.57	2160.57
8	Goodwill (net of related tax liability)		
9	Intangibles (net of related tax liability)	16448.70	16448.70
10	Deferred tax assets	0.00	0.00
11	Cash-flow hedge reserve		
12	Shortfall of provisions to expected losses		
13	Securitisation gain on sale		
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities		
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00	0.00
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-up capital on reported balance sheet)		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	122.91	0.00
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)		
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)3	0.00	0.00
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0.00	0.00
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	3744.19	3744.19

22	15 % प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	0.00	0.00
23	जिसमें से: वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	0.00
24	जिसमें से: बंधक सेवा अधिकार	0.00	0.00
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरों से उभरती आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00	0.00
26	राष्ट्रीय विशेषीकृत विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी)	0.00	0.00
26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की ईक्विटी पूँजी में निवेश	0.00	0.00
26बी	जिसमें से: समेकित गैरवित्तीय अनुषंगियों 8 की ईक्विटी पूँजी में निवेश	0.00	0.00
26सी	जिसमें से: बहुमत प्राप्त वित्तीय इकाइयों, जिनका समेकन बैंक द्वारा नहीं हुआ है, की ईक्विटी पूँजी में कमी	0.00	0.00
26डी	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	255.52	0.00
	बेसल III प्रतिपादन पूर्व के अधीन राशियों केसंबंध में सामान्य ईक्विटी टीयर । पर लागू विनियामक समायोजन		
27	कटौती को कवर करने केलिए अपर्याप्त अतिरिक्त टीयर 1 तथा टीयर 2 के कारण सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	0.00
28	**सामान्य ईक्विटी टीयरIपर कुल विनियामक समायोजन**	22731.89	22353.46
29	**सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूँजी (सीईटी 1)**	16736.13	17114.56
	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी: लिखत		
30	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त अतिरिक्त टीयर 1 लिखत सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) (31+32)	0.00	0.00
31	जिसमें से: प्रायोज्य लेखांकन मानकों के तहत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	0.00	0.00
32	जिसमें से: प्रायोज्य लेखांकन मानकों के तहत देयता के रूप में वर्गीकृत (स्थायी ऋण लिखत)	0.00	0.00
33	अतिरिक्त टीयर 1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी लिखत	0.00	0.00
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्ष द्वारा धारित (समूह एटी 1 में अनुमत राशि) अतिरिक्त टीयर 1 लिखत (तथा सीईटी 1 लिखत जो क्रम 5 में शामिल नहीं हैं)	0.00	0.00
35	जिसमें से निकाले जाने के अधीन अनुषगिंयों द्वारा जारी लिखत	0.00	0.00
36	**विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टीयर 1 पूँजी**	**0.00**	**0.00**
	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी: नियामक समायोजन		
37	खुद के अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में निवेश	0.00	0.00
38	अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में पारस्परिक गैर-धारिता	0.00	0.00
39	विनियामक समेकन की संभावनाओं से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों का निवल, जहाँ बैंक की स्वामित्व इकाई (10% की सीमा से ऊपर कीराशि) की जारी साझा शेयर पूँजी के 10% से अधिक की राशि न हो	0.00	0.00
40	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश (पात्र अल्प स्थितियों का निवल)	0.00	0.00
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	0.00	0.00
41ए	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टीयर । पूँजी में निवेश	0.00	0.00
41बी	बहुलांश स्वामित्व वाली वित्तीय इकाइयों की अतिरिक्त टीयर । पूँजी में कमी जिन्हें बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	0.00	0.00

22	Amount exceeding the 15% threshold	0.00	0.00
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0.00	0.00
24	of which: mortgage servicing rights	0.00	0.00
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00	0.00
26	National specific regulatory adjustments7 (26a+26b+26c+26d)	0.00	0.00
26a	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	0.00
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries8	0.00	0.00
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	0.00
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	255.52	0.00
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00	0.00
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	**22731.89**	**22353.46**
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**16736.13**	**17114.56**
	Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (share premium) (31+32)	0.00	0.00
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00	0.00
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	0.00	0.00
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00	0.00
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0.00	0.00
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	0.00
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**0.00**	**0.00**
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0.00	0.00
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00	0.00
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00	0.00
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	0.00
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0.00	0.00
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	0.00
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	0.00

42	अपर्याप्त टीयर II की वजह से कटौतियों को कवर करने केलिए अतिरिक्त टीयर I में लागू विनियामक समायोजन		
43	अतिरिक्त टीयर I पूँजी में कुल विनियामक समायोजन	0.00	0.00
44	अतिरिक्त टीयर 1 पूँजी (एटी1)	0.00	0.00
45	**टीयर I पूँजी (टी1 = सीईटी1 + स्वीकार्य एटी1) (29 + 44)**	**16736.13**	**17114.56**
	टीयर 2 पूंजी: लिखत और प्रावधान		
46	प्रत्यक्ष तौर पर जारी पात्र टीयर 2 लिखत सहित संबंधित अधिक स्टॉक	2465.00	2465.00
47	टीयर 2 से बाहर होने की शर्त पर प्रत्यक्ष तौर पर जारी पूँजी लिखत	0.00	0.00
48	अनुषंगी द्वारा जारी और अन्य पक्षों द्वारा धारित (समूह टीयर 2 में स्वीकृत राशि) टीयर 2 लिखत (और 5 या 34 पंक्ति में नहीं शामिल सीईटी1 और एटी1 लिखत)	0	0
49	जिनमें से : बाहर होने की शर्त पर अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत	0	0
50	प्रावधान	1723.83	1723.83
51	**विनियामक समायोजन से पहले टीयर 2 पूँजी**	**4188.83**	**4188.83**
	टीयर 2 पूंजी: नियामक समायोजन		
52	निजी टीयर 2 लिखतों में निवेश	0.00	0.00
53	टीयर 2 लिखतों में परस्पर प्रति-धारिता	0.00	0.00
54	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाईयों की पूँजी में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों कानिवल, जहाँ बैंक का स्वामित्व इकाई (10%% की सीमा से ऊपर की राशि) की जारी साझा शेयर पूँजी के 10% से अधिक की राशि न हो	0	
55	विनियामक समेकन की संभावनाओं से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाईयों की पूँजी में निवेश (पात्र अल्प स्थितियों का निवल)	0	
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)		
56ए	जिनमें से असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टीयर 2 पूँजी में निवेश	0	
56बी	जिनमें से: बहुलांश स्वामित्व वाली वित्तीय इकाईयों की टीयर 2 पूँजी में कमी जिन्हें बैंक केसाथ समेकित नहीं किया गया है	0	
57	**टीयर 2 पूँजी में कुल विनियामक समायोजन**	**0.00**	**0.00**
58	**टीयर 2 पूँजी (टी2)**	**4188.83**	**4188.83**
59	**कुल पूँजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58)**	**20924.96**	**21303.39**
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)**	**129980.80**	
60ए	जिनमें से : कुल उधार जोखिम भारित आस्तियां	106706.29	
60बी	जिनमें से: कुल बाज़ार जोखिम भारित आस्तियां	8208.18	
60सी	जिनमें से : कुल परिचालनात्मक जोखिम भारित आस्तियां	15066.34	
	पूंजी अनुपात		
61	सामान्य ईक्विटी टीयर 1 (जोखिम भारांक वालीआस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.88%	
62	टीयर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.88%	
63	कुल पूँजी (जोखिम भारितआस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	16.10%	
64	संस्थान विशिष्ट बफर अपेक्षा (न्यूनतम सीईटी 1 अपेक्षा के साथ पूँजी संरक्षण और प्रति-चक्रीय बफर अपेक्षाएं, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	8.00%	
65	जिनमें से: पूँजी संरक्षण बफर अपेक्षा	2.50%	
66	जिनमें से: बैंक विशिष्ट प्रति-चक्रीय बफर अपेक्षा	0	
67	जिनमें से : जी-एसआइबी बफर अपेक्षा	0	
68	बफर की पूर्ति केलिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टीयर (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	7.38%	

42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	0.00	0.00
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	0.00	0.00
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + Admissible AT1) (29 + 44)**	***16736.13***	***17114.56***
	Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	2465.00	2465.00
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	0.00	0.00
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0	0
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0	0
50	Provisions	1723.83	1723.83
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**4188.83**	**4188.83**
	Tier 2 capital: regulatory adjustments		
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00	0.00
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0.00	0.00
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0	
55	Significant investments13 in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0	
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0	
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	0.00	0.00
58	**Tier 2 capital (T2)**	***4188.83***	***4188.83***
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)**	**20924.96**	**21303.39**
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	***129980.80***	
60a	of which: total credit risk weighted assets	106706.29	
60b	of which: total market risk weighted assets	8208.18	
60c	of which: total operational risk weighted assets	15066.34	
	Capital ratios		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	12.88%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	12.88%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	16.10%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	8.00%	
65	of which: capital conservation buffer requirement	2.50%	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0	
67	of which: G-SIB buffer requirement	0	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	7.38%	

राष्ट्रीय मिनीमा (यदि बेसल III से भिन्न हो)			
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (बेसलIII न्यूनतम से भिन्न होने पर)	5.50%	
70	राष्ट्रीय टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (बेसल III न्यूनतम से भिन्न होने पर)	7.00%	
71	राष्ट्रीय कुल पूँजी न्यूनतम अनुपात (बेसल III न्यूनतम से भिन्न होने पर)	9.00%	
कटौती के लिए सीमा से नीचे की राशि (जोखिम भार से पहले)			
72	अन्य वित्तीय इकाईयों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश		
73	वित्तीय इकाईयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
74	बन्धक सेवा अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	0	
75	अस्थाई अंतर से उत्पन्न अस्थगित कर आस्तियाॅ (संबंधित कर देयता का निवल)	0	
टीयर 2 में लागू प्रावधानों को शामिल करने पर कैप			
76	मानकीकृत अभिगम के अधीन ऋणों के संबंध में टीयर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने के पूर्व)	1723.83	
77	मानकीकृत अभिगम के तहत टीयर 2 में प्रावधानों को शामिल करने केलिए सीमा	1723.83	
78	मानकीकृत आंतरिक रेटिंग आधारित अभिगम के अधीन ऋणें के संबंध में टीयर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने के पूर्व)	लागू नहीं	
79	मानकीकृत आंतरिक रेटिंग आधारित अभिगम के तहत टीयर 2 में शामिल करने के लिए प्रावधान की सीमा	लागू नहीं	
चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन पूंजीगत लिखत (केवल 31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2022 के बीच लागू)			
80	फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन सीइटी 1 पर वर्तमान सीमा	0	
81	कैप के कारण देय सीइटी 1 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के पश्चात सीमा पर आधिक्य)	0	
82	फेज आउट व्यवस्था के अधीन ए टी 1 लिखत पर वर्तमान सीमा	0	
83	सीमा को देय ए टी 1 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि)	0.00	
84	फेज आउट व्यवस्था के अधीन टी 2 लिखत पर वर्तमान सीमा	0.00	
85	सीमा को देय टी 2 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि)	0.00	

टेम्पलेट को नोट्स **(रु. करोड़ में)**

टेम्पलेट की क्रम संख्या	विवरण	
10	संचयी नुकसान के साथ संबद्ध आस्थगित कर आस्तियाँ	0
	आस्थगित कर आस्तियाँ (संचयी नुकसान के साथ संबद्ध को छोड़कर) आस्थगित कर देयता का निवल	6033.83
	क्रम संख्या 10 में दर्शित अनुसार योग	0.00
19	यदि बीमा अनुषंगी में निवेश की कटौती पूँजी में से पूर्णतः नहीं काटी गयी है और बल्कि कटौती के लिए 10 की सीमा पर विचार किया गया है, बैंक की पूँजी में परिणामी वृद्धि	0
	इसमें से : सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूँजी में वृद्धि	0
	इसमें से : अतिरिक्त टीयर 1 पूँजी में बढ़ोतरी	0
	इसमें से : टीयर 2 पूँजी में बढ़ोतरी	0
26बी	यदि गैर वित्तीय अनुषंगी की ईक्विटी पूँजी में निवेश की कटौती नहीं की गयी और उसके बाद जोखिम भार	0
	(i) सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूँजी में वृद्धि	0
	(ii) जोखिम भारित आस्तियों में बढ़ोतरी	0

National minima (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%	
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities		
73	Significant investments in the common stock of financial entities		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0	
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	1723.83	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	1723.83	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	NA	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	NA	
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	0	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangementS	0	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	0.00	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00	

Notes to the Template Rs. (in crore)

Row No. of the template	Particular	
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	0
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	6033.83
	Total as indicated in row 10	0.00
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	0
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	0
	of which: Increase in Tier 2 capital	0
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	0
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	0
	(ii) Increase in risk weighted assets	0

50	टीयर 2 पूँजी में शामिल पात्र प्रावधान	1723.83
	टीयर 2 पूँजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ	0.00
	क्रम 50 का कुल	1723.83

तालिका डीएफ़ 21 –पूँजी की संरचना – समाधान आवश्यकता (रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन पत्र	नियामक विचार के समेकन के अंतर्गत तुलनपत्र
		31.03.2023 तक	31.03.2023 तक
क	**पूंजी और देयताएँ**		
I	प्रदत्त पूँजी	**18902.41**	**18902.41**
	आरक्षिति तथा अधिशेष	6360.53	5973.63
	अल्पमत ब्याज	0.00	0.00
	कुल पूँजी	**25262.94**	**24876.04**
Ii	**जमाएं**	**260883.29**	**260973.59**
	जिसमें से : बैंकों से जमा	579.06	579.06
	जिसमें से : ग्राहकों से जमा	260304.23	260394.53
	जिसमें से : अन्य	0.00	0.00
Iii	**उधार**	**20803.77**	**20803.77**
	जिसमें से : आरबीआई से	0.00	0.00
	जिसमें से : बैंक से	0.00	0.00
	जिसमें से : अन्य संस्थाओं व एजेंसियों से	15428.82	15428.82
	जिसमें से : अन्य (भारत से बाहर)	2909.95	2909.95
	जिसमें से : पूँजी लिखत	2465.00	2465.00
Iv	**अन्य देयताएँ तथा प्रावधान**	**6795.82**	**6796.50**
	कुल	**313745.82**	**313449.90**
ख	**आस्तियां**		
i	**भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद व शेष**	**17148.36**	**17150.18**
	बैंक में शेष तथा अल्प सूचना पर मांग मुद्रा	**3458.73**	**3670.65**
ii	**निवेश**	**94170.41**	**93642.52**
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियाँ	90313.19	90347.16
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0.99	0.99
	जिसमें से : शेयर	1181.15	776.62
	जिसमें से : डिबेंचर तथा बाण्ड	2392.81	2392.81
	जिसमें से : अनुषंगियों / संयुक्त उपक्रम / सहयोगी	193.44	0.00
	जिसमें से : अन्य (व्यावसायिक पत्र, म्युच्यूअल निधि आदि)	88.83	124.94
iii	**ऋण तथा अग्रिम**	**178052.57**	**178067.68**
	जिसमें से : बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	0.00	0.00
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	178052.57	178067.68
iv	**अचल आस्तियाँ**	**3709.98**	**3710.74**
v	**अन्य आस्तियाँ**	**17205.77**	**17208.13**
	जिसमें से : साख तथा अमूर्त आस्तियाँ	0.00	0.00
	जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियाँ	6034.27	6034.46
vi	समेकन पर साख	0.00	0.00
vii	लाभ व हानि खाते में नामे शेष	0.00	0.00
	कुल	**313745.82**	**313449.90**

50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	1723.83
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	0.00
	Total of row 50	1723.83

Table DF – 12: COMPOSITION OF CAPITAL-RECONCILIATION REQUIREMENTS (Rs. in crore)

S. No.	Particulars	Balance Sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on 31.03.2023	As on 31.03.2023
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid up Capital	**18902.41**	**18902.41**
	Reserves and Surplus	6360.53	5973.63
	Minority Interest	0.00	0.00
	Total Capital	**25262.94**	**24876.04**
ii	**Deposits**	**260883.29**	**260973.59**
	of which : Deposit from Banks	579.06	579.06
	of which : customer deposits	260304.23	260394.53
	of which : Others	0.00	0.00
iii	**Borrowings**	**20803.77**	**20803.77**
	of which : From RBI	0.00	0.00
	of which : From bank	0.00	0.00
	of which : from other institutional & agencies	15428.82	15428.82
	of which : Others(Outside India)	2909.95	2909.95
	of which : Capital instruments	2465.00	2465.00
iv	**Other liabilities and provisions**	**6795.82**	**6796.50**
	Total	**313745.82**	**313449.90**
B	**Assets**		
i	**Cash and Balances with Reserve Bank of India**	**17148.36**	**17150.18**
	Balance with bank and money at call and short notice	**3458.73**	**3670.65**
ii	**Investments**	**94170.41**	**93642.52**
	of which: Government Securities	90313.19	90347.16
	of which: Other approved securities	0.99	0.99
	of Which :shares	1181.15	776.62
	of which : Debentures & Bonds	2392.81	2392.81
	of which: Subsidiaries / joint Venture /Associates	193.44	0.00
	of which : other (commercial Paper, Mutual Funds etc)	88.83	124.94
iii	**Loans and advances**	**178052.57**	**178067.68**
	of which : Loans and advances to banks	0.00	0.00
	of which : Loans and advances to customers	178052.57	178067.68
iv	**Fixed assets**	**3709.98**	**3710.74**
v	**Other assets**	**17205.77**	**17208.13**
	of which : Goodwill and intangible assets	0.00	0.00
	of which : Deferred tax assets	6034.27	6034.46
vi	Goodwill on consolidation	0.00	0.00
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0.00
	Total	**313745.82**	**313449.90**

तालिका डीएफ – 13 : विनियामक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएँ

विनियामक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं का प्रकटीकरण टेम्पलेट

क्र. सं.	विवरण	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
		बेसल III टीयर II	बेसल III टीयर II	बेसल III टीयर II	बेसल III टीयर II
		शृंखला II	शृंखला III	शृंखला IV	शृंखला V
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (जैसे निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआइपी, आइएसआइएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आइएनई 565A09264	आइएनई 565A08035	आइएनई 565A08043	आइएनई 565A08050
3	लिखत के शासकीय कानून	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै
	नियामक समाधान				
4	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर II	टीयर II	टीयर II	टीयर II
5	परिवर्तन के बाद बेसल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल / समूह / समूह @ एकल पर योग्य	एकल	एकल	एकल	एकल
7	लिखत का प्रकार	टीयर II ऋण लिखत	टीयर II ऋण लिखत	टीयर II ऋण लिखत	टीयर II ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (हाल ही की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार रुपए करोड़ों में)	300.00	500.00	665.00	1000.00
9	लिखत का बराबर मूल्य	रू.10.00 लाख	रू.10.00 लाख	रू.1.00 करोड़	रू.01.00 करोड़
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता	देयता
11	निर्गम की मूल तिथि	10.12.2018	24.09.2019	31.03.2022	24.03.2023
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	परिपक्वता की मूल तिथि	10.12.2028	24.09.2029	31.03.2032	24.03.2033
14	पर्यवेक्षी के अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता का निर्णय	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
15	वैकल्पिक पूर्व माँग तिथि, आकस्मिक माँग तिथियां और मोचन राशि (रु. करोड़ों में)	शून्य, शून्य, 300	शून्य, शून्य, 500	शून्य, शून्य, 665	शून्य, शून्य, 1000
16	आगामी माँग तिथियां यदि लागू है तो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
17	स्थिर या फ्लोटिंग लाभांश/ कूपन	कूपन रेट	कूपन रेट	कूपन रेट	कूपन रेट
18	कूपन दर और कोई भी संबंधित सूचकांक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
20	पूरी तरह से विवेकपूर्ण, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
21	मोचन के लिए कदम उठाने या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	गैर - संचयी	गैर - संचयी	गैर - संचयी	गैर - संचयी
22	गैर-संचयी या संचयी	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण ट्रिगर (ओं)	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
25	यदि परिवर्तनीय, पूरी तरह से या आंशिक रूप से	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है, तो उस लिखत प्रकार को निर्दिष्ट करें जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत के जारीकर्ता को निर्दिष्ट करें जो इसे परिवर्तित करता है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन सुविधा	हां	हां	हां	हां

Table DF-13: MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

Sr. No.	Particulars	Dated Basel III Tier II Series II	Dated Basel III Tier II Series III	Dated Basel III Tier II Series IV	Dated Basel III Tier II Series V
1	Issuer	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09264	INE565A08035	INE565A08043	INE565A08050
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai	Chennai	Chennai	Chennai
	Regulatory treatment				
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	ineligible	ineligible	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier II Debt Instruments	Tier II Debt Instruments	Tier II Debt Instruments	Tier II Debt Instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. In Crore as of most recent reporting date)	300.00	500.00	665.00	1000.00
9	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.1.00 crore	Rs.1.00 crore
10	Account classification	Liability	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	10.12.2018	24.09.2019	31.03.2022	24.03.2023
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	10.12.2028	24.09.2029	31.03.2032	24.03.2033
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	No	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. In Crore)	Nil, Nil, 300	Nil, Nil, 500	Nil, Nil, 665	Nil, Nil, 1000
16	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	Coupons / dividends	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
17	Fixed or floating dividend/coupon	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
18	Coupon rate and any related index	No	No	No	No
19	Existence of a dividend stopper	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Not available	Not available	Not available	Not available
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
22	Non-cumulative or cumulative	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
23	Convertible or non-convertible	N/A	N/A	N/A	N/A
24	If convertible, conversion trigger(s)	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A	N/A	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Write-down feature	yes	yes	yes	yes

31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	भा. रि. बै. द्वारा घोषणा पर पीओएनवी के तहत	भा. रि. बै. द्वारा घोषणा पर पीओएनवी के तहत	भा. रि. बै. द्वारा घोषणा पर पीओएनवी के तहत	भा. रि. बै. द्वारा घोषणा पर पीओएनवी के तहत
32	यदि अवलेखन, आंशिक या पूर्ण	आंशिक/पूर्ण	आंशिक/पूर्ण	आंशिक/पूर्ण	आंशिक/पूर्ण
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थाई	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थाई अवलेखन, आलेख क्रियाविधि का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन की अधीनता पदानुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत बाद लिखत प्रकार निर्दिष्ट करें)	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर अनुपालन अंतरण सुविधाएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हां, तो गैर-अनुपालन विशेषताएं निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

तालिका डीएफ 14: विनियामक पूंजी लिखतों के लिए नियम व शर्ते

विनियामक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएँ का प्रकटीकरण टेम्पलेट

क्र. सं.	**विवरण**	**बेमियादी/ दिनांकित**	**बेमियादी/ दिनांकित**	**बेमियादी/ दिनांकित**	**बेमियादी/ दिनांकित**
		बेसल III अनुपालन टीयर II	**बेसल III अनुपालन टीयर II**	**बेसल III अनुपालन टीयर II**	**बेसल III अनुपालन टीयर II**
		शृंखला I	**शृंखला III**	**शृंखला IV**	**शृंखला V**
1	विशिष्ट पहचानकर्ता (जैसे निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआइपी, आइएसआइएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आइएनई 565A09264	आइएनई 565A08035	आइएनई 565A08043	आइएनई 565A08050
2	लिखत का प्रकार	ऋण लिखत	ऋण लिखत	ऋण लिखत	ऋण लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रू. 10 लाख	रु. 10.00 लाख	रु. 1.00 करोड़	रु. 01.00 करोड़
4	सतत या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
5	वास्तविक परिपक्वता तिथि	10.12.2028	24.09.2029	31.03.2032	24.03.2033
6	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
7	वैकल्पिक माँग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रू. करोड़ में)	शून्य, शून्य, 300	शून्य, शून्य, 500	शून्य, शून्य, 665	शून्य, शून्य, 1000
8	निश्चित या चल लाभांश/कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
9	लाभांश अवरोधक की मौजूदगी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
10	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार
11	क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
12	गैर -संचयी या संचयी	गैर – संचयी	गैर – संचयी	गैर – संचयी	गैर – संचयी
13	परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
14	परिसमापन की अधीनता पदानुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत बाद लिखत प्रकार निर्दिष्ट करें)	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
15	गैर अनुपालन अंतरण सुविधाएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
16	यदि हां, तो गैर-अनुपालन विशेषताएं निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

31	If write-down, write-down trigger(s)	Upon declaration under PONV by RBI	Upon declaration under PONV by RBI	Upon declaration under PONV by RBI	Upon declaration under PONV by RBI
32	If write-down, full or partial	partial/full	partial/full	partial/full	partial/full
33	If write-down, permanent or temporary	permanent	permanent	permanent	permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitional features	No	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA	NA

Table DF-14: TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

Sr No.	Particulars	Perpetual/Dated Basel III Compliant Tier II Series II	Perpetual/Dated Basel III Compliant Tier II Series III	Perpetual/Dated Basel III Compliant Tier II Series IV	Perpetual/Dated Basel III Compliant Tier II Series V
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09264	INE565A08035	INE565A08043	INE565A08050
2	Instrument type	Debt Instrument	Debt Instrument	Debt Instrument	Debt Instrument
3	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.1.00 Crore	Rs.1.00 Crore
4	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated	Dated
5	Original maturity date	10.12.2028	24.09.2029	31.03.2032	24.03.2033
6	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	No	Yes	Yes
7	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	Nil, Nil, 300	Nil, Nil, 500	Nil, Nil, 665	Nil, Nil, 1000
8	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
9	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Full Discretionary	Full Discretionary	Full Discretionary	Full Discretionary
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available	Not available	Not available	Not available
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	No	No	No	No
16	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

तालिका डीएफ-16: इक्विटी बैंकिंग बही स्थिति के लिए प्रकटीकरण

मात्रात्मक प्रकटीकरण:	
1	विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के इक्विटी पोर्टफोलियो का मूल्य इस प्रकार है: <u>बिक्री के लिए उपलब्ध और ट्रेडिंग श्रेणी के लिए धारित इक्विटी शेयरों के लिए</u> ➢ सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन नवीनतम बाजार दरों पर किया जाता है, अर्थात बाजार के हिसाब से। ➢ गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध तुलन-पत्र से निर्धारित बही मूल्य पर किया जाता है। यदि तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं है, तो उसका मूल्यांकन प्रति कंपनी 1/- रुपये के हिसाब से किया जाता है। <u>परिपक्वता श्रेणी तक धारित इक्विटी शेयरों के लिए</u> ➢ परिपक्वता तक धारित श्रेणी में रखे गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण: (रु. करोड़ में)

क्रम	**विवरण**	**राशि**
1	निवेशों के तुलन-पत्र में प्रकट मूल्य, साथ ही साथ उन निवेशों का उचित मूल्य; उद्त प्रतिभूतियों के लिए, सार्वजनिक रूप से उद्त शेयर मूल्यों की तुलना जहां शेयर की कीमत वास्तविक मूल्य से भौतिक रूप से भिन्न होती है	621.77
2	निवेश के प्रकार और प्रकृति, उस राशि सहित जिसे इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: • सार्वजनिक रूप से कारोबार; और • निजी रूप से रखा गया	 1228.34 1043.77
3	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री और परिसमापन से उत्पन्न होने वाले संचयी लाभ/ (हानि)। (01.04.2022 से 31.03.2023) वित्तीय वर्ष 2022-23	7.69
4	कुल गैर-तरलीकृत प्राप्तियाँ (हानियाँ)[13]	(1334.78)
5	कुल अव्यक्त पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियाँ) [14]	(1050.15)
6	टीयर 1 और/या टीयर 2 पूंजी ** में शामिल उपरोक्त में से कोई भी राशि	606.90
7	बैंक की कार्यप्रणाली के साथ-साथ कुल राशि और किसी भी पर्यवेक्षी संक्रमण या नियामक पूंजी आवश्यकताओं के संबंध में ग्रैंडफादरिंग प्रावधानों के अधीन इक्विटी निवेश के प्रकार के अनुरूप उपयुक्त इक्विटी ग्रुपिंग द्वारा विभाजित पूंजी आवश्यकताएं	शून्य

** प्रायोजक के रूप में ओड़िशा ग्राम्य बैंक की शेयर पूंजी में दर्शाए गए बैंक का निवेश।

13 ऊपर बताए गए आंकड़े शेयरों के कोष्ठक (बकेट) में एमटीएम मूल्यह्रास है

14 कुल अप्राप्त लाभ (हानि) घटाए गए मूल्यवृद्धि को अनदेखा कर दिया गया है, जो प्रदर्शन करने वाले शेयरों/गैर सीडीआर शेयरों से संबन्धित है ।

डीएफ तालिका 17 : लेखांकन आस्तियां तथा लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र उपायों का तुलनात्मक सारांश

क्र. सं.	**मद**	**राशि (रु. करोड़ में)**
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	355414
2	बैंकिंग में निवेश हेतु समायोजन, वित्तीय, बीमा अथवा कारोबारी इकाइयां जो कि लेखांकन उद्देश्य से समेकित की गई हैं किंतु नियामक समेकन के विस्तार के बाहर हैं	338
3	परिचालित लेखांकन फ्रेमवर्क के आधार पर किंतु लिवरेज अनुपात मानक से बाहर तुलनपत्र पर पहचानी गई प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन	0
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	5650
5	लेनदेनों को वित्तपोषित करने वाली प्रतिभूतियों के लिए समायोजन (यानी रेपो एवं समान प्रतिभूत उधार)	0
6	तुलनपत्र से इतर की मदों के लिए समायोजन (तुलनपत्र एक्सपोजर से इतर समतुल्य क्रेडिट राशियों में परिवर्तन)	12751

Table DF-16: EQUITIES – DISCLOSURE FOR BANKING BOOK POSITIONS

Qualitative Disclosures	
1	As per regulatory guidelines, the Equity portfolio of Bank is valued as under: <u>For Equity Shares held in Available For Sale and Held For Trading category</u> ➢ Listed Equity Shares are valued at latest Market Rates i.e. Marked to Market. ➢ Unlisted Equity Shares are valued at Book value ascertained from the latest available balance-sheets. If the balance-sheet is not available, then the same are valued at Re.1/- per company. <u>For Equity Shares held in Held till Maturity category</u> ➢ Equity shares held in Held till Maturity category are valued at cost.

Quantitative disclosure: (Rs. in crore)

Sr. No.	Particulars	Amount
1	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments; for quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value	621.77
2	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as: • Publicly traded; and • Privately held	1228.34 1043.77
3	The cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period (01.04.2022 to 31.03.2023) FY 2022-23	7.69
4	Total unrealised gains (losses)[13]	(1334.78)
5	Total latent revaluation gains (losses) [14]	(1050.15)
6	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital**	606.90
7	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements	Nil

**Indiates Bank's investment in share Capital of Odisha Gramya Bank as a Sponsor.

13 Figure reported above is the MTM depreciation in Shares Basket.

14 Total unrealized gains (losses) less appreciation ignored w.r.t performing shares/Non CDR shares

Table DF 17- SUMMARY COMPARISON OF ACCOUNTING ASSETS VS. LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE

(Rs. in crore)

	Items	Amount (Rs in Crores)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	355414
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	338
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	0
4	Adjustments for derivative financial instruments	5650
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	0
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	12751

7	अन्य समायोजन	46588
8	**लीवरेज अनुपात एक्सपोजर**	326888

डीएफ तालिका 18 : लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट

क्र. सं.	मदें	रु. करोड़ में
1	तुलन पत्र की मदें (डेरीवेटिव एवं एसएफटी को छोड़कर किंतु संपार्श्विकों सहित)	355414
2	(बेसल III टीयर 1 पूंजी को निर्धारित करने में कटौती की गई आस्ति राशियां)	47924
3	**तुलनपत्र में कुल एक्सपोज़र** (डेरीवेटिव एवं एसएफटी को छोड़कर) (पंक्ति 1 व 2 का योग)	**307489**
डेरीवेटिव एक्सपोज़र		
4	सभी डेरीवेटिव लेनदेनों के साथ संबद्ध प्रतिस्थापना मूल्य (जैसे कि पात्र नकदी भिन्नता मार्जिन का निवल)	1173
5	सभी व्युत्पन्न लेनदेनों के साथ पीएफई संबद्ध हेतु अतिरिक्त राशियां	4476
6	जहां परिचालित लेखांकन फ्रेमवर्क के आधार पर तुलन पत्र आस्तियों से कटौतियां की गई हैं वहां डेरीवेटिव संपार्श्विक के लिए ग्रॉस-अप	---
7	(डेरीवेटिव लेनदेनों में प्रदत्त नकदी विचलन मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौतियां)	---
8	(ग्राहक-निपटान कारोबार एक्सपोज़र से सीसीपी लेग की छूट)	---
9	लिखे हुए क्रेडिट डेरीवेटिव के लिए अनुमानित राशि का प्रभावी समायोजन	---
10	(लिखे हुए क्रेडिट डेरीवेटिव के लिए समायोजित अनुमानित राशि ऑफसेट तथा अतिरिक्त कटौतियां)	---
11	**कुल डेरीवेटिव एक्सपोज़र (4 से 10 पंक्तियों का योग)**	**5650**
लेन-देन एक्सपोज़र को वित्तपोषित करने वाली प्रतिभूति		
12	बिक्री खाता लेनदेनों के लिए समायोजित करने के बाद सकल एसएफटी आस्तियां (नेटिंग की कोई मान्यता नहीं है)	---
13	(सकल एसएफटी आस्तियो की नकद प्राप्तियों तथा नकद देयताओं की निवल राशि)	---
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोज़र	0
15	एजेंट लेन-देन एक्सपोज़र	---
16	**लेन-देन एक्सपोज़र्स को वित्तपोषित करने वाली कुल प्रतिभूतियाँ (12 से 15 पंक्तियों का योग)**	0
तुलन पत्र से इतर अन्य मदें		
17	सकल अनुमानित राशि पर तुलनपत्र से इतर एक्सपोज़र	27602
18	(क्रेडिट समतुल्य राशियों के परिवर्तन के लिए समायोजन)	14851
19	**तुलनपत्र से इतर मदें (17 तथा 18 पंक्तियों का योग)**	12751
पूंजी एवं कुल एक्सपोज़र		
20	**टीयर 1 पूंजी**	16736
21	**कुल एक्सपोजर (3,11,16 तथा 19 पंक्तियों का योग)**	325890
लीवरेज अनुपात		
22	**बेसल III लीवरेज अनुपात**	**5.14%**

7	Other adjustments	46588
8	**Leverage ratio exposure**	326888

Table DF-18: Leverage ratio common disclosure template

	Items	Rs. in Crores
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	355414
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	47924
3	**Total on-balance sheet exposures** (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	**307489**
	Derivative exposures	
4	Replacement cost associated with all *derivatives* transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	1173
5	Add-on amounts for PFE associated with *all* derivatives transactions	4476
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	---
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	---
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	---
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	---
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	---
11	**Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)**	**5650**
	Securities financing transaction exposures	
12	Gross SFT *assets* (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	---
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	---
14	CCR exposure for SFT assets	0
15	Agent transaction exposures	---
16	**Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)**	**0**
	Other off-balance sheet exposures	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	27602
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	14851
19	**Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)**	12751
	Capital and total exposures	
20	**Tier 1 capital**	16736
21	**Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)**	325890
	Leverage ratio	
22	**Basel III leverage ratio**	**5.14%**

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) 2022-23

खंड ए : सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध इकाई का विवरण

क्रमसं.	अपेक्षित सूचना	
1	सूचीबद्ध इकाई का कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर (सीआईएन)	लागू नहीं
2	सूचीबद्ध इकाई का नाम	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
3	निगमन वर्ष	1937
4	पंजीकृत कार्यालय पता	763, अण्णा सालै, चेन्नै-600002
5	कॉरपोरेट पता	763, अण्णा सालै, चेन्नै-600002
6	ई-मेल	investor@iobnet.co.in
7	टेलीफोन	044-71729791/ 28889360
8	वेबसाइट	www.iob.in
9	वित्त वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	2022-2023
10	स्टॉक एक्सचेंज(जों) का नाम जहाँ शेयर सूचीबद्ध हैं	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड व बीएसई
11	प्रदत्त पूंजी	रु. 18,902.41 करोड़
12	उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है	श्री एस पी महेश कुमार महा प्रबन्धक व सीएफओ 044-28519487 investor@iobnet.co.in
13	रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर (यानी केवल इकाई के लिए) या समेकित आधार पर (यानी इकाई और उन सभी संस्थाओं को साथ लेकर जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा हैं) किया गया है।	इस रिपोर्ट में किए गए प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर हैं ।

II. उत्पाद /सेवाएं

14. व्यवसाय गतिविधियों का विवरण (जो टर्नओवर का 90% हिस्सा हों):

क्रमांक	मुख्य गतिविधियों का विवरण	व्यवसाय गतिविधि का विवरण	इकाई के टर्नओवर का %
1	वित्तीय सेवाएं	बैंकिंग गतिविधि -रीटेल, कॉरपोरेट व अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग	100%

15. इकाई द्वारा बिक्री किए जाने वाले उत्पाद/सेवाएं (जिनका इकाई के टर्नओवर में 90% हिस्सा हो):

क्रमांक	उत्पाद /सेवाएं	एनआईसी कोड	कुल अंशदानित टर्नओवर का %
1	बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं	64191	100%

III. परिचालन

16. उन स्थानों की संख्या जहां इकाई के संयंत्र और/या संचालन/कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	लागू नहीं	3220 शाखाएं + 3477 एटीएम	3220 शाखाएं + 3477 एटीएम
अंतरराष्ट्रीय	लागू नहीं	4	4

BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT (BRSR) 2022-23

SECTION A : GENERAL DISCLOSURES

I. Details of the Listed Entity

Sl.No	Required Information	
1	Corporate Identity Number (CIN) of the Listed Entity	Not applicable
2	Name of the Listed Entity	INDIAN OVERSEAS BANK
3	Year of incorporation	1937
4	Registered office address	763, Anna Salai, Chennai-600002
5	Corporate address	763, Anna Salai, Chennai-600002
6	E-mail	investor@iobnet.co.in
7	Telephone	044-71729791/ 28889360
8	Website	www.iob.in
9	Financial year for which reporting is being done	2022-2023
10	Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed	National Stock Exchange of India Limited & BSE
11	Paid-up Capital	Rs. 18,902.41 crore
12	Name and contact details (telephone, email address) of the person who may be contacted in case of any queries on the BRSR report	Mr. S P Mahesh Kumar General Manager & CFO 044-28519487 investor@iobnet.co.in
13	Reporting boundary - Are the disclosures under this report made on a standalone basis (i.e. only for the entity) or on a consolidated basis (i.e. for the entity and all the entities which form a part of its consolidated financial statements, taken together).	Disclosures made in this report is on a standalone basis

II. Products / Services

14. Details of business activities (accounting for 90% of the turnover):

Sl.No	Description of Main Activity	Description of Business Activity	% of Turnover of the entity
1	Financial Services	Banking Activity - Retail, corporate & International Banking	100%

15. Products/Services sold by the entity (accounting for 90% of the entity's Turnover):

Sl.No	Product / Service	NIC Code	% of total Turnover contributed
1	Banking & Financial Services	64191	100%

III. Operations

16. Number of locations where plants and/or operations/offices of the entity are situated:

Location	Number of plants	Number of offices	Total
National	NA	3220 Branches + 3477 ATMs	3220 Branches + 3477 ATMs
International	NA	4	4

17	इकाई जिन बाज़ारों में सेवा देती है:		
	ए.	स्थानों की संख्या	
		स्थान	संख्या
		राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	35 (राज्य व केंद्र शासित प्रदेश)
		अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	4
	बी.	इकाई के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है?	लागू नहीं
	सी.	ग्राहकों के प्रकार पर एक संक्षिप्त विवरण	हमारा बैंक खुदरा ग्राहकों, किसानों, एमएसएमई और कॉरपोरेट्स की जरूरतों को पूरा करता है। हमारे ग्राहकों के प्रत्येक खंड के लिए हमारे पास बचत, ऋण और अन्य वित्तीय उत्पादों/सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला है। 31 मार्च, 2023 तक, हमारे लगभग 25% क्रेडिट ग्राहक खुदरा ग्राहक, 20% एमएसएमई, 25% कृषि ग्राहक और 30% कॉर्पोरेट ग्राहक हैं।

IV. कर्मचारी

18 वित्त वर्ष की समाप्ति पर विवरण:

ए. कर्मचारी एवं कामगार (दिव्यांगों समेत):

क्रमांक	विवरण	कुल(ए) सं.(बी) % (बी/ए)	पुरुष		महिला	
			सं.(बी)	%(बी/ए)	सं.(सी)	% (सी/ए)
कर्मचारी						
1	स्थाई (डी)	22,052	14,117	64%	7,935	36%
2	स्थाई के अतिरिक्त (ई)	0	-	0%	-	0%
3	कुल कर्मचारी (डी+ई)	22,052	14,117	64%	7,935	36%
कामगार						
4	स्थाई (एफ)	0	0	0%	0	0%
5	स्थाई के अतिरिक्त (जी)	0	0	0%	0	0%
6	कुल कामगार (एफ+जी)	0	0	0%	0	0%

बी. दिव्यांग कर्मचारी व कामगार:

क्रमांक	विवरण	कुल (ए) सं.(बी) % (बी/ए)	पुरुष		महिला	
			सं.(बी)	%(बी/ए)	सं.सी	% (सी/ए)
दिव्यांग कर्मचारी						
1	स्थाई (डी)	490	382	78%	108	22%
2	स्थाई के अतिरिक्त (ई)	0	0	0%	0	0%
3	कुल दिव्यांग कर्मचारी (डी+ई)	490	382	78%	108	22%
दिव्यांग कामगार						
4	स्थाई (एफ)	0	0	0%	0	0%
5	स्थाई के अतिरिक्त (जी)	0	0	0%	0	0%
6	कुल दिव्यांग कामगार (एफ+जी)	0	0	0%	0	0%

17	Market Served by the entity:		
	a.	Number of locations	
		Locations	Number
		National (No. of States)	35 (States & Union Territories)
		International (No. of Countries)	4
	b.	What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity?	Not applicable
	c.	A brief on type of customers	Our Bank caters to retail customers, farmers, MSMEs, and Corporates. We have a wide range of savings, credit and other financial products/ services for each segment of our customers. As of 31st March,2023, about 25% of our credit customers were Retail customers, 20% were MSME, 25% were Agri customers and 30% were corporate customers.

IV. Employees

18 Details as at the end of Financial Year:

a. Employees and workers (including differently abled):

Sl.No	Particulars	Total (A) No.(B) % (B/A)	Male		Female	
			No.(B)	% (B/A)	No.(C)	% (C/A)
Employees						
1	Permanent (D)	22,052	14,117	64%	7,935	36%
2	Other than Permanent (E)	0	0	0%	0	0%
3	Total employees (D+E)	22,052	14,117	64%	7,935	36%
Workers						
4	Permanent (F)	0	0	0%	0	0%
5	Other than Permanent (G)	0	0	0%	0	0%
6	Total workers (F+G)	0	0	0%	0	0%

b. Differently abled Employees and workers:

Sl.No	Particulars	Total (A) No.(B) % (B/A)	Male		Female	
			No.(B)	% (B/A)	No.(C)	% (C/A)
Differently Abled Employees						
1	Permanent (D)	490	382	78%	108	22%
2	Other than Permanent (E)	0	0	0%	0	0%
3	Total differently abled employees (D+E)	490	382	78%	108	22%
Differently Abled Workers						
4	Permanent (F)	0	0	0%	0	0%
5	Other than Permanent (G)	0	0	0%	0	0%
6	Total differently abled workers (F+G)	0	0	0%	0	0%

19	महिलाओं की सहभागिता/समावेश/प्रतिनिधित्व:				
	सं. (बी)	कुल (ए)	महिलाओं की संख्या प्रतिशत	
			सं.(बी)	% (बी / ए)
	निदेशक मंडल	9	2	22%
	मुख्य प्रबन्धन कार्मिक	15	1	7%

20	स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए टर्नओवर दर (पिछले 3 वर्षों के रुझान प्रकट करें)									
		वित्त वर्ष 2022-23 (वर्तमान वित्त वर्ष में टर्नओवर दर)			वित्त वर्ष 2021- 22 (पिछले वर्ष टर्नओवर दर)			वित्त वर्ष 2020 - 21 (पिछले वर्ष से पूर्व वर्ष में टर्नओवर दर)		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
	स्थाई कर्मचारी	0.73%	1.39%	0.97%	1.17%	1.21%	1.19%	0.30%	0.36%	0.32%
	स्थाई कामगार	लागू नहीं								

V. होल्डिंग, अनुषंगी व सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उपक्रमों समेत)

21	(ए)	होल्डिंग /अनुषंगी / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उपक्रमों के नाम				
		क्रमांक	होल्डिंग/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम (ए)	बताएं कि होल्डिंग / सहायक / सहयोगी / संयुक्त उद्यम में से क्या है	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत	क्या कॉलम ए में दर्शाई गई इकाई, सूचीबद्ध इकाई की, व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में हिस्सा लेती है? (हाँ/नहीं)
		1	इंडिया इंटरनेशनल बैंक मलेशिया बरहद	संयुक्त उपक्रम	33%	नहीं
		2	यूनीवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	18%	नहीं

VI. सीएसआर विवरण

22	(i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है: (हाँ/नहीं)	नहीं, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर बैंक पर लागू नहीं है। हालांकि, बैंक समाज के विकास में योगदान देने के लिए सीएसआर परियोजनाएं चलाता है।
	(ii) टर्नओवर (रु करोड़ में)	23,509.08
	(iii) नेटवर्थ (रु करोड़ में)	14,643.49

VII. पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण अनुपालन

23	जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें / कष्ट:							
	हितधारक समूह जिनसे शिकायत प्राप्त होती है	लागू शिकायत निवारण तंत्र (हां/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2022 - 23			वित्त वर्ष 2021 - 22		
			वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी

19	Participation/Inclusion/Representation of women:			
		Total (A)	No. and percentage of Females	
			No.(B)	% (B/A)
	Board of Directors	9	2	22%
	Key Management Personnel	15	1	7%

20	Turnover rate for permanent employees and workers (Disclose trends for the past 3 years)									
		FY 2022-23 (Turnover rate in current FY)			FY 2021- 22 (Turnover rate in previous FY)			FY 2020 - 21 (Turnover rate in the year prior to the previous FY)		
		Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
	Permanent Employ-ees	0.73%	1.39%	0.97%	1.17%	1.21%	1.19%	0.30%	0.36%	0.32%
	Permanent Workers	Not applicable								

V. Holding, Subsidiary and Associate Companies (including joint ventures)

21	(a)	Name of holding / subsidiary / associate companies / joint ventures				
		Sl.No	Name of the holding / subsidiary / associate companies / joint ventures (A)	Indicate whether holding/ Subsidiary/ Associate/ Joint Venture	% of shares held by listed entity	Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the listed entity? (Yes/No)
		1	India International Bank Malaysia Berhad	Joint Venture	35%	No
		2	Universal Sompo General Insurance Company Limited	Joint Venture	18%	No

VI. CSR Details

22		
	(i) Whether CSR is applicable as per section 135 of Companies Act, 2013: (Yes/No)	No. CSR is not applicable to the Bank as per section 135 of the Companies Act, 2013. However, the Bank undertakes CSR projects to contribute towards the development of the society.
	(ii) Turnover (in Rs. crores)	23,509.08
	(iii) Net worth (in Rs. crores)	14,643.49

VII. Transparency and Disclosure Compliances

23	Complaints/Grievances on any of the principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct:J							
			FY 2022 - 23			FY 2021 - 22		
	Stakeholder group from whom complaint is received	Grievance Redressal Mechanism in Place (Yes/No) (If Yes, then provide web-link for grievance redress policy)	Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks	Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks

	हितधारकों की सूची							
	समुदाय	नहीं	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
	शेयरधारक*	हाँ https://www.iob.in/shareholders_helpdesk	4	4		13	13	
	कर्मचारी व कामगार	हाँ	901	7		1217	0	
	ग्राहक	हाँ iobGrievance_Redresal_Policy_2022.pdf	18183	18047	136#	13490	13199	291#
	वैल्यू चेन पार्टनर्स	नहीं	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
	अन्य (कृपया बताएं)		शून्य					
	* निवेशकों (बॉन्डधारकों समेत)/ शेयरधारकों का विवरण शामिल किया जाए) # लंबित हैं क्योंकि इनके समाधान के लिए 30 दिनों का टीएटी है							

24	इकाई की सामग्री जिम्मेदार व्यवसाय आचरण मुद्दों का अवलोकन					
	कृपया निम्नलिखित के अनुसार पर्यावरण और सामाजिक मामलों से संबंधित भौतिक जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए एक जोखिम या एक अवसर पेश करते हैं, उसी की पहचान करने के लिए तर्क, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ-साथ इसके वित्तीय प्रभाव प्रारूप					
	क्रमांक	चिह्नित बड़ा मामला	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम की पहचान करने के लिए तर्क / अवसर	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का दृष्टिकोण	अवसर या जोखिम का वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव है ये बताएं)
	1	डाटा निजता	जोखिम	डेटा चोरी जोखिम हमारे ग्राहकों के व्यक्तिगत रूप से पहचाने जाने योग्य डेटा को उजागर करता है, जो हमारे व्यावसायिक संबंधों को प्रभावित करता है।	डेटा चोरी और अन्य साइबर सुरक्षा मुद्दों के जोखिम को कम करने के लिए बैंक ने कई डेटा सुरक्षा उपाय किए हैं। हमने अपनी सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आइएसओ 27001:2013 प्रमाणन भी प्राप्त किया है।	**नकारात्मक:** डेटा चोरी या अन्य साइबर सुरक्षा समस्या की स्थिति में, बैंक के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे नियामकों से दंड का जोखिम भी बढ़ जाएगा।
	2	डिजिटाइज़ेशन	अवसर	डिजिटाइजेशन हमें अपने ग्राहकों को बेहतर और तेजी से सेवा प्रदान करने में सक्षम करेगा। इसके अलावा, डिजिटलीकरण हमें अधिक ग्राहकों तक पहुंचने में सक्षम करेगा और इस प्रकार हमारे उत्पादों की पहुंच में सुधार करेगा।		**सकारात्मक:** उत्पादों/ सेवाओं के डिजिटाइजेशन से हमें लागत प्रभावी तरीके से अधिक ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। बैंक पहले ही वी-केवाईसी के माध्यम से ऑनलाइन खाता खोलने, डिजिटल ऋण आवेदन, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी और डिजिटल भुगतान समाधान जैसी कई डिजिटल पहल शुरू कर चुका है।

	The list of the stakeholders							
	Communities	No	Nil	Nil		Nil	Nil	
	Shareholders*	Yes https://www.iob.in/shareholders_helpdesk	4	4		13	13	
	Employees and workers	Yes	901	7		1217	0	
	Customers	Yes iobGrievance_Redresal_Policy_2022.pdf	18183	18047	136#	13490	13199	291#
	Value Chain Partners	No	Nil	Nil		Nil	Nil	
	Other (please specify)		NIL					
	* Details of Investors (including Bond Holders) /Shareholder are covered) # Pending, as these are having TAT of 30 days.							

24	Overview of the entity's material responsible business conduct issues
	Please indicate material responsible business conduct and sustainability issues pertaining to environmental and social matters that present a risk or an opportunity to your business, rationale for identifying the same, approach to adapt or mitigate the risk along-with its financial implications, as per the following format

	Sl.No	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk / opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
	1	Data Privacy	Risk	Data breach risks exposing our customer's personally identifiable data, which effects our business relationship.	The Bank has put in place several data security measures to minimize the risk of data breaches and other cyber security issues. We have also obtained ISO 27001:2013 certification for our information security management system.	**Negative:** In the event of data breach or other cyber security issue, the Bank's business would be adversely impacted. This would also increase the risk of penalties from the regulators.
	2	Digitization	Opportunity	Digitization would enable us to serve our customers better and faster. Further, digitization would enable us to reach more customers and hence improve the accessibility of our products.		**Positive:** Digitization of products/ services would help us in reaching more customers in a cost-effective way. The Bank has already launched several Digital initiatives like online account opening through V-KYC, digital loan application, Electronic Bank guarantee, and digital payment solutions.

	3	नैतिक बर्ताव	अवसर	बैंक न केवल अपने ग्राहकों बल्कि अपने सभी मूल्य श्रृंखला भागीदारों के साथ उचित व्यवहार में विश्वास करता है। बैंक में भ्रष्टाचार विरोधी रिश्वतखोरी विरोधी नीति, व्हिसिल ब्लोअर नीति के साथ-साथ शिकायत निवारण नीति भी है। नैतिक व्यवहार पर जोर देने से बैंक को अपने मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने और बैंक ग्राहकों के लिए नए लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।		**सकारात्मक:** नैतिक व्यवहार पर जोर बैंक को अपने मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने में मदद करेगा, जिससे नए ग्राहकों के अधिग्रहण की लागत कम हो जाएगी। इसके अलावा, कर्मचारियों के उचित व्यवहार से कर्मचारियों की कम नौकरी छोड़ना सुनिश्चित होगा।
	4	व्यवस्थित जोखिम प्रबन्धन	जोखिम	बैंक एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में अपनी जिम्मेदारी को पहचानता है और अर्थव्यवस्था की परस्पर संबद्धता से उत्पन्न प्रणालीगत जोखिम को पहचानता है और कम करता है। ये जोखिम वित्तीय, तकनीकी या जलवायु परिवर्तन के परिणाम हो सकते हैं। ऐसी घटनाओं या घटनाओं की श्रृंखला में सिस्टम की स्थिरता को कमजोर करने या समझौता करने की क्षमता होती है	बैंक ने तनाव परीक्षण प्रणाली स्थापित की है जो प्रणालीगत जोखिमों की समय पर पहचान करने और उन्हें कम करने में मदद करती है।	नकारात्मक: प्रणालीगत जोखिम बनने की संभावना वाला कोई भी जोखिम बैंक के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा।

खंड बी : प्रबन्धन एवं प्रक्रियाओं का प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

प्रकटीकरण प्रश्न			पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं											
1	ए.	क्या आपकी संस्था की नीति/ नीतियां हैं जो एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत व उसके मूल तत्वों को कवर करती हों। (हाँ / नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	बी.	क्या यह नीति बोर्ड द्वारा मंजूरी है? (हाँ / नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	अपनाया जाएगा	अपनाया जाएगा	हाँ	हाँ	हाँ	अपनाया जाएगा
	सी.	नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध है	https://www.iob.in/Policies								
2	क्या इकाई द्वारा नीति को प्रक्रिया में बदला गया है। (हाँ / नहीं)		हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3	क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके वैल्यू चेन पार्टनर्स तक विस्तारित हैं? (हाँ / नहीं)		लागू नहीं								

	3	Ethical Behaviour	Opportunity	The Bank believes in fair treatment of not only its customers but also all its value chain partners. The Bank has in place anti-corruption anti-bribery policy, whistle blower policy as well as grievance redressal policy. A strong emphasis on ethical behaviour will help the Bank to retain its existing customers and to gain new to bank customers.		**Positive:** Emphasis on ethical behaviour will help the Bank to retain its existing customers, thereby reducing the cost of acquisition of new customers. Further, fair treatment of employees will ensure lower attrition.
	4	Systematic Risk Management	Risk	The Bank recognises its responsibility as a leading public sector Bank to identify and mitigate systemic risk resulting from the interconnectedness of the economy. These risks could be financial, technological or a result of climate change. Such events or series of events have the potential to weaken or compromise the stability of the system	The Bank has put in place stress testing system which helps in timely identification and mitigation of systemic risks.	Negative: Any unmitigated risk with the potential of becoming a systemic risk would negatively impact the performance of the Bank.

SECTION B : MANAGEMENT AND PROCESS DISCLOSURES											
This section is aimed at helping businesses demonstrate the structures, policies and processes put in place towards adopting the NGRBC Principles and Core Elements.											
Disclosure Questions			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Policy and management processes											
1	a.	Whether your entity's policy/policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs. (Yes/No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	b.	Has the policy been approved by the Board? (Yes/No)	Y	Y	Y	To be adopted	To be adopted	Y	Y	Y	To be adopted
	c.	Web Link of the Policies, if available	https://www.iob.in/Policies								
2	Whether the entity has translated the policy into procedures. (Yes / No)		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3	Do the enlisted policies extend to your value chain partners? (Yes/No)		Not applicable								

4	प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणीकरण/लेबल/मानक (जैसे फ़ॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफ़ॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टी) मानकों (जैसे एसए 8000, ओएचएसएएस, आईएसो, बीआईएस) के नाम।	सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए बैंक ने आइएसओ 27001:2013 प्राप्त किया है। प्रमाणन के दायरे में शामिल हैं: सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कार्यों पर लागू होती है जिसमें कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (सीबीएस) एप्लिकेशन, सहायक एप्लिकेशन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (आईटीडी), डेटा सेंटर (डीसी), डिजास्टर रिकवरी साइट्स (डीआरएस) द्वारा प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। लाइम साइट के पास (एनएलएस) और इसके सहायक कार्य जैसे भौतिक सुरक्षा, सामान्य प्रशासन, मानव संसाधन और कानूनी।
5	इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और लक्ष्यों को परिभाषित समयसीमा के साथ, यदि कोई हो।	विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं, हालांकि, बैंक इन सिद्धांतों के साथ शिकायत करने का प्रयास करता है।
6	विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और लक्ष्यों के विरुद्ध इकाई का प्रदर्शन, साथ ही साथ यदि उन्हें पूरा नहीं किया जाता है तो कारण।	वर्ष के दौरान, बैंक ने ई-बाइक/कार (आइओबी वाहन), नवीकरणीय सौर उपकरण (आइओबी सूर्या) और पवन चक्कियों के लिए हरित ऋण सुविधाएं शुरू करने जैसी कई ईएसजी पहल की हैं। बैंक ने पेपरलेस बैंकिंग के लिए भी कई पहल की हैं जैसे वीडियो केवाईसी के साथ ऑनलाइन खाता खोलना, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी और भीम यूपीआई के साथ राष्ट्रीय और सीमा पार भुगतान प्रणाली। महिलाओं के लिए विशेष क्रेडिट उत्पाद भी लॉन्च किए गए। स्नेहा नामक वित्तीय साक्षरता केंद्र 24 स्थानों पर शुरू किए गए थे।
शासन, नेतृत्व और निरीक्षण		
7	व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा वक्तव्य, ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया (सूचीबद्ध इकाई के पास इस प्रकटीकरण के प्लेसमेंट के लिए लचीलापन है)	जैसा कि बिंदु संख्या 6, में उल्लेख किया गया है। बैंक ने हमारे ग्राहकों को हरित ऋण प्रदान करने, हमारे स्नेहा केंद्रों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता में सुधार, हमारी महिला उधारकर्ताओं के लिए ऋण की पहुंच में सुधार और हमारे उत्पादों और प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए कई पहल की हैं। बैंक 9 एनजीआरबीसी सिद्धांतों को अपनाने और लागू करने के लिए प्रभावी निगरानी, नियमों और दिशानिर्देशों के बेहतर अनुपालन और प्रभावी ग्राहक शिकायतों के समाधान में विश्वास रखता है।
8	व्यवसाय उत्तरदायित्व नीति/नीतियों के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकरण का विवरण	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव – एमडी व सीईओ
9	क्या संस्था के पास स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हां / नहीं)	जी हाँ वहनीयता सम्बन्धित मामले में निर्णय करने के लिए निदेशक मंडल उच्चस्थ प्राधिकार है

10	कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:																	
	समीक्षा का विषय	बताएं कि क्या समीक्षा निदेशक/बोर्ड की समिति/किसी अन्य समिति द्वारा की गई थी								आवधिकता (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)								
		पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
	निष्पादन उपरोक्त नीतियों के खिलाफ और अनुवर्ती कार्रवाई	निदेशक मंडल								वार्षिक								
	सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और किसी भी गैर-अनुपालन में सुधार	निदेशक मंडल								वार्षिक								

11	क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों की कार्यप्रणाली का स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन किया है? (हां नहीं)। यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं।	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
		नहीं। सभी नीतियां और प्रक्रियाएं, हालांकि, समय-समय पर कंपनी द्वारा किए गए ऑडिट और आंतरिक समीक्षा के अधीन हैं।								

4	Name of the national and international codes/certifications/labels/ standards (e.g. Forest Stewardship Council, Fairtrade, Rainforest Alliance, Trustee) standards (e.g. SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle.	Bank has obtained ISO 27001:2013 for information security management system. The scope of the certification includes: The Information security management system is applicable to the information technology (IT) functions including Core Banking Solutions (CBS) application, supporting applications and Infrastructure managed by Information Technology Department (ITD), Data Centre (DC), Disaster recovery sites (DRS), Near Lime Site (NLS) and its supporting functions such as Physical security, General Administration, Human resources and legal.
5	Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if any.	Specific targets have not been set, however, the Bank endeavours to be complaint with these principles.
6	Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along-with reasons in case the same are not met.	During the year, the Bank has taken several ESG initiatives like launching green loan facilities for E-Bike/Car (IOB Vehicle), renewable solar equipment (IOB Surya) and wind mills. The bank has also taken several initiatives for paperless banking like online account opening with video KYC, Electronic Bank guarantee and national & cross border payment system with Bhim UPI. Special credit products for women was also launched. Financial literacy centres called SNEHA was initiated at 24 locations.
Governance, leadership and oversight		
7	Statement by director responsible for the business responsibility report, highlighting ESG related challenges, targets and achievements (listed entity has flexibility regarding the placement of this disclosure)	As mentioned in point no. 6, the Bank has taken several initiatives for providing green loans to our customers, improving the financial literacy through our SNEHA centres, improving access to credit for our women borrowers and digitizing our products and processes. The Bank believes in effective monitoring, improved compliance with regulations & guidelines and effective customer complaints resolutions as pathways for adopting and implementing the 9 NGRBC principles.
8	Details of the highest authority responsible for implementation and oversight of the Business Responsibility policy (is).	Mr. Ajay Kumar Srivastava - MD & CEO
9	Does the entity have a specified Committee of the Board/ Director responsible for decision making on sustainability related issues? (Yes / No). If yes, provide details.	Yes. Board of Directors is the highest authority responsible for making decision on sustainability related issues.

10	Details of Review of NGRBCs by the Company:																		
	Subject of Review	Indicate whether review was undertaken by Director / Committee of the Board/ Any other Committee									Frequency (Annually/ Half yearly/ Quarterly/ Any other – please specify)								
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
	Performance against above policies and follow up action	Board of Directors									Annually								
	Compliance with statutory requirements of relevance to the principles, and, rectification of any non-compliances	Board of Directors									Annually								

11	Has the entity carried out independent assessment/ evaluation of the working of its policies by an external agency? (Yes/No). If yes, provide name of the agency	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
		No. All policies and processes are subject to internal reviews conducted by the Bank periodically.								

12	यदि उपर्युक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है, अर्थात सभी सिद्धांत एक नीति के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो कारण बताएं:		
	ए.	संस्था सिद्धांतों को अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानती है (हां/नहीं)	लागू नहीं
	बी.	इकाई उस चरण में नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और लागू करने की स्थिति में है (हां/नहीं)	
	सी.	इकाई के पास कार्य के लिए वित्तीय या/मानवीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं)	
	डी.	इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है (हां/नहीं)	
	ई.	कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)	

खंड सी : सिद्धांत के अनुसार निष्पादन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके कार्यनिष्पादन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को "आवश्यक" और "नेतृत्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए अनिवार्य प्रत्येक इकाई द्वारा आवश्यक संकेतकों का खुलासा किए जाने की उम्मीद है, नेतृत्व संकेतक स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा प्रकट किए जा सकते हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर तक प्रगति करने की इच्छा रखते हैं।

सिद्धांत 1: **व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक**, **पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से संचालन और खुद को नियंत्रित करना चाहिए।**

आवश्यक संकेतक

1 वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	विषय / सिद्धांत प्रशिक्षण और उसके प्रभाव के तहत कवर किया गया	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए संबंधित वर्ग में व्यक्तियों का प्रतिशत
निदेशक मंडल	2	1. नेतृत्व विकास कार्यक्रम 2. वित्तीय बाज़ार	55.55%
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	15	विभिन्न कार्यात्मक/नेतृत्व विकास संबंधी प्रशिक्षण/सम्मेलन। कवर किए गए विषय साइबर सुरक्षा और वित्तीय अपराध, हरित वित्त और जलवायु परिवर्तन शमन, आईबीसी पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज और मजबूती और वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित थे।	93%
कर्मचारी	1174	आचार संहिता/नैतिकता और अन्य कार्यात्मक क्षेत्रों से संबंधित प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम।	97.28%
कामगार	लागू नहीं		

2 वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाहियों (इकाई द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माने/जुर्माने/सजा/पुरस्कार/चक्रवृद्धि शुल्क/निपटान राशि का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में (नोट:) इकाई भौतिकता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी जैसा कि सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट है और जैसा कि इकाई की वेबसाइट पर खुलासा किया गया है):

मौद्रिक

	एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक/प्रवर्तक एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों के नाम	राशि (रु में)	संक्षेप में मामला	क्या अपील दाखिल की गई है? (हाँ/नहीं)
दंड/जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कंपाउंडिंग शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

गैर-मौद्रिक

	एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक/प्रवर्तक एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों के नाम	संक्षेप में मामला	क्या अपील दाखिल की गई है? (हाँ/नहीं)
कैद	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

12	If answer to question (1) above is "No" i.e. not all Principles are covered by a policy, reasons to be stated:		
	a.	The entity does not consider the Principles material to its business (Yes/No)	Not applicable
	b.	The entity is not at a stage where it is in a position to formulate and implement the policies on specified principles (Yes/No)	
	c.	The entity does not have the financial or/human and technical resources available for the task (Yes/No)	
	d.	It is planned to be done in the next financial year (Yes/No)	
	e.	Any other reason (please specify)	

SECTION C : PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURE

This section is aimed at helping entities demonstrate their performance in integrating the Principles and Core Elements with key processes and decisions. The information sought is categorized as "Essential" and "Leadership". While the essential indicators are expected to be disclosed by every entity that is mandated to file this report, the leadership indicators may be voluntarily disclosed by entities which aspire to progress to a higher level in their quest to be socially, environmentally and ethically responsible.

PRINCIPLE 1 : Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable.

Essential Indicators

Percentage coverage by training and awareness programmes on any of the Principles during the financial year:

1	Segment	Total number of training and awareness programmes held	Topics / principles covered under the training and its impact	% age of persons in respective category covered by the awareness programmes
	Board of Directors	2	1. Leadership development programme 2. Financial markets	55.55%
	Key Managerial Personnel	15	Training / conferences related to various functional/ leadership development. Topics covered were related to cybersecurity & financial crime, green finance and climate change mitigation, functioning and strengthening of IBC ecosystem and financial consumer protection	93%
	Employees	1174	Training /awareness programme related to code of conduct/ ethics and other functional areas.	97.28%
	Workers	Not Applicable		

2. Details of fines / penalties /punishment/ award/ compounding fees/ settlement amount paid in proceedings (by the entity or by directors / KMPs) with regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, in the financial year, in the following format (Note: the entity shall make disclosures on the basis of materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Obligations) Regulations, 2015 and as disclosed on the entity's website):

Monetary

	NGRBC Principle	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	Amount (In INR)	Brief of the Case	Has an appeal been preferred? (Yes/No)
Penalty/ Fine	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Settlement	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Compounding fee	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

Non- Monetary

	NGRBC Principle	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	Brief of the Case	Has anappeal been preferred? (Yes/No)
Imprisonment	Nil	Nil	Nil	Nil
Punishment	Nil	Nil	Nil	Nil

3	ऊपर दिए गए प्रश्न 2 में बताए गए उदाहरणों में से, अपील/संशोधन का विवरण उन मामलों में पसंद किया जाता है जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई हो।

मामले के ब्योरे	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के नाम
लागू नहीं	

4	क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वतखोरी विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण दें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।	बैंक सीवीसी सतर्कता दिशानिर्देशों के अंतर्गत आता है। इसके अलावा, बैंक की एक व्हिसिल ब्लोअर नीति भी है जो शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया का विवरण देती है और शिकायतकर्ता की सुरक्षा की अनुमति देती है। व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी का वेबलिंक इस प्रकार है: https://www.iob.in/Whistle-blower-scheme

5	निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी:

	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2021 - 22 (पिछला वित्त वर्ष)
निदेशक	0	0
केएमपी	0	1 (छोड़ चुके हैं)
कर्मचारी	3 (1 छोड़ दिया है)	8 (4 ने छोड़ दिया है)
कामगार	लागू नहीं	लागू नहीं

6	हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:

	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्त वर्ष)		वित्त वर्ष 2021 - 22 (पिछला वित्त वर्ष)	
	संख्या	टिप्पणियां	संख्या	टप्पिणयां
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0		0	-
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0		0	-

7	भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर जुर्माने/जुर्माने/नियामकों/ कानून प्रवर्तक एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।	लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1	वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए:

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत आने वाले विषय/ सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के तहत कवर किए गए वैल्यू चेन पार्टनर्स का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय मूल्य अनुसार)।
लागू नहीं		

2	क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएँ हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण दें।	हां, कॉरपोरेट गवर्नेंस पॉलिसी के अनुसार, इसे बोर्ड की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिकाओं और कार्यों के तहत परिभाषित किया गया है

खंड सी: सिद्धांतवार प्रदर्शन प्रकटीकरण

सिद्धांत 2: व्यवसायों को इस तरह से वस्तु व सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हों

3	Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the Appeal/ Revision preferred in cases where monetary or non-monetary action has been appealed.	
	Case Details	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions
	Not Applicable	

4	Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide details in brief and if available, provide a web-link to the policy.	The Bank is covered under the CVC Vigilance guidelines. Further, the Bank also has a whistle blower policy which details the process of registering complaints and allows for protection of the complainant. The weblink of the whistle blower policy is as follows: https://www.iob.in/Whistle-blower-scheme

5	Number of Directors/KMPs/employees/workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery/ corruption:		
		FY 2022-23 (Current Financial Year)	FY 2021 - 22 (Previous Financial Year)
	Directors	0	0
	KMPs	0	1 (Exited)
	Employees	3 (1 has exited)	8 (4 have exited)
	Workers	NA	NA

6	Details of complaints with regard to conflict of interest:				
		FY 2022-23 (Current Financial Year)		FY 2021 - 22 (Previous Financial Year)	
		Number	Remarks	Number	Remarks
	Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors	0	-	0	-
	Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the KMPs	0	-	0	-

7	Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines / penalties / action taken by regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest.	Not applicable

Leadership Indicators			
1	Awareness programmes conducted for value chain partners on any of the Principles during the financial year:		
	Total number of awareness programmes held	Topics / principles covered under the training	% age of value chain partners covered (by value of business done with such partners) under the awareness programmes
	Not applicable		
2	Does the entity have processes in place to avoid/ manage conflict of interests involving members of the Board? (Yes/No) If Yes, provide details of the same	Yes, as per Corporate Governance Policy, it is defined under roles and responsibilities of Board and Roles and functions of Non-Executive Chairman.	

SECTION C: PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURE

PRINCIPLE 2 Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe

आवश्यक संकेतक

1	उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधार के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में आरएंडडी और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत क्रमशः इकाई द्वारा किए गए कुल आरएंडडी और कैपेक्स निवेश के लिए।			
		वर्तमान वित्तीय वर्ष	पिछला वित्तीय वर्ष	पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
	आर एंड डी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कैपेक्स	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

2	ए.	क्या संस्था के पास टिकाऊ सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएँ हैं? (हां/नहीं)	हाँ। सेवा उद्योग का हिस्सा होने के कारण बैंक में संसाधनों की खपत सीमित है। बैंक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि वह स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से और उचित मूल्य पर टिकाऊ उत्पाद खरीदे। इस दिशा में बैंक द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं: • बैंक उपकरण खरीदते समय ऊर्जा दक्षता मानकों पर विचार करता है। स्टार रेटेड उपकरण जैसे एयर-कंडीशनर, लैपटॉप, कंप्यूटर, लाइटिंग डिवाइस को सभी शाखाओं और कार्यालयों में मूल्यांकन मानदंड का हिस्सा माना जाता है। • बैंक पोर्टल पर उपलब्ध सभी वस्तुओं के लिए जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद के डीएफएस के अधिदेश का भी अनुपालन कर रहा है।
	बी.	यदि हां, तो कितने प्रतिशत निविष्टियों को स्थायी रूप से प्राप्त किया गया?	लागू नहीं

3	अंत में पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें		
	(ए)	प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	लागू नहीं
	(बी)	ई-कचरा	
	(सी)	खतरनाक अपशिष्ट	
	(डी)	अन्य कचरा	

4	क्या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू होता है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रह योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।	लागू नहीं

खंड सी: सिद्धांतवार प्रदर्शन प्रकटीकरण

सिद्धांत 3: व्यवसायों को अपने कर्मचारियों, वैल्यू चेन समेत, के कल्याण का सम्मान करना चाहिए व बढ़ावा देना चाहिए

नेतृत्व संकेतक

1	क्या संस्था ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण दें?					
	एनआईसी कोड	उत्पाद का नाम /सेवा	कुल टर्नओवर का% योगदान	सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य / आकलन संचालित	चाहे स्वतंत्र बाहरी द्वारा संचालित एजेंसी (हां नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित (हां/नहीं) यदि हां, तो वेब-लिंक प्रदान करें।
	लागू नहीं					

2	यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो कार्रवाई के साथ-साथ उसका संक्षेप में वर्णन करें उसी को कम करने के लिए लिया।		
	उत्पाद/सेवा का नाम	जोखिम / मामले का विवरण	कृत कार्रवाई
	लागू नहीं		

Essential Indicators

1	Percentage of R&D and capital expenditure (capex) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity, respectively			
		Current Financial Year	Previous Financial Year	Details of improvements in environmental and social impacts
	R & D	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	Capex	Not applicable	Not applicable	Not applicable

2	a.	Does the entity have procedures in place for sustainable sourcing? (Yes/No)	Yes. The Bank being part of the service industry, consumption of resources is limited. The Bank puts efforts to ensure it purchases sustainable products from local suppliers and at a fair price. Some of the key initiatives the bank has taken in this direction are as follows: • The bank considers energy efficiency standards while purchasing equipment. The star rated equipment such as air-conditioners, laptops, computers, lighting devices are considered as part of assessment criteria in all branches and offices. • Bank is also complying with DFS mandate of procurement through GeM portal for all items available on the portal.
	b.	If yes, what percentage of inputs were sourced sustainably?	Not applicable

3	Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for		
	(a)	Plastics (including packaging)	Not applicable
	(b)	E-waste	
	(c)	Hazardous waste	
	(d)	other waste.	
4	Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity's activities (Yes / No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same.		Not applicable

SECTION C : PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURE

PRINCIPLE 3 Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains

Leadership Indicators						
1	Has the entity conducted Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) for any of its products (for manufacturing industry) or for its services (for service industry)? If yes, provide details in the following format?					
	NIC Code	Name of Product /Service	% of total Turnover contributed	Boundary for which the Life Cycle Perspective / Assessment was conducted	Whether conducted by independent external agency (Yes/No)	Results communicated in public domain (Yes/No) If yes, provide the web-link.
	Not applicable					
2	If there are any significant social or environmental concerns and/or risks arising from production or disposal of your products / services, as identified in the Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) or through any other means, briefly describe the same along-with action taken to mitigate the same.					
	Name of Product / Service	Description of the risk / concern	Action Taken			
Not applicable						

3	उत्पादन में उपयोग की गई कुल सामग्री (मूल्य द्वारा) में पुनर्नवीनीकरण या पुन: उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत		
	इनपुट सामग्री इंगित करें	कुल सामग्री के लिए पुनर्नवीनीकरण या पुन: उपयोग की जाने वाली इनपुट सामग्री	
		वित्त वर्ष 2022-23 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष 2021-22 पिछला वित्तीय वर्ष
	लागू नहीं		

4	उत्पादों के जीवन के अंत में पुनः प्राप्त किए गए उत्पादों और पैकेजिंग में से, राशि (मिट्रिक टन में) का पुन: उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित रूप से निपटान:						
		वित्त वर्ष 2022-23 वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्त वर्ष 2021-22 पिछला वित्तीय वर्ष		
		पुन: उपयोग किए गए	पुनर्नवीनीकरण	सुरक्षित निस्तारण	पुन: उपयोग किए गए	पुनर्नवीनीकरण	सुरक्षित निस्तारण
	प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	लागू नहीं					
	ई - कचरा						
	खतरनाक अपशिष्ट						
	अन्य खचरा						

5	प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः दावा किए गए उत्पाद व उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)	
	उत्पाद श्रेणी इंगित करें	पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री संबंधित श्रेणी में बेचे गए कुल उत्पादों के% के रूप में
	लागू नहीं	

खंड सी : सिद्धांतवार प्रदर्शन का प्रकटीकरण

सिद्धांत 3: व्यवसायों को अपने कर्मचारियों, वैल्यू चेन समेत, के कल्याण का सम्मान करना चाहिए व बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1 ए कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए किए गए उपाय का विवरण:

संवर्ग	द्वारा कवर किए गए कर्मचारियों का प्रतिशत										
	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (डी)	% (डी/ए)	संख्या (ई)	% (ई/ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ए)
स्थाई कर्मचारी											
पुरुष	14117	14117	100%	14117	100%	लागू नहीं		14117	100.0%	0	0
महिला	7935	7935	100%	7935	100%	7935	100.0%	लागू नहीं		2096	26.4%
कुल	22052	22052	100%	22052	100%	7935	100.0%	14117	100.0%	2096	26.4%
स्थाई कर्मचारियों को छोड़कर											
पुरुष	लागू नहीं										
महिला											
कुल											

3	Percentage of recycled or reused input material to total material (by value) used in production (for manufacturing industry) or providing services (for service industry).		
	Indicate input material	Recycled or re-used input material to total material	
		FY 2022-23 Current Financial Year	FY 2021-22 Previous Financial Year
	Not applicable		

4	Of the products and packaging reclaimed at end of life of products, amount (in metric tonnes) reused, recycled, and safely disposed, as per the following format:						
		FY 2022-23 Current Financial Year			FY 2021-22 Previous Financial Year		
		Re-Used	Recycled	Safely Disposed	Re-Used	Recycled	Safely Disposed
	Plastics (including packaging)	Not applicable					
	E-waste						
	Hazardous waste						
	Other waste						

5	Reclaimed products and their packaging materials (as percentage of products sold) for each product category	
	Indicate product category	Reclaimed products and their packaging materials as % of total products sold in respective category
	Not applicable	

SECTION C : PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURE

PRINCIPLE 3 Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains

Essential Indicators

1 a Details of measures for the well-being of employees:

Category	% of employees covered by										
	Total (A)	Health Insurance		Accident insurance		Maternity benefits		Paternity Benefits		Day Care facilities	
		Number (B)	% (B/A)	Number (C)	% (C/A)	Number (D)	% (D/A)	Number (E)	% (E/A)	Number (F)	% (F/A)
Permanent employees											
Male	14117	14117	100%	14117	100%	Not Applicable		14117	100%	0	0
Female	7935	7935	100%	7935	100%	7935	100%	Not Applicable		2096	26.4%
Total	22052	22052	100%	22052	100%	7935	100%	14117	100%	2096	26.4%
Other than Permanent employees											
Male	Not Applicable										
Female											
Total											

B	कामगारों के स्वास्थ्य के लिए किए गए उपाय का विवरण:											
	संवर्ग	द्वारा कवर कामगारों का प्रतिशत										
		कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
			संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (डी)	% (डी/ए)	संख्या (ई)	% (ई/ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ए)
	स्थाई कामगार											
	पुरुष	लागू नहीं										
	महिला											
	कुल											
	स्थाई कामगारों के अतिरिक्त											
	पुरुष	लागू नहीं										
	महिला											
	कुल											

2	वर्तमान वित्त वर्ष एवं पिछले वित्त वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों के ब्योरे,						
	लाभ	वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
		कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या कर्मचारी	कुल कामगारों के % के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा की गई (हाँ/नहीं/लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या कर्मचारी	कुल कामगारों के % के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा की गई (हाँ/नहीं/लागू नहीं)
	पीएफ	100%	लागू नहीं	हाँ	100%	लागू नहीं	हाँ
	ग्रैच्युटी	100%	लागू नहीं	हाँ	100%	लागू नहीं	हाँ
	ईएसआई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अन्य-कृपया विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

3	कार्यस्थलों तक पहुंच	
	क्या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, संस्था के परिसर/कार्यालय अलग-अलग दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या संस्था द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं	हां, हमारे अधिकांश कार्यस्थलों पर दिव्यांग कर्मचारियों की आसान पहुंच के लिए रैंप उपलब्ध कराए गए हैं। दृष्टिबाधित स्टाफ सदस्यों की सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

4	क्या संस्था के पास दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि ऐसा है, तो नीति के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।	इस संबंध में कोई अलग नीति नहीं है। हालांकि, बैंक की स्थानांतरण नीति के तहत शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारियों को छूट दी जाती है। उन्हें सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पीएच स्टाफ सदस्यों के लिए पात्र परिवहन भत्ता भी दिया जा रहा है। पीएच स्टाफ के सदस्य भी विशेष अवकाश प्राप्त करने के पात्र हैं।

5	काम पर वापसी और स्थायी कर्मचारियों और मातृत्व-पितृत्व अवकाश लेने वाले कर्मचारियों व कामगारों की प्रतिधारण दरें।				
	लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कर्मचारी	
		कार्य पर लौटें की दर	अवधारण दर	कार्य पर लौटें की दर	अवधारण दर
	पुरुष	100%	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
	महिला	100%	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल	100%	100%	लागू नहीं	लागू नहीं

	b	Details of measures for the well-being of workers:											
		Category	% of workers covered by										
			Total (A)	Health Insurance		Accident insurance		Maternity benefits		Paternity Benefits		Day Care facilities	
				Number (B)	% (B/A)	Number (C)	% (C/A)	Number (D)	% (D/A)	Number (E)	% (E/A)	Number (F)	% (F/A)
		Permanent workers											
		Male	Not Applicable										
		Female											
		Total											
		Other than Permanent workers											
		Male	Not Applicable										
		Female											
		Total											

2	Details of retirement benefits, for Current FY and Previous FY.						
	Benefits	FY 2022-23			FY 2021-22		
		No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)
	PF	100%	NA	Y	100%	NA	Y
	Gratuity	100%	NA	Y	100%	NA	Y
	ESI	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Others - Please specify	NA	NA	NA	NA	NA	NA

3	Accessibility of workplaces	
	Are the premises / offices of the entity accessible to differently abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard	Yes, at most of our workplace's ramps have been provided for easy access to differently abled employees. Software is also being provided to Visually challenged staff members for their convenience.

4	Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a web-link to the policy.	There is no separate policy in this regard. However, exceptions are granted to physically challenged employees under Bank's Transfer policy. They are also being paid conveyance allowance eligible for PH staff members as per Government guidelines. PH staff members are also eligible for availing special leave.

5	Return to work and Retention rates of permanent employees and workers that took parental leave.				
	Gender	Permanent employees		Permanent workers	
		Return to work rate	Retention rate	Return to work rate	Retention rate
	Male	100%	100%	NA	NA
	Female	100%	100%	NA	NA
	Total	100%	100%	NA	NA

6	क्या कर्मचारियों और श्रमिकों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।	
		हां/नहीं (यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें)

	स्थायी कर्मचारी	लागू नहीं
	स्थायी कर्मचारियों के अलावा	

	स्थायी कर्मचारी	हाँ। एक आंतरिक पोर्टल एसईजीआरएस उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से कर्मचारी सदस्य अपनी शिकायतें रख सकते हैं। एसईजीआरएस पोर्टल में, स्केल -VII तक के सभी सेवारत कर्मचारी संबंधित क्षेत्रों के तहत अपनी शिकायतों को लॉगिन और दर्ज कर सकते हैं। शिकायतों का निवारण दो (02) स्तरों पर किया जाएगा - क्षेत्रीय कार्यालय और केंद्रीय कार्यालय, शिकायतों के निवारण में शाखाओं की कोई भूमिका नहीं होगी। शिकायतकर्ता को चाहिए: 1. हमारे बैंक के रोल पर सेवारत महाप्रबंधक कैडर तक के कर्मचारी होने चाहिए । 2. एक अद्वितीय रोल नंबर सभी कर्मचारियों को जारी किया गया है। 3. ऑनलाइन शिकायत प्रस्तुत करते समय सक्रिय मेल आईडी प्रस्तुत करें 4. ऑनलाइन शिकायत प्रस्तुत करते समय सक्रिय मोबाइल नंबर प्रस्तुत करें शिकायतकर्ता को मोबाइल नंबर के साथ-साथ ई-मेल आईडी पर अपनी शिकायत दर्ज कराने पर एक पावती प्राप्त होगी। हर शिकायत के लिए सिस्टम द्वारा एक यूनिक कोड जनरेट किया जाएगा। शिकायतों के निवारण के लिए निम्नलिखित समय-सीमा होगी: **प्रथम स्तर (क्षेत्रीय कार्यालय):** ए) जीरो टॉलरेंस स्तर की शिकायतें (जेडटीएल): उसी दिन / पहले कार्य दिवस को (0 वें दिन) बी) अन्य शिकायतें: 14 दिनों में (0-14 दिन) **दूसरा स्तर (केन्द्रीय कार्यालय):** ए) जीरो टॉलरेंस स्तर की शिकायतें (जेडटीएल): अगले 2 कार्य दिवसों (0+3 दिनों) के भीतर बी) अन्य शिकायतें: 7 दिनों के भीतर (15-21 दिन)
	स्थायी कर्मचारियों के अलावा	लागू नहीं

7	सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या संघों में कर्मचारियों और श्रमिकों की सदस्यता:						
	वर्ग	वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
		संबंधित श्रेणी (ए) में कुल कर्मचारी / कामगार	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या, जो एसोसिएशन या यूनियन (बी) का हिस्सा हैं	% (बी /ए	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी /कामगार (सी)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या, जो एसोसिएशन (एस) या यूनियन का हिस्सा हैं (डी)	% (डी / सी)
	कुल स्थायी कर्मचारी	22052	20846	94.53%	22354	21383	95.66%
	पुरुष	14117	13463	95.37%	14331	13883	96.87%
	महिला	7935	7383	93.04%	8023	7500	93.48%
	कुल स्थायी कर्मचारी	लागू नहीं					
	पुरुष						
	महिला						

6	Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and worker? If yes, give details of the mechanism in brief.	
		Yes/No (If Yes, then give details of the mechanism in brief)
	Permanent Workers	Not Applicable
	Other than Permanent Workers	
	Permanent Employees	Yes. An internal portal Standardized Employee Grievance Redressal System (SEGRS), through which staff members can put forward their grievances is made available. In SEGRS Portal, all the serving employees, up to Scale VII can login and lodge their grievances under respective areas. Grievances will be redressed at two (02) levels - Regional office and Central office. Branches shall have no role in redressing the grievances. The complainant must: 1. Be a serving employee on the rolls of our Bank, up to General Manager Cadre 2. Have been assigned a unique roll number 3. Furnish active mail ID while submitting online complaint 4. Furnish active mobile number while submitting online complaint The complainant shall receive an acknowledgement on registering his/her grievance on mobile number as well as e-mail ID. A unique code will be generated for each complaint. The timeframe for redressing the grievances shall be: **First Level (RO):** a) Zero tolerance level grievances (ZTL): Same day/ Frist working day (0th day) b) Other grievances: In 14 days (0-14 days) **Second Level (CO):** a) Zero tolerance level grievances (ZTL): Within the next 2 working days (0+3 days) b) Other grievances: Within 7 days (15-21 days)
	Other than Permanent Employees	Not Applicable

7	Membership of employees and worker in association(s) or Unions recognised by the listed entity:						
	Category	FY 2022-23			FY 2021-22		
		Total employees / workers in respective category (A)	No. of employees / workers in respective category, who are part of association(s) or Union (B)	% (B / A)	Total employees / workers in respective category (C)	No. of employees / workers in respective category, who are part of association(s) or Union (D)	% (D / C)
	Total Permanent Employees	22052	20846	94.53%	22354	21383	95.66%
	Male	14117	13463	95.37%	14331	13883	96.87%
	Female	7935	7383	93.04%	8023	7500	93.48%
	Total Permanent Workers	Not Applicable					
	Male						
	Female						

8	कर्मचारियों एवं कामगारों को दिये गये प्रशिक्षण का विवरण:										
	वर्ग	वित्त वर्ष 2022-23					वित्त वर्ष 2021-22				
		कुल (ए)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (डी)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन बाबत	
			सं (बी)	% (बी ० ए)	सं. (सी)	% (सीए)		सं . (ई)	% (ईडी)	सं. एफ	% (एफ/डी)
	कर्मचारी										
	पुरुष	14117	340	2.41%	7933	56.19%	14331	0	0%	7896	55.10%
	महिला	7935	182	2.29%	4390	55.32%	8023	0	0%	4594	57.26%
	कुल	22052	522	2.37%	12323	55.88%	22354	0	0%	12490	55.87%
	कर्मी										
	पुरुष	लागू नहीं									
	महिला										
	कुल										

9	कर्मचारियों और कामगारों के कार्य-निष्पादन और कैरियर विकास की समीक्षा का विवरण:						
	वर्ग	वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
		कुल (ए)	सं.(बी)	% (बी / ए)	कुल (सी)	सं.(डी)	% (डी/सी)
	कर्मचारी						
	पुरुष	14117	7892	55.90%	14331	8343	58.22%
	महिला	7935	4484	56.51%	8023	4593	57.25%
	कुल	22052	12376	56.12%	22354	12936	57.87%
	कामगार						
	पुरुष	लागू नहीं					
	महिला						
	कुल						

10	स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:		
	ए	क्या इकाई द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां नहीं)। यदि हां, तो ऐसी प्रणाली का कवरेज क्या है?	नहीं। व्यवसाय की प्रकृति के कारण, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम न्यूनतम है। फिर भी , बैंक के पास कोविड से संबंधित स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपाय हैं। इसके अलावा सभी शाखाएं और कार्यालय अग्नि सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित हैं। उपकरण की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर ऑडिट किए जाते हैं।
	बी	कार्य से संबंधित खतरों की पहचान करने और इकाई द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?	लागू नहीं
	सी	क्या आपके पास काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और खुद को ऐसे जोखिमों से दूर करने के लिए कर्मचारियों के लिए प्रक्रियाएं हैं? हाँ/ना	लागू नहीं
	डी	क्या संस्था के कर्मचारियों/कर्मचारियों की गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हां /नहीं)	बैंक के सभी कर्मचारी व्यापक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं।

8	Details of training given to employees and workers:									
	Category	FY 2022-23					FY 2021-22			
		Total (A)	On Health and safety measures		On Skill upgradation		Total (D)	On Health and safety measures		On Skill upgradation
			No. (B)	% (B/A)	No. (C)	% (C/A)		No. (E)	% (E/D)	No. F
	Employees									
	Male	14117	340	2.41%	7933	56.19%	14331	0	0%	7896
	Female	7935	182	2.29%	4390	55.32%	8023	0	0%	4594
	Total	22052	522	2.37%	12323	55.88%	22354	0	0%	12490
	Workers									
	Male	Not Applicable								
	Female									
	Total									

Category	FY 2021-22 On Skill upgradation % (F/D)
Male	55.10%
Female	57.26%
Total	55.87%

9	Details of performance and career development reviews of employees and worker:						
	Category	FY 2022-23			FY 2021-22		
		Total (A)	No.(B)	% (B/A)	Total (C)	No.(D)	% (D/C)
	Employees						
	Male	14117	7892	55.90%	14331	8343	58.22%
	Female	7935	4484	56.51%	8023	4593	57.25%
	Total	22052	12376	56.12%	22354	12936	57.87%
	Workers						
	Male	Not Applicable					
	Female						
	Total						

10	Health and safety management system:		
	a.	Whether an occupational health and safety management system has been implemented by the entity? (Yes/ No). If yes, the coverage such system?	No. Owing to the nature of the business, there is minimal risk of occupational health & safety risk. However, the Bank has in place Covid related health and safety measures. Further all branches and offices are equipped with Fire safety equipment. Periodic audits are carried out to ensure the effectiveness of the equipment.
	b.	What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non-routine basis by the entity?	Not applicable
	c.	Whether you have processes for workers to report the work-related hazards and to remove themselves from such risks. (Y/N)	Not applicable
	d.	Do the employees/ worker of the entity have access to non-occupational medical and healthcare services? (Yes/ No)	All employees of the Bank are covered under comprehensive health insurance policy.

11	सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:			
	सुरक्षा घटना/संख्या	वर्ग	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
	लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट (एलटीआईएफ़आर) (प्रति दस लाख व्यक्ति घंटे काम किया)	कर्मचारी	लागू नहीं	
		कामगार		
	कुल रिकॉर्ड करने योग्य काम से संबंधित चोटें	कर्मचारी		
		कामगार		
	मौतों की संख्या	कर्मचारी		
		कामगार		
	उच्च परिणाम कार्य-संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर	कर्मचारी		
		कामगार		

12	सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें। बैंक अपने सभी कर्मचारियों के लिए स्वस्थ और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के महत्व को पहचानता है। कर्मचारियों को अग्नि अभ्यास पर प्रशिक्षित करने के लिए सभी शाखाएं और कार्यालय नियमित अग्नि अभ्यास करते हैं। अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विद्त उपकरणों के निवारक रखरखाव अनुसूची नियमित रूप से तैयार की जाती है। इसके अलावा, कोविड-19 के रोकथाम पहल के हिस्से के रूप में, हमने सुनिश्चित किया है कि कर्मचारी कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें।

13	कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा की गई निम्नलिखित शिकायतों की संख्या						
		वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
		वर्ष के दौरान किया गया	वर्ष के अंत में निवारण के लिए लंबित	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान किया गया	वर्ष के अंत में निवारण के लिए लंबित	टिप्पणियां
	काम करने की स्थिति	शून्य			शून्य		
	स्वास्थ्य और सुरक्षा						

14	वर्ष के लिए आकलन:	
		आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (इकाई या वैधानिक प्राधिकरणों या तृतीय पक्षों द्वारा)
	स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथा	शून्य
	काम करने की स्थिति	शून्य

15	सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) को संबोधित करने के लिए और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।	लागू नहीं
नेतृत्व संकेतक		
1	क्या इकाई (ए) कर्मचारियों (हां/नहीं) (बी) श्रमिकों (हां/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई क्षतिपूर्ति पैकेज प्रदान करती है।	हाँ। विशेष समूह बीमा योजना और समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी सेवा में कार्यरत सभी कर्मचारियों को कवर करती है। बैंक ने कोविड से मौत होने पर प्रति कर्मचारी 20 लाख रुपये मुआवजा दिया था। कर्मचारी की मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिजनों को अनुग्रह राशि के बदले अनुकम्पा नियुक्ति दी जाती है।
2	यह सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किए गए उपाय प्रदान करें कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक देय राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है।	लागू नहीं

11	Details of safety related incidents, in the following format:			
	Safety Incident/Number	Category	FY 2022-23	FY 2021-22
	Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million-person hours worked)	Employees	Not Applicable	
		Workers		
	Total recordable work-related injuries	Employees		
		Workers		
	No. of fatalities	Employees		
		Workers		
	High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities)	Employees		
		Workers		

12	Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy work place. The Bank recognizes the significance of ensuring a healthy and safe working environment for all of its employees. All Branches and offices do regular fire drills to train the employees on fire preparedness. Preventive maintenance schedule for electrical equipment is performed on a regular basis to ensure compliance with fire safety standards. Further as part of COVID-19 prevention initiatives, we have ensured the employees follow the covid safety protocols.

13	Number of Complaints on the following made by employees and workers:						
		FY 2022-23			FY 2021-22		
		Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
	Working Conditions	Nil			Nil		
	Health & Safety						

14	Assessments for the year:	
		% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
	Health and safety practices	Nil
	Working Conditions	Nil
15	Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risks / concerns arising from assessments of health & safety practices and working conditions.	Not applicable
Leadership Indicators		
1	Does the entity extend any life insurance or any compensatory package in the event of death of (A) Employees (Y/N) (B) Workers (Y/N).	Yes. Special group insurance scheme and group personal accident insurance policy covers all employees in service. Bank had compensated Rs.20 lakh per employee in case of death due to Covid. Compassionate appointment in lieu of ex-gratia is given to employee's relatives on employee's demise.
2	Provide the measures undertaken by the entity to ensure that statutory dues have been deducted and deposited by the value chain partners.	Not applicable

3	उन कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या प्रदान करें जिन्हें काम से संबंधित अत्यधिक चोट/बीमारी/मृत्यु का सामना करना पड़ा है (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों की क्यू11 में रिपोर्ट किया गया है), जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार दिया गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार दिया गया है:				
		प्रभावित कर्मचारियों/कामगारों की कुल संख्या		उन कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनका पुनर्वास किया गया है और उपयुक्त रोजगार दिया गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार दिया गया है	
		वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
	कर्मचारी	लागू नहीं			
	कामगार				

4	क्या संस्था सेवानिवृति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप निरंतर नियोजनीयता और करियर समाप्ति के प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हां नहीं)	नहीं
5	मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:	
		मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन किया गया था
	स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथा	शून्य
	काम करने की स्थिति	शून्य
6	स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं के आकलन और मूल्य श्रृंखला भागीदारों की कार्य स्थितियों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।	लागू नहीं

खंड सी : सिद्धांत के अनुसार निष्पादन प्रकटीकरण

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1	संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें- बैंक उन सभी संस्थाओं या व्यक्तियों को पहचानता है जो हमारे परिचालनों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे हितधारक के रूप में प्रभावित होते हैं। बैंक ने निम्नलिखित हितधारकों को मान्यता दी है: ग्राहक, कर्मचारी, निवेशक/शेयरधारक, नियामक और समुदाय				
2	आपकी इकाई के लिए कुंजी के रूप में पहचान किए गए हितधारक समूहों और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति की सूची बनाएं ।				
	हितधारक समूह	क्या कमजोर और उपेक्षित समूह के रूप में पहचान किया गया है (हां/ नहीं)	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	काम की आवृत्ति (वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित सौदे का उद्देश्य और दायरा
1	ग्राहक	नहीं	ईमेल, एसएमएस, नोटिस बोर्ड, बैंक की वेबसाइट	चालू आधार पर	इनमें से अधिकांश एंगेजमेंट कवर क्षेत्र जैसे प्रशिक्षण और विकास, किसी भी कार्य से संबंधित संचार की तरफ ध्यान आकर्षित करना , नियामक परिवर्तनों पर अपडेट/ नए नियमों की शुरूआत, अनुपालन संचार
2	कर्मचारी	नहीं	ईमेल, एसएमएस, ऑफलाइन/ऑनलाइन बैठकें	चालू आधार पर	ग्राहकों के साथ अनुबंध ऋण उत्पादों/ बचत उत्पादों के पूरे परिपक्वता तक होता है ।

3	Provide the number of employees / workers having suffered high consequence work related injury / ill-health / fatalities (as reported in Q11 of Essential Indicators above), who have been are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment:				
		Total no. of affected employees/ workers		No. of employees/workers that are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment	
		FY 2022-23	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2021-22
	Employees	Not applicable			
	Workers				
4	Does the entity provide transition assistance programs to facilitate continued employability and the management of career endings resulting from retirement or termination of employment? (Yes/ No)	No			
5	Details on assessment of value chain partners:				
		% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed			
	Health and safety practices	Nil			
	Working Conditions	Nil			
6	Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from assessments of health and safety practices and working conditions of value chain partners.	Not applicable			

SECTION C : PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURE					
PRINCIPLE 4: Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders					
Essential Indicators					
1	Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity- The Bank recognizes all entities or individuals who are directly and indirectly impacted by our operations as our stakeholder. The Bank has recognized the following stakeholders: customers, employees, investors/ shareholders, regulator and communities				
2	List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group				
	Stakeholder Group	Whether identified as Vulnerable & Marginalized Group (Yes/No)	Channels of communication (Email, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website), Other	Frequency of engagement (Annually/ Half yearly/ Quarterly / others – please specify)	Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement
1	Customer	No	Email, SMS, notice board, Bank's website	Ongoing basis	Engagement with customers is throughout entire life cycle of loan products/ savings product.
2	Employee	No	Email, SMS, Offline/ online meetings	Ongoing basis	Most of these engagement cover areas such as Training and development, Addressing any work-related communication, updates on regulatory changes/ introduction of new regulations, compliance communication

3	निवेशक/ शेयरधारक	नहीं	ईमेल, समाचार पत्र विज्ञापन, वेबसाइट, निवेशक बैठकें और सम्मेलन, स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना, वार्षिक/ त्रैमासिक वित्तीय	त्रैमासिक / वार्षिक और आवश्यकता के आधार पर	निवेशकों/शेयरधारकों को बैंक की व्यावसायिक गतिविधियों और प्रदर्शन के बारे में अद्यतन रखना
4	नियामक	नहीं	ईमेल, आमने-सामने बैठकें, वीडियो-कॉन्फ्रेंस, नियामक भरना	जरूरत के अनुसार	विभिन्न सरकारी पहलों और कार्यक्रमों में भाग लेकर बड़े आर्थिक उद्देश्यों में नीति परामर्श और भागीदारी के लिए संचार और अनुबंध संबंधी अनुपालन
5	समुदाय	महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में छोड़ने वाले कुछ समुदाय, किसान समुदाय और कम आय वर्ग के व्यक्ति कमजोर और हाशिए पर रहने वाले हितधारक के रूप में	बैठकें, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से अनुबंध	चालू आधार पर	सीएसआर के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों तक पहुंचना।

नेतृत्व संकेतक

1	हितधारकों और बोर्ड के बीच आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो बोर्ड को ऐसे परामर्शों से प्रतिक्रिया कैसे प्रदान की जाती है।	विभिन्न बैठकों के माध्यम से परामर्श दिया जाता है ।
2	क्या पर्यावरण, और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन का समर्थन करने के लिए हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है (हां / नहीं)। यदि ऐसा है, तो उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि कैसे इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को इकाई की नीतियों और गतिविधियों में शामिल किया गया।	हमारी नीतियों और गतिविधियों में जहां भी संभव हो, हितधारकों से प्रतिक्रिया और सुझाव पर विचार किया जाता है ।
3	कमजोर/सीमांत हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए कार्यों के साथ जुड़ाव के उदाहरणों का विवरण प्रदान करें।	लागू नहीं

3	Investors/ Shareholders	No	Email, newspaper advertisement, website, investor meetings & conferences, intimation to stock exchanges, annual/ quarterly financials	Quarterly/Annually & Need basis	To keep investors/shareholders updated about the Banks business activities and performance
4	Regulator	No	Email, one-on-one meetings, video-conference, regulatory fillings	Need Basis	Compliance related communication and engagement for policy consultation and participation in larger economic objectives by participating in various Government initiatives and programs.
5	Communities	Women, certain communities leaving in rural areas, farmer community and low-income group individuals as vulnerable & marginalised stakeholder	Meetings, engagement through NGOs	Ongoing basis	Through CSR reaching out to socially and economically disadvantaged people.

Leadership Indicators

1	Provide the processes for consultation between stakeholders and the Board on economic, environmental, and social topics or if consultation is delegated, how is feedback from such consultations provided to the Board.	Consultation is in the form of various meetings.
2	Whether stakeholder consultation is used to support the identification and management of environmental, and social topics (Yes / No). If so, provide details of instances as to how the inputs received from stakeholders on these topics were incorporated into policies and activities of the entity.	Feedbacks and suggestion from stakeholders are considered wherever feasible in our policies and activities
3	Provide details of instances of engagement with, and actions taken to, address the concerns of vulnerable/ marginalized stakeholder groups.	Not applicable

खंड सी : सिद्धांत के अनुसार निष्पादन प्रकटीकरण

सिद्धांत 5 व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1 कर्मचारी और कामगार जिन्हें मानव अधिकारों के मुद्दों और संस्था की नीति (ओं) पर निम्नलिखित प्रारूप में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

वर्ग	वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
	कुल (ए)	कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या (बी)	% (बी ० ए)	कुल (सी)	कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या (डी)	% (डी / सी)
कर्मचारी						
स्थायी	22052	0	0%	22354	0	0%
स्थायी के अलावा	लागू नहीं					
कुल कर्मचारी	22052	0	0%	22354	0	0%
कर्मचारी						
स्थायी	लागू नहीं					
स्थायी के अलावा						
कुल कामगार						

2 कर्मचारियों और कामगारों को भुगतान किए गए न्यूनतम वेतन का विवरण निम्न प्रारूप में:

वर्ग	वित्त वर्ष 2022-23					वित्त वर्ष 2021-22				
	कुल (ए)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल (डी)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक	
		सं (बी)	% (बी ० ए)	सं. (सी)	% (सीए)		सं. (ई)	% (ईडी)	सं. एफ	% (एफ/ डी)
कर्मचारी										
स्थायी	22052	0	0	22052	100%	22354	0	0	22354	100%
पुरुष	14117	0	0	14117	100%	14331	0	0	14331	100%
महिला	7935	0	0	7935	100%	8023	0	0	8023	100%
स्थायी के अलावा	लागू नहीं									
पुरुष										
महिला										
कर्मी										
स्थायी	लागू नहीं									
पुरुष										
महिला										
स्थायी के अलावा										
पुरुष										
महिला										

SECTION C : PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURE

PRINCIPLE 5 Businesses should respect and promote human rights

Essential Indicators

1 Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy(ies) of the entity, in the following format:

Category	FY 2022-23			FY 2021-22		
	Total (A)	No. of employees / workers covered (B)	% (B / A)	Total (C)	No. of employees / workers covered (D)	% (D / C)
Employees						
Permanent	22052	0	0%	22354	0	0%
Other than permanent	Not applicable					
Total Employees	22052	0	0%	22354	0	0%
Workers						
Permanent	Not applicable					
Other than permanent						
Total Workers						

2 Details of minimum wages paid to employees and workers, in the following format:

Category	FY 2022-23					FY 2021-22				
	Total (A)	Equal to Minimum Wage		More than minimum Wage		Total (D)	Equal to Minimum Wage		More than minimum Wage	
		No. (B)	% (B/A)	No. (C)	% (C/A)		No. (E)	% (E/D)	No. F	% (F/D)
Employees										
Permanent	22052	0	0	22052	100%	22354	0	0	22354	100%
Male	14117	0	0	14117	100%	14331	0	0	14331	100%
Female	7935	0	0	7935	100%	8023	0	0	8023	100%
Other than permanent	Not applicable									
Male										
Female										
Workers										
Permanent	Not applicable									
Male										
Female										
Other than permanent										
Male										
Female										

3	निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण: (प्रति माह रुपये)				
		पुरुष		महिला	
		संख्या	औसत पारिश्रमिक/वेतन/ संबंधित श्रेणी की मजदूरी	संख्या	औसत पारिश्रमिक/वेतन/संबंधित श्रेणी की मजदूरी
	निदेशक मंडल (बीओडी)	2	3,08,992	1	3,00,450
	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	14	2,17,587	1	2,32,372
	बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	14,103	87,274	7,934	82,715
	कामगार	लागू नहीं			

4	क्या आपके पास कोई केंद्र बिंदु (व्यक्तिगत/समिति) है जो व्यवसाय द्वारा मानवाधिकारों पर किए गए या योगदान किए गए प्रभावों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है? (हां/नहीं)	हाँ। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को निपटाने के लिए पीओएस एच समिति का गठन किया गया है ।
5	मानव अधिकारों के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।	कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए बैंक में एक पीओएस एच समिति है। इसके अलावा, भेदभाव, उत्पीड़न या अनैतिक व्यवहार से संबंधित किसी भी चिंता या शिकायत को दूर करने के लिए बैंक के पास व्हिसल ब्लोअर नीति है।

6	निम्नलिखित पर कर्मचारियों और कामगारों द्वारा की गई शिकायतों की संख्या:						
		वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
		वर्ष के दौरान दाखिल किया गया	वर्ष के अंत में निवारण के लिए लंबित	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दाखिल किया गया	वर्ष के अंत में निवारण के लिए लंबित	टिप्पणियां
	यौन उत्पीड़न	1	0	वित्त वर्ष 2022 में लंबित 1 शिकायत का निवारण इस वर्ष किया गया ।	3	1	
	कार्यस्थल पर भेदभाव	17	0		0	0	
	बाल श्रम	0	0		0	0	
	जबरन श्रम/ अनैच्छिक श्रम	0	0		0	0	
	वेतन	0	0		0	0	
	मानवाधिकार से जुड़े अन्य मुद्दे	0	0		0	0	

7	भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को प्रतिकूल परिणामों से बचाव के लिए तंत्र।	बैंक ने "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के आधार पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। दिशा-निर्देशों में वह तंत्र शामिल है जिसके द्वारा एक पीड़ित महिला यौन उत्पीड़न की घटना होने पर कर्मचारी शिकायत कर सकती है। ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई आदि। ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए केंद्रीय कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर आंतरिक समिति का गठन किया गया है ।
8	क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हां /नहीं)	हाँ

3	Details of remuneration/salary/wages, in the following format: (INR per month)				
		Male		Female	
		Number	Median remuneration/ salary/ wages of respective category	Number	Median remuneration/ salary/ wages of respective category
	Board of Directors (BoD)	2	3,08,992	1	3,00,450
	Key Managerial Personnel	14	2,17,587	1	2,32,372
	Employees other than BoD and KMP	14,103	87,274	7,934	82,715
	Workers	Not Applicable			

4	Do you have a focal point (Individual/ Committee) responsible for addressing human rights impacts or issues caused or contributed to by the business? (Yes/No)	Yes. For handling grievances related to sexual harassment of women at workplace, POSH committee has been constituted
5	Describe the internal mechanisms in place to redress grievances related to human rights issues.	The Bank has a POSH committee to address grievances related to sexual harassment of women at workplace. Further, the Bank has Whistle blower policy in place for addressing any concerns or grievances regarding discrimination, harassment or unethical behaviour.

6	Number of Complaints on the following made by employees and workers:						
		FY 2022-23			FY 2021-22		
		Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
	Sexual Harassment	1	0	1 complaint pending resolution in FY22 was resolved in this year.	3	1	
	Discrimination at workplace	17	0		0	0	
	Child Labour	0	0		0	0	
	Forced Labour/ Involuntary Labour	0	0		0	0	
	Wages	0	0		0	0	
	Other Human rights related issues	0	0		0	0	

7	Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases	Bank has framed guidelines for prevention, prohibition & redressal of sexual harassment of women staff members based on the provisions of "The sexual harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act 2013. The guidelines include the mechanism by which an aggrieved woman employee can make a complaint when incident of sexual harassment occurs, procedure to be followed for redressal of such complaints, action to be taken against delinquent staff etc. Internal committee are formed at Central Office/ Regional Office level to redress such complaints.
8	Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? (Yes/No)	Yes

9	वर्ष के लिए आकलन:	
		आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका (इकाई या वैधानिक प्राधिकरणों या तृतीय पक्षों द्वारा) मूल्यांकन किया गया था ।
	बाल श्रम	लागू नहीं
	जबरन/अनैच्छिक श्रम	लागू नहीं
	यौन उत्पीड़न	100%
	कार्यस्थल पर भेदभाव	लागू नहीं
	वेतन	लागू नहीं
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	लागू नहीं
10	ऊपर दिए गए प्रश्न 9 के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।	लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक		
1	मानवाधिकार शिकायतों/शिकायतों के समाधान करने के परिणामस्वरूप संशोधित/शुरू की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण ।	लागू नहीं
2	समुचित सावधानी से किए गए किसी भी मानवाधिकार के दायरे और कवरेज का विवरण।	लागू नहीं
3	क्या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, संस्था का परिसर/कार्यालय अलग-अलग विकलांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?	हाँ

4	मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:	
		मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन किया गया था
	यौन उत्पीड़न	शून्य
	कार्यस्थल पर भेदभाव	
	बाल श्रम	
	जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	
	वेतन	
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	
5	ऊपर दिए गए प्रश्न 4 के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए या चल रहे सुधारात्मक कार्यों का विवरण प्रदान करें।	लागू नहीं

खंड सी : सिद्धांत के अनुसार निष्पादन प्रकटीकरण

सिद्धांत 6: व्यवसायों को पर्यावरण की सम्मान तथा रक्षा और पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयास करना चाहिए ।

आवश्यक संकेतक

1	निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण:		
	पैरामीटर	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
	कुल बिजली खपत (ए)	224,049 जीजे	213,306 जीजे
	कुल ईंधन खपत (बी)	27,435 जीजे	25,264 जीजे
	अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (सी)		
	कुल ऊर्जा खपत (ए+बी+सी)	251,484 जीजे	238,570 जीजे
	टर्नओवर प्रति रुपये ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/टर्नओवर करोड़ रुपये में)	10.69	11.02
	ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) - इकाई द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक का चयन किया जा सकता है		
	नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम : नहीं		

9	Assessments for the year:	
		% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
	Child labour	Not applicable
	Forced/involuntary labour	Not applicable
	Sexual harassment	100%
	Discrimination at workplace	Not applicable
	Wages	Not applicable
	Others – please specify	Not applicable

10	Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 9 above.	Not applicable
Leadership Indicators		
1	Details of a business process being modified / introduced as a result of addressing human rights grievances/complaints.	Not applicable
2	Details of the scope and coverage of any Human rights due-diligence conducted.	Not applicable
3	Is the premise/office of the entity accessible to differently abled visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?	Yes

4	Details on assessment of value chain partners:	
		% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
	Sexual Harassment	Nil
	Discrimination at workplace	
	Child Labour	
	Forced Labour/Involuntary Labour	
	Wages	
	Others – please specify	
5	Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 4 above.	Not applicable

SECTION C : PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURE

PRINCIPLE 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment

Essential Indicators

1 Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity, in the following format:

Parameter	FY 2022-23	FY 2021-22
Total electricity consumption (A)	224,049 GJ	213,306 GJ
Total fuel consumption (B)	27,435 GJ	25,264 GJ
Energy consumption through other sources (C)		
Total energy consumption (A+B+C)	251,484 GJ	238,570 GJ
Energy intensity per rupee of turnover (Total energy consumption/ turnover in rupees crore)	10.69	11.02
Energy intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity		

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency: No

2	क्या संस्था के पास भारत सरकार के प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचान की गई कोई साइट / सुविधाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो खुलासा करें कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है। यदि लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें।	लागू नहीं

3	जल से संबंधित निम्न प्रकटीकरण का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध कराएं:		
	पैरामीटर	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
	स्रोत द्वारा पानी की निकासी (किलोलीटर में)		
	(i) सतही जल		
	(ii) भूजल		
	(iii) थर्ड पार्टी वॉटर (टैंकर)	21,696	21,984
	(iv) समुद्री जल / विलवणीकृत जल		
	(v) नगर निगम का पानी		
	(vi) अन्य		
	पानी निकालने की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	21,696	21,984
	पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	21,696	21,984
	पानी की तीव्रता प्रति रुपये टर्नओवर (पानी की खपत / टर्नओवर करोड़ रुपये में)	0.92	1.02
	पानी की तीव्रता (वैकल्पिक) - इकाई द्वारा संबंधित मीट्रिक का चयन किया जा सकता है		
	नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम- **नहीं**		

4	क्या संस्था ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए एक तंत्र लागू किया है? यदि हां, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण दें।	नहीं

5	कृपया निम्नलिखित प्रारूप में इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें:			
	पैरामीटर	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
	एनओएक्स	लागू नहीं		
	सॉक्स			
	पार्टिकुलेट मैटर (पीएम)			
	स्थायी जैविक प्रदूषक (पीओपी)			
	वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)			
	खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)			
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें			
	नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं । : नहीं			

6	निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:			
	पैरामीटर	इकाई	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
	कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (जीएचजी का सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो)	टी सीओ $_2$	2,041	1,879
	कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (जीएचजी का सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो)	टी सीओ $_2$	44,502	42,368
	टर्नओवर के प्रति रुपये पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन	टी सीओ $_2$	1.97	2.04
	कुल दायरा 1 और दायरा 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - इकाई द्वारा संबंधित मीट्रिक का चयन किया जा सकता है			
	नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम।			नहीं

2	Does the entity have any sites / facilities identified as designated consumers (DCs) under the Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India? (Y/N) If yes, disclose whether targets set under the PAT scheme have been achieved. In case targets have not been achieved, provide the remedial action taken, if any.	Not applicable

3 Provide details of the following disclosures related to water, in the following format:

Parameter	FY 2022-23	FY 2021-22
Water withdrawal by source (in kilolitres)		
(i) Surface water		
(ii) Groundwater		
(iii) Third party water (tanker)	21,696	21,984
(iv) Seawater / desalinated water		
(v) Water from municipal corporation		
(vi) Others		
Total volume of water withdrawal (in kilolitres) (i + ii + iii + iv + v)	21,696	21,984
Total volume of water consumption (in kilolitres)	21,696	21,984
Water intensity per rupee of turnover (Water consumed / turnover in rupees crore)	0.92	1.02
Water intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity		

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency- **No**

4 Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? If yes, provide details of its coverage and implementation.

5 Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the entity, in the following format:

Parameter	Please specify unit	FY 2022-23	FY 2021-22
NOx	Not applicable		
Sox			
Particulate matter (PM)			
Persistent organic pollutants (POP)			
Volatile organic compounds (VOC)			
Hazardous air pollutants (HAP)			
Others – please specify			

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency: No

6 Provide details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity, in the following format:

Parameter	Unit	FY 2022-23	FY 2021-22
Total Scope 1 emissions (Break-up of the GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, if available)	tCO_2	2,041	1,879
Total Scope 2 emissions (Break-up of the GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, if available)	tCO_2	44,502	42,368
Total Scope 1 and Scope 2 emissions per rupee of turnover	tCO_2	1.97	2.04
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity			
Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.			No

7	क्या इकाई के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण दें।	लागू नहीं

8	इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:		
	पैरामीटर	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
	कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
	प्लास्टिक कचरा (ए)	लागू नहीं	लागू नहीं
	ई-कचरा (बी)		
	जैव चिकित्सा अपशिष्ट (सी)		
	निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (डी)		
	बैटरी अपशिष्ट (ई)		
	रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ)		
	अन्य खतरनाक अपशिष्ट (तेल में भिगोया हुआ कपास अपशिष्ट, डीजी फिल्टर, पेंट के डिब्बे, रासायनिक डिब्बे, पेंट अवशेष, तेल कीचड़, डीजी चिमनी सूट, शीतलक तेल और प्रयुक्त तेल)। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (जी)		
	अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न (एच)। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (रचना के अनुसार ब्रेक-अप अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्री द्वारा)		
	कुल (ए+बी + सी + डी + ई + एफ + जी + एच)		
	उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुन: उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों (मीट्रिक टन में) के माध्यम से प्राप्त कुल अपशिष्ट		
	कचरे की श्रेणी		
	(i) पुनर्नवीनीकरण	लागू नहीं	
	(ii) पुन: उपयोग किया गया		
	(iii) अन्य वसूली कार्य		
	कुल		
	उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान पद्धति की प्रकृति द्वारा निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
	कचरे की श्रेणी		
	(i) भस्मीकरण	लागू नहीं	
	(ii) लैंडफिलिंग		
	(iii) अन्य निपटान संचालन		
	कुल		
	नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम : नहीं		

9	अपने प्रतिष्ठानों में अपनाई जाने वाली अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। आपके उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे कचरे के प्रबंधन के लिए अपनाई गई व्यवस्था का वर्णन करें	ई-अपशिष्ट का निपटान अधिकृत पुनर्विक्रेताओं/ पुनर्चक्रणकर्ताओं के माध्यम से किया जाता है।

10 यदि इकाई के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में/के आसपास परिचालन/कार्यालय हैं, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप विवरण निर्दिष्ट करें:

क्र.सं	परिचालन/कार्यालयों का स्थान	परिचालन का प्रकार	क्या पर्यावरण अनुमोदन/क्लीयरेंस की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हां/नहीं) यदि नहीं, तो उसके कारण और सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो तो
1	लागू नहीं		

7	Does the entity have any project related to reducing Green House Gas emission? If Yes, then provide details.	Not applicable

8	Provide details related to waste management by the entity, in the following format:		
	Parameter	FY 2022-23	FY 2021-22
	Total Waste generated (in metric tonnes)		
	Plastic waste (A)	Not Applicable	Not Applicable
	E-waste (B)		
	Bio-medical waste (C)		
	Construction and demolition waste (D)		
	Battery waste (E)		
	Radioactive waste (F)		
	Other Hazardous waste (Oil-soaked cotton waste, DG filters, paint cans, chemical cans, paint residue, oil sludge, DG chimney soot, coolant oil and used oil). Please specify, if any. (G)		
	Other Non-hazardous waste generated (H). Please specify, if any. (Break-up by composition i.e. by materials relevant to the sector)		
	Total (A+B + C + D + E + F + G + H)		
	For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)		
	Category of waste		
	(i) Recycled	Not Applicable	
	(ii) Re-used		
	(iii) Other recovery operations		
	Total		
	For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)		
	Category of waste		
	(i) Incineration	Not Applicable	
	(ii) Landfilling		
	(iii) Other disposal operations		
	Total		
	Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency : No		

9	Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes	E-waste is disposed through authorized resellers/ recyclers.

10	If the entity has operations/offices in/around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, biodiversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals / clearances are required, please specify details in the following format:			
	Sl.No	Location of operations/offices	Type of operations	Whether the conditions of environmental approval / clearance are being complied with? (Y/N) If no, the reasons thereof and corrective action taken, if any
	1	Not Applicable		

11	चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:					
	परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या	तारीख	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया जाता है (हां/ नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में सूचित किए गए परिणाम (हां / नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
	लागू नहीं					

12	क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून/नियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे कि जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (हाँ/नहीं)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर-अनुपालन का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें: **हाँ**				
	क्र.सं	कानून/विनियम/दिशा-निर्देश निर्दिष्ट करें जिनका अनुपालन नहीं किया गया था	अनुपालन न करने का विवरण दें ।	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या अदालतों जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा की गई कोई भी जुर्माना / दंड / कार्रवाई	सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, यदि कोई हो तो
लागू नहीं					

नेतृत्व संकेतक			
1	निम्नलिखित प्रारूप में नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत कुल ऊर्जा (जूल या गुणकों में) का विन्यास (ब्रेक-अप) प्रदान करें:		
	पैरामीटर	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
	नवीकरणीय स्रोतों से		
	कुल बिजली खपत (ए)	पवनचक्की से बिजली की खपत: 11,07,236 यूनिट (केडब्ल्यूएचआर)	पवनचक्की से बिजली की खपत: 9,32,095 यूनिट (केडब्ल्यूएचआर)
	कुल ईंधन खपत (बी)		
	अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (सी)		
	अक्षय स्रोतों से खपत कुल ऊर्जा (ए+बी+सी)		

	गैर-नवीकरणीय स्रोतों से		
	कुल बिजली खपत (डी)	224,049 जीजे	213,306 जीजे
	कुल ईंधन खपत (ई)	27,435 जीजे	25,264 जीजे
	अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (एफ)	-	-
	गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत कुल ऊर्जा (डी+ई+एफ)	251,484 जीजे	238,57 जीजे
	नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है ? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम नहीं। : नहीं		

2	छोड़े गए पानी से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:		
	पैरामीटर	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
	(i) सतही जल के लिए	लागू नहीं	लागू नहीं
	---कोई कार्रवाई नहीं		
	--- उपचार के साथ - कृपया कार्रवाई का स्तर निर्दिष्ट करें		
	(ii) भूजल के लिए		
	---कोई इलाज़ नहीं		
	--- उपचार के साथ - कृपया कार्रवाई का स्तर निर्दिष्ट करें		
	(iii) समुद्री जल को		
	---कोई इलाज़ नहीं		
	--- उपचार के साथ - कृपया कार्रवाई का स्तर निर्दिष्ट करें		

11	Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year:					
	Name and brief details of project	EIA Notification No.	Date	Whether conducted by independent external agency (Yes / No)	Results communicated in public domain (Yes / No)	Relevant Web link
	Not applicable					
12	Is the entity compliant with the applicable environmental law/ regulations/ guidelines in India; such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment protection act and rules thereunder (Y/N). If not, provide details of all such non-compliances, in the following format: **Yes**					
	Sl.No	Specify the law / regulation / guidelines which was not complied with	Provide details of the noncompliance	Any fines / penalties / action taken by regulatory agencies such as pollution control boards or by courts	Corrective action taken, if any	
	1	Not applicable				
	2					

Leadership Indicators

1	Provide break-up of the total energy consumed (in Joules or multiples) from renewable and non-renewable sources, in the following format:		
	Parameter	FY 2022-23	FY 2021-22
	From renewable sources		
	Total electricity consumption (A)	Electricity consumption from wind-mill: 11,07,236 units (kWhr)	Electricity consumption from wind-mill:9,32,095 units (kWhr)
	Total fuel consumption (B)		
	Energy consumption through other sources (C)		
	Total energy consumed from renewable sources (A+B+C)		
	From Non-renewable sources		
	Total electricity consumption (D)	224,049 GJ	213,306 GJ
	Total fuel consumption (E)	27,435 GJ	25,264 GJ
	Energy consumption through other sources (F)		
	Total energy consumed from non-renewable sources (D+E+F)	251,484 GJ	238,570 GJ
	Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency : No		

2	Provide the following details related to water discharged:		
	Parameter	FY 2022-23	FY 2021-22
	(i) To Surface Water	Not Applicable	Not Applicable
	---No treatment		
	---With treatment – please specify level of treatment		
	(ii) To Groundwater		
	---No treatment		
	---With treatment – please specify level of treatment		
	(iii) To Seawater		
	---No treatment		
	---With treatment – please specify level of treatment		

	(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
	---कोई कार्रवाई नहीं		
	--- कार्रवाई के साथ - कृपया कार्रवाई का स्तर निर्दिष्ट करें		
	(v) अन्य		
	---कोई कार्रवाई नहीं		
	--- कार्रवाई के साथ - कृपया कार्रवाई का स्तर निर्दिष्ट करें		
	डिस्चार्ज किया गया कुल पानी (किलोलीटर में)		
	नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं । - नहीं		

3	पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी की निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में): लागू नहीं	
	पानी की कमी वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:	
	(i) क्षेत्र का नाम	
	(ii) संचालन की प्रकृति	
	(iii) निम्नलिखित प्रारूप में जल निकासी, खपत और निर्वहन:	

	पैरामीटर	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
	स्रोत द्वारा पानी की निकासी (किलोलीटर में)		
	(i) सतही जल		
	(ii) भूजल		
	(iii) थर्ड पार्टी वॉटर		
	(iv) समुद्री जल / विलवणीकृत जल		
	(v) अन्य		
	जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
	पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
	पानी की तीव्रता प्रति रुपया टर्नओवर (पानी की खपत / टर्नओवर)		

	जल की तीव्रता (वैकल्पिक) - इकाई द्वारा संबंधित मीट्रिक का चयन किया जा सकता है	-	-
	गंतव्य और सुविधा के स्तर से जल का निर्वहन (किलोलीटर में)		
	(i) सतही जल में	-	-
	- कोई सुविधा नहीं	-	-
	- सुविधा के साथ - कृपया सुविधा का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
	(ii) भूजल में	-	-
	- कोई सुविधा नहीं	-	-
	- सुविधा के साथ - कृपया सुविधा का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
	(iii) समुद्री जल में	-	-
	- कोई सुविधा नहीं	-	-
	- सुविधा के साथ - कृपया सुविधा का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-

	(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया	-	-
	- कोई सुविधा नहीं	-	-
	- सुविधा के साथ - कृपया सुविधा का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
	(v) अन्य	-	-
	- कोई सुविधा नहीं	-	-
	- सुविधा के साथ - कृपया सुविधा का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
	जल की कुल निकासी (किलोलीटर में)	-	-
	नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं । - नहीं		

	(iv) Sent to third-parties		
	---No treatment		
	---With treatment – please specify level of treatment		
	(v) Others		
	---No treatment		
	---With treatment – please specify level of treatment		
	Total Water discharged (in kilolitres)		
	Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency. – No		

3	Water withdrawal, consumption and discharge in areas of water stress (in kilolitres): Not Applicable		
	For each facility / plant located in areas of water stress, provide the following information:		
	(i) Name of the area		
	(ii) Nature of operations		
	(iii) Water withdrawal, consumption and discharge in the following format:		
	Parameter	FY 2022-23	FY 2021-22
	Water withdrawal by source (in kilolitres)		
	(i) Surface water		
	(ii) Groundwater		
	(iii) Third party water		
	(iv) Seawater / desalinated water		
	(v) Others		
	Total volume of water withdrawal (in kilolitres)		
	Total volume of water consumption (in kilolitres)		
	Water intensity per rupee of turnover (Water consumed / turnover)		
	Water intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity		
	Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
	(i) Into Surface water		
	---No treatment		
	---With treatment – please specify level of treatment		
	(ii) Into Groundwater		
	---No treatment		
	---With treatment – please specify level of treatment		
	(iii) Into Surface water		
	---No treatment		
	---With treatment – please specify level of treatment		

	(iv) Sent to third-parties		
	---No treatment		
	---With treatment – please specify level of treatment		
	(v) Others		
	---No treatment		
	---With treatment – please specify level of treatment		
	Total water discharged (in kilolitres)		
	Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency - No		

4	कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें: बैंक वर्तमान में स्कोप 3 उत्सर्जन को ट्रैक नहीं कर रहा है ।			
	पैरामीटर	इकाई	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
	कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (जीएचजी का सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन सीओ2 समतुल्य		
	कुल स्कोप 3 उत्सर्जन प्रति रुपये टर्नओवर			
	कुल स्कोप 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - इकाई द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक का चयन किया जा सकता है			
	नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं । : लागू नहीं			

5	उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में रिपोर्ट किए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें ।	लागू नहीं

6	यदि इकाई ने कोई विशिष्ट पहल की है या संसाधन दक्षता में सुधार के लिए नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, या उत्सर्जन/बहिष्कार निर्वहन/अपशिष्ट उत्पन्न होने के कारण प्रभाव को कम किया है, तो कृपया इसके विवरण के साथ-साथ इस तरह की पहल के परिणाम निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार प्रदान करें : लागू नहीं			
	क्र.सं.	पहल की गई	पहल का विवरण (वेब-लिंक, यदि कोई हो, सारांश के साथ प्रदान करें)	पहल का परिणाम
	1	लागू नहीं		
	2			

7	क्या संस्था के पास कारोबार निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों / वेब लिंक में विवरण दें ।	बैंक के पास आपदा रिकवरी और कारोबार निरंतरता योजना है, जिसमें किसी भी आपदा या विघटनकारी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों का विवरण है। इसमें ऐसी आपदा से लोगों, नीतियों, मानकों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है ताकि महत्वपूर्ण कारोबार प्रक्रियाओं की निरंतरता, बहाली और पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके तथा लोगों, प्रक्रियाओं और बुनियादी ढांचे पर आपदा के प्रभाव को सीमित किया जा सके और परिचालन, वित्तीय, कानूनी और विनियामक और प्रतिष्ठित परिणामों को भी कम किया जा सके । योजनाओं में जोखिम के प्रबंधन के लिए प्रणालियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनमें महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए आपदा रिकवरी साइटों और कारोबार निरंतरता योजना का उपयोग शामिल है, जिनका समय-समय पर परीक्षण किया जाता है । इसमें कारोबार संचालन को फिर से शुरू करने के लिए आवश्यक समय के पहलुओं को भी शामिल किया गया है ।

8	इकाई के मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का प्रकटीकरण करें। इस संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं ।	लागू नहीं

9	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए कारोबार के मूल्य से) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया था ।	लागू नहीं

4	Please provide details of total Scope 3 emissions & its intensity, in the following format: The Bank is currently not tracking Scope 3 emissions			
	Parameter	Unit	FY 2022-23	FY 2021-22
	Total Scope 3 emissions (Break-up of the GHG into CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3, if available)	Metric tonnes of CO_2 equivalent		
	Total Scope 3 emissions per rupee of turnover			
	Total Scope 3 emission intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity			
	Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency : Not Applicable			

5	With respect to the ecologically sensitive areas reported at Question 10 of Essential Indicators above, provide details of significant direct & indirect impact of the entity on biodiversity in such areas along-with prevention and remediation activities.	Not Applicable

6	If the entity has undertaken any specific initiatives or used innovative technology or solutions to improve resource efficiency, or reduce impact due to emissions / effluent discharge / waste generated, please provide details of the same as well as outcome of such initiatives, as per the following format: Not Applicable			
	Sl. No.	Initiative undertaken	Details of the initiative (Web-link, if any, may be provided along-with summary)	Outcome of the initiative
	1	Not Applicable		
	2			

7	Does the entity have a business continuity and disaster management plan? Give details in 100 words/ web link.	The Bank has Disaster Recovery and Business Continuity Plan which details the preparedness to deal with any disaster or disruptive situation. It includes people, policies, standards, and procedures to ensure continuity, resumption, and recovery of critical business processes, limit the impact of the disaster on people, processes and infrastructure and minimize the operational, financial, legal & regulatory and reputational consequences arising from such the disaster. The plans include systems and processes for management of risk, including use of disaster recovery sites and business continuity plan for critical processes which are tested periodically. It also covers the aspects of time required to resume business operations.
8	Disclose any significant adverse impact to the environment, arising from the value chain of the entity. What mitigation or adaptation measures have been taken by the entity in this regard	Not Applicable
9	Percentage of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed for environmental impacts.	Not Applicable

सिद्धांत 7 सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे कारोबारों को ऐसा ऐसे तरीके से करना चाहिए जो उत्तरदायी और पारदर्शी हो

आवश्यक संकेतक

1 ए. व्यापार और उद्योग मंडलों / एसोसिएशनों के साथ संबद्धता की संख्या (निम्नवत)

बी. शीर्ष 10 कारोबार और उद्योग मंडलों / एसोसिएशनोशनों की सूची (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) जिसकी इकाई सदस्य / से संबद्ध है ।

क्र.सं	व्यापार और उद्योग मंडलों / एसोसिएशनों के नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/ एसोसिएशनों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	इंडियन बैंक एसोसिएशन (आइबीए)	राष्ट्रीय
2	भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आइआइबीएफ)	राष्ट्रीय
3	बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आइबीपीएस)	राष्ट्रीय
4	राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम)	राष्ट्रीय
5	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)	राष्ट्रीय
6	इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (आइसीसी)	राष्ट्रीय
7	फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफइडीएआई)	राष्ट्रीय
8	फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआइएमएमडीए)	राष्ट्रीय
9	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल)	राष्ट्रीय

2 नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर, इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें ।

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	सुधारात्मक कार्रवाई की गई
	लागू नहीं	

नेतृत्व संकेतक

1 इकाई द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति पदों का विवरण: **लागू नहीं**

	सार्वजनिक नीति की वकालत	इस तरह की वकालत के लिए अपनाए गए तरीके	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हां नहीं)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवधिकता (वार्षिक/छमाही/त्रैमासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
1			लागू नहीं		
2					

सिद्धांत 8 व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1 चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण - **लागू नहीं**

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तिथि	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया जाता है (हां/ नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में सूचित किए गए परिणाम (हां / नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
1					
2					

PRINCIPLE 7 Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent
Essential Indicators

1	a.	Number of affiliations with trade and industry chambers/ associations. (As below)		
	b.	List the top 10 trade and industry chambers/ associations (determined based on the total members of such body) the entity is a member of/ affiliated to.		
		Sl.No	Name of the trade and industry chambers/ associations	Reach of trade and industry chambers/ associations (State / National)
		1	Indian Bank's association (IBA)	National
		2	Indian Institute of Banking and Finance (IIBF)	National
		3	Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)	National
		4	National Institute of Bank Management (NIBM)	National
		5	National Payment Corporation of India (NPCI)	National
		6	International Chamber of Commerce (ICC)	National
		7	Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI)	National
		8	Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)	National
		9	Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL)	National

2	Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anticompetitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities.		
	Name of authority	Brief of the case	Corrective action taken
	Not applicable		
Leadership Indicators			

1	Details of public policy positions advocated by the entity: **Not applicable**						
		Public policy advocated	Method resorted for such advocacy	Whether information available in public domain? (Yes/No)	Frequency of Review by Board (Annually/ Half yearly/ Quarterly / Others – please specify)	Web Link, if available
	1	Not applicable				
	2					

PRINCIPLE 8 Businesses should promote inclusive growth and equitable development
Essential Indicators

1	Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year.- **Not applicable**					
	Name and brief details of project	SIA Notification No.	Date of notification	Whether conducted by independent external agency (Yes / No)	Results communicated in public domain (Yes / No)	Relevant Web link
	1					
	2					

2	आपकी इकाई द्वारा चल रहे पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) के लिए निम्नलिखित प्रारूप में परियोजना (परियोजनाओं) के बारे में जानकारी प्रदान करें: **लागू नहीं**					
	क्र.सं	परियोजना का नाम जिसके लिए आर एंड आर चल रहा है	राज्य	ज़िला	परियोजना प्रभावित परिवारों की संख्या (पीएएफ)	आर एंड आर द्वारा कवर किए गए पीएएफ का %	वित्तीय वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गई राशि (आईएनआर में)
	1						
	2						

3	समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए तंत्र का वर्णन करें।	समुदाय एक महत्वपूर्ण शेयरधारक समूह हैं और बैंक अपनी सीएसआर टीम के माध्यम से सीएसआर परियोजनाओं पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उनसे नियमित रूप से संवाद करता है । कई मामलों में, एनजीओ भागीदार सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करते हैं और समुदायों की शिकायतों पर चर्चा करते हैं और इसे बैंक की सीएसआर टीम को संप्रेषित करते हैं ।

4	आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य द्वारा कुल इनपुट का इनपुट): **लागू नहीं**		
	पैरामीटर	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
	सीधे एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से प्राप्त किया जाता है		
	सीधे जिले और पड़ोसी जिलों के भीतर से सोर्स किया गया		

नेतृत्व संकेतक		
1	सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1): लागू नहीं	
	पहचाने गए नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण	सुधारात्मक कार्रवाई की गई

2	सरकारी निकायों द्वारा पहचाने गए नामित आकांक्षी जिलों में आपकी इकाई द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:			
	क्र.सं	राज्य	आकांक्षा जिला	खर्च की गई राशि (आईएनआर में)
	1	आकांक्षी जिलों में सीएसआर परियोजनाएं शुरू नहीं की गई हैं ।		

3	(ए)	क्या आपके पास एक अधिमान्य खरीद नीति है जहां आप हाशिये पर/कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीदारी को प्राथमिकता देते हैं? (हां नहीं)	नहीं
	(बी)	आप किन सीमांत/कमजोर समूहों से खरीदारी करते हैं?	**लागू नहीं**
	(सी)	यह कुल खरीद (मूल्य से) का कितना प्रतिशत है?	

4	पारंपरिक ज्ञान के आधार पर, आपकी संस्था (चालू वित्तीय वर्ष में) के स्वामित्व या अर्जित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण: लागू नहीं				
	क्र.सं	पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा	स्वामित्व/अधिग्रहीत (हां/नहीं)	साझा किया गया लाभ (हां/ नहीं)	लाभ हिस्से की गणना का आधार
	लागू नहीं				

5	बौद्धिक संपदा संबंधी विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है । - लागू नहीं		
	प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	सुधारात्मक कार्रवाई की गई
	लागू नहीं		

2	Provide information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity, in the following format: **Not Applicable**						
	Sl.No	Name of Project for which R&R is ongoing	State	District	No. of Project Affected Families (PAFs)	% of PAFs covered by R&R	Amounts paid to PAFs in the FY (In INR)
	1						
	2						

3	Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community.	Communities are an important stakeholder group and the Bank through its CSR team communicates with them regularly to obtain feedback on the CSR projects. In many cases, the NGO partners act as facilitators and discuss the grievances of the communities and communicate it to the CSR team of the Bank.

4	Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers: **Not Applicable**		
	Parameter	FY 2022-23	FY 2021-22
	Directly sourced from MSMEs/ small producers		
	Sourced directly from within the district and neighbouring districts		

Leadership Indicators

1	Provide details of actions taken to mitigate any negative social impacts identified in the Social Impact Assessments (Reference: Question 1 of Essential Indicators above): **Not Applicable**	
	Details of negative social impact identified	Corrective action taken

2	Provide the following information on CSR projects undertaken by your entity in designated aspirational districts as identified by government bodies:			
	Sl.No	State	Aspirational District	Amount spent (In INR)
	1	CSR Projects not undertaken in aspirational districts		

3	(a)	Do you have a preferential procurement policy where you give preference to purchase from suppliers comprising marginalized /vulnerable groups? (Yes/No)	No
	(b)	From which marginalized /vulnerable groups do you procure?	**Not applicable**
	(c)	What percentage of total procurement (by value) does it constitute?	

4	Details of the benefits derived and shared from the intellectual properties owned or acquired by your entity (in the current financial year), based on traditional knowledge: Not applicable				
	Sl.No	Intellectual Property based on traditional knowledge	Owned/ Acquired (Yes/No)	Benefit shared (Yes / No)	Basis of calculating benefit share
	Not applicable				

5	Details of corrective actions taken or underway, based on any adverse order in intellectual property related disputes wherein usage of traditional knowledge is involved. - Not applicable		
	Name of authority	Brief of the Case	Corrective action taken
	Not applicable		

6	सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण: *			
	क्र.सं	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए के समूहों से लाभार्थियों का %
	1	शंकरराव पाटिल चैरिटेबल ट्रस्ट, पुणे (एसपीसीटी) के लिए प्रायोजन - ए/सी पिंपरी चिंचवाड़ एजुकेशन ट्रस्ट (पीसीईटी) - छात्रों को वित्तीय सहायता	50	100%
	2	गरीब और आवासीय हाई स्कूल शताब्दी समारोह के लिए रामकृष्ण मिशन छात्र गृह - महल का प्रायोजन	700	100%
	3	वैथीश्वरन कोइल, वाथेश्वरन कोविल को 2 गोदरेज ज्वेल सेफ का दान	400	आम जनता को सतत समर्थन
	4	वेल्लंगानी के धर्माध्यक्षों की भव्य सभा के लिए 20 ब्रीफकेस का दान	20	100%
	5	म्यूजिकल कार्निवाल का प्रायोजन' 22 सुक्तराम फाउंडेशन, चेन्नै	50	आम जनता को सतत समर्थन
	6	डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को एक बच्चे की कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए प्रायोजन	1	100%
	7	चैरिटी और सामाजिक कारणों के तहत श्री अरबिंदो सोसाइटी (एसएएस) (पुतिया नंबिक्काई) कैदियों का पुनर्वास, पांडिचेरी	20	100%
	8	सीएसआर के तहत स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जरूरतमंद लोगों के लिए झंडों की खरीद के लिए दान	50	100%
	9	चेन्नै ओपन टेनिस (महिला) के लिए प्रायोजन - टीएनटीए नुंगमबक्कम , चेन्नै में आयोजित किया गया	500	आम जनता को सतत समर्थन
	10	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वरंगल (एनआइटीडब्ल्यू) केंद्रीय पुस्तकालय- आई-एलआइएसएस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2022 के लिए प्रायोजन	1000	छात्रों को सतत समर्थन
	11	कामराजार ट्रस्ट बालमंडली के बच्चों को 89वें वर्ष दुर्गोत्सव के दौरान अन्नदानम के लिए दान - बंगाल एसोसिएशन	50	आम जनता को सतत समर्थन
	12	22 सितंबर 2022 से 24 सितंबर 2022 तक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (बीईपी) द्वारा पटना में आयोजित होने वाले "तरंग उत्सव" में वितरण के लिए स्कूल बैग की खरीद के लिए प्रायोजन	440	छात्रों को सतत समर्थन
	13	लोयोला कॉलेज द्वारा आयोजित "इंट्रा कॉलेज कल्चरल एक्सट्रावगेंज़ा" कार्यक्रम का प्रायोजन	320	कॉलेज के छात्रों के लिए सतत समर्थन
	14	एसएमएमआई प्रांतीय, धर्मार्थ संगठन, तंजाऊर के लिए उनके नए उद्घाटन अस्पताल के लिए 25 नग स्टील खाट और गद्दे की खरीद के लिए प्रायोजन	25	100%
	15	मौलाना आजाद नेशनल उर्दू के डीडीई ऑडिटोरियम में जेंडर सेंसिटिविटी के लिए 12वें लाडली मीडिया एंड एडवरटाइजिंग अवॉर्ड्स के आयोजन का प्रायोजन	230	आम जनता को सतत समर्थन
	16	पांडिचेरी में जरूरतमंद छात्रों के लिए एक भोजन वितरण वाहन की खरीद के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन को दान	430	जरूरतमंद छात्रों को सतत समर्थन
	17	एसएसएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा 03 और 04 नवंबर 2022 को आयोजित टेकफेस्ट इनवेंटी 2022 के लिए प्रायोजन	310	कॉलेज के छात्रों के लिए सतत समर्थन
	18	जिला प्रशासन, तूतीकोरिन द्वारा आयोजित प्रथम पुस्तक मेला कार्यक्रम का प्रायोजन	1230	आम जनता को सतत समर्थन

6	Details of beneficiaries of CSR Projects: *			
	Sl.No	CSR Project	No. of persons benefitted from CSR Projects	% of beneficiaries from vulnerable and marginalized groups
	1	Sponsorship for Shankarrao Patil Charitable Trust, Pune (SPCT) - A/c Pimpri Chinchwad Education Trust (PCET) - Financial aid to Students	50	100%
	2	Sponsorship to Ramakrishna Mission Student Home - Palace for the poor & residential High School centenary celebrations	700	100%
	3	Donation of 2 Godrej Jewel safes to Sri Vaitheeswaran koil, Vatheeswaran Kovil	400	Sustainable Support to General Public
	4	Donation of 20 Briefcases for Grand Gathering of Bishops of TN Shine Basilica Church, Vellangani	20	100%
	5	Sponsorship to Musical carnival' 22 Suktram Foundation, Chennai	50	Sustainable Support to General Public
	6	Sponsoring for Cochlear Implant Surgery of One Child to Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences	1	100%
	7	Sri Aurobindo Society (SAS)under Charity and Social causes (Puthiya Nambikkai) Rehabilitation of Prisoners, Pondicherry	20	100%
	8	Donation for Purchase of Flags under CSR for Needy person for Independence Day	50	100%
	9	Sponsorship for Chennai Open Tennis(Women's) - TNTA held at Nungambakkm, Chennai	500	Sustainable Support to General Public
	10	Sponsorship for National institute of Technology, Warangal (NITW) Central Library- I-LISS International Conference 2022	1000	Sustainable Support to Students
	11	Donation for Annadanam during 89th Year Durgotsab to the children of Kamarajar Trust Balamandali- The Bengal Association	50	Sustainable Support to General Public
	12	Sponsorship for purchase of School Bags for distribution at "TARANG UTSAV" to be organized at Patna by Bihar Education Project Council (BEP) from 22nd September 2022 to 24th September 2022	440	Sustainable Support to Students
	13	Sponsorship of the event "Intra College Cultural extravaganza" organized by Loyola College	320	Sustainable Support to College Students
	14	Sponsorship for purchase of 25 Nos of Steel Cot and Mattresses for S.M.M.I.Provincialate, Charitable Organization, Thanjavur for their Newly inaugurated Hospital	25	100%
	15	Sponsorship for organizing 12th Laadli Media and Advertising Awards for Gender sensitivity at DDE Auditorium of Maulana Azad National Urdu	230	Sustainable Support to General Public
	16	Donation to Akshya Patra Foundation for purchase of one meal delivery vehicle at Pondicherry for Needy Students	430	Sustainable Support to needy students
	17	Sponsorship for Techfest INVENTEE 2022 organized by SSN College of Engineering on 03rd and 04th of November 2022	310	Sustainable Support to College Students
	18	Sponsorship for first Book fair event conducted by District Administration, Tuticorin	1230	Sustainable Support to General Public

	19	कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन और राम प्रकाश वॉलीबॉल अकादमी द्वारा आयोजित स्कूलों के लिए तमिलनाडु वॉलीबॉल लीग के लिए प्रायोजन	840	100%
	20	01.12.2022 से 01.01.2023 तक कार्तिक कला महोत्सव ट्रस्ट द्वारा “48वें वार्षिक संगीत समारोह” का प्रायोजन	370	आम जनता को सतत समर्थन
	21	आईआईआईटी इलाहाबाद द्वारा दिनांक 08.12.2022 से 10.12.2022 तक आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव “प्रभाव - 2022” के लिए प्रायोजन	500	कॉलेज के छात्रों के लिए सतत समर्थन
	22	सार्वजनिक स्वास्थ्य और निवारक चिकित्सा निदेशालय द्वारा 05 दिसंबर 2022 से 08 दिसंबर 2022 तक आयोजित होने वाले रैडिसन ब्लू, महाबलीपुरम में अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्मेलन (डीपीएचआईसीओएन-2022) के लिए प्रायोजन	1500	आम जनता को सतत समर्थन
	23	18.12.2022 से 31.12.2022 तक “90वें दक्षिण भारतीय संगीत सम्मेलन और महोत्सव” के लिए भारतीय ललित कलाओं का प्रायोजन	290	आम जनता को सतत समर्थन
	24	गदाधर अभ्युदय प्रकल्प (जीएपी)को चलाने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत दान - रामकृष्ण मिशन मुख्यालय, बेलूर , मठ द्वारा मंगलुरु, कर्नाटक में वंचित बच्चों के समग्र विकास के लिए एक परियोजना	50	100%
	25	आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश विकास प्रणाली निगम लिमिटेड (यूपीडीईएससीओ) द्वारा आयोजित “इंडिया डिजिटल एम्पावरमेंट मीट एंड अवार्ड्स-उत्तर प्रदेश चैप्टर” के लिए प्रायोजन	320	आम जनता को सतत समर्थन
	26	मलदहिया , वाराणसी में आयोजित होने वाले वाराणसी कैरम टूर्नामेंट का प्रायोजन	120	100%
	27	108वीं विज्ञान कांग्रेस 2023 का प्रायोजन 03 जनवरी 2023 से 07 जनवरी 2023 तक	160	कॉलेज के छात्रों के लिए सतत समर्थन
	28	16 जनवरी 2023 को संस्थान दिवस समारोह के अवसर पर सीपीआरआई, भोपाल द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रायोजन	85	आम जनता को सतत समर्थन
	29	शिवगंगा पुस्तक मेला 2023 का प्रायोजन , शिवगंगा जिला 27.01.2023 से 06.02.2023 तक आयोजित होगा	1500	आम जनता को सतत समर्थन
	30	एलसीएएस (लखनऊ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स सोसाइटी) द्वारा केंद्रीय बजट 2023 -2024 स्मारिका पर प्रकाशन के विज्ञापन के लिए प्रायोजन	95	आम जनता को सतत समर्थन
	31	रामकृष्ण मिशन और लायंस क्लब के माध्यम से 87वें स्थापना दिवस पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को 38 ट्राइसाइकिल और 14 व्हील चेयर का दान	52	100%
	32	स्थापना दिवस पर 700 बच्चों के लिए अन्नदानम के लिए रामकृष्ण मिशन को दान	700	100%
	33	स्वास्थ्य देखभाल के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत दान - श्री अरबिंदो ग्रामीण और ग्रामीण कार्रवाई आंदोलन के तहत ग्रामीण विकास	1008	100%
	34	दिनांक 10.02.2023 से 12.02.2023 तक 34वीं अखिल भारतीय केन्द्रीय राजस्व सांस्कृतिक बैठक का प्रायोजन	240	आम जनता को सतत समर्थन
	35	रामनाथपुरम जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 09.02.2023 से 19.02.2023 तक आयोजित “मुगावी संगमम” का प्रायोजन	1500	आम जनता को सतत समर्थन

	19	Sponsorship for Tamilnadu Volleyball League for Schools conducted by Kancheepuram District Volleyball Association & Ram Prakash Volleyball Academy	840	100%
	20	Sponsorship for "48th Annual Music Festival" by Kartik Arts Festival Trust from 01.12.2022 to 01.01.2023	370	Sustainable Support to General Public
	21	Sponsorship for Annual Cultural Festival "EFFERVESCENCE – 2022" organized by IIIT Allahabad from 08.12.2022 to 10.12.2022	500	Sustainable Support to College Students
	22	Sponsorship for International Public Health Conference (DPHICON-2022) at Radisson Blue, Mahabalipuram to be held on 05th December 2022 to 08th December 2022 by Directorate of Public Health and Preventive Medicine	1500	Sustainable Support to General Public
	23	Sponsorship to The Indian Fine Arts for "90th South Indian Music Conference and Festival" from 18.12.2022 to 31.12.2022	290	Sustainable Support to General Public
	24	Donation under Corporate Social Responsibility to run the Gadadhar Abhyudaya Prakalpa(GAP) – a project for the Holistic Development of Underprivileged Children in Mangaluru, Karanataka by Ramakrishna Mission HQ, Belur, Math	50	100%
	25	Sponsorship for "India Digital Empowerment Meet & Awards- Uttar Pradesh Chapter" hosted by Department of IT & Electronics, Government of Uttar Pradesh and Uttar Pradesh Development Systems Corporation Limited (UPDESCO)	320	Sustainable Support to General Public
	26	Sponsorship for Varansi carrom Tournament to held on 20.01.2023 to 22.01.2023 at Maldahiya, varansi	120	100%
	27	Sponsorship for 108th Science Congress 2023 from 03rd January 2023 to 07th January 2023	160	Sustainable Support to College Students
	28	Sponsorship for Cultural Event organized by CPRI, Bhopal on the Occasion of Institute day celebration on 16th January 2023	85	Sustainable Support to General Public
	29	Sponsoring of Sivaganga Book Fair 2023, Sivaganga District to held from 27.01.2023 to 06.02.2023	1500	Sustainable Support to General Public
	30	Sponsorship for Advertisement of Publication on Union Budget 2023 -2024 souvenir by LCAS (Lucknow Chartered Accountants Society)	95	Sustainable Support to General Public
	31	Donation of 38 Tricycles and 14 Wheel Chairs to Physically handicapped person on 87th Foundation day through Ramakrishna Mission and Lions Club	52	100%
	32	Donation to Ramakrishna Mission for Annadanam for 700 Children's on Foundation day	700	100%
	33	Donation under Corporate Social Responsibility for Health Care – Rural Development under Sri Aurobindo rural and Village Action Movement	1008	100%
	34	Sponsorship for 34th All India Central Revenue Cultural Meet from 10.02.2023 to 12.02.2023	240	Sustainable Support to General Public
	35	Sponsorship to Book fair festival "Mugavi Sangamam" conducted by Ramanathapuram District Administration from 09.02.2023 to 19.02.2023	1500	Sustainable Support to General Public

	36	25.02.2023 से 07.03.2023 तक तिरुनेलवेली जिला प्रशासन द्वारा आयोजित पुरुनाई नेल्लई पुस्तक प्रदर्शनी को प्रायोजन	1900	आम जनता को सतत समर्थन
	37	चेन्नै के क्राउन प्लाजा में 03 और 4 मार्च 2023 को आयोजित होने वाले आंतरिक लेखापरीक्षकों के संस्थान, मद्रास चैप्टर द्वारा प्रायोजित या डिजिटल लचीलापन पर दो दिवसीय सम्मेलन	200	आम जनता को सतत समर्थन
	38	पेरियार मणिअम्मल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तंजाऊर में आइओबी-11वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप (पुरुष और महिला) - 2023 का प्रायोजन	600	आम जनता को सतत समर्थन
	39	दिनांक 03.03.2023 को होटल प्रबंधन कैटरिंग व प्रौद्योगिकी, चेन्नै द्वारा फूड फेस्टिवल मन वसनई 2023 का प्रायोजन	150	आम जनता को सतत समर्थन
	40	विश्व जल दिवस 2023 के आयोजन के लिए प्रायोजन और 21 मार्च 2023 को मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उरुडू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित आउटरीच कार्यक्रम	430	कॉलेज के छात्रों के लिए सतत समर्थन
	41	दिनांक 18.02.2023 से 27.02.2023 तक आयोजित ताज महोत्सव में विज्ञापन का प्रायोजन	860	आम जनता को सतत समर्थन
	42	साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन इंडियन चैप्टर के लिए वर्ल्ड एडोसिएशन के 07वें राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रायोजन	190	आम जनता को सतत समर्थन
	43	अय्यन वल्लुवन नामक तमिल नाटक महिलाओं के लिए श्री कृष्णास्वामी कॉलेज द्वारा 17 मार्च से 19 मार्च 2023 तक के लिए प्रायोजन	210	कॉलेज के छात्रों के लिए सतत समर्थन
	44	स्मारिका बीएसकेबीए में विज्ञापन	300	आम जनता को सतत समर्थन
	45	16 मई 2022 को जगन्नाथ मंदिर में शुभ पूर्णिमा के दिन विज्ञापन	400	आम जनता को सतत समर्थन
	46	पर्यटन समाचार पत्रिका में विज्ञापन	200	आम जनता को सतत समर्थन
	47	टीएनएसटीसी (कुंभकोणम) बसों में आइओबी उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए विज्ञापन	800	आम जनता को सतत समर्थन
	48	आदि थिरुविझा के दौरान रामनाथस्वामी मंदिर, रामेश्वरम अरुलमिगु के पक्ष में विज्ञापन	400	आम जनता को सतत समर्थन
	49	'द हिंदू' समाचार पत्र में स्वतंत्रता दिवस संदेश का विज्ञापन (चेन्नै मुख्य संस्करण)	17 लाख	आम जनता को सतत समर्थन
	50	स्मारिका के बैनर और भीतरी पृष्ठ के माध्यम से विज्ञापन – एसएमसीए चैरिटेबल ट्रस्ट, बसंत नगर शाखा	200	आम जनता को सतत समर्थन
	51	दुर्गोत्सव के दौरान विज्ञापन बैनर प्रदर्शन अलकापुर शाखा, बड़ौदा	150	आम जनता को सतत समर्थन
	52	श्री रामकृष्ण मठ द्वारा श्री रामकृष्ण विजयम के शताब्दी विशेष अंक के लिए सीएसआर के तहत विज्ञापन	300	आम जनता को सतत समर्थन

सिद्धांत 9 कारोबारों को जिम्मेदार तरीके से अपने उपभोक्ताओं के साथ जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए		
आवश्यक संकेतक		
1	उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए तंत्र का वर्णन करें।	बैंक के पास शिकायत निवारण नीति और उचित व्यवहार संहिता है। इस नीति के अनुसार सभी उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक का जवाब दिया जाता है और उनका समाधान किया जाता है। नीति का वेबलिंक इस प्रकार है: https://www.iob.in/upload/CEDocuments/iobGrievance_Redresal_Policy_2022.pdf

2	उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर, उन सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में, जिनके बारे में जानकारी होती है:	
		कुल कारोबार प्रतिशत के रूप में
	उत्पाद के लिए प्रासंगिक पर्यावरण और सामाजिक पैरामीटर	लागू नहीं
	सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	
	पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	

	36	Sponsoring to Purunai Nellai Book Exhibition conducted by Tirunelveli District Administration from 25.02.2023 to 07.03.2023	1900	Sustainable Support to General Public
	37	Sponsorship or two days conference on Digital resilience hosted by the institute of Internal Auditors, Madras Chapter to be held on 03rd and 4th March 2023 at Crown Plaza, Chennai	200	Sustainable Support to General Public
	38	Sponsorship for IOB-11th Senior National Championship (men & Women) - 2023 at Periyar Maniammal Institute of Science & technology, Thanjavur	600	Sustainable Support to General Public
	39	Sponsorship to Food Festival Mann vasanai 2023 organised by Institute of Hotel management catering & technology, Chennai on 03.03.2023	150	Sustainable Support to General Public
	40	Sponsorship for organizing world water day 2023 and outreach programme organised by maulana azad national urudu university on 21st March 2023	430	Sustainable Support to College Students
	41	Sponsorship of Advertisement in the Taj Mahotsav held on 18.02.2023 to 27.02.2023	860	Sustainable Support to General Public
	42	Sponsorship for 07th National Conference of world Addociation for psychosocial Rehabilitation Indian Chapter	190	Sustainable Support to General Public
	43	Sponsorship for theatre play in Tamil called Ayyan Valluvan from 17th March to 19th 2023 by Sri Krishnaswamy College for women	210	Sustainable Support to College Students
	44	Advertisement in the souvenir BSKBA	300	Sustainable Support to General Public
	45	Advertisement in Auspicious Purnima Day at Jagannath Temple on 16th May 2022	400	Sustainable Support to General Public
	46	Advertisement in Tourism News Magazine	200	Sustainable Support to General Public
	47	Advertisement for displaying IOB products in TNSTC (Kumbakonam)buses	800	Sustainable Support to General Public
	48	Advertisement in favour of Arulmigu Ramanathaswamy Temple,Rameshwaran during Aadi Thiruvizha	400	Sustainable Support to General Public
	49	Advertisement of Independence Day message in "The Hindu" newspaper(Chennai main edition)	17 Lakhs	Sustainable Support to General Public
	50	Advertisement by way of Banner and Inner page of Souvenir- SMCA Charitable trust, Besant Nagar Branch	200	Sustainable Support to General Public
	51	Advertisement Banner display during Durgotsav Alkapur Branch, Baroda	150	Sustainable Support to General Public
	52	Advertisement under CSR for centenary special issue of Sri Ramakrishna Vijayam by Sri Ramakrishna Math	300	Sustainable Support to General Public

PRINCIPLE 9 Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

Essential Indicators

1	Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints and feedback.	The bank has grievance redressal policy and fair practices code. All consumer complaints and feedbacks are responded and resolved as per this policy. The weblink of the policy is as follows: https://www.iob.in/upload/CEDocuments/iobGrievance_Redresal_Policy_2022.pdf

2	Turnover of products and/ services as a percentage of turnover from all products/service that carry information about:	
		As a percentage to total turnover
	Environmental and social parameters relevant to the product	Not applicable
	Safe and responsible usage	
	Recycling and/or safe disposal	

3	निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:						
		वित्त वर्ष 2022-23		टिप्पणियां	वित्त वर्ष 2021-22		टिप्पणियां
		वर्ष के दौरान प्राप्त किया	वर्ष के अंत में लंबित संकल्प		वर्ष के दौरान प्राप्त किया	वर्ष के अंत में लंबित संकल्प	
	डाटा प्राइवेसी	0	0		0	0	
	विज्ञापन	0	0		0	0	
	साइबर सुरक्षा	0	0		0	0	
	उत्पादों की डिलीवरी	15226	112		11495	271	
	उत्पादों की गुणवत्ता	2957	24	लंबित होने का कारण, इसका 30 दिनों का टीएटी है ।	1995	20	लंबित होने का कारण, इसका 30 दिनों का टीएटी है ।
	प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार	0	0		0	0	
	अनुचित कारोबार व्यवहार	0	0		0	0	
	अन्य	0	0		0	0	

4	सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों का विवरण:		
		संख्या	रिकॉल के कारण
	स्वैच्छिक रिकॉल	लागू नहीं	लागू नहीं
	जबरन रिकॉल	लागू नहीं	लागू नहीं

5	क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर एक रूपरेखा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।	हाँ । साइबर सुरक्षा जागरूकता लिंक इस प्रकार है: https://www.iob.in/Cyber-Security-Awareness । बैंक ने अपनी सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन प्राप्त किया है ।
6	विज्ञापन, और आवश्यक सेवाओं के वितरण; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों की पुनरावृत्ति; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा दंड / कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें ।	समीक्षाधीन अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई है ।

नेतृत्व संकेतक		
1	चैनल/प्लेटफ़ॉर्म जहां इकाई के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।	बैंक की वेबसाइट (www.iob.in) के साथ-साथ शाखाओं के नोटिस बोर्ड/डिस्प्ले बोर्ड पर भी है ।
2	उपभोक्ताओं को उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में सूचित करने और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।	एफएक्यू आइओबी ऑनलाइन पोर्टल (https://www.iob.in/) पर प्रदर्शित किए जाते हैं । इसके अलावा, बैंक ने अपनी वेबसाइट: https://iob.in/Cyber-Security-Awareness-Videos पर फ़िशिंग, शोल्डर सर्फिंग आदि जैसे विषयों को कवर करते हुए साइबर सुरक्षा जागरूकता वीडियो उपलब्ध कराए हैं ।
3	आवश्यक सेवाओं के व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंत्र मौजूद हैं	ग्राहकों को सेवाओं के संभावित व्यवधान के बारे में ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है ।
4	क्या इकाई स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य रूप से उत्पाद पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षेप में विवरण दें। क्या आपकी संस्था ने इकाई के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, इकाई या संपूर्ण इकाई के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया ? (हां नहीं)	बैंक द्वारा प्रदान किए गए सभी ऋण उत्पादों और सेवाओं से संबंधित जानकारी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है । सभी बैंक शाखाओं में उत्पाद की जानकारी भी प्रदर्शित की जाती है।

5	डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:		
	ए.	प्रभाव सहित डेटा उल्लंघनों की घटनाओं की संख्या	शून्य
	बी.	ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत	शून्य

3	Number of consumer complaints in respect of the following:						
		FY 2022-23			FY 2021-22		
		Received during the year	Pending resolution at end of year	Remarks	Received during the year	Pending resolution at end of year	Remarks
	Data privacy	0	0		0	0	
	Advertising	0	0		0	0	
	Cyber-security	0	0		0	0	
	Delivery of Products	15226	112		11495	271	
	Quality of Products	2957	24	Pending as these are having TAT of 30 days.	1995	20	Pending as these are having TAT of 30 days.
	Restrictive Trade Practices	0	0		0	0	
	Unfair Trade Practices	0	0		0	0	
	Other	0	0		0	0	

4	Details of instances of product recalls on account of safety issues:		
		Number	Reasons for recall
	Voluntary recalls	Not applicable	Not applicable
	Forced recalls	Not applicable	Not applicable

5	Does the entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/No) If available, provide a web-link of the policy.	Yes. The cyber security awareness link is as follows: https://www.iob.in/Cyber-Security-Awareness. The Bank has obtained ISO 27001:2013 certification for its Information security management system.
6	Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising, and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty / action taken by regulatory authorities on safety of products / services	No such instance has occurred during the reporting period.

Leadership Indicators		
1	Channels / Platforms where information on products and services of the entity can be accessed (provide web link, if available).	On the Bank's website (www.iob.in) as well as the notice boards/ display boards of branches.
2	Steps taken to inform and educate consumers about safe and responsible usage of products and/or services.	FAQs are displayed in IOB online portal (https://www.iob.in/). Further, the Bank has provided cyber security awareness videos, covering topics such as phishing, shoulder surfing etc on its website : https://iob.in/Cyber-Security-Awareness-Videos
3	Mechanisms in place to inform consumers of any risk of disruption/ discontinuation of essential services	Customers are informed through Email and sms about any potential disruption of services.
4	Does the entity display product information on the product over and above what is mandated as per local laws? (Yes/No/Not Applicable) If yes, provide details in brief. Did your entity carry out any survey with regard to consumer satisfaction relating to the major products / services of the entity, significant locations of operation of the entity or the entity as a whole? (Yes/No)	Information relating to all the loan products and services provided by the Bank are available on the Bank's website. Product information is also displayed in all Bank Branches.

5	Provide the following information relating to data breaches:		
	a.	Number of instances of data breaches along-with impact	Nil
	b.	Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers	Nil

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक लाभांश वितरण नीति

I. नीति की आवश्यकता और उद्देश्य :

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 08 जुलाई 2016 को सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनिमय, 2015 (एलओडीआर) में विनिमय 43ए अंतर्निविष्ट किया है, जिसे लाभांश वितरण नीति तैयार करने के लिए बाजार पूंजीकरण के आधार पर एक हजार सूचीबद्ध संस्थाओं की आवश्यकता होती है, (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को संगणित), जो उनकी वार्षिक रिपोर्टों और उनकी वेबसाइटों पर प्रकट की जाएगी । लाभांश वितरण नीति में निम्नलिखित पैरामीटर शामिल होंगे :

(ए) परिस्थितियां जिनके अंतर्गत सूचीबद्ध संस्थाओं के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते;

(बी) वित्तीय पैरामीटर जिन पर लाभांश घोषित करते समय विचार किया जा सकता है;

(सी) आंतरिक और बाह्य कारक जिन्हें लाभांश की घोषणा करने के लिए विचार किया जा सकता है;

(डी) नीति जिसके तहत धारित आय को कैसे उपयोग में लाया जाए; और

(ई) पैरामीटर जो शेयरों के विभिन्न वर्गों के संबंध में अपनाए जाएंगे :

बशर्तें कि सूचीबद्ध इकाई क्लोज (ए) से (ई) के अतिरिक्त पैरामीटर के आधार पर लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव रखती है या ऐसे पैरामीटर में शामिल ऐसे अतिरिक्त पैरामीटर या लाभांश वितरण नीति को बदलने का प्रस्ताव करती है, तो तर्क के साथ ऐसे प्रकटों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट और वेबसाइट पर खुलासा करेगी ।

सेबी (एलओडीआर) विनिमय के विनिमय 43ए के संबंध में, लाभांश वितरण नीति बनाना हमारे बैंक के लिए अनिवार्य है, जैसा कि बाजार पूंजीकरण के संबंध में दिनांक 31 मार्च 2022 को हमारा बैंक शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं के अंतर्गत आता है और तदनुसार हमारा शेयर बीएसई और एनएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध है, निम्नलिखित "लाभांश वितरण नीति" बनाई गई है जिसे बैंक निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित और अंगीकृत किया है ।

हमारा बैंक, जिसे बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1970 के उपक्रमों का अंतरण अधिग्रहण व प्रावधानों के तहत गठित किया गया है, जो लाभांश भुगतान के संबंध में भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है ।

II.परिभाषा

क) लाभांश	लाभांश में अंतरिम लाभांश शामिल है । सामान्य प्रवृत्ति में, 'लाभांश' का मतलब बैंक का लाभ है , जिसे कारोबार में नहीं रखा जाता है शेयरधारकों के बीच उनके द्वारा धारित शेयर के लिए भुगतान किए गए राशि के अनुपात में वितरित किया जाता है ।
ख) सीआरएआर	यह बैंक पूंजी का अपने परिसंपत्ति भारित जोखिम का अनुपात है ।
ग) लाभांश देय अनुपात	'लाभांश देय अनुपात' वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ के लिए एक वर्ष (लाभांश कर को छोड़कर) में देय लाभांश के प्रतिशत के रूप में गणना की जाती है ।
घ) बोर्ड	'बोर्ड' का मतलब निदेशक मंडल जो बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित है ।

III नीति:

1. नीति को "आइओबी लाभांश नीति" के नाम से जाना जाएगा ।

2. लाभांश वितरण के संबंध में सामान्य नियम:

बैंक का इरादा शेयरधारकों को बैंक का लाभ देकर पारितोषिक देना है, तथापि यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि बरकरार राखी जाती है । असामान्य बैठकों में शेयरधारकों द्वारा घोषणा के लिए बोर्ड द्वारा भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत बैंक का वित्तीय प्रदर्शन, अंतरिम प्रदत्त लाभांश, इसकी भविष्य की योजनाएँ, एनपीए को चिन्हित करने से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक वित्तीय निरीक्षण का निष्कर्ष, प्रावधान में कमी, खातों के विवरण के संबंध में लेखा परीक्षकों की योग्यता, बेसल पूंजी पर्याप्तता, आंतरिक व बाह्य कारक, वैधानिक प्रतिबंध इत्यादि को ध्यान में रखते हुए अंतरिम लाभांश अदा करने की संस्तुति की जाती है । बोर्ड अपने विवेक के आधार पर अंतरिम लाभांश घोषित कर सकता है ।

3. यदि बैंक उपरोक्त पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो रिज़र्व बैंक से कोई विशेष छूट उपलब्ध नहीं होगी:

दिनांक 04 मई 2005 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक लाभांश घोषित करने के लिए तभी पात्र होगा, जब यह निम्नलिखित न्यूनतम विवेकपूर्ण एवं उनके मास्टर परिपत्र दिनांकित 01.07.2015 का अनुपालन करता है ;

i. बैंक को दिया जाना है :

- विगत दो वर्षों और लेखांकन वर्ष में जिसके हेतु लाभांश घोषित किया जाना प्रस्तावित है, लागू सीसीबी सहित सीआरएआर कम से कम 9% होना चाहिए ।
- निवल एनपीए 7 % से कम होना चाहिए ।

यदि बैंक उपरोक्त सीआरएआर मानदंड को पूरा नहीं करता है, लेकिन लेखांकन वर्ष के लिए कम से कम 9 % का सीआरएआर है जिसके लिए यह लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव करता है, तो यह लाभांश घोषित करने के योग्य होगा, बशर्ते इसका नेट एनपीए 5 % से कम हो ।

ii. बैंक धारा 15 के प्रावधानों (जो लाभांश के भुगतान को तब तक प्रतिबंधित करता है जब तक सभी पूंजीकृत व्यय निसरित नहीं किए गए हैं) और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 17 (जो सांविधिक आरक्षित निधि के लाभ को निर्दिष्ट हिस्से के हस्तांतरण को निर्धारित करता है) का अनुपालन करेगा ।

iii. बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए मौजूदा नियमों / दिशानिर्देशों का पालन करेगा जिसमें परिसंपत्तियों और कर्मचारियों सेवानिवृति लाभों की कमी के लिए पर्याप्त प्रावधान, सांविधिक रिज़र्व को लाभ अंतरण शामिल है ।

iv. प्रस्तावित लाभांश चालू वर्ष के लाभ से देय होना चाहिए ।

v. लाभांश की घोषणा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगा होना चाहिए ।

IOB DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

I. NEED AND OBJECTIVE OF THE POLICY:

Securities and Exchange Board of India (SEBI) has on July 08, 2016, inserted Regulation 43A in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR), which requires the Top one thousand listed entities based on Market Capitalization, (calculated as on March 31 of every financial year), to formulate a Dividend Distribution Policy which shall be disclosed in their Annual Reports and on their Websites. The Dividend Distribution Policy shall include the following parameters:

(a) the circumstances under which the shareholders of the listed entities may or may not expect dividend;

(b) the financial parameters that shall be considered while declaring dividend;

(c) internal and external factors that shall be considered for declaration of dividend;

(d) policy as to how the retained earnings shall be utilized; and

(e) parameters that shall be adopted with regard to various classes of shares:

Provided that if the listed entity proposes to declare dividend on the basis of parameters in addition to clauses (a) to (e) or proposes to change such additional parameters or the dividend distribution policy contained in any of the parameters, it shall disclose such changes along with the rationale for the same in its annual report and on its website.

In terms of Regulation 43A of SEBI (LODR) Regulations, it is mandatory for our Bank to frame the Dividend Distribution Policy, as our Bank falls within the top 1000 listed entities as on March 31, 2022 in terms of Market Capitalization and our shares are listed in BSE & NSE Limited. Accordingly, the following 'Dividend Distribution Policy' has been framed and been approved and adopted by the Board of Directors of the Bank.

Our Bank is formed under the provisions of Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, is following the guidelines of Reserve Bank of India (RBI) and Government of India in respect of dividend payments.

II. DEFINITIONS:

a) Dividend	Dividend includes interim dividend. In common parlance, 'Dividend' means the profit of the Bank, which is not retained in the business and is distributed among the shareholders in proportion to the amount paid up on the shares held by them.
b) CRAR	It is the ratio of the Bank's capital to its risk weighted assets.
c) Dividend Payout Ratio	'Dividend Payout Ratio' is calculated as a percentage of 'dividend payable in a year (excluding dividend tax) to 'net profit during the year'.
d) Board	'Board' means Board of Directors of the Bank constituted in terms of Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

III. POLICY:

1. The Policy will be called as **"IOB Dividend Distribution Policy."**

2. **General Principles of the Bank regarding distribution of dividend:**

The intent of the Bank is to reward the shareholders of the Bank by sharing a portion of the profits, whilst also ensuring that sufficient funds are retained for growth of the Bank. The dividend for each year would be recommended by the Board at its discretion within the set guidelines of Government and Reserve Bank of India and after taking into account the financial performance of the Bank, interim dividend paid, its future plans, annual financial inspection finding of the RBI with regard to divergence in identification of NPAs, shortfall in provisioning, auditor's qualification pertaining to the Basel statement of accounts, Basel III Capital requirement, internal and external factors, statutory restrictions etc. for declaration by the shareholders in general meeting. The Board may also declare interim dividend at its discretion.

3. In case the Bank does not meet the above eligibility criteria no special dispensation shall be available from the Reserve Bank:

As per the guidelines dated May 04, 2005 issued by Reserve Bank of India and its Master Circular dated 01.07.2015 by Reserve Bank of India, the Bank will be eligible to declare dividends only when it complies with the following minimum prudential requirements;

i. The Bank should have:

- CRAR of at least 9% **plus applicable CCB** for preceding two completed years and the accounting year for which it proposes to declare dividend.
- Net NPA less than 7%.

In case the Bank does not meet the above CRAR norm, but is having a CRAR of at least 9% plus applicable CCB for the accounting year for which it proposes to declare dividend, it would be eligible to declare dividend provided its Net NPA is less than 5%.

ii. The Bank shall comply with the provisions of Sections 15 (which prohibits payment of dividend until all capitalized expenses have been written off) and Section 17 (which stipulates transfer of specified portion of profit to statutory reserve fund) of the Banking Regulation Act, 1949.

iii. The Bank shall comply with the prevailing regulations / guidelines issued by RBI, including creating adequate provisions for impairment of assets and staff retirement benefits, transfer of profits to Statutory Reserves etc.

iv. The proposed dividend should be payable out of the current year's profit.

v. The Reserve Bank of India should not have placed any explicit restrictions on the Bank for declaration of dividends.

यदि कोई बैंक उपर्युक्त पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो रिज़र्व बैंक से कोई विशेष छूट उपलब्ध नहीं होगी ।

4. देय लाभांश की मात्रा

क. **भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देश :** बैंक, यदि यह उपरोक्त अनुच्छेद संख्या 3 में निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा करता है, तो निम्नलिखित के अधीन लाभांश की घोषणा और भुगतान कर सकता है :

i. लाभांश भुगतान अनुपात 40 % से अधिक नहीं होना चाहिए और अनुलग्नक 1 में दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार होना चाहिए ।

ii. यदि प्रासंगिक अवधि के लाभ में कोई अतिरिक्त सामान्य लाभ / आय शामिल है, तो विवेकपूर्ण भुगतान अनुपात के अनुपालन के लिए ऐसे अतिरिक्त मदों को छोड़कर भुगतान अनुपात की गणना की जाएगी ।

iii. वित्तीय वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरण जिनके लिए बैंक लाभांश घोषित कर रहा है, वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी योग्यता से मुक्त होना चाहिए, जिसके दौरान उस वर्ष लाभ पर प्रतिकूल असर पड़ता है । उस प्रभाव ले लिए किसी भी योग्यता के मामले में, लाभांश भुगतान अनुपात की गणना करते समय शुद्ध लाभ उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए ।

iv. बेसल – III अनुपालन बांडों पर ब्याज का भुगतान न करने या सीसीबी सहित बेसल – III सीआरएआर अनुपालन की गैर-प्राप्ति के मामले में, आरबीआई इस उद्देश्य के लिए जारी किए गए बासेल III पूंजी विनियमों पर मास्टर परिपत्र में लाभांश पर प्रतिबंध लगाता है ।

ख. भारत सरकार के दिशानिर्देश :

भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को अपनी इक्विटी (यानी प्रदत्त पूंजी) का 20% न्यूनतम या कर पश्चात लाभ का 20 % जो भी अधिक हो, लाभांश देना होगा । यदि, कोई भी बैंक अन्तरिम लाभांश का भुगतान करने का फैसला करता है, तो वार्षिक परिणामों के आधार पर बैंक द्वारा भुगतान किए जाने वाले कुल लाभांश उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार होना चाहिए । आगे यदि, उन अनुदेशों के प्रावधानों से कोई छूट लेती है तो भारत सरकार से विशिष्ट पूर्व अनुमति जरूरी है ।

5. आंतरिक और बाह्य कारक :

बैंक का लाभांश भुगतान निर्णय कुछ बाहरी कारकों पर भी निर्भर करता है जैसे कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति, वैधानिक और विनियामक प्रावधान, कर नियम इत्यादि जैसा कि लाभांश की घोषणा के समय लागू हो सकता है । उपरोक्त बाह्य कारकों के अलावा, बोर्ड अन्य आंतरिक कारकों को ध्यान में रखता है जैसे कि व्यापार विकास योजनाएं, भविष्य की पूंजी आवश्यकताएँ, पूंजीगत संपत्तियों के प्रतिस्थापन इत्यादि । लाभांश के संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा ।

6. अर्जित आय का उपयोग :

अर्जित आय का उपयोग मुख्य रूप से बैंक की विकास योजनाओं के उद्देश्य के लिए और अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए जो भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा समय – समय पर जारी किए जाते है ।

7. शेयरों के विभिन्न वर्गों के संबंध में प्रावधान :

वर्तमान में बैंक के पास केवल एक शेयर वर्ग अर्थात इक्विटी शेयर है । भविष्य में किसी भी अन्य वर्ग के शेयर जारी करने के मामले में, पैरामीटर उचित समय पर बैंक द्वारा उचित रूप से तय किए जाएंगे ।

8. लाभांश भुगतान प्रणाली :

सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार, बैंक लाभांश का भुगतान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित भुगतान सुविधा के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग करेगा । जहां भी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मोड़ का उपयोग संभव नहीं होने पर, जहां भी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विधि का उपयोग करना संभव नहीं है, तब 'सममूल्य पर देय' वारंट या डिमांड ड्राफ्ट पात्र शेयरधारकों को जारी किए जाएंगे ।

9. प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग :

अ. पॉलिसी को बैंक की वेबसाइट पर प्रकट किया जाएगा तथा वार्षिक रिपोर्ट में वेब लिंक उपलब्ध कराया जाएगा ।

आ. बैंक आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार आरबीआई को लेखांकन वर्ष के दौरान घोषित लाभांश के विवरण की रिपोर्ट करेगा ।

इ. बैंक प्रति शेयर आधार पर लाभांश घोषित और खुलासा करेगा जैसा कि सेबी (एलओडीआर) विनियमन के तहत निर्दिष्ट है ।

10. नीति की वैधता और समीक्षा :

यह नीति तब तक लागू रहेगी जब तक कि नियामक प्राधिकारियों द्वारा और संशोधन नहीं किए जाते । नीति और नियामक दिशानिर्देशों के बीच किसी भी विसंगती या असंगति की स्थिति में, नियामक दिशा निर्देश मान्य होंगे ।

बोर्ड वार्षिक आधार पर नीति की समीक्षा / नवीनीकरण करेगा और यदि आवश्यक हो तो समय-समय पर नीति में संशोधन कर सकता है ।

अनुलग्नक – 1

लाभांश देय अनुपात की अधिकतम अनुमत सीमा के लिए मानदंड का मैट्रिक्स

प्रवर्ग	सीआरएआर	निवल एनपीए अनुपात			
		शून्य	शून्य से अधिक लेकिन 3% से कम	3% से अधिक और 5% से कम	5% से अधिक और 7% से कम
		लाभांश देय अनुपात की सीमा			
क	पिछले प्रत्येक तीन वर्ष के लिए 11% या अधिक	40 तक	35 तक	25 तक	15 तक
ख	पिछले प्रत्येक तीन वर्ष के लिए 10% या अधिक	35 तक	30 तक	20 तक	10 तक
ग	पिछले प्रत्येक तीन वर्ष के लिए 9 % या अधिक	30 तक	25 तक	15 तक	5 तक
घ	वर्तमान वर्ष में 9% या अधिक	10 तक		5 तक	शून्य

****

In case any bank does not meet the above eligibility criteria no special dispensation shall be available from the Reserve Bank.

4. Quantum of dividend payable:

A. **RBI guidelines:** The Bank, if it fulfills the eligibility criteria set out at paragraph No.3 above, may declare and pay dividends subject to the following:

i. The dividend payout ratio shall not exceed 40% and shall be as per the matrix furnished in Annexure 1.

ii. In case the profit for the relevant period includes any extra-ordinary profits / income, the payout ratio shall be computed after excluding such extra-ordinary items for reckoning compliance with the prudential payout ratio.

iii. The financial statements pertaining to the financial year for which the bank is declaring a dividend should be free of any qualifications by the statutory auditors, which have an adverse bearing on the profit during that year. In case of any qualification to that effect, the net profit should be suitably adjusted while computing the dividend payout ratio.

iv. In case of nonpayment of interest on Basel-III compliant bonds or non-achievement of the Basel-III CRAR ratio including CCB, RBI puts restrictions on the dividend in the Master Circular on Basel III Capital Regulations issued for this purpose.

B. Government of India guidelines:

As per extant guidelines of Government of India, the Bank is required to pay a minimum dividend of 20% of its equity (i.e. paid up capital) or 20% of its post–tax profits, whichever is higher. In case, any Bank decides to pay interim dividend, the total dividend to be paid by the Bank based on the annual results should be as per the above guidelines. Further, any relaxation from the provisions of these instructions requires specific prior permission of the Government.

5. **Internal and External Factors.**

The dividend payout decision of the Bank will also depend on certain external factors such as the state of the economy of the country, statutory and regulatory provisions, tax regulations, etc, as may be applicable at the time of declaration of the dividend. Apart from the aforesaid external factors, Board will also take into account various internal factors, such as business growth plans, future capital requirements, replacement of capital assets, etc. The decision of the Board regarding dividend shall be final.

6. Utilization of Retained Earnings

The retained earnings will mainly be utilized for the purpose of the Bank's growth plans and such other purposes as per the guidelines issued by RBI and Government of India from time to time.

7. **Provisions with regard to various classes of shares:**

The Bank currently has only one class of shares, namely Equity Shares. In case of issuance of any other class of shares in future, the parameters shall be decided suitably by the Bank at the appropriate time.

8. **Manner of Payment of dividend:**

As per Regulation 12 of SEBI (LODR) Regulations, the Bank shall use any of the electronic modes of payment facility approved by the Reserve Bank of India for the payment of the dividends. Where it is not possible to use electronic mode of payment, 'payable-at-par' warrants or Demand Drafts will be issued to the eligible shareholders.

9. **Disclosure and Reporting:**

a) The Policy will be disclosed on the website of the Bank and a web link shall be provided in the Annual Report.

b) The Bank shall report the details of dividend declared during the accounting year to RBI as per timeline specified by RBI.

c) The Bank shall declare and disclose the dividend on per share basis only as specified under SEBI (LODR) Regulations.

10**. Validity and Review of Policy**

The Policy will be in force, until further amendments made by Regulatory Authorities. In the event of any discrepancy or inconsistency between the Policy and Regulatory guidelines, the regulatory guidelines will prevail.

The Board will review / renew the Policy on an annual basis and if found essential may amend the Policy from time to time.

Annexure - 1

Matrix of Criteria for maximum permissible range of Dividend Payout Ratio

Category	CRAR	Net NPA Ratio			
		Zero	More than zero but less than 3%	From 3% to less than 5%	From 5% to less than 7%
		Range of Dividend Payout Ratio			
A	11% or more for each of the last 3 years	Up to 40	Up to 35	Up to 25	Up to 15
B	10% or more for each of the last 3 years	Up to 35	Up to 30	Up to 20	Up to 10
C	9% or more for each of the last 3 years	Up to 30	Up to 25	Up to 15	Up to 5
D	9% or more in the current year	Up to 10		Up to 5	Nil

****

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with
www.iob.in

G20
Azadi Ka Amrit Mahotsav

IOB launches

7 Digit/Character Account Number !!!

First of its Kind in Banking Industry !!!!

SB HNI

My Account My Name

SB SALARY

Now Get Freedom to choose ANY NAME as YOUR ACCOUNT NUMBER

(* Alpha, AlphaNumeric, Numeric of 7 Characters)

"Say Goodbye to lenghty Account Numbers
and say hello to Easy-to-Remeber
7-Digit/Character Account Numbers "

No Need to visit Branch

Create your Account Name

through Bank's Website !!!

आकर्षक ऑफर्स के साथ रीटेल उत्पाद
Retail Products with Attractive Offers

- होम लोन
  Home Loan
- पर्सनल लोन
  Personal Loan
- वाहन ऋण
  Vehicle Loan
- आभूषण ऋण
  Jewel Loan
- शिक्षा ऋण
  Education Loan
- संपत्ति के प्रति ऋण
  Loan Against Property

✔ एनआरआई को होम लोन
Home Loan to NRI

✔ आइओबी रॉयल
IOB Royal

✔ पेंशनभोगियों को ऋण
Pensioners' Loan

✔ किराया प्राप्तियों के प्रति लिक्वीरेंट ऋण
Liquirent Loan against Rent Receivables

✔ होम डेकोर
Home Décor

✔ घर की मरम्मत व नवीनीकरण के लिए
Home Improvement for Repairs & Renovation

✔ रिवर्स मॉर्टगेज
Reverse Mortgage

आसान दस्तावेजीकरण
Easy Documentation

तुरंत मंजूरी
Instant Approval

त्वरित संवितरण
Quick Disbursal

अधिकतम चुकतान अवधि
Maximum Repayment

*नियम और शर्तें लागू
*Terms & Conditions Apply

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
(A Government of India undertaking)
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with

Central Office Address :
763, Anna Salai, Chennai - 600 002
Phone : +91-44-2852 4212